पंचदश माला, खंड 21, अंक 12

शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2011
18 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 84
Dated 29 April 2014

सत्यमेव जयते

(खण्ड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

' 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 21, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 12, शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2011/18 अग्रहायण, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
9 दिसंबर, 2011 को दक्षिण कोलकाता के एएमआरआई अस्पताल में भीषण आग	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 240	2-95
अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760	96-746
अध्यक्ष द्वारा बधाई	746
एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वीरेन्द्र सहवाग द्वारा विश्व रिकार्ड बनाए जाने पर उन्हें बधाई	746-747
सभा पटल पर रखे गए पत्र	747-756
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक	756
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	756
(एक) 48वां प्रतिवेदन	756
(दो) साक्ष्य	757
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-2010) के संबंध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री दिनशा पटेल	757
सभा का कार्य	757-761

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तरों के लिए नहीं लिया जा सका। अत: ये तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्न माने गए।

विषय	कॉलम
नियम का 193 के अधीन चर्चा	761
भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति	761
श्री प्रहलाद जोशी	761-763
श्री प्रणब मुखर्जी	763-774
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	779-780
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	780-790
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	791-792
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	791-792

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2011/18 अग्रहायण, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

9 दिसंबर, 2011 को दक्षिण कोलकाता में एएमआरआई अस्पताल में भीषण आग

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों, दक्षिण कोलकाता में एएमआरआई हॉस्पिटल में आज प्रातः लगभग 3.00 बजे भयंकर आग लगने से अनेक लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने के खबर मिली है। आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य अभी भी जारी है।

मैं अपनी ओर से सभा की ओर से इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों के प्रति की दुख की इस घड़ी में सहानुभूति व्यक्त करती हूं। अब सदस्यगण थोड़ी देर दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वान्ह 11.01 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः अब हम प्रश्न काल शुरू करते हैं।

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न संख्या 221, श्री एन. चेलुवरया स्वामी।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइए। कृपया अपनी सीट पर जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय श्री अनंत कुमार हेगड़े और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

....*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विद्युत उत्पादन की लागत

***221. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन की लागत का निर्धारण करने वाले कारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत परियोजनाओं के लिए अखिल भारतीय स्तर पर स्रोत-वार प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन की भारित औसत लागत कितनी है;

(ग) देश में स्त्रोत-वार विद्युत उत्पादन की वर्तमान अनुमानित प्रति मेगावाट लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित विद्युत उत्पादन की लागत में कमी करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या परिणाम रहे?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन की लागत परियोजना की पूंजीगत लागत, पूंजी की लागत, प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रभार, मूल्य ह्रास, जहां लागू हो वहां ईंधन की लागत, कार्यशील पूंजी की लागत, कर एवं शुल्क के द्वारा निर्धारित की जाती है।

(ख) सीईए में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्पादन केन्द्रों से विद्युत यूटिलिटियों को विद्युत की ब्रिकी की स्त्रोतवार भारित औसत दर नीचे दी गई हैः

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्रोत	(आंकड़े पैसे/ कि.वा.घं.)		
	2007-08	2008-09	2009-10*
हाइड्रो	153.85	201.26	214.70
थर्मल	202.80	242.49	252.98
न्यूक्लीयर	227.82	231.18	223.50
अखिल भारत	210.67	236.00	239.00

*अद्यतन उपलब्धता

(ग) विद्युत संयंत्रों से उत्पादन की लागत परियोजना के प्रकार अर्थात हाइड्रो, थर्मल, अथवा गैस इत्यादि, परियोजना के स्थान (अर्थात जल विद्युत परियोजना के लिए कच्चे माल से दूरी, ईधन स्त्रोत से दूरी इत्यादि), प्रौद्योगिकी की किस्म (अर्थात सुपर-क्रिटिकल अथवा सब-क्रिटिकल), ईधन स्त्रोत से दूरी इत्यादि), प्रौद्योगिकी की किस्म (अर्थात सुपर-क्रिटिकल अथवा सब-क्रिटिकल), ईधन के प्रकार एवं मात्रा (अर्थात कोयला अथवा गैस अथवा लिग्नाइट), शामिल कार्य(अर्थात, जल विद्युत परियोजना के लिए बांध, जल संवहन प्रणाली, परियोजना के लिए बांध, जल संवहन प्रणाली, परियोजना की सथलाकृति एवं भू-वैज्ञानिकी के आधार पर भूमिगत अथवा सतही विद्युत गृह), परियोजना की निर्माण अवधि तथा इसके जीवन काल, प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों ईधन तथा अतिरिक्त पुर्जो (स्पेयस) की सूची की लागत, परियोजना की वित्तपोषण लागत, इत्यादि पर निर्भर करती है।

हाल ही में चालू की गई ताप परियोजनाओं की अनुमानित प्रति मेगावाट लागत 4 से 5.77 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट तक थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011 के दौरान सीईए द्वारा सहमति दी गई जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित पूंजीगत लागत सामान्यतः 6.10 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट से लेकर 8.02 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट तक थी। विगत चालू की गई कुछ न्यूक्लियर यूनिटों की पूंजीगत लागत 6.03 से 6.36 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट तक थी।

(घ) और (ङ) विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए सरकार ने उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने सहित निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) ताप विद्युत उत्पादन में, उत्पादन की प्रति ईकाई हेतु अपेक्षित ईधन की लागत को कम करने के परिप्रेक्ष्य में, ज्यादा कुशल सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

(ii) अन्य बातों के साथ-साथ, कोयला-आधारित केन्द्रों की ईधन की लागत को कम करने के उद्देश्य से ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए केप्टिव कोयला खनन को प्रोत्साहित करना।

(iii) प्रचालन संबंधी कुशलता में सुधार लाने के लिए पुराने/संतोषजनक निष्पादन न करने वाले ताप एवं जल विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनीकीकरण।

(iv) तकनीकी विकासों का प्रयोग करना जिसमें ग्रीसलेस टरबाइन कंपोनेंट्स, उन्नत जेनेरेटर कंपोनेंट्स वेरिएबल स्पीड टेक्नोलॉजीज, डबल-स्टेज एडजस्टेबल पंप टरबाईन, गवर्नर टेक्नोलॉजी, स्टेट-ऑफ-आर्ट डायग्नोस्टिक एण्ड एनालियेटिकल मेथड्स, वेल्डिंग मेटेरियल्स, हाई स्ट्रेन्थ स्टील, उन्नत एफ-क्लास इंसुलेशन, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स, माइक्रो-प्रोसेसर आधारित न्यूमेरिकल रिलेस तथा साथ ही साथ, जल विद्युत केन्द्रों में भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त सथल-विनिर्दिष्ट विकास शामिल है।

(v) 06.01.2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति में वितरण लायसेंसियों द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक रूप से विद्युत का प्रापण करने की अनिवार्यता है, सिवाय, जहां राज्य नियंत्रणाधीन/स्वामित्व की कंपनी चिन्हित विकासकर्ता है, वहां की मौजूदा परियोजनाओं के विस्तारण के मामलों के। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी, सभी नई उत्पादन परियोजनाओं का टैरिफ 5 जनवरी, 2011 के पश्चात्, प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

(vi) 2002—14 की अवधि हेतु केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा जारी टैरिफ विनियमों में सुधरे हुए प्रचालनात्मक मानदण्ड।

(vii) बड़े पैमाने (इकोनोमी ऑफ स्केल) पर आर्थिक दृष्टि से पूंजीगत लागत को कमर करने के लिए उच्चतर इकाई आकार/संयंत्र क्षमता को प्रोत्साहित करना।

(viii) बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ देने के लिए टैरिफ आधारित अंतरःराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रत्येक, 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना की पहल करना।

(ix) दिसंबर, 2009 में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित मेगा विद्युत परियोजना नीति, जिसमें निश्चित विनिर्दिष्ट क्षमता की परियोजनाओं के विद्युत उत्पादक उपकरणों को सीमा शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है तथा निश्चित श्रेणी की परियोजनाओं के लिए उत्पाद शुल्क से भी छूट दी जाती है।

विद्युत के प्रापण के लिए प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ का आकलन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किया गया है। सीईआरसी द्वारा विनिर्धारित प्रचालनात्मक मानकों में सुधार किए जाने के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी आई है। नई थर्मल परियोजनाओं में सुपर-क्रिटिकल प्रोद्योगिकी की शुरूआत करने से ईंधन की बचत होगी तथा CO_2, No_x So_s तथा विविक्त (पार्टिकुलेट) उत्सर्जन इत्यादि में कमी आएगी।

[हिन्दी]

जपानी मस्तिष्क ज्वर

***222. श्री गोरखनाथ पाण्डेयः**
श्री वैजयंत पांडाः

क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू के वर्ष दौरान अब तक जापानी मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए बच्चों के टीकारण के संबंध में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उनमें कितनी सफलता मिली है;

(ख) क्या देश में जापानी मस्तिष्क ज्वर के पुनः फैलने को रोकने हेतु लगाए जा रहे टीकों के प्रभाव और प्रभावकारिता के संबंध में कोई अध्ययन/विश्लेषण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(घ) क्या देश में मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए घटिया टीकों की आपूर्ति/उनके उपयोग के मामलों का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) उच्च रोग भार वाले जिलों में अभियान प्रणाली में शुरू में 1 से 15 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को तथा उसके बाद नेमी प्रतिरक्षण के अंतर्गत 16 से 24 माह के बच्चों की कवरेज द्वारा उन्हें जापानी एन्कीफलाइटिस (जेई) वैक्सीनेशन के अंतर्गत लक्षित किया जाता है। 3 वर्षो के संबंध मे जेई अभियान के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित कवरेज संलग्न विवरण में दी गई है। मौजूदा वर्ष में अभियान के लिए किसी भी नए जिले को नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) जेई वैक्सीन की प्रभावकारिता और सुरक्षा के संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अध्ययन किए हैं। ये अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जेई वैक्सीन सुरक्षित है और यह वैक्सीन जेई के प्रति कारगर है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार से घटिया जेई वैक्सीन की आपूर्ति के दृष्टांत नहीं मिले हैं तथापि, वर्ष 2009 में एक घटना हुई थी जहां पश्चिम बंगाल में हुगली जिले में मियाद समाप्त हुई जेई वैक्सीन पिला दी गई थी।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा यथासूचित जेई वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत कवरेज

वर्ष 2008-09

क्र.सं.	राज्य	लक्षित बच्चे (1-15 वर्ष)	उपलब्धि (प्रतिरक्षित बच्चे)	% कवरेज
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1303289	979106	75.1
2.	असम	632325	575380	91.0

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा	362572	345457	95.3
4.	कर्नाटक	1007655	709231	70.4
5.	केरल	722259	306817	42.5
6.	महाराष्ट्र	879519	645011	73.3
7.	तमिलनाडु	2384006	1520874	63.8
8.	उत्तर प्रदेश	10836573	10708393	98.8
9.	पश्चिम बंगाल	1912064	1091672	57.1
	कुल भारत	20040262	16881941	84.2
		वर्ष 2009-10		
1.	आंध्र प्रदेश	4143665	3069719	74.08
2.	असम	1482029	1098158	74.10
3.	बिहार	1362508	1118579	82.10
4.	गोवा	473606	162572	34.33
5.	हरियाणा	713844	618655	86.67
6.	कर्नाटक	1197962	938668	78.36
7.	केरल	856885	340623	39.75
8.	महाराष्ट्र	2909838	1008765	34.67
9.	तमिलनाडु	1552386	1090690	70.26
10.	उत्तर प्रदेश	9259148	7831079	84.58
11.	पश्चिम बंगाल	3218733	819674	25.47
	कुल भारत	27170604	18097182	66.61
		वर्ष 2010-11		
1.	आंध्र प्रदेश	3853274	2979689	77.33
2.	अरूणाचल प्रदेश	46760	44793	95.79
3.	असम	2010097	1766370	87.87
4.	बिहार	2673015	2338596	87.49

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	357705	332789	93.03
6.	मणिपुर	572194	140008	71.66
7.	नागालैंड	178327	159497	89.44
8.	उत्तर प्रदेश	6790820	6724732	99.03
9.	उत्तराखंड	514354	422762	82.19
	कुल भारत	16996545	15179236	89.31

इस डाटा में उत्तर प्रदेश और असम के लिए पुनः अभियान कवरेज भी शामिल है।

[अनुवाद]

बाल अधिकारों का उल्लंघन

223. श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री धमेन्द्र यादवः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 20 ईयर्स ऑफ कनेक्शन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड (सीआरसी)-ए बैलेंस शीट नामक सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि संविधान और बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अंतर्गत प्रत्याभूत बाल अधिकारियों का देश में उल्लंधन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या "बालक" की सार्वभौमिक परिभाषा के अभाव में इन अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट "सीआरसी के बीस वर्ष-एक संतुलन पत्र" जिसकी प्रति गैर सरकारी संगठन से अब प्राप्त की गई है, सीआरसी में दी गई वचनबद्धता के क्रियान्वयन में की गई प्रगति और कमियों एवं चुनौतियों का मूल्यांकन किया जाता है।

रिपोर्ट में यह माना गया है कि बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने हेतु अपने "क्रियान्वयन के सामान्य उपायों" को सुदृढ़ करने और उनमें सुधार लाने में भारत मजबूती के साथ उभरा है। इसका पता नए कानून बनाने, मौजूदा कानूनों में कुछ संशोधन करने, नई नीतियों बनाने और संस्थागत तंत्र जैसे कि वर्ष 2006 में पूर्ण महिला एवं विकास मंत्रालय बनाना और वर्ष 2007 में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन तथा इसके बाद 12 राज्य आयोगों के गठन से चलता है।

इस रिपोर्ट में आठ मुख्य संसूचकों अर्थात जन्म का पंजीकरण, बालक-बालिकाओं का अनुपात, बाल विवाह, बाल श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंसा और बच्चों द्वारा अपराधों के विरूद्ध की गई प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। इन मुद्दों की जानकारी सरकार को है और इनका समाधान विभिन्न नीतियों, योजनाओं कानूनों और कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। तथापि, विश्व में सबसे अधिक बच्चों की तथा बहुविषमता वाली जनसंख्या जिसमें आयु लिंग जाति धर्म और जाति धर्म और क्षेत्र शामिल हैं, के अधिकार सुनिश्चित करना एक सतत चुनौती है, जिसके लिए सरकार समुदाय तथा गैर सरकारी कार्यकर्ताओं के समन्वित प्रयासों की जरूरत है।

(ग) जी, नहीं। बाल अधिकारों पर यूएन अभिसमय, जिसका समर्थन भारत द्वारा दिसम्बर, 1990 में किया है, में 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। तथापि इस अधिसमय में भी विशेष संरक्षण देने के राज्य के दायित्व के मद्देनजर विभिन्न परिस्थितियों में बच्चे के विकास की क्षमता को संतुलित करते हुए न्यूनतम आयु निर्धारित करने की अनुमति है।

विभिन्न अधिनियमों और नीतियों के अंतर्गत "बालक" की परिभाषा को संगत बनना एक सतत कार्य है और इसके लिए सभी भागीदारों के साथ व्यापक परामर्श और विचार-विमर्श करना आवश्यक है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर संग्रहण

***224. श्री अंजनकुमार एम. यादवः**
श्री पी.आर. नटराजनः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण संबंधी लक्ष्य की तुलना में वास्तविक संग्रहण कितना रहा;

(ख) क्या हाल के प्रतिकूल आर्थिक रूझानों का प्रत्यक्ष कर संग्रहण पर व्यापक असर पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कर संग्रहण में और सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (प्रणब मुखर्जी)ः (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (अक्टूबर, 2011 तक) के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण संबंधी लक्ष्य की तुलना में वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार हैः

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	प्रत्यक्ष कर		अप्रत्यक्ष कर	
	लक्ष्य	संग्रहित राशि	लक्ष्य	संग्रहित राशि
2008-09	345000	333818	281359	269433
2009-10	387008	378063	244477	245368
2010-11	446000	446935	338978	343705*
2011-12	532651	218850	397816	221462**

*2010-11 के वास्तविक आंकड़े अनंतिम हैं तथा इनमें स्वच्छ ऊर्जा उपकर और राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर शामिल नहीं हैं।

वर्ष 2011-12 के आंकड़े अक्तूबर, 2011 तक हैं तथा अनन्तिम हैं।

**इन आकड़ों में राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर शामिल नहीं हैं।

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थात अक्टूबर, 2011 तक अप्रत्यक्ष करों से 2,21,462 करोड़ रुपये संग्रहित किये गये हैं, जो गत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 18.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता हैं, जो गत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 18.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और जो बजट अनुमानों के अनुरूप है। ऐसे कोई ठोस संकेत नहीं हैं जिनमें यह निष्कर्ष निकाला जाए कि हाल की प्रतिकूल आर्थिक प्रवृत्तियों का अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है।

(घ) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है सरकार द्वारा कर संग्रहण में और सुधार लाने के लिए किये जा रहे अन्य उपायों के साथ-साथ शीर्ष मामलों में अग्रिम कर भुगतान की मॉनिटरिंग; उठाई गई मांगो की शीघ्र वसूली के लिए लंबित मामलों के निपटान हेतु त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करना, यदि कोई है; कार्रवाई योग्य मामलों की पहचान कर उनमें बकाया मांग की वसूली तथा उनकी कड़ी मॉनिटरिंग, सरलीकरण, लचीलेपन, स्थिरता पर जोर देते हुए एक ऐसी प्रत्यक्ष संहिता लागू करना जिसमें मुकदमेबाजी की गुंजाइश कम हो तथा एकल खिड़की डिलीवरी प्रणाली के लिए सेवोत्तम योजना शामिल है। जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, प्रशासनिक उपायों जैसे कर विवरणी दाखिल बंद करने वालों की पहचान करना, विशेष लेखा परीक्षाओं का आयोजन, बकायों का परिसमापन आदि को प्रारंभ किया गया है।

महिलाओं के प्रति अत्याचार

225. डॉ. मुरली मनोहर जोशीः
श्री अर्जुन रायः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महिलाओं के प्रति अपराध के निवारण और नियन्त्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सलाह और किए गए अन्य उपायों के बावजूद भी महिलाओं के प्रति अत्याचार लगातार हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने पुलिस कर्मियों में संवेदनशीलता के अभाव, गुणवत्ता की कमी तथा महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित मामलों को निपटाने में जांच आदि में विलम्ब सहित विद्यमान कानूनों तथा प्रक्रिया तंत्र में मौजूद खामियों पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों के निवारण तथा नियन्त्रण हेतु विद्यमान कानूनों आदि को और सुदृढ़ करने का है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2008 में कुल 195856, वर्ष 2009 में 203804 और 2010 में 213585 महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर्ज किए गए। यद्यपि यह बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाता है, इससे कानूनों के प्रति अधिक जागरूकता परिलक्षित होती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक मामलों की सूचना मिली है।

संविधान की सातवीं अनुसूचित के अनुसार पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अतः महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का पता लगाना, दर्ज करना, जांच और अभियोजन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के निवारण और नियंत्रण के मामले को सबसे अधिक महत्व देती है और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को समय-समय पर सुझाव देती है। इन सुझावों में अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, महिलाओं के विरूद्ध अपराध की जांच में कम विलम्ब करना, जांच की गुणवत्ता बढ़ना और जिन जिलों में नहीं है वहां महिलाओं के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठों की स्थापना पर बल दिया गया है।

सरकार ने महिलाओं के संरक्षण के लिए अनेक कानून अधिनियमित किए हैं। उनकी कारगरता बढ़ाने हेतु संशोधन करने और जहां कहीं आवश्यक हो वहां नए कानून बनाने हेतु इन कानूनों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में अधिनियमित किया गया और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक 7 दिसम्बर, 2010 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा महिलाओं के विरूद्ध अपराध के निवारण और महिलाओं के हित की रक्षोपाय करने के लिए कानून का सुदृढ़ करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2005 और 2008 में संशोधन किया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 तथा स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

'ईको' पर्यटन

226. श्रीमती मेनका गांधीः
श्री हरिन पाठकः

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों सहित 'ईको' पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक पर्यटक अवसंरचना के विकास एवं 'ईकों' पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं परियोजना-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कितने प्रस्ताव मंजूर/अनुमोदित किए गए हैं;

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान 'ईको' पर्यटन के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) देश में 'ईकों' पर्यटन के विकास के लिए सरकार दूवारा और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) ईको-पर्यटन परियोजनाओं सहित विभिन्न पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं का विकास, संवर्धन एवं कार्यान्वयन मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय में आयोजित की जाने वाली प्राथमिकता निर्धारण बैठकों में किए गए विचार-विमर्श के आधार पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों दूवारा प्रस्तुत किए गए परियोजना प्रस्तावों की पहचान की जाती है। पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, इस प्रकार से पहचान की गई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में 30 सितम्बर, 2011 तक के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए स्वीकृत ईको पर्यटन के विकास पर मुख्यतः फोकस करने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, प्राथमिकता निर्धारण बैठकों के दौरान पहचान की गई ईको पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तथापि, ईको पर्यटन परियोजनाओं के लिए पृथक रूप से निधियां निर्धारित नहीं की जाती हैं।

(घ) पर्यटन मंत्रालय ईको-पर्यटन के विकास पर फोकस करने वाली संगोष्ठियों एवं कार्यक्रमों को समय-समय पर सहयोग प्रदान करता है।

विवरण

ईको-पर्यटन पर फोकस करने वाली परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30 सितम्बर, 2011 तक) के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.स.	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	2008-09	नेल्लोर जिले में नेल्लोर टेंक में इको पार्क का गंतव्य विकास	165.62
2.	2008-09	चिलका हिल ट्राइबल रिट्रीट-फाकल इको पर्यटन जोन और लैंडस्केप पार्क कुमारीकुन्टा नारसमपेट, वारंगल जिले का गंतव्य विकास	312.22
3.	2009-10	जन्नारम अदिलाबाद जिले में इको-पर्यटन का विकास	283.94
4.	2010-11	अनंतगिरि रंगा रेड्डी जिले में इको-पर्यटन केन्द्र का विकास	404.51
अरूणाचल प्रदेश			
5.	2010-11	टेगो गेमलिन ग्राम, पश्चिमी सियांग जिले में इको-पर्यटन का निर्माण	370.65
6.	2011-12	देवमाली उप-संभाग के अंतर्गत हुकानजुरी में ईको-पर्यटन का निर्माण	487.93
चंडीगढ़			
7.	2010-11	इको-पर्यटन पार्क कम बोटेनीकल गार्डन में उन्नयन और पर्यटन अवसंरचना का सृजन एवं सुदृढ़ीकरण	313.32
जम्मू और कश्मीर			
8.	2010-11	सोनमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा नीलग्रथ और सारबल ग्राम जम्मू एण्ड कश्मीर के मध्य परिस्थितिकी अनुकूल रिजॉर्ट का विकास	242.13

1	2	3	4
कर्नाटक			
9.	2009-10	तालकाले, जोग, सागर तालुक, सिमोग जिले में इको-पर्यटन रिजॉर्ट का विकास एवं साहसिक पर्यटन सुविधाएं	414.68
10.	2009-10	काजीनेले (हावेरी जिला) में इको-पर्यटन पार्क का विकास	499.97
11.	2009-10	दारोजी बीयर अभ्यरण्य, हम्पी, हासपेट तालुक बिल्लारी जिले में में इको-पर्यटन रिजॉर्ट/सुविधाओं का विकास	339.77
12.	2009-10	बिदार जिले में विलासपुर टैंक में जंगल लॉजों एवं रिजॉर्टों का विकास	177.54
13.	2010-11	खानापुर, फोरेस्ट बेलगुम जिले में इको-पर्यटन रिजॉर्ट का विकास	440.32
14.	2010-11	पीलीकुला निसर्गधाम इको-पर्यटन रिजॉर्ट	419.65
केरल			
15.	2008-09	मालापुरम् कोझीकोड, कन्नुर और कासरगोड जिले में मालाबार मांग्रावों इको-पर्यटन परिपथ	349.36
मध्य प्रदेश			
16.	2009-10	रायसेन जिले में समर्धा इको-पर्यटन गंतव्य विकास	33.45
महाराष्ट्र			
17.	2008-09	विदर्भ क्षेत्र के लिए एक वृहत-परियोजना के रूप में इको-पर्यटन विकास योजना हेतु प्रमुख परिपथ का विकास	3738.19
मणिपुर			
18.	2010-11	थंगल, सेनापति जिले में इको-पर्यटन परिसर	310.85
नागालैंड			
19.	2008-09	इको-साहसिक एवं सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में मोन का एकीकृत विकास	452.76
20.	2009-10	किगवेमा-एमटी सुरो इको-एडवेंचर में पर्यटक गंतव्य	383.06
21.	2010-11	चेंगटांग यामिंगकांग-नोकसेन, टोबू-शातुया में एकीकृत पर्यटक इको-एडवेंचर एवं सांस्कृतिक परिपथ	784.70

1	2	3	4
22.	2010-11	एकीकृत पर्यटक गंतव्यः अकितो में इको-एडवेंचर एवं साहसिक हब	434.70
23.	2010-11	एकीकृत पर्यटक गंतव्य इको-एडवेंचर कल्चर हब चिजामी	500.00
राजस्थान			
24.	2010-11	पर्यटक गंतव्य एवं विकास परिपथ के रूप में कुम्भलगढ़ टोडगढ़-रावोली-रानकपुर में इको-पर्यटन गंतव्य का अवसंरचना विकास	594.55
सिक्किम			
25.	2009-10	लाचुंग, युमथांग और उत्तर सिक्किम में इको-पर्यटन गंतव्य का विकास एवं संवर्धन	394.41
तमिलनाडु			
26.	2009-10	मदुरै जिले में थिरूपरनडुंड्रम इको-पार्क का गंतव्य विकास	387.63
27.	2011-12	शालिम जिले में येरकोड में बॉटनीकल गार्डन का विकास	365.00
उत्तर प्रदेश			
28.	2011-12	शाहपुर, सुल्तानपुर में शिव धाम और इको-पर्यटन का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	226.65
उत्तराखण्ड			
29.	2010-11	ओली, चमोली जिले में इको-पर्यटन हट्स का विकास	461.62
30.	2010-11	टिहरी झील के बैक वॉटर्स में इको-पर्यटन का विकास	496.74
31.	2010-11	पुरोला-नेतवार-हरकीदुन परिपथ पर इको-पर्यटन का विकास	700.85
32.	2011-12	अलमोड़ा में इको-पर्यटन का विकास	490.80
पश्चिम बंगाल			
33.	2008-09	दक्षिण 24 परगना जिले में सजनेखली इको-पर्यटन परिसर सह-गंतव्य परियोजना	457.60
34.	2010-11	बक्साद्‌वार (इको-पर्यटन परियोजना) में गंतव्य पर्यटन	394.00
		योग	16829.17

अतुल्य भारत अभियान

***227. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेलः** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या "अतुल्य भारत अभियान" को प्रोत्साहन दिए जाने से देश में पर्यटन उद्योग के समग्र विकास के वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस अभियान के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा विभिन्न एजेन्सियों द्वारा इसके लिए कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त अभियान को भविष्य में भी जारी रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) देश में विदेशी पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए "अतुल्य भारत" ब्रांड-लाइन के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू मार्केटों में अभियानों को जारी करता है। ब्रांड लाइन की शुरूआत से वर्ष 2010 तक देश में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) 2.38 मिलियन से बढ़कर 5.78 मिलियन और विदेशी मुद्रा आय (एफईई) 15064 करोड़ रूपए से बढ़कर 64889 करोड़ रुपए (अग्रिम अनुमान) हो गई है। घरेलू यात्रा 269.60 मिलियन से बढ़कर 740.21 मिलियन (अनन्तिम) हो गई है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मार्केटों में भारत के एक पर्यटक गंतव्य के रूप में संवर्धन पर व्यय क्रमशः "विपणन विकास सहायता सहित विदेशी संर्वधन एवं प्रचार की पुनर्संरचित योजना" और "आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार"शीर्षों के अंतर्गत आवंटित निधियों से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (31.10.2011 की स्थिति में) के दौरान इन शीर्षों के अंतर्गत आबंटित निधियां तथा किये गये व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	विपणन विकास सहायता सहित विदेशी संवर्धन एवं प्रचार की पुनर्संरचित योजना		आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार	
	अंतिम आबंटन	किया गया व्यय	अंतिम आबंटन	किया गया व्यय
2008-09	220.00	211.35	76.99	77.31
2009-10	240.00	242.67	56.00	53.86
2010-11	249.00	249.02	74.75	74.67
2011-12 31.10.2011 की (स्थिति में)	280.00*	104.79 (अ)	70.00*	32.89 (अ)

*बजट आबंटन (अ) अनंतिम

(ग) और (घ) "अतुल्य भारत अभियान" पूरे विश्व में बहुत सफल रहा है। वर्तमान में इस अभियान को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राज्यों में वित्तपोषित परियोजनाएं

***228. डॉ. राजन सुशान्तः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण संस्थाओं तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रत्येक परियोजना में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों का हिस्सा कितना-कितना है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण संस्थाओं तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) वित्तपोषित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण 1 व 11 में दिया गया है।

(ख) विदेशी सहायता वाली परियोजनाओं के लिए, केन्द्रीय सरकार विशेष श्रेणी वाले 11 राज्यों अर्थात 7 उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड को 10% ऋण और 90% अनुदान के रूप में विदेशी एजेंसियों से प्राप्त निधियां देती है। सभी अन्य मामलों में, 2005 से राज्यों को विदेशी सहायता बैक-टू-बैक आधार पर दी जाती है।

विकास वित्तीय संस्था होने के नाते नाबार्ड भारत सरकार के आदेश से निधियों की व्यवस्था करता है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि परियोजनाओं के लिए, राज्य सरकार का हिस्सा निम्नानुसार है:

क. उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम तथा पर्वतीय राज्य (हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड)

कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र	5%
सामाजिक क्षेत्र	10%
ग्रामीण संपर्कता क्षेत्र	10%

ख. अन्य राज्य

कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र	5%
सामाजिक क्षेत्र	15%
ग्रामीण संपर्कता क्षेत्र	20%

अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) के पुनरूद्धार में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) अंतराष्ट्रीय वित्तपोषण संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित परियोजना-वार वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-1 के कालम-12 में दी गयी है।

विवरण I

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता	दाता की करेंसी (डीसी)	करार की तारीख	विदेशी वचनवद्धता (डीसी हजार)	उपयोग (हजार रुपये) 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	3662-आईएन आंध्र प्रदेश समुदाय वन प्रबंधन परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	10-अग-02	78,320.05	544,611.95	325,881.44	159,772.37	0	बंद
2.	आईडीपी-142 सिमहाद्री और विजाग पारेषण प्रणाली परियोजना II	आंध्र प्रदेश	जेआईसीए,जापान	जेपीवाई	5-अक्टू-02	5,475,724.56	4,838.15	0	0	0	बंद
3.	3732- आईएन आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईडीए,विश्व बैंक	एक्सडीआर	4-मार्च-03	114,000.00	294,076.34	71,260.69	0	0	बंद
4.	आईडीपी-155 कुरनुल-कुडप्पा नहर आधुनिकीकरण परियोजना II	आंध्र प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-04	4,773,000.00	209,871.01	68,319.09	142,871.03	31,324.85	चल रहीं है
5.	गिरिप्रगति आंध्र प्रदेश में जनजातियों का सतत विकास	आंध्र प्रदेश	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	13-दिस-05	1,500.00	106,773.34				बंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	जीओएपी लोक प्रबंधन तथा सेवा सुपुर्दगी महत्तपूर्ण कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	21-मार्च-06	6,500.00	135,521.32	15,4194.94			बंद
7.	आईडीपी-174 हुसैन सागर झील व कैचमेंट एरिया सुधार कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-06	7,729,000.00	138,541.05	324,837.23	507,409.62	120,702.36	चल रही है
8.	आंध्र प्रदेश में लोक वित्तीय प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण	आंध्र प्रदेश	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूसडी	5-सित-06	239.08	2,657.21	35.54	3,170.47		बंद
9.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	यूएसडी	6-फर-07	482.33	11,013.29	6,454.34			बंद
10.	आंध्र प्रदेश सूखा संबंधी पहल परियोजना (एपीडीआई)	आंध्र प्रदेश	आई डीए, विश्व बैंक	यूएसडी	19-मार्च-07	882.23	10,051.00	6,162.79	18,511.79		बंद
11.	आईडीपी-181 आंध्र प्रदेश सिंचाई और जीवीका सुधार परियोजना	आंध्र प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	30-मार्च-07	23,974,000.00	182,583.73	236,769.78	935,769.94	941,406.21	चलरही है
12.	आईडीपी-178 हैदराबाद में पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण संबंधी परियोजना	आंध्र प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	30-मार्च-07	23,697,000.00	0	1,676,279.19	1,517,459.33	650,929.62	चल रही है
13.	4845-आईएन तृतीय आंध्र प्रदेश सुधार कार्यक्रम (एपीईआर)	आंध्र प्रदेश	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	2-अग-07	150,000,.00	0	2,276,500.00	0	0	बंद
14.	4254-आईएन तृतीय आंध्र प्रदेश सुधार कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	2-अग-07	50,800.00	0	1,168,931.68	0	0	बंद
15.	4857-आईएन आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित जलाशय प्रबंधन परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	6-अग-07	94,500.00	85,999.05	212,832.29	623,804.34	189,893.27	चल रहीं है
16.	4291-आईएन आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित जलाशय प्रबंधन परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	6-अग-07	63,000.00	37,834.05	259,304.79	625,798.33	189,599.87	चल रही है
17.	आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमः अनुदान 2007	आंध्र प्रदेश	डीएफआईडी, यूके	जेबीपी	5-सित-07	38,000.00	1,146,900.00	341,010.00			बंद
18.	3732-1 आईएन आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	25-जन-08	42,700.00	1,382192.13	1,413,237.86	3,409.64	0	बंद
19.	आईडीपी-193। हैदराबाद आऊटर रिंग रोड़ परियोजना चरण-1	आंध्र प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	3-अक्टू-08	950,000.00	21,326.54	58,024.85	94,187.28	70,904.28	चल रही है
20.	आईडीपी-193 हैदराबाद आऊटर रिंग रोड़ परियोजना चरण-1	आंध्र प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	3-अक्टू-08	40,903,000.00	598,286.04	3.196,021.34	3,931,108.12	1,311,782.04	चल रही है
21.	204564 ई सुपरक्रीटीकल पावर स्टेशन कृष्णापटनम-आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	ईयूआर	12-नव-08	159,516.75	0	439,427.00	2,325,278.00	4,069,469.00	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	225059 ई सुपरक्रीटीकल पावर स्टेशन कृष्णापटनम-आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	ईयूआर	12-नव-08	45,000.00	0	232,153.00	691,880.00	1,141,208.00	चल रही है
23.	8042041 ई सुपरक्रीटीकल पावर स्टेशन कृष्णापटनम-आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	ईयूआर	12-नव-08	76,540.40	0	137,572.00	1,062,181.00	1,928,327.00	चल रही है
24.	आईडीपी-198 हैदराबाद आऊटर रिंग रोड़ परियोजना (चरण-2)	आंध्र प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	21-नव-08	41,191,000.00	0	847,276.36	1,007,563.58	1,355,707.45	चल रही है
25.	आईडीपी-198 हैदराबाद आऊंटर रिंग रोड़ परियोजना (चरण-2)	आंध्र प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	21-नव-08	836,000.00	0	0	80,382.19	55,315.79	चल रही है
26.	4675-आईएन आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण	आंध्र प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	29-दिस-09	62,900.00	0	454,400.00	1,374,112.70	1,779,557.60	चल रही है
27.	7792-आईएन आंध्र प्रदेश सड़क क्षेत्र परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	22-जन-10	320,000.00	0	719,358.00	345,722.33	266,020.07	चल रही है
28.	7816-आईएन आंध्र प्रदेश नगरपालिका विकास परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	22-जन-10	300,000,00	0	944,732.50	8,078.78	57.993.70	चल रही है
29.	4653-आईएन आंध्र प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	22-जन-10	96,600.00	0	682,950.00	0	0	चल रही है
30.	7897-आईएन आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	14-अग-10	450,600.00	0	0	1,840,252.61	318,567.89	चल रही है
31.	आंध्र प्रदेश में प्रोद्यौगिकी के जरिए गरीबों को वित्त सहायता बढ़ाना	आंध्र प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	यूएसडी	27-सित-10	1,900.00			13,383.00	1,653.34	चल रही है
32.	2037-आईएनडी असम विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	असम	एडीबी	यूएसडी	12-अक्टू-03	100,000,00	1,051,849.30	169,818.99	0	0	बंद
33.	2142-आईएनडी असम अभिशासन तथा लोक संसाधन विकास परियोजना	असम	एडीवी	यूएसडी	16-दिस-04	25,000.00	11,191.72	193,378.00	60,936.90	95,157.20	वंद
34.	4013-आईएन असम कृषि प्रतियोगितात्मक परियोजना	असम	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	14-जन-05	105,000.00	1,278,008.50	2,157,939.20	887,856.60	163,510.07	चल रही है
35.	पी-4330-आईएन असम राज्य सड़क परियोजना की तैयारी	असम	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	19-जन-07	522.55	3,476.67	5,821.52	10,961.88	5,329.20	बंद
36.	2442-आईएनडी असम अभिशासन तथा लोक संसाधन प्रबंधन क्षेत्र विकासे परियोजना॥	असम	एडीबी	यूएसडी	14-अक्टू-08	100,000,00	1,988,400.00	1,866,000.00	0	987,000.00	चल रही है
37.	आईडीपी-201 गुवाहटी जलापूर्ति परियोजना	असम	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-09	26,915,000.00	0	0	347,204.13	238,684.34	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	आईडीपी-201ए गुवाहाटी जलापूर्ति परियोजना	असम	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-09	2,538,000.00	0	0	155,670.24	76,765.52	चल रही है
39.	2592-आईएनडी असम विद्युत क्षेत्र प्रोत्साहन निवेश कार्यक्रम परियोजना-1	असम	एडीबी	यूएसडी	15-फर-10	60,300.00	0	0	148,533.92	75,437.33	चल रही है
40.	बिहार बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली	बिहार	आईडीए, विश्व बैंक	यूएसडी	17-अग-06	464.51	3,328.07				बंद
41.	बिहार लोक व्यय प्रबंधन क्षमता निर्माण	बिहार	आईडीए, विश्व बैंक	यूएसडी	5-दिस-06	116.05	2,901.36	264.11			बंद
42.	4323-आईएन बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना (बीआरएलपी)	बिहार	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	8-सित-07	41,400.00	51,878.77	266,540.34	1,145,266.76	652,320.24	चल रही है
43.	4879-आईएन बिहार विकास नीति प्रचालन	बिहार	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	15-जन-08	150,000.00	0	3,482,521.88	0	0	बंद
44.	4380-आईएन बिहार विकास नीति प्रचालन-1	बिहार	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	15-जन-08	47,800.00	0	1,776,608.44	0	0	बंद
45.	बिहार अभिशासन तथा प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम (बीजीएआरपी)	बिहार	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	2-जून-08	13,000.00	-	56,359.79	111,444.40	70,793.31	चल रही है
46.	2443-आईएनडी बिहार राज्य राजमार्ग परियोजना	बिहार	एडीबी	यूएसडी	11-अक्टू-08	420,000.00	1,328,938.00	2,421,953.05	5,799,512.53	4,014,517.32	चल रही है
47.	बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना की तैयारी	बिहार	आईडीए, विश्व बैंक	यूएसडी	29-अक्टू-08	565.00	4,916.00		727.56	3,530.55	बंद
48.	बिहार अनुदान 2009 में शहरी सुधारों के लिए सहायता कार्यक्रम	बिहार	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	5-मार्च-10	50,000.00			564020.57	116.19128	चल रही है
49.	बिहार में स्वस्थ्य सुदृढ़ीकरण के लिए क्षेत्रव्यापी पहुंच (स्वास्थ)	बिहार	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	1-अप्रै-10	120,000.00		848,160.00	1,60.00	1,428,660.00	चल रही है
50.	बिहार बाढ़ प्रबंधन कार्यान्वयन सहायता परियोजना-II	बिहार	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	31-मई-10	1,500.00			13,961.75	2,794.76	चल रही है
51.	2663-आईएनजे बिहार राज्यराजमार्ग II परियोजना	बिहार	एडीबी	यूएसडी	22-दिस-10	300,000.00	0	0	0	1,270,244.83	चल रही है
52.	4802-आईएनडी बिहार कोसी बाढ़ रहत परियोजना	बिहार	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	1-दिस-11	148,800.00	0	0	898,800.00	35,945.01	चल रही है
53.	3749-आईएन छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण गरीबी परियोजना	छत्तीसगढ़	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	18-अग-03	36,564.65	641,025.50	238,867.49	81,665.11	0	बंद
54.	2050-आईएनडी छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास (क्षेत्र) परियोजना	छत्तीसगढ़	एडीबी	यूएसडी	14-दिस-04	180,000.00	1,340,636.35	2419.364.72	1,804,473.32	196,755.06	बंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.	2159-आईएनडी छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना	छत्तीसगढ़	एडीबी	यूएसडी	20-मार्च-06	46,108.00	203,869.49	404,523.25	425,634.32	194,125.05	चल रही है
56.	दिल्ली की भूमि के तीन टुकड़ो को बंद करने से गैस की प्राप्ति और पुनः उपयोग	दिल्ली	आईडीए, विश्व बैंक	यूएसडी	28-मार्च-07	426.17	11,730.67	1,172.01	6,708.84		बंद
57.	आईडीपी-189 गोवा जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना	गोवा	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	14-सित-07	16,981,000.00	0	0	102,362.32	432,427.81	चल रही है
58.	आईडीपी-189ए गोवा जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना	गोवा	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	14-सित-07	4,399,000.00	0	0	7.284.15	32.52	चल रही है
59.	आईडीपी-189बी गोवा जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना	गोवा	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	14-सित-07	1,426,000.00	0	198,799.97	145,356.03	51,121.97	चल रही है
60.	4577-आईएन गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	गुजरात	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	18-अक्टू-00	280,000.00	37,661.50	0	0	0	बंद
61.	3637-आईएन गुजरात आपातकालीन भूकंप पुनर्निर्माण परियोजना	गुजरात	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	6-अप्रै-02	228,085.39	557,205.12	0	-187,277.35	0	बंद
62.	पी4250 गुजरात शहरी विकास परियोजना	गुजरात	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	2-जन-06	1,000.00	8,382.71	0	0	0	बंद
63.	आईडीपी 183 गुजरात वानिक विकास परियोजना चरण-2	गुजरात	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	30-मार्च-07	17,521,000.00	576,470.46	727,416.53	1,708,000.37	732,345.19	चल रही है
64.	एएलए/95/15 हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना	हरियाणा	यूरोपीयन कमीशन	ईयूआर	19-फर-97	23,300.00			5,386.18		बंद
65.	आईडीपी-158 हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा गरीबी परियोजना	हरियाणा	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-04	6,280,000.00	658,881.51	213,025.86	44,804.43	25,973.36	बंद
66.	7748-आईएन हरियाणा विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना	हरियाणा	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	17-अग-09	330,000.00	0	1,273,831.42	3,068,210.00	487,788.79	चल रही है
67.	4133-आईएन मध्य हिमालयी जल संभरण विकास परियोजना	हिमाचल प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	19-जन-06	41,400.00	414,208.50	396,854.75	511,558.70	282,341.03	चल रही है
68.	आईडीपी-172 स्वान नदी समेकित जल संभरण प्रबंधन परियोजना	हिमाचल प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-06	3,493,000.00	112,679.11	223,035.27	273,479.11	106,388.53	चल रही है
68ए.	आईडीपी-213 हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना	हिमाचल प्रदेश	जाइका, जापान	जा.येन	17फर-11	5,001,000.00					चल रही
69.	4860-आईएन हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	हिमाचल प्रदेश	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	8जुलाई-07	220,000.00	809,195.90	0	2,276,522.10	999,346.17	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.	4871-आईएन हिमाचल प्रदेश विकास नीति कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	19-नव-07	135,000.00	0	3,120,369.75	0	0	बंद
71.	4360-आईएन हिमाचल प्रदेश विकास नीति कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	19-नव-07	42,500.00	0	1,589,947.15	0	0	बंद
72.	2461-आईएनडी हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम (एचपीसीईडीआईपी)	हिमाचल प्रदेश	एडीबी	यूएसडी	11-अक्टू-08	150,000.00	0	711,187.38	1,356,348.41	1,201,461.00	चल रही है
73.	2596-आईएनडी हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम-परियोजना-2	हिमाचल प्रदेश	एडबी	यूएसडी	3-दिस-10	59,100.00	0	0	605,679.17	539,590.56	चल रही है
74.	2687- आईएनडी हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा विकास निवेश कार्यक्रम-परियोजना-3	हिमाचल प्रदेश	एडबी	यूएसडी	17-जन-11	208,000.00	0	0	0	1,967,275.74	चल रही है
75.	2151-आईएनडी जम्मू व कश्मीर में अवसंरचना पुनर्वास परियोजना	जम्मू व कश्मीर	एडीबी	यूएसडी	17-मार्च-05	250,000.00	2,113,163.09	2,629,186.31	1,690,398.04	1,015,544.60	बंद
76.	2331-आईएनडी जम्मू व कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना 1)	जम्मू व कश्मीर	एडबी	यूएसडी	28-दिस-07	42,200.00	0	159,335.15	204,752.40	205,364.32	चल रही है
77.	क्यू 4420-आईएन झारखंड सहभागी वन प्रबंधन परियोजना (अग्रिम)	झारखंड	आईडीए, विश्व बैंक	यूएसडी	11-फर-04	85.79	128.86	0	0	0	बंद
78.	2594-आईएनडी झारखंड राज्य सड़क परियेजना	झारखंड	एडीबी	यूएसडी	16-जुलाई-10	200,000.00	0	0	830,147.23	85,019.61	चल रही है
79.	डीएम23एम कर्नाटक क्षेत्र स्तरीय अस्पताल विकास परियोजना	कर्नाटक	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	ईयूआर	16-जन-97	13,804.88	32.905.00		20.918.00		बंद
80.	1704-आईएनडी कर्नाटक शहरी विकास तथा तटीय पर्यावरण प्रबन्धन	कर्नाटक	एडीबी	यूएसडी	19-मई-00	145,000.00	737,282.24	616,960.31	0	0	बंद
81.	3258-आईएन कर्नाटक जल संभरण विकास परियोजना	कर्नाटक	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सीडीआर	26-जुलाई-01	58,770.97	719,917.84	105,128.14	-12,954.00	0	बंद
82.	3635-आईएन कर्नाटक समुदाय आधारित जलाशय प्रबंधन	कर्नाटक	आईडीए,विश्व बैंक	एक्सडीआर	6-अप्रैल-02	63420.00	152,722.77	111,827.71	372,423.87	167,033.70	चल रही है
83.	3590-आईएन दूसरी कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति व स्वच्छता परियोजना	कर्नाटक	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	3-अग-02	108,184.47	730,416.85	281,685.18	517,681.51	0	बंद
84.	कर्नाटक में स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन, चरण-II	कर्नाटक	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	ईयूआर	26-अप्रै-04	14,300.00	91,969.00	98,863.00	522,192.00	10,305.00	बंद
85.	4730-आईएन कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना	कर्नाटक	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	18-फर-05	36,486.64	74,669.65	51.848.24	68,030.25	99,018.31	बंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.	आईडीपी-163 कर्नाटक सतत वन प्रबंधन तथा जैव-संरक्षण परियोजना	कर्नाटक	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-05	15,209,000.00	1,147,163.89	1,314,983.97	1,355,277.50	358,340.38	चल रही है
87.	आईडीपी-165 बंगलौर जलापूर्ति तथा सीवरेज परियोजना चरण II-1	कर्नाटक	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-05	41,997,000.00	69,294.67	3,847,731.13	6,974,474.45	3,518,117.18	चल रही है
88.	4818-आईएन कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना	कर्नाटक	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	5-फर-06	216,000.00	683,739.42	399,549.89	951,491.89	893.55875	चल रही है
89.	आईडीपी-171 बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	कर्नाटक	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-06	44,704,000.00	229,101.57	2,258,140.06	2,670,632.92	2,914,572.67	चल रही है
90.	आईडीपी-168 बंगलौर जलापूर्ति तथा सीवरेज परियोजना (II-2)	कर्नाटक	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-06	9,904,000.00	0	66,891.42	231,765.83	137,776.47	चल रही है
91.	4229-आईएन कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास तथा सुधार परियोजना	कर्नाटक	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	16-अक्टू-06	96,500.00	1,795,814.48	1,19,706.74	1,205,576.78	560,610.31	चल रही है
92.	4872-आईएन कर्नाटक समुदाय आधारित जलाशय प्रबंधन परियोजना	कर्नाटक	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	11-फर-07	32,000.00	35,078.31	0	123,340.94	319,072.15	चल रही है
93.	3635-1 आईएन कर्नाटक समुदाय आधारित जलाशय प्रबंधन परियोजना	कर्नाटक	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	11-फर-07	21,000.00	4,511.52	88,775.79	75,125..02	336,453.28	चल रही है
94.	आईडीपी-177 बंगलौर वितरण उन्नयन परियोजना	कर्नाटक	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	30-मार्च-07	10,643,000.00	2,131.69	69,010.77	227,135.51	305,356.11	चल रही है
95.	2312-आईएनडी उत्तरी कर्नाटक शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना-1)	कर्नाटक	एडबी	यूएसडी	23-जन-08	33,000.00	66,507.78	73,81217	298,865.09	179,637.80	चल रही है
96.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	कर्नाटक	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	9-जुलाई-08	182.63	-	10,213.57	1,383.97	(2,625.15)	बंद
97.	कर्नाटक-शिक्षा सुधार अभिशासन	कर्नाटक	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	23-अक्टू-09	498.96	-	3,507.75	503.70	372.10	चल रही है
98.	4768-आईएन दूसरी कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	कर्नाटक	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	17-जुलाई-10	99,300.00	0	0	356,359.73	90,295.13	चल रही है
99.	4211-आईएन कर्नाटक पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना	कर्नाटक	आईडीए,विश्व बैंक	एक्सडीआर	24-जुला-10	82,200.00	482,101.64	1,062,802.33	1,124,284.74	416,298.77	चल रही है
100.	2638-आईएनडी उत्तरी कर्नाटक शहरी क्षेत्र निवेश कार्यक्रम परियोजना-2	कर्नाटक	एडीबी	यूएसडी	16-दिस-10	123,000.00	0	0	0	707,727.19	चल रही है
101.	8022-आईएन दूसरी कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	कर्नाटक	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	30-मार्च-11	350,000.00	0	0	0	488,,342.50	चल रही है
102.	आईडीपी-111 अट्टापेडी जल संभरण विस्तृत पर्यावरण	केरल	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	26-जन-96	4,866,586.57	246,241.18	687,461.45	0	0	बंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.	आईडीपी-123 केरल जलापूर्ति परियोजना	केरल	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	25-फर-97	11,833,871.27	80,030.45	0	0	0	बंद
104.	3431-आईएन केरल ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता	केरल	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	1-अप्रै-01	41,776.40	241,894.62	0	0	0	बंद
105.	4653-आईएन केरल केरल राज्य परिवहन परियोजना	केरल	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	5-जून-02	232,009.87	563,215.43	1,232,012.52	1,536,129.02	613,643.39	बंद
106.	2226-आईएनडी केरल सतत् शहरी विकास परियोजना	केरल	एडीबी	यूएसडी	12-अग-06	221,200.00	368,873.88	631,620.39	915,556.34	317,22182	चल रही है
107.	आईडीपी-184 केरल जलापूर्ति परियोजना (II)	केरल	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	30-मार्च-07	32,777,000.00	4,609,275.72	2,745,422.74	1,391,722.99	473,496.14	चल रही है
108.	आईडीपी-203 केरल जलापूर्ति परियोजना (111)	केरल	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-09	12,308,000.00	0	0	67,346.01	33.554.87	चल रही है
109.	आईडीपी-203 केरल जलापूर्ति परियोजना (111)	केरल	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-09	419,000.00	0	158,143.61	49,358.83	0	चल रही है
110.	1959-आईएनडी मध्य प्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना	मध्य प्रदेश	एडीबी	यूएसडी	12-मई-02	150,000.00	1,279,367.09	0	0	0	बंद
111.	4750-आईएन मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना	मध्य प्रदेश	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	30-नव-04	387,402.29	1,590,773.93	2,076,061.98	1,418,418.68	1,214,296.58	चल रही है
112.	सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण	मध्य प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	यूएसडी	3-फर-05	940.49	16,889.50	(9,874.87)	(25.54)		बंद
113.	2046-आईएनडी मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति तथा पर्यावरण सुधार	मध्य प्रदेश	एडीबी	यूएसडी	3-सित-05	181,000.00	2,091,141.29	1,678,925.26	812,494.70	383,405.87	चल रही है
114.	जीओएमपी विदुयुत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम चरण 2 हेतु सहायता	मध्य प्रदेश	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	13-दिस-05	5,500.00	15,709.14	139,964.97	171,399.88	44,719.17	चल रही है
115.	गरीबी कार्यक्रम अनुदान 2006 के लिए मध्य प्रदेश शहरी सेवाएं	मध्य प्रदेश	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	10-नव-06	36,500.00	130,458.46	283,587.25	707,630.03	336,969.31	चल रही है
116.	682 (मध्य प्रदेश)-आईएन तेजस्विन ग्रामीण महिला अधिकारिता कार्यक्रम (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	आईएफडी	एक्सडीआर	10-दिस-06	9,150.00	0	71,003.55	66,379.54	44,565.71	चल रही है
117.	मध्य प्रदेश सुदृढ़ीकरण निष्पादन प्रबंधन अनुदान 2007	मध्य प्रदेश	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	23-अप्रै-07	3,250.00	49,228.69	76,327.04	81,634026	9,901.43	बंद
118.	मध्य प्रदेश ग्रामीण जीविका परियोजना चरण 2: अनुदान 2007	मध्य प्रदेश	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	8-जून-07	42,000.00	212,444.62	1,004,995.41	1,000,693.56	270,779.25	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119.	2330-आईएनडी मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र सड़क परियोजना II	मध्य प्रदेश	एडीबी	यूएएडी	23-अग-07	320.000.00	2803.415.10	5857.520.68	3611.395.58	532.682.29	चल रही है
120.	2346-आईएनडी मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (एमएफएफ)-परियोजना 3	मध्य प्रदेश	एडीबी	यूएसडी	23-जुलाई-07	144,0000.00	2,707,814.51	2,395,620.20	405,298.87	29,572.96	चल रही है
121.	मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमः अनुदान 2007	मध्य प्रदेश	डीएफआईडीयूके	जीबीपी	23-मार्च-07	56.000.00	901.000.001	980.655.00	1289.400.00	29,572.96	चल रही है
122.	2323-आईएनडी मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (एमएफएफ) परियोजना 1 (टीसीई)	मध्य प्रदेश	एडीबी	यूएसडी	4-दिस-07	106,000.00	11,76,9907,74	1631,866,62	1,565.197.94	234.802.14	चल रही है
123.	2334-आईएनडी मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम-परियोजना 2 (डीईई)	मध्य प्रदेश	एडीबी	यूएसडी	4-दिस-07	45,000.00	220,092.79	418.249.34	488,716.17	186,719.80	बंद
124.	2347-आईएनडी मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम-परियोजना 4	मध्य प्रदेश	एडीबी	यूएसडी	3-जुलाई-08	90,000.00	454,556.88	574,457.79	830,785.11	474,223.70	चल रही है
125.	संस्थागत वित्त निदेशालय	मध्य प्रदेश	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	19-सित-08	0.00	2,587.95	-	(2,398.71)	-	चल रही है
126.	2456-आईएनडी मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति तथा पर्यावरण संबंधी सुधार परियोजना (अनुपूरक)	मध्य प्रदेश	एडीबी	यूएसडी	11-अक्टू-08	71,000.00	218,973.41	211,324.89	341,567.83	245,560.02	चल रहीं है
127.	2520-आईएनडी मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (परियोजना 5)	मध्य प्रदेश	एडीबी	यूएसडी	27-मई-09	166,000.00	0	268,674.38	1,093,044.05	1,220,605.39	चल रही है
128.	4632-आईएन द्वितीय मध्य प्रदेश जिला गरीबी पहल योजना	मध्य प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	20-जुलाई-09	64,600.00	0	633,456.17	132,976.36	686,109.65	चल रही है
129.	2736-आईएनडी मध्य प्रदेश राज्य सड़क परियोजना.111	मध्य प्रदेश	एडीबी	यूएसडी	15-जून-11	300,000.00	0	0	0	1,004,345.08	चल रही है
130.	2732-आईएनडी मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्य.परि.6	मध्य प्रदेश	एडीबी	यूएसडी	5-अक्टू-11	69,000.00	0	0	0	115,001.52	चल रही है
131.	महाराष्ट्र मूत स्वास्थ्य	महाराष्ट्र	केएफडब्लू, जर्मनी	यूरो	23-जुलाई-96	10,225,84	170,711.36				बंद
132.	2382239 ई महाराष्ट्र लघु सिचाई कार्य. दि. 31-12-98	महाराष्ट्र	केएफडब्लू, जर्मनी	ईयूआर	6-जन-00	17,008.14	76,166.00	102,057.00	123,290.00	74,179.00	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133.	9361337ई ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता-एमएच	महाराष्ट्र	केएफडब्लू, जर्मनी	ईयूआर	28-दिस.-00	13,445.71	8.706.09	252,768.54	162,827.28	65,653.20	चल रही है
134-	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति	महाराष्ट्र	केएडब्लू, जर्मनी	यूरो	28-दिस.-00	1,380.49	3,983.46	5,323.84	4,366.20	4,506.39	चल रही है
135.	4665-आईएन मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	महाराष्ट्र	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	8-मई-02	461,303.18	3,430,358.01	4,369,036.21	1,940,626.87	908,081.27	बंद
136.	3662-आईएन मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	महाराष्ट्र	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	6-मई-02	57,415.11	3,441.24	-209,371.70	594,520.55	219,550.88	बंद
137.	3821-आईएन महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली	महाराष्ट्र	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	30-सित.-03	128,800.00	973,541.51	0	0	0	बंद
138.	4796-आईएन महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार कार्य.	महाराष्ट्र	आईबीआरडी,	यूएसडी	19-अग.-05	325,000.00	1,391,551.05	2,696,467.65	2,928,225.11	988,664.20	चल रही है
139.	682(एमएच)-आईएन तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशस्त्रीकरण कार्यक्रम (महाराष्ट्र)	महाराष्ट्र	आईएफएडी	एक्सडीआर	10-दिस.-06	18,600.00	0	51,307.78	104,629.11	141,204.33	चल रही है
140.	आईडीपी-188 महाराष्ट्र ट्रांसमिशन प्रणाली परि.	महाराष्ट्र	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	14-सित.-07	16,585,000.00	0	3,488,067.74	1,839,217.79	109,885.14	चल रही है
141.	आईडीपी-188ए महाराष्ट्र ट्रांसमिशन प्रणाली परि.	महाराष्ट्र	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	14-सित.-07	164,000.00	0	9,739.30	47,382.98	5,627.46	चल रही है
142.	0779-आईएन महाराष्ट्र में आपदाग्रस्त कृषि हस्तक्षेप जिला कार्यक्रम अभिसरण	महाराष्ट्र	आईएफडी	एक्सडीआर	30-सित.-09	26,820.00	0	0	93,280.00	22,860.93	चल रही है
143.	महाराष्ट्र में आपदाग्रस्त कृषि हस्तक्षेप जिला कार्यक्रम अभिसरण	महाराष्ट्र	आईएफएडी	एक्सडीआर	30-सित.-09	670.00	-	-	-	3,572.42	चल रही है
144.	4809-आईएन महाराष्ट्र कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	महाराष्ट्र	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	11-फर.-10	65,900.00	0	0	226,500.00	32,967.09	चल रही है
145.	7941-आईएन मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-2ए	महाराष्ट्र	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	23-जुलाई-10	430,000.00	0	0	47,654.75	81,034.72	चल रही है
146.	आईडीपी-156 यूमिआम चरण-II हाईड्रो पि.स्टे. नवीकरण व आधुनिकीकरण	मेघालय	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-04	1,964,000.00	2,883.62	49,578.77	64,317.24	493,244.00	चल रही है
147.	3618-आईएन मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	मिजोरम	आईडीए, विश्व	एक्सडीआर	5-जून-02	47,500.00	514,704.40	145,810.54	0	0	बंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.	36181-आईएन मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	मिजोरम	आईडीए, विश्व	एक्सडीआर	8-जन.-07	12,100.00	0	765,049.79	110,474.73	9,579.90	बंद
149.	2536-आईएनडी मिजोरम जन संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम	मिजोरम	एडीबी	यूएसडी	17-सित.-09	94,000.00	0	2,214,640.00	0	1,966,400.00	चल रही है
150.	2537-आईएनडी मिजोरम में जन संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम का विकास	मिजोरम	एडीबी	यूएसडी	17-सित.-09	6,000.00	0	0	0	2,565.89	चल रही है
151.	4812-आईएन मिजोरम राज्य सड़क परियोजना दूसरा अतिरिक्त वित्तपोषण	मिजोरम	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	22-अक्टू.-10	8,595.00	0	0	276,348.52	333,348.52	बंद
152.	एफआरजीएल 4005 ई ताजा जल झंगा मछली पालन का सृजन-जीयू और एमएच	बहु-राज्य	फ्रांस	ईयूआर	12-फर.-97	1,401.49	4,657.00	0	0	0	बंद
153.	0506-आईएन झारखंड-छत्तीसगढ़ जनजाति विकास कार्य	बहु-राज्य	आईएफडी	एक्सडीआर	25-जून-99	13,550.00	144,069.94	152,988.00	187,581.00	97,772.65	चल रही है
154.	3338-आईएन झारखंड-स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	बहु-राज्य	आईडीए, विश्व	एक्सडीआर	19-मई-00	56,753.62	414,032.94	255,067.24	0	0	बंद
155.	एन 045-आईएन आर्थिक सुधार तकनीकी सहायता कार्यक्रम	बहु-राज्य	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	19-मई-00	20,921.77	215,661.81	0	0	0	बंद
156.	प्राकृतिक आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम	बहु-राज्य	यूएनडीपी	यूएसडी	19-अग.-02	42,075.68	260,480.02	194,480.02	34,135.77	16,760.94	चल रही है
157.	राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम	बहु-राज्य	ग्लोबल फंड	यूएसडी	30-जन.-03	9,850.02	51,896.32				बंद
158.	3718-आईएन तकनिकी/इंजीनियरिंग शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	बहु-राज्य	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	2-अप्रै.-03	161,883.25	887,847.97	17,648.34	0	0	बंद
159.	624-आईएन हिमालयों हेतु आजीविका सुधार कार्यक्रम	बहु-राज्य	आईएफएडी	एक्सडीआर	20-फर.-04	27,900.00	125,370.13	175,795.71	327,152.40	263,746.63	चल रही है
160.	2018-आईएन डी ग्रामीण सड़क-1 परियोजना	बहु-राज्य	एडीबी यूएसडी	एडीबी	25-नव.-04	366,442.19	4,474,786.96	1,021,380.76	0	0	बंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161.	एशियन सुनामह फंड अनुदान	बहु-राज्य	एडीबी	यूएसडी	12-मई-05	100,000.00	874,195.76	819,108.78			बंद
162.	2166-आईएनडी सुनामी आपातकालीन सहायता (सेक्टर) परियोजना	बहु-राज्य	एडीबी	यूएसडी	5-दिस.-05	98,267.70	1,590,639.41	1,320,267.69	0	0	बंद
163.	4749-आईएन आईएन भारतः हाईड्रोलोजी परियोजना-चरण-II	बहु-राज्य	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	19-जन.-06	104,980.00	176,548.17	320,962.31	503,310.55	451,899.94	चल रही है
164.	क्षेत्र नीतिगत समर्थन कार्यक्रम-राज्य की भागीदारी	बहु-राज्य	केएफडब्लू, जर्मनी	यूरो	14-अग.-06	145,500.00	341,000.00	1,376,200.00	1,486,016.00		चल रही है
165.	2248-आईएनडी ग्रामीण सड़क क्षेत्र-II निवेश-कार्यक्रम-II	बहु-राज्य	एडबी	यूएसडी	29-अग.-06	173,909.44	1,915,912.61	763,823.66	0	0	बंद
166.	भारत का सुनामी आपदा से उबरना	बहु-राज्य	आईडीए, विश्व बैंक	यूएसडी	24-अप्रै.-07	2,500.00		54,332.75		51,806.25	चल रही है
167.	काल-फायर्ड स्टेशन पुनर्वास की तैयारी	बहु-राज्य	आईबीआरडी,	यूएसडी	6-जुलाई-07	743.33	11,365.51	6,051.35	413.95		बंद
168.	2528-आईएनडी राष्ट्रीय पूर्वी क्षेत्र राजधानी शहरी विकास कार्य-परियोजना-1	बहु-राज्य	एडीबी	यूएसडी	8-अप्रैल-09	30,000.00	0	0	154,609.86	92,125.78	चल रही है
169.	समेकित ऋण राहत अनुदान	बहु-राज्य	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	2-जून-09	146,982.65		25,756.89	15,261.43		बंद
170.	7687-आईएन कोल-फायर्ड ऊर्जा पुनर्वास परियोजना	बहु-राज्य	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	17-दिस.-09	180,000.00	0	20,448.00	0	0	चल रही है
171.	आईएन कोल-फायर्ड ऊर्जा पुनर्वास परियोजना	बहु-राज्य	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	17-दिस.-09	45,400.00				4,286.30	चल रही है
172.	सम्पोषणीय शहरी परिवहन परियोजना	बहु-राज्य	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	5-फर.-10	20,330.00			97,603.14	671.15	चल रही है
173.	7818-आईएन सम्पोषणीय शहरी परियोजना	बहु-राज्य	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	2-मई-10	105,230.00	0	0	363,953.18	112,941.15	चल रही है
174.	ओडिशा जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम	ओडिशा	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	18-सित.-01	31,358.25	428,821.50	104,735.76			बंद
175.	बहुद्देशीय चक्रवात आश्रय कार्यक्रम-II ओडिशा	ओडिशा जर्मनी	केएफडब्लू,	यूरो	9-दिस.-02	5,112.92	6,245.59		712.00	475.00	बंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176.	0585-आईएन ओडिशा जनजाति सशक्तिकरण तथा आजिविका कार्यक्रम	ओडिशा	आईएफएडी	एक्सडीआर	18-दिस.-03	16,050.00	26,392.38	71,039.44	0	289,237.19	चल रही है
177.	आईडीपी-154 रंगाली सिंचाई परियोजना (ii)	ओडिशा	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-04	6,273,570.52	660,094.33	307,283.37	33,226.94	35,977.36	बंद
178.	ओडिशा जन उपक्रम सुधार चरण-ll अनुदान-2004	ओडिशा	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	20-सित.-04	26,799.65	638,282.33				बंद
179.	विकास उपायों हेतु ओडिशा कोष के लिए जापान एसडीएफ अनुदान	ओडिशा	आईबीआरडी, विश्व	यूएसडी	19-जन.-06	1,218.93		17,070.34			बंद
180.	आईडीपी-173 ओडिशा वन क्षेत्र विकास परियोजना	ओडिशा	आईबीआरडी,	यूएसडी	19-जन.-06	13,937,000.00	744,214.16	1,002,932.44	922,409.14	528,941.22	चल रही है
181.	4837-आईएन ओडिशा सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा अभियान	ओडिशा	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	28-अग.-06	150,000.00	2,141,500.00	0	0	0	बंद
182.	4225-आईएन ओडिशा सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा अभियान	ओडिशा	आईडीए, विश्व	एक्सडीआर	28-अग.-06	50,500.00	1,167,795.64	0	0	0	बंद
183.	ओडिशा जनजाति विकास परियोजना	ओडिशा	आईएफएडी	जीबीपी	7-नव.706	7,540.00	103,767.00	141,433.00		31,745.29	बंद
184.	कप्क.187 ओडिशा एकीकृत स्वच्छता सुधार परियोजना	ओडिशा	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	30-मार्च-07	19,061,000.00	0	31,001.09	89,093.57	70,416.33	चल रही है
185.	ओडिशा सामुदायिक तालाब प्रबंधन परियोजना	ओडिशा	आईडीए, विश्व	यूएसडी	27-जून-07	237.29	3,811.09				बंद
186.	ओडिशा स्वास्थ्य क्षेत्र समर्थन: अनुदान 2007	ओडिशा	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	12-दिस.-07	47,500.00	543,375.00	1,066,960.00	1,134,670.00	396,850.00	चल रही है
187.	7577-आईएन ओडिशा राज्य सड़क परियोजना	ओडिशा	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	27-जन.-09	250,000.00	0	669,067.33	0	242,850.00	चल रही है
188.	7577-आईएन ओडिशा सामुदायिक तालाब प्रबंधन परियोजना	ओडिशा	आईबीआरडी, विश्व	यूएसडी	27-जून.-09	38,470.00	107,798.00	12,439.24	29,894.20	23,062.62	चल रही है
189.	4472-आईएन ओडिशा ग्रामीण आजिविका परियोजना-तृप्ति	ओडिशा	आईडीए, विश्व	एक्सडीआर	27-जन.-09	50,600.00	0	178,600.88	58,258.53	48,347.71	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.	4499-आईएन ओडिशा सामुदायिका तालाब प्रबंधन परियोजना	ओडिशा	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	27-जन.-09	23,460.00	100,560.00	12,538.51	19,264.45	30,936.88	चल रही है
191.	2444-आईएनडी ओडिशा सिंचाई कृषि तथा जल प्रबंधन एकीकृत निवेश कार्यक्रम	ओडिशा	एडीबी	यूएसडी	25-फर.-09	16,500.00	0	23,539.37	98,264.38	103,336.78	चल रही है
192.	1251-पी ओडिशा सिंचाई कृषि तथा जल प्रबंधन एकीकृत कार्यक्रम	ओडिशा	[illegible]	यूएसडी	3-दिस.-09	30,000.00	0	0	9,540.58	101,380.01	चल रही है
193.	आईडीपी-210 रंगाली सिंचाई परियोजना	ओडिशा	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-10	3,052,000.00	0	0	827,269.97	367,910.17	चल रही है
194.	4054-आईएन-पीओ आपातकालीन सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना (पीओ)	पुडुचेरी	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	5-दिस.-05	26,775.50	0	30,336.99	118,750.29	128,340.54	चल रही है
195.	आईडीपी-146 पंजाब वनीकरण परियोजना (ii)	पंजाब	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-03	4,809,280.61	217,275.23	174,245.54	0	0	बंद
196.	4251-आईएन पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना	पंजाब	आईडीए,विश्व बैंक	एक्सडीआर	26-फर.-07	103,954.64	582,645.80	340,125.87	722,752.94	976,628.05	चल रही है
197.	आईडीपी-186 अमृतसर सीवरेज परियोजना	पंजाब	जेआईसीए,जापान	जेपीवाई	30-मार्च-07	6,961,000.00	29,899.75	14,754.37	36,709.57	8,168.71	चल रही है
198.	4843-आईएन पंजाब राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना	पंजाब	आईबीआरडी, बैंक	यूएसडी	26/02/2007	250,000.00	903,683.14	374,033.71	952,743.31	0	चल रही है
199.	91519759ई राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति, चरण-I	राजस्थान	केएफडब्लू, जर्मनी	ईयूआर	17-जून-94	3,000.00	1,960.00	0	0	0	चल रही है
200.	राजस्थान रिहायशी स्कूल परियोजना	राजस्थान	केएफडब्लू,	यूरो	5-जून-97	13,293.59	51,474.00	26,861.00			चल रही है
201.	1647-आईएनडी राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना	राजस्थान	एडीबी	यूएसडी	12-जन.-99	250,000.00	1,777,044.68	556,737.98	0	0	बंद
202.	3529-आईएन राजस्थान द्वितीय जिला प्राइमरी शिक्षा परियोजना	राजस्थान	आईडीए, विश्व	एक्सडीआर	27-जुलाई-01	51,758.37	171,530.48	0	-72.43	0	बंद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203.	राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति	राजस्थान	केएफडब्लू,	यूरो	29-अक्टू.-01	5,112.92				8,527.83	चल रही है
204.	3603-आईएन राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	राजस्थान	आईडीए,विश्व	एक्सडीआर	15-मार्च-02	93,452.00	482,927.48	426,641.31	261,125.04	123,688.79	चल रही है
205.	आईडीपी-148 राजस्थान वनीकी तथा जैव विविधता परियोजना	राजस्थान	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-03	8,624,836.00	121,842.84	102,532.41	91,721.36	0	बंद
206.	3867-आईएन राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	राजस्थान	आईडीए, विश्व	एक्सडीआर	6-मार्च-04	54,125.00	569,054.82	372,369.47	543,634.56	110,703.08	चल रही है
207.	आईडीपी-157 बिलासपुर जयपुर जल आपूर्ति परियोजना	राजस्थान	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-04	8,881,000.00	1,125,320.92	880,553.34	305,478.73	74,761.73	चल रही है
208.	आईडीपी-161 राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	राजस्थान	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-05	11,555,000.00	16,738.38	14,224.92	49,650.03	256,302.06	चल रही है
209.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति	राजस्थान	केएफडब्लू, जर्मनी	यूरो	26-जून-06	1,000.00	13,146.00	5,413.00			चल रही है
210.	2366-आईएनडी राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-1)	राजस्थान	एडबी	यूएसडी	17-जन.-08	60,000.00	147,173.86	448,305.19	1,267,705.68	236,401.65	चल रही है
211.	पश्चिम राजस्थान में गरीबी उपशमन	राजस्थान	आईएफएडी	एक्सडीआर	17-अक्टू.-08	370.00				19,146.78	चल रही है
212.	0748-आईएन पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उपशमन	राजस्थान	आईएफडी	एक्सीडीआर	17-अक्टू.-08	18,460.00	0	93,100.00	26,086.46	43,427.36	चल रही है
213.	2506 आईएन राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-2)	राजस्थान	आईफएडी	एक्सडीआर	18-फर.-09	150,000.00	0	123,478.65	1,536,567.73	520,880.05	चल रही है
214.	2506-राजस्थान पीएफएम और अधिप्राप्ति क्षमता निर्माण हेतु आईडीएफ अनुदान	राजस्थान	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	20-मई-09	498.00		2,326.50	3,249.04	3,044.72	चल रही है
215.	4709 आइएन राजस्थान जलक्षेत्र पुनर्संरचना हेतु अतिरिक्त वित्त पोषण	राजस्थान	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	21-मई-10	12,400.00	0	0	0	74,195.06	चल रही है
216.	2725-आईएनडी राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-3)	राजस्थान	एडीबी	यूएसडी	17-मार्च-11	63,000.00	0	0	0	530,014.81	चल रही है
217.	4859-आईएन राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना	राजस्थान	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	24-मई-11	106,700.00	0	0	0	583,933.02	चल रही है
218.	आईडीपी 211ए सिक्किम जैव विविधता संरक्षण एवं वन प्रबंधन परियोजना	सिक्किम	जेआईसीए,जापान	जेपीवाई	31-मार्च-10	317,000.00	0	0	7,070.27	17,618.54	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219.	आईडीपी 211ए सिक्किम जैव विविधता संरक्षण एवं वन प्रबंधन परियोजना	सिक्किम	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-10	5,067,000.00	0	0	0	14,370.79	चल रही है
220.	एफआरजीएल 4014 ई चेन्नई जलपूर्ति तथा सीवरेज	तमिलनाडु	फ्रांस	ईयूआर	30-जनवरी,-96	6439.20	223,303.00	0.00	0	0	बंद
221.	4706-आईएन तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	राजस्थान	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	28-अग.-03	348,000.00	4,083,846.99	2,704,768.48	1,026,389.39	52,781.08	चल रही है
222.	तमिलनाडु सशक्तिकरण तथा गरीबी उपशमन परियोजना	तमिलनाडु	आईडीए, विश्व बैंक	यूएसडी	11-मार्च-04	595.14	5,749.11				बंद
223.	आईडीपी 162 तमिलनाडु वानिकी परियोजना (II)	तमिलनाडु	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-05	9,818,000.00	979,915.65	427,710.40	270,449.74	80,751.04	चल रही है
224.	4018-आईएन तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	तमिलनाडु	आईडीए,विश्व	एक्सडीआर	1-मई-05	60,636.00	1,097,133.21	1,891,411.74	323,227.42	0	बंद
225.	4103-आईएन तमिलनाडु सशक्तिकरण तथा गरीबी उपशमन वजनडु कडूवम परियोजना	तमिलनाडु	आईडीए, विश्व	ऐक्सडीआर	14-सित.-05	79,400.00	1,075,682.73	1,211,665.51	1,655,919.62	27,420.66	चल रही है
226.	4798-आईएन तीसरी तमिलनाडु विकास कार्यक्रम	तमिलनाडु	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	14-सित.-05	299,357.72	1,042,080.15	1,787,467.90	2,466,891.20	1,064,176.42	चल रही है
227.	0662-आईएन सुनामी पश्च संपोषणीय आजिविका कार्यक्रम	तमिलनाडु	आईएफएडी	एक्सडीआर	11-नव.-05	9,950.00	12,621.85	28,502.73	51,952.06	142,349.34	चल रही है
228.	4054-आईएन-तमिलनाडु आपातकालीन सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना (टीएन)	तमिलनाडु	आईडीए, विश्व	एक्सडीआर	5-दिस.-05	237,314.50	241,155.72	1,096,691.79	1,158,628.44	1,256,867.36	चल रही है
229.	4846-आईएन तमिलनाडु सिंचाई कृषि आधुनिकीकरण तथा जल निकाय बहाली	तमिलनाडु	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	2-दिस.-07	335,000.00	393,612.08	721,013.82	451,235.26	155,311.16	चल रही है
230.	4255-आईएन तमिलनाडु सिंचाई कृषि आधुनिकीकरण तथा जल निकाय बहाली तथा प्रबंधन	तमिलनाडु	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	2-दिस.-07	99,800.00	1,076,528.27	1,704,187.40	2,281,054.95	1,149,080.78	चल रही है
231.	तमिलनाडु में संपोषणीय नगर पालिका अवसंरचना वित्त पोषण (एसएमआईएफ-टीएन)	तमिलनाडु	केएफडब्लू, जर्मनी	यूरो	9-जुलाई-08	2,000.00	-		1,221.29		चल रही है
232.	1425319- ई तमिलनाडु में संपोषणनीय नगर पालिका अवसंरचना वित्त पोषण	तमिलनाडु	केएफडब्लू, जर्मनी	ईयूआर	7-सित.-08	65,000.00	0	270,011.37	635,860.26	532,037.51	चल रही है
233.	आईडीपी-195 ए होगेनक्कल जलापूर्ति तथा फ्लोरोसिस न्यूनीकरण परियोजना	तमिलनाडु	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	3-अक्टू.-08	1,289,000.00	29,047.48	71,830.97	96,092.38	107,227.53	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234.	प्क.196 तमिलनाडु शहरी अवसंरचना परियोजना	तमिलनाडु	जेआईसीए,जापान	जेपीवाई	3अक्टू.-08	4,545,000.00	0	91,469.98	446,490.52	145,034.37	चल रही है
235.	आईडीपी-204 होगेनक्कल जलापूर्ति तथा फ्लोरोसिस न्यूनीकरण परियोजना	तमिलनाडु	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	3-अक्टू.-08	21,098,000.00	0	182,319.49	1,816,117.92	1,516,626.39	चल रही है
236.	आईडीपी-204 होगेनक्कल जलापूर्ति तथा फ्लोरोसिस न्यूनीकरण परियोजना (चरण-2)	तमिलनाडु	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-09	16,851,000.00	0	0	615,919.15	890,561.27	चल रही है
237.	7865-आईएन तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	तमिलनाडु	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	7-जून-10	50,700.00	0	0	787,143.01	686.409.00	चल रही है
238.	4756-आईएन तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण	तमिलनाडु	आईडीए, विश्व	एक्सडीआर	7-जून-10	77,600.00	0	0	779,129.62	1,010,292.05	चल रही है
239.	4837-आईएन तमिलनाडु अधिकारिता और गरीबी उपशमन "वजंडु काटुवोहम" परियोजना हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण	तमिलनाडु	आईडीए, विश्व	एक्सडीआर	23-दिस.-10	99,000.00	0	0	674,100.00	0	चल रही है
240.	आईडीपी 182 त्रिपुरा वन पर्यावरण सुधार और गरीबी उन्मूलन परियोजना	त्रिपुरा	जेआईसीए,जापान	जेपीवाई	30-मार्च-07	7,725,000.00	251,578.98	333,383.47	326,208.87	127,468.22	चल रही है
241.	त्रिपुरा में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रतिभागिता	त्रिपुरा	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	यूरो	21-मई-08	12,000.00			37,560.00	16,134.00	चल रही है
242.	3602-आईएन उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनसंरचना परियोजना	उत्तर प्रदेश	आईडीए, विश्व	एक्सडीआर	3-अग.-02	87,271.00	538,600.38	1,650,944.02	1,057,440.91	634,433.10	बंद
243.	4684-आईएन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	उत्तर प्रदेश	आईबीआरडी,	यूएसडी	19-फर.-03	445,560.31	3,443,973.43	1,434,591.96	1,364,480.74	111,555.13	बंद
244.	आईडीपी 185 आगरा जलापूर्ति परियोजना	उत्तर प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	30-मार्च-07		24,822,000.00	126.827.88	747.757.25	249,526,96	चल रही है
245.	आईडीपी 194ए उत्तर प्रदेश सहभागिता वन प्रबंधन तथा गरीबी उन्मूलन परियोजना	उत्तर प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	3-अक्टू.-08	688,000.00	0	55,461.43	64,400.53	39,715.55	चल रही है
246.	आईडीपी 194 वन विभाग-उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	3-अक्टू.-08	12,657,000.00	4,906.25	24,757.13	494,323.63	368,829.39	चल रही है
247.	4640-आईएन उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि रिक्लेमेशन-111 परियोजना	उत्तर प्रदेश	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	20-जुलाई-09	127,300.00	0	148,224.74	618,958.52	516,147.76	चल रही है
248.	3907-आईएन उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम	उत्तराखंड	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	30-जुलाई-04	47,400.00	565,983.64	707,445.41	712,611.27	305,071.09	चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249.	4232-आईएन उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति व स्वच्छता परियोजना	उत्तराखंड	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	16-अक्टू.-06	83,500.00	109,174.90	483,404.59	825,607.88	884,659.39	चल रही है
250.	2309-आईएनडी उत्तराखंड विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम परियोजना-1	उत्तराखंड	एडीबी	यूएसडी	22-फर.-07	41,920.00	127,683.73	93,766.40	161,903.16	120,218.58	चल रही है
251.	विष्णुगढ़ पीपलीकोटी पनबिजली परियोजना	उत्तराखंड	आईबीआरडी, विश्व बैंक	यूएसडी	24-अप्रैल-07	988.53	14,946.61	5,648.24	(534.78)		बंद
252.	2308-आईएन डी उत्तरांचल राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम	उत्तराखंड	एडीबी	यूएसडी	25-अक्टू.-07	50,000.00	176,855.76	827,084.78	491,933.60	85,995.35	चल रही है
253.	यूके में समुचित इजरी कटौती पहलों के माध्यम से आजीविका	उत्तराखंड	आईएफएडी	यूएसडी	21-जन.-08	100.00	1,890.00		2,829.60		बंद
254.	2410-आईएन डी उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना-1)	उत्तराखंड	एडीबी	यूएसडी	23-अक्टू.-08	60,000.00	79,776.00	43,530.17	333,942.80	311,649.20	चल रही है
255.	2498-आईएन डी उत्तराखंड विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम परियोजना-2	उत्तराखंड	एडीबी	यूएसडी	25-फर.-09	62,400.00	0	129,962.59	0	0	चल रही है
256.	2502-आईएन डी उत्तराखंड विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम परियोजना-3	उत्तराखंड	एडीबी	यूएसडी	25-फर.-09	30,600.00	0	118,150.67	0	84,309.72	चल रही है
257.	जल संभर प्रबंधन परियोजना-2	उत्तराखंड	आईबीआरडी, विश्व	यूएसडी	26-अग.-09	7,490.00		32,627.00	110,256.56	54,773.30	चल रही है
258.	2458-आईएनडी उत्तराखंड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम परियोजना-2	उत्तराखंड	एडीबी	यूएसडी	2-अक्टू.-09	140,000.00	0	505,966.71	1,608,041.96	954,676.49	चल रही है
259.	4850-आईएन उत्तराखंड विकेन्द्रीकृत जल संभर विकास परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण	उत्तराखंड	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	17-मार्च-11	5,100.00	0	0	0	101,634.75	चल रही है
260.	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यक्रम-डब्ल्यूबी	पश्चिम बंगाल	केएफडब्ल्यू, जर्मनी	यूरो	22-जून-99	30,677.51	167,645.21	162,234.08	270,194.19	271,364.25	चल रही है
261.	कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना अनुदान 2001	पश्चिम बंगाल	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	8-नव.-01	17,967.37	348,917.43	115,936.25			बंद
262.	1813-आईएनडी कोलकाता पर्यावरणीय सुधार परियोजना	पश्चिम बंगाल	एडीबी	यूएसडी	18-दिस.-01	177,765.23	1,160,459.84	1,063,765.16	962,439.53	306,795.41	चल रही है
263.	आईडीपी-143 पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना (II)	पश्चिम बंगाल	जेआईसीए,जापान	जेपीवाई	5-अक्टू.-02	2,252,896.54	26,160.59	11,649.97	0	0	बंद
264.	1870-आईएनडी पश्चिम बंगाल गलियारा विकास परियोजना	पश्चिम बंगाल	एडीबी	यूएसडी	12-अक्टू.-02	79,206.83	727,536.01	701,328.82	670,325.07	195,713.65	बंद
265.	आईडीपी-147 बकरेश्वर ताप विद्युत स्टेशन यूनिट विस्तार परियोजना	पश्चिम बंगाल	जेआसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-03	36,641,068.41	1,585,012.28	804,062.17	307,637.85	0	बंद
266.	सुंदरवन में निर्वहनीय आजीविका का सुदृढ़करण	पश्चिम बंगाल	यूएनडीपी	यूएसडी	20-अग.-03	500.00	45.41				चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267.	गरीबों के लिए कोलकाता शहरी सेवा कार्यक्रम	पश्चिम बंगाल	डीएफआईडी, युके	जीबीपी	31-दिस.-03	93,950.00	1,113,403.91	1,235,927.77	1,990,341.06	372,256.13	बंद
268.	पं. बंगाल में ग्रामीण उत्कृष्टा कार्यक्रम का सुद्धीकरण	पश्चिम बंगाल	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	18-फर.-05	34,500.00	610,850.76	776,462.50	506.702.46	12,510.91	बंद
269.	आईटीजीएल 019 पश्चिम बंगाल में जलापूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	पश्चिम बंगाल	इटली	ईयूआर	30-मई-05	25,822.85	18,543.00	0	0	0	बंद
270.	स्वास्थ्य प्रणाली विकास पहल-अनुदान 2005	पश्चिम बंगाल	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	1-जुलाई-05	97,500.00	1,420,500.00	1,623,190.00			बंद
271.	आईडीपी-175 कोलकाता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधार परियोजना	पश्चिम बंगाल	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-06	3,584,000.00	48,796.26	53,404.56	150,897.44	88,431.34	चल रही है
272.	आईडीपी-167 पुरुलिया पम्पड भंडारण परियोजना- ()	पश्चिम बंगाल	जेआईसीए, जापान	जेपीवाई	31-मार्च-06	17,963,000.00	782,375,46	356,036.02	376,457,42	515,451.23	चल रही है
273.	2293-आईएनडी कोलकाता पर्यावरणीय कार्यान्वयन परियोजना-पूरक	पश्चिम बंगाल	एडीबी	यूएसडी	21-फर.-07	80,000.00	424,094.34	553,626.65	656,701.25	364,618.39	चल रही है
274.	डीएफआईडी के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में विद्युत विभाग का क्षमता निर्माण	पश्चिम बंगाल	आईडीए, विश्व बैंक	यूएसडी	5-मार्च-07	298.95	9,037.37	5,112.22			बंद
275.	पश्चिम बंगाल सरकारी क्षेत्र उद्यम सुधार कार्यक्रम चरण-II अनुदान-2008	पश्चिम बंगाल	डीएफआईडी, यूके	जीबीपी	31-मार्च-08	21,760.00	418,900.00		257,493.94	144,032.20	बंद
276.	क्यू 6120 पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई त्वरित विकास परियोजना	पश्चिम बंगाल	आईडीए, विश्व	यूएसडी	19-मई-08	2,940.00	12,927.00	6,153.47	0	4,864.66	चल रही है
277.	4758-आईएन पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायतों के संस्थागत सुद्धीकरण परियोजना	पश्चिम बंगाल बंगाल	आईडीए, विश्व बैंक	एक्सडीआर	15-जुलाई-10	131,800.00	0	0	590,794.20	1,094,260.60	चल रही है

संकेताक्षर

एडीबी	एशियाई विकास बैंक	ईयूआर	यूरो
डीएफआईडी	अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग यूनाइटेड किंगडम सरकार	जीबीपी	पांउड स्टलिंग
ग्लोबल फंड	एड्स, टीबी और मलेरिया का मुकाबला करने के लिए वैश्विक निधि	जेपीवाई	जापानी येन
आईबीआरडी	अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	यूएसडी	अमरीकी डालर
आईडीए	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ	एक्सडीआर	बिशेष आहरण अधिकार
आईएफडी	अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि		
जेआईसीए	जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी		
केएफडब्ल्यू	क्रेडिटेशटाल्ट फर बीड रोफबू (जर्मन विकास बैंक)		
ओपेक	पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन		
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम		

विवरण II

वर्ष 2008-09 के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि		अल्पावधि सहकारी ऋण		भारत-जर्मन जलसंभर विकास		जलसंभर विकास निधि		जल संभर विकास (पीएम राहत पैकेज)		जनजातीय विकास निधि		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी अंब्रेला कार्यक्रम	
		परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की	संवितरित राशि संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	3355	1333	1151.47	135.03	36	355			436	1365	-	401		
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह											-	0.00		
3.	अरूणाचल प्रदेश	15	122									-	0.32		
4.	असम	112	113	0.00	0.00							-	1.01		
5.	बिहार	76	752	0.00	0.00							-	0.73		
6.	छत्तीसगढ़	13	72	162.47	25.90			43	136			-	4.18		
7.	गोवा	1	86									-			
8.	गुजरात	4027	1085	20.75	0.69	31	121			38	51	-	0.80		
9.	हरियाणा	75	274	214.78	10.85							-			
10.	हिमाचल प्रदेश	1785	425					1	7			-			
11.	झारखंड	348	631					16	116			-	1.71		
12.	जम्मू और कश्मीर	199	342									-			
13.	कर्नाटक	2580	674	139.74	39.53					233	1241	-	1.01		
14.	केरल	95	501							136	160	-			
15.	मध्य प्रदेश	2	975	268.55	23.65			1	2			-	0.72		
16.	महाराष्ट्र	826	1120	820.07	28.07	113	1413			82	1886	-	0.01		
17.	मणिपुर	0	0									-	0.38		
18.	मेघालय	79	66	0.00	0.00							-	0.34		
19.	मिजोरम	3	1									-	1.14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	नागालैंड	19	240									-	1.09		
21.	ओडिशा	29271	849	453.69	30.60			42	27			-	3.21		
22.	पंजाब	978	525									-			
23.	राजस्थान	957	1100	0.00	0.00	31	73	13	34			-	5.68		
24.	सिक्किम	293	99	0.00	0.00							-	0.00		
25.	तमिलनाडु	2972	9.05	0.00	0.00			145	507			-	0.00		
26.	त्रिपुरा	176	305	0.00	0.00							-	0.00		
27.	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	25	55								-				
28.	उत्तर प्रदेश	12572	952	340.85	44.12			66	75			-	0.00		
29.	उत्तराखंड	671	300					5	8			-	0.07		
30.	पश्चिम बंगाल	23896	820	134.97	15.59			17	149			-	1.34		
	योग	85421	14722	3707.34	211	1962	349	1061	925	47.3		0	27.75	0	0

वर्ष 2009-2010 के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि		अल्पावधि सहकारी ऋण		भारत-जर्मन जलसंभर विकास		जलसंभर विकास निधि		जल संभर विकास (पीएम राहत पैकेज)		जनजातीय विकास निधि		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी अंब्रेला कार्यक्रम	
		परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की	संवितरित राशि संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	394	1185.00	0.00	1.79	36	6			4362754.00		-	7.84		
2.	अरूणचल प्रदेश	10	56.00									-	0.3		
3.	असम	178	300.00	0.00	0.00							-	0.72		
4.	बिहार	1036	877.00	265.06	24.12							-	1.37		
5.	छत्तीसगढ़	11	86.00	0.00	0.00			43	201.00			-	7.94		
6.	गुजरात	4362	972.00	183.48	16.68	31	2.34			38	63.00	-	1.43		
7.	गोवा	40	149.00									-			
8.	हरियाणा	560	531.00	0.00	0.00							-			
9.	हिमाचल प्रदेश	223	454.00					1	27.00			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	जम्मू और कश्मीर	335	654.00									-			
11.	झारखंड	286	567.00					16	93.00			-	1.08		
12.	कर्नाटक	1995	657.00	0.00	0.00						2332600.00	-	2.86		
13.	केरल	339	370.00							136	666.00	-	0.01		
14.	मध्य प्रदेश	198	1176.00	335.23	22.03			1	0.00			-	3.96		
15.	महाराष्ट्र	5937	914.00	586.80	7.50	113	28.76				822615.00	-	1.19		
16.	मणिपुर	105	4.00									-	0.13		
17.	मेघालय	80	135.00	0.00	0.00							-	0.65		
18.	मिजोरम	21	75.00									-	0.62		
19.	नागालैंड	308	187.00									-	1.21		
20.	नई दिल्ली											-			
21.	ओडिशा	12698	760.00	0.00	0.00			42	131.00			-	4.6		
22.	पंजाब	1807	553.00									-			
23.	राजस्थान	1732	1005.00	240.81	10.15	31	3.2	13	62.00			-	11.09		
24.	सिक्किम	86	177.00	0.00	0.00							-	0.01		
25.	तमिलनाडु	1757	850.00	1007.11	134.47			145	805.00			-	0.11		
26.	त्रिपुरा	32	142.00	51.35	5.71							-			
27.	उत्तर प्रदेश	396	1364.00	274.86	16.36			66	76.00			-	1.08		
28.	उत्तराखंड	433	426.00					5	20.00			-	0.1		
29.	पश्चिम बंगाल	3526	924.00	0.00	0.00			17	182.00			-	4.41		
30.	पुदुचेरी	61	79.00									-			
31.	लक्षद्वीप											-			
32.	दीव											-			
33.	दादरा और नगर हवेली											-	0.7		
34.	चंडीगढ़											-			
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह											-	0.11		
	कुल	38946	15629.00	2944.7	238.81	211	40.3	349	1597.00	925.00	8698.00		53.52	0	0

2010-11 के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि		अल्पावधि सहकारी ऋण		भारत-जर्मन जलसंभर विकास		जलसंभर विकास निधि		जल संभर विकास (पीएम राहत पैकेज)		जनजातीय विकास निधि		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी अग्रेता कार्यक्रम	
		परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	2100	1237.00	2.48	0.51	36	12.09			436	6401.00	-	15.82		
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह											-	1.78		
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00							-	0.38		
4.	असम	257	284.00	43.63	6.43							-	1.08		
5.	बिहार	64	1090.00	0.00	0.00							-	4.11		
6.	छत्तीसगढ़	12	121.00	0.21	0.07			43	307.00			-	15.93		
7.	दादरा और नगर हवेली											-	0.00		
8.	गोवा	1	57.00	0.00	0.00							-			
9.	गुजरात	9837	1163.00	241.99	11.08	31	3.82			38	119.00	-	5.22		
10.	हरियाणा	1492	487.00	15.38	0.81							-			
11.	हिमाचल प्रदेश	296	424.00	0.00	0.00			1	20.00			-			
12.	जम्मू और कश्मीर	325	790.00	0.00	0.00							-			
13.	झारखंड	331	623.00	0.00	0.00			16	156.00			-	2.59		
14.	कर्नाटक	2493	861.00	201.63	25.97					2333062.00		-	5.34		
15.	केरल	407	532.00	0.00	0.00				136	1709.00		-	0.67		
16.	मध्य प्रदेश	614	1200.00	0.00	0.00			1	29.00			-	10.17		
17.	महाराष्ट्र	662	1125.00	7.77	0.12	113	32.87			822559.00		-	4.40		
18.	मणिपुर	153	272.00	0.00	0.00							-	0.20		
19.	मेघालय	113	143.00	0.00	0.00							-	1.96		
20.	मिजोरम	23	146.00	0.00	0.00							-	0.84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21.	नागालैंड	37	79.00	0.00	0.00							-	1.60		
22.	ओडिशा	1284	898.00	0.00	0.00			42	212.00			-	7.25		
23.	पंजाब	3574	602.00	0.00	0.00							-			
24.	राजस्थान	2670	1300.00	77.21	2.90	31	4.04	13	80.00			-	14.20		
25.	सिक्किम	80	78.00	1.64	0.18							-	0.42		
26.	तमिलनाडु	988	1034.00	71.77	13.11			145	703.00			-	1.37		
27.	त्रिपुरा	18	86.00	17.82	2.00							-	0.00		
28.	पदुचेरी	93	126.00	0.00	0.00							-			
29.	उत्तर प्रदेश	9388	1569.00	7.70	0.71			66	84.00			-	1.80		
30.	उत्तराखंड	750	738.00	0.00	0.00			5	17.00			-	0.22		
31.	पश्चिम बंगाल	3686	1160.00	0.00				17	36.00			-	1.99		
	कुल	4174818225.00		689.23	6389	211	52.82	349	1644	925	13850		99.34	0	0

वर्ष 2011-12 के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि		अल्पावधि सहकारी ऋण		भारत-जर्मन जलसंभर विकास		जलसंभर विकास निधि		जल संभर विकास (पीएम राहत पैकेज)		जनजातीय विकास निधि		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी अंब्रेला कार्यक्रम	
		परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की संख्या	संवितरित राशि	परियोजनाओं की	संवितरित राशि संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	348	1116.00	0.00	0.00	36	6.55	0	0.00	4362680.00		-	14.97	22	31.09
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.28	-	2.28	3	2.65
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	10.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.53	0	0.00
4.	असम	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.53	0	0.00
5.	बिहार	48	233.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.59	4	3.83
6.	छत्तीसगढ़	1	2.00	0.00	0	0.00	0.00	43	128.00	0.00		-	6.35	0	0.00
7.	गोवा	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-		0	0.00
8.	गुजरात	86	582.00	0.00	0.00	31	2.39	0	0.00	38	45.00	-	4.69	1	2.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	हरियाणा	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-		0	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	108	163.00	0.00	0.00	0	0.00	1	3.00	0	0..00	-	0.01	1	0.14
11.	जम्मू और कश्मीर	90	77.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-		0	0.00
12.	झारखंड	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	16	13.00	0	0.00	-	2.87	5	8.12
13.	कर्नाटक	0	0.00	215.17	21.23	0	0.00	0	0.00	2331693.00			3.14	7	21.24
14.	केरल	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	1361142.00		-	0.01	1	0.00
15.	मध्य प्रदेश	1	99.00	0.00	0.00	0	0.00	1	24.00	0	0.00	-	7.05	1	0.00
16.	महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	0.00	113	10.23	0	0.00	821053.00		-	8.27	10	4.98
17.	मणिपुर	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	0	0.00
18.	मेघालय	0	0.00	10.69	1.19	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.37	0	0.00
19.	मिजोरम	0	0.00	0.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.13	0	0.00
20.	नागालैंड	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.94	0	0.00
21.	ओडीशा	594	819.00	116.94	1634	0	0.00	42	73.00	0	0.00	-	4.42	7	3.71
22.	पंजाब	1022	417.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-		0	0.00
23.	राजस्थान	1276	1000.00	0.00	0.00	31	1.01	13	16.00	0	0.00	-	5.61	0	0.00
24.	सिक्किम	1	2.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.49	0	0.00
25.	तमिलनाडु	989	1058.00	0.00	0.00	0	0.00	145	174.00	0	0.00	-	1.86	6	2.35
26.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	-	0.00	0	0.00
27.	पुदुचेरी	5	5.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	0	0.000
28.	उत्तर प्रदेश	161	760.00	0.00	0.00	0	0.00	66	2.00	0	0.00	-	1.10	1	0.00
29.	उत्तराखंड	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	5	9.00	0	0.00	-	0.31	2	0.00
30.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	17	8.00	0	0.00	-	177	3	2.45
31.	बहुराज्य	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	8	19.62
	कुल	4732	6343.00	342.80	38.76	211	20.18	349	450.00	9256613.00		-	66.30	82	102.33

[अनुवाद]

रुपये का मूल्य

***229. श्री रूद्रमाधव रायः**
श्री बृजभूषण शरण सिंहः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अमरीकी डालर और अन्य विदेशी करेंसियों की तुलना में रुपये के अवमूल्यन के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त गिरावट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सेक्टर-वार क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा रुपये के अवमूल्यन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं करवाया है।

(ख) हालांकि दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य में, रुपये के मूल्यह्रास के परिणाम स्वरूप अधिक निर्यात अर्जन के रूप में निर्यातकों को लाभ होगा, अल्पावधिक परिप्रेक्ष्य में रुपये के मूल्य में हुई गिरावट का हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। रूपये के मूल्यह्रास से तेल और अन्य आयात महंगे हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में जहां उच्चतर लागत उपभोक्ताओं को अंतरित कर दी जाती है, वहां उससे स्फीतिकारी दबावों में वृद्धि होती है। बजट में उच्चतर लागत को शामिल करने से राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है। इसके अलावा, विदेशी ऋण शोधन की रुपया लागत में वृद्धि होगी जिसका अर्थ है कारपोरेट तुलनपत्रों और सरकारी बजट पर अधिक दबाव पड़ेगा।

(ग) हाल ही में उठाए गए नीतिगत कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैंः व्यापार ऋणों की ऑल-इन-कॉस्ट सीमा में वृद्धि करना, विदेशी वाणिज्यिक उधार संबंधी मानदंडों को उदार बनाना, रुपया व्यय के लिए विदेशों में जुटाई गई ईसीबी प्राप्तियों को देश में लाने की आवश्यकता, कारपोरेट और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशों की सीमा को बढ़ाना तथा अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों को बढ़ाना।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

***230. श्रीमती सुमित्रा महाजनः** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षमता में वृद्धि संबंधी लक्ष्य को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों विशेषकर मध्य प्रदेश में कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या विद्युत क्षेत्र के संबंध में किसी कृतिक बल का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए उक्त कृतिक बल ने किन-किन मुद्दों पर विचार किया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) योजना आयोग ने विद्युत क्षेत्र के लिए 12 वीं पंचवर्षीय योजना के निरुपण के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल का गठन किया गया है। कार्यदल अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम शामिल है। तत्पश्चात योजना आयोग विद्युत क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय 12वीं योजना हेतु क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्यों को अंतिम रूप देगा।

(घ) और (ङ) विद्युत मंत्रालय में सरकार द्वारा संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए किसी कार्यदल का गठन नहीं किया गया है। तथापि, 28 मई, 2007 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में विद्युत मंत्रियों के स्थायी समूह की एक उप समिति नामतः टास्क फोर्स ऑन हाइड्रो प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट गठित की गई है। इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत के विकास से संबंधित सभी मामलों को देखना है। विचारार्थ विषयों के अनुसार टास्क फोर्स के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। टास्क फोर्स को जल विद्युत विकास, जो कि एक सतत् एवं चालू प्रक्रिया है, से संबंधित सभी मामलों की जांच करना एवं उनका समाधान करना होता है।

[अनुवाद]

'पेंटावैलेंट वैक्सीन'

***231. श्री के. सुगुमारः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में 'पेंटावैलेंट वैक्सीन' शुरू करने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से 'पेंटावैलेंट वैक्सीन' को उक्त कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) पेंटावैलेंट वैक्सीन को आरम्भ में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु तथा केरल में शुरू किया गया है। तमिलनाडु और केरल राज्यों को कार्यक्रम की शुरूआत करने के नवम्बर 2011 में पेंटावैलेंट वैक्सीन प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) जी, हां, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक एवं पुदुच्चेरी सहित कुछ राज्यों ने अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पेंटावैलेंट वैक्सीन की शुरूआत करने के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया है। उनके अनुरोध पर निर्णय विशेषज्ञ की सलाह तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

बीमा पालिसियां

***232. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत बड़ी संख्या में पॉलिसियों के व्यपगत होने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सेक्टर-वार कितनी पालिसियां व्यपगत हुई और उनका मूल्य कितना था तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या व्यपगत होने वाली अधिकांश पालिसियां निजी बीमा कंपनियों से संबंधित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या भ्रामक दावों के आधार पर पालिसियों को बेचने सहित निजी कंपनियां कथित तौर पर अनैतिक व्यवहार करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान व्यपगत हुई गैर-सहबद्ध जीवन बीमा पालिसियों की संख्या तथा इसकी बीमाकृत राशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्षेत्र	2010-2011		2009-2010		2008-2009	
	व्यपगत पालिसियां (लाख में)	बीमाकृत राशि (करोड़ रुपए में)	व्यपगत पालिसियां (लाख में)	बीमाकृत राशि (करोड़ रुपए में)	व्यपगत पालिसियां (लाख में)	बीमाकृत राशि (करोड़ रुपए में)
सरकारी क्षेत्र (एलआईसी)	114.83	89860	97.44	114767	73.73	52926
गैर-सरकारी क्षेत्र	25.68	68435	26.06	100033	17.33	46617
योग	140.51	158295	123.50	214800	91.06	99543

(घ) और (ङ) गैर-सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा गलत बिक्री के संबंध में आईआरडीए के पास दर्ज शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

वर्ष	वर्ष में बेची गई कुल पालिसियां	आईआरडीए के पास दर्ज गलत बिक्री संबंधी शिकायतों की संख्या	बेची गई कुल पालिसियों की तुलना में गलत बिक्री संबंधी शिकायतों का %
2009-10	14356538	858	0.005
2010-11	11094391	2189	0.02

आईआरडीए ने देश में एक सुदृढ़ बीमा बाजार विकसित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(क) बिक्री के समय तथा इसके साथ-साथ बिक्री पश्चात कार्यकलापों के समय पालिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पालिसीधारकों के हितों की सुरक्षा विनियमावली, 2002 के संबंध में विनियमावली, 2002 के संबंध में विनियम जारी करना;

(ख) पालिसी की खरीद हेतु सभी संगत सूचना का पारदर्शी, उचित एवं वास्तविक निरूपण सुनिश्चित करने के लिए बीमा विज्ञापन एवं प्रकटन विनियमावली, 2000 के संबंध में विनियम जारी करना;

(ग) बीमा अभिकर्ताओं की लाइसेंसीकरण विनियमावली, 2002 के संबंध में विनियम और परवर्ती दिशानिर्देशों को जारी करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बीमा संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में सलाह देने के लिए अभिकर्ता पर्याप्त रूप से सक्षम है।

(घ) बीमा कंपनियों को एक सक्षम शिकायत निवारण प्रणाली लागू करने के लिए अधिदेश देना तथा आईआरडीए शिकायत काल सेंटर (आईजीसीसी) एवं ऐसी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) को स्थापित करना जो बीमा कंपनियों द्वारा सही कार्रवाई करने के लिए प्रणालीगत एवं नीतिगत मुद्दों की पहचान करने के अलावा शिकायतों के तुरन्त एवं कारगर समाधान को सुकर बनाए।

(ङ) प्राधिकरण ने 20 सितम्बर, 2011 को दिशानिर्देश अधिसूचित किए थे जो पालिसियों की निरंतरता अर्थात पालिसियों की कुल संख्या के प्रति सतत पालिसियों के प्रतिशत से संबंधित थे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार अभिकर्ता को 50% की औसत निरंतरता दर बनाए रखनी अपेक्षित है। इस शर्त को पूरा करने पर ही अभिकर्ता के लाइसेंस का नवीकरण किया जाता है।

(च) कार्य-स्थल (ऑन-साइट) पर जाकर निरीक्षण करने की प्रक्रिया को मजबूत करना।

पर्यटन का विकास

233. श्री जोसेफ टोप्पो: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में पर्यटन के विकास हेतु राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विदेशी वित्तीय सहायता से अनेक पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त और उपयोग की गई ऐसी सहायता को दर्शाते हुए तत्संबंधी परियोजना-वार तथा राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार असम में 'माजुली द्वीप' सहित कतिपय द्वीपों को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल घोषित करने/विकसित करने एवं उक्त प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों की सहायता करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान कर उनके विकास तथा कार्यान्वियन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की है। तथापि पर्यटन मंत्रालय प्राथमिकीकरण बैठकों के दौरान उनके साथ परामर्श से पहचान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए "गंतव्यों तथा परिपथों का उत्पाद/अवसंरचना विकास" नामक मुख्य योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष (30 सितम्बर, 2011 तक) में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या तथा राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) अजंता एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना के चरण-II के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ 7331 मिलियन जापानी येन (लगभग 299 करोड़ रुपए) के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30.11.2011 तक 133.56 करोड़ रुपए की कुल राशि का उपयोग किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में बौद्ध परिपथ के विकास के लिए जेआईसीए के साथ 9495 मिलियन जापानी येन (लगभग 395.63 करोड़ रुपए) के ऋण करार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के लिए जेआईसीए के साथ विचार-विमर्श से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय ने असम के माजुली द्वीप में हरिटेज एवं इको टूरिज्म रिजॉर्ट के विकास के लिए वर्ष 2002-03 में 382.25 लाख रुपए की राशि की मंजूरी दी है। यह परियोजना पूरी की जा चुकी है।

वर्ष 2010-11 में विकास के लिए मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, जोरहाट, शिबसागर और माजुली को कवर करते हुए एक राष्ट्रीय उद्यान मेगा परिपथ की पहचान की गई है।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 के दौरान और 2011-12 में 30 सितम्बर, 2011 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं राशि**

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (30.09.2011तक)		कुल योग	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	8	109.89	13	37.29	10	20.38	8	40.67	39	208.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	31.47	14	36.54	13	32.26	6	13.62	46	113.89
3.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	4	21.08	7	22.76	4	23.55	3	4.23	18	71.62
5.	बिहार	10	25.05	3	6.99	1	3.60	0	0.00	14	35.64
6.	चंडीगढ़	5	7.99	5	11.51	5	11.04	0	0.00	15	30.54
7.	छत्तीसगढ़	1	11.34	0	0	4	20.95	0	0.00	5	32.29
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.24
9.	दमन और दीव	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.12
10.	दिल्ली	1	0.15	9	44.91	5	9.75	2	0.77	17	55.58
11.	गोवा	2	43.14	2	17.00	3	12.78	1	4.98	8	77.90
12.	गुजरात	7	21.33	1	7.33	1	0.14	2	51.75	11	80.55
13.	हरियाणा	7	36.70	6	12.37	8	27.41	1	0.10	20	76.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	हिमाचल प्रदेश	10	34.58	6	23.95	12	34.98	2	0.22	30	93.73
15.	जम्मू और कश्मीर	28	43.42	31	49.75	20	56.17	17	115.88	96	265.22
16.	झारखण्ड	0	0.00	3	0.25	5	7.56	1	23.71	9	31.52
17.	केरल	12	42.68	7	12.98	3	42.87	3	8.44	25	106.97
18.	कर्नाटक	4	42.73	13	42.42	2	8.59	0	0.00	19	93.74
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	3	41.10	2	5.01	3	11.30	0	0.00	8	57.41
21.	मणिपुर	9	29.44	9	27.14	8	39.40	4	22.99	30	118.97
22.	मेघालय	7	17.14	7	14.73	9	22.53	2	0.40	25	54.80
23.	मिजोरम	4	3.18	7	24.06	9	11.51	6	13.81	26	52.56
24.	मध्य प्रदेश	11	31.41	11	60.99	13	30.85	4	18.72	39	141.97
25.	नागालैंड	11	25.40	13	24.60	10	29.10	6	25.87	40	104.97
26.	ओडिशा	6	41.15	9	23.69	6	20.29	1	0.05	22	85.18
27.	पुडुचेरी	4	2.52	3	5.57	3	50.26	0	0.00	10	58.35
28.	पंजाब	5	24.93	3	9.48	4	11ए91	1	4.23	13	50.55
29.	राजस्थान	9	44.31	7	19.74	7	31.32	3	14.50	26	109.87
30.	सिक्किम	20	66.78	19	42.36	14	23.48	4	13.45	57	146.07
31.	तमिलनाडु	16	36.14	10	16.28	6	60.00	1	3.65	33	116.07
32.	त्रिपुरा	6	3.61	13	20.67	12	40.73	6	15.44	37	80.45
33.	उत्तर प्रदेश	6	38.40	6	21.90	14	27.85	7	10.86	33	99.01
34.	उत्तराखण्ड	2	44.68	1	0.55	8	29.78	9	37.63	20	112.64
35.	पश्चिम बंगाल	10	37.94	7	28.37	8	22.02	2	8.18	27	96.51
	कुल योग	245	960.04	247	671.19	228	774.36	102	454.15	822	2859.74

*पीआईडीडीसी, एचआरडी और आरटी से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

जनजातीय कारीगरों के लिए बाजार

234. **श्रीमती अन्नू टन्डनः** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनजातीय उत्पादों के विपणन तथा संवर्धन हेतु कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार मोटीफ, कला कौशल, और कपड़ा जैसे जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी निजी वस्त्र कंपनियों को शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय कारीगारों की सुविधा के लिए प्रमुख शहरों में विशेष जनजातीय बाजारों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय "जनजातीय उत्पादों का बाजार विकास" की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) को सहायता अनुदान देता है।

(i) खुदरा विपणन विकास कार्यकलाप;

(ii) एमएफपी विपणन विकास कार्यकलाप;

(iii) अनुसूचित जनजाति के कारीगरों एवं एमएफपी संग्रहकर्ताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, दक्षता उन्नयन एवं क्षमता निर्माण;

(iv) अनुसंधान एवं विकास/बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) कार्यकलाप।

11वीं योजना अवधि (2007-12) हेतु ट्राइफेड के नए रोडमैप के तहत ये कार्यकलाप किए गए हैं।

हस्तकरघा विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय के कार्यकलाप के अनुसार निम्नलिखित प्लान योजनाएं जनजातीय उत्पादों के विपणन सहित हस्तकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित की गई हैं:-

(i) एकीकृत हस्तकरघा विकास की योजना

(ii) हस्तकरघा बुनकरों के समग्र कल्याण की योजना

(iii) विपणन एवं निर्यात संवर्द्धन की योजना

(iv) विविध हस्तकरघा विकास की योजना

(v) मिल गेट मूल्य की योजना।

इसी प्रकार, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय जनजातीय उत्पादों के विपणन एवं संवर्द्धन सहित हस्तशिल्पों के संवर्द्धन तथा विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं परिचालित करता हैः

(i) बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

(ii) विपणन समर्थन सेवा की योजना

(iii) डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी के उन्नयन की योजना

(iv) मानव संसाधन विकास की योजना

(v) अनुसंधान एवं विकास की योजना

(vi) हस्तशिल्प कारीगरों के सामग्र विकास की योजना।

(ख) इस मंत्रालय के पास मोटीफ, कला कौशल और कपड़ा जैसे जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी निजी वस्त्र कंपनियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के पास प्रमुख शहरों में विशेष जनजातीय बाजारों को स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विपणन और निर्यात संवर्धन योजना के तहत भारत सरकार नेशनल हैण्डलूम एक्सपोज, स्पेशल एक्सपोज, डिस्ट्रिक्ल लेवल इवेंट्स, क्राफ्ट्स मेलाज इत्यादि को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ताकि जनजातीय बुनकरों आदि से बुनकरों सहित हस्तकरघा बुनकरघों को एक मंच प्रदान किया जा सके। विकास आयुक्त का कार्यालय (हस्तशिल्प) विपणन संवर्धन सेवा योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि समग्र भारत के आधार पर शिल्प बाजारों, गांधी शिल्प बाजारों, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करने के लिए कार्यान्वियनकारी अभिकरणों को ताकि जनजातीय कारीगारों सहित सभी कारीगरों की बिक्री को सुनिश्चित किया जा सके। देश में विभिन्न स्थानों पर ट्राइफेड के शोरूम और ब्रिक्री केन्द्र भी हैं जहां जनजातीय वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है।

अस्पतालों से होने वाले संक्रमण

***235. श्री पी. कुमारः**
श्री अशोक तंवरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अस्पतालों से विशेषरूप से सरकारी अस्पतालों से होने वाले संक्रमण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्लोबल एंटीबायटिक रिसिसटेन्ट पार्टनरशिप इंडिया वर्किंग ग्रुप और दि सेन्टर फॉर डीजीज डायनामिक्स, इकोनामिक्स एंड पॉलिसी ने अपनी हाल की रिपोर्ट में भारत में बड़े पैमाने पर अस्पतालों से होने वाले संक्रमण के बारे में बताया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे संक्रमणों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) चूंकि "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है अंतः केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। जहां तक केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों अर्थात सफदरगंज अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, अस्पताल में सर्वाधिक आमतौर पर लगने वाले संक्रमणों में यूरीनरी ट्रेक्ट संक्रमण, वेंटिलेटर संबद्ध निमोनिया (आई सी यू रोगियों में) ब्लड स्ट्रीम संक्रमण सर्जिकल साइट संक्रमण इत्यादि शामिल हैं।

(ख) और (ग) इंडियन जर्नल मेडिकल रिसर्च (आई जे एम आर) में जी ए बार पी-इंडिया वर्किंग समूह द्वारा एंटिबायोटिक्स प्रतिरोध सीमित करने हेतु एंटिबायोटिक्स के इस्तेमाल को सुक्तिसंगत बनाना" शीर्षक से प्रकाशित स्थिति रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि भारत में अस्पताल उपार्जित (एक्वायड) और कॉजेटिव जीवों की स्तर विश्व के अन्य भागों में पाए जाने वाले स्तर के समान होता है।

(घ) केन्द्रीय सरकार के तीनों अस्पतालों द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए है:-

- संक्रमण नियंत्रण समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां संक्रमण नियंत्रण संबंधी मुद्दों की समीक्षा और उन्नयन हेतु उपाय करने के लिए नियमित अंतरालों पर बैठक करती हैं।
- संक्रमण नियंत्रण दिशानिर्देश तैयार किए गए है और ये प्रचालन में हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार हस्त-स्वचछता का अनुसरण किया जाता है।
- वार्ड और आपरेशन थियेटर में शल्यचिकित्सीय सुरक्षा के लिए जांच सूचियां अथवा प्रपत्र शुरू किए गए हैं (डब्ल्यूएचओ शल्यचिकित्सीय सुरक्षा जांच सूची का आशोधित संस्करण)।
- डॉक्टरों और पराचिकित्सीय स्टापफ के लिए हस्त-स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन में प्रशिक्षण नियमित आधार पर आयोजित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंधन और रख-रखाव) नियमों संबंधी अस्पतालों अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए गए थे और इन्हें क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2002 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरित किया गया था।

[हिन्दी]

गर्भवती महिलाओं की उपेक्षा

***236. श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों द्वारा विशेषकर दिल्ली में प्रसव के समय निर्धन गर्भवती महिलाओं को दाखिल करने से इंकार करने के कारण उनके समक्ष आ रही कठिनाइयों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान लेडी हार्डिंग अस्पताल सहित अस्पताल-वार ऐसी कितनी घटनाओं का पता चला है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए ऐसी कोई सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबंद्ध अस्पतालों का संबंध है। अस्पतालों में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं का चिकित्सीय उपचार किया जाता है। इन अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाली किसी गर्भवती महिला को दाखिला देने से इनकार करने का कोई मामला नहीं है। तथापि, सुचेता कृपलानी अस्पताल में एक मामला ऐसा था जिसमें किसी रोगी ने स्त्री रोग इमरजेंसी के फर्श पर बच्चे को जन्म दिया। प्राधिकारी द्वारा की गई जांच से प्रकट हुआ कि रोगी 5.12.2011 को प्रातः 11.30 बजे स्त्री

रोग कैजुअल्टी में आई। यह अस्पताल में उसका पहला आगमन था। उस समय दाखिले के लिए प्रतीक्षारत बड़ी संख्या प्रसवाधीन गर्भवती महिलाएं थी। इस प्रक्रिया के दौरान, रोगी ने 12.20 बजे अपराह्न में पूर्वसूचना के बगैर बच्चे को जन्म दे दिया। उसकी स्त्री रोग केजुअल्टी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा तत्काल ही परिचर्या की गई तथा मां और बच्चे को प्रसव कक्ष में दाखिल किया गया। उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा परिचर्या प्रदान की गई। रोगी को उसके स्वस्थ बच्चे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। यह घटना गर्भवती महिलाओं की भीड़भाड़ की वजह से हुई न कि अस्पताल प्राधिकरण द्वारा दाखिला देने से इनकार किए जाने के कारण।

गर्भवती महिलाओं को उचित समय पर प्रसवपूर्व जांच के लिए तथा अस्पताल में रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है, यदि वे प्रसवाधीन होती हैं। तथापि, कभी-कभी क्षमता के इष्टम उपयोग एवं एकल बिस्तर पर दो रोगियों को जगह देने के बावजूद, रिक्त बिस्तर सर्वदा उपलब्ध नहीं रहते हैं। इसलिए केवल बुक की गई गर्भवती महिलाओं को पहले आओ, पाओ आधार पर दाखिला दिया जाता है। उपर्युक्त अस्पतालों में अग्रवर्ती चरण के प्रसव एवं प्रसूति आपात स्थितियों वाली रोगियों का पहले उपचार किया जाता है तथा स्थिति स्थिर होने के बाद उन्हें एक डॉक्टर के साथ अस्पताल की एम्बूलेंस में निकटवर्ती अस्पतालों मे भेजा जाता है।

उपर्युक्त अस्पतालों जो तृतीयक एवं द्वितीयक स्तरीय अस्पताल हैं, में रेफरल अस्पतालों से रेफर किए गए जटिल मामलों को ही नेमी रोगियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है।

पान मसाला में हानिकारक पदार्थ

***237. श्री हंसराज गं. अहीरः**
श्री रमेश बैसः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पान मसाला और धुआंरहित अन्य तम्बाकू उत्पादों मे विभिन्न पदार्थों के लिए कोई मानदंड और सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पान मसाला तथा धुआंरहित अन्य तम्बाकू उत्पादों में निर्धारित मानदंड/अनुमत्य स्तर से अधिक मात्रा में तम्बाकू तथा अन्य हानिकारक पदार्थ पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पादों का विनिर्माण करने वाली दोषी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश में इन उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने तथा इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) तम्बाकू युक्त पान मसाला के लिए इस समय भरत सरकार द्वारा कोई विनियामक मानक एवं सीमाएं निर्धारित नहीं हैं। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो ने टुकड़ेदार चबाए जाने वाले तम्बाकू, पत्तीदार चबाए जाने वाले तम्बाकू (जर्दा) और क्यूवाम के लिए मानक निर्धारित किए हैं। इन मानकों में अन्य अपेक्षाओं के अलावा निम्नलिखित नियत किए गए हैं;

1. सामग्री किसी भी फफूंदी (मोल्ड) आक्रमण से मुक्त होगी।
2. सामग्री में कोई हानिकारक तत्व नहीं होंगे और
3. यदि कोई तत्व मिलाए जाते हैं तो ये उस प्रकृति एवं शुद्धता के होंगे जो खाद्य योजकों के रूप में प्रयोग के लिए समुचित होंगे तथा जो खाद्य अपमिश्रण नियमावली (खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1955 के स्थान पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उनमें विनियम बना लिए गए हैं) के अंतर्गत अनुमत्य होंगे।

इसके अतिरिक्त, पान मसाला के सुरक्षा मानक, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पादक मानक एवं खाद्य योजक) विनियमन, 2011 (उद्धरण संलग्न विवरण में दिया गया हैं) के अध्याय-2 के खंड 2.11.5 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 में यह उपबंध किया गया है कि तम्बाकू और निकोटीन का प्रयोग किसी भी खाद्य उत्पाद में तत्व के रूप में नहीं किया जाएगा।

(ग) और (घ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें पान मसाला सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के रेंडम नमूने नियमित रूप से लेती हैं तथा जहां नमूने अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों एवं नियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं पाए जातें हैं, वैसे मामलों में दोषियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य संस्थान ने गुटका, तम्बाकू, पान मसाला और देश में विनिर्मित ऐसी ही सामग्री के घटकों तथा ऐसी सामग्री के उपभोग के हानिकारक प्रभावों का व्यापक विश्लेषण एवं अध्ययन किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रोसेमिंग, बेंजो (ए) पायरिन तथा भारी धातु जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, सेलेनियम, निकिल, मर्करी क्रोमियम आदि की काफी मात्रा विभिन्न धुआं रहित तम्बाकू उत्पादों में पाई जाती हैं।

(ङ) भारत सरकार ने जोखिम समूहों अर्थात गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों को तम्बाकू के धुएं के अनैच्छिक एक्सपोजर से बचाने के लिए और निम्नलिखित विभिन्न विनियामक उपाय करके पान मसाला एवं गुटका सहित सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापक एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003" भी अधिनियमित किया है:-

1. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध (धारा-4)।
2. तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध (धारा-5)।
3. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने पर प्रतिबंध और शैक्षिक संस्थाओं के 100 गंज के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने पर प्रतिबंध (धारा-6)।
4. तम्बाकू उत्पादों पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां (धारा-7)।

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने तथा विश्वस्वास्थ्य संगठन-तम्बाकू नियंत्रण कार्यढांचा सम्मेलन (एफसीटीसी) के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 21 राज्यों के 42 जिलों में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:-

राष्ट्रीय स्तर

1. जागरूकता पैदा करने और व्यवहार संबंधी परिवर्तन के लिए जन जागरूकता/मास मीडिया अभियान।
2. सीओटीपीए, 2003 के अंतर्गत यथापेक्षित विनियामक क्षमता का निर्माण करने के लिए तम्बाकू उत्पाद जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना।
3. एनआरएचएम कार्य ढांचे के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रदाय तंत्र के भाग के रूप में कार्यक्रम घटकों को मुख्य धारा में लाना।
4. अन्य नोडल मंत्रालयों के साथ वैकल्पिक फसलों और आजिविकाओं पर अनुसंधान और प्रशिक्षण को मुख्य धारा में लाना।
5. निगरानी सहित मानीटरिंग और मूल्यांकन अर्थात वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण।

राज्य स्तर

1. तम्बाकू रोधी पहलों के कारगर कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए समर्पित तम्बाकू नियंत्रण सेल।

जिला स्तर

1. स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, स्कूल अध्यापकों आदि का प्रशिक्षण।
2. स्थानीय आईईसी कार्यकलाप।
3. स्कूल कार्यक्रम।
4. तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की मानीटरिंग।

धुआं रहित तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध से संबंधित मामला अंकुर गुटका इंडियन अस्थमा सोसायटी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।

विवरण

पान मसाला से सामान्यतया ऐसे खाद्य पदार्थ अभिप्रेत हैं जो इसी रूप में या पान के साथ लिए जाते हैं, इसमें निम्नलिखित हो सकते हैं:-

सुपारी, चूना, नारियल, कत्था, केसर, इलायची, ड्राई फ्रुट्स, मुलेठी, सबनरमुसा, अन्य एरोमेटिक जड़ी-बूटियां एवं मसाले, चीनी, ग्लिसरीन, ग्लूकोज, अनुमत्य प्राकृतिक रंग, मेंथाल एवं गैर निषिद्ध सुगंधित पदार्थ। यह योजित कोलतार, रंगीन पदार्थ और कोई भी अन्य तत्व, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, से मुक्त होगा। यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप भी होगा नामतः-

कुल राख	भार में 8 प्रतिशत से अधिक नहीं (सूखे आधार पर)
तनुकृत एचसीएल अम्ल में अघुलनशील राख	भार में 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं (सूखे आधार पर)

[अनुवाद]

कुपोषण और एनीमिया के कारण मौतें

***238. श्री मनीष तिवारीः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2009 से 2011 के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुपोषण एनीमिया और इनके कारण होने वाली बच्चों की मौतों से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन-कौन से हैं;

(ख) कुपोषण और एनीमिया से पूरे देश में प्रतिवर्ष राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने बच्चों की मौतें हो रही हैं;

(ग) क्या जनजातीय तथा अल्पसंख्यक समुदायों में कुपोषण/एनीमिया और इनके कारण होने वाली मौतों राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) कुपोषण और रक्ताल्पता, बच्चों में मृत्यु के प्रत्यक्ष कारण नहीं है किन्तु वे संक्रमणों के लिए प्रतिरोध क्षमता कम करके रूग्णता एवं मृत्यु में वृद्धि कर सकते हैं। देश में बच्चों में कुपोषण एवं रक्ताल्पता के कारण होने वाली मौतों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

वर्ष 2005-06 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अखिल भारत और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य जनसंख्या समूह के पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण एवं रक्ताल्पता की व्याप्तता नीचे दी गई है:-

जाति/जनजाति	कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत	रक्ताल्पता वाले बच्चों का प्रतिशत
अनुसूचित जाति	47.9	72.2
अनुसूचित जनजाति	54.5	76.8
अन्य पिछड़ा वर्ग	43.2	70.3
भारत कुल	42.5	69.5

(ङ) सरकार ने देश के बच्चों सहित असुरक्षित लोगों की स्वास्थ्य एवं पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जो निम्नलिखित हैं:-

1. मंत्रालयों के बीच नीतिगत निदेश, समीक्षा और प्रभावकारी समन्वय के लिए अक्टूबर, 2008 में भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद स्थापित की गई जो पूर्ण रूप से पोषण की चुनौति से निपटने के लिए जिम्मेदारी होगी।

2. राष्ट्रीय पोषण नीति वर्ष 1993 में अपनाई गई है तथा राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना (1995), विभिन्न सरकारी विभागों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन स्थापित किया गया है।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्न स्वास्थ्य संकेतकों वाले जनजाति जिलों सहित 264 जिलों की पहचान समेकित प्रयास किए जाने के लिए की गई है। ये प्रयास हैं।

   - स्तनपान को बढ़ावा देने सहित शिशु एवं छोटे बच्चें के समुचित आहार पर जोर देना।
   - बच्चों का रोग प्रतिरक्षण
   - अतिसार के प्रबंधन के लिए जिंक के सम्पूरण सहित ओआरएस को बढ़ावा देना।
   - सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में स्थापित पोषण पुनर्वास केन्द्रों के जरिए अति गंभीर कुपोषण का उपचार।
   - विटामिन ए, आयरन एवं फोलिक एसिड जैसे सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी को रोकने एवं इनसे निपटने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। पांच (5) वर्ष तक की आयु के बच्चों को विटामिन ए का सम्पूरण। 6 महीने से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आयरन एवं फोलिक एसिड का सिरप।
   - परिवार स्तर पर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम।
   - जागरूकता बढ़ाने और स्तनपान एवं आहार विविधीकरण को बढ़ावा देने सहित आहार पद्धतियों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए पोषण शिक्षा को, एकीकृत

बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोनों के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- एकीकृत नवजात शिशु और बाल्यावस्था रूग्णता एवं कुपोषण प्रबंधन।

4. पौषणिक स्थिति में सुधार के लक्ष्य वाली अन्य योजनाएं निम्नलिखित हैं:

क. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)

ख. राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (आरजीएसईएजी)-(सबला)।

ग. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई)।

घ. राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन कार्यक्रम)।

ङ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित विभिन्न आय सृजक योजनाओं के माध्यम से लागों की क्रय शक्ति में सुधार करना।

च. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए रियायती लागत पर अनिवार्य खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता।

जनस्वास्थ्य विकास प्राधिकरण

***239 श्री आनंदराव अडसुलः**
श्री गजानन ध. बाबरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयुक्त गवर्नेन्स, विनियमन गुणवत्ता आश्वासन और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की आवश्यकता महसूस की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनस्वास्थ्य विकास प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र का संचालन प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। फिर भी, भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को क्षमता निर्माण सहित उनकी संचालन संरचना को बेहतर बनाने के लिए सहायता देती है। विनियमन एवं गुणवत्ता आश्वासन के संदर्भ में, भारत सरकार ने देश में नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियमन और उससे जुड़े अथवा उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से नैनादिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं नियमन) अधिनियम, 2010 प्रख्यापित किया है। साथ ही, मानव उपभोग हेतु सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानदंडों का निर्धारण करने एवं उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात का विनियमन करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना की गई है। औषध विनियामक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं इनमें जनशक्ति का सुदृढ़ीकरण, प्रयोगशालाओं का नए उपकरणों सहित सुदृढ़ीकरण केन्द्रीय औषध सुरक्षा एवं मानक संगठन के नए अंचल एवं उप-अंचल कार्यालयों की स्थापना करना, औषध की प्रतिकूल प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया नामक एक नए कार्यक्रम की शुरूआत करना, दाण्डिक उपबंधों को और अधिक कठोर बनाने हेतु औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम में संशोधन करना तथा कई राज्यों में विशेष अदालतों की स्थापना करना शामिल है।

जिला एवं उप जिला स्तर पर ऑनलाइन डाटा प्राप्त करने और उसके राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण के लिए एक वेब आधारित स्वास्थ्य प्रबंध सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) विकसित व परिचालित की गई है। गर्भवती महिलाओं का नाम के आधार पर पता लगाने के लिए मदर एंड चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम (एमसीटीएस) की शुरूआत की गई है ताकि संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने के अलावा यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं की पर्याप्त प्रसव-पूर्व एवं प्रसवोत्तर परिचर्या मिल रही है। इस प्रणाली का उद्देश्य नवजात शिशु का पता लगाना भी है ताकि उन्हे समय पर एवं पूर्ण रोग प्रतिरक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, सरकार द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दूरस्थ चिकित्सा (टेलीमेडिसिन) की शुरूआत को बढ़ावा दे रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रयोगशालाओं और छोटे ऑपरेशन थियेटरों की सुविधाएं

***240. श्री संजय सिंह चौहानः**
श्री विजय बहादुर सिंहः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में छोटे ऑपरेशन थियटरों सहित पर्याप्त प्रोसिजर्स और लैब सुविधाएं मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सफदरजंग अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों में विभिन्न जांच प्रयोगशालाओं में जांच नमूनों स्वयं रोगियों या उनके परिचारकों द्वारा ले जाने पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र स्तर पर इस प्रकार की किसी सूचना का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

जहां तक दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डा. आर. एम एल अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा संबंध अस्पतालों का संबंध है, अस्पतालों में मरीज परिचर्या के लिए अपेक्षित लघु-आपरेशन थियेटरों सहित मौजूदा जांच प्रक्रियाएं और प्रयोगशाला सुविधाएं, सरकारी कर्मचारियों सहित सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। जांच सुविधाओं में प्लाज्मा ग्लूकोज, ग्लायकेटिड एच बी, माइक्रो-एल्ब्युमिन, ग्लूकोज चैलेंज जांच, हीमाटोलाजी यूरिन, विशेष जांच (टी 3 टी 4, टी एस एच, एचबीसी रोधी, एच बी ई ए बी आदि) जैव रसायन, हिस्टोपैथोलाजिकल जांच, नैदानिक सुविधाएं आदि शामिल होती हैं। सरकारी अस्पतालों में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आधारभूत ढांचे, जनशक्ति आदि के सृजन और इसकी मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण की एक सतत् प्रक्रिया, आवश्यकता के आधार पर और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर यह शुरू की जाती है। इन तीनों केन्द्रीय अस्पतालों में संबंधित वाड्र्स और ऑपरेशन थिएटर्स से जांच नमूने इस प्रयोजनार्थ नियुक्त, अस्पताल परिचारकों द्वारा लाए जाते हैं। तथापि, कभी-कभार आपाती मामले में मरीजों के सगे-संबंधी/मित्र, जांच नमुनों को प्रयोगशालाओं में ले जाने का प्रस्ताव करते हैं।

[अनुवाद]

भवनों के लिए पर्यावरण रेंटिंग

2531. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की भवनों के लिए पर्यावरण रेंटिंग शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में विशेषज्ञों और गैर-सरकारी संगठनों की क्या राय है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूक अब्दुल्ला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों से कोई मत या विचार प्राप्त नहीं किए हैं।

विदेशी चिकित्सा/नर्सिंग संस्थान

2532. श्री ई. जी. सुगावनमः
श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सा संस्थानों को विदेशों में अपने कैम्पस खोलने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी स्थापना के लिए अभी तक कितने संस्थानों ने आवेदन किया है;

(घ) क्या देश में निजी और विदेशी संस्थाओं को नए नर्सिंग कॉलेज/विद्यालय खोलने और मूल नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) चिकित्सा संस्थानों द्वारा विदेश में कैम्पस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय यू जी सी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन प्राइवेट विश्व विद्यालयों तथा सम (डीम्ड) विश्व विद्यालयों को विदेश में कैम्पस स्थापित करने की अनुमति देता है जिसकी क्रियाविधि का विनियमन चिकित्सा पाठ्यक्रमों के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट विश्वविद्यालय में मानदंडों की स्थापना तथा अनुरक्षण) द्वारा किया जाता है।

(ग) उच्चतर शिक्षा विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) भारतीय नर्सिंग परिषद ने सूचित किया है कि देश में नर्सिंग कॉलेज/स्कूल खोलने के लिए किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय ने परिषद के पास आवेदन नहीं किया है। तथापि, वर्ष 2010 तक 1256 निजी संस्थानों ने नर्सिंग कॉलेज/स्कूल खोने के लिए परिषद के पास आवेदन किया है।

भेषज शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन

2533. श्री पोन्नम प्रभाकरः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में भेषज शिक्षा की गुणवत्ता और मानक को बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी तक क्या उपाय किए हैं;

(ख) क्या भारतीय भेषज परिषद ने भेषज शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के लिए राष्ट्रीय कृतिक बल नामक एक बहु-क्षेत्रीय समन्वय तंत्र का गठन किया है और आगामी शैक्षिक वर्ष से प्रत्येक भेषज महाविद्यालय में इसे लागू करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में भेषज शिक्षा में इस प्रस्तावित कदम का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) देश में भेषज शिक्षा की गुणवत्ता और मानक में सुधार लाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:

(i) भेषज अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाए गए विनियम समय-समय पर संशोधित/अद्यतन किए जाते हैं।

(ii) वर्ष 2008 में भेषज व्यवसाय का प्रैक्टिस करने के लिए पंजीयनयोग्य अर्हता के रूप में 6 कालावधि का फार्म डी. पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

(iii) फर्मासिस्टों द्वारा कौशलों को अद्यतन करने और नए कौशलों को अधिग्रहित करने के लिए पहचान किए गए संस्थानों को भारतीय भेषज परिषद के माध्यम से निधियां प्रदान की जाती हैं।

(iv) ऐसे उन्नयन की 85% लागत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके "राज्य भेषज संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करने के लिए" एक योजना बनाई गई है। योजना के अंतर्गत 85.00 करोड़ रूपए का परिव्यय किया गया है।

(v) वैयक्तिक भेषज संस्थानों के वेब आधारित संकाय आंकड़ों को भारतीय भेषज परिषद की वेबसाईड पर अप लोड कर दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यदल की स्थापना करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य समूह गठित किया गया था। कार्यसमूह की सिफारिशों पर केन्द्रीय परिषद द्वारा विचार विमर्श किया गया और केन्द्रीय परिषद ने कार्य समूह द्वारा बनाए गए प्रत्यायन मानदंड इत्यादि से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए "भेषज शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन बोर्ड" के गठन की सिफारिश की।

(घ) भारत में भेषज शिक्षा/समग्र वृद्धि के लिए निम्नलिखित के संबंध में प्रस्तावति कार्रवाई का निर्देश दिया गया है:-

(1) स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर फर्मास्युटिकल, जैव-चिकित्सा, सामाजिक/व्यवहार्य/प्रशासनिक और नैदानिक विज्ञान में एक सुदृढ़ आधार।

(2) भेषज कार्यक्रमों, अनुसंधान और अन्य विद्धतापूर्ण क्रियाकलापों के परिणाम को आगे बढ़ाने के लिए संगठनात्मक ढांचा और संबंध स्थापित करना।

(3) मान्य विधियों द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए तंत्र को शुरू करना।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

2534. श्रीमती जे. शांताः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है और उसके निष्कर्ष के उपरान्त ही उक्त अधिनियम में संसोधन का निर्णय लिया जाएगा।

नौका जेट्टी

2535. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का केरल सहित विभिन्न पर्यटक स्थलों पर नौका जेट्टियों का पुनरूद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को नौका जेट्टियों के पुनरूद्धार के संबंध में केरल सहित विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उठाए गए हैं/प्रस्तावित किए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (घ) महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर नौका जेट्टियों सहित पर्यटन अवसंरचना का विकास और संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र(यूटी) प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ की गई चर्चा के आधार पर प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय को नौका जेट्टियों के पुनरूद्धार के लिए केरल से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्रभार में वृद्धि

2536. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छात्रावास में न रहने वाले (डे स्कॉलर) अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए अध्ययन दौरा प्रभार, थीसिस टंकण प्रभार, मुद्रण प्रभार, पत्राचार पाठ्यक्रम, पुस्तक मुद्रण प्रभारत में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) जी, हां।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 01.07.2010 से अनुसूचित जनजातीय (अनु.जन.) छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरें बढाई हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन दौरा प्रभार, थीसिस टंकण/मुद्रण प्रभार और पुस्तक अनुदान के संबंध में वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत अन्य भत्तों की संशोधित दरें। (01.07.2010 से लागू)

(रुपए में)

	मद	संशोधन पूर्व दरें	संशोधित दरें
1.	अध्ययन दौरा प्रभार (प्रतिवर्ष)	1000	1600
2.	थीसिस टंकण/मुद्रण प्रभार (प्रतिवर्ष)	1000	1600
3.	पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए पुस्तक अनुदान (प्रतिवर्ष)	750	1200

[हिन्दी]

आयकर प्रतिदाय

2537. श्री जय प्रकाश अग्रवालः
श्रीमती सुशीला सरोजः
श्रीमती उषा वर्माः
श्रीमती सीमा उपाध्यायः
श्री महेश्वर हजारीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज तक आयकर प्रतिदाय के रूप में और विलंब के कारण ब्याज के रूप में क्षेत्र-वार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया तथा विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ख) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संबंध में दावों की तुलना में किए गए प्रतिदाय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित प्रतिदाय दावों का ब्यौरा क्या है और ऐसे लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस पलानीमनिकम): (क) आयकर प्रतिदाय के लिए क्षेत्रवार डाटा अनुरक्षित नहीं किया जाता है। तथापि, प्रतिदाय उस पर अदा किए गए ब्याज के लिए अखिल भारतीय डाटा नीचे सारणी में दिया गया है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रतिदाय (करोड़ रुपये में)	प्रतिदाय पर अदा ब्याज (करोड़ रुपये में)
1.	2008-09	39097	5790
2.	2009-10	57251	6876
3.	2010-11	75160	9943*
4.	2011-12 (नवम्बर, 2011)	68994*	उपलब्ध नहीं

*अनन्तिम

निर्धारितियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 244क के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय ब्याज अदा किया जाता है जिसमें निर्धारित किया गया है कि ब्याज, कर निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से आय की विवरणी संसाधित करने की तारीख तक देय होता है। इस प्रकार, ब्याज का भुगतान, सभी मामलों में कम से कम निर्धारण के 1 अप्रैल से आय की विवरणी दायर करने की तारीख तक की अवधि में और इसके बाद, आय की विवरणी को संसाधित किए जाने तक अनिवार्य रूप से किया जाना होता है। आय की विवरणी के संसाधन को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाता है जिसमें इसे दायर किया गया था और ब्याज सहित प्रतिदाय, यदि देय पाया जाता है, जारी किया जाता है। तथापि, संसाधन में कई बार निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हो सकता हैः

1. आय विवरणी में निर्धारिती द्वारा पैन गलत उल्लेख।
2. निर्धारिती द्वारा आय विवरणी में पते को अस्पष्ट रूप से दर्ज करना।
3. निर्धारिती द्वारा कर-निर्धारण अधिकारी को नए/परिवर्तित पते के बारे में रिपोर्ट न करना।
4. बैंक खाते के बारे में गलत ब्यौरे देना।
5. डाटा के बेमेल होने के कारण अदा किए गए या काटे गए करों की जांच में कठिनाई।

(ख) संबंधित डाटा निम्न प्रकार हैः

(लाख में)

अप्रैल-सितम्बर, 2011 के दौरान संसाधित प्रतिदाय का दावा करने वाली आय विवरणियों की संख्या	45.42*
प्रतिदाय बैंकर योजना के जरिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया प्रतिदाय	45*

*अन्तिम

(ग) दिनांक 1.10.2011 की स्थिति के अनुसार प्रतिदाय का दावा करने वाली संसाधन के लिए लंबित आय विवरणियों की संख्या 19.41 लाख (अंनतिम) है। प्रतिदाय दावों को तुरंत जारी किए जाने के लिए आयकर विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. त्वरित संसाधन के लिए आयकर विवरणियों की ई-फाईलिंग को प्रोत्साहित करना।
2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को उन आय विवरणियों को प्राथमिकता आधार पर संसाधित करने के लिए मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं। जिनमें प्रतिदाय का दावा किया गया है।

3. पूरे देश की ई-फाइल की गई विवरणियों को और कर्नाटक और गोवा क्षेत्र की कागज पर दायर की गई विवरणियों को संसाधित करने के लिए बंगलूरू में केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र (सीपीसी) स्थापित किया गया है। बाकी देश में कागज पर दायर की गई विवरणियों का संसाधन करने के लिए ऐसे दो और केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

4. विभाग द्वारा जारी किए गए नागरिक घोषणा पत्र और अन्य प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए करदाताओं से आय विवरणी में प्रासंगिक ब्यौरों का सावधानीपूर्वक उल्लेख करने और जैसा कि ऊपर भाग (क) में उल्लेख किया गया है, विषेश रूप से आम गलतियों को न करने का अनुरोध किया जाता है।

5. स्रोत पर काटे जाने वाले कर के कटौतीकर्ताओं को तिमाही आधार पर अपने स्रोत काटे गए कर की विवरणियों को अनिवार्य रूप से ई-फाइल करना अपेक्षित है।

6. दायर टीडीएस की तिमाही विवरणी में कटौती करवाने वाले स्थायी लेखा संख्या उद्धृत करने को अनिवार्य बनाया गया है।

7. धारा 206-कक के तहत कटौतीकर्त्ताओं को कटौती करवाने वाले द्वारा अपना स्थायी लेखा संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिसके न होने पर अधिक दर पर कटौती की जाएगी।

8. करदाताओं को फार्म 26-कध में कर क्रेडिट विवरण को देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे अपनी आय विवरणी को प्रस्तुत करने से पहले टीडीएस विवरणों की जांच कर सकें और त्रुटियां, यदि कोई हो, का सुधार करने के लिए कटौतीकर्ताओं के साथ उचित कदम उठा सकें।

9. प्रतिदायों को शीघ्रता से जारी करने, उनका प्रेषण करने और डिलीवरी करने के लिए प्रतिदाय बैंकर स्कीम आरंभ की गई थी और अब इसे गैर-निगमित करदाताओं के लिए सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है।

[अनुवाद]

औषधियों की खरीद

2538. श्री जगदीश ठाकोरः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डी जी एस एंड डी) के माध्यम से मूल्य अनुबंध पर सभी औषधियों और दवाइयों की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मूल्य अनुबंध पर खरीदी जाने वाली औषधियों और दवाइयों के ब्यौरे को अंतिम रूप देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकिंग ओम्बड्समैन

2539. श्री प्रताप सिंह बाजवाः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग ओम्बड्समैन की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के विशेषकर पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों से इस योजना को कोई उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का बैंकिंग ओम्बड्समैन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैंकिंग ओम्बड्समैन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) बैंकिंग लोकपाल स्कीम के बारे में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जागरूकता लाने के लिए, देशभर में 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खुले हुए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के बारे में लागों को और अधिक जानकारी मिले, गहन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल विभिन्न प्रकार के जागरुकता अभियानों में भाग लेते हैं और अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत विभिन्न जिलों में बहुत से गावों का दौरा करते हैं। बैंकिंग लोकपाल कार्यालपों के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अन्य पहलों में शामिल हैं- राज्य के महत्वपूर्ण मेलों और उत्सवों में भाग लेना, ब्लॉक स्तर पर विभिन्न स्थानों में जनसाधारण से प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम करना, भारत सरकार द्वारा आरबीआई के आयोजित संगोष्ठियों में भाग लेना। बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों से वर्ष 2008-09 में प्राप्त शिकायतों की संख्या 13915 थी जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर 25055 हो गई लेकिन, बाद में वर्ष 2010-11 में यह संख्या घटकर 7818 रह गई। हालांकि, बैंकिंग लोकपाल के चण्डीगड़ स्थित कार्यालय में पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों से 2009-10 में 446 शिकायतें प्राप्त हुईं जो 2010-11 में बढ़कर 477 हो गई।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, बैकिंग लोकपाल स्कीम बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत अधिसूचित की जाती है और यह एक वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र है जो वैकल्पिक एवं स्वैच्छिक है। बैंकिंग लोकपाल स्कीम बैंकिंग लोकपाल की शक्ति और क्षेत्राधिकार का सुस्पष्ट निर्धारण करता है और इसका भारतीय रिजर्व बैंक के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचालन किया जाता है जिनके पास अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों के भीतर शिकायतों का न्यायनिर्णयन करने की पूर्ण प्रकार्यात्मक एवं परिचालनगत स्वतंत्रता होती है। स्कीम को कारगर एवं पारदर्शी बनाने को ध्यान में रखकर अपील की सुविधा भी दी गई और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर को अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। समानता के सिद्धान्त को ध्यान में रखकर अपील का अधिकार बैंक के साथ-साथ ग्राहकों को भी दिया गया है।

स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए मानदण्ड

2540. श्री सुरेश कुमार शेटकरः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार/बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा पालिसीधारकों की ओर से उनके स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को बदलने के संबंध में नए मानदण्ड तैयार किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मानदण्ड पालिसीधारकों के लिए किस प्रकार सहायक होंगे;

(घ) क्या इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय ली गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी राय को किस सीमा तक शामिल किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) और (ख) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने जीवनेतर बीमा कंपनियों के बीच स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की 01.10.2011 से सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 9.9.2011 के परिपत्र के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य बीमा पालिसीधारक उक्त परिपत्र के आधार पर नवीकरण के समय, निम्नलिखित का चयन कर सकते हैं-

(i) एक बीमा कंपनी से अपनी पसन्द बीमा कंपनी; अथवा

(ii) उसी बीमा कंपनी की एक बीमा योजना से दूसरी बीमा योजना।

इस प्रक्रिया के द्वारा, पालिसीधारक को पूर्व विद्यमान शर्तों के लिए प्रतीक्षा अवधि, समयबद्ध अपवर्जन, आदि के लिए अर्जित जमाओं की हानि नहीं होगी।

(ग) स्वास्थ्य बीमा पालिसीधारक अपनी पालिसियों के नवीकरण के समय इसी प्रकार के उत्पाद हेतु किसी अन्य बीमा कंपनी का चयन विद्यमान कंपनी में नवीकरण होने की स्थिति में अर्जित जमा की हानि के बिना कर सकता है, यदि वह किसी कारणवश वर्तमान बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं है। ऐसा पहले नहीं होता था क्योंकि बीमा कंपनी अथावा योजना में परिवर्तन होने से इन जमाओं की हानि हो जाती थी और पालिसियां नई पालिसियों की तरह प्रारम्भ होती थी, जिसमें नए सिरे से अब तक की सीमाएं होती हैं।

इस प्रकार 'सुवाह्यता' सभी बीमा कंपनियों के लिए समान अवसर क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है तथा ग्राहक उत्पादों एवं कंपनियों के चयन एवं इनके लाभ की तुलना कर सकता है। आईआरडीए ने एक सुवाह्यता पोर्टल भी प्रदान किया है जिससे बीमा कंपनियों के बीच आंकड़ों का अंतरण आसान हो गया है।

(घ) और (ङ) आईआरडीए द्वारा दिनांक 9.9.2011 के सुवाहयता परिपत्र को तैयार करते समय साधारण बीमा परिषद तथा जीवन बीमा परिषद द्वारा दिए गए विचार ध्यान में रखे गए थे।

पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण

2541. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बजट का क्या प्रावधान है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई;

(ग) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आज तक कम्प्यूटरीकृत की जा चुकी/की जाने वाली ग्राम पंचायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उपाय के कार्यान्वयन और प्रभावकारिता की समीक्षा करने के लिए कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(च) क्या पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए परिव्यय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (छ) पंचायती राज मंत्रालय ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्यों को निधियां प्रदान नहीं करता है। तथापि, पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेस कार्यक्रम (एनईजीपी) के अंतर्गत पंचायतों में ई-गवर्नेस के कार्यान्वियन के लिए "ई-पंचायत मिशन मोड (एमएमपी) परियोजना" नामक एक परियोजना तैयार की है। परियोजना की सहायता से पंचायती राज संस्थाएं बेहतर नियोजन एवं लेखाकरण प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग कार्य कर पाएंगी। इससे पंचायती राज संस्थाओं में अधिकाधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायिता लाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

किशोर सुधार गृहों में बच्चों का शोषण

2542. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न किशोर सुधार गृहों के बंदियों का अक्सर यौन शोषण किए जाने और उन्हें अन्य यातनाएं दिए जाने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले जानकारी में आए हैं; और

(ग) चूककर्त्ता अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा समय-समय पर किए गए दौरों तथा राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग को प्राप्त शिकायतों के माध्यम से बच्चों के शोषण एवं दुर्व्यवहार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान तथा मौजूदा वर्ष में अभी तक राष्ट्रीय बालक संरक्षण आयोग द्वारा निपटायी की गई शिकायतों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ऐसी शिकायतों को उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने के लिए निर्देशों के साथ संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विभिन्न किशोर गृहों की निपटान की गई शिकायतों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (30.11.2011 तक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4.	असम	0	0	0	0	0
5.	बिहार	0	0	0	1	1
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	1	2	3	1	7
11.	गोवा	0	1	0	0	1
12.	गुजरात	0	0	0	0	0
13.	हरियाणा	0	0	1	0	1
14.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	2
15.	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	1
16.	झारखंड	0	1	0	0	1
17.	कर्नाटक	1	0	0	0	1
18.	केरल	0	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	2	0	1	0	3
21.	महाराष्ट्र	3	1	1	0	5
22.	मणिपुर	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	0	4	3	1	8
27.	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0
28.	पंजाब	0	1	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7
29.	राजस्थान	0	0	2	1	3
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	1	1	1	3
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	2	1	1	3	7
34.	उत्तरखंड	0	0	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
	कुल	10	14	14	9	47

पैनलबद्ध निजी अस्पताल

2543. श्री सुशील कुमार सिंहः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सेवा योजना (सीजीएचएस) लाभार्थियों के लिए उपचार पाने हेतु निजी अस्पतालों को पैनलबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीजीएचएस पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार के लिए खर्च की गई धनराशि की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की जाती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों सहित सीजीएचएस लाभार्थियों द्वारा निजी अस्पतालों में उपचार कराने और विदेश में भी उपचार कराने के लिए खर्च की गई समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति करती है;

(ङ) यदि हां, तो सीजीएचएस लाभार्थी द्वारा सीजीएचएस मान्यताप्राप्त निजी अस्पतालों से अपने उपचार पर खर्च की गई संपूर्ण धनराशि की प्रतिपूर्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) सीजीएचएस, दिल्ली के पास प्रतिपूर्ति के लिए लंबित पेंशनभागियों के चिकित्सा दावों का जोन वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा दावों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) ने देश भर के विभिन्न सी जी एच एस नगरों में 469 निजी अस्पतालों तथा 129 नैदानिक केन्द्रों को पैनलबद्ध किया है। ऐसे निजी अस्पतालों तथा नैदानिक केन्द्रों कीह सूची सी जी एच एस की वेबसाइट www. msotranparent. nic.in/cghs/index.asp पर उपलब्ध है।

(ग) निजी पैनलबद्ध अस्पतालों को संविदात्मक दायित्व के अंतर्गत सी जी एच एस लाभार्थियों को पूर्व निर्धारित परस्पर सम्मत पैकेज दरों पर चिकित्सीय उपचार प्रदान करना होता है। तथापि कुछ सुपात्र मामलों में स्थायी तकनीकी समिति जो प्रत्येक मामले की इसके गुणावगुणों के आधार पर जांच करती है, के अनुमोदन से निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण प्रतिपूर्ति की भी अनुमति है।

(घ) सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार मंत्रियों एवं पूर्व मंत्रियों सहित सी जी एच एस लाभार्थियों द्वारा किए गए चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। तथापि, विदेश में लिए गए चिकित्सीय उपचार पर किए गए खर्चों पर केन्द्रीय सेवा(चिकित्सीय परिचर्या) नियमावली, 1994 के तहत वर्तमान सांसदों, वर्तमान मंत्रियों तथा केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों के ही मामले में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में स्थायी समिति के अनुमोदन से विचार किया जाता है।

(ङ) सी जी एच एस लाभार्थियों को किसी सी जी एच एस के पैनलबद्ध निजी अस्पतालों जो अनुमोदित पैकेज दरों पर ही बिल प्रस्तुत करता है, में किए गए चिकित्सीय व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति के पात्र होते हैं। तथापि, कुछ पात्र मामलों में स्थायी तकनीकी समिति जो प्रत्येक मामले की इसके गुणावगुणों के आधार पर जांच करता है, के अनुमोदन से निर्धारित मानदंडों के अनुसार पूर्ण प्रतिपूर्ति की भी अनुमति है।

(च) चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के लंबित मामलों का अंचलवार ब्यौरा निम्नलिखित है: पूर्वी अंचल-115, मध्य अंचल-86 उत्तरी अंचल-237, दक्षिणी अंचल-221।

दावों का निपटान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमः-

1) दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को और अधिक सुप्रवाही बनाने हेतु विस्तृत अनुदेश एवं दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2) नियमित रूप से दावा अदालतों एवं दावा दिवसों का आयोजन करना,

3) उच्चतर स्तरों पर विचाराधीनता की स्थिति की नियमित मानीटरिंग,

4) बिल पास करने के लिए अपेक्षित निधियां प्रदान करने हेतु नए बजट का पुन अबिंटन।

5) लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के शीघ्र निपटान के लिए अधिक जनशक्ति की तैनाती।

6) सी जी एच एस अधिकारियों की वित्तीय शक्ति का संवर्धित प्रत्यायोजन।

[हिन्दी]

सीमाशुल्क अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें

2544. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर तैनात सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विशेष रूप से विदेशी राजनयिकों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ग) भविष्य में सीमाशुल्क कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अनुचित उत्पीड़न की घटनाओं को टालने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) सीमाशुल्क के अधिकारियों के विरूद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान (30.11.2011 तक) विदेशी राजनयिकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान (30.11.2011 तक) दूसरे विदेशी राष्ट्रिकों से 8 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, शिकायतें और की गई कार्रवाई निम्नानुसार हैः-

वर्ष	यात्री का नाम (सुश्री/श्री/कु.) और का नागरिक (देश)	निम्न हवाई-पत्तन पर शिकायत	विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
2008			
	अब्दुल सत्तार (अफगानिस्तान)	आईजीआई हवाई पत्तन, नई दिल्ली	आवश्यक जांच की गई थी और शिकायतकर्ता से सम्पर्क भी किया गया था। तथापि, शिकायत विशिष्ट नहीं होने के कारण कार्रवाई नहीं जा सकी।
2009			
	ज्ञान एस. थिंड (कनाडा)	आईजीआई, हवाई पत्तन, नई दिल्ली	शिकायत, दुर्व्यवहार के बारे में थी, तथापि, शिकायतकर्ता शामिल अधिकारियों के नाम और पदनाम नहीं दे पाया था।

1	2	3	4
	सैमुअल लिआंग (सिंगापुर)	आईजीआई, हवाई पत्तन, नई दिल्ली	शिकायतकर्ता ने पूरी जानकारी, जैसे कि ई-मेल पता, फ्लाइट नं., पहुंचने का सही समय आदि उपलब्ध नहीं कराया था। इस प्रकार मामले पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।
2010			
	नौनचान पिएनतान (थाईलैंड)	गया हवाई पत्तन	यात्री द्वारा अप्रवासन और सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा धन की मांग करने का आरोप लगाया गया था। जांच की गई थी। शिकायत को सीमाशुल्क अधिकारियों के विरूद्ध किसी साक्ष्य के बगैर गैर-विशिष्ट एवं अस्पष्ट पाया गया था। इसलिए शिकायत को बंद कर दिया गया था।
	एल.एच.विसांजी [यू के.(लंदन)]	आईजीआई, हवाई पत्तन, नई दिल्ली	शिकायत गलत प्रतीत होती है तथा सीमाशुल्क से संबंधित नहीं है। आवश्यक उत्तर उच्च आयोग को भेज दिया गया है।
	जॉनी क्राउस [यू के.(लंदन)]	आईजीआई हवाई पत्तन, नई दिल्ली	संबंधित अधिकारी श्री जोगिन्दर सिंह मोर, हवाई सीमाशुल्क अधीक्षक को उसके मूल आयुक्तालय विशाखापटनम, सीमाशुल्क को वापस भेजा था, जहां उसे निलंबित किया गया था।
2011 वर्तमान वर्ष के दौरान (30.11.2011 तक)			
	रिचर्ड गेरी रॉजर (युनाइटिड किंगडम)	मुम्बई	यात्री ने आरोप लगाया कि एक सीमाशुल्क अधिकारी ने वाणिज्यिक माल की निकासी के लिए धन की मांग की और एटीएम से धन निकालने में उसकी सहायता की। जांच शुरू की गई है और संबंधित अधिकारी को गैर-संवेदनशील स्थान पर स्थानांतरित किया गया है।
	मीरा हसन एरा अहमद (यू.एस.ए.)	मुम्बई	यात्री ने आरोप लगाया कि सीमाशुल्क अधिकारी ने वाणिज्यक माल की निकासी के लिए धन की मांग की तथा उसकी ओर से दूसरे अधिकारी ने घूस ली। जांच शुरू की गई है और संबंधित अधिकारियों को गैर-संवेदनशील स्थान में स्थानांतरित किया गया है।

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपाय गए हैं:

1. यात्रियों के उत्पीड़न के संबंध में, जिसमें विदेशी राजनयिक/राष्ट्रिक शामिल हैं, सीमाशुल्क अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त हुई किसी शिकायत की सख्ती से जांच की जाती है और जांच के बाद कार्रवाई की जाती है।

2. हवाईपत्तन पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक अनुरोध जारी किए जाते हैं कि वे पारदर्शी तरीके से कार्य और जनता को असंतुष्ट एवं उत्पीड़ित किए बगैर प्रभावी एवं दक्ष सेवा मुहैया कराएं।

3. अधिकारियों को समय-समय पर जनता के उत्पीड़न के विरूद्ध अथवा भ्रष्ट पद्धतियों को अपनाने के विरूद्ध

चेतावनी दी जाती है। गलती करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त एवं त्वरित कार्रवाई की जाती है।

4. जनता को, सार्वजनिक सूचनाएं जारी करके और सीमाशुल्क को उच्च/पर्यवेक्षकीय अधिकारियों के संपर्क ब्यौरों, जैसे कि नाम, फोन नम्बर, ई-मेल पते आदि को हवाई पत्तन के प्रत्येक संगत बिंदु पर प्रदर्शित करके उन्हें जानकार बनाया जा रहा है ताकि सीमाशुल्क अधिकारियों से डील करते समय उनके द्वारा पेश आई किसी असुविधा को शीघ्रता से निपटाया जा सके।

पर्यटन क्षेत्र के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक सहायता

2545. श्री जगदीश सिंह राणाः क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई हैः

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभार्थी राज्यों के नाम क्या हैं और आज की स्थिति के अनुसार उनके द्वारा पर्यटक स्थलों के विकास के लिए उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक ने पर्यटन सेक्टर के विकास के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की है। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की है;

* एडीबी ने नवम्बर, 2009 में (4 अक्टूबर, 2010 को हस्ताक्षरित) दक्षिण एशिया पर्यटन अवसंरचना विकास परियोजना (सिक्किम) के लिए 20 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण को स्वीकृत किया। 30 नवम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार परियोजना के अंतर्गत कोई संवितरण नहीं किया गया है।

* एडीबी ने हिमाचल प्रदेश (66.61 मिलियन डॉलर), पंजाब (61.98 मिलियन डॉलर), तमिलनाडु (59.79 मिलियन डॉलर) और उत्तराखंड (61.62 मिलियन डॉलर) राज्यों में नीति सुधारों की सहायता और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत स्थलों के आस-पास पर्यटन अवसंरचना और सेवाओं का उन्नयन करने के उद्देश्य से पर्यटन हेतु अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम के लिए सितम्बर, 2010 में 250 मिलियन यूएस डॉलर मल्टी-ट्रांस फासेलिटी (एमएफएफ) स्वीकृत की है।

* 20 जुलाई, 2010 को हिमाचल प्रदेश (23.10 मिलियन डॉलर) और पंजाब (20.32 मिलियन डॉलर) को कवर करते हुए ट्रांस-1 के अंतर्गत कोई संवितरण नहीं किया गया।

* 23 नवम्बर, 2011 को तमिलनाडु (20.56 मिलियन डॉलर) और उत्तराखंड (23.28 मिलियन डॉलर) को कवर करते हुए ट्रांस-2 के लिए ऋण करार के लिए एडीबी के साथ वार्ता की गई।

[अनुवाद]

बायोगैस का विकास

2546. श्री रवनीत सिंहः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी मात्रा में बायोगैस का उत्पादन किया गया;

(ख) उत्पादन में पिछड़ने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक बायोगैस संयंत्र कार्य नहीं कर रहे है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बायोगैस संयंत्रों में नई व्यवहार्य प्रौद्योगिकी अपना कर उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 31 मार्च, 2011 तक संस्थापित लगभग 4.68 लाख बायोगैस संयंत्रों से प्रतिदिन 9.36 लाख घनमीटर बायोगैस का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के 6.47 लाख बायोगैस संयंत्रों के लक्ष्य की तुलना में 31 मार्च, 2011 तक 4.68 लाख बायोगैस संयंत्रों की सथापना पहले ही की जा चुकी है। वर्ष 2011-12 के लिए

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1.52 लाख बायोगैस संयंत्रों का लक्ष्य आबंटित किया गया है। इस प्रकार योजना के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई बड़ी कमी नहीं होगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) एमएनआरई द्वारा बायोगैस संयंत्रों की कार्यशीलता पर नियमित रूप से मूल्यांकन अध्ययन कराए जाते हैं। एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान किए गए नवीनतम मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए बायोगैस संयंत्रों में से 95.80% संयंत्रों को कार्यशील पाया गया। शेष बायोगैस संयंत्रों के कार्य न करने के प्रमुख कारणों में पशु गोबर की अनुपलब्धता, लाभार्थी के आवास का बदला जाना, त्रुटिपूर्ण निर्माण और संयंत्रों की समुचित फीडिंग एवं प्रचालन के प्रति लाभार्थियों की उदासीनता शामिल हैं।

(ङ) बायोगैस संयंत्रों से उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से बायोगैस संयंत्रों के सुगमतापूर्वक निर्माण एवं संस्थापना के लिए प्री-फैब्रिकेटिड आधारित अभिनव मॉडलों को बढ़ावा दिया गया है। बायोगैस संयंत्रों के लिए नए मॉडलों एवं अभिनव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 13 क्षेत्रीय बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों (31 मार्च, 2011 तक) के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के तहत संस्थापित पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धियां			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10195	10825	13699	16275
2.	अरुणाचल प्रदेश	100	250	162	175
3.	असम	2500	7500	10450	6732
4.	बिहार	-	200	200	350
5.	गोवा	21	34	31	18
6.	गुजरात	7801	5842	10556	6105
7.	हरियाणा	1034	1347	1422	1386
8.	हिमाचल प्रदेश	151	246	245	445
9.	जम्मू और कश्मीर	-	72	155	114
10.	कर्नाटक	2433	7822	10323	14464
11.	केरल	2144	5151	4085	3941
12.	मध्य प्रदेश	7042	14077	15114	16742
13.	महाराष्ट्र	15066	15461	11235	21456

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	-	-	-	-
15.	मेघालय	200	725	825	1275
16.	मिजोरम	100	100	50	100
17.	नागालैंड	131	425	605	1171
18.	ओडिशा	3895	2332	5296	6050
19.	पंजाब	3000	9695	7250	23700
20.	राजस्थान	-	92	176	275
21.	सिक्किम	172	447	555	358
22.	तमिलनाडु	1223	1761	1740	1493
23.	त्रिपुरा	-	159	47	89
24.	उत्तर प्रदेश	2856	2019	3252	4603
25.	पश्चिम बंगाल	11000	16300	16748	17000
26.	दिल्ली	-	1	-	1
27.	पुडुचेरी	-	-	5	-
28.	छत्तीसगढ़	2095	3118	3433	3832
29.	झारखंड	186	824	1030	913
30.	उत्तराखण्ड	370	1104	1225	2082
31.	केवीआईसी एवं अन्य	15125	#	#	#
	कुल	88840	107929	119914	151138

राज्यों में वितरित और संबंधित कॉलम में शामिल केवीआईसी की उपलब्धियां

11वीं योजना के प्रथम चार वर्ष के दौरान संस्थापित संचयी बायोगैस संयंत्र = 4,64,821

प्रतिदिन कुल बायोगैस उत्पादन = 4,67,821 X 2= 9,35,642 घनमीटर प्रतिदिन

[हिन्दी]

बैंक शाखाएं खोलने के लिए मानदंड

2547. श्री वीरेन्द्र कश्यपः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने के मानदंडों में कोई रियायत मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश

सहित देश के विभिन्न राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक बैंक की कितनी शाखाएं खोली गईं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) बैंक खोलने के संबंध मे भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को यह छूट दी गई है कि वे अपने विवेकानुसार शाखाएं खोलने के लिए जगह तय कर सकते हैं और ऐसा करते समय बैंक को अन्य पहलुओं के साथ-साथ व्यवहार्यता लाभप्रदता और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखना होगा। भारतीय रिर्जव बैंक की मौजूदा शाखा प्राधिकार के अनुसार घरेलू अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों को (आरआरबी के अलावा) रिपोर्टिंग के अध्यधीन (1) टीयर 2 से टीयर 6 केन्द्रों (99,999 तक की जनसंख्या वाले) तथा (2) पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी तथा शहरी केन्द्रो में शाखाएं/मोबाईल शाखाएं/प्रशानिक कार्यालय/सीपीसी (सेवा शाखाएं) खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। बैंकिंग नेटवर्क का आगे और अधिक विस्तार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना तैयार करते समय बैंकों को वर्ष के दौरान खोले जाने वाली प्रस्तावित कुल शाखाओं का कम से कम 25 प्रतिशत बैंकरहित ग्रामीण (टीयर 5 और 6) केन्द्रों में आबंटित करना चाहिए।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में खोली गई बैंक शाखाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (30 सितम्बर, 2011 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		3	2	
2.	आंध्र प्रदेश	369	479	454	121
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	4	7	
4.	असम	55	69	63	10
5.	बिहार	131	221	175	59
6.	चंडीगढ़	13	13	10	2
7.	छत्तीसगढ़	73	88	85	21
8.	दादरा एवं नगर हवेली	3	4	7	1
9.	दमन एवं दीव		2	4	4
10.	दिल्ली	168	165	179	40
11.	गोवा	17	21	28	10
12.	गुजरात	198	302	316	73
13.	हरियाणा	149	236	252	49
14.	हिमाचल प्रदेश	53	65	54	15

1	2	3	4	5	6
15.	जम्मू और कश्मीर	25	29	34	14
16.	झारखंड	92	101	112	27
17.	कर्नाटक	264	356	241	60
18.	केरल	138	230	245	48
19.	लक्षद्वीप	1	1		
20.	मध्य प्रदेश	211	218	185	54
21.	महाराष्ट्र	444	458	479	129
22.	मणिपुर	5		3	
23.	मेघालय	12	8	7	2
24.	मिजोरम	3	4	2	1
25.	नागालैंड	4	4	7	1
26.	ओडिशा	120	159	162	30
27.	पुडुचेरी	21	15	11	2
28.	पंजाब	155	247	335	78
29.	राजस्थान	134	187	273	80
30.	सिक्किम	1	5	6	1
31.	तमिलनाडु	367	391	345	111
32.	त्रिपुरा	12	16	8	
33.	उत्तर प्रदेश	474	614	532	146
34.	उत्तराखंड	55	95	80	21
35.	पश्चिम बंगाल	164	255	205	66
	सकल योग	3934	5065	4908	1275

स्रोतः डीएसआईएम आरबीआई

[अनुवाद]

सरकारी बैंकों का पूंजीकरण

2548. श्री असादूद्दीन ओवेसीः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार बाजार पूंजीकरण कितना है;

(ख) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के बाजार पूंजीकरण में भारी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या भावी योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) 07 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) में सूचीबद्ध सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बाजार पूंजी नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	श्रेणी	07 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार बाजार पूंजीकरण (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1.	आईडीबीआई बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	9,599.56
2.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	5,677.03
3.	जम्मू व कश्मीर बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	3,734.49
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2,213.47
5.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2,443.35
6.	इलाहाबाद बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	7,850.41
7.	आन्ध्रा बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	5,534.25
8.	बैंक आफ बड़ौदा	सरकारी क्षेत्र के बैंक	28,999.86
9.	बैंक आफ इंडिया	सरकारी क्षेत्र के बैंक	18,768.87
10.	केनरा बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	20,032.46
11.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	सरकारी क्षेत्र के बैंक	5,984.34
12.	कार्पोरेशन बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	5,238.71
13.	देना बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2,202.03
14.	इंडियन बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	8,662.01
15.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	सरकारी क्षेत्र के बैंक	8,124.09
16.	पंजाब एंड सिंध बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	1,534.63
17.	पंजाब नेशनल बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	29,178.40
18.	भारतीय स्टेट बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	123,532.82
19.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2,297.18
20.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2,641.75

1	2	3	4
21.	सिंडिकेट बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	5,881.91
22.	यूको बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	4,019.25
23.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	सरकारी क्षेत्र के बैंक	11,611.34
24.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2,092.36
25.	विजया बैंक	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2,585.49
26.	ऐक्सिस बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	42,880.50
27.	सिटी यूनियन बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	1,786.10
28.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	800.22
29.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	464.42
30.	फेडरल बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	6,792.82
31.	एचडीएफसीआई बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	109,261.77
32.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	88,475.97
33.	इंडसइंड बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	12,295.75
34.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	4,701.00
35.	करूर वैश्य बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	4,129.06
36.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	36,372.25
37.	कर्नाटक बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	1,499.30
38.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	851.25
39.	साउथ इंडियन बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2,486.25
40.	यस बैंक लि.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	10,424.48

स्त्रोतः राष्ट्रीय शेयर बाजार

(ख) एनएसई में सूचीबद्ध 25 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बाजार पूंजी 320,440 करोड़ रुपए है तथा 15 गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बाजार पूंजी 323,221 करोड़ रुपए है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बाजार पूंजी की सीमा काफी व्यापक है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक और पंजाग एंड सिंध बैंक की बाजार पूंजी क्रमशः 123,533 करोड़ रूपए और 1,535 करोड़ रुपए के बीच रही जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एचडीएफसी और धनलक्ष्मी बैंक लि. की बाजार पूंजी क्रमशः 109,262 करोड़ रुपए और 464 करोड़ रुपए के बीच रही।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंको की कुल बाजार पूंजी एक ही श्रेणी में है।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा में निजी निवेश

2549. श्री देवजी एम. पटेलः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित देश में पवन ऊर्जा क्षेत्र में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना निजी निवेश किया गया और उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया गया; और

(ख) पवन चक्कियों द्वारा किए जाने वाले ध्वनी प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) देश में निजी निवेश के माध्यम से पवन विद्युत परियोजनाएं संस्थापित की जाती हैं। गत तीन वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में अक्टूबर, 2011 तक लगभग 38093 करोड़ रु. के निजी क्षेत्र निवेश के साथ देश में 6926 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता संस्थापित की गई है। इनमें से राजस्थान राज्य में लगभग 6743 करोड़ रु. का निवेश किया गया है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसी अवधि के दौरान उत्पादित पवन ऊर्जा की मात्रा लगभग 64 बिलियन यूनिट है।

(ख) मंत्रालय को पवन मिलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

विवरण

राज्य-वार पवन मिलो की संस्थापना की तुलना में निवेश (अप्रैल 2008-अक्टूबर 2011)

राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	निजी क्षेत्र निवेश* (करोड़ रूपए में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	90	495
गुजरात	1243	6836
कर्नाटक	837	4603
केरल	25	137
मध्य प्रदेश	88	484
महाराष्ट्र	726	3993
राजस्थान	1226	6743
तमिलनाडु	2692	14806

*पवन विद्युत परियोजनाओं के प्रति मेगावाट संस्थापना हेतु लगभग 5.5 करोड़ रु. का निवेश किया गया है।

[अनुवाद]

आईडीएफएस के लिए मानदण्ड

2550. श्री सी. शिवासामीः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अवसंरचना ऋण निधियों (आईडीएफएस) की स्थापना की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश/मानदण्ड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिवर्ज बैंक (आरबीआई) ने कुछ शर्तों के अध्यधीन अवसंरचना ऋण निधियां (आईडीएफ) प्रायोजित करने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) हेतु दिनांक 21.11.2011 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये शर्तें हैं- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से आईडीएफ-म्युचुअल फंड(एमएफ) तथा आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए प्रयोजक के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी, आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए प्रायोजक के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी, आईडीएफ-एनबीएफसी के प्रयोजक के रूप में कार्य करने वाले बैंक आईडीएफ-एनबीएफसी के 30 प्रतिशत की न्यूनतम तथा 49 प्रतिशत की अधिकतम इक्विटी का अंशदान करेंगे और किसी बैंक द्वारा एकल आईडीएफ-एमएफ तथा एनबीएफसी की 'इक्विटी' में किसी बैंक द्वारा किया गया निवेश बैंक की चुकता शेयर पूंजी तथा आरक्षित के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए आदि शमिल हैं।

एनबीएफसी के संदर्भ में भी समान दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, म्युचुअल फंड तथा एनबीएफसी के रूप में निर्धारित किए जाने वाले आईडीएफ को प्रायोजित करने के एनबीएफसी के लिए निर्धारित विनियामकीय ढांचे का प्रावधान है। ऐसी कंपनियां 'अवसंरचना ऋण निधि-म्युचुअल निधि (आईडीएफ-एमएफ)' तथा 'अवसंरचना' ऋण निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी)' के रूप में पदनामित होंगी। आरबीआई में पंजीकृत अवसंरचना वित्त कंपनियां सहित सभी एनबीएफसी म्युचुअल फंड के रूप में निर्धारित किए जाने हेतु आईडीएफ को प्रायोजित कर सकती हैं।

(ग) और (घ) आरबीआई को कुछ बैकों से आईडीएफ में इक्विटी हिस्सेदारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आरबीआई ऐसे प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले की मेरिट के आधार पर जांच करता है।

अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालना

2551. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों (पीएसबी) ने बड़ी मात्रा में धनराशि को अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्थावर सम्पदा क्षेत्र को इस कदम से भारी लाभ हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैकों (पीएसबी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09-2009-10 तथा 2010-11 के दौरान बट्टे खाते डाली गई अनुपयोज्य आस्तियों (समझौता सहित) का बैंक-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान पीएसबी द्वारा बट्टे खाते डाली गई राशि में हुई वृद्धि क्रमशः 54.8% एवं 57.7% दर्ज की गई थी।

(रुपए करोड़ में)

बैंक का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	बैंक का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
इलाहाबाद बैंक	331	750	720	पंजाब नेशननल बैंक	466	853	1,592
आन्ध्रा बैंक	125	236	179	सिंडिकेट बैंक	409	419	351
बैंक आफ बड़ौदा	405	515	501	यूको बैंक	103	371	586
बैंक आफ इंडिया	384	744	880	यूनियन बैंक आफ इंडिया	366	513	1,126
बैंक आफ महाराष्ट्र	172	236	350	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	156	174	415
केनरा बैंक	272	884	495	विजया बैंक	78	479	313
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	359	294	554	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	46	23	166
कार्पोरेशन बैंक	129	267	543	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	63	71	202
देना बैंक	247	185	233	भारतीय स्टेट बैंक	1,896	1,990	4,007

1	2	3	4	5	6	7	8
आईडीबीआई बैंक लि.	198	477	884	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	80	57	-
इंडियन बैंक	49	388	590	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	50	20	311
इण्डियन ओवरसीज बैंक	233	389	971	स्टेट बैंक आफ मैसूर	84	41	410
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	248	389	696	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	86	124	152
पंजाब एंड सिंध बैंक	48	81	66	सभी पीएसबी	7,084	10,966	17,292

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) से (छ) बैंक साधारणतया निम्नलिखित कारणों से अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालते आ रहे हैं:-

- यदि ऋण सामान्यतया बहुत लम्बी अवधि से बकाया हैं।
- वसूली की संभावना बहुत कम है।
- अनुपयोज्य आस्तियां कम करना।
- ऋण समावेश (कवर) के लिए कोई भौतिक/वसूली योग्य ऋणाधार नहीं है।
- कानूनी कार्रवाई में बहुत लम्बा समय लगता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको को यह सलाह दी थी कि देयराशियों की वसूली के लिए संभव उपाय किए जाने चाहिए और यदि भविष्य में ऋणों की वसूली की कोई संभावना न हो, तो बैंक के व्यापक हित में ऐसे ऋण को बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया जाए, बशर्ते यदि निर्णय बैंकों के जो बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित सुरक्षाओं/शर्तों एवं रिपोर्टिंग प्रणाली के अध्यधीन लिया गया हो।

[हिन्दी]

नया कंपनी अधिनियम

2552. श्री आधिशंकरः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक नया कंपनी अधिनियम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिनियम का प्रारूप कब तक तैयारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी विधेयक 2011 तैयार कर लिया गया है तथा दिनांक 24.11.2011 को इसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं

2553. श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्रीमती जे. शांताः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पर्यावरणीय और अन्य स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उनकी अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हैं;

(ख) क्या विद्युत परियोजना के विकासकर्ताओं के समक्ष स्वीकृत परियोजनाओं हेतु कच्ची सामग्री खरीदने में परेशानियां आ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं हेतु पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियम के साथ ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए सीईए की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं

होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2008-09 से 2010-11 तक तथा चालू वर्ष में आज तक कुल 11760 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की कुल 21 जल विद्युत परियोजनाओं को सीईए द्वारा सहमति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से, 4 परियोजनाओं अर्थात सैंज, सिगोली भटवारी, इंदिरा सागर (पोलावरम) तथा पानन को अब तक पर्यावरण एवं वन संबंधी सहमति दी गई है। 21 जल विद्युत परियोजनाओं के (राज्यवार) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक कुल 1,54,174 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी सहमति दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) और (ग) ताप विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को ईधन आपूर्ति की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही है क्योंकि घरेलू स्त्रोतों से कोयले की उपलब्धता में कमी होने के कारण कोयला कंपनियां कोयले की अपेक्षित मात्रा हेतु ईधन आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं हो रही है। घरेलू स्त्रोतों से गैस की आपूर्ति भी कम है तथा पहले से ही निर्माणाधीन बहुत से विद्युत संयंत्रों को गैस लिंकेज आबंटन अभी प्राप्त होना है।

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं-

- मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में अवसंरचना अवरोध समीक्षा समिति देश में कोयले के उत्पादन तथा ताप विद्युत हेतु आपूर्ति की स्थिति की प्रत्येक माह समीक्षा करती है।
- कोयला मंत्रालय से देश में घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए आग्रह किया जा रहा है।
- समुद्रपारीय खनन तथा कोयले के आयात हेतु दीर्घकालिक व्यवस्था करने की संभावना तलाशना।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय गैस क्षेत्र/कुओं से प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

  पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नव समन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत देश के विभिन्न सेडीमैटरी बेसिनों में समन्वेषण एवं उत्पादन (ई एंड पी) कार्यकलापों के द्वारा घरेलू संसाधनों से गैस की उपलब्धता बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में गैस के आयात को प्रोत्साहित कर रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाईन परियोजनाओं के माध्यम से गैस के आयात हेतु प्रयत्न भी कर रहा है।
- सरकार उन अग्रणी प्रौद्योगिकियों का विकास करने में निजी उद्यमियों द्वारा भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूजीसीसी) तथा कोयला तरलीकरण और निवेश किए जाने को प्रोत्साहित कर रही है।
- हाइड्रेट कार्यक्रम के मूल्यांकन तथा उनके संभावित व्यावसायिक दोहन हेतु प्राकृतिक गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) का कार्यान्वयन।

विवरण I

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीईए द्वारा सहमत की गई/मूल्यांकन की गई जल विद्युत स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें

क्र.स.	स्कीमें/सेक्टर/एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति की तारीख
1	2	3	4
	हिमाचल प्रदेश		
1.	कुठेर निजी/जेएसडब्ल्यूईपीएल	3x80 = 240	31.08.2010
2.	सैंज राज्य/एचपीपीसीएल	2x50 = 100	29.12.2010
3.	बजोली होली निजी/जीएमआर	3x60 = 180	सहमति बैठक 9.9.11 को पत्र शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा

1	2	3	4
	जम्मू व कश्मीर		
4.	बगलीहार चरण-II राज्य/जेकेपीडीसी	3x150 = 450	29.12.2010
	उत्तराखण्ड		
5.	सिंगोली भटवारी निजी/एल एंड टी	3x33 = 99	11.07.2008
6.	अलकनंदा निजी/जीएमआर	3x100 = 300	08.08.2008
7.	रूपसियाबागर खासियाबारा केंद्रीय/एनटीपीसी	3x87 = 261	16.10.2008
8.	व्यासी राज्य/यूजेवीएनएल	2x60 = 120	25.10.2011
	कर्नाटक		
9.	गुंडीया राज्य/केपीसीएल	1x200 = 200	25.04.2008
	आंध्र प्रदेश		
10.	इंदिरासागर (ओंकारेश्वर)	12x80 = 960	सहमति बैठक 30.8.11 को हुइ पत्र शीघ्र जारी कर दिया जाएगा
	अरुणाचल प्रदेश		
11.	डिम्वे लोअर निजी/एडीपीएल	5x342+4x40 = 1750	20.11.2009
12.	डिब्बिन निजी/केएसकेडीएचएल	2x60 = 120	04.12.2009
13.	नफरा निजी/एसएनइएल	2x60 = 120	11.02.2011
14.	लोअर सियांग निजी/जेएपीएल	9x300 = 2700	16.02.2010
15.	नियामजंग छू निजी/बीइएल	6x130 = 780	24.03.2011

1	2	3	4
16.	तवांग चरण-I केंद्रीय/एनएचपीसी	3x200 = 600	10.10.2011
17.	टाटो-II राज्य/टीएचपीपीएल	4x175 = 700	सहमति बैठक 27.6.11 को हुई, पत्र शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा
18.	तवांग चरण-II केंद्रीय/एनएचपीसी	4x200 = 800	22.09.2011
	सिक्किम		
19.	तीस्ता चरण-4 केंद्रीय/एनएचपीसी	4x130 = 520	13.05.2010
20.	पानन निजी/एचएचपीएल	4x75 = 300	07.03.2011
	मिजोरम		
21.	कोलोडीन चरण-II केन्द्रीय/एनटीपीसी	4x115 = 460	14.09.2011
	कुल 2011-12:	11760	

(*) एमओईएफ के दिनांक 22.4.2010 के पत्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी पत्र यूजेवीएनएल के पक्ष में स्थानांतरित किया गया जो कि पहले एमओईएफ के दिनांक 7.9.2007 के पत्र द्वारा एनएचपीसी के पक्ष में सौंपा गया था।

विवरण II

2008-09, 2009-10, 2010-11) और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति वाली ताप विद्युत परियोजना

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	संयंत्र क्षमता (मेगावाट)	ईंधन	जिला	कंपनी	स्वामित्व	ईसी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1980 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	1980	कोयला	नेल्लोर	रिलाएंस कृष्णापटन पावर कारपोरेशन लि.	निजी	18-मार्च-09
2.	आंध्र प्रदेश	1200 मेगावाट गैस आधारित परियोजना सामलकोट विद्युत केंद्र का विस्तार (एसपीएस) आईडीए पेड्डापुरम इंडस्ट्रीयल इस्टेट में	1200	गैस	पूर्वी गोदावरी	रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	निजी रिलायंस	28-मई-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	उत्तर प्रदेश	2x300 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना चरण-।। चदधेरा में विस्तार	600	कोयला	शाहजहांपुर-पुर	रिलाएंस पावर	निजी	20-जून-09
4.	आंध्र प्रदेश	2640 मेगावाट भावनापाडु टीपीपी केकरापल्ली गांव के निकट	2640	कोयला	श्रीकाकूलम	अथेना-ईस्ट कोस्ट इनर्जी प्रा.लि.	निजी	9-अप्रैल-09
5.	आंध्र प्रदेश	4 x 660 मेगावाट कोमरदा टीपीपी	2640	कोयला	विजियाना ग्राम	अल्फा इंफ्राप्रोप प्रा.लि.	निजी	15-मार्च-10
6.	आंध्र प्रदेश	1980 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	1980	कोयला	नेल्लोर	थर्मल पावरटेक (इंडिया) लि.	निजी	4-नवं-09
7.	आंध्र प्रदेश	3x350 मेगावाट गैस आधारित सीसीपीपी आईडीए में सावलकोट	1050	गैस	पूर्वी गोदावरी	गौतमी पावर (समालकोट) प्रा.लि.	निजी	21-अप्रैल-10
8.	आंध्र प्रदेश	2x660 मेगावाट टीपीपी सोमपेटा में	1200	कोयला	श्रीकाकूलम	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं. लि.	निजी	9-दिसं.-09
9.	आंध्र प्रदेश	1040 मेगावाट (2x520 मेगावाट) विशाखापत्तनम में हिंदुजा परियोजना	1040	कोयला	विशाखापटनम	हिंदुजा नैशनल पावर कारपोरेशन लि.	निजी	31-अग-09
10.	आंध्र प्रदेश	600 मेगावाट रायलसीमा टीपीपी चरण IV	600	कोयला	कडप्पा	एपीजेनको	राज्य	21-अक्टू-09
11.	आंध्र प्रदेश	2x300 मेगावाट मरचेंट विद्युत संयंत्र	600	कोयला	अदिलाबाद	सिंगरैनी कोलियरीज कं. लि.	राज्य+ केन्द्रीय	28-अक्टू-09
12.	आंध्र प्रदेश	540 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी टमीनापट्टनम एवं मोमीडी	540	कोयला	नेल्लौर	सिम्हापुरी इनर्जी प्रा.लि.	निजी	3-जुलाई-08
13.	आंध्र प्रदेश	400 मेगावाट गैस आधारित सीसीपीप एसटी ।। विस्तार परियोजना जेगुरूपाडु में	400	गैस	पूर्वी गोदावरी	जीवीके पावर (जेगुरूपाडु) प्रा. लि.	निजी	20-मई-10
14.	आंध्र प्रदेश	850 मेगावाट से 1155 मेगावाट प्राकृतिक गैस आधारित सीसीपीपी	305	गैस	कृष्णा	लैनको कोंडापल्ली पावर लि.	निजी	13-मई-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	आंध्र प्रदेश	1x300 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र (फेज।। विस्तार) परियोजना थम्मेनापटरियम गांव.	300	कोयला	नेल्लौर	मीनाक्षी इनर्जी प्रा.लि.	निजी	19-अक्टू-09
16.	आंध्र प्रदेश	1x210 मेगावाट रायलसीमा टीपीपी चरण-III विवि रेड्डी नगर में निकट	210	कोयला	कडप्पा	एपीजेनको	राज्य	1-मई-08
17.	आंध्र प्रदेश	6 मेगावाट बायोमास टीटीपी हसनपुर	6	बायोमास	प्रकासम	सिंगरैय्या हिल्स ग्रीन पावर (पी) लि.	निजी	23-अप्रैल-08
18.	आंध्र प्रदेश	600 मेगावाट का विस्तार कोयला आधारित टीपीपी जयपुर में	600	कोयला	कृष्णा	सिंगरैनी कोलियरीज कं. लि.	राज्य+	27-दिसं-10
19.	आंध्र प्रदेश	540 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी नेल्लोर में	540	कोयला	नेल्लोर	मीनाक्षी इनर्जी प्रा.लि.	निजी	2-जुलाई-08
20.	आंध्र प्रदेश	2x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल आयातित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र पैनामपुरम गांव में एवं सिवरामपुरम, मुथुकुर मंडल में	1320	कोयला	नेल्लोर	नेलकास्ट इनर्जी कारपोरेशन लि.	निजी	30-सितं-10
21.	असम	1x100 मेगावाट सीसीपीपी नामरूप रिप्लेसमेंट पीपी एनटीपीएस नामरूप	100	गैस	दिब्रुगढ़	असम पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.	राज्य	31-दिसं-08
22.	बिहार	2x195 मेगावाट (चरण-II) कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कोयला आधारित विद्युत संयंत्र	390	कोयला	मुजफ्फरपुर	कांटी बिजली उत्पादन निगम लि.	निजी	9-नवं-09
23.	बिहार	नबीनगर ताप विद्युत संयंत्र	1980	कोयला	बिहार-औरंगाबाद	एनटीपीसी लि.	केन्द्रीय	27-दिसं-10
24.	बिहार	प्रस्तावित 2640 मेगावाट (4x660 मेगावाट) कोयला आधारित टीपीपी सिरिया गांव में	2640	कोयला	बांकां	मैं जस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्रा.लि.	निजी	1-जुलाई-11
25.	छत्तीसगढ़	1320 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	1320	कोयला	जांजगिर-चंपा	डी.बी.पावर लि.	निजी	16-दिसं-10
26.	छत्तीसगढ़	1200 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	1200	कोयला	रायगढ़	इस्पात-एसकेएस इस्पात एंड पावर लि.	निजी	5अक्टू-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	छत्तीसगढ़	2x150 मेगावाट पीपी दोंगामुहा	300	कोयला	रायगढ़	जिंदल ग्रुप-जिंदल स्टील एंड पावर लि.	निजी	31-जुलाई-08
28.	छत्तीसगढ़	3x500 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी भइयाथन	1500	कोयला	सरगुजा	सीएसईबा	राज्य	23-दिसं-08
29.	छत्तीसगढ़	4x350 मेगावाट टीपीपी उंचपींडा	1400	कोयला	जांजगिर-चंपा	आरकेएम पावर जेन लि.	निजी	27-अगस्त-08
30.	छत्तीसगढ़	2x600 मेगावाट सिंघतारी टीपीपी सिंघीतराई गांव के निकट	1200	कोयला	जांजगिर-चंपा	अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्रा.लि	निजी	17-जुलाई-09
31.	छत्तीसगढ़	खाटगोरा 3x350 मेगावाट कोयला आधारिरत धनरस टीपीपी	1050	कोयला	कोरबा	धीरू पावरजेन प्रा.लि.	निजी	18-जन-10
32.	छत्तीसगढ़	मारवा में 2x500 मेगावाट टीपीपी	1000	कोयला	जांजगिर-चंपा	सीएसईबी	राज्य	5-फर-08
33.	छत्तीसगढ़	2x300 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	600	कोयला	रायगढ़	कोरबा वेस्ट पावर कं. लि. (अवंथा)	निजी	20-मई-10
34.	छत्तीसगढ़	540 मेगावाट कोयला आधारित टीपीपी	540	कोयला	कोरबा	वंदना विद्युत लि.	निजी	9-मार्च-09
35.	छत्तीसगढ़	हिरमी में4x25 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट और 300 टी/एचआर कोयला वाशरी	100	कोयला	रायपुर	अल्ट्रा सीमेंट लि.	निजी	2-जुलाई-8
36.	छत्तीसगढ़	रायगढ़ में सुपर पावर प्रोजेक्ट 2x660 मेगावाट	1320	कोयला	रायगढ़	मै. वीसा पावर लि.	निजी	2-अगस्त 2011
37.	छत्तीसगढ़	4x600 मेगावाट (2400 मेगावाट) जोड़कर 1000 मेगावाट (4x250 मेगावाट) का विस्तार कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट	2400	कोयला	रायगढ़	जिंदल ग्रुप-जिंदल पावर लि.	निजी	18-मार्च-11
38.	छत्तीसगढ़	पाराघाट और बेलतूरी गांव में 660 मेगावाट का कोयला आधारित टीपीपी.	660	कोयला	बिलासपुर	टीआरएन इनर्जी प्रा.लि.	निजी	18-मार्च-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	छत्तीसगढ़	गागोरा तहसील में गांव भंगरी में 12 मे.वा. जोड़ते हुए 12 मेगावाट बायोगैस आधारित की मौजूदा टीपीपी का विस्तार करके 24 में. वा. करना	12	बायोमास	रायगढ़	महावीर इनर्जी एंड कोल बेनिसिसिएशन लि.	निजी	5-मई-11
40.	गोवा	सैनकोल, जुआरीनगर-ईसी	52	गैस	साऊथ गोवा	रिलाएंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	निजी	19-जून-09
41.	गोवा	77.5 मेगावाट से 83.5 मेगावाट गैस आधारित कैप्टिव टीपीपी का विस्तार	83.5	गैस	गुड़गांव	मैं. मारूती सुजुकी इंडिया लि.	निजी	3-जून-11
42.	गुजरात	ग्राम नाना मंडा के निकट 1200 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत परियोजना	1200	कोयला	जामनगर	एसार पावर गुजरात	निजी	8-मई-09
43.	गुजरात	मुंद्रा में 1980 मेगावाट (2x330+2x660 मेगावाट)	1980	कोयला	कच्छ	अदानी पावर लि.	निजी	21-अक्टू-08
44.	गुजरात	पीपावाव पोर्ट के निकट 2ग800 मेगावाट टीपीपी	1600	कोयला	अमरेली	वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि.	निजी	4-फर-10
45.	गुजरात	कोवाया में 1050 मेगावाट प्राकृतिक गैस /एलएनजी आधारित सीसीपीपी	1050	गैस	अमरेली	जीएसपीसी पीपीवाव पावर कंपनी	निजी	8-जन-08
46.	गुजरात	पाडवा में 2x250 मेगावाट लिग्नाइट आधारित टीपीपी	500	कोयला	भावनगर	भावनगर इनर्जी कंपनी लि.	निजी	10-फर-10
47.	गुजरात	1X400 मे. वा. गैस आधारित सीसी को जोड़ते हुए 1X400 मे. वा. गैस आधारित विद्युत संयंत्र का विस्तार	400	गैस	भरूच	टोरंट इनर्जी लि.	निजी	12-अक्टू-10
48.	गुजरात	सुगेन आखाखोल में 382.5 (मे.वा.) सीसीपीपी का विस्तार	383	गैस	सुरत	टोरंट पावर लि.	निजी	9-सित.-10
49.	गुजरात	67.7 मे. वा. बैगेज आधारित कोजेन पावर परियोजना	68	बायोगैस	नर्मदा	नीताश कोजेन प्रा.लि.	निजी	21-जुलाई-08
50.	गुजरात	वेस्ट हीट रिकवरी के साथ 7.5 मे.वा सह उत्पादन कैप्टिव विद्युत संयंत्र	8	गैस	वलसाड	आलोक इंडस्ट्रीज लि.	निजी	12 अगस्त-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	गुजरात	खामबलिया तालुक में वाडिनार गांव में मौजूदा में एसार ऑयल रिफाइनरी के अदर 483 मे.वा. बहु-ईधन (आयातित कोयला, एचएफ ओ एंड सीएएसओ आधारित कैप्टिव टीपीपी	483	बहु ईधन	जामनगर	मै. वादिनार पावर कं. लि.	निजी 21-सितं-11	
52.	गुजरात	दहेज में 4x660 मे.वा. आधारित टीपीपी	2640	कोयला	भरूच	मैं अदानी पावर दहेज लि.	निजी	25-अक्टू-11
53.	गुजरात	2x400 मे.वा. गैस आधार कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट	800		भरूच	मै. टोरेंट इनर्जीलि.	निजी	21-अक्टू-11
54.	गुजरात	सांघीपुरम में 2x660 मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी	1320	कोयला	कच्छ	मै. संघी इनर्जी	निजी	7 - 11
55.	गुजरात	धुवरन में 395 मे. वा. गैस आधारित विस्तार सीसीपीपी यूनिट-3	395	गैस	आनंद	जीएसईसीएल	राज्य	13-जन-11
56.	गुजरात	टांडा, मुद्रा में 2x660 में.वा. टीपीपी फेज-III	1320	कोयला	कच्छ	अदानी पावर लि.	निजी	20-मई-10
57.	गुजरात	एनएच-8 ग्राम खडकी-उदवाड में 7.2 मेगावाट गैस आधारित कैप्टिव पावर प्लांट	7	गैस	वलसाड	रेमंड लि.	निजी	29-अप्रैल-11
58.	हरियाणा	झज्जर में 1320 मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी	1320	कोयला	झज्जर	हरियाणा पावर जेन.कोर.लि.	राज्य	24- अप्रैल-08
59.	झारखंड	चित्रपुर में 4x125 मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी	500	कोयला	लातेहार	ईस्पात-कारपोरेट ईस्पात एलॉय लि.	निजी	1-मई-08
60.	झारखंड	2000 मे.वा. कोयला आधारित विद्युत परियोजना	2000	कोयला	लातेहार	एसार पावर झारखण्ड लि.	निजी	8-मई-09
61.	झारखंड	तिलैया में 4000 मे.वा. यूएमपीपी	4000	कोयला	हजारीबाग	रिलाएंस-झारखंड इंटिग्रेटेड पावर	निजी	7-अप्रैल-08
62.	झारखंड	जोजोबेरा जमशेदपुर में 120 मे.वा. कोयला आधारित पीपी (विस्तार यूनिट-5)	120	कोयला	पूर्वी सिंहभूम	टाटा पावर कं. लि.	निजी	17-दिसं.-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.	झारखंड	कौशलगढ़ गांव में 1x20 मे.वा. पीपी	20	कोयला	सरायकेला-खारसवान	डिवाइन विद्युत लि.	निजी	18-अक्टू-10
64.	झारखंड	2x330 मे.वा. 4x135 मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी	660	कोयला	लातेहार	कारपोरेट पावर लि.	निजी	11-नवं-10
65.	झारखंड	2x10 मे.वा. कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट	20	कोयला	रांची	ऊषा मार्टिन लि.	निजी	7-अप्रैल-11
66.	कर्नाटक	2x800 मे.वा. कोयला आधारित वडलूअर के निकट चेरमारूस में टीपीपी	1600	कोयला	रायचुर	कर्नाटक पावर कारपों लि.	राज्य	17-नवं.-09
67.	कर्नाटक	केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र 2x210 मे.वा. आयातित कोयला आधारित सीटीपीपी	420	कोयला	रायचुर	सुराना पावर लि.	निजी	9-सित.-10
68.	कर्नाटक	मंगलौर के निकट पाडुबिदरी में क्षमता को बढ़ाकर 2x600 मे.वा. टीपीपी करना	1200	कोयला	नॉर्थ कन्नड़	लैनको-उडुपी पावर कारपो. लि.	निजी	9-सित.-09
69.	कर्नाटक	बेडकिहल में 15 मे.वा. कोजोन विद्युत संयंत्र का विस्तारण	15	कोयला	बेलगॉम	वेंकटेश्वर पावर प्रा. लि. त्चवरमबज रजक	निजी	9-सित.-10
70.	कर्नाटक	कोजेन यूनिट का 40 मे.वा से 60. मे.वा. का विस्तार	20	बायोमास	बगलकोट	निरानी सुगर्स लि.	निजी	27-दिसं-10
71.	मध्य प्रदेश	1320 मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी	1320	कोयला	सिधी	डी.बी.पावर (एमपी लि.)	निजी	9-सित.-10
72.	मध्य प्रदेश	निगरी में 2x660 मे.वा. टीपीपी तथा 2.0 टीपीए की सीमेंट ग्रिडिंग यूनिट	1320	कोयला	सिंगरौली	जयप्रकाश पावर वेंचर लि.	निजी	25-फर-10
73.	मध्य प्रदेश	पुरनी 2x600 मे.वा मालवा टीपीपी का 2x600 मे.वा.	1200	कोयला	खंडवा	एम.पी. पावरजेन कं. लि.	राज्य	1-अक्टू-08
74.	मध्य प्रदेश	1200 मे.वा. टीपीपी	1200	कोयला	अनुपुर	मोसेरबेर लि.	निजी	28-मई-10
75.	मध्य प्रदेश	निग्री में 2x500 मे.वा.टीपीपी	1000	कोयला	सिंगरौली	जयप्रकाश एसोसिएट्स	निजी	26-अग.-09
76.	मध्य प्रदेश	2x500 मे.वा. विध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, स्टेज-IV	1000	कोयला	सिंगरौली	एनटीपीसी लि.	केन्द्रीय	5-फर-09
77.	मध्य प्रदेश	2x300 मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी	600	कोयला	सियोनी	झाबुआ पावर लि. (अवंथा)	निजी	17-फर-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.	मध्य प्रदेश	सतपुरा टीपीएस में 2x250मे.वा विस्तारण यूनिट	500	कोयला	वेतूल	एम.पी.पावर जेनरेशन कं. लि.	राज्य	27-फर-09
79.	मध्य प्रदेश	चित्रांगी सिधी में 3960 मे.वा. पीपी	3960	कोयला	सिंगरौली	रिलाएंस-चित्रांगी पावर प्रा. लि.	निजी	28-मई-10
80.	मध्य प्रदेश	चैनलपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में 1300 मे.वा. गैस आधारित पीपी	1300	गैस	गुना	डीएमआईसीडीसी गुना पावर कं. लि.	कन्द्रीय	5-मई-11
81.	महाराष्ट्र	वारोरा में 1x300 मे.वा. फेज-2 टीपीपी	600	कोयला	चंद्रपुर	जीएमआर इनर्जी लि. (ईएमसीओ)	निजी	25-मई-10
82.	महाराष्ट्र	3x600 मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी को जोड़ते हुए 1320 मे.वा. को बढ़ाकर 3300 मे.वा. करना	1980	कोयला	गोंदिया	अदानी पावर महाराष्ट्र प्रा.लि.	निजी	22-अप्रैल-10
83.	महाराष्ट्र	तिरोदा में 2X660 मे.वा. गैस आधारित टीपीपी	1320	कोयला	गोदिंया	अदानी पावर महाराष्ट्र प्रा.लि.	निजी	29-मई-08
84.	महाराष्ट्र	द्रोनागिरी में 2000 मे.वा. गैस आधारित टीपीपी	2000	गैस	न्यू मुम्बई	अरबन इनर्जी जेनरेशन प्रा. लि.	निजी	2-जन-08
85.	महाराष्ट्र	शाहपुर/धेरंद में 1600 मे.वा. कोयला आधारित पीपी	1600	कोयला	रायगढ़	टाटा पावर कं. लि.	निजी	9-दिसं-09
86.	महाराष्ट्र	2x800 मे. वा कोराडी टपीएस का विस्तार	1600	कोयला	नागपुर	महाजेनको	राज्य	4-दिसं.-10
87.	महाराष्ट्र	अतिरिक्त अमरावती इंडस्ट्रियल एरिया में 1320 मे.वा. (2x660 मे.वा) टीपीपी	1320	कोयला	अमरावती	इंडियाबुल्स पावर लि. (सोफिया)	निजी	27-फर-09
88.	महाराष्ट्र	सिन्नार 2x660 मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी	1320	कोयला	नाशिक	इंडियाबूल्स रियलटेक लि.	निजी	28-जुलाई-10
89.	महाराष्ट्र	मौदा में 2 x 500 मे.वा.टीपीपी	1000	कोयला	नागपुर	एनटीपीसी लि.	केन्द्रीय	25-जन-08
90.	महाराष्ट्र	2 x 500 मे.वा. चंद्रपुर एसटीपीपी विस्तार परियोजना	1000	कोयला	चंद्रपुर	महाजेनको	राज्य	30-जन-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91.	महाराष्ट्र	टाडाली गांव में एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में 2 x 300 मे.वा कोयला आधारित टीपीपी	600	कोयला	चंद्रपुर	सीईएससी लि. (कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क.)	निजी	4-दिस-09
92.	महाराष्ट्र	अलीबाग में405 मे.वा. (270 मे.वा. + 135 मे.वा.) टीपीपी फेस-II	405	कोयला	रायगड	पटनी इनर्जी प्रा. लि.	निजी	31-अग.-09
93.	महाराष्ट्र	बुटिबोरी, एमआईडीसी एरिया में 300 मे.वा. पीपी	300	कोयला	नागपुर	रिलाएंस-विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लि.	निजी	9-मई-08
94.	महाराष्ट्र	परली में टीपीपी का 1x300 मे.वा. का बदलाव	300	कोयला	बीड	महाजेनको	राज्य	9-सित-08
95.	महाराष्ट्र	दीपनगर में 300 मे.वा. कोयला आधारित टीपीएस	300	कोयला	जलगांव	महाजेनको	राज्य	28-अग-08
96.	महाराष्ट्र	एमआईडीसी वारोरा में 2x135 मे.वा. टीपीपी	270	कोयला	चंद्रपुर	जीएमआर-ईएमसीओ इनर्जी लि.	निजी	19-मई-08
97.	महाराष्ट्र	हिंगाना के नजदीक 100 मे.वा. सीपीपी	100	कोयला	नागपुर	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कं. लि.	राज्य	19-सित-08
98.	महाराष्ट्र	2x660 मे.वा. सुपर टीपीपी	1320	कोयला	सोलापुर	एनटीपीसी लि.	केन्द्रीय	27-दिसं-10
99.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर में 15 मे. वा. टीपीपी	15	कोयला	चंद्रपुर	गोपानी आयरन एंड पावर कं. लि.	निजी	7-अप्रैल-08
100.	महाराष्ट्र	सिन्नर में चरण-2 के अंतर्गत 5x 270 मे.वा की अतिरिक्त यूनिटें स्थापित करते हुए नासिक टीपीपी का विस्तार (1350 मे.वा से 2700 मे.वा)	-	-	नासिक	मैं इंडियाबूल्स पावर लि.	निजी	5-जुलाई-11
101.	महाराष्ट्र	इंदापुर में 1300 मे.वा.गैस आधारित पीपी	1300	पूणे		मै. डीएमआईसी-डीसी इंदापुर पावर कं.लि.	निजी	3 -जुलाई-11
102.	महाराष्ट्र	लातूर में 1000 मे.वा. गैस आधारित सीसीपीपी	1000	गैस	लातूर	मै. हेकेट पावर सिस्टम लि.	निजी	3-जून-11
103.	महाराष्ट्र	नंदगांवपेठी में चरण-2 के अंतर्गत 3x270 मे. वा की अतिरिक्त यूनिटों के द्वारा अमरावती टीपीपी का विस्तार (1360 मे.वा से 2700 मे.वा)	1350	कोयला	अमरावती	मै. इंडियाबूल्स पावर लि.	निजी	27-मई-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104.	महाराष्ट्र	भगद गांव में 1300 मे.वा.गैस आधार विद्युत परियोजना	1300	गैस	रायगड	डीएमआईसी डीसी भगद पावर कं. लि.	राज्य+ केन्द्रीय	26-अप्रैल-11
105.	महाराष्ट्र	300 मे.वा. टीपीपी विस्तार फेज-II	300	कोयला	चंद्रपुर	जीएमआर इनर्जी लि. (ईएमसीओ)	निजी	25-मई-10
106.	महाराष्ट्र	मौदा के नजदीक 2x660 मे.वा. टीपीपी	1320	कोयला	नागपुर	एनटीपीसी लि.	केन्द्रीय	30-दिसं.-10
107.	महाराष्ट्र	मांडवा गांव के नजदीक 1320 मे.वा. थर्मल पावर परियोजना	1320	कोयला	वार्धा	लैनको महानदी पावर प्रा.लि.	निजी	24-फरवरी-11
108.	ओडिशा	सहाजबहाल में 2x350मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी	700	कोयला	झारसुगुडा	इंडिया-बराथ इनर्जी (उतकल) लि.	निजी	30-नवं-09
109.	ओडिशा	धेनकेनाल में 3x350 मे.वा. कमालंगा टीपीपी	1050	कोयला	धेनकेनाल	जिंदल इंडिया थर्मल पावर लि.	निजी	5-फर-08
110.	ओडिशा	1320 मे.वा. (3x660 मे.वा.)	1320	कोयला	अंगूल	जीएमआर इनर्जी लि.	निजी	29-सित-08
111.	ओडिशा	धेनकेनाल में 2640 मे.वा. कोयला आधारित पीपी (1320 मे.वा का पूर्ण चरण)	1320	कोयला	धनकेनाल	लैनको बबंध पावर प्रा.लि.	निजी	17-सित-10
112.	ओडिशा	4x350 मे.वा. कोयला आधारित विद्युत संयंत्र	1400	कोयला	कटक	केवीके नीलांचल पावर प्रा.लि.	निजी	18-फरवरी-09
113.	ओडिशा	बनाहरपल्ली गांव में 2x660 मे.वा. (यूनिट-3 एवं 4) जोड़ते हुए मौजूदा कोयला आधारित टीपीपी का विस्तार	1320	कोयला	झारसुगुडा	उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपो लि.	राज्य	4-फरवरी-10
114.	ओडिशा	धेनकेनाल में 2250 मे.वा. महालक्ष्मी टीपीपी का 1050 मे.वा. का चरण-I	1050	कोयला	धेनकेनाल	एसार-नावा भारत वेंचर लि.	निजी	8-फरवरी-08
115.	ओडिशा	मालिब्रह्ममनी गांव में 2x525 मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी	1050	कोयला	अंगूल	ईस्पात-मोनेट पावर कंपनी लि.	निजी	29-जून-10
116.	ओडिशा	2 x 67.5 मे.वा कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट	135	कोयला	बालेश्वर	बालेश्वर एलॉयस लि.	निजी	17-दिसं-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.	ओडिशा	2x67.5 मे.वा. कोयला आधारित सीटीपीपी	135	कोयला	कटक	भुवनेश्वर पावर प्रा. लि.	निजी	14-मई-10
118.	ओडिशा	चौधर में 2 x 60 मे.वा कोयला आधारित टीपीपी	120	कोयला	कटक	उतकल पावर लि.	निजी	9-मई-08
119.	ओडिशा	खरगप्रसाद में सीपीपी को 30 मे.वा से बढ़ाकर 94 मे.वा करना	64	कोयला	धेनकेनाल	नावा भारत वेंचर्स लि.	निजी	28-सित-07
120.	ओडिशा	बालेश्वर में टीपीपी का 7.5 मे.वा का विस्तार	8	कोयला	बालेश्वर	बिरला टायर्स	निजी	23-अप्रैल-08
121.	ओडिशा	निमिधा गांव में 20 मे.वा. बायोमास आधारित पीपी	20	बायोमास	धेनकेनाल	शालिवाहाना ग्रीन इनर्जी लि.	निजी	21-अक्टू-10
122.	ओडिशा	नाराजमथापुर में 1x660 मे.वा.	660	कोयला	कटक	टाटा पावर कं. लि.	निजी	15-फरवरी-11
123.	पंजाब	भनवाल में 2000 मे.वा. तलवंडी साबो टीपीपी	2000	कोयला	मानसा	वेदांता-तलवंडी साबो पावर लि.	निजी	11-जुलाई-08
124.	पंजाब	राजपुरा 1320 मे.वा. टीपीपी	1320	कोयला	पटियाला	नाभा पावर लि. (पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड)	राज्य	3-अक्टू-08
125.	पंजाब	गोइंदवाल साहिब के नजदीक 2 x 300 मे.वा टीपीपी	600	कोयला	तरण तारण	जीवीके पावर (गोइंदवाल) लि.	निजी	9-मई-08
126.	राजस्थान	कालीसिंध 2 x 600 मे.वा कालिसिंध कोयला आधारित टीपीपी	1200	कोयला	झालावार	आरआरवीयूएनएल	राज्य	26-फरवरी-09
127.	राजस्थान	जावार 90 मे.वा. कोयला आधारित सीपीपी	90	कोयला	उदयपुर	हिंदुस्तान जिंक लि.	निजी	5-फरवरी-08
128.	राजस्थान	भवानी मंडी में 18 मे.वा.	18	कोयला	झालावार	राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स	निजी	24-अप्रैल-08
129.	राजस्थान	ध्रुवालिया में 15 मे.वा. टीपीपी	15	कोयला	भिलवारा	संगम स्पिनर्स	निजी	5-फरवरी-08
130.	राजस्थान	खाटोली गांव में 10 मे.वा. बायोमास आधारित पीपी	10	बायोमास	कोटा	सत्यम पावर प्रा. लि.	निजी	3-नवं-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131.	राजस्थान	गोटन में 7.5 मे.वा. सीपीपी	8	कोयला	नागपुर	जेके हवाइट सीमेंट वर्कस	निजी	31-दिसं-08
132.	राजस्थान	संगरिया गांव में 7.5 मे.वा. बायोमास आधारित विद्युत परियोजना	8	बायोमास	हनुमानगढ़	संजोग सुगर्स एंड इको पावर प्रा.लि.	निजी	16-जुलाई09
133.	राजस्थान	2 x 150 मे.वा टीपीपी (वायु प्रशीतित)	300	कोयला	अजमेर	श्री सीमेंट लि.	निजी	30-नवं-10
134.	राजस्थान	कवाई टीपीएस पर 1320 मे.वा (2 x 660 मे.वा) टीपीपी	1320	कोयला	बारां	अदानी पावर राजस्थान लि.	निजी	4-मई-11
135.	तमिलनाडु	कड्डालोर के निकट 4000 मे.वा यूएमपीपी कोयला आधारित टीपीपी कैप्टिव पोर्ट तथा अलवनीकरण संयंत्र	4000	कोयला	कुड्डालोर	आईएल एंड	निजी	31-मई-10
136.	तमिलनाडु	1x 660 मे.वा. सुपर क्रिटिकल कोयला थर्मल थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी)	660	कोयला	तूतिकोरीन	इंडिया-बराथ पावर (मद्रास) लि.	निजी	12-जुलाई-10
137.	तमिलनाडु	2140 मे.वा. कोयला आधारित मर्चेंट टीपीपी	2140	कोयला	तूतिकोरीन	इंडिया-बराथ पावर (मद्रास) लि.	निजी	9-दिस-09
138.	तमिलनाडु	कुड्डालोर में 2x660 मे.वा. टीपीपी	1320	कोयला	कुड्डालोर	बीजीआर-कुड्डालोर	नीजि	7-अक्टू-08
139.	तमिलनाडु	कालानी और काटापल्ली गांव में 1200 मे.वा का आयातित कोयला आधारित टीपीपी	1200	कोयला	थिरूवलूर	नॉर्थ चेन्नई पावर कं. लि. (एनटीपीसी+ टीएनईबी)	राज्य	31-अग.-09
140.	तमिलनाडु	3x350 मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी	1050	कोयला	तूतिकोरीन	कोस्टल इनर्जेन प्रा.लि.	निजी	10-दिस-08
141.	तमिलनाडु	2x500 मे.वा. टीपीपी	1000	कोयला	नागापटिनम	पटेल पावर लि.	निजी	26-मार्च-10
142.	तमिलनाडु	नेवेली टाऊन में 2 x 500 मे.वा टीपीपी	1000	कोयला	कुड्डालोर	नेवेली लिग्लाईट कारपो. लि.	केन्द्रीय	21-अक्ट-10
143.	तमिलनाडु	एरनावूर गांव में 1x 600 मे.वा. एन्नौर टीपीएस	600	कोयला	थिरूवलूर	टीएनईबी	राज्य	3-जून-09
144.	तमिलनाडु	43 मे.वा. कोयला आधारित सीपीपी	43	कोयला	थिरूवलूर	तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट लि.	निजी	1-अक्टू-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145.	तमिलनाडु	सेमेडु में 20.5 मे.वा. कोजेन पीपी	21	बायोमास	विलूपुरम	राजश्री सुगर्स एंड केमिकल्य लि.	निजी	10-नवं-08
146.	तमिलनाडु	सीपीसीएल मनाली रिफाइनरी में 1 x 20 मे.वा गैस टरबाइन जेनरेटर	20	Gas	चेन्नई	चेन्नई पेट्रोलियम कारपो. लि.	केन्द्रीय	13-जून-08
147.	तमिलनाडु	तिरूचिरापल्ली में 18 मे.वा. कोजेन पीपी	18	बायोमास + कोयला	तिरूचिरापल्ली	ईआईडी पैरी (इंडिया) लि.	निजी	25-अप्रैल-08
148.	तमिलनाडु	पेरियार में 10 मे.वा. बायोमास आधारित पीपी	10	बायोमास	मदुरई	एस्ट्रो इनर्जी एंड बायोसिस्टम लि.	निजी	24-अप्रैल-08
149.	तमिलनाडु	मुकुड में 10 मे.वा. बायोगैस आधारित पीपी	10	बायोमास	पुडुकोटाई	इमपी डिस्टिलरीट	निजी	25-अप्रैल-08
150.	तमिलनाडु	तूतिकारिन में 1x525 मे.वा आयातित कोयला आधारित टीपीपी चरण-4	525	कोयला	तूतिकोरिन	स्पिक इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन प्रा.लि.	निजी	3-नवं-10
151.	तमिलनाडु	चिदमबरम तालुक में 3 x 600 मे. वा. टीपीपी	1800	कोयला	कुड्डालोर	मैं एसआरएम इनर्जी लि.	निजी	18-मई-11
152.	तमिलनाडु	सिथुरनाथम, सिरूपाल्लापेटी तथा एगुवरपलयम गांवों में 2 x 60 मे.वा कोयला आधारित टीपीपी	120	कोयला	थिरूवेलूर	मै. एआरएस मैटल्स लि.	निजी	20-मई-11
153.	तमिलनाडु	सिरूपाल्लपेटी गांव, गुमिडीपोंडी तालुक में 1x 150 मे.वा विद्युत संयंत्र लि.	150	कोयला	थिरूवेलर	मैं. एकॉर्ड इनर्जी कारपोरेशन प्रा. लि.	निजी	18-मई-11
154.	तमिलनाडु	गुमिडीपोंडी तालुक में गांव पेरियाओबूलपुरम तथा पप्पनकुपम में 1 x 80 मे.वा. तथा 1 x 160 मे.वा कोयला आधारित टीपीपी जोड़ते हुए मौजूदा 2 x 77 का विस्तार	1x 80 1x 160		थिरूवेलूर	मैं ओपीजी मैं. जेनरेशन (पी) लि.		18-मई-11
155.	तमिलनाडु	पिल्लईपेरूमलनल्लुर में 3 x 360 मे.वा. सीसीपीपी की स्थापना	1080	गैस	नागापटिनम	मै. पीपीएन पावर जेनरेशन कं. (पी) लि.	निजी	20-मई-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156.	तमिलनाडु	2 x660 मे.वा. टीपीपी	1320	कोयला	नागापटिनम	चेतिनाड पावर कारपोरेशन	निजी	20-जन.-11
157.	तमिलनाडु	2 x660 मे.वा थर्मल मर्चेट पावर प्लांट	1320	कोयला	नागापटिनम	एनएसएल पावर लि.	निजी	13-अक्टू10
158.	तमिलनाडु	सिथुरमपट्टम गांव में 2 x 35 मे.वा. कैप्टिव पावर प्लांट	70	कोयला	थिरूवेलर	तुलसियान एनईसी	निजी	22-फरवरी-11
159.	तमिलनाडु	सिथुरमट्टम गांव में 2 x 35 कैप्टिव पावर प्लांट	70	कोयला	थिरूवेलूर	तुलसियान एनईसी	निजी	22-फरवरी-11
160.	उत्तर प्रदेश	बोरा 3 x 860 मे.वा. टीपीपी	1980	कोयला	इलाहाबाद	जयप्रकाश एसोसिएट्स लि.	निजी	8-सितं.-09
161.	उत्तर प्रदेश	करछाना में 2 x 660 मे.वा.	1320	कोयला	इलाहाबाद	जयप्रकाश प्रा.लि.	निजी	30-अक्टू-09
162.	उत्तर प्रदेश	रिंहद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज- III (2 x 500 मे.वा.)	1000	कोयला	सोनभद्र	एनटीपीसी लि.	केन्द्रीय	5-फरवरी-09
163.	उत्तर प्रदेश	नाजिबाबाद रोड पर 6 मे.वा. बायोमास आधारित कोजेन पीपी	6	बायोमास	बिजनोर	रामा पेपर्स	निजी	2-मार्च-08
164.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर तहसिल में 3 x660 मे.वा. कोयला आधारित टीपी	1980	कोयला	ललितपुर	ललितपुर पावर जेनरेशन कं. लि. (यूपीपीसीएल)	राज्य	31-मार्च-11
165.	उत्तर प्रदेश	बहादुर गांव में टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज- II (2 x 600 मे.वा.)	1320	कोयला	अम्बेदकर नगर	एनटीपीसी लि.	केन्द्रीय	13-अप्रैल-11
166.	उत्तराखण्ड	खेखड़ा गांव में 225 मे.वा. गैस आधारित कंबाइंड साइकिल प्लांट	225	गैस	उधम सिंह नगर	श्रीवंथी इनर्जी प्रा. लि.	निजी	9मार्च10
167.	उत्तराखण्ड	खेखड़ा गांव के निकट गैस आधारित कंबाइंड साइकिल पीपी को 225 मे.वा. से बएत्रकर 450 मे.वा. करना	225	गैस	उधम सिंह नगर	श्रीवंथी इनर्जी प्रा. लि.	निजी	31-जन.-11
168.	उत्तराखण्ड	दो चरणों में 358 मे.वा (आईएसओ रेटिंग) गैस आधारित कंबाइंड साइकिल पीपी	358	गैस	उधम सिंह नगर	बेटा इंफ्राटेक प्रा. लि.	निजी	31-जन.-11
169.	उत्तराखण्ड	225 मे.वा. गैस आधारित कंबाइंड साइकिल पीपी	225	गैस	उधम सिंह नगर	गामा इंफ्राप्रोप प्रा. लि.	निजी	21-मार्च-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
170.	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर में 20 मे.वा. कोयला आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र	20	कोयला	वर्धमान	ईस्पात-कारपोरेट ईस्पात एलॉय लि-	निजी	5-फर.-08
171.	पश्चिम बंगाल	कटवा मेट्ट 2 x 600 मे.वा. कोयला आधारित टीपीपी	1200	कोयला	वर्धमान	डब्लूबीपीडीसीएल	राज्य	1-मई-08
172.	पश्चिम बंगाल	2 x 300 मे.वा टीपीपी	600	कोयला	पूर्वी मेदिनीपुर	सीईएससी लि. (कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कं.)	निजी	1-अक्टू-08
173.	पश्चिम बंगाल	सागरदिघी में सागरदिघी थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2 x 500 मे.वा. + 20%) चरण-2 विस्तार	1000	कोयला	मुर्शिदाबाद	मैं वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपो. लि.	राज्य	18-मई-11
174.	दिल्ली	बामनौली में 800 मे.वा. प्रगति- II गैस आधारित सीपीपी	800	गैस	दिल्ली	प्रगति पावर कारपो लि.	राज्य	9-फर-11
175.	दिल्ली	बामनौली में 800 मे.वा. प्रगति II गैस आधारित सीसीपीपी	800	गैस	दिल्ली	प्रगति पावर कारपो. लि.	राज्य	9-फर-11
176.	मेघालय	लंमशनॉंग, जेतिया हिल्स में 43 मे.वा. टीपीपी	43	कोयला	लुमशांग	मै. मेघालय पावर लि.	निजी	3-जून-11
पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कुल ताप विद्युत परियोजनाएं जिन्हें पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दी गई								154174 मेगावाट

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड

2554. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 संबंधी अधिसूचना को आस्थगित रखने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने के लिए किसी उप-समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उप-समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) उक्त समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बैंक

2555. श्री दारा सिंह चौहान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक बहुल जिलों में उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार और बैंक-वार सरकारी क्षेत्र के कितने बैंकों और उनकी शाखाओं की स्थापना की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए इन बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों से उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार और बैंक-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ग) ऐसे आवेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों से प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा संवितरित ऋण का विवरण निम्नलिखित है:

आवेदनों की संख्या	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (सितम्बर 2011 तक)
प्राप्त	226095	154561	153651	68388
ऋण प्रदत्त	219933	148817	147418	61984

विवरण

अल्पसंख्यक संकेन्द्रित में खोली गई शाखाओं की संख्या

अवधि के दौरान/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	01 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009	01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010	01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011	01 अप्रैल, 2011 से 30 सितम्बर, 2011
1	2	3	4	5
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		2	2	
आंध्र प्रदेश	32	36	33	4
अरूणाचल प्रदेश	2		6	
असम	15	21	11	2
बिहार	16	28	12	8
दिल्ली	103	111	96	19
गोवा	2	5	6	3
हरियाणा	12	20	10	3
हिमाचल प्रदेश	2		3	
जम्मू एवं कश्मीर			1	1
झारखंड	18	20	21	6
कर्नाटक	18	30	18	7

1	2	3	4	5
केरल	85	142	121	35
मध्य प्रदेश	16	15	9	4
महाराष्ट्र	85	73	62	35
मणिपुर	1		1	
ओडिशा		3	1	2
पुडुचेरी			1	
राजस्थान	4	7	5	2
सिक्किम	1	4	3	1
तमिलनाडु	6	4	2	1
उत्तर प्रदेश	118	171	143	50
उत्तराखंड	9	25	15	9
पश्चिम बंगाल	91	145	103	41
सकल योग	636	862	685	233

[अनुवाद]

बिजली की लागत

2556. श्री रायापति सांबासिवा रावः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली रीति के माध्यम से विकास हेतु प्रदान की गई लगभग 38, 000 मेगावाट क्षमता, विद्युत आपूर्ति अनुबंध में चूक की संभावना का सामना कर रहा है क्योंकि विद्युत परियोजना डेवलपर्स ईंधन लागत में वृद्धि को बिजली खरीदारों पर नहीं डाल सकते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसे मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा की गई सूचना के अनुसार दो निजी विद्युत उत्पादकों अर्थात मुन्द्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तथा मैसर्स कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (सीजीपीएल) तथा कृष्णा पट्नम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए मैसर्स कोस्टल आन्ध्रा पावर लिमिटेड ने विकासकर्ताओं को भविष्य में होने वाले अप्रत्याशित व्यापार जोखिमों जैसे कि विदेशों में कोयले की कीमत पर विनियम में परिवर्तन (जहां से कोयला/ईंधन लिंकेज के लिए समझौता किया जाता है) को दूर करने के लिए विद्युत परियोजनाओं हेतु दिशानिर्देशों को पुनः सरेखित करने के लिए विद्युत मंत्रालय से अपेक्षा की है।

निजी विद्युत उत्पादकों ने भावी व्यापार जोखिमों से विकासकर्ताओं को दूर करने के लिए विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली दिशा निर्देशों में मुख्य परिवर्तनों की मांग की है। विद्युत उत्पादकों के संगठन ने पण्यधारियों के हित में मामले को निपटाने के लिए वर्तमान संविदा के संशोधन और विशेषज्ञ समिति के गठन के लिए इस मंत्रालय से अनुरोध भी किया है। विद्युत उत्पादकों द्वारा अपेक्षित बोली दिशा निर्देशों में परिवर्तनों में घरेलू कोयले की ईधन उपलब्धता जोखिम, कोयला निर्यात वाले देश में ईंधन की कीमतों में परिवर्तन के कारण मूल्य जोखिम, कोयला ब्लाकों से संबंधित पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति में विलंब/अस्वीकृति आदि शामिल है। पण्यधारियों से प्राप्त संन्दर्भ के उत्तर में विद्युत मंत्रालय में एक समिति का गठन किया गया है।

चूँकि विद्युत क्रय करार (पीपीए) प्राप्तकर्ता और विकासकर्ता के बीच पूर्णतया वैध रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। इसलिए मंत्रालय ने मुख्य प्राप्तकर्ताओं अर्थात कृष्णपट्नम यूएमपीपी के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार और मुंद्रा यूएमपीपी के लिए गुजरात सरकार को सलाह दी है कि उसमें उत्पन्न होने वाले किसी मामले का ठेका लेने वाले पक्षों द्वारा पीपीए के प्रावधानों के तहत निपटाया जायेगा जिसके लिए मुख्य प्राप्तकर्ता आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य सर्वेक्षण

2557. श्री ए.टी नाना पाटीलः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति पता करने के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वार्षिक आधार पर ऐसे सर्वेक्षण करने हेतु सरकार द्वारा चयनित राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) के अंतर्गत इन राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकारों की निधियां आवंटित करने का निर्णय लिया है और;

(घ) यदि हां, तो इस शीर्ष के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सरकार ने असम, बिहार छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडीशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के 284 जिलों मे वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए एच एस) शुरू किया है। यह सर्वेक्षण भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य जिला/क्षेत्रीय स्तर पर अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, रूग्णवता दर इत्यादी जैसे मुख्य संकेतकों का अनुमान प्राप्त करना है। वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए ए एच एस के पहले दौर से प्राप्त मुख्य निष्कर्षों को अगस्त, 2011 में प्रकाशित किया गया है।

(ग) और (घ) चूंकि सर्वेक्षण पहले ही किया जा रहा है अतः इसके लिए राज्यों को निधियां आबंटित करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनजातीय भाषाओं का संरक्षण

2558. श्रीमती ज्योति धुर्वेः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जनजातीय भाषाओं/बोलियों के संरक्षण हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ग) सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ इंडियन लैंगवेजज (सीआईआईएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत सीआईआईएल का एक केन्द्र है जो जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास का ध्यान रखता है। अब तक केन्द्र ने निम्नलिखित गतिविधियां की हैं:-

1. द्विभाषीय हस्तांतरण मॉडल के तहत केन्द्र ने दादरा और नगर हवेली के लिए दावरवर्ली तथा डुंगर वर्ली, राजस्थान के लिए वाडी इत्यादि जैसे प्राथमिक स्तर पर जनजातीय बच्चों की शिक्षा हेतु विभिन्न राज्यों में प्रयोग के लिए विद्यालयों हेतु प्रवेशिका तैयार की है।
2. केन्द्र ने जनजातीय भाषा में व्याकरण, फॉनेटिक रीडर, द्विभाषीय तथा त्रिभाषीय शब्दावलीया तैयार की हैं।
3. केन्द्र ने भीली बोलियों जैसी जनजातीय भाषाओं में 14 चित्रात्मक शब्द संग्रह तैयार किए हैं।
4. जनजातीय जनसंख्या को कवर करने के लिए "भाषा संकट आयाम" के तहत सर्वेक्षण कराया गया है। अब तक मिजोरम, त्रिपुरा तथा मणिपुर नाम तीन पूर्वोत्तर राज्यों का सर्वेक्षण कराया गया है।
5. देश के जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में शिक्षण में लगे अध्यापकों का उन्मुखीकरण केन्द्र की नियमित पाठ्यचर्चा है।

[अनुवाद]

सीजीएचएस के अंतर्गत 'ड्रग एल्युटिंग स्टेंट' और 'मेटल स्टेंट' के लिए भुगतान

2559. श्री नवीन जिन्दलः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत कितने ड्रग एल्युटिंग स्टेंट' और 'बेयर मेटल स्टेंट' का भुगतान किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सीजीएचएस के अंतर्गत इन स्टेंटों हेतु निजी अस्पतालों को भुगतान किए गए मूल्य का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन स्टेंटों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी आई है और यह निजी अस्पताल वितरकों और विनिर्माताओं से उन स्टेंटों को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर खरीद रहे हैं और सीजीएचएस के अंतर्गत अधिक दर प्रभारित कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीजीएचएस के अंतर्गत इन स्टेंटों की मूल्य सूची में संशोधन न करने के परिणामस्वरूप राजकोष को कितनी हानि हुई है और सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सी जी एच एस द्वारा ऐसा श्रेणीवार व्यय संबंधी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। सरकार ने 31 अक्तूबर, 2011 को स्टेंट की विभिन्न श्रेणियों की दरों की समीक्षा की है और इन्हें संसोधित किया है। इस संबंध में दिनांक 31 अक्तूबर, 2011 का कार्यालप ज्ञापन संख्या एम आई एस सी 1002/2006/ सी जी एच एस (आर एंड एच) सी जी एच एस (पी) सी जी एच एस की वेबसाइट www. msotransparent.nic.in/cghs/index.asp पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

विदेश में निवेश को बढ़ावा देना

2560. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विदेशों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और हाल ही में इस संबंध में क्या घोषणा की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विदेशों में किए गए पूंजीगत निवेश का देश-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक में 2008 से बाह्य पूंजी निवेश के संवर्धन हेतु निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए हैंः-

1. पिछले लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कंपनी की निवल संपत्ति के 400 प्रतिशत से अधिक के निवेशों को ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों में करने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से दी गई है;

2. विदेशी प्रतिभूतियों में म्यूचुअल फंडों द्वारा किए जाने वाले निवेशों की सकल सीमा 5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 7 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है;

3. विनिर्माण/ शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में कार्यरत पंजीकृत न्यासों एवं सोसायटीयों को उन्हीं क्षेत्रों मे निवेश करने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से दी गई है;

4. उस निर्यात आय का पूंजीकरण अनुमत है जहां वसूली की विहित अवधि के पश्चात निर्यात बकाया रह जाते हैं। इसके अलावा, निष्पादन गांरटी, कारपोरेट गांरटी के निर्गम, विदेशी कंपनियों के तुलन पत्र की पुनः संरचना, जहां पूंजी तथा प्राप्य राशि को बट्टे खाते डालना है, से जुड़े प्रावधान उदार बनाए गए हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान शीर्षस्थ दस देशों के नाम तथा भारत से निवेशों की राशि निम्नानुसार हैः-

राशि मिलियन अमरीकी डालर में

क्र.सं.	2009-10	210-11	2011-12 (अप्रैल-5 दिसम्बर, 2011)
1.	सिंगापुर (3798.50)	मॉरिशस (5045.83)	मॉरीशस (2148.38)
2.	मॉरीशस (2148.38)	सिंगापुर (3982.53)	सिंगापुर (1568.59)
3.	दि नीदरलैंड्स (1529.90)	दि नीदरलैंड्स (1516.63)	दि यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) (901.59)
4.	दि यूनाटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका (यूएसए) (870.35)	यूएसए (1206.98)	दि नीदरलैंड्स (616.97)
5.	ब्रिटिस वरजिन आईलैंड (747.49)	दि यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) (849.33)	यूएसए (614.37)
6.	यूएई (637.47)	साइप्रस (517.25)	ब्रिटिश वरजिन आईलैंड (442.80)
7.	चैन्नल आईलैंड (515.57)	दक्षिण कोरिया (462.52)	यूएई (259.96)
8.	साइप्रस (458.38)	कैमन आईलैंड (439.31)	हांगकांग (169.51)
9.	यू.के. (344.95)	यू.के. (402.45)	कैमन आईलैंड (141.08)
10.	इंडोनेशिया (265.52)	ब्रिटिश वरजिन आईलैंड (281.08)	श्रीलंका (119.36)

अस्पतालों का आधुनिकीकरण

2561. श्री सज्जन वर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं/सेवाओं और अस्पतालों में गुणात्मक सुधार करने हेतु निर्धारित बजट का मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार चिकित्सा सुविधाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ग) "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है और राज्य सरकार चिकित्सीय सुविधांओं/सेवाओं के लिए और उनके उन्नयन के लिए उनकी आवश्यकता तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार निधियां प्रदान करती है। केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करती है। मध्य प्रदेश में अस्पतालों में गुणात्मक उन्नयन लाने हेतु आधुनिक सेवाएं/सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा इस प्रकार हैः

कार्यकलाप	2011-12	2010-11	2009-10
1	2	3	4
रेफरल परिवहन	1669.78	2130.64	20.48
अस्पताल सुदृढ़ीकरण	2100.50	5076.12	2767.72
आई पी एच एस के अनुसार स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन		3120.39	

1	2	3	4
एफ आर यू को प्रचालनात्मक बनाने के लिए मुख्य सिविल कार्य		60.00	
आर के एस को संग्रह निधि	1684	1519	1454
कुल	5454.28	11906.15	4242.20

विगत तीन वर्षों के संबंध में राज्य को एनपीसीसी द्वारा अनुमोदित कुल निधियां इस प्रकार हैं-

वर्ष	एन पी सी सी द्वारा
2011-12	990.97
2010-11	1010.73
2009-10	962.36

इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) का उद्देश्य वहनीय/विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों को सही करना तथा देश में उच्चकोटि की चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं का संवर्धन करना है। पीएमएसएसवाई स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पीएमएसएसवाई परियोजनाओं के लिए निर्मुक्त निधियां

1. एम्स जैसी छह संस्थाओं की स्थापना

क्र.सं.	राज्य	साइट का नाम	प्रयुक्त/स्वीकृत निधियां (रुपए करोड़ में)					
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	मध्य प्रदेश	भोपाल		0.26	4.14	89.71	56.98	151.09
2.	ओडिशा	भुवनेश्वर		19.93	-	38.35	45.66	103.94
3.	राजस्थान	जोधपुर	4.73	16	9.84	59.48	57.06	147.11
4.	बिहार	पटना		8.04	12.85	118.26	75.8	214.95
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर		12.07	18.33	77.04	38.39	145.83
6.	उत्तराखंड	ऋषिकेश		15.52	36.59	86.85	37.29	176.25
		कुल वर्ष-वार	4.73	71.82	81.75	469.69	311.18	939.17

2. चिकित्सा कालेजों संस्थाओं का उन्नयन

क्र.सं.	राज्य	साइट का नाम	प्रयुक्त/स्वीकृत निधियां (रुपए करोड़ में)					
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
पहला चरण								
1.	आंध्र प्रदेश	निजाम इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसिज, हैदराबाद	8.23	30.00	36.00	8.09		82.32
		श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, तिरूपति	15.61	12.42	13.42	0.00		41.45
2.	गुजरात	बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	7.31	26.61	11.65	19.29		64.86
3.	जम्मू एवं कश्मीर	गवर्न. मेडिकल कालेज, जम्मू	6.31	27.56	38.32	22.59	12.16	106.94
		गवर्न. मेडिकल कालेज, श्री नगर	4.93	28.30	28.45	5.65	18.83	86.16
4.	झारखंड	राजेन्द्र इंस्ट्रीयूट आफ मेडिकल सांइसिज, रांची	1.00	8.72	37.25	12.46	14.92	74.35
5.	कर्नाटक	गवर्न. मेडिकल कालेज, बंगलौर	5.19	35.02	42.08	4.86	3.64	90.79
6.	केरल	गवर्न. मेडिकल कालेज, तिरूवनंतपुरम	6.29	59.88	14.42	0.11	2.23	82.93
7.	तमिलनाडु	गवर्न. मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कालेज, सलेम	6.12	33.35	39.84	4.27	5.61	89.19
8.	उत्तर प्रदेश	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	4.58	51.38	19.96	2.60		78.52
		आयुर्विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	0.25	24.47	32.12	12.30	23.94	93.08
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता मेडिकल कालेज	4.17	23.09	19.30	12.42		58.98
10.	महाराष्ट्र	ग्रांट्स मेडिकल कालेज, मुम्बई	0.00	37.75	21.52	12.55		71.82
दूसरा चरण								
1.	महाराष्ट्र	गवर्नर मेडिकल कालेज नागपुर			40.00			40.00
2.	पंजाब	गवर्नर मेडिकल कालेज अमृतसर				42.83		42.83
3.	हिमाचल प्रदेश	आर.पी. गवर्न, मेडिकल कालेज, टांडा					17.50	17.50
		कुल वर्ष-वार	69.99	398.55	391.43	160.02	98.83	1121.72

[अनुवाद]

यकृत प्रत्यारोपण केन्द्र

2562. श्री आर. थामराई सेलवनः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में यकृत प्रत्यारोपण केन्द्र बहुत कम है और देश में और अधिक यकृत प्रत्यारोपण केन्द्रों की अविलंब स्थापना किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यकृत प्रत्यारोपण तकनीकी में विशेषज्ञता प्राप्त डॉक्टरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा यकृत प्रत्यारोपण तकनीकी में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने और उन्हें अद्यतन जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, राज्य सरकारें मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए अस्पतालों को प्राधिकृत करती हैं। इस प्रकार यकृत प्रत्यारोपण केन्द्रों या विशेषज्ञों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

चूंकि यकृत प्रत्यारोपण का विषय देश के विभिन्न चिकित्सा शिक्षा के चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतर्गत विशेष विषय के रूप में शामिल किया गया है, इसलिए इस विषय पर चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें अद्यतन जानकारी देने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हैं।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

2563. श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 15 हजार से 1 लाख तक की जनसंख्या वाली सभी नगरपालिकाओं को एनयूएचएम के अंतर्गत कवर किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सुगम, किफायती और विश्वसनीय प्राथमिक संस्थागत तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पूरे देश में निर्धन शहरी लोगों को सुगम, किफायती और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) से (घ) जी हां। शहरी जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा जन स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी पर नए सिरे से ध्यान देने के लिए देश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम) शुरू करने का प्रस्ताव है। मिशन की रूपरेखा को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभाग तथा योजना आयोग सहित पणधारियों के साथ व्यापक परामर्श के जरिए अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-II शहरी घटक के रूप में गुणवत्तायुक्त समेकित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के जरिए शहरी गरीब की स्वास्थ्य स्थिति के सुधार के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, एन आर एच एम में जिला अस्पतालों, जहां शहरी गरीब भी जाते हैं के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का प्रावधान है।

इसके अलावा, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं-शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों (यू एफ डब्ल्यू सी) तथा शहरी स्वास्थ्य पोस्ट (यू एच पी) के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 1083 यू एफ डब्ल्यू सी एवं 871 यू एच पी के नेटवर्क के जरिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के पैकेज के रूप में प्रदान की जा रही हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सभी अन्य राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शहरी गरीब सहित गरीब व्यक्तियों की आवश्कताओं को पूरा करते हैं।

एनएचपीसी द्वारा जल विद्युत का उत्पादन

2564. श्री ए.के.एस. विजयनः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) ने तमिलनाडु सहित देश में जल विद्युत क्षमता का पूरी तरह दोहन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): देश में राज्य सरकारों, निजी विकासकर्ताओं, एनएचपीसी सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) आदि जैसी कई एजेंसियों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) को विकसित किया गया है/विकसित किया जा रहा है। देश में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1978-87 में जल विद्युत क्षमता के पुनर्निर्धारण संबंधी कराए गए अध्ययन के अनुसार अधिष्ठापित क्षमता के मामले में देश में जल विद्युत क्षमता 1,48,701 मेगावाट अनुमानित है, जिसमें से 1,45,320 मेगावाट की क्षमता में 25 मेगावाट अथवा उससे अधिक की अधिष्ठापित क्षमता वाली जल विद्युत स्कीमें शामिल हैं। उक्त चिह्नित क्षमता में से अब तक 33920.8 मेगावाट (23.34%) की क्षमता विकसित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, 14627 मेगावाट (10.07%) विकासाधीन है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

अब तक, एनएचपीसी ने 5295 मेगावाट (जेवी परियोजनाओं सहित) की कुल संस्थापित क्षमता सहित 14 जल विद्युत परियोजनाएं चालू की हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं। इसके अलावा कुल 4502 मेगावाट क्षमता की 10 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

तमिलनाडु में 1918 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता में से 1722.2 मेगावाट क्षमता अब तक विकसित की गई है और 60 मेगावाट विकासाधीन है। तथापि, एनएचपीसी की तमिलनाडु में कोई जल विद्युत परियोजना नहीं है।

(ग) देश में जल विद्युत क्षमता के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नांकित उपाय किए गए हैं-

1. जल विद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए नीतिगत पहलें की गई-

(i) नीतिगत उदारीकरण

(ii) जलविद्युत विकास संबंधी नीति

(iii) राष्ट्रीय जल नीति

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003.

(v) राष्ट्रीय विद्युत नीति

(vi) राष्ट्रीय पुनर्वास (आर एंड आर) नीति

(vii) मेगा विद्युत परियोजना नीति (संशोधित)।

2. जल विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए अन्य उपाय

(i) विद्युत निगमों का सृजन

(ii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा रैंकिंग अध्ययन

(iii) 50,000 मेगावाट की जल विद्युत पहल।

विवरण I

जल विद्युत क्षमता विकास की स्थिति

(जल विद्युत क्षमता विकास की स्थिति अधिष्ठापित क्षमता के संबंध में-25 मेगावाट से अधिक)

(31.10.2011 के अनुसार)

क्षेत्र/राज्य	पुनः मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार कुल	25 मेगावाट से ऊपर	विकसित क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		विकसित + निर्माणाधीन क्षमता		क्षमता जो अभी विकसित की जानी है	
	(मे.वा)	(मे.वा)	(मे.वा)	(%)	(मे.वा)	(%)	(मे.वा)	(%)	(मे.वा)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तरी										
जम्मू व कश्मीर	14146	13543	2340.0	17.28	1109.0	8.19	3449.0	25.47	10094.0	74.53
हिमाचल प्रदेश	18820	18540	7293.0	39.34	3582.0	19.32	10875.0	58.66	7665.0	41.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पंजाब	971	971	1206.3	100.00	0.0	0.00	1206.3	100.00	0.0	0.00
हरियाणा	64	64	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	64.0	100.00
राजस्थान	496	483	411.0	85.09	0.0	0.00	411.0	85.09	72.0	14.91
उत्तराखण्ड	18175	17998	3226.4	17.93	1225.0	6.81	4451.4	24.73	1354.67	75.27
उत्तर प्रदेश	723	664	501.6	75.54	0.0	0.00	501.6	75.54	162.4	24.46
उप-जोड़ (उ.क्षे.)	53395	52263	14978.3	28.66	5916.0	11.32	20894.3	39.98	31368.8	60.02
पश्चिम										
मध्य प्रदेश	2243	1970	2395.0	100.00	400.0	20.30	2795.0	100.00	0.0	0.00
छत्तीसगढ़	2242	2202	120.0	5.45	0.0	0.00	120.0	5.45	2082.0	94.55
गुजरात	619	590	550.0	93.22	0.0	0.00	550.0	93.22	40.0	6.78
महाराष्ट्र	3769	3314	2487.0	75.05	0.0	0.00	2487.0	75.05	827.0	24.95
गोवा	55	55	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	55.0	100.00
उप-जोड़ (प.क्षे.)	8928	8131	5552.0	68.28	400.0	4.92	5952.0	73.20	2179.0	26.80
पश्चिम										
आंध्र प्रदेश	4424	4360	2177.8	49.95	410.0	9.40	2587.8	59.35	1772.3	40.65
कर्नाटक	6602	6459	3585.4	55.51	0.0	0.00	3585.4	55.51	2873.6	44.49
केरल	3514	3378	1881.5	55.70	100.0	2.96	1981.5	58.66	1396.5	41.34
तमिलनाडु	1918	1693	1722.2	100.00	60.0	3.54	1782.2	100.00	0.0	0.00
उप-जोड़ (द.क्षे.)	16458	15890	9366.9	58.95	570.0	3.59	9936.9	62.54	5953.2	37.46
पूर्वी										
झारखंड	753	582	233.2	40.07	0.0	0.00	233.2	40.07	348.8	59.93
बिहार	70	40	0.0		0.0	0.00	0.0		40.0	100.00
ओडिशा	2999	2981	2027.5	68.01	0.0	0.00	2027.5	68.01	953.5	31.99
पश्चिम बंगाल	2841	2829	77.0	2.72	292.0	10.32	369.0	13.04	2460.0	86.96
सिक्किम	4286	4248	570.0	13.42	2163.0	50.92	2733.0	64.34	1515.0	35.66
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.0						0.0	
उप-जोड़ (पू. क्षे.)	10949	10680	2907.7	27.23	2455.0	22.99	5362.7	50.21	5317.3	49.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तर पूर्वी										
मेघालय		2298	156.0	6.79	166.0	7.22	322.0	14.01	1976.0	85.99
त्रिपुरा	15	0	0.0		0.0		0.0		0.0	
मणिपुर	1784	1761	105.0	5.96	0.0	0.00	105.0	5.96	1656.0	94.04
असम	680	650	375.0	57.69	0.0	0.00	375.0	57.69	275.0	42.31
नागालैंड	1574	1452	75.0	5.17	0.0	0.00	75.0	5.17	1377.0	94.83
अरूणाचल प्रदेश	50328	50064	405.0	0.81	4460.0	8.91	4865.0	9.72	45199. 0	90.28
मिजोरम	2196	2131	0.0	0.00	60.0	2.82	60.0	2.82	2071.0	97.18
उप-जोड़ (उ.पू.क्षे.)	58971	58356	1116.0	1.91	4686.0	8.03	5802.0	9.94	52554. 0	90.06
अखिल भारतीय	148701	145320	33920.8	23.34	14627.0	9.65	47947.8	32.99	97372.2	67.01

विवरण II

प्रचालनाधीन विद्युत स्टेशन

क्र.सं.	परियोजना	संस्थापत क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
	हिमाचल प्रदेश	
1.	बेरास्यूल	180
2.	चमेरा - I	540
3.	चमेरा - II	300
	जम्मू व कश्मीर	
4.	सलाल	690
5.	उड़ी-I	480
6.	दुलहस्ती	390
7.	सेवा-II	120
	सिक्किम	
8.	रंगित	60
9.	तीस्ता-5	510
	उत्तराखण्ड	
10.	टनकपुर	120
11.	धौलीगंगा-I	280
	मणिपुर	
12.	लोकतक	105
	मध्य प्रदेश	
13.	इंदिरा सागर (एनएचडीसी-जेवी)	1000
14.	ओंकारेश्वर (एनएचडीसी-जेवी)	520
	कुल	5295

विवरण III

मै. एनएचपीसी लिमिटेड के कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	राज्य
1.	चमेरा-II	231	हिमाचल प्रदेश
2.	निम्मू बाजगो	45	जम्मू व कश्मीर
3.	तीस्ता लो डैम-III	132	पश्चिम बंगाल
4.	चुटक	44	जम्मू व कश्मीर
5.	उड़ी-II	240	जम्मू व कश्मीर
6.	पार्वती-III	520	हिमाचल प्रदेश
7.	तीस्ता लो डैम-4	160	पश्चिम बंगाल
8.	सुबानसिरी लोअर	2000	असम/अरुणाचल प्रदेश
9.	पार्वती-II	800	हिमाचल प्रदेश
10.	किशनगंगा	330	जम्मू व कश्मीर
	कुल	4502	

[हिन्दी]

पर्यटक सुविधाएं

2565. कुमारी सरोज पाण्डेयः क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड सहित देश में पर्यटक सुविधाओं का विस्तार करने हेतु कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) उक्त परियोजनाओं हेतु किए गए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार के पास लंबित पड़ी परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ग) पर्यटन अवसंरचना के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके साथ विचार-विमर्श के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सितंबर, 2011 तक छत्तीसगढ़, झारखंड सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत राशि और परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30 सितंबर, 2011 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या तथा राशि**

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल योग (30.09.2011 तक)	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	9	26.29	8	109.89	13	37.29	10	20.38	8	40.67	48	234.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	43..30	13	31.47	14	36.54	13	32.26	6	13.62	57	157.19
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	6	17.47	4	21.08	7	22.76	4	23.55	3	4.23	24	89.09
5.	बिहार	4	21.95	10	25.05	3	6.99	1	3.60	0	0.00	18	57.59
6.	चंडीगढ़	2	0.20	5	7.99	5	11.51	5	11.04	0	0.00	17	30.74
7.	छत्तीसगढ़	5	12.94	1	11.34	0	0.00	4	20.95	0	0.00	10	45.23
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	3	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.24
9.	दमन और दीव	0	0.00	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.12
10.	दिल्ली	8	20.76	1	0.15	9	44.91	5	9.75	2	0.77	25	76.34
11.	गोवा	0	0.00	2	43.14	2	17.00	3	12.78	1	4.98	8	77.90
12.	गुजरात	5	5.81	7	21.33	1	7.33	1	0.14	2	51.75	16	86.36
13.	हरियाणा	10	22.50	7	36.70	6	12.37	6	27.41	1	0.10	30	99.08
14.	हिमाचल प्रदेश	12	34.81	10	34.58	6	23.95	12	34.98	2	0.22	42	128.54
15.	जम्मू एवं कश्मीर	33	70.60	28	43.42	31	49.75	20	56.17	17	115.88	129	335.82
16.	झारखंड	7	11.31	0	0	3	0.25	5	7.56	1	23.71	16	42.83
17.	केरल	11	41.24	12	42.68	7	12.98	3	42.87	3	8.44	36	148.21
18.	कर्नाटक	6	24.79	4	42.73	13	42.42	2	8.59	0	0.00	25	118.53
19.	लक्षद्वीप	1	7.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	महाराष्ट्र	7	22.79	3	41.10	2	5.01	3	11.30	0	0.00	15	80.20
21.	मणिपुर	5	11.11	9	29.44	9	27.14	8	39.40	4	22.99	35	130.08
22.	मेघालय	2	6.74	7	17.14	7	14.73	9	22.53	2	0.40	27	61.54
23.	मिजोरम	6	26.93	4	3.18	7	24.06	9	11.51	6	13.81	32	79.49
24.	मध्य प्रदेश	16	39.51	11	31.41	11	60.99	13	30.85	4	18.72	55	181.84
25.	नागालैंड	22	32.41	11	25.40	13	24.60	10	29.10	6	25.87	62	137.38
26.	ओडिशा	13	30.87	6	41.15	9	23.69	6	20.29	1	0.05	35	116.05
27.	पुडुचेरी	6	16.10	4	2.52	3	5.57	3	50.26	0	0.00	16	74.45
28.	पंजाब	2	15.98	5	24.93	3	9.48	4	11.91	1	4.23	15	66.53
29.	राजस्थान	2	1554	9	44.31	7	19.74	7	31.32	3	14.50	28	125.41
30.	सिक्किम	25	55.91	20	66.78	19	42.36	14	23.48	4	13.45	82	201.98
31.	तमिलनाडु	11	27.61	16	36.14	10	16.28	6	60.00	1	3.65	44	143.68
32.	त्रिपुरा	11	11.11	6	3.61	13	20.67	12	40.73	6	15.44	48	91.56
33.	उत्तर प्रदेश	7	29.24	6	38.40	6	21.90	14	27.85	7	10.86	40	128.25
34.	उत्तराखंड	6	21.01	2	44.68	1	0.55	8	29.78	9	37.63	26	133.65
35.	पश्चिम बंगाल	12	32.41	10	37.94	7	28.37	8	22.02	2	8.18	39	128.92
	कुल योग	283	757.06	245	960.04	247	671.19	228	774.36	102	454.15	1105	3616.80

*पीआईडीडीसी, एचआरडी और आरटी से संबंधीत परियोजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

जैविक खाद्य

2566. श्री हमदुल्लाहसईदः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जैविक खाद्यों की शुद्धता और उनमें पोषण तथा विटामिनों की विद्यमानता का पता लगाने के लिए इनका कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) सरकार द्वारा देश में जैविक खाद्य के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में इस मुद्दे के संबंध में ऐसे कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के अधीन जैव कृषि संबंधी एक नेटवर्क परियोजना शुरू की है जिसका प्रमुख केन्द्र प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर फॉर्मिंग सिस्टम्स रिसर्च, मोदीपुरम में है।

[हिन्दी]

पीईएआईएस

***2567 श्री बलीराम जाधवः** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंचायत अधिकारिता और उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना (पीईएआईएस) का उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या हस्तांतरण सूचकांक (डी आई) में ऊपर के स्थान पर रहने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक आधार पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक प्रावधान और रैकिंग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) संचित डी आई और वर्धित पंचायत हस्तांतरण सूचकांक के संबंध में राज्यों के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन हेतु उन्हें दी गई प्रोत्साहन राशि का राज्य/क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायिता प्रोत्साहन योजना (पीईएआईएस) का उद्देश्य पंचायतों को तीन "क" (कार्य कोष तथा कार्मिक) का अंतरण करने के लिए राज्यों को उत्साहित करना तथा अपने कार्यो को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदायिता प्रणाली लागू करने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित करना।

(ख) अंतरण सूचंकाक पर उनके रैंक के आधार पर सर्वोत्तम कार्य करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। राज्य-वार निधियां नामोदिष्ट नहीं की जाती हैं।

(ग) और (घ) पी ई ए आई एस के लिए वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक प्रत्येक वर्ष के लिए वजट प्रावधान प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये था जिसे वर्ष 2011-12 में बढ़ाकर 31.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 से 2010-11 में दिये गये पुरस्कारों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान अंतरण सूचकांक पर राज्यों की रैंकिंग संलग्न विवरण-II में दी गयी है। वृद्धिमूलक अंतरण केवल वर्ष 2010-11 में आरंभ किया गया था।

विवरण I

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए पुरस्कारों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 में जारी निधियां	2009-10 में जारी निधियां	2010-11 में जारी निधियां	
				संचयी	वृद्धिमूलक
1	2	3	4	5	6
1.	असम	50.00	-	-	
2.	छत्तीसगढ़	50.00	-	-	
3.	हरियाणा	75.00	-	-	50.00
4.	हिमाचल प्रदेश	75.00	-	-	
5.	कर्नाटक	75.00	250.00	200.00	*
6.	केरल	150.00	250.00	300.00	*
7.	मध्य प्रदेश	150.00	-	-	-
8.	राजस्थान	-	-	-	150.00

1	2	3	4	5	6
9.	सिक्किम	75.00	100.00	100.00	-
10.	तमिलनाडु	150.00	150.00	-	-
11.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-
12.	पश्चिम बंगाल	150.00	150.00	100.00	-
13.	महाराष्ट्र	-	100.00	-	100.00
	कुल	1000.00	1000.00	700.00	300.00

यद्यपि केरल और कर्नाटक को वृद्धिमूलक अंतरण में क्रमशः दूसरा और चौथा रैंक दिया गया था, उन्हें वृद्धिमूलक अंतरण सूचकांक के लिए अलग से निधियां जारी नहीं की गई थीं, क्योंकि उन्हें संचयी अंतरण के लिए पुरस्कृत किया गया था।

विवरण II

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक अंतरण सूचकांक के अनुसार निर्णीत राज्यों की रैकिंग

राज्य	रैंक 2010-11		रैंक 2009-10	रैंक 2008-09
	संचयी	वृद्धिमूलक		
1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	8	6	6	1
पश्चिम बंगाल	4	7	4	2
तमिलनाडु	7	10	3	3
केरल	1	2	1	4
कर्नाटक	2	4	2	5
सिक्किम	3	6	9	6
हिमाचल प्रदेश	14	9	10	7
हरियाणा	13	5	11	8
छत्तीसगढ़	11	10	18	9
असम	18	11	21	10
आंध्र प्रदेश	10	10	8	11
उत्तर प्रदेश	17	7	13	12

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	6	3	5	13
अरुणाचल प्रदेश	23	13	22	14
राजस्थान	5	1	16	15
गोवा	22	13	17	16
त्रिपुरा	12	8	-	17
ओडिशा	15	11	12	18
बिहार	21	13	14	19
पंजाब	-	-	19	20
मणिपुर	16	12		21
गुजरात	9	9	7	-
लक्षद्वीप	-	-	15	-
उत्तराखंड	20	12	20	-
चंडीगढ़	-	-	23	-
पुदुचेरी	19	13		
झारखंड	24	13	-	-

बैंकों में अधिवक्ता

2568. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंकों के पैनल पर नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं की बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त नियुक्तियों में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अधिवक्ताओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंक, न्यायाधिकरणों आदि में अपने मामलों का बचाव करने के लिए अपने पैनल में वकीलों को सूचीबद्ध करते हैं। ऐसी सूची तैयार करते समय बैंक अपने-अपने बैंक के नीतिगत ढांचे के तहत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। ये पहलू हैं कानूनी मामलों की संख्या, शाखाओं का ऋण कारोबार, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मामलों का संकेन्द्रण, आवेदकों का अनुभव आदि। वकीलों की सूची तैयार करने का अर्थ नियुक्त देना नहीं होता है, इसलिए ऐसी सूची पर विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधित्व पर सरकारी दिशानिर्देश लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक बैंक अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वकीलों को पैनल में सूचीबद्ध करते हैं और इसलिए प्रत्येक बैंक के पैनल में समय-समय पर सूचीबद्ध वकीलों की संख्या भिन्न-भिन्न हो सकती है।

[अनुवाद]

असम के किसानों पर ऋण

2569. श्री बदरूद्दीन अजमलः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि गत तीन वर्षों के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने के कारण असम के किसानों के ऋण में कई गुणा वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार असम के ऋण ग्रस्त किसानों को राहत प्रदान करने का है ताकि वे इस आपदा से उबर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य राहत उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) असम सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) असम ने सूचित किया है कि ब्रह्मपुत्र और बराक नदी एवं उनकी सहायक नदियों से प्रभावित क्षेत्रों को कवर करते हुए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष बाढ के कारण लघु और सीमांत किसानों की फसलों का नुकसान निम्नवत हैः-

वर्ष	कुल फसल क्षेत्र हैक्टेयर में
2009	49854.09
2010	144043.86
2011	69200.66

असम सरकार ने आपदा प्रबंधन और आपदा राहत निधि के अंतर्गत वर्ष 2008-09 और 2010-12 के बीच असम के ऋणग्रस्त किसानों को 10,529.48 लाख रुपए की राशि प्रदान की है।

इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं के समय बैंक उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को स्थायी दिशानिर्देश जारी किए हैं। राहत उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(क) फसल ऋणों और कृषि सावधी ऋणों के बकाया मूलधन और उन पर प्रोदभूत ब्याज को सावधि ऋणों में रूपांतरित करना;

(ख) फसल खराब होने की बारम्बारता/फसलों के नुकसान की तीव्रता के आधार पर 3 से 10 वर्षों की अवधियों के लिए ऋणों और उप पर प्रोदभूत ब्याज का रूपांतरण/पुनर्नियतन;

(ग) प्रभावित किसानों के लिए नए फसल ऋण;

(घ) रूपांतरित/पुनर्नियत कृषि ऋणों को 'चालू बकाया' मानना;

(ङ) रूपांतरित/पुनर्नियत ऋणों के संदर्भ में ब्याज को चक्रवृद्धि नहीं करना;

(च) जमानत और मार्जिन से संबंधित उदार मानदण्ड;

(छ) जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उनके लिए उपभोग ऋणों की व्यवस्था करना; और

(ज) पुनर्नियत करते समय कम से कम एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि।

आईसीपीएस के अंतर्गत बाल गृह

2570. श्री प्रहलाद जोशी : क्या **महिला और विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत स्थापित बाल गृहों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार आईसीपीएस के अंतर्गत और बाल गृहों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय वर्ष 2009-10 से समेकित बाल संरक्षण स्कीम का क्रियान्वयन कर रह है, जिसके अंतर्गत बाल गृहों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों के रखरखाव, उन्न्यन एवं निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त बाल गृहों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके द्वारा प्रक्षेपित मांग के अनुसार बाल गृहों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदन की जाती है।

विवरण

आईसीपीएस के अंतर्गत सहायता प्राप्त बाल गृहों सहित विभिन्न प्रकार के गृह

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12 (06.12.2011 तक)
		गृहों की संख्या	गृहों का संख्या	गृहों का संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22	102	102
2.	असम	7	5	0
3.	बिहार	-	21	-
4.	छत्तीसगढ़	13	-	-
5.	गुजरात	57	57	57
6.	हरियाणा	9	12	-
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	22
8.	झारखंड	-	-	16
9.	कर्नाटक	76	62	63
10.	केरल	30	31	-
11.	महाराष्ट्र	-	738	-
12.	मणिपुर	12	12	-
13.	मेघालय	-	4	-
14.	मिजोरम	-	4	-
15.	नागालैंड	2	-	-
16.	ओडिशा	5	29	27
17.	पंजाब	-	-	15
18.	राजस्थान	63	-	63
19.	सिक्किम	-	-	1
20.	तमिलनाडु	42	41	41

1	2	3	4	5
21.	त्रिपुरा	-	9	-
22.	उत्तर प्रदेश	-	-	49
23.	पश्चिम बंगाल	39	43	-
24.	दिल्ली	-	23	25
25.	पुदुचेरी	-	6	-
	कुल	377	1199	481

[हिन्दी]

आदिम जनजातियों की जनसंख्या

2571. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ जनजातियां किसी राज्य में आदिम जनजातियों का लाभ प्राप्त कर रही हैं जबकि उसी जाति की जनजातियां अन्य राज्यों में उन लाभों से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और समुदाय-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में आदिम जनजातियों की संख्या में कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ऋण माफी पैकेज

2572. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब राज्य का कोई ऋण माफी वित्तीय पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में पंजाब राज्य के साथ कोई पत्र व्यवहार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) तेरहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों के माध्यम से केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को दिए केंद्रीय ऋण जो 31 मार्च, 2010 को बकाया थे, आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों द्वारा राजकोषीय जिम्मेदारी कानून संशोधित/बनाए जाने के अध्यधीन माफ कर दिए जाएं। भारत सरकार ने पंजाब सहित सभी राज्यों के लिए यह सिफारिश स्वीकार कर ली है।

(ग) और (घ) इसकी सूचना पंजाब सहित सभी राज्यों को 14 जनवरी, 2011 को दे दी गई है। यह सूचना वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट www.finmin.nic.in पर उपलब्ध है।

एमएफआई को सस्ती दरों पर निधियां

2573. श्री आर. ध्रुवनारायणः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को बैंकों से सस्ती दरों पर निधियां मिलने की संभावना समाप्त होने की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 3 मई, 2011 के परिपत्र के अनुसार, 1 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात एमएफआई को दिए गए बैंक ऋण को कुछ शर्तों के अध्यधीन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का दर्जा दिया गया है, ये शर्तें हैं- एमएफआई की कुल आस्तियों में से 85% आस्तियां विशेष प्रकृति की हो, आय सृजन हेतु दी गई कुल राशि एमएफआई द्वारा दी गई कुल ऋणों की राशि के 75% से कम न हो और मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों का पालन किया गया हो। इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की गई है कि सभी एमएफआई के लिए 12% की मार्जिन-सीमा, सभी एमएफआई के लिए व्यक्तिगत ऋणों पर ऊपरी ब्याज सीमा 26% प्रतिवर्ष हो और विलबिंत भुगतान के लिए कोई जुर्माना न हो और कोई प्रतिभूति जमा/मार्जिन न लिया जाए। आरबीआई ने 2 दिसम्बर, 2011 को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआइ) की एक नई श्रेणी की शुरूआत भी की है।

स्वास्थ्य परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता

2574. श्री समीर भुजवलः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ग्रामीण अस्पतालों हेतु माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के उन्नयन हेतु राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अस्पताल परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निजी अस्पतालों में निर्धनों हेतु बिस्तर आरक्षित करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) फिलहाल विश्व बैंक राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण कर रहा है। इन परियोजनाओं में जिला और उप-जिला स्तरों पर पूर्ण-विद्यमान स्वास्थ्य सुविधाओं का क्षमता-संवर्धन शामिल है।

(ग) और (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है अतः निजी अस्पतालों में गरीबों के लिए बिस्तर आरक्षित करना केन्द्र सरकार के दायरे में नहीं आता है। डब्ल्यू पी सी सं. 2866/2002 में सोशल ज्यूरिस्ट बनाम जीएनसीटीडी एवं अन्य के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22.3.2007 के आदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के संबंध में भूमि आबंटित करने वाली विभिन्न एजेंसियों से रियायती दरों पर भूमि प्राप्त करने वाले कतिपय निजी अस्पतालों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रोगियों की पात्र श्रेणी को शुल्क रहित 10 प्रतिशत आईपीडी और 25 प्रतिशत ओपीडी प्रदान करना अपेक्षित है।

एमएफआइएस को बैंक ऋण

2575. श्रीमती श्रुति चौधरीः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूक्ष्म संस्थाओं (एमएफआई) को बैंक ऋण हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) जारी रखने की अनुमति दिए जाने के पश्चात सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में कुछ सकारात्मक घटनाएं देखी गई हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हरियाणा सहित इस संबंध में अब तक राज्य-वार क्या घटनाएं देखी गई हैं; और

(ग) ऐसी एमएफआई से अब तक कितने लोगों को लाभ पहुंचा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 मई, 2011 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 1 अप्रैल, 2011 को अथवा इसके पश्चात व्यक्ति विशेष को तथा इसके साथ-साथ एसएचजी/जेएलजी के सदस्यों को सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को दिए बैंक ऋण तथा अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में सूक्ष्म ऋण (अन्य प्रयोजनों हेतु) संबंधित श्रेणियों अर्थात कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के रूप में श्रेणीकरण हेतु पात्र होंगे, बशर्ते एमएफआई की कुल आस्तियों का न्यूनतम 85% (बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं के पास नकदी, शेष राशि के अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों एंव मुद्रा बाजार लिखत) "अर्हक आस्तियों" के स्वरूप में हो। इसके अतिरिक्त आय सृजन के कार्यकलाप हेतु प्रदान किए गए ऋण की कुल राशि एमएफआई द्वारा दिए गए कुल ऋण के 75% से कम नहीं हो।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि इस वर्ष में एनबीएफसी-एमएफआई को बैंक ऋणों हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) को दर्जा जारी रखने की अनुमति देने के पश्चात सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में कुछ सकारात्मक गतिविधियां नजर आनी शुरू हो गई हैं।

बैंकों ने एमएफआई को एक सीडीआर पैकेज प्रदान किया है तथा कई सूक्ष्म वित्त संगठनों ने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कारपोरेट ऋण पुनर्निर्धारण (सीडीआर) को अपने बैंक ऋणों के पुननिर्धारण हेतु अपनाया है।

पूरक पोषण कार्यक्रम

2576. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत स्वीकृत और आवंटित खाद्यान्नों और निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न और निधियां जारी नहीं की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम में 6 सेवाओं में से एक सेवा के रूप में पूरक पोषण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 50:50 में लागत की भागीदारी (पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 90:10) के साथ क्रियान्वित किया जाता है। निधियों को वित्तीय मानकों एवं व्यय की गति के आधार पर वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्यतः चार या अधिक किस्तों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायतानुदान के रूप में निर्मुक्त किया जाता है। पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षो एवं मौजूदा वर्ष के दौरान निर्मुक्त राशि का राज्य वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

पूरक पोषण कार्यक्रम के सुकर क्रियान्वयन के लिए इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त खाद्यान्न, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित किए जाते है। गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यानों का आबंटन प्रति वर्ष(i) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई प्रक्षेपित मांग (ii) कुल मांग के अनुसार खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता (iii) उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करन तथा (iv) खाद्यानों की आबंटित मात्रा में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यानों के उठान पर आधारित होता है।

गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की दर पर भारतीय खाद्य नियम से उठाए जाते है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों की लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उन्हे निर्मुक्त सहायतानुदान तथा पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत उनके अंश सहित वहन किया जाता है। गत तीन वर्षो के दौरान तथा मौजूदा वर्ष में गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रो को आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2008-09 से 2011-12 (05.12.2011 तक) के दौरान पुरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि की राज्य-वार स्थिति

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	18994.92	31285.70	16003.74	30207.51
2.	बिहार	15346.08	40695.19	48335.94	25507.10

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	5429.43	7461.68	14211.95	7193.62
4.	गोवा	123.83	375.94	418.23	195.96
5.	गुजरात	7464.33	8696.39	11985.65	12084.16
6.	हरियाणा	5143.00	6884.01	5211.60	3817.78
7.	हिमाचल प्रदेश	2282.58	2939.36	2466.48	1310.58
8.	जम्मू और कश्मीर	697.98	1671.09	1949.78	1949.76
9.	झारखण्ड	6545.80	16893.64	23438.78	10867.72
10.	कर्नाटक	10936.42	26325.26	23585.19	13514.30
11.	केरल	5597.50	7545.81	8071.33	3664.22
12.	मध्य प्रदेश	8290.06	22339.36	38917.63	31000.50
13.	महाराष्ट्र	20646.17	20350.12	20350.12	20934.06
14.	ओडिशा	8729.46	13968.2	19490.01	14135.66
15.	पंजाब	2282.68	1748.03	4402ए84	4612.06
16.	राजस्थान	10957.94	11014.23	20449.06	13525.24
17.	तमिलनाडु	5428.14	13268	12395.76	7735.84
18.	उत्तर प्रदेश	57090.72	86778.09	138267.06	78369.76
19.	उत्तराखण्ड	1202.36	740.47	1303.60	1313.20
20.	पश्चिम बंगाल	16810.60	13577.01	35274.00	20119.18
21.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	108.78	144.80	106.95	60.85
22.	चंडीगढ़	96.87	193.78	129.88	145.83
23.	दादरा व नगर हवेली	47.33	91.58	62.90	53.10
24.	दमन और दीव	27.48	50.37	33.58	31.07
25.	लक्षद्वीप	50.92	42.87	29.69	29.69
26.	दिल्ली	1417.03	4171.53	4004.05	2017.30
27.	पुंडुचेरी	82.97	139.91	395.95	1016.39
28.	अरूणाचल प्रदेश	326.68	856.32	3047.89	1465.04

1	2	3	4	5	6
29.	असम	10541.20	17660.74	21579.99	26082.76
30.	मणिपुर	1129.16	1477.61	4449.60	2248.30
31.	मेघालय	1362.96	5301.00	5650.42	2701.72
32.	मिजोरम	766.71	2020.79	2241.65	1120.82
33.	नागालैंड	1303.31	2658.79	4782.37	2115.22
34.	सिक्किम	95.53	794.39	362.44	260ए42
35.	त्रिपुरा	774.40	2851.68	3464.40	6746.08
	कुल	228131.33	373013.74	496870.51	348152.80

विवरण II

गत तीन वर्षों के दौरान तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष में (05.12.2011 तक) गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न

(मीट्रिक टन में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (05.12.2011 तक)	
		गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह				19.8		2.56	0	267
2.	आंध्र प्रदेश	40779	23288	43440	31239	73352	29006	40500	35610
3.	अरूणाचल प्रदेश			6280	6280				
4.	छत्तीसगढ़		83199	22500	54367	33201	23583	29145	15501
5.	दादरा और नगर हवेली		22		131		38		93
6.	गोवा					438	431	1416	1416
7.	गुजरात	59249		65196	1326	76040		49152	
8.	हरियाणा	735		815		22489	3798	26754	2996
9.	हिमाचल प्रदेश	3456	2953	4392	4108	5841	3592	4746	2643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	जम्मू और कश्मीर		788	1810	4369		3692		6297
11.	झारखण्ड		14119			1261	198	7424	51782
12.	कर्नाटक	53088	32470	50729	35788	67255	17667	38439	9423
13.	केरल			10198	7420	10347	11370	13170	6240
14.	मध्य प्रदेश	59249	7383	104600	14869	162000	65000	121500	48750
15.	महाराष्ट्र		22325	13782	36980	66505	23831	49955	8598
16.	मणिपुर				11400	0	19067		5354
17.	मेघालय								14445
18.	मिजोरम		690		785	1217	803	1661	680
19.	नागालैंड	2926	2249	8430	8243	1267	11384		9456
20.	ओडिशा	15882	93629	15786	112409	19820	129720	72177	35617
21.	पंजाब	2229	1573	3918	3907	8490	6737	8609	7230
22.	राजस्थान	3569		4165		40491		25546	
23.	सिक्किम					350	120	705	173
24.	तमिलनाडु	11738		13970		39720		36930	20160
25.	त्रिपुरा		5547		10540		9200		10514
26.	उत्तराखण्ड	11882		12100		9282	1882	14211	
27.	उत्तर प्रदेश	161728		199965		239419		170281	
28.	पश्चिम बंगाल						115576		
	कुल	426510	290235	582076	344359	878785	476951	712321	293245

[हिन्दी]

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ

2577. श्री लक्ष्मण टुडुः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में जनजातियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन हेतु सरकार और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (टीआरआईएफईडी) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे लाभान्वित हुए जनजातीय परिवारों की ओडिशा सहित राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को टीआरआईएफईडी में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) देश में जनजातियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए विभिन्न उपाय करता है। खुदरा विपणन विकास योजनाओं के तहत, ट्राइफेड ने विभिन्न घरेलू और अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में कंसाइन्मेंट और हिस्सा लेने के आधार पर जनजातीय उत्पादों की बिक्री के लिए सरकारी/ अन्य एजेन्सियों के साथ समझौता किया है। इसके अलावा, ट्राइफेड एमएफपी के संरक्षण के लिए विभिन्न शिल्प वर्गो और कौशल आधारित रूपों में जनजातीय कारीगरों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जनजातियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए सरकार और ट्राइफेड द्वारा किये गए उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिये गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ट्राइफेड द्वारा ओडिशा में किये गए उपायों से लाभान्वित जनजातीय परिवारों की संख्या संलग्न विवरण-II दी गई है।

(ग) से (ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ट्राइफेड में भ्रष्टाचार की शिकायतों के ब्यौरे संलग्न विवरण III में दिये गए हैं।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों द्वारा उत्पादित के विपणन के लिए ट्राइफेड द्वारा किये गए उपाय के ब्यौरे स्थापित नए बिक्री केन्द्र

(1) स्थापित नए बिक्री केन्द्रः

क्र.सं.	वर्ष	स्थापित नये बिक्री केन्द्रों की संख्या	राज्य
1	2	3	4
1.	2008-09	8	1. इलाहाबाद (उ.प्र.) 2. हैदराबाद (2) (आं.प्र.) 3. विशाखापत्तनम (आ.प्र.) 4. कलकत्ता (2) (प.ब.) 5. बेंगलौर (कर्नाटक) 6. कोची (केरल)
2.	2009-10	3	1. भोपाल (म.प्र.) 2. दिल्ली हॉट, आईएनए (दिल्ली) 3. भुवनेश्वर (ओडिशा)
3.	2010-11	3	1. शिमला (हि.प्र.) 2. मुम्बई (महाराष्ट्र) 3. इंदौर (म.प्र.)
4.	2011-12 30.11.2011 तक	3	1. मनाली (हि.प्र.) 2. सूरत (गुजरात) 3. जयपुर, राजस्थान

(2) कंसाइमेंट के आधार पर नए बिक्री केन्द्रः

क्र.सं.	वर्ष	कंसाइमेंट के आधार पर नए बिक्री केन्द्रों के ब्यौरे	राज्य
1.	2008-09	3	1. लीपाक्षी, हैदराबाद 2. लीपाक्षी, विजयवाड़ा 3. नत्थु लाल, गंगटौक
2.	2009-10	3	1. मृगनयनी, इंदौर 2. बिपोनी, जमशेदपुर 3. नीमराना, राजस्थान
3.	2010-11	1	1. सोनाली, पटना
4.	2011-12 30.11.2011 तक)	2	1. पूम्फार, कोयम्बटूर 2. कॉवेरी, ईनाकुलालम

(3) आयोजित आदिशिल्पः

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	स्थान	प्रतिभागी कलाकारों की संख्या	प्रदर्शिनि के दौरान बिक्री
1.	2008-09	नई दिल्ली	165	66.00
		बेंगलौर	40	36.61
		जयपुर	80	23.81
		शिमला	82	5.63
		भोपाल	97	17.43
2	2009-10	नई दिल्ली	190	39.26
		हैदराबाद	90	32.51
		बैंगलोर	132	45.90
3	2010-11	भोपाल	85	18.72

4. "आदिचित्रा" प्रदर्शनियांः

क्र.सं.	वर्ष	स्थान	प्रदर्शिनी के दौरान बिक्री
1.	2010-11	जहांगीर आर्ट गैलरी, मुम्बई	7.56 लाख रुपये
2.	2011-12	चितरक्का लाल परिषद, बैंगलोर	प्रदर्शनी प्रगति में
3.	2011-12	नेहरू सेंटर, मुम्बई	प्रदर्शनी प्रगती में

5. अन्य अभिकरणों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में ट्राइफेड की भागीदारीः

क्र.सं.	वर्ष	प्रदर्शनियों की संख्या
1.	2008-09	75
2.	2009-10	50
3.	2010-11	55
4.	2011-12 (30.11.2011 तक)	30

प्रमुख शहर ये हैः दिल्ली, कोलकत्ता, बंगलोर, चेन्नई, गुवाहटी, इलाहाबाद, गुड़गाव, भुवनेश्वर, देहरादून, शिमला, भोपाल, हैदराबाद, रांची तथा पुणे।

6. ओक्टावे वेल्ले में भागीदारीः

वर्ष	स्थान का नाम	प्रतिभागी कलाकारों की संख्या
1	2	3
2008-09	पटना (बिहार)	44
	गोवा	73
	मुम्बई (महाराष्ट्र)	73
2009-10	सूरत (गुजरात)	39
	लखनऊ (उ.प्र.)	09
	पंजाब (पंजाब)	29
	कोलकत्ता (प.ब.)	16
2010-11	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	25
	भोपाल (म.प्र.)	14
	जयपुर (राजस्थान)	17
2011-12 (30.11.11 तक)	गोवा	60

7. अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के ब्यौरे जहां ट्राइफेड ने भाग लिया हैः

वर्ष	प्रदर्शनी का नाम	स्थान
2008-09	आईएसएफ, बैरिमिंघम	यू.के.
2009-10	संता दी फोक आर्ट मार्किट,न्यू मैक्सिको	यू.एस.ए
2010-11	शून्य	
2011-12	इंटरगिफ्ट फेयर, 2011, मेड्रिक स्पेन	स्पेन
2011-12	अल्फा आर्टीगिनो इंफीरिया, मिलालन	इटली

8. ट्राइफेड द्वारा जनजातीय उत्पादों की खरीदः *(लाख रुपये में)*

क्र.सं.	वर्ष	खरीद
1	2008-09	680.00
2	2009-10	612.87
3	2010-11	648.25
4	2011-12 (तक 30.10.2011)	480.55

9. ट्राइफेड द्वारा आयोजित जनजातीय कारीगर मेला (टीएएम) के ब्यौरेः

क्र.सं.	वर्ष	स्थान	प्रतिभागी कलाकारों की संख्या
1	2008-09	भटवारी ब्लॉक, उत्तर काशी (उत्तराखंड)	191
		गुवाहटी (असम)	21
		इम्फाइल (मणिपुर)	7
		रांची (झारखंड)	100
2	2009-10	गुवाहटी (असम)	95
		झबुआ (म.प्र.)	25
		धारूचालाला (उत्तराखंड)	28
		कुल्लु (हिमाचल प्रदेश)	61
		रांची (झारखंड)	16
		अहमदाबाद (गुजरात)	50
		उदयपुर (राजस्थान)	29
3.	2010-11	रिंकोंग पिओ (हि.प्र.)	43
		गंगटौक (सिक्किम)	28
		वसदा (गुजरात)	30
		कीयलोंग (हि.प्र.)	59
		धीमारपुर (नागालैंड)	42
		मंडलाल (म.प्र.)	51
		वियारा, (गुजरात)	50
4.	2011-12 (तारीख तक 30.11.2011)	रांची (झारखंड)	20
		उत्तरकाशी (उत्तराखंड)	52
		डिंडोरी (मध्य प्रदेश)	51
		भदराचालालम (आं. प्रं.)	89
		दार्जीलिंग (प.बं.)	69

10. ट्राइफेड द्वारा जनजातीय हस्तशिल्प कारीगरों के शिल्प उन्नयन और क्षमता निर्माणः

वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
2008-09	21	423
2009-10	23	459
2010-11	30	626
2011-12 (तारीख तक 30.11.2011)	14	260
कुल	88	1768

11. लघु वन उत्पाद (एमएफपी) संग्रहकर्ताओं को कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण प्रशिक्षणों के लिए ट्राइफेड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमः

वर्ष	शहद इकट्ठा करने वाले	गोंद संग्रहकर्ता	महुआ के फूल	लाख उत्पादक	सीयूपी पत्ते तथा प्लेट्स मेकिंग
2008-09	3298	3401	400	770	450
2009-10	2576	4628	100	1319	690
2010-11	2850	-	0	1430	160
2010-12 (30 नवम्बर, 2011 तक)	1285	-	2700	650	100
कुल	10009	8029	3200	4169	1400

विवरण II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ट्राइफेड द्वारा किए गए उपायों से जनजातीय परिवारों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	लाभान्वित संबद्ध परिवारों की संख्या (31.03.2009 की तिथि के अनुसार)	लाभान्वित संबद्ध परिवारों की संख्या (31.03.2009 की तिथि के अनुसार)*	लाभान्वित संबद्ध परिवारों की संख्या (31.03.2009 की तिथि के अनुसार)
1	2	3	4	5
1	गुजरात	8998	8998	9559
2.	कर्नाटक	120	120	140

1	2	3	4	5
3.	तमिलनाडु	150	150	330
4.	केरल	30	80	80
5.	ओडिशा	347	273	387
6.	मध्य प्रदेश	124	304	338
7.	उत्तराखंड	4437	4546	4806
8.	जम्मू और कश्मीर	221	401	501
9.	हिमाचल प्रदेश	265	2425	2962
10.	दिल्ली	3359	1573	3235
11.	उत्तर प्रदेश	50	50	23
12.	पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम)	15164	17083	25733
13.	आंध्र प्रदेश	5124	7237	7237
14.	राजस्थान	251	284	284
15.	छत्तीसगढ़	4091	5755	5835
16.	महाराष्ट्र	4116	4146	4146
17.	झारखंड	526	526	526
	कुल	47403	53951	66122

विवरण III

गत तीन वर्षों के दौरान ट्राइफेड में भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे

क्र. सं.	कॉम्पलीमेंट की तारीख	कंप्लेंट का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	15.09.2008	श्री इंद्रामणी नायक, स्टैनो-टाइपिस्ट के शिकायत जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीबीई द्वारा खुले आम रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।	ट्राइफेड द्वारा कार्रवाई की मंजूरी दी गई। सीबाई कोर्ट भुवनेश्वर में मामला लंबित है।
2.	12.4.2008	ट्राईफेड कार्यालय में रिश्तेदारों को रोजगार देने के लिए सरकारी पद का दुरूपयोग करने के संबंध में श्री एम भाव सिंह, आर.एम के विरूद्ध शिकायत।	इस मामले में प्रारंभिक कार्रवाई की गई है। संबंधित अधिकारी की सेवाएं लंबित की गई हैं।

1	2	3	4
3.	15.7.2009	क्षेत्रीय कार्यालय, ट्राइफेड जयपुर ने दो कर्मचारियों द्वारा अपनी पद का दुरूपयोग करने के बारे में सार्वजनिक निधियों का दुरूपयोग करने के संबंध में	सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के तहत दो कर्मचारियों को चार्जशीट दी गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है।
4.	11.9.2009	श्री कुमार शरद, सहायक, ट्राइफेड द्वारा देहरादून में ट्राइफेड बिक्री केन्द्र से कलाकृतियों की चोरी के संबंध में	ट्राइफेड द्वारा कानूनी कार्रवाइ की मंजूरी दे दी गई है। पुलिस में मामला दर्ज किया गया है और यह मामला देहरादून न्यायालय में लंबित है।
5.	11.9.2009	एनजीओ को अप्राधिकृत निधि जारी करने के संबंध में श्री आर. एम. वैद्य, आर.एम मुबई के संबंध में शिकायत	श्री वैद्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपने उत्तर में श्री वैद्य ने एनजीओ को निधियां निर्मुक्त करने के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की है जो विचाराधीन है।
6.	15.9.2009	श्रीमती सीमा के. भटनागर, डीजीएम और श्री आर. के. जिंदल, वरिष्ठ लेखाकार, ट्राइफेड द्वारा अपने सरकारी पद का दुरूपयोग करने और सरकारी निधियों का दुरूपयोग करने के संबंध में	दोनों अधिकारियों को निलंबित किया गया है। सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के तहत चार्जशीट जारी दी गई है और जांच प्रक्रिया जारी है।
7.	24.12.2009	श्री एन.एम त्रिपाठी, सहायक प्रबंधक द्वारा अहमदाबाद में ट्राइफेड बिक्री केन्द्र की बिक्री आय के दुरूपयोग के संबंध में	श्री त्रिपाठी को निलंबित किया गया है। सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के तहत चार्जशीट जारी की गई है और जांच प्रक्रिया चल रही है।
8.	19.7.2010	हैदराबाद में प्रदर्शनी आयोजित करने में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी वाहनों के दुरूपयोग के संबंध में श्री एम. भाव सिंह, आर.एम हैदराबाद के विरूद्ध शिकायत	इस मामले में प्रारंभिक जांच की गई है। इसके अलावा आरोप हैदराबाद, से सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया है
9.	29.4.2011	ठेकेदार द्वारा किये गए कार्य के संबंध में बिलों को पास करने के संबंध में श्री आर.एम वैद्य, क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा रिश्वत की मांग करने के संबंध में	इस मामले में आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता से आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया है और इनका उत्तर प्रतिष्ठित है।

[अनुवाद]

बहु औषधि प्रतिरोधक तपेदिक

2578. श्री एस. पक्कीरप्पाः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बहु औषधि प्रतिरोधक (एमडीआर) तपेदिक और व्यापक औषधि प्रतिरोधक (एक्सडीआर) तपेदिक का प्रसार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से एक्सडीआर-तपेदिक का पता लगाने के लिए देश में उन्नत संदर्भ परीक्षण प्रयोगशालाओं (एडवांस्ड रेफरेंस टेस्ट लैब्स) की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो देश में स्थापित की गई अथवा स्थापित की जाने वाली परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा एमडीआर-तपेदिक और एक्सडीआर-तपेदिक के प्रसार पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की निगरानी और अनुवीक्षण वैश्विक रिपोर्ट-2010 के अनुसार एमडीआर की व्याप्तता नए क्षयरोगियों में 2.3 प्रतिशत और पुनः उपचार प्राप्त करने वाले क्षयरोगियों में 17.2 प्रतिशत है।

गुजरात में संचालित औषध प्रतिरोध निगरानी (डी आर एस) के निष्कर्षों ने यह दर्शाया है कि नए क्षयरोगियों में एक्सडीआर नहीं है और पुनः उपचार प्राप्त करने वाले क्षयरोगियों में व्याप्तता लगभग 0.5 प्रतिशत है।

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) सरकार ने इस स्थिति पर ध्यान देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैः-

(i) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के अंतर्गत प्रत्यक्ष निगरानी उपचार लघु कोर्स (डॉट्स) के आधार पर क्षयरोगियों का शीघ्र पता लगाना और प्रभावी उपचार।

(ii) क्षयरोग रोधी औषधों का विवेकपूर्ण उपयोग।

(iii) एमडीआर-क्षय रोग (टीबी) के उपचारार्थ चरणबद्ध तरीके से डॉट्स (डीओटीएस) प्लस सेवाएं।

(iv) एमडीआर-क्षय रोगियों के निदान और अनुपरीक्षण के लिए द्रुत नैदानिक युक्त गुणवत्ता आश्वासित प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की स्थापना।

जरवा रिजर्व

2579. श्री विष्णु पद रायः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने 1 अगस्त, 2011 के अपने आदेश में यह आदेश दिया है कि 30 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना का अक्षरशः कार्यान्वयनः सुनिश्चित किया जाना निदेशक, जनजातीय कल्याण, अंडमान-निकोबार (ए एंड एन) द्वीपसमूह का दायित्व होगा;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के पश्चात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बफर जोन/जरवा रिजर्व में कोई वाणिज्यिक/पर्यटन गतिविधियां हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह न्यायालय की अवमानना है; और

(घ) यदि हां, तो निदेशक जनजातीय कल्याण द्वारा उच्चतम न्यायालय के 01 अगस्त, 2011 के आदेश का कार्यान्वयन करने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) जी, हां।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (एएंडएनआई) प्रशासन ने सूचित किया है कि पर्यटन संबंधी स्थापना गतिविधियां जो बफर जोन क्षेत्र में भी को अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.12.2010 के आदेश के अनुरूप पहले ही बंद कर दिया गया था तथा इस स्थिति को दिनांक 13.12. 2010 के आदेश के अनुरूप पहले ही बंद कर दिया गया था तथा इस स्थिति को दिनांक 13.12.2010 को दायर शपथ पत्र के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय को सूचित कर दिया गया है। तथापि, वाणिज्यिक गतिविधियां जो राशन की दुकानों, चाय के स्टालों, पंसारी, कपड़े की दुकानों तथा अन्य आजीविका एवं बफर जोन में रह रहे ग्रामीणों के अस्तित्व की गतिविधियों के रूप में हैं जारी हैं तथा इस स्थिति को अंडमान और निकोबार प्रशासन के दिनांक 13.12.2010 के उत्तर के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय को सूचित कर दिया गया है।

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन माननीय न्यायालय का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

(घ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने सितंबर, 2011 में जीरकार्तग से मिडिल स्ट्रेट 8 से 4 संख्या तक अंडमान ट्रंक रोड पर रक्षादल की संख्या को घटा दिया है। गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले, गति सीमा तथा रक्षादल के संचलन के दौरान उपयुक्त अनुशान बनाए रखने के लिए विशिष्ट निर्देश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा अलग से जारी कर दिए गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने पीएटी विनियमन 1956 के उल्लंघन के लिए बफर जोन तथा उच्चतर दंड प्रावधानों हेतु गृह मंत्रालय को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिम जनजातियों की सुरक्षा) (पीएटी) विनियम 1956 के संशोधन के लिए भी प्रस्ताव किया है।

बैंकों में केवाईसी मानदंड

2580. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैक (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) एंटी मनी लौंडरिंग एंड काम्बैट फाइनेसिंग ऑफ टेरिज्म (सीएफ,टी) अपने ग्राहक को जानिए (नो योअर कस्टमर, के वाईसी) संबंधी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीडी) ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धन शोधन निवारण (एएमएल) दिशनिर्देशो को कार्यान्वित किया है। तथापि, दो डीसीसीबी नामतः अहमदाबाद डीसीसीबी एवं कोल्हापुर डीसीसीबी ने इन बैंकों के संबंध में नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार केवाईसी/एएमएल दिशा-निर्देशों का अतिक्रमण किया था। एक आरआरबी नामतः सप्तगिरी ग्रामीण बैंक (एसजीबी) ने केवाईसी/एएमएल एक दिशा-निर्देशों का अतिक्रमण किया था।

(ख) अहमदाबाद डीसीसीबी एवं कोल्हापुर डीसीसीबी नें केवाईसी दिशानिर्देशों का अतिक्रमण मुख्यतः प्रधान कार्यालय एवं इसकी शाखाओं के बीच सम्प्रेषण के अभाव के कारण किया था। एसजीबी ने केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों का अतिक्रमण किया था क्योंकि उसकी प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं समुचित नहीं थीं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि अहमादाबाद डीसीसीबी एवं कोल्हापुर डीसीसीबी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अतिक्रमण के कारण स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था। चूंकि इन बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए थे, इन बैंकों पर प्रत्येक पर 5.00 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया गया था जिनका भुगतान उनके द्वारा किया गया था। इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी और बैंकों को मौद्रिक दंड का ब्यौरा बैंक के वार्षिक तुलनपत्र में देने की सलाह दी गई थी।

इसके अतिरिक्त बैंकों को सलाह दी गई है कि केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के किसी अतिक्रमण अथवा गैर-अनुपालन के लिए संगत अधिनियम/नियमावली के तहत मौद्रिक दंड लगाए जाएंगे।

जहां तक एसजीबी का संबंध है, भारतीय रिवर्ज बैंक ने बैंक पर 5 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है। इसके अलावा, इसके प्रबंधन द्वारा बैंक के संबंधित कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी। नाबार्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन किया जाता है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006

2581. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन जनजातीय लोगों को जिनको अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन भूमि दी गई है के आर्थिक लाभ हेतु व्यापक परियोजनाएं और योजनाएं लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ नहीं है। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अधिनियम के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। तदनुसार यह मंत्रालय अधिनियम के तहत लाभार्थियों का सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए विकास एंव कल्याणकारी कार्यक्रमों के अभिसरण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर बल दे रहा है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एनआरएचएम के अंतर्गत सतर्कता और निगरानी समिति

2582. श्री भूपेन्द्र सिंहः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनएचआरएम) के कार्यकरण पर अंकुश रखने के लिए किसी सतर्कता और निगरानी समिति की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और अनुवीक्षण समितियां (डी एल वी एस सी) गठित करने के लिए कहा गया है। इन समितियों की अध्यक्षता संसद सदस्यों द्वारा की जाएगी और इनमें विधान सभा, जिला पंचायत, पंचायत समितियों (ब्लॉक प्रमुख) के सदस्य, विभिन्न विभागों जैसे कि महिला एवं बाल प्रतिनिधि, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि तथा जिले के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे।

जिला स्तरीय सतर्कता और अनुवीक्षण समितियों (डीएलवीएमसी) के विचारार्थ मुद्दे निम्नलिखित हैं:

1. एनआरएचएम के अंतर्गत वार्षिक जिला स्वास्थ्य कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना तथा मार्गदर्शन करना।
2. केन्द्र और राज्यों द्वारा निधियों की निर्मुक्ति, उनके उपयोग तथा अव्ययित शेष की समीक्षा करना।
3. क्षेत्र में नियमित अनुवीक्षण दौरे करना, परिधीय स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का दौरा करना तथा औषध की उपलब्धता सहित उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना।
4. यह सुनिश्चित करना कि एक पूर्णतया कार्यात्मक प्रबंधन ढांचा मौजूद है तथा इसका समुचित रूप से उपयोग किया जा रहा है।
5. बहुक्षेत्रीय कार्यकलाप के लिए जिले में सभी संबंधित विभागों का रचनात्मक विनियोजन तथा सहभागिता सुनिश्चित करना।
6. यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय की सिफारिश करना कि कार्यक्रम के लक्ष्य हासिल किए जाते हैं तथा प्रभावी और सक्षम तरीके से सेवा प्रदान की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयले की कमी

2583. श्री ताराचंद्र भगोराः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयले की बढ़ती कीमत और कोयले के घरेलू उत्पादन में कमी के कारण बारहवीं योजना में 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के अनुमोदित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले की कम आपूर्ति से अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट सहित विद्युत इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने और विद्युत परियोजनाओं का भविष्य अंधकार में पड़ने की संभावना है?

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा विद्युत संबंधी कार्यदल का गठन किया गया है। यह कार्यदल अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम और कोयले की उपलब्धता शामिल होगी।

(ग) से (ङ) घरेलू कोयले पर प्रचालित करने के लिए तैयार किए गए संयंत्रों के लिए मांग की तुलना में घरेलू स्त्रोतों से होने वाली कोयले की कम आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए, बॉयलर डिजाइन के अवरोधों के कारण अपने मिश्रण में सीमा के अधीन कोयले का आयात किया जा रहा है। किसी वर्ष के लिए कोयले के आयात की मात्रा का अनुमान किसी वर्ष के लिए संभावित मांग और घरेलू स्त्रोतों

से संभाव्य उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए लगाया जाता है। वर्ष 2011-12 के लिए, विद्युत यूटिलिटियों को 35 मिलियन टन कोयले के आयात का लक्ष्य दिया गया है। विद्युत संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं-

(i) स्वदेशी कोयले की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए विद्युत यूटिलिटियों को कोयले की कमी को पूरा करने के लिए कोयले के आयात की सलाह दी जा रही है।

(ii) कोयले के आयात के लिए विदेशी परिसंपत्ति के अधिग्रहण और दीर्घावधि सहबद्धता की संभाव्यता तलाशी जा रही है।

मॉरिशस के साथ दोहरे कराधान परिहार संबंधी समझौता

2584. श्री उदय सिंहः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(ख) मॉरिशस के साथ हस्ताक्षर किए गए दोहरे कराधान परिहार संबंधी समझौते (डीटीएए) के लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मॉरिशस के साथ दोहरे कराधान संबंधी परिहार समझौते पर (डीटीएए) हस्ताक्षर न करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान मॉरिशस से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (एस.एस. पलानीमनिकम): (क) भारत और मॉरिशस के बीच दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय (डीटीएसी) पर वर्ष 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) और (ग) लागू नहीं क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही डीटीएसी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(घ) अप्रैल-सितम्बर, 2011 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 33.74 प्रतिशत मॉरिशस से आया है।

राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना

2585. डॉ. क्रुपारानी किल्लीः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में बालिकाओं के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा कितनी आवंटन किया गया है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) जी, हां। सरकार ने स्कूल छोड़ चुकी (11-18 वर्ष) की किशोरियों को ध्यान में रखते हुए नवंबर, 2010 में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना सबला की शुरूआत की है।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) मंच का उपयोग करते हुए प्रायोगिक आधार पर देश के 200 जिलों में यह स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के मुख्य दो घटक है अर्थात (i) पोषण तथा (ii) गैर-पोषण। पोषण घटक में किशोरियों को घर ले जाने के लिए राशन (टीएचआर) या पकाया हुआ गर्म भोजन यथायोग्य दिया जाता है। जबकि गैर-पोषाहारीय घटक में किशोरियों को पोषाहार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण यौन प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) जैसे मुद्दों पर जानकारी, आयरन फोलिक एसीड की गालियों की आपूर्ति, स्कूल जाने वाली किशोरियों की स्कूल वातावरण में लाने, जीवन कौशल शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम में सालाना लगभग एक करोड़ किशोरियों को शामिल करने की आशा है।

(ग) स्कीम के लिए सरकार द्वारा आवंटन इस प्रकार है।

2010-11 350 करोड़ रुपये

2011-12 750 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की स्थापना

2586. श्री घनश्याम अनुरागीः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार प्रति वर्ष पड़ने वाले सूखे और बाढ़ के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पृथक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बीमारियों के कारण मारे व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान किया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

देश की ऋणग्रस्तता

2587. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश पिछले कुछ वर्षो में विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक और अन्य विकसित देशों से लिए गए ऋण के भारी बोझ से ग्रस्त है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार, देश-वार ब्यौरा क्या है और इसका किस प्रकार पुनर्भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा विभिन्न विकसित देशों से लिया गया विदेशी ऋण भारत सरकार के कुल ऋण का छोटा-सा हिस्सा होता है। विदेशी उधारों की पुनः अदायगी तथा उन पर ब्याज उधार की शर्तो के अनुसार प्रतिवर्ष आकलित किया जात है और उसे वर्ष के सामान्य बजट में भारित व्यय के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। ब्याज की अदायगियां तथा पुनः अदायगियां सामान्य बजट से देय तारीखों पर सुनिश्चित की जाती हैं।

[हिन्दी]

संतुलित भोजन

2588. श्री मनसुखभाई डी. वसावाः
श्री गोरख प्रसाद जयसवालः
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः
श्रीमती भावना पाटील गवलीः
श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में संतुलित आहार लेने वाले लोगों के प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई समीक्षा के परिणाम क्या है;

(ख) क्या सरकार का वयस्कों और बच्चों हेतु न्यूनतम पोषण निर्धारित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार खाद्यान्न वितरित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों और अन्य लोगों को न्यूनतम पोषण के वितरण हेतु कोई प्रावधान किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) देश में "संतुलित आहार" प्राप्त करने वाले लोगों की प्रतिशता से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2010 में भारतीयों के लिए पौषणिक अपेक्षाओं और संस्तुत आहार संबंधी भत्तों में संशोधन किया है। वयस्कों और बच्चों के लिए संस्तुत आहार संबंधी भत्ते इस प्रकार हैं:

आयु समूह	ऊर्जा (केसीएएल/डी)
वयस्क पुरुष (स्थानबद्ध कार्य)	2320
वयस्क महिलाएं (स्थानबद्ध कार्य)	1900
बच्चेः	
1 से 3 वर्ष	1060
4 से 6 वर्ष	1350
7 से 9 वर्ष	1690
10 से 12 वर्ष (लड़के)	2190
10 से 12 वर्ष (लड़कियां)	2010

(घ) से (च) पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए भारत सरकार अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जैसे कि (1) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीब से गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना, (2) असुरक्षित जनसंख्या अर्थात् स्कूल न जाने वाले बच्चों, गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं (3) स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील कार्यक्रम और (4) किशोरवय लड़कियों (आरजीएसईजी)-(सबला) को सशक्त बनाने के लिए राजीव गांधी योजना।

इच्छा मृत्यु/क्षमा मृत्यु संबंधी विधान

2589. श्री दत्ता मेघेः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने क्षमा मृत्यु अथवा इच्छा मृत्यु के विषय की जांच की हैः

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार का विचार क्षमा मृत्यु अथवा इच्छा मृत्यु संबंधी विधान बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) दया मृत्यु से संबंधित विषय वस्तु की वर्ष 2003 में इस मंत्रालय में जांच की गई थी और मंत्रालय की राय यह थी कि निम्नलिखित कारणों की वजह से दया मृत्यु की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए:-

1. हिप्पोक्रेटिक शपथ रोगी की इरादतन/स्वैच्छिक मृत्यु के खिलाफ हैं।
2. दर्द में राहत पहुंचाने, पीड़ा, पुनर्वास और तथाकथित असाध्य रोगों के उपचार चिकित्सा विज्ञान की प्रगति को धक्का पहुंचेगा।
3. कोई भी किसी समय विशेष पर मृत्यु की कामना कर सकता है। उसकी कामना चिरस्थायी नहीं हो सकती है और यह केवल क्षणिक अवसाद की क्षणिक कामना हो सकती है।
4. पीड़ा दिमागी अवस्था और अवबोधन है जो विभिन्न व्यक्तियों में अलग-अलग होता है। तथा यह विभिन्न पर्यावरणिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है।
5. चिकित्सा विज्ञान में सतत् प्रगति ने कैंसर रोगियों और अन्य टर्मिनल बीमारियों में दर्द निवारक उपचार को संभव बना दिया है। इसी प्रकार पुनर्वास से मेरूदंड की चोट से ग्रस्त अधिकतर रोगियों को लगभग सामान्य जीवन जीने में सहायता मिलती है और दया मृत्यु की अपेक्षा नहीं होती।
6. मानसिक रूप से बीमार/अवसाद ग्रस्त रोगी द्वारा दया मृत्यु की इच्छा का उपचार अच्छी मनश्चिकित्सा परिचर्या से किया जा सकता है।
7. पीड़ा का परिणाम ज्ञात करना मुश्किल होगा जो सदैव परिवर्तनशील सामाजिक दबावों और मानकों के अध्यधीन हो सकती है।
8. क्या डॉक्टर यह कहने के लिए जानकारी और अनुभव होने का दावा कर सकते हैं। कि यह रोग आसाध्य है और रोगी स्थायी रूप से अमान्य (इनवैलिड) है?
9. शय्याग्रस्त और नियमित सहायता की अपेक्षा को परिभाषित करना चिकित्सीय रूप से सदैव संभव नहीं है।
10. जिन चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दया मृत्यु करना अपेक्षित होगा उन पर मनश्चिकित्सीय दबाव और अभिघात हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 7 मार्च, 2011 के निर्णय में मुम्बई की एक नर्स अरूणा रामचंद्र शानबाग की दया मृत्यु का निवेदन रद्द कर दिया है जो पिछले 37 वर्षों से किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में निष्क्रिय अवस्था में परिणत हो गई है। तथापि उच्चतम न्यायालय ने "सक्रिय दया मृत्यु", जिसका अर्थ है कि दवाइयां इंजेक्ट करके किसी रोगी का जीवन समाप्त करना, और "निष्क्रिय दया मृत्यु" जिसमें डॉक्टर टर्मिनल रूप से बीमार रोगियों से लाइफ सपोर्ट हटा सकते हैं, के बीच स्पष्ट अंतर करते हुए संसद द्वार कानून पारित करने तक "निष्क्रिय दया मृत्यु" पर कार्रवाइ करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

तत्पश्चात दया मृत्यु के मामले की और जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अरूणा

रामचंद्र शानबाग मामले में दिए अपने फैसले के जरिए इस संबंध में पहले ही दिशानिर्देश निर्धारित कर दिए हैं जिनका ऐसे मामलों में अनुसरण किया जाना चाहिए तत्पश्चात इन्हें कानून के रूप में माना जाना चाहिए। इस विषय पर कानून बनाने के लिए इस समय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

जापानी बुखार

2590. **श्री पूर्णमासी रामः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी बुखार के फैलने से काफी संख्या में बच्चे विशेषकर गरीब परिवारों से संबंधित बच्चे निःशक्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन प्रभावति बच्चों के उचित उपचार और पुनर्वास हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त प्रभावित क्षेत्रों में गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मनोविकास केन्द्र सहित विभिन्न अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मचारियों, औषधियों, और चिकित्सा उपस्करों की कमी/अनुपलब्धता पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) (क) और (ख) अनुमान है कि 30 से 40 प्रतिशत बच्चे जो जापानी एंसेफलाइटिस के आघात से उबरते हैं और शारीरिक तथा मानसिक क्षति से ग्रस्त हो सकते हैं।

(ग) भारत सरकार ने भौतिक चिकित्सा पुनर्वास (पीएमआर) केन्द्र स्थापित करने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर को वर्ष 2010-11 के दौरान 54.51 लाख रुपए की राशि जारी की।

(घ) से (ङ) पूर्वी उत्तर प्रदेश में अस्पतालों तथा अन्य केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार किया जाता है। तथापि, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) या पूरक पीआईपी में यथा प्रदर्शित उपस्कर, स्टाफ इत्यादि के लिए उनके अनुरोध के आधार पर सहायता प्रदान करती है।

खनन कार्यकलापों से प्रभावित लोगों के बचाव संबंधी कानून

2591. **श्री मानिक टैगोरः** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में खान के आस-पास के क्षेत्र और समीपवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खनन कार्यकलापों से बचाने और सुरक्षोपाय करने हेतु कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (दिनशा पटेल): (क) और (ख) सरकार ने, संसद में प्रस्तुत करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक के मसौदे का अनुमोदन किया है। मसौदा विधेयक में अन्य बातों के साथ इन बातों के लिए प्रावधान है:-

- सभी गवेषण क्रियाकलापों में, गवेषण वाले क्षेत्र पर जिस व्यक्ति अथवा परिवार का पेशा अथवा भोगाधिकार अथवा परंपरागत अधिकार है उन्हें उचित मुआवजा देय होगा
- सभी खनन पट्टाधारी को जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को वार्षिकी का भुगतान करना होगा-
    - प्रमुख खनिजों (कोयला के अलावा) के मामले में रॉयल्टी के समकक्ष राशि और कोयला खनिजों के मामले में लाभ के 26% के समतुल्य राशि; तथा
    - गौण खनिज के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि;
- पट्टाधारियों द्वारा डीएमएफ को भुगतान की गई राशि के एक भाग का उपयोग, खनन कार्यो से प्रभावित व्यक्तियों को आवर्ती भुगता के लिए किया जाएगा।
- खनन कंपनियों, खनन से प्रभावित परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को समतुल्य कम से कम एक शेयर आबंटित करेगा।
- खनन कंपनियां, पुनर्वास और पुनःस्थापना (आर एवं आर) नीति के अंतर्गत यथा निर्धारित रोगजागर अथवा अन्य मुआवजा प्रदान करेगा।

- खान बंद होने के उपरांत, खनन कंपनियां, खान समापन और पुनः स्थापन प्रक्रिया के तहत प्रभावित व्यक्तियों को क्षति होने के एवज में भुगतान करेगा।

खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध

2592. श्री एस. सेम्मलईः क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध और देश के खनिज अयस्कों का अपने विकास हेतु प्रयोग करने के लिए उचित प्रौद्योगिकी विकसित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार खनन कंपनियों से किराया संसाधन कर लागू करने का है जैसा कि कुछ खनिज समृद्ध राज्यों ने सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) हाल ही में कर्नाटक सरकार तथा ओडिशा सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ देश में खनिजों के संरक्षण और मूल्यवर्धन के मद्देनजर लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। लौह अयस्क के निर्यात पर रोक लगाने की मांग नई नहीं है और यह विभिन्न चिंताओं के कारण विगत में भी उठती रही है यथा-निर्यात के कारण अयस्क की कमी, भावी घरेलू आवश्यकताओं हेतु अयस्क का संरक्षण, घरेलू मूल्य वर्धन क्षमता जुटाने तथा घरेलू कीमतों पर निर्यात की कीमत वृद्धि प्रभाव। इन चिंताओं पर दिनांक 6.7.2007 को मंत्रियों के समूह की बैठक में सरकार द्वारा विधिवत विचार-विमर्श किया गया तथा यह महसूस किया गया कि कमी की ये चिंताएं उपयुक्त नहीं थी, और यद्यपि इस्पात उद्योग को सुरक्षा की आवश्यकता थी लेकिन निर्यात पर रोक/सीमा निर्धारण सही उपाय नहीं होगा और निर्यात पर रोक लगाने की उचित प्रक्रिया राजकोषीय उपायों में निहित है। यह भी माना गया कि स्थिति की 10 वर्षों के बाद पुनः समीक्षा की जाए। सरकार की यह भी राय है कि यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन इस निर्यात में मुख्यतः लौह अयस्क फाइन (लगभग 80 प्रतिशत) शामिल है जिसके लिए पर्याप्त घरेलू बाजार नहीं है जिसे यदि खानों में एकत्रित होने दिया जाए तो यह लौह अयस्क के उत्पादन को बाधित करने के अतिरिक्त गंभीर पर्यावरणीय खतरे भी पैदा कर सकता है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में यह कहा गया है कि खनिजों के संरक्षण से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इनके उपयोग से सीमित दृष्टि से दूर रहा जाए अथवा भावी उपयोग के लिए इन्हें संरक्षित किया जाए अपितु सकारात्मक धारणा अपनाई जाएगी जिससे खनन विधियों में सुधार सज्जीकरण और निम्न ग्रेड अयस्क तथा रिजेक्ट्स के उपयोग और संबंधित खनिजों की प्राप्ति के जरिए भंडार आधार को बढ़ावा जा सके।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि सरकार ने 30 सितम्बर, 2011 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2011 का प्रारूप अनुमोदित कर दिया है जिसके अनुसार राज्य सरकार को देय रॉयल्टी के अलावा सभी खनन पट्टा धारक प्रत्येक खनन जिले में स्थापित जिला खनिज फाउंडेशन को वार्षिक भुगतान करेंगेः

(i) प्रमुख खनिजों (कोयला एवं लिग्नाइट को छोड़कर) की स्थिति में वित्त वर्ष के दौरान भुगतान की गई रॉयल्टी के बराबर राशि;

(ii) कोयला एवं लिग्नाइट के मामले में, ठीक पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में पट्टे से संबंधित खनन कार्यों से प्राप्त लाभ, जिसे 'प्रॉफिट शेयरिंग पर्सेंटेज' (भुगतान किए गए कर की कटौती के बाद) कहा जाएगा, की 26 प्रतिशत राशि; और,

(iii) गौण खनिजों की स्थिति में, राज्य सरकार द्वारा विहित की जाने वाली राशि।

प्रारूप विधेयक में यह भी प्रावधान है कि राज्य विनियामक निकायों के क्षमता निर्माण, विशेष न्यायालय की स्थापना तथा अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार प्रमुख एवं गौण खनिजों पर रॉयलटी का 10 प्रतिशत से अनधिक का उपकर लगा एवं वसूल कर सकती है।

प्रारूप विधेयक में ये प्रावधान लोक हित में राज्य सरकार को उचित मुआवजा राशि देने के लिए है।

केंद्रीय सरकार की सेवाओं में रिक्त पद

2593. श्री एम.बी. राजेशः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केंद्रीय सरकार की सेवाओं में वर्तमान में रिक्त पड़े पदों की संख्या के संबंध में आंकड़े प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 01 मार्च, 2010 को केंद्र सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों के रिक्त पदों की अनुमानित संख्या 5,33,936 थी।

सभी मंत्रालयों/विभागों को कार्यभार के मुकाबले में अपने रिक्त पदों की नियमित रूप से समीक्षा करनी होती है और ऐसी समीक्षाओं के संदर्भ में अपनी जरूरतों के अनुसार इस विषय पर वर्तमान दिशा-निर्देशों और नियमों के अध्यधीन आवश्यक उपाय करने होते हैं।

महिला हितैषी कानूनों का दुरूपयोग

2594. श्री वरूण गांधीः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महिला हितैषी कानूनों के दुरूपयोग के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शोषण और महिला समर्थक कानूनों के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को महिलाओं के लिए बनाए गए कानून तथा कानूनी उपबंधों के दुरूपयोग संबंधी प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन प्रत्यावेदनों में मुख्यतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के दुरूपयोग संबंधी शिकायतें हैं।

(ग) कानूनी उपबंधों के दुरूपयोग, यदि कोई हो, से निपटने के लिए मौजूदा कानून में पर्याप्त सुरक्षोपाय उपलब्ध हैं।

सुरक्षा सेवाओं पर कर का भुगतान

2595. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मीः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सुरक्षा सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनसे संग्रहित कर का संगठन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुलिस संगठनों ने इंडियन प्रिमियर लीग और अन्य क्रिकेट मैचों आदि के आयोजकों सहित निजी पक्षों को सुरक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान कर करोड़ों रुपये अर्जित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पुलिस संगठनों से सेवा कर वसूला गया है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पुलिस संगठनों द्वारा सेवा कर की शीघ्रातिशीघ्र अदायगी हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा

2596. श्रीमती जयाप्रदाः
श्री यशवीर सिंहः
श्री नीरज शेखरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु वार्षिक रूप से सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एनआरएचएम की संयुक्त समीक्षा मिशन हेतु चयनित राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सीआरएम हेतु उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चयनित जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सीआरएम उन जिलों में एनआरएचएम परियोजना की समीक्षा करेगा जहां गत पांच वर्षों के दौरान एनआरएचएम में अनियमितताएं बरती गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) सरकार ने एनआरएचएम के अंतर्गत एम मानीटरन तंत्र अर्थात वार्षिक कॉमन समीक्षा मिशन (सी आर एम) की स्थापना की है जिसमें भारत सरकार, विकास भागीदारों के प्रतिनिधि, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल हैं। अब तक पांच सी आर एम शुरू किए जा चुके हैं।

(ग) अब तक विभिन्न सी आर एम के लिए चयनित राज्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से सी आर एम के लिए चयनित जिलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

	पहला सीआरएम	दूसरा सीआरएम	तीसरा सीआरएम	चौथा सीआरएम	पांचवा सीआरएम
उत्तर प्रदेश	रायबरेली झांसी	उन्नाव बहराइच	कानपुर इलाहाबाद	लखीमपुर सोनभद्र	बदायूं जलौन
उत्तराखण्ड			टिहरी गढ़वाल अल्मोड़ा	चमोली उत्तरकाशी	रूद्रप्रयाग पौढ़ी गढ़वाल

(ङ) और (च) सीआरएम में एनआरएचएम के समस्त काम-काज की समीक्षा और मिशन के क्रियान्वयन में आवश्यक माध्यावधिक संशोधन हेतु उपाय/सुझाने हेतु अधिदेश हैं। समीक्षा मिशन में राष्ट्रीय स्तरीय ब्रीफिंग, राज्य ब्रीफिंग, फील्ड दौरे और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ब्रीफिंग शामिल है। सीआरएम की रिपोर्टों का अनिवार्य सुधारात्मक कदम उठाने हेतु राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाता है। चौथी सीआरएम द्वारा अभिज्ञात कुछ उन्नयन क्षेत्रों में अवसंरचना में कतिपय कमियां, मानव संसाधनों विशेषतौर पर विशेषज्ञों, दूसरी एएनएम और एमपीडब्ल्यू की कमी शामिल है। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अनेक राज्यों में परिधीय स्तरों पर एक उचित प्रापण प्रणाली और प्रयोगशाला सेवाओं की स्थापना हेतु आवश्यकता भी उजागर की गई। यह आशा (एएसएचए) के प्रशिक्षण, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति के क्षमता निर्माण, समुदाय आधारित मानीटरन और नियोजन इत्यादि में सिविल समाज की सहभागिता के विस्तार हेतु आवश्यकता पर भी जोर देती है।

विवरण

कॉमन समीक्षा मिशन के लिए चयनित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	पहला सीआरएम	दूसरा सीआरएम	तीसरा सीआरएम	चौथा सीआरएम	पांचवा सीआरएम
		14-19 नवम्बर 2007	15-22 दिसम्बर 2008	3-15 नवम्बर 2009	15-22 दिसम्बर 2010	8-15 नवम्बर 2011
1	2	3	4	5	6	7
	उच्च फोकस वाले-एनई					
1.	बिहार	✓	✓	✓	र	✓
2.	छत्तीसगढ़	✓	✓	✓	✓	✓
3.	हिमाचल प्रदेश	×	×	×	×	✓

1	2	3	4	5	6	7
4.	जम्मू व कश्मीर	✓	×	✓	×	×
5.	झारखंड	×	✓	र	✓	✓
6.	मध्य प्रदेश	✓	✓	✓	✓	र
7.	ओडीशा	✓	✓	✓	✓	✓
8.	राजस्थान	✓	✓	✓	✓	✓
9.	उत्तर प्रदेश	✓	✓	✓	✓	✓
10.	उत्तराखण्ड	×	×	✓	✓	अ
	उच्च फोकस वाले-एनई					
11.	अरूणाचल प्रदेश	✓	×	×	✓	×
12.	असम	✓	✓	×	?	✓
13.	मणिपुर	×	×	×	×	×
14.	मेघालय	×	×	✓	×	×
15.	मिजोरम	×	✓	×	×	×
16.	नागालैंड	×	×	×	✓	×
17.	सिक्किम	×	×	✓	×	✓
18.	त्रिपुरा	✓	×	×	×	×
	गैर उच्च फोकस वाले बड़े					
19.	आंध्र प्रदेश	×	×	✓	×	✓
20.	गोवा	×	×	×	×	✓
21.	गुजरात	✓	×	✓	×	✓
22.	हरियाणा	×	×	✓	×	✓
23.	कर्नाटक	×	✓	×	×	✓
24.	केरल	×	✓	×	✓	×
25.	महाराष्ट्र	×	✓	×	✓	×
26.	पंजाब	×	×	×	✓	×

1	2	3	4	5	6	7
27.	तमिलनाडु	×	✓	×	✓	×
28.	पश्चिम बंगाल	✓	×	✓	×	×
	गैर उच्च फोकस वाले-छोटे और संघ राज्य क्षेत्र					
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	×	×	✓	×	×
30.	चंडीगढ़	×	×	×	✓	×
31.	दादरा और नगर हवेली	×	×	✓	×	×
32.	दमन और द्वीव समूह	×	×	✓	×	×
33.	दिल्ली	×	×	×	×	×
34.	लक्षद्वीप	×	×	×	×	×
35.	पुडुचेरी	×	×	×	×	×
	कुल चयनित राज्य	12	13	17	15	15

✓ - चयनित

× - चयनित नहीं

[हिन्दी]

स्वास्थ्य बीमा कवरेज

2597. श्री प्रेमदासः
श्री नवीन जिन्दलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में बिना किसी स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाली जनसंख्या के प्रशिक्षण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कम कवरेज के कारण क्या हैं;

(ग) क्या योजना आयोग सहित विभिन्न पक्षों से देश के प्रत्येक नागरिक को शामिल करने हेतु राज्य-वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आरंभ करने हेतु सुझाव प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) स्वास्थ्य परिचर्या बीमा कवरेज की बढ़ोतरी को सुकर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) देश में बीमा क्षेत्र के विनियामक, बीमा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया वह स्वास्थ्य बीमा कवरेज के बिना जनसंख्या के संबंध में राज्य-वार सूचनाएं नहीं रखता है।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज यूनीवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के संबंध में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एचएलईजी) का गठन किया है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ 2020 तक सभी के लिए स्वास्थ्य की उपलब्धता के लिए रूप रेखा (ब्लू प्रिंट) और निवेश योजना तैयार करना है। एचएलईजी की रिपोर्ट योजना आयोग का प्रस्तुत की जा चुकी है। एचएलईजी की प्रमुख सिफारिशें (i) स्वास्थ्य वित्त पोषण और वित्तीय सुरक्षा (ii) दवाओं, वैक्सीन और प्रौद्योगिकी तक पंहुच (iii) स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन (iv) स्वास्थ्य सेवा मानदंड (v) प्रबंधन एवं संस्थागत सुधार (vi) सामुदायिक सहभागिता और नागरिक सम्बद्धता (vii) स्वास्थ्य इत्यादि का सामाजिक प्रतिबद्धता आदि हैं। सरकार

द्वारा यथा अनुमोदित एचएलईजी की सिफारिशें सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक हिस्सा होंगी।

[अनुवाद]

समयोपरि भत्ता और यात्रा भत्ते की निधियों का आवंटन

2598. श्री जयवंत गंगाराम आवलेः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2009-10 में विभिन्न विभागों को आवंटित बजट की कुल राशि कितनी है और वर्ष में समयोपरि भत्ता और यात्रा भत्ते पर किए गए व्यय संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2010-11 हेतु अनुमानित बजट कितना है और गत वर्ष कितना कार्य किया गया है और कमियों और बजट वापस किए जाने के क्या कारण है; और

(ग) चालू वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों और जून 2010 तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) वर्ष 2009-10 में विभिन्न विभागों को आवंटित बजट और समयोपरि भत्ते और यात्रा भत्ते के आंकड़ों सहित किए गए व्यय की कुल राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण- I में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2010-11 के लिए प्रक्षेपित बजट व्यय की राशि और वापस की गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा- II में दिया गया है और जून, 2011 तक किए गए व्यय के ब्यौरे सहित वर्तमान वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

राष्ट्र की आबादी को स्वास्थ्य के स्वीकार्य मानक प्रदान करने के लिए कार्य करना मंत्रालय का प्रयास है। निरन्तर प्रयासों के कारण, बहिरंग रोगी विभागों, संस्थागत प्रसवों में अधिक सेवा उपयोगिता शिशु मृत्यु दर, मातृ अनुपात और कुल प्रजनन दर में भी कमी जैसे सुधारों की सूचना मिली है।

मंत्रालय के कार्य की अन्य प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न संघटकों जिन्हें जन स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों को मदद देने तथा मानव संसाधन और शासन (गवर्नेस) सुधार करने के लिए शुरू किया गया था, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप्र-प्रभागीय अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सचल चिकित्सा एककों इत्यादि स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने में सहायता मिली है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में मानव संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों और स्टाफ नर्सें सहित अतिरिक्त चिकित्सकों की नियुक्ति की गई।

(iii) जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में 100.78 लाख लाभार्थियों और वर्ष 2010-11 में 50.29 लाख लाभार्थियों को नकद सहायता प्रदान की गई है।

(iv) चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन की वृद्धि के लिए स्नातकोत्तर स्तरों के लिए शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को 1:1 से 1:2 तक संशोधित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक वर्ष 2010-11 से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 4000 अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान एमबीबीएस स्तरों पर अधिकतम प्रवेश क्षमता 100/150 से बढ़कर 200/250 हुई है।

(v) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश में एम्स जैसे 6 संस्थानों की स्थापना तथा मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन का कार्य जोरों पर है।

(vi) राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और अभिघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम से स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

(vii) आयुर्वेद योग और नेच्युरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी के क्षेत्र में तैयार किए गए एक व्यापक संस्थागत कार्य ढांचे से लोगों की अपूरित स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयुष अवसंरचना की इष्टतम उपयोगिता में सहायता मिली है।

(viii) चिकित्सा, स्वास्थ्य जैव-चिकित्सा, चिकित्सा व्यवसाय और शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए विभिन्न संस्थानों को सुदृढ़ बनाया गया है।

(ix) मंत्रालय भारत में एड्स की महामारी को रोकने और प्रतिवर्तित करने के लिए प्रयासरत है।

विवरण I

वर्ष 2009-10 में विभिन्न विभागों को आवंटित कुल बजट और किया गया व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विभाग	बजट अनुमान 2009-10 (योजना + गैर-योजना)	संशोधित अनुमान 2009-10 (योजना + गैर-योजना)	वास्तविक व्यय 2009-10 (योजना + गैर योजना)
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	22724.95	21901.13	21124.91
	समयोपरि भत्ता	1.26	1.26	0.78
	यात्रा भत्ता	18.11	16.31	12.88
2.	आयुष विभाग	922.00	863.00	861.53
	समयोपरि भत्ता	0.03	0.01	0.01
	यात्रा भत्ता	0.88	0.82	0.71
3.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	606.00	600.00	583.97
	समयोपरि भत्ता	0.03	-	-
	यात्रा भत्ता	0.09	0.10	0.05

विवरण II

वर्ष 2010-11 प्रक्षेपित बजट और व्यय की गई धनराशि तथा वापस लौटाई गई धनराशि

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	विभाग	बजट अनुमान 2010-11 (योजना + गैर योजना)	संशोधित अनुमान 2010-11 (योजना + गैर-योजना)	व्यय 2010-11 (योजना + गैर योजना)	वर्ष 2010-11 के दौरान वापस की गई राशि (योजना + गैर-योजना)
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	25236.07	25313.48	24221.99	*636.05
2.	आयुष विभाग	964.00	1065.00	1018.37	**5.03
3.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	660.00	690.01	675.02	***11.81

*बजट वापस करने का कारण आपूर्ति और सामग्री की अल्पतम अधिप्राप्ति विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों की अल्प अवशोषक क्षमता और पूंजीगत कार्यो पर व्यय की धीमी गति थी।

** पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान जारी किए गए अनुदान में से अनुग्राही निकायों में उपयुक्त बकाये की उपलब्धता के कारण वापस किया गया।

*** नए पदों को न भरे जाने और प्रत्याशित की अपेक्षा कम सहायतानुदान के कारण वापस किया गया।

विवरण III

चालू वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य तथा जून 2011 तक किया गया व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.स.	विभाग	बजट अनुमान 2011-12 (वर्ष के लिए निर्धारित किए जा रहे लक्ष्य (योजना + गैर-योजना)	जून, 2011 तक वास्तविक व्यय (योजना + गैर-योजना)
1.	स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग	28901.33	6341.33
2.	आयुष विभाग	1088.00	100.26
3.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	771.00	283.25
4.	एड्स नियंत्रण विभाग	1700.00	501.11

तम्बाकू कंपनियों में लोक प्रतिनिधित्व

2599. श्री के.पी. धनपालनः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू विनिर्माता कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोक प्रतिनिधियों के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तम्बाकू विनिर्माता कंपनियों में पदों पर आसीन ऐसे लोक प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं। तथापि, तंबाकू नियंत्रण संबंधी डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क सम्मेलन के अनुच्छेद 5.3 के अंतर्गत इस मामले में दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिसका भारत सरकार ने फरवरी, 2004 में अनुसमर्थन किया है।

(ख) अनुच्छेद 5.3 के अंतर्गत बनाए गए विस्तृत दिशानिर्देश प्रकाशित रूप से और डब्ल्यूएचओ- एफसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन दिशानिर्देर्शों का प्रयोजन तंबाकू नियंत्रण की तंबाकू उद्योग के वाणिज्यिक और अन्य निहित हितों से रक्षा करने के लिए व्यापक और प्रभावी प्रसास सुनिश्चित करना है। ये दिशानिर्देश ऐसे व्यक्तियों निकायों अथवा संगठनों पर लागू होते हैं जो तंबाकू नियंत्रण से संबंधित नीति के प्रतिपादन और कार्यान्वयन हेतु योगदान देते हैं अथवा योगदान दे सकते है। ऐसे दिशानिर्देश सरकारी प्राधिकारियों, किसी भी राष्ट्रीय , राज्य प्रांतीय, म्यूनिसिपल स्थानीय अथवा अन्य सार्वजनिक अथवा निकाय के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इन दिशानिर्देशों में सदस्य राष्ट्रों से यह अपेक्षा भी है कि वे सरकारी प्राधिकारियों और कर्मचारियों के हितों के टकराव से बचें।

(ग) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

जनजातियों का लुप्त होना

2600. श्री जगदानंद सिंहः
श्री कामेश्वर बैठाः

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ घुमंतू और अन्य जनजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में घुमंतू जनजातियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का घुमंतू जनजातियों को आश्रय और अन्य सरकारी लाभ प्रदान करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच योजना

2601. **श्री पी. करूणाकरनः** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच योजना के अंतर्गत क्रैच कर्मचारियों को भुगतान किए जा रहे मानदेय के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार क्रैच कर्मचारियों के मानदेय में संसोधन करने और वार्षिक वेतन वृद्धि पेंशन, उपदान, चिकित्सा सुविधाएं भविष्य निधि आदि अन्य लाभ प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्रैच चलाने हेतु भवनों की खरीद/निर्माण करने अथवा जिन भवनों में यह क्रैच चल रहे हैं के किराए के भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) स्कीम के प्रसार और गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु इसमें परिवर्तन का सुझाव देनें के लिए मंत्रालय में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ क्रैच कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की सिफारिश की है। तथापि, उप समिति ने क्रैच कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को वार्षिक वेतन-वृद्धि पेंशन, उपदान, चिकित्सा सुविधाएं भविष्य निधि आदि जैसे लाभ प्रदान करने के लिए सिफारिश नहीं की है।

(ङ) मौजूदा स्कीम में क्रैच चलाने के लिए भवनों की खरीद/के निर्माण या जिन भवनों में क्रैच चलाए जाते हैं, उनके किराए के भुगतान हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियां प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह आशा की जाती है कि क्रियान्वयन एजेंसियां अपने आप ही क्रैच चलाने के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था करें।

जनश्री बीमा योजना

2602. **श्री किसनभाई वी. पटेलः**
श्री प्रदीप माझीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू योजना के दौरान इस संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में अभी तक कितने कारीगर शामिल किए गए हैं; और

(घ) उक्त योजना पर अभी तक खादी संस्थानों और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी निधियां व्यय की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सभी खादी कारीगरों को केन्द्रीयकृत योजना, जिसे खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना के रूप में जाना जाता है, के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस योजना को 15 अगस्त, 2003 को आरंभ किया गया था। खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग (केवीआईसी) की पहल पर जनश्री बीमा योजना के लाभ का विस्तार केवल 12.50 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त प्रीमियम दर खादी कारीगरों तक किया गया है। शेष प्रीमियम का वहन खादी संस्था तथा के.वी.आई.सी. द्वारा किया जाता है तथा 50 रूपये का भुगतान सामाजिक सुरक्षा निधियों से किया जाता है। प्रीमियम के अंशदान का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

कारीगर	12.50 रुपये
खादी संस्था	25.00 रुपये
के.वी. आई.सी	12.50 रुपये
एलआईसी द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा निधि	50.00 रुपये

योजना के अंतर्गत दिए गए लाभ निम्नानुसार हैं:-

प्राकृतिक मृत्यु पर	30,000
दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी पूर्ण अपंगता पर	75,000
आंशिक स्थायी अपंगता पर	37,500

(ग) योजना के अंतर्गत वर्तमान योजना अवधि में अभी तक शामिल किए गए कारीगरों की संख्या 2.77 लाख है और योजना अवधि के अंत तक लक्ष्य 2.90 लाख कारीगर हैं।

(घ) खादी संस्थाओं तथा केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत अभी तक किया गया व्यय क्रमशः 5.16 करोड़ रुपये तथा 10.31 करोड़ रूपये है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर बांध से विद्युत आपूर्ति

2603. श्री मकनसिंह सोलंकीः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरदार सरोवर बांध से उत्पादित कुल विद्युत से मध्य प्रदेश सहित लाभान्वित राज्यों को कितनी मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की जाती है; और

(ख) इससे लाभान्वित होने वाले मध्य प्रदेश के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) वर्ष 2011-12 (अप्रैल से अक्टूबर, 2011 तक) के दौरान सरदार सरोवर परियोजना से कुल उत्पादित विद्युत के अलावा मध्य प्रदेश सहित विभिन्न लाभार्थी राज्यों के लिए निर्धारित ऊर्जा कार्यक्रम के ब्यौरेः

गुजरात	531.66 मिलियन यूनिट (16%)
मध्य प्रदेश	1,894.05 मिलियन यूनिट (57%)
महाराष्ट्र	897.18 मिलियन यूनिट (27%)
कुल	3,322.89 मिलियन यूनिट (100%)

(ख) किसी राज्य में विद्युत की मांग की पूर्ति अपने निजी उत्पादन केंद्रों से उत्पादन, केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से आपूर्ति और विद्युत के आयात के जरिए की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश के डिस्कॉम जो राज्य में विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं, को लाभ हुआ।

[अनुवाद]

व्यवसाय कर

2604. श्री अधीर चौधरीः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में तैनात केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा वहन किए जाने वाले कर भार के मद्देनजर इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

(ग) विभिन्न राज्यों में तैनात केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा वहन किए जाने वाले कर भार के मद्देनजर इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 276 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान में विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा तक व्यवसाय, व्यापार तथा रोजगार पर राज्य अथवा नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण के लाभ हेतु कर लगाया जा सकता है। वर्तमान उच्चतम सीमा 2500/- रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है।

राज्यों द्वारा व्यवसाय, व्यापार तथा रोजगार पर कर लगाने अथवा एकत्र करने संबंधी सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार

2605. श्री गोरख प्रसाद जायसवालः
श्री सुशील कुमार सिंहः
श्री पशुपति नाथ सिंहः
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः
श्री महेश जोशीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजस्व विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, कुप्रबंधन की घटनाओं और इससे कर वसूली में होने वाली कमी की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गिरफ्तार किए गए अधिकारियों का विभाग-वार ब्यौरा क्या है और कितने अधिकारियों के विरूद्ध मामले लंबित हैं उन प्राधिकरणों का ब्यौरा क्या है जो इन मामलों की जांच कर रही है;

(ग) दो वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मामले के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त हुई है; और

(ङ) इस मामले में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एम. पलानीमनिकम): (क) राजस्व विभाग में कोई व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, कुप्रबंधन नहीं है। तथापि, विभाग भ्रष्टाचार अनियमितताओं आदि के मामलों पर सतर्कता के द्वारा ध्यान रखते हैं और जब कभी अपेक्षित हो, तो संगत नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करता है।

(ख) और (ग) अभिरक्षा में लिए गये समूह 'क' अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है:

आयकर विभाग के समूह क अधिकारी	सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समूह क अधिकारी
14 (केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अभिरक्षा के अंतर्गत 13 और भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो गुजरात की अभिरक्षा के अंतर्गत 1)	शून्य

गत दो वर्षों के दौरान विभाग के समूह 'क' अधिकारियों की संख्या जिनके मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है, निम्न प्रकार है:

आयकर विभाग के समूह क अधिकारी	सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समूह
23	31

जहां तक समूह 'ख' एवं 'ग' अधिकारियों का संबंध है, देश के विभिन्न भागों में यथा पदनामित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी शीघ्र कार्रवाई करते हैं तथापि, आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारदर्शिता सहित सुनियोजित सुधार के प्रति लगातार प्रयास किये जाएं ताकि अधिकारी यथानिर्धारित मानदंड और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य कर सकें। अनुशासन संबंधी मामलों की लगातार मॉनटरिंग की जाती है ताकि समय पर निपटान हो। भ्रष्टाचार के सभी मामले जिन पर सी बी आई/एसीबी द्वारा अभियोजन हेतु स्वीकृति मांगती है, पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति की सूचना अभियोजन एजेंसी को दी जाती है।

[अनुवाद]

पल्स पोलियो कार्यक्रम की समीक्षा

2606. श्री पी.टी. थॉमसः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में क्रियान्वित किए जा रहे पल्स पोलियों कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति इस वर्ष के अंत तक प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) पल्स पोलियों कार्यक्रम की विभिन्न स्तरों पर नियमित आधार पर समीक्षा की जा रही है। पोलियों संबंधी भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय

जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं, भी प्रगति की वर्ष में दो बार समीक्षा करता है। आईईएजी ने दिनांक 13-14 जुलाई, 2011 को अंतिम समीक्षा की थी। इस बैठक के दौरान आईईएजी ने नोट किया कि देश ने पोलियो उन्मूलन के प्रति काफी प्रगति की है और यह उल्लेख किया कि भारत में पोलियों उन्मूलन का अवसर कभी इससे बेहतर नहीं रहा है। आईईएजी ने यह सिफारिश की कि देश के भीतर या बाहर से वायरस के आने से पोलियों मुक्त क्षेत्रों के लिए एक आपाती तैयारी अनुक्रिया योजना तैयार की जानी चाहिए और किसी वाइल्ड पोलियों वायरस से निपटाने के लिए त्वरित एवं प्रभावी रूप से तैयार रहना चाहिए। आईईएजी ने यह भी सिफारिश की है कि अत्यधिक जोखिम वाले राज्यों में दो गहन राष्ट्रव्यापी पोलियो अभियान और अतिरिक्त पोलियो अभियान (उप राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस) की कार्यनीति जून, 12 तक जारी रहनी चाहिए।

(ग) और (घ) पिछले वर्ष में पोलियो रोगियों में 98 प्रतिशत कमी आई है। वर्ष 2011 में केवल एक रोगी की सूचना मिली है जब कि वर्ष 2010 में 42 पोलियो रोगियों की सूचना मिली थी। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में क्रमशः अप्रैल, 2010 और सितम्बर 2010 में पोलियों का अंतिम मामला नोट किया गया।

(ङ) पोलियों के संचरण को रोकने और पोलियो का उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार कृतसंकल्प और संयुक्त प्रयास कर रही है। गहन प्रयासों के ब्यौरा इस प्रकार हैं- (i) जनवरी, 2010 में द्विसंजोयक पोलियो वैक्सीन को शुरू करना और उसके बाद उसका व्यापक उपयोग (ii) दो राष्ट्रव्यापी पोलियो अभियान (राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस) उसके बाद वर्ष 2011 में अधिक जोखिम वाले राज्यों में व्यापक पैमाने पर सात पोलियों अभियान (उप राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस) (iii) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के 107 अधिक वाले ब्लाकों में स्वचछता में सुधार स्वास्थ्य-विज्ञान, स्वच्छ जल की उपलब्धता और अतिसार के नियंत्रण के लिए बहुआयामी कार्यनीति (iv) सचल और प्रवासी लेगों को शामिल करने के लिए विशेष सूक्ष्म योजनाएं और नेमी रोग प्रतिरक्षण का तीव्रीकरण (v) किसी वाइल्ड पोलियो वायरस रोगी के उपचार के लिए आपाती तैयारी और अनुक्रिया योजना (vi) सतत निगरानी।

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं

2607. श्री रमेश विश्वनाथ काटटीः
श्री एल. राजगोपालः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चल रही बड़ी घरेलू और विदेशी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई)/कंपनियों का ब्यौरा क्या हैं तथा उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया वार्षिक टर्न ओवर तथा प्रभारित ब्याज कितनी है;

(ख) क्या सूक्ष्म वित्तीय संस्थाए (एमएफआई)/कंपनियों स्वसहायता समूहों (एसएचजी) तथा किसानों से भारी दर पर ब्याज वसूल रही है। तथा वसूली के लिए गैर कानूनी कार्य रही हैं एवं यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मालेगम समिति ने एमएफआई के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों की जांच की हैं;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) का इरादा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं/कंपनियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए विनियामक प्राधिकरण गठित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं एवं एमएफआई को प्रशासित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने यह सूचित किया है कि उनके बैंक के साथ केवल ऐसी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) पंजीकृत हैं जो सूक्ष्म वित्त संबंधी कार्यकलाप करती हैं। ऐसी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों-सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को "ऋण" कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 के अध्याय III ख के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाता है और इसके तहत आदेश जारी किए जाते हैं। आरबीआई के पास यथा-उपलब्ध ऐसी प्रणालीगत महत्वपूर्ण कंपनियों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इस प्रकार की सूचना मिली थी एमएफआई द्वारा ब्याज की ऊंची दर वसूली जा रही है। आरबीआई ने दिनांक 3 मई 2011 के परिपत्र के तहत अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि एमएफआई 12% 'मार्जिन कैप' तथा प्रतिवर्ष 26% ब्याज कैप की पालना करने पर प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत ऋणों को प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकेगी।

आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त को भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया है और स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को कमजोर वर्गो को अग्रिम देने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अधीन लाया गया है।

(ग) से (च) मालेगम समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बतों के साथ-साथ यह सिफारिश की है:

(i) एनबीएफसी की एक अलग श्रेणी बनाई जाए अर्थात आरबीआई द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई को सुव्यवस्थित बनाया जाना है और इसकी देखभाल की जानी है।

(ii) 100 करोड़ रूपये के ऋण पोर्टफोलियो वाले एमएफआई के लिए 10 प्रतिशत का एक औसत "मार्जिन कैप" तथा छोटे एमएफआई के लिए 12 प्रतिशत की "मार्जिन कैप"। एमएफआई को वैयक्तिक ऋणों पर 24% का ब्याज कैप।

(iii) पारदर्शिता के प्रयोजन से एक एमएफआई केवल तीन प्रकार के प्रभार लगा सकता है। ये प्रभार हैं- (क) प्रसंस्करण शुल्क (ख) ब्याज (ग) बीमा प्रभार

(iv) एक उधारकर्ता केवल एक स्व-सहायता समूह (एसएचजी) अथवा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) का सदस्य हो सकता है

आरबीआई ने अपने दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 के परिपत्र के तहत एनबीएफसी एमएफआई कंपनियां बनाई हैं।

विवरण

सूक्ष्म वित्त में प्रणालीगत महत्वपूर्ण कंपनियों की निवल संपत्तिया (स्त्रोतः आरबीआई)

	2008-09	2009-10
	1	2
अस्मिता माइक्रोफिन लि.	79871	175051
बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि.	29317	190822
भारतीय समृद्धि फाइनेंस लि.	47315	136384
बीएसएस माइक्रोफाइनेंस प्रा.लि.	10131	14377
इक्विटास माइक्रोफाइनेंस इंडिया प्रा. लि. (पूर्व में यूपीडीबी माइक्रोफाइनेंस प्रा.लि.)	29657	70348
फ्यूचर फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	12734	34096
जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि.	3402	11385
मानवीय डेवलपमेंट फाइनेंस प्रा.लि (पूर्व में मानवीय होल्डिंग्स एंड इंवेस्टमेंट प्रा.लि.)	20596	36511
उजीवन फाइनेंशियल सर्विसेज	17867	40862
शेयर माइक्रसेफिन लि.	114680	259562
एसकेएस माइक्रोफाइनेंस लि.	265167	411950
ग्रामीण फिन. सिर्वसेज	11539	23130
स्पन्दन स्फूर्ति फाइनेंशियल लि.	177273	284129
एस.ई. इन्वेस्ट	24101	55873
योग	843650	1744480

	1	2
2010-11		
अस्मिता माइक्रोफिन लि.		154791
बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि.		274203
भारतीय स्मृद्धि फाइनेंस लि.		155130
बीएसएस माइक्रोफइानेंस प्रा.लि.		16291
इक्विटास माइक्रोफाइनेंस इंडिया प्रा. लि. (पूर्व में यूपीडीबी माइक्रोफाइनेंस प्रा.लि.)		100204
फ्यूचर फाइनेंशियल सर्विसेज लि.		23567
जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि.		18011
मानवीय डेवलपमेंट फाइनेंस प्रा.लि (पूर्व में मानवीय होल्डिंग्स एंड इंवेस्टमेंट प्रा.लि.)		44743
सतिन क्रेडिट केयन नेटवर्क लि. (पूर्व में सतिन लीजिंग एंड फाइनेंस लि.)		29695
शेयर माइक्रोफिन लि.		256768
एसकेएस माइक्रोफाइनेंस लि.		437431
एस.एम.आई.एल.ई. माइक्रोफाइनेंस लि.		18941
एसकेएस माइक्रोफाइनेंस लि.		437431
एम.एम. आई.एल.ई. माइक्रोफाइनेंस लि.		18941
स्पन्दन स्फूर्ति फाइनेंसियल लि.		318147
विलेज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि.		12701
योग		1860625

आंकड़े लाख रुपए में

[हिन्दी]

बहुपक्षीय ऋण प्राप्त करना

2608. श्री हरीश चौधरीः
डॉ. संजय सिंहः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जन प्रतिनिधियों के स्थान पर नौकरशाह बहुपक्षीय ऋण करने में शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) ऐसे ऋणों के संबंध में पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी बैठकें हुई तथा इसमें जनता के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया;

(ङ) लोकतांत्रिक शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन करने के दृष्टिकोण से ऐसे जोखिम भरे और उच्च प्रभावी निवेश की निगरानी वाले प्रावधानों का ब्यौरा क्या है तथा किस हद तक उक्त प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है; और

(च) जनता के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार संघ की

कार्यकारी शक्ति भारत की समेकित निधि की जमानत पर; उस सीमा के भीतर, यदि कोई हो, जो कि संसद के कानून द्वारा विनिर्धारित की जा सकती हो; ऋण लेने की है। इस प्रावधान के अंतर्गत विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु केन्द्र सरकार बहुपक्षीय निधिपोषण संस्थाओं से ऋण लेती है।

(ख) परियोजना के आकार तथा सरकार में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के आधार पर परियोजना हेतु मंत्रिमंडल, अथवा प्रभारी मंत्री तथा वित्त मंत्री, अथवा प्रभारी मंत्री का अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्थाओं से ऋण लेने हेतु करारों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसी प्रकार, राज्य परियोजनाओं हेतु, केन्द्र सरकार द्वारा ऋण करारों पर हस्ताक्षर होने से पहले जहां आवश्यक होता है, राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर के राज्य सरकारें परियोजनाएं अनुमोदित करती हैं।

(ग) बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्थाओं से प्राप्त ऋणों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का अनुमोदन केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के भीतर सुस्थापित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन पर आधारित होता है।

(घ) पिछले दो वर्षों में परियोजनाओं पर बातचीत करने के लिए 85 बैठकें आयोजित की गई हैं। विद्यमान शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऋण करार हस्ताक्षरित किए जाने से पूर्व परियोजनाओं को उपयुक्त स्तर पर (मंत्रिमंडल, प्रभारी मंत्री तथा वित्तमंत्री तथा, अथवा प्रभारी मंत्री अथवा राज्य सरकारें) अनुमोदित किया गया था।

(ङ) राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत इन परियोजनाओं पर व्यय सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के भीतर रहना होता है। केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं हेतु बजट के माध्यम से व्यय का अनुमोदन संसद से लिया जाता है। इसी प्रकार, राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं हेतु, राज्य सरकार द्वारा व्यय का अनुमोदन संबंधित राज्य की विधायिका द्वारा बजट के माध्यम से लिया जाता है। ऋण संवितरण के मासिक ब्यौरे सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा प्रभाग (सीएएए) की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं पर व्यय की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) अथवा ऋण करार द्वारा सहमत किसी अन्य बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। इन व्ययों पर सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर संगत लोक लेखा समिति (पीएसी) में चर्चा की जाती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं हेतु यह प्रक्रिया अपनायी जाती है।

(च) उपरोक्त वर्णित पद्धति जनहित की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

[अनुवाद]

पर्यटन में वृद्धि

2609. श्री मनोहर तिरकीः
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदारः
श्री नलिन कुमार कटीलः
श्रीमती श्रुति चौधरीः

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पर्यटन की वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूरी क्षमताओं का दोहन नहीं किया गया है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या देश में पर्यटन की वृद्धि की क्षमता और संभावनाओं का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ग) यद्यपि हाल के वर्षों में भारत के पर्यटन सेक्टर में वृद्धि हुई है, फिर भी यह महसूस किया गया कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली भारत की सुविस्तृत प्रचुर प्रकृति उसकी कला, वास्तु और दार्शनिक विचारों का अदभुत खजाना, उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, उसके विविध ग्रामीण क्षेत्र एवं वन्य जीव और योगा, सिद्ध आदि सदियों पुरानी पद्धतियों के साथ यहां दोहन के लिए व्यापक पर्यटन संभावना है, जिससे पर्यटन में और अधिक वृद्धि हो सकती है।

पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनसे योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और कर्नाटक सहित अभी राज्यों/क्षेत्रों को 11वीं योजना के दौरान 30

सितम्बर 2011 तक स्वीकृति राशि और परियोजनाओं की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(घ) और (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पर्यटन के विकास को देश में व्यवस्थित एवं संपूर्ण तरीके से सुगम बनाने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में उनके लिए 20-वर्षीय संदर्शी योजना प्रारंभ की। यह संदर्शी योजनाएं, जो कि अल्प अवधि एवं दीर्घावधि में पर्यटन विकास हेतु कार्य योजनाएं प्रदान करती हैं, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाती हैं ताकि पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु कार्रवाई शुरू करने में उनको मार्गदर्शन दिया जा सके।

विवरण

11वीं पंचवर्षीर्य योजना के दौरान (30.09.2011 तक) स्वीकृत पर्यटन परियोजनाएं

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (30.09.2011 तक)		11वीं योजना	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या.	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	9	26.29	8	109.89	13	37.29	10	20.38	8	40.67	48	234.52
2.	अरूणाचल प्रदेश	11	43.30	13	31.47	14	36.54	13	32.26	6	13.62	57	157.19
3.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
4.	असम	6	17.47	4	21.08	7	22.76	4	23.55	3	4.23	24	89.09
5.	बिहार	4	21.95	10	25.05	3	6.99	1	3.60	0	0.00	18	57.59
6.	चंडीगढ़	2	0.20	5	7.99	5	11.51	5	11.04	0	0.00	17	30.74
7.	छत्तीसगढ़	5	12.94	1	11.34	0	0	4	20.95	0	0.00	10	45.23
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	3	0.24	0	0	0	0	0	0.00	3	0.24
9.	दमन और दीव	0	0	1	0.12	0	0	0	0	0	0.00	1	0.12
10.	दिल्ली	8	20.76	1	0.15	9	44.91	5	9.75	2	0.77	25	76.34
11.	गोवा	0	0	2	43.14	2	17.00	3	12.78	1	4.98	8	77.90
12.	गुजरात	5	5.81	7	21.33	1	7.33	1	0.14	2	51.75	16	86.36
13.	हरियाणा	10	22.50	7	36.70	6	12.37	6	27-41	1	0.10	30	99.08
14.	हिमाचल प्रदेश	12	34.81	10	34.58	6	23.95	12	34.98	2	८.22	42	128.54
15.	जम्मू और कश्मीर	33	70.60	28	43.42	31	49.75	20	56.17	17	115.88	129	335.82
16.	झारखंड	7	11.31	0	0	3	0.25	5	7.56	1	23.71	16	42.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	केरल	11	41.24	12	42.68	7	12.98	3	42.87	3	8.44	36	148.21
18.	कर्नाटक	6	24.79	4	42.73	13	42.42	2	8.59	0	0.00	25	118.53
19.	लक्षद्वीप	1	7.82	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1	7.82
20.	महाराष्ट्र	7	22.79	3	41.10	2	5.01	3	11.30	0	0.00	15	80.20
21.	मणिपुर	5	11.11	9	29.44	9	27.14	8	39.40	4	22.99	35	130.08
22.	मेघालय	2	6.74	7	17.14	7	14.73	9	22.53	2	0.40	27	61.54
23.	मिजोरम	6	26.93	4	3.18	7	24.06	9	11.51	6	13.81	32	79.49
24.	मध्य प्रदेश	16	39.51	11	31.41	11	60.99	13	30.85	4	18.72	55	181.48
25.	नागालैंड	22	32.41	11	25.40	13	24.60	10	29.10	6	25.87	62	137.38
26.	ओडिशा	13	30.87	6	41.15	9	23.69	6	20.29	1	0.05	35	116.05
27.	पुडुचेरी	6	16.10	4	2.52	3	5.57	3	50.26	0	0.00	16	74.45
28.	पंजाब	2	15.98	5	24.93	3	9.48	4	11.91	1	4.23	15	66.53
29.	राजस्थान	2	15.54	9	44.31	7	19.74	7	31.32	3	14.50	28	125.41
30.	सिक्किम	25	55.91	20	66.78	19	42.36	14	23.48	4	13.45	82	201.98
31.	तमिलनाडु	11	27.61	16	36.14	10	16.28	6	60.00	1	3.65	44	143.68
32.	त्रिपुरा	11	11.11	6	3.61	13	20.67	12	40.73	6	15.44	48	91.56
33.	उत्तर प्रदेश	7	29.24	6	38.40	6	21.90	14	27.85	7	10.86	40	128.25
34.	उत्तराखण्ड	6	21.01	2	44.68	1	0.55	8	29.78	9	37.63	26	133.65
35.	पश्चिम बंगाल	12	32.41	10	37.94	7	28.37	8	22.02	2	8.18	39	128.92
	कुल योग	283	757.06	245	960.04	247	671.19	228	774.36	102	454.15	1105	3616.80

'*पीआईडीडीसी, एचआरडी और आरटी से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण

2610. श्री अम्बिका बनर्जीः
श्री वरूण गांधीः
श्री प्रदीप माझीः
श्रीपाद येसो नाईकः
श्री जगदीश सिंह राणाः
श्री मकनसिंह सोलंकीः
श्री किसनभाई वी. पटेलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में एचआईवी/एड्स के रिपोर्ट किए गए मामले तथा इससे संबंधित मृत्यु बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक एचआईवी से प्रभावित लोगों की अनुमानित संख्या क्या है एवं अभी तक उनमें पता लगाए गए लोगों की संख्या कितनी है तथा देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार एड्स से ग्रस्त लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) देश में एचआईवी/एड्स के नियंत्रण और रोकथाम के लिए इसके अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा तथा बनाई गई रणनीति क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार उनके समुचित उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में राज्यमंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) और (ख) नाको द्वारा किए सर्वेक्षणों से सिद्ध होता है कि देश में नए वार्षिक एचआईवी संक्रमणों तथा एचआईवी/एड्स के कारण मृत्यु दोनों में कमी आ रही है। तथापि, इस संबंध में सूचित मामले अनिवार्यतः उसी पैटर्न का अनुसरण नहीं करते हैं क्योंकि देशभर में आईसीटीसी के व्यापक प्रसार, एचआईवी के प्रति अधिक जागरूकता तथा कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत जानकारी के परिणामस्वरूप देश भर से अधिकाधिक व्यक्ति जांच करवाने के लिए आगे आ रहे हैं तथा एचआईवी/एड्स के कारण होने वाली मौतों के संबंध में बेहतर सूचना प्राप्त हो रही है। इस संबंध में ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) एचआईवी प्रहरी निगरानी 2008-09 पर आधारित हाल के एचआईवी आकलन (2010) के अनुसार अनुमान है कि वर्ष 2009 में भारत में एचआईवी से ग्रस्त 23.9 लाख व्यक्ति थे। वर्ष 2009 में देश में एचआईवी से ग्रस्त लोगों की अनुमानित तथा एड्स से गस्त रोगियों के साथ-साथ अब तक पता लगाए गए एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण II में दी गई है।

(घ) एचआईवी/एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार वर्ष 1992 से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का 100% केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वयन कर रही है। जुलाई 2007 में शुरू किए गए एनएसीपी के चरण-III (2007-2012) का लक्ष्य "अगले 5 वर्षों में देश में इस महामारी को रोकना तथा उत्क्रमित करना है।" इस कार्यक्रम में एक चतुष्फलकीय कार्यनीति अपनाई गई है:

- उच्च जोखिम वाले समूहों तथा जनसमुदाय में नए संक्रमणों की रोकथाम।
- एचआईवी/एड्स से ग्रस्त बृहत्तर जनसंख्या को बेहतर परिचर्या, सहायता तथा उपचार प्रदान करना,
- जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर रोकथाम परिचर्या सहायता तथा उपचार कार्यक्रमों के क्षेत्र में अवसंरचना तंत्रों एवं मानव संसाधनों का सुदृढ़ीकरण।
- राष्ट्रव्यापी कार्यनीतिगत सूचना प्रबंधन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

इन्हें लक्षित कार्यकलापों के जरिए निवारक सेवाओं के उच्च जोखिम वाली जनसंख्या में उन्नयन, जागरूकता के लिए व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण, परामर्श एवं जांच सेवाओं में विस्तार, इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक रक्त यूनिट की अनिवार्य स्क्रीनिंग के जरिए रक्त तथा रक्त उत्पादों की सुरक्षा, यौन संचारित संक्रमणों के उपचार कंडोम संवर्धन समयानुवर्ती संक्रमणों के उपचार सहित एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की सहायता तथा उपचार, एंटी-रिट्रोवायरल औषधों की व्यवस्था द्वारा तथा एचआईवी उपचार कार्यनीतियों को मुख्य धारा में लाकर हासिल किया जा रहा है।

(ङ) (i) कार्यक्रम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित बजट तथा उस पर व्यय निम्नलिखित है:

वित्तीय	संशोधित अनुमान (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)
2008-09	1123.36	1032.37
2009-10	980.15	959.82
2010-11	1400.00	1167.21
2011-12	1700.00 (बीई)	904.20 (11/2011 तक)

किए गए आवंटन तथा उस पर व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ii) राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों को वार्षिक कार्य प्रयोजनाओं में नियत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधान के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में निधियों जारी की जाती हैं।

राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियां एड्स नियंत्रण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रापण, वित्तीय एवं प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार व्यय करती हैं। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों द्वारा कार्यान्यन की प्रगति तथा निर्धारित मानदंडों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सतत मानीटरिंग, कंप्युटरीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस/तथा कंप्युटरीकृत परियोजना वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सीपीएफएमएस) पर क्रमशः कार्यक्रम एवं वित्तीय आंकड़ों की रिपोर्टिंग, नियमित क्षेत्र दौरों, समीक्षा बैठकों तथा मध्यावधिक समीक्षा (एमटीआर) सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र समीक्षा तथा मूल्यांकन तथा दाता भागीदारों द्वारा संयुक्त कार्यान्वयन समीक्षा बैठक (जेआईआरएम) के जरिए सुनिश्चित किया जाता है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एचआईवी पोजिटिव रोगियों की पहचान तथा इससे जुड़ी मौतें

क्र.सं.	एसएसीएस	विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (सितम्बर, 2011 तक) के दौरान सूचित एचआईवी पोजिटिव रोगियों की संख्या				विगत 3 वर्षों तथा सितम्बर 2011 तक वर्तमान वर्ष के दौरान एचआईवी/एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों की सूचित मौतों की संख्या			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	35	46	31	21	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	72113	78045	75757	34935	4917	7018	8135	3848
3.	अरूणाचल प्रदेश	26	16	6	11	1	2	1	1
4.	असम	720	999	1081	678	58	53	62	35
5.	बिहार	5782	8130	8973	4397	261	525	612	319
6.	चंडीगढ़	1163	1224	961	500	72	122	111	60
7.	छत्तीसगढ़	1109	1956	2168	1483	96	86	198	171
8.	दादरा और नगर हवेली	72	53	52	49	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	60	42	93	34	0	1	0	0
10.	दिल्ली	6160	7707	7085	4126	261	298	236	75
11.	गोवा	1062	895	731	326	61	80	95	49
12.	गुजरात	13633	16071	14659	7430	595	914	1177	566
13.	हरियाणा	2431	3869	3572	2228	295	191	206	119
14.	हिमाचल प्रदेश	558	828	832	492	70	134	88	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	जम्मू व कश्मीर	404	456	360	245	33	52	38	0
16.	झारखंड	1859	1993	1787	1144	132	187	254	152
17.	कर्नाटक	41717	50655	44506	21956	2820	4083	5435	2622
18.	केरल	2474	2000	2357	1077	240	244	262	129
19.	मध्य प्रदेश	2803	4136	4340	2656	470	426	439	150
20.	महाराष्ट्र	74781	64005	77020	36123	3693	4757	6026	2458
21.	मणिपुर	1443	2830	3117	1173	257	143	156	72
22	मेघालय	75	127	255	186	3	2	9	10
23.	मिजोरम	705	1121	1348	823	29	58	77	39
24.	नागालैंड	1253	1534	1672	1004	39	50	74	40
25.	ओडीशा	3622	3651	3819	2124	173	284	305	180
26.	पुडुचेरी	773	475	761	398	47	400	28	24
27.	पंजाब	4724	5240	5425	3133	269	400	560	285
28.	राजस्थान	6771	7972	8066	4677	823	828	656	519
29.	सिक्किम	359	30	31	15	5	6	8	7
30.	तमिलनाडु	37322	31601	26089	11363	1723	2637	2848	1473
31.	त्रिपुरा	57	153	153	92	9	19	17	11
32.	उत्तर प्रदेश	9929	13837	12090	7905	898	1180	1442	720
33.	उत्तराखंड	577	748	757	455	40	43	72	34
34.	पश्चिम बंगाल	5481	6640	7382	4088	354	377	420	202
	भारत	302053	319085	317336	157347	18744	25215	30047	14421

विवरण II

देश में वर्ष 2009 में एचआईवी से ग्रस्त लोगों की अनुमानित संख्या तथा एड्स से ग्रस्त रोगियों के साथ अब तक पहचाने गए एचआईवी ग्रस्त लोगों की संख्या

राज्य	एचआईवी से ग्रस्त लोगों की अनुमानित संख्या, 2009*	सितम्बर 2011 तक एचआईवी पोजिटिवं रोगियों की संचयी पहचान	देश में एड्स से ग्रस्त लोगों की संख्या (सितम्बर 2011 तक)
1	2	3	4
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	395	133	0
आंध्र प्रदेश	4,99,620	606564	96033

1	2	3	4
अरूणाचल प्रदेश	1,081	87	34
असम	14,243	5403	1519
बिहार	1,20,470	43035	9392
चंडीगढ़	3,067	8981	1952
छत्तीसगढ़	39,774	9566	2538
दादरा और नगर हवेली	285	226	0
दमन और दीव	251	267	0
दिल्ली	34,216	50889	9429
गोवा	5,440	9020	1360
गुजरात	1,36,874	103898	22796
हरियाणा	15,852	22374	2467
हिमाचल प्रदेश	8,878	5208	1425
जम्मू और कश्मीर	5,403	3202	685
झारखंड	23,574	9380	2718
कर्नाटक	2,45,522	236931	63597
केरल	40,060	16429	5842
लक्षद्वीप	-	0	-
मध्य प्रदेश	84,803	23103	5564
महाराष्ट्र	4,19,789	430013	105436
मणिपुर	26,773	27256	7042
मेघालय	1,332	732	170
मिजोरम	6,025	6316	1297
नागालैंड	13,120	9494	2728
ओडिशा	71,813	21852	3919
पुडुचेरी	2,254	6377	781

1	2	3	4
पंजाब	56,927	28139	7498
राजस्थान	76,317	41314	10591
सिक्किम	231	522	55
तमिलनाडु	1,54,742	257396	54330
त्रिपुरा	3,426	455	179
उत्तर प्रदेश	1,09,352	68367	17026
उत्तराखण्ड	5,539	4347	948
पश्चिम बंगाल	1,67,994	38408	9509
भारत	23,95,442	2095684	448860

***स्त्रोतः** एचआईवी अनुमान, 2010 नाको

विवरण III

नाको के संबंध में 2008-09 से 2011-12 तक निर्मुक्त आवंटित तथा प्रयुक्त निधियां (आंकड़े लाख रुपए में)

राज्य	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
	आवंटन	निर्मुक्त	व्यय	आवंटनम	निमुक्ति	व्यय	आवटंन	निमुक्त	व्यय	आवंटन	निमुक्त	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश एस ए	5472.02	7371.51	5516.17	8243.18	4082.14	7058.19	9049.52	8511.78	6307.74	8722.93	4995.06	4539.76
अरूणाचल प्रदेश	706.84	09.18	712.02	816.31	761.30	685.21	929.28	843.82	862.92	794.34	536.92	364.53
असम सैक्स	1912.37	159.60	1409.32	1794.83	1233.21	1447.57	1935.51	1621.60	1562.44	1974.84	1159.66	764.33
बिहार एसएसीएस	2179.49	970.13	1019.93	2174.73	351.02	1126.25	2492.33	2143.94	1891.99	2552.65	1383.35	1018.27
छत्तीसगढ़ एस एसी एस	1106.37	817.56	425.78	1195.93	524.73	788.51	1708.15	1314.28	1127.37	1823.30	851.94	487.18
गोवा एसएसीएस	624.72	447.78	401.85	650.23	452.60	535.81	777.46	591.05	517.51	621.91	244.32	221.05
गुजरात एसएसीएस	3559.86	348.46	3172.17	4593.00	3670.45	3722.54	4994.99	4481.05	4162.33	5310.94	2984.62	1707.02
अहमादाबाद एम सी एसी	427.72	430.56	319.35	367.33	138.29	288.90	563.55	489.86	385.02	721.67	456.57	2.80
हरियाणा एसएसीएस	1099.08	346.46	634.08	1746.94	1083.56	912.30	1742.80	1411.39	1370.36	1874.65	945.72	730.11
हिमाचल प्रदेश	869.35	800.41	615.40	1125.27	765.46	881.66	1136.99	102.81	1036.95	1316.66	786.33	413.59
जम्मू व कश्मीर	655.37	210.07	277.73	677.60	199.74	257.09	680.96	269.39	243.76	811.85	336.35	130.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
झारखण्ड एमसीएसी	1119.73	1388.5	1228.83	2000.30	1030.84	466.58	1754.17	1270.78	1040.50	1882.54	609.12	545.69
कर्नाटक एमएसीएस	6458.03	3453.73	2641.20	3056.51	3868.00	2069.46	6040.84	5582.95	4492.40	6893.59	3249.94	3413.25
केरल एमएसीएस	2341.68	2316.65	2153.47	2500.02	2068.68	2169.92	3183.55	2981.60	2954.92	3243.17	2194.25	1255.36
मध्य प्रदेश	2458.36	1926.39	1257.22	3341.73	1849.84	2040.36	3679.63	2932.48	1928.85	3819.50	1466.29	1206.20
महाराष्ट्र एमएसीएस	5756.84	6310.36	4319.95	3452.12	2251.36	4484.84	7976.57	6886.26	6020.92	7399.55	3567.27	3834.50
मुंबई एमसीएसी	1810.06	1467.84	1579.11	2163.16	1622.73	1696.63	2328.38	1947.99	1837.31	2290.52	1095.78	923.16
मणिपुर एमएसीएस	2740.07	1809.54	2558.15	2281.98	1968.40	1579.34	2491.69	2303.47	1927.88	1722.06	1263.61	725.37
मेघालय एमएसीएस	475.91	367.45	186.79	459.53	180.23	269.95	494.69	307.05	409.84	50393	285.15	154.27
मिजोरम एमएसीएस	1353.27	1170.12	1454.45	1331.25	1042.02	1224.75	1719.02	1593.21	1497.00	1438.95	803.47	620.13
नागालैंड एमएसीएस	1895.13	1844.73	1664.07	1938.71	750.90	1729.50	2134.13	1806.55	1782.02	2050.68	1214.24	712.79
ओडीशा एमएसीएस	2188.28	1939.93	1536.00	2353.38	1509.01	1473.61	2867.59	2505.12	2445.71	3050.41	1325.43	952.50
पंजाब एमएसीएस	1341.85	1028.76	724.98	1815.12	1253.02	1070.96	2163.50	1899.20	1825.91	2546.86	1331.17	974.63
राजस्थान एमएसीएस	2087.19	1196.83	914.44	2618.60	1530.04	1869.59	2398.70	3198.66	2637.94	2968.14	755.47	1283.16
सिक्किम एमएसीएस	347.34	222.79	320.74	415.62	222.80	363.66	523.65	40.54	500.45	501.77	350.62	199.23
तमिलनाडु एमएसीएस	4550.40	7396.44	8490.54	719300	7163.80	3262.32	8006.02	7169.55	7960.39	7781.00	5507.00	4211.28
चेन्नई एमसीएसीएम	652.49	812.79	337.53	594.67	594.06	169.51	183.81	136.04	218.12	226.41	141.60	67.02
त्रिपुरा एमएएसीएस	569.48	471.46	554.98	724.52	704.42	621.46	746.41	587.43	640.50	743.87	486.92	223.07
उत्तर प्रदेश एमएएसीएस	3791.85	1210.37	3168.41	3458.40	2240.68	2516.97	4067.19	3118.99	3461.86	4165.72	1483.19	1572.58
उत्तराखण्ड एमएएसीएस	762.61	739.28	663.02	1048.55	494.38	840.22	1215.40	1064.40	1038.48	1321.49	851.94	553.41
पश्चिम बंगाल एमएएसीएस	3630.54	3622.88	4437.88	4427.18		3327.78	4760.34	4043.66	3616.79	4678.84	2203.81	1553.89
योग	64944.29	58339.87	54695.56	70558.70	44419.59	50951.45	85646.92	74566.99	67706.19	85754.74	44867.11	35360.26
संघ राज्य क्षेत्र												
दिल्ली एसएसीएस	2524.80	2464.61	1788.07	2669.70	1295.05	1911.57	3535.44	3216.92	2832.58	3461.51	1632.61	1474.09
पुडुचेरी एसएसीएस	35884	282.96	216.43	345.82	21.69	243.58	386.98	351.16	299.09	368.48	206.13	132.92
अंडमान व निकोबार	186.14	159.00	97.94	158.69	15.82	118.03	184.60	48.19	11378	170.31	91.33	60.89
चंडीगढ़ एमसीएस	386.02	361.65	306.81	20535	222 .45	280.94	626.34	496-33	596.65	502.41	315.51	256.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दादर और नगर हवेली	119.25	81.39	88.56	136.00	84.52	103.34	149.11	122.98	110.00	139.07	65.28	19.26
दमन और दीव एमएसीएस	111.54	99.87	121.43	167.24	86.53	100.35	231.19	214.55	114.45	189.93	33.93	35.86
लक्षद्वीप एमएसीएस	34.86	0.00	26.25	35.89	17.08	29.01	39.63	9.64	12.42	39.63	13.9 (PF)	9.52
कुल संघ राज्य क्षेत्र	3721.45	3449.48	2645.50	3718.70	1743.15	2786.83	5153.29	4459.77	4078.97	4871.34	2344.79	1988.92
सकल योग	68665.74	61789.35	57341.05	74277.40	46162.74	53738.28	90800.21	79026.68	71785.16	90626.08	47211.90	37349.18

नैदानिक परीक्षणों में अनियमितताएं

2611. श्री एम. के. राघवनः
श्री लालचन्द कटारियाः
श्री दत्ता मेघेः
श्री जगदीश ठाकोरः
श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्री रवनीत सिंहः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विनियमों और प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक भारतीय और विदेशी फर्मों द्वारा अलग-अलग ऐसे कितने नैदानिक परीक्षण किए गए हैं और ये परीक्षण किस क्षेत्र में किए गए हैं और इनके क्या परिणाम निकले हैं:

(ग) क्या देश में इन नैदानिक परीक्षणों के आयोजन में अनियमितताओं और कदाचार के मामलों की सूचना प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) नैदानिक परीक्षणों के आयोजन में किसी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए इन परीक्षणों की उचित निगरानी हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजद): (क) और (ख) नई औषधियों के नैदानिक परीक्षण औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची वाई में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किए जाते हैं। नैदानिक परीक्षण रजिसट्री में दिनांक 21.07.2007 से 06.12.2011 के बीच आईसीएमआर की वेबसाइट www.ctri.in पर कुल दर्ज किए गए। दिनांक 15 मार्च, 2011 को साफ्टवेयर का संसोधित रूपान्तर शुरू करने के बाद केवल 15 मार्च, 2011 से आगे की अवधि के लिए भारतीय फर्मो/विदेशी फर्मो द्वारा आयोजित नैदानिक परीक्षणों के ब्यौरे उपलब्ध हैं जिसके अनुसार दिनांक 15.3.2011 से 7.12.2011 के बीच पंजीकृत किए गए कुल नैदानिक परीक्षणों की संख्या इस प्रकार है।

भारतीय एजेंसिया- 405 विदेशी एजेंसियां- 153

वे क्षेत्र (राज्य) जहां भारतीय एजेंसियों द्वारा परीक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, इस प्रकार हैं:- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीशा, पंजाब राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

वे क्षेत्र जहां विदेशी एजेंसियों द्वारा परीक्षण आयोजित किए जा रहे हैं इस प्रकार हैं, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान नैदानिक परीक्षणों के परिणाम पर आधारित विभिन्न नई औषधियां अनुमोदित की गई हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान नैदानिक परीक्षण संचालन में अनियमितताओं के लिए जांचे गए मामलों की संख्या तथा उन पर की गई कार्रवाई ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) नैदानिक परीक्षणों से संबंधित विनियमों को सुदृढ़ करने के लिए औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) जो औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत एक सांविधिक सलाहकार समिति है, द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रसताव अनुमोदित किए गए हैं और सरकार द्वारा दिनांक 18.11.2011 का एक मसौदा अधिसूचना सा.का.नि. 821 भी प्रकाशित किया गया है

1. परीक्षण संबंधी क्षति या मृत्यु की स्थिति में परीक्षणाधीन व्यक्तियों के लिए वित्तीय मुआवजा प्रदान करने के लिए और अधिक विशिष्ट उपबंधों का समावेशन
2. आचार समिति प्रायोजक तथा अन्वेषकों की जिम्मेदारियों में वृद्धि जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि परीक्षणाधीन व्यक्तियों जो परीक्षण संबंधी क्षति या मृत्यु के शिकार होते हैं, को वित्तीय मुआवजा तथा चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जाए तथा डीसीजी (आई) को ऐसी सूचना प्रदान की जाए।
3. परीक्षणाधीन व्यक्ति के पते, व्यवसाय, वार्षिक आय के ब्यौरे शामिल करने हेतु परीक्षणाधीन व्यक्तियों की सूचित सहमति प्राप्त करने के लिए फार्मेट में संशोधन जिससे कि परीक्षणाधीन व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित सूचना प्राप्त हो सके।

इसके अतिरिक्त, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली संशोधन करने के लिए डीटीएबी द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव भी अनुमोदित किए गए हैं:

1. संबंधित राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी की सहायता से सीडीएससीओ द्वारा निरीक्षण के लिए प्राधिकार प्राप्त करने त था गैर-अनुपालन के मामले में भावी नैदानिक परीक्षण करने के लिए नैदानिक परीक्षण की अनुमति का निलंबन/नैदानिक परीक्षण अनुमति रद्द करना, अन्वेषक प्रायोजक/नैदानिक अनुसंधान संगठन (सीआरओ) पर प्रतिबंध जैसी प्रशासनिक कार्रवाइयां करने के लिए नियमों को शामिल करना।
2. आचार समितियों के पंजीकरण के लिए नियमों तथा नई अनुसूची को शामिल करना तथा उन विनियामक उपबंधों, जिनमें यह अपेक्षित है, कि नैदानिक परीक्षण उन स्थलों पर किए जाने चाहिए जहां उनकी अपनी आचार समितियों हैं, में संशोधन करना। तथापि, देश में तथा/अथवा अन्यत्र अनुमोदित औषधों की जैव-उपलब्धता तथा जैव-तुल्यता अध्ययन कराने के लिए (नई औषध के अनुमोदन के प्रयोजनार्थ) आचार समिति संबंधी अनुमोदन उसी क्षेत्र की स्वतंत्र आचार समिति से प्राप्त किया जा सकता है, जहां वह स्थल अवस्थित है।

विवरण

विगत तीन वर्षो तथा वर्तमान वर्ष के दौरान नैदानिक परीक्षणों के संचालन में औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन तथा इन मामलों में की गई कार्रवाई

क्र.सं.	वर्ष	फर्म का नाम	स्थल का नाम	औषध	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1.	2008	मैसर्स वाईथ इंडिया लिमिटेड	बाल चिकित्सा विभाग, सेंट जोन. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बंगलौर-34	13-वैलेंट न्युमोकोक्कल कंज्युगेट वैक्सीन	देश में एक स्थल पर 13-वेलेंट न्युमोकोक्कल कंज्युगेट वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण में शामिल परीक्षणाधीन व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में गभीर प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट आई थी। मामले की जांच करने के लिए एक दल गठित किया गया था। इस दल ने 13.12.2008 तथा /14.12.2008 को निरीक्षण किया। निरीक्षण से प्रकट विभिन्न उत्तम नैदानिक पद्धतियों (जीसीपी) के उल्लंघन प्रकट हुए। अतः संबंधित अन्वेषण प्रायोजक तथा मॉनीटर को चेतावनी पत्र जारी किए गए जिनमें उन्हें भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई

1	2	3	4	5	6
					करने के लिए कहा गया। 06.11.2008 को सभी बारह स्थलों पर नैदानिक परीक्षण रोक दिया गया तथा यह 22.04.2009 तक लंबित रहा। प्रायोजक ने जीसीपी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई विभिन्न सुधारात्मक कार्रवाइयों का उल्लेख किया। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने उसकी संवीक्षा की तथा निरीक्षण किए गए स्थल को छोड़कर सभी स्थलों से निलंबन को 23.04.2009 को रद्द करने का निर्णय लिया। इसके अलावा निरीक्षण किए गए स्थल के मॉनीटर तथा अन्वेषण ने भी अपने द्वारा की गई सुधारात्मक का कार्रवाई उल्लेख किया जिसके आधार पर 02.06.2009 को निरीक्षण वाले स्थल से भी निलंबन को रद्द कर दिया गया। वैक्सीन के कारण मौत का होना सिद्ध नहीं हुआ।
2.	2010	क्विंटिल्स रिसर्च (इंडिया) प्रा.लि. बंगलौर	भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेटर रायसेन बाईपास, भोपाल, करोन्द्र भोपाल मध्य प्रदेश, इंडिया 462038	तेलावसिन बनाम बेंकोमाइसिन	भोपाल और इन्दौर में किए गए औषधि परीक्षणों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। सीडीएससीओ के अधिकारियों के एक दल ने भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में किए गए एक क्लीनिकल परीक्षण की जांच की है। जांच के निष्कर्षों से कुछ कमियों का पता चला जिसके लिए मुख्य अन्वेषक और मेसर्स क्विंटिलस लि. बैंगलोर से दिनांक 28.09.2010 के पत्र के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। प्रमुख अन्वेषण और मेसर्स क्विंटिल्स लि. ने औषधि महानियंत्रक के कार्यालय (भारत) को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। डीसीजी (आई) के कार्यालय ने दिनांक 23.12.2010 को मुख्य अन्वेषक और मेसर्स क्विन्टिलस लि. को चेतावनी पत्र जारी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी कमियों/विसंगतियों की पुनरावृत्ति न हो।
3.	2010	पैथ (इन कोलाबरेशन विद आईसीएमआर) ए-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, यूएसओ रोड, नई दिल्ली-110067 इंडिया	1. खम्माम जिला आंध्र प्रदेश, बड़ोदरा जिला, गुजरात	ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीन (एचपीवी वैक्सीन)	यह एक चरण- IV पोस्ट लाइसेंस क्लीनिकल ट्रायल था। यह परीक्षण एक गैर सरकारी संगठन पैथ (स्वास्थ्य में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए कार्यक्रम) द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य सरकार सहयोगी भागीदार थे। आंध्र प्रदेश में 14091 लड़कियों ने वैक्सीन प्राप्त किया जबकि गुजरात में 10686 लड़कियों ने वैक्सीन प्राप्त किया। मीडिया ने परीक्षण के दौरान 7 लड़कियों की मौत होने की सूचना दी। परीक्षण को आईसीएमआर द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2010 को निलंबित कर दिया

1	2	3	4	5	6
					गया। कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसने किए गए परीक्षण में कुछेक विसंगतियों की रिपोर्ट दी। पैथ ने अनियमितताओं के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
4.	2010	मैसर्स मेरिक लाईफ साईसोंन लि. वापी गुजरात	मेसर्स एस्कॉर्ट हाई इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेन्टर ओखला रोड, नई दिल्ली	बायोमार्डम सिरोलिम्स इलूटिंग कोरोनरी स्टेंट सिस्टम	परीक्षण चिकित्सा युक्ति के नैदानिक परीक्षण से संबंधित है जिसे डीसीजी (आई) द्वारा भारत में विनिर्माण और विपणन के लिए पहले ही अनुमोदित कर दिया गया था। जांच से पता चला कि डीसीजी (आई) के कार्यालय की अनुमति को छोड़कर औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के अनुसार स्थल पर परीक्षण किया गया है। प्रायोजकों को भविष्य में डीसीजी (आई) के बिना किसी पूर्व अनुमोदन के परीक्षण नहीं करने की चेतावनी दी गई है।
5.	2011	डा. अनिल भरानी एंड डा. अशीष पटेल	महाराजा यशवंत राव हास्पिटल एंड महात्मा मेमोरियल कालेज इंदौर 452001 मध्य प्रदेश	टडालाफिल इन वल्मोनरी अर्टेरियल हाईपरटन्शन (पीएएच)	टडालाफिल इन महाराजा यशवन्तराव अस्पताल तथा महात्मा गांधी मेमोरियल कालेज इंदौर में नैनानिक परीक्षण के मामलों का तथाकथित रूप से उल्लंघन किए जाने के संबंध में एक न्यूज रिपोर्ट मिली थी। इस समाचार में नैदानिक परीक्षण में पल्मोनरी आर्ट्रियल हाईपरटेंशन में औषधि टडालाफिल के इस्तेमाल के एक विशिष्ट मुद्दे का उल्लेख है। डीसीजी (आई) के कार्यालय ने 12-7-2011 को सीडीएससीओ (पश्चिमी जोन) को तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करने का निदेश दिया। तदनुसार एमसीएम मेडिकल कालेज तथा संबद्ध एमवाई अस्पताल इंदौर में किए गए नैदानिक परीक्षणों के संबंध में 10.8. 2011 को सीडीएससीओ (पश्चिमी जोन) के कार्यालय तथा राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जांच की गई। जांच की रिपोर्ट के अनुसार डा. अनिल भारानी तथा डा. आशीष पटेल द्वारा डीसीजी (आई) की अनुमति के बगैर वर्ग-1 पल्मोनरी आर्ट्रियल हाईपरटेंशन वाले रोगियों में टडालाफिल के साथ परीक्षण किया गया। पल्मोनरी आर्ट्रियल हाईपरटेंशन में टडालाफिक के साथ अध्ययन 18.9.2005 को किया गया था जब देश में अन्य संकेत के लिए औषधि अनुमोदित नहीं थी। तथापि, 10.6.2003 को दूसरे संकेत मेल इरेक्टाइल डिफंक्शन के लिए देश में औषधि को अनुमोदित किया गया। इसके मद्देनजर डीसीजी (आई) के कार्यालय ने दिनांक 2.11.2011 के पत्र के तहत दोनों डाक्टरों नामतः अनिल भारानी तथा डा. आशीष पटेल को पल्मोनरी आर्ट्रियल हाईपरटेंशन में टडालाफिल के नैदानिक परीक्षण को रोकने कानिर्देश

1	2	3	4	5	6
					दिया और उन पर 6 माह की अवधि तक कोई नैदानिक परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगा दिया।
6.	2011	एक्सिज क्लिनिकल लिमिटेड आंध्र प्रदेश	एक्सिज क्लिनिकल लिमिटेड (यूनिट नं.1) प्रथम द्वितीय, तृतीय पंचम तथा षष्टम तल एच नं. 1-121/1 एस नं. 66 (पार्ट) मियापुर, हैदराबाद-500050 एवं (यूनिट नं.2) प्लॉट नं. 33 से 35 मीरा अस्पताल, प्रथम तल, अलुरी सीतारामराजु कालोनी, जेपीएन कोलोनी के सामने मियापुर हैदराबाद	कैंसर रोधी औषधों (ऐक्सीमिस्टेन 25 एमजी टैब्लेट) की जैव उपलब्धता तथा जैव-तुल्य अध्ययन	मैसर्स एक्सिज क्लिनिकल रिसर्च हैदराबाद द्वारा समुचित सूचित सहमति के बगैर निर्धन लोगों पर कैंसर रोधी औषध का नैदानिक परीक्षण किए जाने की सूचना मिली थी। जांच से पता चला कि फर्म ने पहले से ही अनुमोदित कैंसररोधी औषध पर जैवतुल्यता अध्ययन किया और आचार समिति की सूचित सहमति प्रक्रिया के संबंध मे कुछ अनियमितताएं थी। जैव-तुल्यता तथा जैव उपलब्धता अध्ययन करने हेतु हेतु फर्म को प्रदत्त अनुमति 22.6.2011को निलंबित कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप फर्म ने 04.7.2011 को उनके द्वारा की जा रही सुधारात्मक कार्रवाईयों का ब्यौरा दिया जिनमेंपरीक्षणाधीन व्यक्ति की भर्ती की प्रक्रिया के लिए संशोधित मानक प्रचालनात्मक प्रक्रियाएं आचार समिति की सूचित सहमति प्रक्रिया समीक्षा तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है। आगे की जांच और सत्यापनों के आधार पर मैसर्स एक्सिज क्लिनिकल रिसर्च हैदराबाद को श्रव्य-दृश्य साधनों के जरिए सूचित सहमति प्रक्रिया के प्रलेखन सहित सूचित सहमति प्रक्रिया आचार समिति की कार्य प्रणाली एवं अन्वेषकों से संबंधित जैव-तुल्यता अध्ययन करने के लिए "एनओसी" प्रदान किया गया।

डॉक्टरों और पैरामैडिकल स्टॉफ की कमी

2612. श्री संजय धोत्रेः
श्री नवीन जिन्दलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में एएन एनडब्ल्यू और एएनएम सहित डॉक्टरों लैब तकनीशियनों और फॉर्मासिस्टों तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्र में तैनात बड़ी संख्या में डाक्टरों के ड्यूटी में अनुपस्थिति रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों को काफी पेरशोनियों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ङ) रिक्त पदों को भरने और देश में ग्रामीण निर्धनों हेतु समुचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2010 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) में 2433 डॉक्टरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में 11361 विशेषज्ञों पीएचसी तथा सीएचसी में 14225 लैब तकनीशियनों पीएचसी एवं सीएचसी में 7655 फार्मासिस्टों तथा पीएचसी और सीएचसी में 15079 स्वास्थ्य कार्यकताओं (महिला)/सहायक नर्सधात्रियों की कमी है।

कमी के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों में डॉक्टरों तथा पराचिकित्साकर्मियों की अपेक्षित संख्या की अनुपलब्धता, मेडिकल कॉलेजों तथा प्रशिक्षण संस्थानों की कमी दुष्कर एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करने की अनिच्छा, आवास का आभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य अवसंरचना की अनुपलब्धता इत्यादि है।

(ग) और (घ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य केन्द्रों अस्पतालों इत्यादि का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाता है तथा डॉक्टरों की अनुपस्थिति सहित स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों की दैनिक कार्यप्रणाली की देखरेख उनके द्वारा की जाती है।

(ङ) मानव संसाधनों का संवर्धन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ध्यान दिए जाने वाला एक क्षेत्र है। एनआरएचएम के अंतर्गत संविदात्मक आधार पर स्टाफ के विनियोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेषज्ञों की कमी पर काबू पाने के लिए डाक्टरों को बहुकौशलयुक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था, उन्नत आवास व्यवस्था और अधिक डॉक्टरों तथा पराचिकित्सा कर्मियों को तैयार करने के लिए और अधिक मेडिकल कॉलेजों जीएनएम स्कूलों की सथापना के प्रयास भी मानव संसाधनों में अंतराल को पाटने के लिए किए गए उपाय हैं। 30 जून, 2011 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में एनआरएचएम के अंतर्गत संविदात्मक आधार पर नियुक्त स्टाफ को दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	पदनाम	शामिल किए गए स्टाफ की संख्या
1	2	3
1.	विशेषज्ञ	3592
2.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	9982
3.	आयुष डॉक्टर	11072
4.	स्टाफ नर्स	30682
5.	एएनएम	61062
6.	पराचिकित्सा कर्मी	26048
7.	आयुष पराचिकित्सा कर्मी	4345

स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए अपेक्षित पदों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा भरा जाता है। रिक्त पदों को भरने के लिए उनसे समय-समय पर आग्रह किया जाता है।

न्यूमोनिया और डायरिया के कारण बच्चों की मृत्यु

2613. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष (यूनीसेफ) के स्टेट आफ वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट, 2008 के अनुसार भारत में निमोनिया और डायरिया के कारण प्रतिवर्ष पांच वर्ष से कम उम्र के 5753 बच्चों की मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस उच्च मृत्यु दर को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) जी, नहीं। रिपोर्ट में ऐसा कोई विवरण नहीं दिया गया है जिसमें इस आंकड़े का उद्धरण हो। तथापि, डब्ल्यूएचओ के अनुमानों के अनुसार भारत में पांच वर्ष से कम आयु की मौतों में निमोनिया का योगदान 11 प्रतिशत और अतिसार का योगदान अन्य 11 प्रतिशत है।

(ग) भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया और अतिसार के कारण रूग्णता और मृत्यु में कमी लाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- **सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रमः** बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न वैक्सीनें इस्तेमाल की जाती हैं:

(i) डीपीटी वैक्सीन

(ii) खसरे का वैक्सीन

(iii) पेंटावेलेंट वैक्सीन

- **ओआरएस और जिंक का इस्तेमाल :** रूग्णता और मृत्यु में कमी लाने हेतु अतिसार ग्रसत बच्चों में अल्प ऑस्मोलेरिटी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और जिंक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- **एकीकृत नवजात और बाल्यावस्था बीमारी प्रबंधन (आईएमएनसीआई) :** इस कार्यक्रम के अंतर्गत निमोनिया और अतिसार सहित आम बीमारियों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण किया जाता है। यह कार्यक्रम निमोनिया और अतिसार की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में सामुदायिक प्रथाओं के उन्नयन करने पर भी फोकस करता है।

  एनआरएचएम के अंतर्गत सुविधा आधारित नवजात और बाल्यावस्था बीमारी प्रबंधन (एफ-आईएन एनसीआई) पैकेज शामिल है जो सुविधा केंद्र स्तर पर बच्चों में निमोनिया और अतिसार सहित बाल्यावस्था रोगों के उपचार हेतु स्वास्थ्य कार्मिकों को अधिकार प्रदान करता है।

- **माइक्रोन्यूट्रिएंट संपूरण सप्लीमेंटेशन कार्यक्रमः** विटामिन ए संपूरण निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर कम करने में लाभ पहुंचाता है।

कोयला का आयात

2614. श्री संजय दिना पाटीलः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन के लिए 30 प्रतिशत कोयले को आयात इंडोनेशिया से किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इंडोनिशिया से आयातित कोयले के बड़े मूल्यों का प्रभाव विद्युत उत्पादन पर पड़ने का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) वर्ष 2010-11 के दौरान, विद्युत यूटिलिटियों द्वारा खपत किए गए कुल कोयले का लगभग 8% आयात किया गया कोयला था। विद्युत यूटिलिटियों द्वारा आयात किए गए कुल कोयले में से, कोयले के आयात का एक महत्वपूर्ण भाग इंडोनेशिया से था। घरेलू कोयले के साथ आयात किए गए कोयले के 10% मिश्रण के साथ विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि आयात किए गए कोयले की लागत में प्रत्येक 10 अमरीकी डॉलर/टन वृद्धि हेतु 3 पैसे प्रति यूनिट है।

(ङ) विद्युत के उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू स्त्रोतों से कोयले की मौजूदा कमी के कारण, कोयले के आयात का सहारा लिया जा रहा है। आयात किए गए कोयले की कीमतों में वृद्धि सरकार के नियंत्रण के बाहर है। इसलिए कोयले आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में घरेलू कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया जा रहा है। कोयले के आयात के लिए विदेशी खनन/दीर्घावधि समझौते की संभावना की कुछ भारतीय कंपनियों/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा की जा रही है।

अंतर-मंत्रालयी समिति

2615. श्री दुष्यंत सिंहः क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पर्यटन के विकास से जुड़े अंतर-मंत्रालयी मुद्दो को सुलझाने को सुगम बनाने के लिए विरोधी अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश में पर्यटन संबंधी अवसरंचना के विकास के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए /उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ग) जी, हां। देश में पर्यटन के विकास में शामिल अंतर-मंत्रालयी मुद्दों तथा उद्योग संघ द्वारा उठाये गये मुद्दों को सुलझाने को सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सदस्य सचिव, योजना आयोग, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, गृह, रक्षा, विदेश मामले, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नागर विमानन, शहरी विकास, पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों के सचिव तथा राजस्व, व्यय और विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभागों के सचिव शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय के सचिव इस समिति के सदस्य-संजोयक हैं।

योजना आयोग ने 12वीं योजना के दौरान पर्यटन के विकास हेतु विभिन्न उपायों की सिफारिश करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु पर्यटन पर कार्यवाही समूह और संचालन समिति का गठन किया है।

एयर लाइनों को उधार

2616. श्री गुरूदास दासगुप्ताः
श्री अशोक अर्गलः
श्री जे.एम. आरून रशीदः
श्री प्रबोध पांडाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भारी धनराशि उधार दी तथा किंगफिशर एयरलाइन के इक्विटी शेयरों में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एयर लाइन कंपनी द्वारा बैंक-वार पुनर्भुगतान/विमोचन का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऋण के एवज में कंपनी द्वारा किया गया सिक्योरिटी जमा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंकों का विचार एयर लाइनों को मदद करने के लिए दूसरे दौर के ऋण का पुनर्गठन का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में किस दर पर इक्विटी को बैंक-वार खरीदा गया; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) किंगफिशर एयरलाइन से संबंधित बैंकवार फंड-आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण जोखिम (एक्सपोजर) और बकाया धनराशि तथा निवेश के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) कंपनी द्वारा बैंकों के सम्पूर्ण सहायता-संघ के लिए गई जमानत के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) से (च) भारतीय स्टेट बैंक सहायता-संघ का अग्रणी बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

विवरण I

(करोड़ रू. में)

30.11.2011 की स्थिति के अनुसार बैंक एक्सपोजर	सीमा		बकाया		निवेश	
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	सीआरपीएच #	एनसीसीआरपीएस @
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	1189.10	247.00	1249.47	208.31	182.25	182.25
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स	120.00		56.34			
फेडरल बैंक		100.00	90.16			
कार्पोरेशन बैंक	146.67	228.35	156.25	148.60	7.50	7.50
यूको बैंक	277.77		290.22		45.00	45.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	306.43	220.12	367.76	169.75	29.96	29.96
पंजाब नेशनल बैंक	452.85	300.00	450.67	259.66	36.74	36.74
इंडसइंड बैंक	(6.60)	14.15	2.20	2.150	-	-

1	2	3	4	5	6	7
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	695.50		727.63		112.50	112.5
बैंक ऑफ इंडिया	475.03	80.35	505.27	70.00	56.25	56.25
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	135.36		140.68		21.75	21.75
एक्सिस बैंक लिमिटेड	50.00		50.45			
यूनाइटेड बैंक लिमिटेड	292.80	106.50	304.18	103.96	30.00	30.00
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	350.00		365.80		-	
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	50.00		51.41			
जे एण्ड के बैंक	82.60	7.09	84.25	7.00	12.00	12.00
इंण्डीयन ओवरसीज बैंक	118.83		123.71		19.15	19.15
आईसीआईसीआई बैंक	428.40	8.00	432.78	0.94	170.00	
लिमिटेड विजया बैंक	-	-	-	-	27.00	-
योग	5171.34	1311.56	5449.23	970.37	750.10	553.10
सकल योग	6482.90		6419.60		1303.20	

सीआरपीएस (संचयी प्रतिदेय अधिमान-शेयर) 03.01.2011 को आवंटित किया गया था जो पूंजी एवं प्रकटन अपेक्षाओं का प्रश्न (आईसीडीआर) पर दिशा-निर्देश, अधिमानी निर्गम के लिए दिशा-निर्देश (अध्याया VII) पर सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बाद में 31.03.2011 को 64.48 रूपए/शेयर की दर पर ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया।

@एनसीसीआरपीएस (अपरिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर) 12 वर्षों के बाद प्रतिदेय है।

^ आईसीआईसीआई बैंक और जे एंड के बैंक से जुड़े एक्सपोजर पूल्ड सिक्यूरिटी पर चार्ज के जरिए सिक्योर्ड नहीं किए जाएंगे क्योंकि वे शेयरों पर के अनन्य एवं विनिर्दिष्ट चार्ज से पूरी तरह सिक्योर्ड हैं।

अग्रिमों के संदर्भ में किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा एसबीआई को चुकौती किए जाने की शुरूआत सितम्बर 2012 से की जाएगी। ब्याज की चुकौती कुछ विलंब से की जा रही है।

विवरण II

किंगफिशर एयरलाइन्स लिमिटेड जमानत के विवरण (मूल्य 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार) बैंकों के सम्पूर्ण सहायता-संघ (कन्सोर्टियम) के लिए

(करोड़ रु. में)

सुविधा	जमानत के विवरण		
1	2		
	प्राथमिक जमानत		
सीसी/एलसी/बीजी /एसबीएचसी/तदर्थ बीजी	कंपनी की सम्पूर्ण चालू आस्तियो (वर्तमान एवं भविष्यत्कालिक दोनों) पर प्रथम समरूप प्रभार	389.72	31.10.2011 की स्थिति के अनुसार स्टॉक विवरण

1	2		
टीएल-ii & iii / एफआईटीएल/डब्ल्यूसीटीएल	शून्य	शून्य	शून्य
पीडीपी ऋण	शून्य	शून्य	शून्य
	पूल्ड सम्पार्श्विक जमानत		
सीसी/एलसी/बीजी/ एसबीएचसी/तदर्थ बीजी/टीएल- ii & iii/ एफआईटीएल/डब्यूसीटीएल	किंगफिशर ब्रांड वैल्यू का समनुदेशन/दृष्टिबंधन	4111.00	ग्रांट थार्नटन द्वारा अपनी रिपोर्ट-दिनांक 23.04.2010 के जरिए वैल्यू आंकी गई
	मुंबई में किंशफिशर हाऊस का ईएम	81.60	मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 17.06. 2011 के अनुसार आरवी
	2 हेली कॉप्टरों का दृष्टिबंधन नियत परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार	90.22 307.42	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार एबीएस के मुताबिक डब्ल्यूडीवी
	किंगफिशर एयरलाइन्स लि. की गिरवी, 14,15,02,853 शेयर (11,55,39,701+ 2,59,63,152) प्रमोटरों के शेयर	341.73	
	कन्सोर्टियम को गिरवी रखे गए शेयरों पर प्रथम प्रभार^	218.70	30.11.2011 की सिथति के अनुसार एमवी
	आईसीआईसीआई और जे एण्ड के बैंक को गिरवी रखे शेयरों पर द्वितीय प्रभार^	51.92	
	किंगफिशर विला, गोवा का ईएम	36.00	मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 22.09.2010 के अनुसार आरवी
	आईएटीए अमेरिकन एक्सप्रेस और अन्य क्रेडिट कार्ड प्राप्तव्यों तथा कैश कलेक्शनों का निलंब (निलंब पृथक रूप से नामोद्दिष्ट टीआरए खाता होगा)		
	11 फायनांस लीज/हायर परचेज एयरक्राफ्ट पर अप्रयोज्य अंडरटेकिंग चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप आधार पर चार्ज का विस्तार	शून्य	शून्य
	कुल	5238.59	
	गांरटियां		
सीसी/एलसी/बीजी/ एसबीएचसी/तदर्थ	डा. विजय मल्या की वैयक्तिक गारंटी	248.97	16.04.2009 की स्थिति के अनुसार एनएम
बीजी/टीएल-ii & iii /एफआईटीएल / डब्ल्यूसीटीएल	यूनाइटेड ब्रुवेरीज होल्डिंग्स लि. (यूबीएचएच) की कारपोरेट गारंटी	1601.43	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार एबीएस के मुताबिक टीएनडब्ल्यू

^इसमें एल एवं बी के डब्ल्यूडीवी का 28.90 करोड़ रु. ग्राउंड सपोर्ट एवं अन्य उपस्करों का 101.58 करोड़ रु. कम्प्यूटरों का 22.43 करोड़ रु. कार्यालय उपस्कर का 13.39 करोड़ रु. फर्नीचर एवं फिक्स्वरों का 33.35 करोड़ रु. विमानों का 107.77 करोड़ रु. समाहित हैं।

गिरवी रखे शेयरों का विवरणः

बैंक	शेयरों पर चार्ज वाले ऋण (करोड़ रु.)	कंपनी	शेयरों की सं.	बाजाज कीमत $	बाजाज मूल्य (करोड़ रु.)	कुल बाजार मूल्य (करोड़ रु.)
कन्सोर्टियम		यूएसएल	2,646,155	699.70	185.15	218.70
		एमसीएफ	10,000,000	33.55	33.55	
आईसीआईसी आई बैंक	436.40	यूएसएल	4,937,395	699.70	345.47	488.32
		केएएल	59,150,000	24.15	142.85	
जे एण्ड के	89.69	केएएल	5,102,041	24.15	12.32	67.69"
बैंक		मैकडॉवेल होल्डिंग्स	2,700,000	42.55	11.49	
		यूएसएल	627,170	699.70	43.88	

$बाजार मूल्य 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार बंद भाव है।

**कोई सरप्लस उपलब्ध नहीं।

हमारी पीडीपी संरचना के लिए जमानती संरचना नीचे दी गई हैः

जमानत का प्रकार	विवरण	मूल्य
प्राथमिक	• डीएएल (केएएल के रूप में पुनर्नामित) और एयरबस के बीच क्रय करार का समनुदेशन	शून्य
	• सोसायटे जेनरल पेरिस के माध्यम से एयरबस द्वारा डीएएल (केएएल के रूप में पुनर्नामित) के नाम में दिए गए गारंटी करार की गिरवी	शून्य
संपार्श्विक	• 56.19 करोड़ रू. के पीडीपी एक्सपोजर को कवर करने के लिए वर्तमान प्रमोटरों के एमसीएफएल के 12,07,729 शेयरों और मैकडॉवेल होल्डिंग्स के 12,03,209 शेयरों को गिरवी रखना	9.17 करोड़ रुपए
	• 2 महीनों की ब्याज चुकौती बाध्यताओं के समतुल्य डीएसआरए का अनुरक्षण (पीडीपी भुगतान भुगतान और/या ब्याज चुकौती में चूक करने पर डिफॉल्ट टीआरए किया जाएगा)।	शून्य
	• कंपनी की नियत परिसंपत्तियों पर द्वितीय चार्ज (आरईएस वैल्यूः शून्य)	शून्य

प्रयुक्त संक्षिप्तयां :

यूएसएल - यूनाईटेड स्प्रिट लिमिटेड
एमसीएफएल - मंगलोर केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
मैकडॉवेल होल्डिंग्स - मैकडॉवेल होल्डिंग्स लिमिटेड
केएएल - किंगफिशर एयरलाइन्स लिमिटेड
डब्ल्यूडीवी - अवलिखित मूल्य
आरवी - वसूलीयोग्य मूल्य
एमवी - बाजार मूल्य
एबीएस - लेखापरीक्षित तुलनपत्र
टीएनडब्ल्यू - मूर्त निविल मूल्य
एनएम - निवल साधन
सीसी - नकद ऋण
एलसी - साख-पत्र
बीजी - बैंक गारंटी
एसबीसीएल - आपाती साख-पत्र
टीएल - सावधी ऋण
एफआई टीएल - निधिपोषित ब्याज सावधि ऋण
डब्ल्यूसीटीएल - कार्यशील पूंजी सावधि ऋण
पीडीपी - डिलीवरी-पूर्व भुगतान

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भण्डार

2617. श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्री हरि मांझीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों की तिथियों से संबंधित आंकड़ों की तुलना में आज की तारीख तक देश में विदेशी मुद्रा का कितना भण्डार है;

(ख) क्या देश में विदेशी मुद्रा भण्डार कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार/भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश के विदेशी मुद्रा भण्डार को अपेक्षित स्तर तक बढ़ाने के लिए सरकार/आरबीआई द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) विदेशी मुद्रा भण्डार 30 नवम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार, 307.9 मिलियन अमेरीकी डालर था जबकि यह भण्डार 30 नवम्बर, 2010 को 292.4 मिलियन अमेरीकी डालर और 30 नवम्बर, 2009 को 288.1 मिलियन अमेरीकी डालर था।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा भण्डार को मूल्यवर्धित करने के लिए अमेरीकी डालर मूल्यमान है। विदेशी मुद्रा भण्डार, जो विभिन्न मुद्राओं में होते हैं तब गिरावट हो जाती है जब प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरीकी डालर की मूल्यवृद्धि होती है और इस भण्डार में तब मूल्यवृद्धि होती है जब अमेरीकी डालर का मूल्यह्रास होता है। इस भण्डार में तब भी कमी हो जाती है जब भारतीय रिजर्व बैंक रुपए की सहायतार्थ विदेशी मुद्रा बेचकर बाजार में दखल-कार्रवाई करता है।

(घ) विदेशी मुद्रा भण्डार को प्राप्त आयात कवर (अप्रैल-अक्टूबर, 2011 के डीजीसीआईएस आंकड़े) 31 अक्टूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार 8.1 माह था, जिसे सन्तोषजनक माना जाता है।

जैव-मेडिकल कचरे

2618. डॉ भोला सिंहः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली और पूरे देश के विभिन्न अस्पतालों से निकलने वाले जैव चिकित्सीय कचरों से विभिन्न प्रकार की खतरनाक बीमारियों के फैलने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न अस्पतालों से निकले जैव चिकित्सीय कचरे के निपटान के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जैव चिकित्सीय कचरे के निपटान के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित की गई एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य उपाय किए गए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां, यदि इसका पहस्तन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन नियमावली, 1998 में उपलब्ध किए गए अनुसार नहीं किया जाता है।

(ख) भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों (एचसीएफ) से सृजित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के वियोजन, ढुलाई, भंडारण, संसाधन तथा निपटान के लिए एक विनियामक ढांचे की व्यवस्था करने हेतु वर्ष 1998 में, वर्ष 2000 एवं 2003 में यथासंशोधित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली अधिसूचित की है जिससे कि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके। नियमावली के तहत विभिन्न अपशिष्ट श्रेणियों के लिए संसाधन एवं निपटान विकल्पों का निर्धारण किया गया है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट संसाधन उपस्करों के लिए प्रचालन एवं उत्सर्जन संबंधी मानदंड भी निर्धारित किए गए हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट संसाधन सुविधाओं तथा इनसिनरेटर के डिजाइन एवं निर्माण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली पर आधारित राष्ट्रीय अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार किए तथा वर्ष 2002 में कार्यान्वियन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित किए गए।

इसके अलावा, संक्रमण के नियंत्रण तथा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर काबू पाने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-2 के अंतर्गत संक्रमण प्रबंधन एवं पर्यावरण योजना के (आईएमईपी) के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों हेतु राष्ट्रीय नीतीगत दस्तावेज एवं प्रचालनात्मक दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं।

अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपर्युक्त नियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है। नियमों के अनुसार किसी भी असंसाधिकता जैव चिकित्सा अपशिष्ट

को 48 घंटों की अवधि से अधिक समय तक भंडारित नहीं किया जाएगा।

अस्पताल भी साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट संसाधन सुविधाओं के जरिए अपने जैवचिकित्सा अपशिष्ट का लिपटान कर सकते है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार विभिन्न शहरों तथा नगरों में 182 साझा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट संसाधन सुविधा केन्द्र (सीबीडब्ल्यूटीएफ) हैं जो स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में जैवचिकित्सा अपशिष्ट संसाधन को सरल बना रहे हैं। सीबी डब्ल्यूटीएफ को इनसिनरेटर, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, श्रेडर इत्यादी जैसी संसाधन सुविधाओं के साथ संस्थापित किया गया है।

जहां तक दिल्ली में केन्द्र सरकार के तीन अस्पतालों नामतः राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं इससे संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, वे निर्धारित बीएमडब्ल्यू नियमों के अनुसार अपने जैवचिकित्सा अपशिष्ट का निपटान कर रहे हैं।

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करने तथा सभी उपाय करने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार की है।

तथापि, वर्ष 2000-2001 से 2006-2007 तक निम्नलिखित प्रयोजनार्थ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत द्वारा 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को करीब 24.3 करोड़ रु. प्रदान किए गए थेः

1. उपस्करों जैसे कि इनसिनरेटर, माइक्रोवेव, ऑटोक्लेव तथा श्रेडर की खरीद।
2. कलर कोडेड थैलों तथा पंक्चर प्रूफ कंटेनर, प्रोटेक्टिव गियर इत्यादी सहित अन्य उपस्कर।
3. जैव-चिकित्सा सुविधा केन्द्रों के लिए स्थान देने तथा इन्हें प्रचालित करने के लिए सिविल तथा विद्युत निर्माण कार्य।
4. प्रशिक्षण।
5. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण कार्यकलाम।

[अनुवाद]

आई कैंप

2619. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः
श्री खगेन दासः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के बालोद में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित आई कैम्प के दौरान संक्रमण फैलने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु और आंखों की रोशनी चले जाने की संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है; और

(घ) देश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का विचार है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा बालोद छत्तीसगढ़ में दिनांक 21 से 30 सितम्बर, 2011 तक आयोजित एक नेत्र शिविर के दौरान संक्रमण के कारण चौवालीस लोगों की एक आंख की रोशनी चली गई।

यह भी सूचित किया गया है कि नेत्र शिविर के दौरान आपरेशन किए गए चार रोगियों की बाद में मौत हो गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि इन रोगियों के मौत होने का सबसे अधिक संभावित कारण पूर्व-विद्यमान सहगामी रोग था।

(ग) प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्रवाइयां की गईः-

- राज्य में नेत्र विशेषज्ञों के एक उच्च स्तरीय दल द्वारा घटना की जांच।
- प्रभावित लोगों का निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करने के लिए नेत्र विशेषज्ञों द्वारा रोगियों की जांच।
- राज्य सरकार द्वारा प्रभावित प्रत्येक चौवालीस लोगों को 50,000 (पचास हजार रू.) की क्षतिपूर्ति।
- दृष्टि दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरूद्ध कार्रवाई।

(घ) देश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निवारक उपाय किए गएः-

- सख्त कार्रवाई के लिए नेत्र परिचर्या एककों को नेत्र सर्जरी संबंधी दिशा-निर्देशों का परिचालन।
- स्कूल भवनों, धर्मशालाओं, क्लब भवनों और खुले परिसर में शल्यचिकित्सा संबंधी नेत्र शिविरों के आयोजन पर प्रतिबंध।
- सख्त मानीटरिंग और आपरेशन किए गए रोगियों का अनुपरीक्षण
- सूचना, शिक्षा और संप्रेषण क्रियाकलापों के माध्यम से सामान्य स्वच्छता बनाए रखना।

[हिन्दी]

ऋणों की वसूली में उत्पीड़न

2620. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ऋणों के अदायगी के संबंध में जारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं एवं ऐसे बैंकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में अपने ग्राहकों को ऋणों की पूर्व अदायगी को हतोत्साहित करने के संबंध में कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई; और

(ङ) इस दिशा में सरकार/आरबीआई द्वारा अन्य कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। निजी क्षेत्र के बैंक सामान्यतः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के निर्देशों का अनुपालन करते हैं।

(ग) और (घ) आरबीआई की आंकड़ा प्रतिपादन प्रणाली के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं होती है।

(ङ) आरबीआई ने समय-समय पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को निर्देश दिए हैं जिनके माध्यम से बैंकों का सलाह दी गई है कि व वसूली एजेंटों की नियुक्ति, वसूली एजेंटों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों, वसूली एजेंटों के प्रशिक्षण, बैंकों के पास बंधक/दृष्टिबंधक रखी गई सम्पत्ति को कब्जे में लेने के संबंध आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करें। बैंकों को यह सलाह भी दी गई थी कि वे एक प्रमुख के रूप में अपने एजेंटों की कार्रवाई के लिए भी जिम्मेवार हैं और बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देयराशि की वसूली के लिए नियुक्त किए गए उनके एजेंट बकायों की वसूली प्रक्रिया के दौरान बैंकिंग संहिता और भारतीय मानक बोर्ड संहिता (बीसीएसबीआइ) सहित आरबीआई दिशानिर्देशों और निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें। इस मामले में प्राप्त शिकायतें मौजूदा दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग लोकपाल योजना के प्रावधानों और ऐसे सभी मामलों में की गई सुधारात्मक कार्रवाई के अनुसार बैंकिंग लोकपाल द्वारा निपटाई जाती है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निधियों का आवंटन

2621. श्री खगेन दासः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त निधि का पूर्ण उपयोग योजना के अनुसार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आवंटन की वर्तमान एवं उक्त निधि के उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो शेष निधि के उपयोग के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) ग्यारहवीं योजना (2007-2012) में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सुनियोजित केन्द्रीय आबंटन 1,40,135 करोड़ रु. का था।

(ख) से (घ) ग्यारहवीं योजना (वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक) के पहले चार वर्षो के दौरान 66,361.24 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया जबकि उसी अवधि के दौरान वास्तविक आवंटन 72,731 करोड़ रुपए का रहा है। ग्यारहवीं योजना के पहले चार वर्षो के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत उपयोग किए जाने की प्रतिशतता 91.2 प्रतिशत थी। वर्ष 2011-12 के दौरान उपयोग किए जाने का

शत-प्रतिशत अनुमान लगाने पर ग्यारहवीं योजना के अन्त तक समग्र उपयोग लगभग 93.5 प्रतिशत तक होने की संभावना है। विभिन्न राज्यों में अवशोषी क्षमता संबंधी कठिनाइयों का निवारण राज्य सरकारों की नियमित परस्परिक क्रिया के माध्यम से किया जा रहा है।

राष्ट्रीय जनजातीय नीति

2622. श्रीमती जे. हेलन डेविडसनः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जनजातीय नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक उक्त नीति को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महोदव सिंह खंडेला): (क) तथा (ख) जी, नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय लोगों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति तैयार की गई है। प्रारूप नीति का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

(ग) राष्ट्रीय जनजातीय नीति को अंतिम रूप देने के लिए इस समय कोई सीमा नहीं बताई जा सकती।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा के लिए विशेष क्षेत्र

2623. डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक उक्त प्रस्ताव के स्वीकृत होने की संभावना है; और

(ङ) विशेषकर राजस्थान के पश्चिम भाग सहित देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या अन्य प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुला): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सौर विद्युत परियोजनाओं का चयन निविदाओं और पंजीकरण द्वारा भी किया जाता है। ये परियोजनाएं विकासकर्त्ताओं द्वारा बनाओ, अपनाओ और चलाओ के आधार पर स्थापित की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश में विकासकर्ताओं का उपलब्ध विभिन्न प्रोत्साहनों में प्रणालियों/युक्तियों के विनिर्माण पर शून्य/रियायती उत्पाद शुल्क; महत्वपूर्ण शुल्क; महत्वपूर्ण उपस्कर, सामग्रियों और संघटकों पर शून्य/रियायती सीमा शुल्क और 10 वर्षों के लिए विद्युत की बिक्री से लाभ पर आयकर से छूट शामिल हैं।

[अनुवाद]

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य

2624. श्री अर्जुन चरण सेठीः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत देश में ओडिशा सहित 11वीं योजना के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसयू) द्वारा नियोजित ठेकेदारों के खराब कार्यनिष्पादन के कारण विद्युतीकरण के कार्य में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण के कार्यों को गति देने के लिए इन सरकारी क्षेत्र के लोक उद्यमों को निदेश देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के विभिन्न राज्यों में स्वीकृत परियोजनाओं की शेष संशोधित लागत अनुमानों का अनुमोदन करने हेतु शेष के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) को क्या निदेश जारी किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजवीवाई), के अंतर्गत कार्यान्यन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं टर्नकी आधार पर निष्पादित की जाती हैं। तदनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों ठेकेदारों को ठेके प्रदान करती हैं। 11वीं योजनावधि में की गई प्रगति के संबंध में देश में ओड़िसा सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयूज) जैसे पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) तथा दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) का कार्यनिष्पादन संतोषप्रद है। सीपीएसयूज का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

सीपीएसयूज 11वीं योजना	गैर/निर्विद्युतकृत गांव			बीपीएल घर		
	कवरेज	उपलब्धियां (15.11.11 को)	कवरेज के संबंध में प्रतिशतता	कवरेज	उपलब्धियां (15.11.11 को)	कवर के संबंध में प्रतिशतता
पीजीसीआईएल	9236	8283	89.68%	2412009	1593110	66.05%
एनएचपीसी	5773	5253	90.99%	1557840	1213990	77.93%
एनटीपीसी	11630	11139	95.78%	2513243	2155846	85.78%
डीवीसी	3552	2747	77.34%	290749	212877	73.22%

विद्युत मंत्रालय तथा आरजीजवाई की नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन (आरईसी) ओड़िसा सहित आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयनाधीन कार्यो के प्रगति की निगरानी हेतु नियमित समीक्षा बैठकें कर रही हैं। भारत सरकार ने एक अंतमंत्रालयी निगरानी समिति गठित की है जो परियोजनाएं स्वीकृत करने तथा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित बैठकें आयोजित करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यो की समीक्षा के लिए समीक्षा के लिए नियमित बैठकें आयोजित करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों की समीक्षा के लिए सभी राज्यों में जिला समितियों गठित की गई हैं। सभी राज्यों से अनुरोध भी किया गया है कि वे आरजीजीवाई के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक बैठक किया करें। सीपीएसयमज सहित सभी एजेंसियों के कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ओड़िसा राज्य में सीपीएसयूज के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:

सीपीएसयूज	गैर/निर्विद्युतीकृत गांव			बीपीएल घर		
	कवर किए गए	उपलब्धि (15.11.2011तक)	कवर के संबंध प्रतिशत	कवर किए गए	उपलब्धि (15.11.11 तक)	कवर के सबंध में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
10वीं योजना						
पीजीसीआईएल	-	-		-	-	
एनएचपीसी	1101	1101	100.00%	163998	156100	95.18%
एनटीपीसी	1081	1075	99.447%	184484	186200	100.93%
11वीं योजना						
पीजीसीआईएल	4670	3849	82.42%	1285512	911783	70.93%

1	2	3	4	5	6	7
एनएचपीसी	3488	3158	90.54%	351297	232678	66.23%
एनटीपीसी	4379	4360	99.57%	1217289	987403	81.11%
कुल	14719	13543	92.01%	3202580	2474164	77.26%

(ङ) आरजीजीवाई के अंतर्गत, संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) हेतु दिशानिर्देश इस प्रकार हैः

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान, परियोजना लागत में वृद्धि अथवा कमी हेतु परियोजना मानदंडों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने की स्थिति में; कार्यान्वयन एजेंसी, आरईसी से संशोधित स्वीकृत पर विचार करने हेतु संशोधित लागत अनुमान राज्य सरकार के माध्यम से आरईसी को प्रस्तुत करता है। तथापि, तकनीकी उपयुक्तता के अधीन, आरईसी लागत अनुमान की संशोधित स्वीकृति पर निम्नलिखित परिसिथतियों में विचार करती हैः

(i) कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

(ii) वैधानिक लेवी में परिवर्तन

(iii) मूल्य वृद्धि

(iv) विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण के अभाव में स्वीकृति के समय मात्रा का कम आंकलन

आरसीई के आरजीजीवीवाई पर निगरानी समिति के निर्णयानुसार स्वीकृति संबंधी नीति/दिशानिर्देश निम्नानुसार हैः

क	प्रदत्त परियोजना लागत के संदर्भ में मूल्य परिवर्तन (पीवी) तथा करों के अलावा 10% तक का लागत परिवर्तन	सीपीएसयूज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ख	प्रदत्त परियोजना लागत के संदर्भ में मूल्य परिवर्तन तथा करों के अलावा 20% तक का लागत परिवर्तन।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरईसी आरईसी
ग	मूल्य परिवर्तन तथा करों के अलावा 20% से अधिक की लागत परिवर्तन	आरजीजीवीवाई संबंधी निगरानी समिति

मैसर्स आरईसी को निदेश दिया गया है कि वह सभी लंबित संशोधित लागत अनुमान प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लें।

संशोधित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर

2625. श्री सी. राजेन्द्रनः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से संतुष्ट है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में वृद्धि दर को बनाए रखने/गति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था ने उत्पादन लागत पर 2004-05 की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में 2010-11 में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की थी। आर्थिक समीक्षा 2010-11 में चालू वर्ष के लिए 9 प्रतिशत की वृद्धि दर की संभावना जताई गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा 2011-12 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल किए जाने की संभावना है। 2011-12 के वृद्धि संबंधी अधिकारिक आंकड़े फरवरी, 2012 में उपलब्ध होंगे। अपेक्षित वृद्धि से कम हुई वृद्धि का कारण वैश्विक मंदी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई सख्त मौद्रिक नीति को कहा जा सकता है।

(ग) और (घ) हालांकि अर्थव्यवस्था में चालू वर्ष में 2010-11 में हासिल किए गए स्तरों से कम वृद्धि होने की संभावना है, फिर भी भारत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के संदर्भ में अब भी दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है।

(ङ) सरकार ने वैश्विक वित्तीय संकट के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हाल के वर्षों में प्रतिचक्रीय रवैया अपनाकर सतत् आधार पर विवेकपूर्ण बृहत-आर्थिक नीतियां अपनाई हैं, विकास को बढ़ावा देने, उत्पाद एवं वित्तीय बाजार विकसित करने के लिए संरचनागत उपायों को मजबूत बनाया है तथा गरीबों की रक्षा के लिए मजबूत बुनियाद के निर्माण हेतु सामाजिक व्यय में बढ़ोतरी की है। विकास को गति देने के लिए हाल की अवधि में किए गए विशिष्ट उपायों में, अन्य के साथ-साथ अवसरंचना ऋण निधि के सृजन के जरिए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, सरकारी निजी भागीदारियों पर ध्यान देना, नई विनिर्माण नीति की घोषणा करना, नई मसौदा दूरसंचार नीति की घोषणा करना, संसद में भूमि अधिग्रहण विधेयक लाना, तथा भारत में बेकिंग क्षेत्र के विकास के लिए कई विधायी उपाय करना शामिल हैं।

बहिरंग/अंतरंग मरीजों के लिए प्रतीक्षा सूची

2626. प्रा. रंजन प्रसाद यादवः
कुमारी मीनाक्षी नटराजनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) सहित विभिन्न प्रमुख अस्पतालों में बहिरंग/अंतरंग मरीजों की प्रतीक्षा सूची काफी लंबी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केन्द्रीय स्तर पर ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, जहां तक दिल्ली में 3 केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों नामतः डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और इनके संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, ओपीडी रोगियों के लिए हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और इनके संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, ओपीडी रोगियों के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। सभी आपाती ऑपरेशन और रोगियों का उपचार बिना किसी विलंब के तुरन्त किया जाता है। नेमी चयनित शल्यक्रियाओं के लिए केवल कुछ प्रतीक्षा अवधि है जो एक विभाग से दूसरे विभाग और अलग-अलग रोगियों के आधार पर भिन्न है।

एम्स के बारे में यह सूचित किया जाता है कि निदान और/या चिकित्सा प्रयोजन से अस्पताल में भर्ती किए जाने के लिए रोगियों को या तो ओपीडी (स्पेशियलिटी क्लीनिक सहित) या कैजुअल्टी/आपाती के माध्यम से भर्ती किया जाता है। एम्स अस्पताल के विभिन्न विभागों में अस्पताल में आने वाले रोगियों की संख्या के संबंध में अंतरंग बिस्तरों की भारी कमी है। विभिन्न नैदानिक विभाग रोगियों की स्थिति अपेक्षित उपचार की तात्कालिकता और विशेष दिवस में बिस्तर उपलब्धता के अनुसार भर्ती किए जाने की आवश्यकता वाले रोगियों की प्रतिक्षासूची स्वंय बनाते हैं। कैजुअल्टी/आपाती मामले में जीवन रक्षक स्थिति के मामले में अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार रोगी को, जहां तक "व्यवहारिक रूप में" संभव हो, भर्ती करने के प्रयास किए जाते हैं। आपातकालीन वार्ड में बिस्तर की गैर-उपलब्धता के मामले में रोगी को सर्वप्रथम स्थिर आदि जाता है और उसके बाद अतिरिक्त उपचार के लिए अन्य सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाता है।

अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन और मौजूदा सुविधा केन्द्रों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और निधियों की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार उन्हें शुरू किया जाता है।

बच्चों की सुरक्षा

2627. श्री एस. आर. जेयदुरईः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समुचित कानून के अभाव में इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) जी हां, यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण हेतु सरकार एक विशेष कानून अधिनियमित करने का प्रस्ताव करती है।

राज्य सभा में 23 मार्च, 2011 को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण विधेयक 2011 प्रस्तुत किया गया था।

पहली बार, बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों से निपटाने के लिए एक विशेष कानून बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। विधेयक में प्रवेशकारी यौन प्रहार, अधिक गंभीर यौन प्रहार तथा अश्लील साहित्य हेतु बच्चों का प्रयोग जैसे अपराधों को परिभाषित किया गया है। इस विधेयक के तहत अपराधों के शीघ्र निपटान हेतु राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में प्राधिकृत करने के लिए अधिदेश दिया गया है। यह भूमिका निभाएगा और विधेयक में प्रस्तावित कठोर दण्ड से अपराधियों में बाधक भय बढ़ेगा।

[हिन्दी]

लिंग अनुपात में कमी

2628. श्री जफर अली नकवीः
कुमारी मीनाक्षी नटराजनः
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः
श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः
श्री माणिकराव होडल्या गावितः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश मे लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ऐसी योजनाओं के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार आंवटित और जारी निधियों का तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में निर्धारित लिंग अनुपात लक्ष्य को उक्त योजनाएं/कार्यक्रम प्राप्त करने में असफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में लिंग अनुपात के सुधार के लिए योजनाओं की समीक्षा और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994) में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार राज्यों और संस्थाओं/व्यक्तियों को लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी, हां। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, चरण-॥ (आरसीएच-॥) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभिन्न घटक है। 2003 में यथासंशोधित गर्भधारण और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रभावी कार्यान्वयन के जरिए लिंग निर्धारण को रोकने के लिए इस कार्यक्रम के अधिदेश के अंतर्गम महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

(ख) पीएनडीटी से संबंधित कार्यकलापों के लिए राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 12वीं योजना के संबंध में परिव्यय को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारत सरकार देश में घटते हुए बाल लिंग अनुपात पर ध्यान देने के लिए पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के सुदृढ़ीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा की गई हालिया पहलों में निम्नलिखित शामिल हैंः

* अपंजीकृत मशीनों को जब्त करने और अधिनियम के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाने असफल रहने वाले संगठनों को और ज्यादा सजा के प्रावधान के लिए पीसी एवं पीएनडीटी नियमावली 1996 के नियम 11 (2) को संशोधित किया गया है।
* राष्ट्रीय निरीक्षण एवं मॉनीटरन समिति का पुनर्गठन किया गया है और निरीक्षण के अलावा निरीक्षण के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लघंन करने के दोषी पाए गए संगठनों के खिलाफ उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के सिंहावलोकन हेतु और ज्यादा अधिकार प्रदान किया गया है।
* जागरूकता पैदा करने संबंधी संसाधनों का लक्षित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पीएनडीटी-गैर सरकारी सहायता अनुदान स्कीम संबंधी प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।
* राज्यों को पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित मानव संसाधनों के संवर्धन और आवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए एनआरएचम

के अंतर्गत उपलब्ध वित्त पोषण का लाभ उठाने के लिए कहा गया है।

(च) और (छ) बाल लिंग अनुपात में सुधार लाने की दृष्टि से भारत सरकार ने स्कीमों और कार्यक्रमों तथा जनजागरूकता/समर्थन उपायुक्त एक बहुफलकीय कार्यनीति अपनाई है जिसकी रूपरेखा नीचे दी गई है:

1. अनेक राज्य सशर्त नकदी अंतरण स्कीमों के जरिए कन्या के जन्म को प्रोत्साहन देने और परिवारों को उनकी शिक्षा और विकास के लिए प्रीमियम रखने हेतु स्कीमें कार्यान्वित कर रहे हैं जिसमें दिल्ली और हरियाणा सरकार की लाडली स्कीम, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, कर्नाटक की भाग्यलक्ष्मी स्कीम, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की बालिका समृद्धि योजना, पंजाब में बालिका रक्षा योजना और मध्य प्रदेश में कन्या दान स्कीम शामिल हैं।

2. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि सहित अनेक राज्यों में बाल लिंग अनुपात में उन्नयन/बेहतरी दर्शाने वाले सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले पंचायत और गांव के लिए पुरस्कार/अनुदान की प्रणाली स्थापित की है।

3. संविधान के 73वें संशोधन में राज्यों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करें ताकि तृणमूल स्तर पर विकास पर विकास और राजनैतिक प्रक्रियाओं में उनकी औपचारिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

4. एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता हैं और जिसमें आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्लेटफार्म के जरिए रेफरल सेवाएं और अनुपूरक पोषण, प्री-स्कूल गैर औपचारिक सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच शमिल हैं।

5. शुरू की गई अन्य स्कीमों में सबला (किशोरियों को अधिकार संपन्न बनाने हेतु स्कीम), स्टेप (महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता), डब्लूडब्ल्यूएच (कामकाजी महिला हॉस्टल), स्वाधार (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्कीम), इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई), सीएमबी (सशर्त मातृ लाभ) इत्यादि शामिल हैं।

6. दहेज निषेध अधिनियम, 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम, 2005 इत्यादि सहित महिलाओं से संबंधित कानूनों का कड़ा प्र्वतन और विधिक फ्रेमवर्क का सुदृढ़ीकरण।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 के संबंध में पीएनडीटी कार्यकलापों के अंतर्गत एसपीआईपी और व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		एसपीआईपी	व्यय	एसपीआईपी	व्यय	एसपीआईपी	व्यय	एसपीआईपी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उच्च फोकस राज्य									
1.	बिहार	1609.00	0.00	150.00	4.73	145.25	6.58	50.00	0.68
2.	छत्तीसगढ़	25.00	0.51	27.40	0.20	5.00	0.10	0.00	0.00
3.	हिमाचल प्रदेश	263.00	16.01	25.00	29.91	52.60	49.24	24.00	5.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	जम्मू व कश्मीर	275.80	0.00	53.55	28.67	25.50	15.76	9.10	2.98
5.	झारखंड	0.00	0.00	17.00	0.00	18.00	0.00	17.00	5.85
6.	मध्य प्रदेश	445.32	3.90	87.00	30.39	128.24	122.82	190.52	10.79
7.	ओडिशा	730.59	0.00	0.00	0.00	21.00	1.91	13.40	0.00
8.	राजस्थान	450.70	101.50	113.68	113.68	143.26	117.60	185.25	50.83
9.	उत्तर प्रदेश	844.31	142.31	210.20	141.06	50.53	38.96	47.35	0.00
10.	उत्तराखंड	18.10	5.61	16.00	15.83	16.00	11.20	0.00	0.00
	उप योग	4661.82	269.84	699.83	364.47	605.38	364.17	536.62	76.43
ख. पूर्वोत्तर राज्य									
11.	अरूणाचल प्रदेश	493.00	0.00	14.00	1.54	0.00	1.42	9.00	1.26
12.	असम	2429.67	17.17	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मणिपुर	23.80	0.00	15.00	7.36	8.79	0.12	13.29	0.00
14.	मेघालय	47.24	0.00	4024	0.00	4.70	0.17	0.90	0.00
15.	मिजोरम	16.93	1.50	1.00	1.00	1.40	1.40	2.40	1.20
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	0.00
17.	सिक्किम	90.66	4.27	5.43	3.81	1.85	1.35	2.00	0.10
18.	त्रिपुरा	30.00	0.71	7.00	0.99	2.47	2.14	2.64	0.19
	उप योग	3131.30	23.65	54.89	22.92	19.21	6.60	51.87	2.75
ग. उच्च फोकस राज्य									
19.	आंध्र प्रदेश	50	9.95	10.00	8.81	25.00	2.05	0.00	0.00
20.	गोवा	25	6.88	25.00	5.22	15.00	6.52	0.00	1.13
21.	गुजरात	1303.3	39.14	76.45	51.48	72.70	51.58	66.85	9.86
22.	हरियाणा	503.37	13.71	30.76	18.97	53.10	21.51	90.16	1.72
23.	कर्नाटक	34	7.29	104.78	32.09	187.50	32.17	31.40	3.52
24.	केरल	108.47	0.00	0.00	0.00	14.70	8.23	0.00	0.00
25.	महाराष्ट्र	914.34	261.35	59.70	35.50	645.44	98.74	184.40	29.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	पंजाब	507.34	74.25	62.80	137.08	95.04	81.53	295.28	2.19
27.	तमिलनाडु	305.88	37.18	38.50	0.00	128.52	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	1473	11.86	50.00	41.29	182.00	43.30	65.60	0.83
	उप-योग	5224.70	461.62	457.99	330.44	1419.00	345.63	733.69	49.19
छोटे राज्य/संघ राज्य									
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.09
30.	चंडीगढ़	3	1.74	3.74	1.95	3.12	3.03	13.19	7.21
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.2	0.17	0.40	0.36	0.40	0.40	1.40	0.00
32.	दमन व दीव	2	0.02	3.00	2.53	3.00	1.93	5.00	0.15
33.	दिल्ली	162.55	10.48	15.80	6.26	25.75	8.16	65.23	0.54
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	1.00	0.55	2.00	2.16	2.00	0.00
35.	पुदुचेरी	0.4	0.00	1.85	0.70	2.00	1.90	2.00	0.33
	उप-योग	170.15	12.40	25.79	12.35	36.27	17.58	89.02	8.32
		13187.97	767.50	1238.50	730.18	2079.86	733.98	1411.20	136.69

टिप्पणी: लेखा परिपक्षित विवरणों में पीएनडीटी कार्यकलाप के व्यय के गैर-पृथक्करण के कारण एफएमआर के अनुसार सूचित व्यय को माना जाता है।

एफएमआर-वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2007-08 (31.03.08) के संबंध में नवीकरण/पीपीपी/एनजीओ के अंतर्गत व्यय का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	पीआईपी 1		पीएनडीटी व लिंग अनुपात	निजी लोक भागीदारी	एनजीओ कार्यक्रम 5	अन्य नवीकरण यदि हो 6
1	2	3	4	5	6	7	8
उच्च फोकस राज्य							
1.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	छत्तीसगढ़	22.00	57.85	0.50	0.00	57.35	0.00
3.	हिमाचल प्रदेश	171.00	67.08	3.47	1.77	61.84	0.00
4.	जम्मू एवं कश्मीर	175.47	0.14	0.00	0.00	0.13	0.01
5.	झारखंड	10.03	23.00	5.84	2.21	14.00	0.95

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	मध्य प्रदेश	952.02	67.31	20.69	0.00	0.00	46.62
7.	ओडिशा	0.00	5.41	0.00	2.92	2.04	0.45
8.	राजस्थान	537.10	248.54	39.11	39.47	59.26	110.70
9.	उत्तर प्रदेश	384.00	108.52	25.74	0.00	23.60	59.18
10.	उत्तराखंड	336.81	32.35	0.00	1.16	0.00	31.19
	उप-योग	2588.43	610.20	95.35	47.53	218.22	249.10
(ख) पूर्वोत्तर राज्य							
11.	अरूणाचल प्रदेश	158.87	372.15	0.00	372.12	0.03	0.00
12.	असम	1272.96	1386.00	0.00	1245.00	141.00	0.00
13.	मणिपुर	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	मेघालय	34.00	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
15.	मिजोरम	23.64	0.79	069	0.00	0.00	0.10
16.	नागालैंड	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	सिक्किम	24.81	19.67	4.67	0.00	15.00	0.00
18.	त्रिपुरा	0.00	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00
	उप-योग	1534.00	1783.28	5.83	1617.12	156.03	4.30
(ग) उच्च फोकस राज्य							
19.	आंध्र प्रदेश	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	गोवा	15.00	4.46	2.46	0.00	2.00	0.0021.
21.	गुजरात	2220.86	462.14	10.67	1.82	403.42	46.23
22.	हरियाणा	0.00	84.16	28.90	0.00	55.26	0.00
23.	कर्नाटक	205.74	55.18	23.06	056	3.56	28.00
24.	केरल	384.57	198.42	0.60	0.00	139.06	58.76
25.	महाराष्ट्र	0.00	20.53	1.83	0.08	10.84	7.78
26.	पंजाब	678.24	40.30	15.42	0.00	19.65	5.23
27.	तमिलनाडु	121.07	72.21	44.44	25.17	0.00	2.60
28.	पश्चिम बंगाल	1723.00	117.55	7.23	0.00	0.00	110.32
	उप कुल	6003.48	1054.95	134.61	27.63	633.79	258.92

1	2	3	4	5	6	7	8
घ. छोटे राज्य/संघ राज्य							
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.79	0.65	0.00	0.00	0.14
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
32.	दमण व दीव	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	94.60	6.56	0.00	0.00	88.04
34.	लक्षद्वीप	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-योग	38.42	96.38	8.20	0.00	0.00	88.18
	कुल योग	10164.33	3544.81	243.99	1692.28	1008.04	600.50

***टिप्पणी:** वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान पीएनडीटी और लिंग अनुपात के कार्यकलाप का पृथक्करण नहीं हुआ था। इसे नवीकरण/पीपीपी/एनजीओ के साथ आमेलित कर दिया गया था। अतः उपर्युक्त आंकड़ों में पीएनडीटी और लिंग अनुपात कार्यकलाप, सार्वजनिक निजी भागीदारी, एनजीओ कार्यक्रम और अन्य नवीकरण (यदि कोई हों) शामिल है।

[अनुवाद]

मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी

2629. श्री नीरज शेखरः
श्री यशवीर सिंहः
योगी आदित्यनाथः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी की गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी सट्टेबाजी की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किया कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, (एफईएमए) 1999 के तहत सभी निवासियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राधिकृत व्यक्ति (प्राधिकृत डीलर) के साथ अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा का सौदा करें। ये लेनदेन अधिनियम के तैयार की गई नियमावली एवं विनयमावली के तहत किए जाते हैं और प्राधिकृत डीलरों द्वारा इसके अनुपालन सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

जहां तक विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न (वायदा, खुला आदि) का संबंध है, बाजार सहभागियों (निर्यातकों, आयातकों, आदि) को प्राधिकृत डीलरों के साथ ऐसा लेन-देन करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह अनुमति बाजार सहभागियों के पूर्वाधिकारों को सार्वजनिक (एक्सपोजर) करने पर आधारित होती है और डीलरों से यह अपेक्षित है कि वे संविदाएं दर्ज करते समय इनका सत्यापन करे। अनिवासी भारतीयों (एफआईआई सहित) को भी अपने पूर्वाधिकारों को सार्वजनिक करने के (एक्सपोजर) के अध्यधीन ही विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेन-देन करने की अनुमति दी गई है। हालांकि निर्यातकों एवं आयातकों को अपने पूर्वाधिकारों को सार्वजनिक न करने के प्रयोजन से अपनी वायदा संविदाओं को रद्द करने एवं पुनः दर्ज करने की अनुमति दी गई है, परन्तु एफआईआई को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि वे अपनी संविदाए रद्द करते हैं तो वे अपने पोर्टफोलियों के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर दिए गए बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत ही पुनः दर्ज कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा स्थिति के संबंध में सीमा निर्धारित की है जिसे वे बैंक अपना सकते हैं जो प्राधिकृत डीलर हैं। इस स्थिति-सीमा की गहन निगरानी की जाती है। भारतीय रिवर्ज बैंक बैंकों की स्थिति तथा इसके साथ-साथ बाजार सहभागियों की गतिविधियों एवं व्यवहार और उनके विदेशी मुद्रा लेन देनों पर गहन निगरानी करता है ताकि यह पता चल सके कि क्या बचाव गतिविधियों के

संबंध में उनके सामान्य व्यवहार पैटर्न में कोई भारी अंतर तो नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए भी बैंकों का निरीक्षण करता है कि क्या बैंक एफईएमए के तहत लागू विनियमावली और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की समीक्षा

2630. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसन भाई वी. पटेल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी) 2008 की समीक्षा का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रगति की गई;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न खनिजों के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य-वार इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, मंत्रिमंडल ने नए खान और खनिज (विकास और विनियम) विधेयक, 2011 को संसद में प्रस्तुत करने के लिए 30 सितम्बर, 2011 को अनुमोदित किया है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। खनिज क्षेत्र में 1993 से उदारीकरण के साथ सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी आने से खनिज उत्पादन व्यापक रूप से खनिज संसाधनों, आर्थिक व्यवहार्यता, बाजार की मांग आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। तथापि, सरकार ने गैर-कोयला और गैर-ईंधन खनिज क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 प्रतिपादित की है ताकि गवेषण और खनन क्रियाकलापों को प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जा सके।

कुंभ मेला हेतु विशेष आर्थिक पैकेज

2631. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज देने हेतु किन मानदंडों का पालन किया जा रहा है;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 के दौरान नासिक में होने वाले कुंभ मेला हेतु विशेष आर्थिक पैकेल की घोषणा कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस पैकेज के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस पैकेज के अंतर्गत जनता द्वारा अहमदनगर जिले में स्थित "शनि-शिगनापुर" के विकास की कोई मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे पैकेज का ब्यौरा क्या है तथा क्षेत्र-वार इसके लागू किए जाने की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) राज्यों को राज्य विशिष्ट आवश्यकता आधारित विशेष वितरण, योजना आयोग द्वारा वार्षिक/पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विद्यमान कार्यक्रमों/स्कीमों के माध्यम से आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार से वर्ष 2015 में नासिक में आयोजित किए जाने वाले कुंभ मेले तथा अहमदनगर जिले के "शनि-शिगनापुर" के विकास के लिए कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

पैरासीटामोल/एसिटामिनोफेन का उपयोग

2632. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पैरासीटामोल/एसिटामिनोफेन से युक्त उत्पादों के उपयोग के कारण हुए गंभीर यकृत संबंधी नुकसान अथवा एलर्जिक रिएक्शन की कुछ रिपोर्टों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रति टैबलेट अथवा कैप्सूल में 325 एमजी तक पैरासीटामोल घटक को सीमित करने का है तथा औषधि डिब्बों पर सांविधिक चेतावनी छापने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में उपर्युक्त मानदण्डों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने कौन से तंत्र बनाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। ऐसी रिपोर्टें छपी कि यूएस खाद्य और

प्रशासन (यूएसएफडीए) ने 3 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से हेपाटोटाक्सिसिटी के खतरे को कम करने हेतु संयोजन (काम्बीनेशन) पदार्थों में पेरासिटामोल की मात्रा 325 मि.ग्रा. तक सीमित रखने हेतु अनुदेश जारी किए।

(ग) और (घ) जी, हां। औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य अनुज्ञापक प्राधिकारियों (एसएलए) को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे प्रति गोली अथवा कैप्सूल 325 मि.ग्रा. से ज्यादा पैरासिटामोल वाले संयोजन (काम्बीनेशन) उत्पादों को नवीन लाइसेंस अथवा नवीकरण न प्रदान करें। इसके अतिरिक्त एसएलए से यह अनुरोध किया गया है कि वे विनिर्माताओं से 3 वर्षो की अवधि में ही संयोजन उत्पादों में पैरासिटामोल की मात्रा को 325 मि.ग्रा. तक सीमित करने के लिए कहें और पैरासिटामोल वाले ऐसे संयोजन (कांगीनेशन) उत्पादों के लेबल पर एक चेतावनी बॉक्स भी बनवाएं जिस पर यह दर्शाया गया हो कि दैनिक खुराक से अधिक लेने पर यकृत गंभीर रूप से खराब हो सकता है अथवा एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है।

(ङ) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के औषध नियंत्रक विभागों के रूप में अपेक्षित तंत्र पहले ही विद्यमान है।

[हिन्दी]

योग और प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी अनुसंधान

2633. श्री सतपाल महाराजः
डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः

क्या **स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षो में तथा चालू वर्ष के दौरान योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने कितनी धनराशि का आंवटन किया है तथा इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु उक्त अवधि में वित्तीय सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा इस दौरान उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा उनके द्वारा कितना कार्य किया गया;

(ग) क्या देश में इन एनजीओं को दी गई धनराशि के दुरूपयोग के मामले सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु नयी पहल करने का है तथा इस उद्देश्य हेतु नए पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान आयुष विभाग के अधीन स्वायत्त संगठनों नामतः केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) को योग अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए आबंटित निधियां संलग्न-विवरण-1 में दर्शाई गई हैं। सीसीआरवाईएन विभिन्न रोगों के निवारण और उपचार में योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा की प्रभावकारिता को कायम करने के लिए प्रमुख आयुर्विज्ञान, योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक नैदानिक अनुसंधान परियोजनाएं चला रहा हैं। एमडीएनआईवाई ने प्रमुख आयुर्विज्ञान संस्थानों में योग के पांच आधुनिक केंद्र स्थापित किए, हैं, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षो और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को उनके द्वारा निष्पादित कार्यो सहित दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-111 में दिया गया है। ये सभी संचालित परियोजनाएं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सीसीआरवाईएन को देश में योग व प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अनुसंधान कार्यो को बढ़ावा देने के लिए 100 बिस्तरों वाले अनुसंधान अस्पताल सहित केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों (सीआरआई) को स्थापित करने के लिए 2 राज्य सरकारों, यानि हरियाणा और कर्नाटक से मुफ्त भूमि प्राप्त हुई है।

नागमंगला, जिला मांडया, कर्नाटक में निर्माण कार्य का प्रथम चरण पूरा हो चूका है। देवरखाना, झज्जर, हरियाणा में निर्माण कार्य प्रथम चरण चल रहा है।

एमडीएनआईवाई ने योग को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम, नामतः स्वामी विवेकानंद जिला योग स्वास्थ्य केंद्र (एसवीडीवाईडब्ल्यूसी) शुरू की है। संस्थान ने वर्ष 2010-11 के दौरान पहले चरण में ही 100 केंद्र शुरु कर दिए हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान दूसरे चरण में 100 और केंद्र स्थापित किए जाने हैं।

एमडीएनआईवाई का योगासन, प्राणायाम और ध्यान योग में उच्च प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने के अलावा योग में 3 वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

(च) सीसीआरवाईएन के दो सीआरआई में से प्रत्येक के लिए निर्धारित निधियां 25.00 करोड़ रुपये हैं। एमडीएनआईवाई द्वारा एसवीडीवाईडब्ल्यूसी को विभिन्न नए पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए निर्धारित निधियों से संबंधित ब्यौरा इस प्रकारः है :-

(रु. लाखों में)

मदें	निर्धारित निधियां	
	2011-12	2012-13
एसवीडीवाईडब्ल्यूसी	104.30	898.00
पाठ्यक्रम	33.40	60.00

विवरण I

1. पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) को आंबटित निधियां

(रु. लाखों में)

वर्ष	आंबटित निधियां
2008-09	1071.00
2009-10	1260.00
2010-11	3275.00
2011-12	2000.00

2. पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) को आंबटित निधियां

(रु. लाखों में)

वर्ष	आवंटित राशि
2008-09	97.14
2009-10	113.43
2010-11	116.00
2011-12	170.74

विवरण-II

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान(एम डी एन आई वाइ) द्वारा स्थापित आधुनिक योग केंद्र

1. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान (निमहंस), बेंगलुरू में आधुनिक योग थिरेपी और मानसिक स्वास्थ्य एवं तांत्रिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र।

2. जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुडुचेरी में हृदय-संवहनी रोगों और मधुमेह के लिए आधुनिक योग थिरेपी और अनुसंधान केंद्र।

3. गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय (जीएयू), जामनगर में श्वसनी रोगों और जरा-चिकित्सा परिचर्या में आधुनिक योग शिक्षा और अनुसंधान केंद्र।

4. शरीर क्रिया विज्ञान एवं सम्बद्ध विज्ञान रक्षा संस्थान (दीपास), दिल्ली में रक्षा कार्मियों में कार्य संचालन से उत्पन्न तनाव को दूर करने और उनके कार्य में सुधार लाने के लिए आधुनिक योग अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र।

5. राजकीय आयुर्विज्ञान कॉलेज, जम्मू में छाती से संबंधित रोगों के निदान के लिए आधुनिक योग शिक्षा और अनुसंधान केंद्र।

विवरण-III

केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में नैदानिक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	स्कीम नैदानिक अनुसंधान	संस्वीकृत/निर्मुक्त राशि (रु. लाखों में) 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
	आंध्र प्रदेश						
1.	एड लाइफ-प्रकृति, इंडो अमेरिकन केंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद	नॉन-हॉजकिन लिमफोमा (एनएचएल) के प्रबंधन में सहौषध के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा और योग थिरेपी की प्रभावकारिता	-	3.39	10.20	4.08	परियोजना चल रही है। अभी तक 92 मामले दर्ज किए गए हैं। अवलोकन से नियंत्रित समूह की तुलना में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा उपचार करा रहे रोगियों की हालत में काफी सुधार पाया गया।
	दिल्ली						
2.	डिपॉर्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, सर गंगा राम हास्पिटल, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली	स्वास्थ्य व्यवसायिकों में कार्य के कारण प्रतिकूल तनाव प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए योग का याट्टच्छिक नियंत्रण परीक्षण	1.06	1.61	-	-	परियोजना पूरी कर ली गई है और अध्ययन के परिणाम निम्नानुसार हैं: परिणाम से नियंत्रण समूह की तुलना में योग समूह में व्यक्तित्वलोप के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया, परन्तु वजन में कोई कमी नहीं पाई गई। तथापि, योग के प्रशिक्षण और अभ्यास से वजन कम करने के प्रबंधन के सापेक्ष में और अधिक वजन की गिरावट को रोकने में सहायता मिली।
3.	आध्यात्म साधना केंद्र, छत्तरपुर, नई दिल्ली	कोरोनरी हृदय रोग पर प्रेक्षा-ध्यान योग तथा जीवन शैलीगत परिवर्तन का व्यापक प्रभाव-याट्टच्छिक नियंत्रत परीक्षण	-	4.51	4.74	-	परियोजना चल रही है।
	कर्नाटक						
4.	एएलएन राव मेमोरियल अयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय, कोप्पा-577126, चिकमंगलूर, जिला कर्नाटक	वेरिकोस नाडियों में योग और प्रकृतिक चिकित्सा से संबंधित उपचारों की प्रभावकारिता का अध्ययन	5.77	5.65	3.72	-	परियोजना पूरी ली गई है और प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट विस्तृत मूल्यांकनाधीन है।

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	नेचर क्योर, योग, एक्यूपंचर एंड फिजियोथिरैपी हास्पिटल, निसर्ग ट्रस्ट (आर), नादिग गली, सिरसी-581401 (एनके), कर्नाटक	मधुमेह पूर्व क्षतिग्रस्त ग्लूकोस टॉलरेंस में ठंडे और गर्म डुबकी स्नान की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए याद्दच्छिक नियंत्रित परीक्षण	10.44	10.53	5.19	-	परियोजना पूरी कर ली गई है और प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट विस्तृत मूल्यांकनाधीन है।
6.	भारत चैरिटेबल कैंसर हास्पिटल एंड इंस्टीट्यूट, #18-19, हेब्बल इंडस्ट्रियल एरिया, मेटागली, मैसूर-570016	सहौषध कैमोथिरेपी के बाद सीआईएनवी निष्कर्षों पर योग बनाम विश्रांति के प्रभावों की तुलना	9.61	4.81	-1.49 (संस्वीकृत)		परियोजना शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। अध्ययन में कुल 70 रोगियों को शामिल किया गया है। 45 रोगियों ने अपना उपचार पूरा कर लिया है। 10 रोगी छोड़कर चले गए और 15 व्यक्तियों का उपचार चल रहा हैं।
7.	आईएनवाईएस मेडिकल रिसर्च सोसाइटी, टुमकुर रोड, बैंगलोर	गठिया में घुटनों पर सरसों के पैक की प्रभावकारिता	-	7.00	7.583.79 (संस्वीकृत)		परियोजना चल रही हैं। कुल 320 व्यक्तियों की जांच की नई जिसमें से 84 को अध्ययन में शामिल किया गया (44 को सरसों पैक समूह हेतु तथा 40 को प्रतीक्षा सूची नियंत्रण समूह हेतु), 57 ने अध्ययन पूरा किया (समूह में 33 और समूह 2 में 24) 13 पर अध्ययन चल रहा है (5+8) तथा 14 अध्ययन छोड़कर चले गए (6+8)।
8.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, 19, एकनाथ भवन, गवीपुरम सर्कल, केम्पेगोडा नगर, बैंगलूरू	उच्च जोखिम गर्भधारण में गर्भावस्था जटिलताओं के निवारण में योग का प्रभाव	-	2.09	9.45	-	परियोजना चल रही हैं। अध्ययन में शामिल व्यक्तियों की कुल संख्या 55 है, जिसमें से 26 ने अध्ययन पूरे कर लिए हैं और 18 व्यक्ति अध्ययन से निकल गए।
9.	स्नेहकुंज ट्रस्ट (पंजी.), विवेकानंद आरोग्यधाम, कासरकोड, होन्नावर, नार्थ केनरा, कर्नाटक	मैकेनिकल लो बैक पेन के प्रबंधन में दो योग मध्यस्थाताओं बनाम एक्ससाइज थिरेपी के प्रभावों की तुलना	-	1.56	6.65(1)	3.10 (II) 3.25 (संस्वीकृत)	परियोजना चल रही। कुल 8 शिविरों का आयोजन कर 545 व्यक्तियों की जांच की गई, 98 व्यक्तियों ने पात्रता मानदंड को पूरा किया और 22 व्यक्तियों ने अध्ययन में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दी। उन्हें अलग-अलग अंतरालों में योग समूह (8), डायनमिक योग (6) और प्रतीक्षा सूची नियंत्रण (8), में विभक्त किया गया।
	उत्तराखंड						
10.	योग रिसर्च डिपॉर्टमेंट, पंतजलि योगपीठ,	बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक और	-	2.70	4.96	2.16 (संस्वीकृत)	परियोजना चल रही है। दोनों माध्यम के कुल 128 छात्रों को याद्दच्छिक आधार पर चुना गया और दो अलग-

1	2	3	4	5	6	7	8
	हरिद्वार	भावनात्मक विकास में योग का प्रभाव					समूहों में विभाजित किया गया (1) 60 योग समूह में और (11) 58 शारीरिक अभ्यास समूह में। अंग्रेजी माध्यम में 85 छात्र (48 छात्र और 39 छात्राएं) थे तथा हिंदी माध्यम में 33 छात्र (23 छात्र और 10 छात्राएं) थे। गैर-योग समूह में 51 छात्रों (28 पुरूष और 23 महिलाएं) और योग समूह में 49 छात्रों (34 पुरूष और 15 महिलाएं) ने अध्ययन पूरे किए।
11.	योग रिसर्च डिपार्टमेंट, पंतजली योगपीठ, हरिद्वार	स्थूल व्यक्तियों में एंथ्रोपोमेट्रिक और जैव रसायनिक उपचारों से संबंधित योग कार्यक्रम का प्रभाव	-	0.89	11.17	11.54	परियोजना चल रही है। नियुक्त कार्मिकों के उचित प्रशिक्षण और सूझ-बूझ हेतु प्रायोगिक अध्ययन पूरा करने के पश्चात, कुल 200 व्यक्तियों का नवम्बर और दिसम्बर, 2010 माह में उंचाई और वजन का माप किया गया ताकि बीएमआई *23 के साथ अधिक वजन वाले और स्थूल व्यक्तियों का पता लगाया जा सके। यादृच्छिक नियंत्रित अध्ययन करने के लिए 200 छात्रों में से 55 छात्रों का चयन किया गया, जिनका बीएमआई से प्राप्त 23 से ज्यादा था।
	पश्चिम बंगाल						
12.	इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटिग्रेटेड मेडिसिन (आइआरआईएम), हावड़ा, पश्चिम बंगाल	प्राकृतिक उपचार नैदानिक पद्धतियों के मानकीकरण के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्रदत्त पारंपरिक जिव्हा निदान का विकास	2.49	-	-	-	अध्ययन पूरा कर लिया गया है। परिणाम में अम्लता और अन्य संबद्ध लक्षणों की शिकायतों में सुधार के साथ-साथ दोनों अम्लता समूहों अर्थात अपच समूह और श्वसनी दमा समूह की जिव्हा में भी सुधार देखा गया।
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र						
	मणिपुर						
13.	योग एंड नेचर क्योर होम, खुंद्रकपम अवांग लेइकई, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल साइकुल रोड, पी. ओ. पेंगई-795 114, मणिपुर	आघात होने के बाद स्वास्थ्य लाभ और जीवन सुधार गुणवत्ता के लिए प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग मध्यस्थता एक नियंत्रित अध्ययन	8.07	10.80	12.35	40.04	परियोजना पूरी कर ली गई है और प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट विस्तृत मूल्यांकनाधीन है।

केंद्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में ईएमआर स्कीम के अंतर्गत नैदानिक अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	परियोजना का शीर्षक	निर्मुक्त राशि (रु. लाखों में)				उपलब्धियां
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7	8
	कर्नाटक						
1.	शरीर क्रिया विज्ञान एवं पोषण विभाग, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल, बंगलौर	यूग्लासेमिक हाइपर इंसूलिनेमिक क्लैम्प्स का उपयोग करने वाले योग अभ्यासियों और गैर योग अभ्यासियों में इंसूलिन संवेदन शीलता का मूल्यांकन	0.67	0.67	-	-	अध्ययन पूरा हो चुका है और शोध पत्र को दि नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया 2008,:21:217-21 में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन से पता चला है कि योग समूह में फास्टिंग प्लाज्मा इंसूलिन पर्याप्त रूप से कम था। तथापि, समूहों के बीच उनके एंथ्रोपोमेट्री अथवा शारीरिक संरचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं था।
2.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	पॉली-सिस्टिक ऑवेरियन सिंड्रोम से संबंधित जीवनशैलीगत कार्यक्रम पर आधारित योग का प्रभाव-एक याहृच्छिक नियंत्रित परीक्षण	-	5.27	-	-	अनुसंधान परियोजना चल रही है।
3.	मनोरोग विभाग, सेंट जॉन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	7-9 वर्ष के स्कूली बच्चों में तनाव और संज्ञानात्मक क्रिया पर योग अभ्यास का प्रभाव	13.39	-	3.29	-	अध्ययन पूरा हो चुका है और शोध पत्र को इंटरनेशनल जनरल ऑफ बायोमेडिकल सांइस 2011;7(1): 51-54 में प्रकाशित किया है। शोध पत्र का सार निम्नानुसार है- इस अध्ययन के तहत बेंगलूर, भारत में सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े 7-9 वर्ष के स्कूली बच्चों में एरोबिक फिटनैस और संज्ञानात्मक क्रियाओं के बीच संबधों का जायजा लिया गया। अठानवें बच्चों (51 प्रशित लड़के और 49 प्रतिशत लड़कियों) का उनकी लंबाई, वजन, बीएमआई, एरोबिक फिटनैस (बहु स्तरीय 20एम शटल परीक्षण) संज्ञानात्मक क्रिया (जबानी परीक्षणः समझबूझ, अंकगणित, शब्द ज्ञान, उपमा; कार्यनिष्पादन परीक्षण, वस्तु संचयन और कोडिंग) के आधार पर मूल्यांकन किया गया। शटलों की संख्या दो संज्ञानात्मक परीक्षणों: समझबूझ (पी=0.01) और ब्लॉक डिजाइन (पी=0.005) के साथ विशेष तौर पर सकारात्मक रूप में सह-संबद्ध थी। बहुरेखीय निकासी विश्लेषण से पता चला कि कई शटलों का आर्विभाव बीएमआई और जैंडर का समायोजन करने के

1	2	3	4	5	6	7	8
							बाद समझबूझ और ब्लॉक डिजाइन परीक्षणों के स्वतंत्र भविष्यवक्ता के रूप में हुआ। उपरोक्त खोज से सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों में एरोबिक फिटनैस और संज्ञानात्मक क्रिया के बीच संबंध कायम करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य प्राप्त हुए।
4.	निसर्ग ट्रस्ट, सिरसी, नार्थ केनरा	मधुमेह परिणामों पर प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग का प्रभाव-एक यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण	7.47	-	4.69	3.67	परियोजना चल रही है। अभी तक 68 व्यक्तियों को शामिल किया गया है और 23 रोगियों ने अध्ययन पूरे किए हैं (उपचार में 13 और नियंत्रित समूह में 10)
	महाराष्ट्र						
5.	अंतराष्ट्रीय योग बोर्ड, मुंबई	योग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्रों की माताओं में तनाव प्रबंधन	-	1.58	2.00	-	अनुसंधान अध्ययन पूरा कर लिया गया है। अध्ययन से योग उपचार के पश्चात सिम्पैथेटिक टोन, कार्टिसोल लेवल और चिंता में कमी परिलक्षित हुई है। अध्ययन से योग उपचार के पश्चात के लिपिड प्रोफाइल, प्रोएक्टिव कोपिंग, आत्मा सम्मान और स्वास्थ्य में भी सुधार दृष्टिगोचर हुआ है।
	पश्चिम बंगाल						
6.	विद्यासागर तकनीकी शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान, (वीटीआईपीईएस) पूर्व मेदनीपुर	कोरोनरी एथ्रोसेलेरोसिस में प्रतिक्रियाशील प्रोटीन और अन्य जैव-चिन्हकों पर योग का प्रभाव	11.65	-	1.46	-	अनुसंधान अध्ययन पूरा कर लिया गया है। अध्ययन से अनेक हृदय संबंधी जोखिम कारकों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। योग से जैव चिन्हकों अर्थात लिपिड प्रोफाइल, एचसी सीआपी, एलिपोप्रोटीन-बी, फिब्रीनोजेन, होमोसिस्टीन की कमी में अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जो कोरोनरी एथ्रोसेलेरोसिस के जोखिम कारक हैं।
	पंजाब						
7.	बाबा फरीद सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, फरीदकोट, पंजाब	आत्म विमोही बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के तनाव और जीवन की गुणवत्ता पर योग थिरेपी का प्रभाव।			7.09		अध्ययन की गई, 2011 में शुरू किया गया है।

नवजात शिशुओं के लिए विशेष देखभाल इकाई

2634.श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में जिला अस्पतालों में नवजात शिशुओं के लिए विशेष देखभाल इकाई की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विशेष देखभाल इकाइयों के कार्यकरण में खामियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन खामियों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां। पूरे देश के जिला अस्पतालों में कुल 293 विशिष्ट नवजात परिचर्या एककों की स्थापना की गई है।

राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नही।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

अनुलग्नक एस एन सी यू एस की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलों की संख्या	एफएनसीयू की संख्या
1	2	3	4
	भारत	640	293
क.	**अधिक ध्यान न दिए जाने वाले गैर पूर्वोत्तर राज्य**		
1.	बिहार	38	8
2.	छत्तीसगढ़	18	2
3.	हिमाचल प्रदेश	12	2
4.	जम्मू और कश्मीर	22	2
5.	झारखंड	24	2
6.	मध्य प्रदेश	50	28
7.	ओडिशा	30	16
8.	राजस्थान	33	36
9.	उत्तर प्रदेश	71	7
10.	उत्तराखंड	13	1
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**		
11.	अरूणाचल प्रदेश	16	0
12.	असम	27	6
13.	मणिपुर	9	1
14.	मेघालय	7	0
15.	मिजोरम	8	0
16.	नागालैंड	11	0
17.	सिक्किम	4	0
18.	त्रिपुरा	4	0
ग.	**अधिक ध्यान न दिये जाने वाले राज्य**		
19.	आंध्र प्रदेश	23	14
20.	गोवा	2	1
21.	गुजरात	26	34
22.	हरियाणा	21	6
23.	कर्नाटक	30	25
24.	केरल	14	16
25.	महाराष्ट्र	35	34
26.	पंजाब	20	0
27.	तमिलनाडु	32	30
28.	पश्चिम बंगाल	19	6

1	2	3	4
घ. संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	3	1
30.	चंडीगढ़	1	1
31.	दादरा और नगर हवेली	1	1
32.	दमन और दीव	2	1
33.	दिल्ली	9	10
34.	लक्षद्वीप	1	0
35.	पुदुचेरी	4	2

[अनुवाद]

बच्चों को गोद लेना

2635. श्री ए. गणेशमूर्तिः
श्री मानिक टैगोरः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि अनुसार सेन्ट्रल एडोपशन रिसोर्स ऑथोरिटी (सीएआरए) ने विदेशियों द्वारा गोद लिए गए बच्चों तथा भविष्य में गोद लिए जाने वाले बच्चों के आंकड़े रखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सीएआरए के पास बच्चों को गोद लेने के लिए भारतीयों और विदेशियों के राज्य-वार कितने आवेदन लंबित हैं तथा इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विदेशियों द्वारा दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों के संबंध में कारा ने आंकड़े रखे हैं। तथापि, निकट भविष्य में दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बच्चों के आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि यह कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए बच्चों के उपलब्ध होने, प्रतिक्षारता माता-पिता की संख्या जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

(ख) अंतर देशीय दत्तक ग्रहण दिशानिर्देश, 2006 के अनुसार भारत में अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण हेतु आवेदन सीधे दत्तक ग्रहण कराने वाली एजेंसियों को प्राप्त होते हैं और प्रक्रिया पूरी होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कारा को भेजे जाते हैं। दिनांक 07.12.2011 की स्थिति के अनुसार कारा के पास अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु 43 आवेदन लंबित हैं। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ये आवेदन लंबित इसलिए हैं क्योंकि इनके साथ प्राप्त दस्तावेज पूर्ण नहीं हैं।

विवरण

राज्यवार ब्यौरा लंबित डोसियर

क्र.सं.	राज्य का नाम	कारा के पास लंबित मामलों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	दिल्ली	2
3.	गोवा	0
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	0
6.	कर्नाटक	2
7.	केरल	1
8.	महाराष्ट्र	5
9.	मिजोरम	2
10.	ओडिशा	3
11.	पुदुचेरी	0
12.	पंजाब	1
13.	तमिलनाडु	15
14.	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	43

[हिन्दी]

विदेशी और निजी बैंक

2636. श्री मणिकराव होडल्या गावितः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि अनुसार देश में विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों को उनकी शाखाओं सहित राज्य-वार और बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त बैंकों ने गांवों, जनजातीय क्षेत्रों और छोटे शहरों में अपनी शाखाएं खोली हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार और बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) 30.09.2011 की स्थिति के अनुसार कार्यरत निजि क्षेत्र/विदेशी बैंकों तथा उनकी शाखाओं की बैंक-वार तथा राज्य-वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) और (ग) विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण, अर्द्धशहरी, शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) के दौरान खोली गई शाखाओं का बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-III और संलग्न विवरण IV में दिया गया है।

(घ) 2000 से अधिक जनसंख्या वाले चिन्हित 72,800 गांवों में मार्च 2012 तक बैंकिग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा इसके पश्चात निश्चित समयावधि में सभी गांवों तक इसका विस्तार करने के लिए आरबीआई के दिनांक 15 जुलाई, 2011 के परिपत्र के द्वारा बैंकों को यह सलाह दी गई है कि अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय उन्हें वर्ष के दौरान खोली जाने वाली शाखाओं की प्रस्तावित संख्या में से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण (टियर 5 और टियर 6) केन्द्रों में आंबटित करनी चाहिए। (बैंक रहित ग्रामीण केन्द्र का अर्थ वह केन्द्र है जहां ग्राहक आधारित बैंकिंग लेन-देन के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यक बैंक की कोई ठोस संरचना नहीं हो)

वर्ष 2006 से देश के बैंक रहित तथा बम बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अनुसूचित वाणिज्येिक बैंकों को व्यवसाय सुविधाकर्ताओं (बी-एफ)/ व्यवसाय सम्पर्की (बी.सी) को रखने की अनुमति दी गई हैं। बी.सी. के रूप में कार्य करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कई संस्थाओं/व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के तत्वावधान में भारत विदेशी बैंकों को वर्ष में 12 शाखाएं खोलने की अनुमति देने के लिए वचनवद्ध है तथापि, यदि विदेशी बैंक-बैंक रहित/कम बैंक वाले क्षेत्रों में कार्यालय खोलते हैं तो आरबीआई 12 लाइसेंसों की डब्ल्यू.टी.ओ. की प्रतिबद्धता से आगे जा सकता है।

विवरण I

30 सितम्बर, 2011 को निजी/विदेशी बैंकों की कार्यरत शाखाओं की बैंक-वार संख्या

बैंक का नाम	कार्यरत शाखाओं की संख्या
1	2
(क) पुराने निजी क्षेत्र के बैंक	**4906**
कैथोलिक सिरियन बैंक	360
सिटी यूनियन बैंक	277
फेडरल बैंक लि.	751
आईएन जी वैश्य लि.	520
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	512
कर्नाटक बैंक लि.	490
करूर बैश्य बैंक लि.	379
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	269
नैनीताल बैंक लि.	101
रत्नाकर बैंक लि.	100
साउथ इण्डियन बैंक लि.	635
तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.	239
धनलक्ष्मी बैंक लि.	273
(ख) नए निजी क्षेत्र के बैंक	**6968**
एक्सिस बैंक लि.	1418
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	84
एचडएफसी बैंक लि.	1978
आईसीआईसी बैंक लि.	2529
इण्डसइण्ड बैंक लि.	333
कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	324
यस बैंक लि.	302

1	2
(ग) विदेशी बैंक	**319**
एवी बैंक लि.	1
अवुधाबी कामर्शियल बैंक लि.	2
अमेरिकन एम्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन	1
एंटवर्प डायमंड बैंक एनवी	1
आस्ट्रेलिया एण्ड न्यूजीलैंड बैंकिग ग्रुप	1
बैंक इंटरनेशनल इण्डोनेशिया	1
बैंक आफ अमेरिका एनटी एण्ड एसए	5
बैंक आफ बहरीन एण्ड कुवैत	2
बैंक आफ सिलोन	1
बैंक आफ नोवा स्कोटिया	5
वारक्लेज बैंक पीएलसी	9
बीएनपी. परिबास	9
चाइनाट्रस्ट कामार्शियल बैंक	1
सिटी बैंक एन.ए.	43
कामनवेल्थ बैंक आफ आस्ट्रेलिया	1
क्रेडिट सुस एजी	15
फर्स्टरैण्ड बैंक लि.	1
हांगकांग एण्ड शघांई बैंकिग	50
जेपी मार्गन चेस बैंक नेशनल एशोसिएशन	1
जेएससी वीटीबी बैंक	1
क्रुगं थाई बैंक पब्लिक कम्पनी लि.	1
मशरॅक बैंक पीएससी	2
मीजुहो कारपोरेट बैंक लि.	2
ओमान इटरनेशनल बैंक	2
राबो बैंक इंटरनेशनल	1
एसबीईआर बैंक	1
सिन्हान बैंक	3
सोसीएट जरनाली	2
स्टैण्डर्ड चाटर्ड बैंक	94
स्टेट बैंक आफ मारीशस लि.	3
द बैंक आफ टोक्यो मित्सुविसी	3
द रायल बैंक स्काटलैंड	31
यूबी एस ए जी	1
यूनाइटेड ओवरसीज बैंक	1

टिप्पणीः 1. 17 नवम्बर, 2011 तक भारतीय रिजर्व बैंक, सांख्यिकी और प्रबंधन विभाग, बैंक शाखा सांख्यिकीय प्रभाग द्वारा तैयार मास्टर आफिस फाइल के अनुसार आकड़े।

2. आकड़ों में प्रशासनिक कार्यालय। नियंत्रण कार्यालय शामिल नहीं हैं।

विवरण-II

30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार कार्यरत गैर सरकारी/विदेशी बैंकों तथा उनकी शाखाओं की संख्या

राज्य	गैर सरकारी बैंक		विदेशी बैंक	
	बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या
1	2	3	4	5
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	0
आंध्र प्रदेश	18	880	9	15

1	2	3	4	5
अरूणाचल प्रदेश	4	5	0	0
असम	10	98	2	2
बिहार	11	95	2	2
चंडीगढ़	14	52	3	3
छत्तीसगढ़	13	91	1	1
दादरा एवं नगर हवेली	10	15	0	0
दमन एवं दीव	5	7	0	0
दिल्ली	20	621	20	46
गोवा	16	92	0	0
गुजरात	19	617	8	18
हरियाणा	17	346	5	8
हिमाचल प्रदेश	8	51	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	9	436	0	0
झारखंड	12	97	0	0
कर्नाटक	19	998	12	18
केरल	17	1554	4	6
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	15	260	3	5
महाराष्ट्र	19	1485	32	94
मणिपुर	3	4	0	0
मेघालय	7	16	0	0
मिजोरम	5	5	0	0
नागालैंड	4	10	0	0
ओडिशा	14	176	2	2
पुदुचेरी	14	27	1	1
पंजाब	16	473	5	8
राजस्थान	19	585	4	6

1	2	3	4	5
सिक्किम	5	11	0	0
तमिलनाडु	18	1656	15	31
त्रिपुरा	6	11	0	0
उत्तर प्रदेश	18	550	6	17
उत्तराखंड	12	120	1	1
पश्चिम बंगाल	18	429	9	35

टिप्पणीः 1. 17 नवम्बर, 2011 तक अद्यतम, भारतीय रिजर्व बैंक, सांखिकीय और सूचना प्रबंधन विभाग, बैंक शाखा सांख्यिकीय प्रभाग द्वारा तैयार मास्टर आफिस फाइल के अनुसार आंकड़े।

2. आंकड़ों में प्रशानिक कार्यालय/नियंत्रक कार्यालय शामिल नहीं हैं।

विवरण-III

वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी/गैर सरकारी बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या-बैंक वार

बैंक समूह	बैंक का नाम	2008-09					2009-10					2010-11					2011-12 (Up to sep 30)				
		ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
पुराने गैर	बैंक ऑफ राजस्थान लि.																				
सरकारी क्षेत्र	भारत ओवरसीज बैंक लि.																				
के बैंक	कैथोलिक शिरियन बैंक लि.		1	1		2															
	सिटी यूनियन बैंक लि.	5	9	6	7	27	2	2	6	5	15		15	5	4	24	2	10	9	8	29
	फेडरल बैंक लि.		3	3	3	9	9	21	20	9	59	4	59	5	2	70		10			10
	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	5	6	18	19	48			5	22	27		1	8	21	30	3	6	6	1	16
	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	7	2	2		11						11	1			12	9				9
	कर्नाटक बैंक लि.		2	4	10	16	1	3	9	4	17	2	6		6	14	2	3	1	1	7
	करूर वैश्य बैंक लि.	3	10	6	5	24		10	7	5	22	1	18	7	6	32	1	6	2	1	10
	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	3		7	2	12	3	10	4	3	20			1	2	3					
	लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.																				
	नैनीताल बैंक लि.	5				5	1	5	3		9										
	रत्नाकर बैंक लि.		2	1	2	5			1	2	3	1	4	2	5	12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	सांगली बैंक लि.																				
	साऊथ इंडियन बैंक लि.	1	11	13	5	30	2	19	19	10	50	3	42	11	5	61		1		1	2
	तमिलनाडु मार्किटाइल बैंक लि.	1	6	2	4	13	1			2	3	3	12			15	1	6			7
	दी धनलक्ष्मी बैंक लि.						7	21	30	29	87		1	2	2	5					
पुराने गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक-कुल		30	52	63	57	202	26	91	104	91	312	25	159	41	53	278	18	42	18	12	90
गैर नये निजी क्षेत्र के बैंक	एक्सेस बैंक लि.	14	56	55	35	160	18	71	64	39	192	46	190	73	90	399	2	18	7	14	41
	बैंक ऑफ पंजाब लि.																				
	सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.																				
	ड्वलपेमेंट क्रेडिट बैंक लि.		1	1	2	4											1	1			2
	एचडीएफसी बैंक लि.	15	60	95	88	258	28	127	63	89	307	28	162	29	29	248	5	10			15
	आईसीआईसीआई बैंक लि.	6	75	41	39	161	15	106	83	83	287	17	134	69	146	366	1	4	1		6
	इंडसंड बैंक लि.						6	8	8	10	32	12	34	14	29	89	5	10	1	14	30
	कोटक महेन्द्रा बैंक लि.	3	5	9	23	40	2	7	10	11	30	5	14	24	29	72			1	1	2
	यश बैंक लि.	5	8	22	15	50	7	15	6	5	33	3	19	23	19	64	5	42	15	25	87
नये गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक-कुल		43	205	223	202	673	76	334	234	237	881	111	553	232	342	1238	19	85	25	54	183
बिदेशी बैंक	अमेरिकन एक्सप्रेस बैकिंग ग्रुप लि.																				
	आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड ग्रुप लि.																			1	1
	बारकेल्ज बैंक लि.								1	1	2			1	1	2					
	सिटी बैंक लि.			1		1		1	1		2										
	कोंमन वैल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया									1	1										
	क्रेडिट एग्रीकोल कारपोरेट बैंक लि.																				
	क्रेडिट सूस ए जी														1	1					
	डीबीएस बैक लि.	2	2		4	8						1	1			2					
	डयूस बैंक एजी			2	1	3						1			1	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	फस्टैंड बैंक									1	1										
	हांगकांग एवं संघाई बैकिंग कारपोरेशन बैंक लि.						1	1	1		3										
	जेएससीवीटीबी बैंक				1	1															
	मिजयूह कारपोरेट बैंक लि.																				
	राबो बैंक इंटरनैशनल																			1	1
	सबीर बैंक														1	1					
	शिनहन बैंक												1			1					
	स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक								4		4										
	दी रॉयल बैंक ऑफ स्काटीया एनवी	2				2			1		1										
	यूबीएस एजी				1	1															
	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.									1	1										
	विदेशी बैंक-कुल	4	2	3	7	16	1	2	8	4	15	2	2	1	4	9				2	2

टिप्पणीः 1. 17 नवम्बर, 2011 तक अद्यतम, भारतीय रिजर्व बैंक, सांखिकिय और सूचना प्रबंधन विभाग, बैंक शाखा सांख्यिकीय प्रभाग द्वारा तैयार मास्टर आफिस फाइल के अनुसार आंकड़े।

2. आंकड़ों में प्रशानिक कार्यालय/नियंत्रक कार्यालय शामिल नहीं है।

3. वर्तमान में एमओएफ में 10 वार्षिक आधार पर महामंजीयक तथा जनगणना तथा आयुक्त के कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुसार 2001 की जनगणना में केन्द्र की जनगणना के आधार पर सभी केन्द्रों को चार जनगणना समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ये जनगणना समूह हैं ग्रामीण 10 हजार से कम जनसंख्या, अर्द्धशहरी (10 हजार से अधिक या बराबर परन्तु 1 लाख से कम जनसंख्या), शहरी 1 लाख से अधिक या बराबर परन्तु 10 लाख से कम जनसंख्या तथा महानगर में 10 लाख से अधिक या बराबर।

विवरण IV

वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी/गैर सरकारी बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या-राज्य वार

	घरेलू गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक																			
	2008-09				2009-10								2010-11				2011-12			
राज्य	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	ग्रामीण	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह																				
आंध्र प्रदेश	6	13	34	11	64	7	27	42	26	102	11	33	26	30	100	2	7	5	4	18
अरूणाचल प्रदेश	1			1		2		2		1			1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
असम	1	6	5		12	1	11	2		14	2	17	7	26						
बिहार		2	11	1	14		8	12	3	23		10	9	4	23	2			1	3
चंडीगढ़	1		2		3			2		2			8		8					
छत्तीसढ़		7	6		13		9	11		20	2	8	4		14		1	3		4
दादरा एवं नगर हवेली	1	2			3							2			2		1			1
दिल्ली	2	2		60	64	1		53	54				81	81				21	21	
गोवा		4			4	2	6			8	5	11			16		2			2
गुजरात	5	16	23	50	8	34	15	33	90	12	71	17	27	127	2	14	3	2	21	
हरियाणा	4	9	15	2	30	7	25	20	6	58	4	27	27	3	61		4	3		7
हिमाचल प्रदेश	2	4	2		8	2	5	1		8	3	2			5	1	1			2
जम्मू एव कश्मीर	7	5	6		18			4		4	12	2	3		17	10	1			11
झारखंड		7	9		16		5	9		14	1	9	8		18	1				1
कर्नाटक	3	14	11	35	63	10	22	13	38	83	1	37	12	35	85	3	7	2	4	16
लक्षद्वीप																				
मध्य प्रदेश	2	9	16	1	28	1	23	14	13	51	3	36	5	6	50	1	5	1		7
महाराष्ट्र	16	11	33	71	121	13	36	30	70	149	9	52	33	119	213	1	13	7	20	41
मणिपुर			2		2								2		2					
मेघालय		3			3		4			4	1	1	3		5					
मिजोरम			1		1			2			2									
नागालैंड		1			1		2			2		3			3					
ओडिशा	2	16	8		26	3	11	12		26	4	27	6		37		1	1		2
पुदुचेरी							1	1		2			1		1		1	1		2
पंजाब	5	14	4	5	28	8	24	15	7	54	30	39	10	9	88	7	15			22
राजस्थान	1	7	13	5	26	5	15	10	5	35	4	63	9	6	82	3	14		1	18
सिक्किम						1				1	3	1			4					
त्रिपुरा		1	1		2			2		2		2	1		3					
उत्तर प्रदेश	3	24	50	16	93	4	27	46	23	100	1	36	31	16	84		2	5	3	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
उत्तराखंड	5	4	4		13	2	10	4		16		6	3		9		1			1
पश्चिम बंगाल	2	12	14	13	41	3	8	16	28	55	12	16	20	30	78	1	2	2	4	9
सकल योग	73	257	286	259	875	102	425	338	328	136	712	273	395	1516	37	127	43	66	273	

टिप्पणी: 1. 17 नवम्बर, 2011 तक अद्यम, भारतीय रिजर्व बैंक, सांख्यिकीय और सूचना प्रबंधन विभाग, बैंक शाखा सांख्यिकीय प्रभाग द्वारा तैयार मास्टर आफिस फाइल के अनुसार आंकड़े।

2. आंकड़ों में प्रशानिक कार्यालय/नियंत्रक कार्यालय शामिल नहीं हैं।

3. वर्तमान में एमओएफ में 10 वार्षिक आधार पर महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुसार 2001 की जनगणना में केन्द्र की जनगणना के आधार पर सभी केन्द्रों को चार जनगणना समूहों में वर्गीकृतिया किया गया है। ये जनगणना समूह है ग्रामीण 10 हजार से कम जनसंख्या, अर्द्धशहरी (10 हजार से अधिक या बराबर परन्तु 1 लाख से कम जनसंख्या), शहरी 1 लाख से अधिक या बराबर परन्तु 10 लाख से कम जनसंख्या तथा महानगर में 10 लाख से अधिक या बराबर।

वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी/गैर सरकारी बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या-राज्य वार

	विदेशी बैंक																			
	2008-09					2009-10					2010-11					2011-12 (Up to sep 30)				
राज्य	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह																				
आंध्र प्रदेश								2	1	3			1		1					
अरूणाचल प्रदेश																				
असम									1	1										
बिहार																				
चंडीगढ़																				
छत्तीसगढ़																				
दादरा एवं नगर हवेली																				
दमन एवं दीव																				
दिल्ली				1	1									1	1					
गोवा																				
गुजरात	1				1	1				1										
हरियाणा																				
हिमाचल प्रदेश																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
जम्मू व कश्मीर																				
झारखंड																				
कर्नाटक				1	1															
केरल																				
लक्षद्वीप																				
मध्य प्रदेश																				
महाराष्ट्र		1	1	3	5		2	1	3	6		1		2	3				2	2
मणिपुर																				
मेघालय																				
मिजोरम																				
नागालैंड																				
ओडिशा																				
पुदुचेरी																				
पंजाब								1		1				1	1					
राजस्थान	1				1															
सिक्किम																				
तमिलनाडु		1	2	1	4						1	1			2					
त्रिपुरा																				
उत्तर प्रदेश	2				2			2	2	1					1					
उत्तराखंड								1		1										
पचिम बंगाल				1	1															
सकल योग	4	2	3	7	16	1	2	8	4	15	2	2	1	4	9				2	2

टिप्पणीः 1. 17 नवम्बर, 2011 तक अद्यम, भारतीय रिजर्व बैंक, सांखिकीय और सूचना प्रबंधन विभाग, बैंक शाखा संख्यिकीय प्रभाग द्वारा तैयार मास्टर आफिस फाइल के अनुसार आंकड़े।

2. आंकड़ों में प्रशानिक कार्यालय/नियंत्रक कार्यालय शामिल नहीं हैं।

3. वर्तमान में एमओएफ में 10 वार्षिक आधार पर महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालयों द्वारा जारी किए गए अनुसार 2001 की जनगणना में केन्द्र की जनगणना के आधार पर सभी केन्द्रों को चार जनगणना समुहों में वर्गीकृतिया किया गया हैं। ये जनगणना समूह है ग्रामीण 10 हजार से कम जनसंख्या, अर्द्धशहरी (10 हजार से अधिक या बराबर परन्तु 1 लाख से कम जनसंख्या), शहरी 1 लाख से अधिक या बराबर परन्तु 10 लाख से कम जनसंख्या तथा महानगर में 10 लाख से अधिक या बराबर।

बैंकों द्वारा प्रदत्त सेवाएं

2637. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंहः
श्री दिनेश चंद्र यादवः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के बैंकों द्वारा छोटे और खुदरा उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) ने इस संबंध में अध्ययन करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी संरचना क्या है; और

(ङ) उक्त समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) बैंक ऐसी संस्थाए हैं जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है और बैंकिंग एक विशेष जन उपयोगी सेवा है और इस स्थिति के मद्देनजर बैंकिंग उद्योग में ग्राहक सेवा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। छोटे एवं खुदरा ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं को चुनने और इनसे संबंधित लागत को निर्धारित करने के संबंध में बैंकों को मिली हुई आवश्यक छूट के अंतर्गत ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के एक विश्वसनीय एवं प्रभावी प्रकार्यात्मक तंत्र को विकसित करने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की भी जरूरत है। इस प्रयोजन के लिए यह महसूस किया गया है कि बैंकों की आंतरिक संरचनाओं को प्रकार्यात्मक रूप से कारगर बनाए जाने और इन्हें और सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है जिससे ग्राहकों की बुनियादी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। वर्तमान में, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ग्राहकों को प्रदत्त बैंकिंग सेवाओं और बैंकों में विद्यमान शिकायत निवारण तंत्र की प्रणाली की जांच-परख करने के लिए आरबीआई ने 26 मई, 2010 को सेबी के पूर्व अध्यक्ष, श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता में एम समिति गठित की थी। समिति ने 4 जुलाई, 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

टीका लाइसेंस को रद्द करना

2638. डॉ. संजय सिंहः
श्री लक्ष्मण टुडुः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में टीका के उत्पादन हेतु लाइसेंस को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका आधार क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तीन इकाइयों नामतः केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, भारतीय पास्चर संस्थान, कुन्नूर तथा बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई के विनिर्माण लाइसेंस औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा 2008 में उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत उत्तम विनिर्माण पद्धति संबंधी मानकों का अनुपालन न किए जाने के कारण लंबित कर दिए गए। अब निलंबन आदेशों को भारत सरकार द्वारा 26.02.2010 को रद्द कर दिया गया है।

खनन पट्टा हेतु एनओसी

2639. श्री देवराज सिंह पटेलः क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 5 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक के खनन पट्टे हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त सीमा को बढ़ाकर 10 हेक्टेयर तक करने का है ताकि छोटे खानों के प्रचालन को सुगम बनाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को वर्तमान के तहत खनन पट्टा के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का अधिकार नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एचआईवी/एड्स हेतु घेरलू/स्व-परीक्षण

2640. श्री डी. बी. चन्द्रे गौडाः
श्री अब्दुल रहमानः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एचआईवी स्थिति का पता लगाने के लिए कई घरेलू/स्व-परीक्षण प्रणाली मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) का विचार एड्स हेतु घरेलू/स्व-परीक्षण को अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) और (ख) जी, हां। ओरल फ्लूड्स/यूरीन का उपयोग करते हुए एचआईवी की स्थिति का पता लगाने के लिए गृह/स्वयं परीक्षण ज्ञात विधियां है जिससे एचआईवी रोग प्रतिकारक का पता चलता है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय नीति के अनुसार किसी व्यक्ति की एचआईवी की जांच के लिए जांच पूर्व परामर्श और उसके बाद जांच पश्चात परामर्श करना आवश्यक है। निम्नलिखित के लिए जांच से पूर्व जांच के बाद परामर्श करना महत्वपूर्ण हैः-

- एचआईवी/एड्स के संचरण और निवारण विधि संबंधी मूलभूत सूचना का प्रावधान बनाना ताकि व्यवहार परिवर्तन में संवर्द्धन प्रोत्साहित किया जा सके और दोषपूर्णता में कमी लाई जा सके (एचआईवी पॉजिटिव और नेगेटिव वाले रोगियों के लिए)।
- लोगों को अन्य एचआईवी निवारण, परिचर्या और उपचार सेवाओं से जोड़ना और
- जांच परिणाम की जटिलताओं के लिए ग्राहक तैयार करना।

रेलवे का अनुरोध

2641. श्री सुरेश अंगड़ीः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेल मंत्रालय ने अपने विकास व्यय को पूरा करने के लिए 'ब्रिज लोन' की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे 'ब्रिज लोन' के लिए रेलवे द्वारा क्या कारण दिए गए हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) रेल मंत्रालय ने 2010-2011 में रेलवे निधियों अर्थात भारत के लोक लेखा में रखी विकास निधि और पूंजी निधि में हुए ऋणात्मक शेषों को कवर करने के लिए ऋण मांगा है। चालू वर्ष में रेल मंत्रालय को सकल बजटीय सहायता का अंशतः प्रयोग करने के लिए वित्त मंत्रालय ने पूंजी निधि में ऋणात्मक शेषों की पुनःपूर्ति हेतु 886 करोड़ रूपये तक की राशि का अनुमोदन कर दिया है।

[हिन्दी]

विस्थापित जनजातियों के लिए मुआवजा

2642. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दामोदर घाटी विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि के कारण काफी संख्या में जनजातीय परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में न्यायालय के आदेशनुसार विस्थापित लोगों को नौकरी प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां,।

(ख) डीवीसी द्वारा उपलब्ध कराये गये ब्यौरों के अनुसार दामोदर घाटी निगम की परियोजनाओं में विस्थापित जनजातीय परिवार नीचे दिए गए हैं-

क्र.सं.	परियोजना	विस्थापित लोगों की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या
1.	मैथन	788	223
2.	पंचेट	101	09
3.	मेजिया थर्मल पावर	520	23
4.	चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन	165	58

(ग) और (घ) दिनांक 09.04.92, 1992 की सिविल अपील सं. 1757 में पारित किए गए माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेश अनुसार रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार मैथन परियोजना में अकुशल पदों की न्यूनतम श्रेणी को रोजगार दिया गया था। माननीय न्यायलय ने डीवीसी को अपने पैनल को नया रूप देने का निर्देश दिया। नये पैनल के अनुसार कुल 724 भूमि विहीनों को सूचीबद्ध किया गया था। डीवीसी द्वारा उपलब्ध कराये गये ब्यौरे के अनुसार सूची में शामिल किए गए विस्थापित व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

क.		**1978 में विस्थापित पैनल जो 1978 में तैयार किए गए**	**788**
	1.	उपर्युक्त में से अनुसूचित जनजाति की संख्या,	223
	2.	788 में से माननीय उच्चतम न्यायलय के दिनांक 9.4.1992 के आदेश के तहत कुल रोजगार दिया गया	64
	3.	शेष विस्थापित व्यक्तियों की संख्या	724
ख.		**माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेश के पश्चात कुल सूचीबद्ध विस्थापित व्यक्ति**	**724**
	1.	दिए गए रोजगार	129
	2.	रोजगार लेने से इनकार किए गए	25
	3.	उम्मीदवारों को रोजगार के बदले में एक मुश्त 3 लाख की दर से भुगतान किया गया	458
	4.	एक मुश्त भुगतान प्रक्रिया में है	68
	5.	रोजगार की प्रतीक्षा में।	44
ग.		**माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेश के पहले और बाद में दिए गए कुल रोजगार की संख्या (64+129)**	**193**
	1.	आदिवासियों को दिया गया रोजगार	37
	2.	आदिवासियों के अलावा अन्य को दिया गया रोजगार।	156

वनों में रहने वाली जनजातियां

2643. श्री यशवंत लागुरीः
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की उत्तरांचल सहित देश के वनों में रहने वाली जनजातियों के कल्याण हेतु कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घटते हुए वन क्षेत्र के मद्देनजर इन जनजातियों को वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ जनजातियां वनों में उगने वाली जंगली वनस्पतियों पर निर्भर हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उनके उत्थान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) से (घ) देश में वनों में रह रहे जनजातीय लोगों के कल्याणार्थ कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय वनों में रह रहे जनजातीय लोगों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम/केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रयोजित योजनाएं कार्यान्वित करता है। मंत्रालय की योजनाएं आय सृजन, अवसंरचना विकास, शैक्षिक विकास तथा सभी जनजातीय लोगों की साक्षरता में सुधार से संबंधित हैं। मंत्रालय जनजातीय युवकों को उपयुक्त रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए विभिन्न व्यवसायों में उनके शिल्प के उन्नयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान करता है। मंत्रालय 12 राज्यों में वन ग्रामों के एकीकृत विकास के लिए निधि भी प्रदान करताा है। सुविचारित विकास स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य परिचर्या, प्राथमिक शिक्षा, संपर्क मार्गों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं जैसी कम से कम आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं को प्रदान करने के संदर्भ में होगा। मंत्रालय वन निवासी अनुसूचित जनजातियों को उनकी वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए उनके वन अधिकारों की मान्यता तथा इन्हें प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधीकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को प्रशासित करता है।

(ङ) और (च) वनों में जंगली वनस्पति पर निर्भर कुछ जनजातीय लोगों किसी मामले की रिपोर्ट इस मंत्रालय को नहीं दी गई है। वहीं परंपरागत वन निवासी जनजातीय लोग वनों में प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए जाने जाते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रशासित तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य उनका सामाजिक-आर्थिक विकास है। जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए सरकार की योजनाओं/कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

जनजातीय क्षेत्रों का सीमांकन

2644. श्री एल. राजगोपालः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार बहुसंख्यक जनजातीय लोगों वाले पिछड़े जिलों तथा वामपंथी अतिवाद से पीड़ित क्षेत्रों के बीच स्पष्ट सीमांकन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो जनजातियों के लिए बनी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा निधियों के प्रभावी प्रवाह हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के क्रियान्वयन में राज्यों की निष्पादन स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय रूप से प्रायोजत योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। ये योजनाएं/कार्यक्रम जनजातीय लोगों द्वारा घने रूप से बसे पिछड़े जिलों और क्षेत्रों, जो वामपंथी उग्रवादियों द्वारा पीड़ित हैं, के बीच किसी विशिष्ट सीमांकन को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा बसे क्षेत्रों और जनजातीय आबादी की महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं। जनजातीय लोगों की घनी आबादी वाले पिछड़े जिलों और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा पीड़ित क्षेत्रों के बीच सीमांकन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विभिन्न योजनाओं को प्रभावी कार्यान्वयन और निधियों के प्रवाह के लिए जनजातीय क्षेत्रों को एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों (आईटीडीए), संशोधित क्षेत्र विकास एप्रोच पॉकेटों (माडा पॉकेटों), क्लस्टरों आदि में विभाजित किया गया है। निधियां संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से दी जाती है।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 9 पेसा राज्यों में पेसा अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में राज्यों के कार्यनिष्पादन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। पेसा का कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है।

विवरण

पी ई एस ए अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में राज्यों के कार्य निष्पादन की स्थिति

राज्य	राज्य पंचायती राज अधिनियमों और पेसा के साथ कानूनी विषय की अनुरुपता																			
	राज्य पंचायती राज अधिनियम, क्या पेसा की धारा 4 के साथ का अनुवर्ती है														पेसा के साथ महत्वपूर्ण कानूनी विषय का अनुपालन					
	उप-धारा																			
	d	e	f	h	i	j	k	l	m											
									i	ii	iii	iv	v	vi	भूमि अधिग्रहण	उत्पाद शुल्क	वन उत्पाद	खान एवं खनिज	कृषि उत्पाद एवं बाजार	ऋण देने वाले
आंध्र प्रदेश	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N
छत्तीसगढ़	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N
गुजरात	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	N	NA	N	N	N	N
हिमाचल प्रदेश	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N
झारखण्ड	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N
ओडिशा	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y
महाराष्ट्र	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	N	N	N
मध्य प्रदेश	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
राजस्थान	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	NA	Y	N	Y

Y = हां

N = नहीं

NA = उपलब्ध नहीं

स्रोतः पंचायती राज मंत्रालय

[हिन्दी]

जन्मजात रोगों सहित पैदा हुए बच्चे

2645. श्री रमाशंकर राजभरः
श्री घनश्याम अनुरागीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष काफी अधिक संख्या में बच्चे जन्मजात तथा अनुवांशिक जीन संबंधी बीमारियों सहित पैदा हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे बच्चों के पर्याप्त और प्रभावी अनुवांशिक परीक्षण, परामर्श तथा स्वास्थ्य देखभाल हेतु उपाय किया है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जन्मजात विकृति एवं आनुवंशिक जेनेटिक रोगों के साथ जन्मे बच्चों की संख्या के संबंध में आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, विभिन्न अध्ययनों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जीवित जन्मे बच्चों में जन्मजात विकृतियों एवं आनुवंशिक जेनेटिक रोगों के मामले 1.9 प्रतिशत से 3.7 प्रतिशत होते हैं।

जन्मजात विकृतियों के कारण बहु-कारकीय हैं। प्रमुख कारण पैतृक समरक्तता, बढ़ती हुई मातृत्व आयु, बहुविध गर्भाविधि, समयपूर्व जन्म, फोलिक एसिड की कमी, पर्यावरणिक जोखिम जैसे कि विकिरण के जोखिम के प्रति अरक्षितता तथा अंतर गर्भाशयी संक्रमण इत्यादि हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीनी विद्युत उपकरण

2646. श्री अवतार सिंह भडानाः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारतीय बाजारों में तेजी से उभर रहे चीनी विद्युत उपकरणों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या कई भारतीय कंपनियों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि वह विद्युत उत्पादन उपकरण में चीनी प्रतिस्पर्धा को कम करें; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) 11वीं योजना में अधिक क्षमता अभिवृद्धि पर विचार किया गया है तथा यूटिलिटियां अपने विद्युत उपकरण तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर घरेलू तथा विदेशी विनिमार्ताओं से मंगवाते रहे हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सूचित किया है कि 11वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार लगभग 50,757 मेगावाट की तापीय उत्पादन क्षमता में निश्चित रूप से अधिक वृद्धि की संभावना है, जिसमें से लगभग 16,000 मे.वा. क्षमता के मुख्य संयंत्र उपकरणों के लिए आदेश चीनी आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए हैं। इसके अलावा, बेहतर प्रयासों द्वारा 11वीं योजना की 10480 मे.वा. की तापीय विद्युत परियोजनाओं में से लगभग 5100 मे.वा. के मुख्य संयंत्र उपकरणों का आदेश चीनी आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया है।

जल विद्युत संयंत्रों के संबंध में चीनी विनिर्माताओं के आपूर्ति किए गए टीजी सेट के साथ लगभग 334. मे.वा क्षमता 11वीं योजना में पहले से ही चालू कर दी गई है तथा लगभग 170 मे.वा. निर्माणाधीन है।

(ग) और (घ) विद्युत उपकरणों के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उठाई जा रही हानियों पर विचार करने हेतु सदस्य (उद्योग), योजना आयोग के अधीन एक समिति गठित की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा अन्य में, वृहत विद्युत परियोजनाओं के लिए उपकरणों के आयात पर 14% सीमा शुल्क लगाये जाने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा में विदेशी निवेश

2647. श्री पी.सी. मोहनः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पवन ऊर्जा में विदेशी निवेश हेतु सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस क्षेत्र में कुल कितना विदेशी निवेश किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न पवन ऊर्जा स्रोतों के संबंध में कोई आकलन करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा पवन ऊर्जा में विदेशी निवेश कोई पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, सितम्बर 2011 तक पवन ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में लगभग 1830 करोड़ रु. का निवेश प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां,। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिक केन्द्र, चैन्नई द्वारा तैयार किए गए भारतीय पवन मानचित्र के अनुसार देश में 49,130 मेगावाट की पवन विद्युत संभाव्यता होने का अनुमान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

राज्य-वार पवन विद्युत संभाव्यता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापना योग्य संभाव्यता (मेगावाट)
1	2
आंध्र प्रदेश	5394
गुजरात	10609
कर्नाटक	8591
केरल	790
मध्य प्रदेश	920
महाराष्ट्र	5439
राजस्थान	5005
तमिलनाडु	5374
पश्चिम बंगाल*	22
ओडिशा	910
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2
अरूणाचल प्रदेश*	201
असम*	53
छत्तीसगढ़*	23
हिमाचल प्रदेश*	20
जम्मू एवं कश्मीर*	5311
लक्षद्वीप	16
मणिपुर*	7
मेघालय*	44
नागालैंड*	3
सिक्किम*	98
उत्तराखंड*	161
उत्तर प्रदेश*	137
कुल	49130

*पवन संभाव्यता को मापनों द्वारा वैधीकृत किया जाता है।

[अनुवाद]

जनजातीय उप-योजना

2648. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरेः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या कुछ मंत्रालयों द्वारा उनके टीएसपी घटक को अलग करने में कठिनाइयों का सामना करने की खबर आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में जनजातीय कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- जनजातीय उपयोजना जनजातीय लोगों के तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रणनीति हैं। यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक योजना का एक भाग है।
- जनजातीय उपयोजना से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के जनजातीय लोगों या जनजातीय क्षेत्रों को दिए गए लाभ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समग्र योजना से उन्हें जो प्राप्त होता है के अलावा हैं।
- जनजातीय उपयोजना के तहत प्रदान की गई निधियां प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के कम से कम अनुपात में होगी।

- जहां तक केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का संबंध हैं कुल 28 केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग जनजातीय उपयोजना के तहत योजना निधियों को अलग से चिह्न करने के लिए अभिज्ञात किए जाते हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों से भी स्वैच्छिक आधार पर जनजातीय उपयोजना के लिए आबंटन प्रदान करने हेतु प्रयास करने का अनुरोध किया गया है।

- जनजातीय उपयोजना 22 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हैं जो निम्नानुसार हैं:-

  राज्यः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल।

(ख) से (घ) वर्ष 2011-12 के बाद से योजना आयोग ने जनजातीय उपयोजना के उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों का वर्गीकरण किया तथा अब तक प्राप्त प्रतिक्रियाओं से किसी मंत्रालय/विभाग ने वर्ष 2011-12 के दौरान टीएसपी घटक के पृथक्करण में किसी कठिनाई को व्यक्त नहीं किया है। तथापि, ग्रामीण विकास विभाग ने टीएसपी के लिए निधियों का कोई विशिष्ट चिह्न नहीं दर्शाया है जतो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत किया जा सकता था क्योंकि यह एक मांग आधारित है। निधियों की आवश्यकता एवं रोजगार सृजन जॉब कार्डधारकों की ओर से कार्य के लिए मांग पर आधारित होगी।

[हिन्दी]

एनआईपी के अंतर्गत न्यूमोनिया टीका

2649. श्री रामकिशुनः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में शिशु मृत्यु-दर का प्रमुख कारण न्यूमोनिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शिशु मृत्यु-दर को रोकने/कम करने हेतु न्यूमोनिया के लिए नई नीति बनाने का हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम(एनआईपी) के अंतर्गत न्यूमोनिया टीका को शामिल करने तथा पर्याप्त मात्रा में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार भारत में 5 वर्ष तक की आयु के 11 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु न्युमोनिया के कारण होती है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में न्यूमोनिया के कारण होने वाली रूग्णता एवं मृत्यु को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां क्रियान्वित की जा रही हैं:

* **व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रमः** बच्चों में न्यूमोनिया का निवारण करने के लिए व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित टीकों का प्रयोग किया जाता है।

  1. डीपीटी का टीका

  2. खसरे का टीका

  3. पेंटावेलेंट टीका।

* **एकीकृत नवजात शिशु एवं बाल्यावस्था रोग प्रबंधनः** इस कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूमोनिया सहित आम रोगों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण किया जाता है। यह कार्यक्रम न्यूमोनिया के निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित सामदायिक पद्धतियों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केन्द्रित करता है।

  राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत नवजात शिशु एवं बाल्यावस्था रोगों के सुविधा आधारित प्रबंधन के पैकेज को शामिल किया गया है जो सुविधा स्तर पर बच्चों में न्यामोनिया सहित बाल रोगों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को शक्ति प्रदान करता है।

* **सूक्ष्म पोषक सम्पूरण कार्यक्रमः** न्यूमोनिया के कारण होने वाली बाल रूग्णता को कम करने मे विटामिन ए का सम्पूर्ण लाभकारी होता है।

(ङ) हिब सहित पेंटावेलेंट टीके को इसकी सुनिश्चित आपूर्ति के साथ तमिलनाडु और केरल राज्यों में आरम्भ किया गया है।

स्वास्थ्य परियोजनाएं

2650. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान बिहार, झारखंड सहित देश में चल रही/लंबित स्वास्थ्य परियोजनायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में स्वास्थ्य सुधार तथा विकास हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कौन-कौन से कार्य शुरू किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख):

1. एकीकृत रोग निगरानी परियोजनाः भारत सरकार ने महामारी प्रवण रोगों के प्रकोपों का पता लगाने और उनके उनसे निपटने की कार्रवाई करने के उद्देश्य से एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) शुरू की। बिहार और झारखंड सहित सभी राज्यों/जिलों में एकक स्थापित किए गए हैं।

आईडीएसपी के अंतर्गत, जिलों और राज्यों को अतिरिक्त जनशक्ति प्रदान करके, प्रकोप की जांच के लिए अभिज्ञात आरआरटी सदस्यों को प्रशिक्षित करके, महामारी प्रवण रोगों का पता लगाने के लिए प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण करके, डाटा एंट्री, विश्लेषण और डाटा ट्रांसफर के लिए आईसीटी उपकरण देकर और क्रियान्वयन के लिए निधियां प्रदान करके सुदृढ़ किया गया है। वर्तमान में बिहार में 82 प्रतिशत जिले आईडीएसपी के अंतर्गत महामारी प्रवण रोगों के लिए साप्ताहिक आंकड़े सूचित करते हैं। इन आंकड़ों की प्रकोप के निदान और नियंत्रण के लिए जिला निगरानी एकक (एसएसयू) द्वारा विश्लेषण किया जाता है। राज्य/जिलों ने 2009 में 6 प्रकोपों, 2010 में 21 और 2011 में (आंकड़े 20 नवम्बर, 2011 तक) 127 प्रकोपों की सूचना दी है और उनसे निपटने की कार्रवाई की है। वर्तमान में झारखंड के 86 प्रतिशत जिले आईडीएसपी के अधीन महामारी प्रवण रोगों के लिए साप्ताहिक आंकड़े सूचित करते हैं।

इन आकड़ों की प्रकोप के निदान और नियंत्रण के लिए जिला निगरानी एकक (बीएसयू) और राज्य निगरानी एकक (एसएसयू) द्वारा विश्लेषण किया जाता है। राज्य/जिलों ने 2009 में 6 प्रकोपों, की सूचना दी है और उनसे निपटने की कार्रवाई की है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में बिहार और झारखंड को प्रदान की गई निधियां नीचे दी गई हैं।

बिहार 30.11.11 तक (रुपए लाख में)

	निर्मुक्त निधियां	व्यय
2007-08	125.00	0.00
2008-09	0.00	0.00
2009-10	10.00	46.56
2010-11	121.17	127.71
2011-12	59.79	56.15
कुल	315.96	230.42

झारखंड 30.11.11 तक (रुपए लाख में)

	निर्मुक्त निधियां	व्यय
2007-08	100.00	0.17
2008-09	0.00	3.17
2009-10	81.78	38.80
2010-11	65.00	53.51
2011-12	0.00	28.45
कुल	246.78	124.10

2. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी): बिहार और झारखंड सहित देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, कार्यान्वयन में चल रहीं एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। वर्तमान वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान नेत्र स्वास्थ्य के लिए शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

* 2,01,10,795 मोतियाबिन्द आपरेशन का निष्पादन।
* स्कूल के बच्चों को मुक्त 16,78,213 चश्मों का वितरण।
* कार्निया प्रत्यारोपण के लिए में दी गई 1,48,944 आंखों का संग्रहण।

3. संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रमः संसोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि डाट्स के रूप से जाना जाता है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुसंशित कार्यनीति है, का कार्यान्वयन बिहार/झारखंड सहित सम्पूर्ण देश में शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग रोधी औषधों सहित निदान और उपचार की सुविधाएं सभी क्षयरोगियों का निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। गुणवत्तायुक्त निदान के लिए सामान्य क्षेत्रों में प्रत्येंक 1 लाख की आबादी के लिए तथा जनजाति, पहाड़ी एवं कठिन क्षेत्रों में प्रत्येक 50,000 की आबादी के लिए निर्धारित माइक्रोपी केन्द्र स्थापित किए गए है। देश में 12900 से अधिक माइक्रोस्कोपी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उपचार केन्द्र (डाट्स केन्द्र) रोगियों के घर के यथा संभव दूरी पर स्थापित किए गए हैं। सभी सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-केन्द्र, डाट्स केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए गैर-सरकारी संगठन, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, सामुदायिक स्वयं सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला स्व-समूह आदि डॉट प्रदायकों/डाटा केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं। औषधें सीधी देख-रेख में प्रदान की जाती हैं और रोगियों की मानीटरिंग की जाती है ताकि वे अपना उपचार पूरा कर सकें।

क्षयरोग-एचआईवी सह संक्रमणों के लिए क्षयरोग-एचआईवी सहयोगात्मक कार्यकलाप और बहु-औषध प्रतिरोध क्षयरोग के प्रबंधन के लिए डाट्स प्लस सेवाएं देश भर में कार्यान्वित की जा रही हैं।

4. मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमः मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत दो योजनाएं अर्थात जननी सुरक्षा कार्यक्रम देश भर में महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

* भारत सरकार ने 1 जून, 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है जो सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बिल्कुल निःशुल्क एवं व्यय रहित सीजेरियन सेक्सन सहित प्रसव कराने की हकदारी प्रदान करता है। इस पहल में निःशुल्क औषधों, नैदानिक सामग्री, रक्त एवं आहार, साथ ही घर से संस्थान तक तथा रेफर के मामले में सुविधा केन्द्रों के बीच तथा वापस घर तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की गई है। ऐसी ही हकदारियां जन्म सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में जाने हेतु प्रदान की गई है।

बिहार और झारखंड सरकार ने अपने संबंधित राज्यों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है।

5.राष्ट्रीय बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रमः राष्ट्रीय बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों से उनकी पीआईपी में प्राप्त हुए थे। इस समय यह कार्यक्रम 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के 176 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ऐसा कोई प्रस्ताव बिहार और झारखंड राज्य में राष्ट्रीय निवारण एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अब तक उनसे प्राप्त नहीं हुआ है।

6. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमः राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बिहार में कोई योजनाएं नहीं हैं। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम झारखंड के 3 जिलों में प्रचालित हैं। आरआईएनपीएएस, राज्य द्वारा चलाए जाने वाला मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है और इसको मनचिचकित्सा, नैदानिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर, डिप्लोमा मनश्चिकित्सा नर्सिंग एवं मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्य शुरू करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना ख के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना ख मानसिक स्वास्थ्य में जनशक्ति पैदा करने वाली योजना है। ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिये गयें है। सभी 4 विशेंषताओं में स्नातकोत्तर पाठयक्रम आरआईएनपीएएस में शुरू किया गया है तथा डिप्लोमा मनोश्चिकित्सा नर्सिंग का एक बैच राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना ख के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता के परिणामस्वरूप पास होकर बाहर निकल गया है।

7. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमः वर्ष 1992 में शुरू किया गया राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारत में एचआईवी/एड्स की रोकथाम के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। बीते समय में ध्यान जागरूकता पैदा करने से व्यवहार परिवर्तन की ओर, राष्ट्रीय कार्रवाई से और अधिक विकेन्द्रीयकृत कार्रवाई की ओर तथा गैर सरकारी संगठरनो तथा पीएलएचए के नेटवर्को की सहभागिता बढ़ाने की ओर स्थान्तरित हो गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों, योजनाओं, प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों, नियमों और मानदंडों की ठोस संरचना पर आधारित है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ्य परियोजनाओं के बारे में किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

1. **परामर्श एवं जांच सेवाओं** में काफी वृद्धि की गई है तथा 110.34 लाख व्यक्तियों, जिनमें 48.69 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, को वर्ष 2011-12 के दौरान (अप्रैल से अक्टूबर, 2011) 4973 सुविधा एकीकृति माडल आईसीटीसी सहित 9448 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों के जरिए परामर्श दिय गया और उनकी जांच की गई। इसी अवधि के दौरान 7788 जच्चा-बच्चा जोड़ियों को नेविरापाइन प्रोफाइलेक्सिस प्रदान किया गया ताकि जच्चे से बच्चे में एचआईवी के संचरण की रोकथाम की जा सके। एचआईवी-क्षय रोग सहयोगात्मक कार्यकलापों के अंतर्गत 6.57 लाख एचआईवी-क्षयरोग क्रास रेफरल हुए हैं (अप्रैल-सितम्बर, 2011)।

2. वर्ष 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के एसटीआई/आरटीआई निवारण एवं नियंत्रण घटक के अंतर्गत एसटीआई/आरटीआई के 4,417,341 लाख नए संक्रमित व्यक्तियों का उपचार किया गया है। मानकीकृत उपचार प्रोटोकाल और सामान्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ समाभिरूपता कार्यनीति भी विकसित की गई है।

3. **रक्त सुरक्षा कार्यक्रम** के अंतर्गत 155 रक्त घटक पृथक्करण सुविधाओं सहित 1127 रक्त बैंकों को सहायता प्रदान की जा रही है। अप्रैल, 2011-12 के दौरान स्वैच्छिक रक्तदान में 81 प्रतिशत रक्त यूनिटें एकत्र की गई हैं।

4. कंडोम सामाजिक विपणन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान क्रमशः 27.07 करोड़ और 40.09 कंडोम पीस वितरित किए गए थे। ग्रामीण के साथ-साथ अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में कंडोमों की उपलब्धता को सुनिश्चित किए जाने पर फोकस करते हुए कंडोम सामाजिक विपणन कार्यक्रम के चरण-3 के अंतर्गत इसका विस्तार 370 अत्यधिक प्राथमिकता वाले राज्य में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 8 लाख खुदरा बाजारों (केंद्रों) के जरिए सेवा प्रदान करेगा।

5. **लक्षित उपाय** गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक आधारित संगठनों के जरिए लक्षित उपायों का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम कंडोम संवर्धन, एसटीआई परिचर्या, नीडल सीरिज विनिमय कार्यक्रम ओपेयाड प्रतिस्थापन थेरेपी और एचआईवी परीक्षण और एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के लिए रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराता है एनएसपी-3 के आरम्भ में देश में कुल 789 लक्षित उपाय थे। यह अधिकल्पित किया गया था कि 80 प्रतिशत सेचुरेशन (संतृप्ति) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में कुल 789 लक्षित उपाय अपेक्षित होंगे। एचआरजी संख्या का अनुमान लगाने के लिए एसएसी मानचित्रण का अन्यास करता है और इसके आधार पर टीआई को संविदा पर रखा जाता है। महिला यौन कर्मियों (80.06 प्रतिशत) इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले (71 प्रतिशत) पुरूषों के साथ यौन क्रिया करने वाले पुरूष (66.5 प्रतिशत) और प्रवासी (40%) और ट्रकर्स (56.5%) सहित ब्रिज (सेतु) जनसंख्या की कवरेज सहित इस समय कुल 1595 सीएसएसीसी वित्त पोषित टीआई और 180 दाता वित्तपोषित टीआई है। स्त्रोत पर मार्ग में तथा गंतव्यय पर प्रावससन के जरिए होने वाले इसके संचरण का सामना करने के लिए एक नई प्रवासी कार्यनीति भी शुरू की गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रमुख उपलब्धियां संलग्न विवरण 2 में दी गई हैं।

6. संपर्क कार्यकर्ता योजना, एचआरजी और ग्रामीण क्षेत्र की कमजोर जनसंख्या के निवारण और परिचर्या आवश्यकताओं के लिए एक ग्रामीण आधारित प्रयास है जिसमें आईसीटीसी सेवाओं और एसटीआई सेवाओं के लिए रेफरल, कंडोम संवर्धन और वितरण, एचआईवी रोकथाम तथा संबंधित सेवाओं से संबद्ध सूचना शामिल है। संपर्क कार्यकर्ता योजना के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण 3 में दी गई है।

7. सूचना शिक्षा और संप्रेषण कार्यकलापों का लक्ष्य सभी के लिए एक अधिकार प्रदत्त और सक्षम पर्यावरण के सृजन सहित व्यवहार परिवर्तन को प्राप्त करना है। अत्यधिक जोखिम समूहों, ब्रिज जनसंख्या जिसमें आम जनसंख्या के ट्रक-ड्राइवर और प्रवासी और युवा और महिलाएं शामिल हैं पर विशेष ध्यान देते हुए सुरक्षित व्यवहारों, इसके कलंक और भेदभाव में कमी करना सेवाओं के संवर्धन करने पर फोकस किया जाता है। वर्षवार संचालित प्रमुख प्रशिक्षण की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण 4 में दी गई हैं। एचआईवी/एड्स संबंधी संदेशों का प्रचार-प्रसार करने के लिए जनप्रचार माध्यमों, मिड-मीडिया और अंतः निजी संप्रेषण के जरिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियमित आईईसी अभियानों का संचालन किया जाता हैं। प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्रों का सारांश निम्नलिखित हैं।

व्यापक जन प्रचार अभियान

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राज्य एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा व्यापक जन प्रचार प्रसार अभियान शुरू किए जाते हैं। ये व्यापक जन प्रचार अभियान विषय क्षेत्रों अर्थात् युवा अशक्तता, परामर्शी तथा परीक्षण, एचआईवी-टीबी, कंडोम संवर्धन, उपचार सेवाओं, कलंक तथा भेदभाव तथा रक्त सुरक्षा टीवी और रेडियो और समाचार पत्रों के जरिए टीवी और रेडियो पर संचालित किए जाते हैं जिसमें सभी राज्य शामिल होते हैं।

* वर्ष 2008-09, वर्ष 2009-10, वर्ष 2010-11 के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और असम सहित आठ राज्यों के क्षेत्रीय नेटवर्कों में दूरदर्शन द्वारा कल्याणी स्वास्थ्य पत्रिका में प्रत्येक वर्ष एचआईवी/एड्स पर छह धारावाहिक प्रसारित किए गए थे।

* वर्ष 2009-10 के दौरान दूरदर्शन पर टीवी सीरियल 'क्योंकि जीना इसी का नाम हैं' में एचआईवी/एड्स के चालीस धारावाहिक प्रसारित किए गए थे, जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान पचास धारावाहिक, रेडियो में प्रसारित हुए थे।

* हिंदी बोलने वाले वर्ष 2009-10 के दौरान समूचे राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी बोलने वाले राज्य तीन रेडियो कार्यक्रमों के 156 धारावाहिक प्रसारित किए गए थे। इसके अतिरिक्त अनेक राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों ने भी रेडियो तथा टीवी कार्यक्रमों को प्रसारित किया।

* राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (दिसम्बर तक) के दौरान टीवी/रेडियों पर क्रमशः 10,6 और 2 व्यापक जन प्रचार अभियानों को संचालित किया गया था।

आउटडोर तथा मिड मीडिया कार्यकलाप

ये कार्यकलाप, अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं जिनमें एचआईवी/एड्स से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए लोक कार्यक्रमों, आईईसी वाहनों के जरिए जनता का एक जुटाव, होर्डिंग्स, दीवार लेखों, बस के शीशों और सूचना कियोस्क के जरिए आम जनता के साथ-साथ अत्यधिक जोखिम वाली जनसंख्या के लिए आईईसी सामग्री को मुद्रित और वितरित किया जाता है। लोक कार्यक्रमों से संबंधित राज्यवार सूचना नीचे तालिका में दी गई है। विगत तीन वर्षों के दौरान एआरटी केंद्रों, पंजीकृत किए गए मरीजों की संख्या और एआरटी उपचार के तहत मरीजों की संख्या के संदर्भ में परिचर्या सहायता और उपचार कार्यकलापों में पर्याप्त उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है।

सीएसटी कार्यक्रम कार्यालय	मार्च, 2008	दिसम्बर, 2010	सितम्बर, 2011
एआरटी	157	292	324
उत्कृष्टता केंद्र	2	10	10
सम्पर्क एआरटी केंद्र	-	550	678
सामुदयिक परिचर्या केंद्र	122	259	259
पीएलएचआईवी पंजीकृत	1,94,607	11,69,050	13,84,170
एआरटी पर पीएलएचआईवी की संख्या	1,34,927	3,84,726	4,48,860
सैकंड-लाइन एआरटी पर पीएलएचआईवी की संख्या	-	1,929	2,558

कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (सिम्स): जिसे सीएम आईएस का विकास करने के लिए तंत्र के रूप में विकसित किया गया था, अगस्त 2010 में आरम्भ किया गया था। कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन प्रणाली पर प्रशिक्षण को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पांच चरणों में पूरा किया गया है। कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन प्रणाली का कार्य 15 सितम्बर, 2011 से प्रायोगिक आधार पर दिल्ली में और आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुदुचेरी और तमिलनाडु राज्यों में किया गया है। कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन प्रणाली का कार्य पश्चिम बंगाल में 1 दिसम्बर, 2011 से आरम्भ हो जाएगा।

विवरण I

झारखंड

योजना	क्र.सं.	जिला/संस्थान	अरम्भ/जारी करने का वर्ष	जारी धनराशि	जारी की जाने वाली धनराशि
डीएमएचपी	1.	धुमका	2004-05	2,620000.00	
	2.	डाल्टोनगंज	2007-08	2,620000.00	
	3.	गुमला	2007-08	2,620000.00	
मेडिकल कॉलेजों के मनश्चिकित्सीय विंगों का उन्नयन			शून्य	शून्य	
राज्य द्वारा चलित मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण			शून्य	शून्य	
उत्कृष्टता केंद्र					
योजना ख	1.	रांची मानसिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान संस्थान, रांची (मनश्चिकित्सा, नैदानिक, मनोविज्ञान, मनश्चिकित्सीय, सामाजिक कार्य, मनश्चिकित्सय उपचर्या के लिए)	09.03.2010 अंतरित निधियां	1,21,00,000.00	
	कुल			1,99,60,000.00	0.00

विवरण II

लक्षित कार्यकलाप का राज्य-वार विवरण-गैर सरकारी संगठन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12 (अक्तूबर, 2011 तक)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	70	70	115
अरूणाचल प्रदेश	21	21	21
असम	58	58	60
बिहार	25	44	51
चंडीगढ़	13	13	12

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	23	33	47
दादरा व नगर हवेली	3	3	3
दमन व दीव	3	3	7
दिल्ली	69	84	89
गोवा	19	19	16
गुजरात	108	114	116
हरियाणा	43	41	53
हिमाचल प्रदेश	21	23	23
जम्मू व कश्मीर	6	6	6
झारखंड	31	31	43
कर्नाटक	34	34	68
केरल	53	53	52
मध्य प्रदेश	66	63	63
महाराष्ट्र	86	87	104
मणिपुर	54	54	52
मेघालय	12	12	8
मिजोरम	41	41	35
नागालैंड	39	39	41
ओडिशा	67	67	71
पुदुचेरी	1	1	5
पंजाब	31	47	62
राजस्थान	55	55	64
सिक्किम	6	7	8
तमिलनाडु	53	53	71
त्रिपुरा	18	18	15

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	96	96	100
उत्तराखंड	24	27	32
पश्चिम बंगाल	63	63	82
कुल	1,311	1,385	1,595

विवरण III

जिलों की संख्या का राज्य-वार वितरण जहां सम्पर्क कार्यकर्ता योजना कार्य कर रही है

राज्य	2009-10		2010-11		2011-12 (अगस्त, 2011 तक)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	3	3	19	19	19	19
बिहार	5	5	5	5	12	5
छत्तीसगढ़	3	3	3	3	4	0
गोवा	1	1	1	1	1	1
गुजरात	4	4	8	8	8	8
झारखंड	0	0	0	0	3	0
कर्नाटक	8	8	8	8	8	8
केरल	1	1	1	1	1	1
महाराष्ट्र	4	4	24	24	24	24
मणिपुर	2	2	9	9	9	9
मिजोरम	1	1	3	3	3	3
मध्य प्रदेश	4	4	8	8	12	12
नागालैंड	1	1	10	10	10	8
ओडिशा	6	6	6	6	10	8
पंजाब	0	0	0	0	2	0
राजस्थान	6	6	6	6	8	8

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	14	14	21	21	21	21
त्रिपुरा	1	1	2	2	2	2
उत्तर प्रदेश	5	5	5	5	11	5
पश्चिम बंगाल	2	2	5	5	8	8
कुल	71	71	144	144	176	148

विवरण IV

प्रशिक्षण को मुख्य धारा में लाने की राज्य-वार स्थिति

राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी	2009-10	2010-11	2011-12 (अक्तूबर)
1	2	3	4
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3,579	3,730	2,147
आन्ध्र प्रदेश	26,688	1,94,509	8,413
असम	18,412	5,659	2,30
अरूणाचल प्रदेश		79	170
बिहार	18,900	2,690	316
चंडीगढ़	1,980	2,101	3649
छत्तीसगढ़	57,095	32,600	22,817
दादरा व नगर हवेली	151	422	0
दमन व दीव	0	0	0
दिल्ली	2,025	2,618	0
गोवा	2,771	3,823	9
गुजरात + अहमदाबाद	24,411	79,538	11,009+538
हरियाणा	3,474	13,368	90
हिमाचल प्रदेश	6,671	6,800	0
जम्मू व कश्मीर	3,317	3,244	452
झारखंड	5,900	3,095	11,500

1	2	3	4
कर्नाटक	10,940	16,961	1,673
केरल	8,977	5,736	180
लक्षद्वीप	30	0	0
मध्य प्रदेश	55,040	59,368	6,885
महाराष्ट्र+मुम्बई	911	30320	26,00+3,834
मणिपुर	3,933	5,420	0
मेघालय	536	704	481
मिजोरम	5,031	1,680	0
नागालैंड	120	916	376
ओडिशा	11,995	18,510	1,358
पुदुचेरी	5,922	3,546	111
पंजाब	17,542	10,748	2,676
राजस्थान	26,408	22,709	3,110
सिक्किम	1,259	1,534	378
तमिलनाडु	2,88,821	2,07,160	99,225
त्रिपुरा	2,660	3,240	1,620
उत्तराखंड	4,425	2,643	130
उत्तर प्रदेश	16,320	72,290	5,872
पश्चिम बंगाल	19,244	21,595	0
कुल	6,55,488	8,39,356	1,93,649

ग्रामीण बीमा योजना

2651. श्री राधा मोहन सिंहः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगेः

(क) क्या सरकार ने देश में "ग्रामीण बीमा योजना" शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपने आरम्भ से आज की तिथि अनुसार वर्ष-वार इससे कितने लोगों को लाभ हुआ है; और

(घ) उक्त योजना में निजी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) से (ख): (1) आम आदमी बीमा योजना (2) जनश्री बीमा योजना (3) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और (4) सर्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा

योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं ग्रामीण और शहरी लोगों को जीवन/स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती हैं। इसके अलावा, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) विनियमन, 2002 में यह शर्त है कि प्रत्येक बीमाकर्ता को अपने व्यवसाय का एक निश्चित प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अलग-अलग लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म बीमा योजनाएं भी आरंभ की गई हैं। "ग्रामीण बीमा योजना" नामक कोई पृथक योजना नहीं है।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी

2652. श्री सी.आर. पाटिलः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा किः

(क) पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीडब्ल्यूईटी) के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या है;

(ग) देश में पवन विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति का गुजरात सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव इन परियोजनाओं अथवा नई परियोजनाओं में कार्य की गति को तेज करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारूख अब्दुल्ला): (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट) चेन्नई देश में पवन ऊर्जा के संवर्धन के लिए पवन संसाधन मूल्यांकन, पवन टरबाइनों के परीक्षण एवं प्रमाणन तथा अनुसंधान एवं विकास जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ तकनीकी केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

(ख) पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक शामिल किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) और (ङ) 30 अक्तूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 15683 मेगावाट क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना की गई है जिसमें गुजरात में 2495 मेगावाट क्षमता शामिल है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को निजी निवेश के माध्यम से वाणिज्यिक आधार पर विकसित किया गया है।

नई परियोजनाओं सहित इन परियोजनाओं के कार्य की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे 80% त्वरित मूल्यहास, उत्पादन से होने वाली आय पर 10 वर्षों का करावकाश, विशिष्ट घटकों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क, पवन विद्युत जनरेटरों तथा उनके पुर्जों के विनिर्माण हेतु उत्पाद शुल्क शुल्क में छूट आदि दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पवन विद्युत उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए अधिमान्य शुल्क दर और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआइ) दिया जा रहा है।

विवरण I

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पवन मॉनीटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची (30.11.2011 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2
1.	तमिलनाडु
2.	गुजरात
3.	ओडीशा
4.	महाराष्ट्र
5.	आंध्र प्रदेश
6.	राजस्थान
7.	लक्षद्वीप
8.	कर्नाटक
9.	केरल
10.	छत्तीसगढ़
11.	मध्य प्रदेश
12.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह
13.	उत्तराखण्ड

1	2
14.	हिमाचल प्रदेश
15.	पश्चिम बंगाल
16.	पुदुचेरी
17.	पंजाब
18.	जम्मू व कश्मीर
19.	हरियाणा
20.	झारखंड
21.	उत्तर प्रदेश
22.	गोवा
23.	बिहार
24.	अरूणाचल प्रदेश
25.	असम
26.	त्रिपुरा
27.	मणिपुर
28.	मिजोरम
29.	सिक्किम
30.	नागालैंड
31.	मेघालय

विवरण II

पवन विद्युत की कुल संचयी संस्थापित क्षमता (30.10.2011)

राज्य	संचयी क्षमता (मेगावाट)
1	2
आंध्र प्रदेश	212.65
गुजरात	2494.88
कर्नाटक	1848.70
केरल	35.10
मध्य प्रदेश	275.90
महाराष्ट्र	2481.75
राजस्थान	1764.95
तमिलनाडु	6565.05
अन्य	4.30
कुल	15683.28

चल रही विद्युत परियोजनाएं

2653. श्री निशिकांत दुबेः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नियमित अंतराल पर चल रही विद्युत परियोजनाओं के कार्य की प्रगति की गहन समीक्षा की जाती है;

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान समीक्षा बैठकों में सामने आई अनियमितताओं का परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा अवधिक आधार पर चालू ताप और जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा स्थल दौरे और परियोजना विकासकर्ता कार्यकारी एजेंसियों और बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) बेंडर्सो के जरिए की जाती है।

सीईए ने चल रहे सभी ताप और जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न उपलब्धियों उपकरण आपूर्तियों की स्थिति, संबद्ध पारेषण प्रणाली (एटीएस) की प्रगति, वनस्वीकृत मामले, मार्ग अधिकार मामले, बोइलर टरबाइन जेनेरेटर (बीटीजी) और बीओपी ठेकेदारा के बीच इनकी आंतरिक स्थितियों पर विचार करने के लिए परियोजना विकासकर्ताओं, कार्यान्वयन एजेंसियों, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं और बीओपी विक्रेताओं के साथ आवधिक आधार पर समीक्षा बैठकों तथा सुधारात्मक उपायों में पाई गई कमियां ताप विद्युत परियोजना के लिए संलग्न विवरण I एवं II में और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए संलग्न विवरण III में दी गई है।

विवरण I

जुलाई 2010 में 11वीं योजना की समीक्षित ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ कार्यान्वयन एजेंसी	निर्माण एजेंसी	क्षेत्र	एलओए तिथि	क्षमता (मेगावाट)	आरंभ होने की वास्तविक (ए) संभावित तिथि	कमिया/संकट क्षेत्र	सुझाव/सुधारात्मक उपाय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दिल्ली							
1.	प्रगति सीसीजीटी-III जीटी-1/ पीपीसीएल	बीएचईएल	राज्यक्षेत्र	30.05.08	250	सितंबर-10	• डीएम प्लांट तथा नियंत्रण कक्ष की तैयारी धीमी सिविल कार्य, ब्यॉलर ड्रम उपलब्ध नहीं	प्रोजेक्ट के अधिकारियों को सलाह दी गई की डीएम प्लांट आपूर्तिकर्ताओं से मानव शक्ति बढ़ाने तथा शेष आपूर्ति में शीघ्रता करने का मामाला उठायें। संयंत्र का सिविल कार्य भी पीछे चल रहा है। परियोजना के अधिकारियों को सलाह दी गई कि कार्य में शीघ्रता करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें शेष सिविल कार्य छोड़ दे। बीएचईएल से शेष उपस्करों की आपूर्ति करने के लिए कहा गया।
2.	रिठाला सीसीपीपी जीटी -1 /एन डी पी.एल	अन्य	निजी क्षेत्र		35.75	अगस्त-10	रोटर एवं स्टेटर ब्लेड की रिफरबिशमेंट	परियोजना अधिकारियों को मरम्मतकार्य प्राथमिकता आधार पर पूरा करने की सलाह दी गई।
3.	रिठाला सीसीपीपी जीटी-2/एनडीपीएल	चाईनीज	निजी क्षेत्र		35.75	सितंबर-10	रोटर एवं स्टेटर ब्लेड की रिफरबिशमेंट	परियोजना अधिकारियों को मरम्मत कार्य प्राथमिकता आधार पर पूरा करने की सलाह दी गई है।
4.	प्रगति सीसीजीटी-III जीटी-2/पीपीसीएल	बीएचईएल	राज्यक्षेत्र	30.05.08	250	अक्टूबर-10	•डीएम संयंत्र और नियंत्रण कक्ष को तैयार करना सिविल कार्य की प्रगति धीमी	प्रोजेक्ट के अधिकारियों को सलाह दी गई की डीएम प्लांट आपूर्तिकर्ताओं से मानव शक्ति बढ़ाने तथा शेष आपूर्ति में शीघ्रता करने का मामला उठायें। संयंत्र का सिविल कार्य पीछे चल रहा है। परियोजना के अधिकारियों को सलाह दी गई गई की कार्य में शीघ्रता करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें या शेष सिविल कार्य छोड़ दें। बीएचईएल से शेष उपस्करों की आपूर्ति करने के लिए कहा गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	रिठाला सीसीपीपी एनडीपीएल	अन्य	निजी क्षेत्र		36.5	दिसं-10	• रोटर एवं स्टेटर ब्लेड की रिफरबिशमेंट डीएम संयंत्र और बकेट तैयार करना	परियोजना अधिकारियों को मरम्मत कार्य प्राथमिकता आधार पर पूरा करने की सलाह दी गई।
6.	प्रगति सीसीजीटी-III जीटी-3/पीपीसीएल	बीएचईएल	राज्य क्षेत्र	30.05.08	250	नवंबर-10	सिविल कार्य की प्रगति धीमी	परियोजना के अधिकारियों को सलाह दी गई की कार्य में शीघ्रता करने के लिए तुरंत कार्रवई करें या शेष सिविल कार्य छोड़ दें।
7.	प्रगति सीसीजीटी-III जीटी-4/पीपीसीएल	बीएचईएल	राज्य क्षेत्र	30.05.08	250	दिस.-10	• सिविल कार्य की प्रगति धीमी टी जी डेक तैयार करना	परियोजना के अधिकारियों को सलाह दी गई कार्य में शीघ्रता करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें या शेष सिविल कार्य छोड़ दें।
8.	प्रगति सीसीजीटी-III	बीएचईएल	राज्यक्षेत्र	30.05.08	250	अप्रैल-11	सिविल कार्य की प्रगति धीमी	परियोजना के अधिकरियों को सलाह दी गई की कार्य में शीघ्रता करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें या शेष सिविल कार्य छोड़ दें।
9.	प्रगति सीसीजीटी-III एसटी-2/पीपीसीएल	बीएचईएल	राज्य क्षेत्र	30.05.08	250	मई–11	सिविल कार्य की प्रगति धीमी टीजी डेक तैयार करना	परियोजना के अधिकारियों को सलाह दी गई कि कार्य में शीघ्रता करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें या शेष सिविल कार्य छोड़ दें।
	हरियाणा							
1.	राजीव गांधी टीपीएस हिसार यू-2, एचपीजीसीएल	चाईनीज	राज्य क्षेत्र	29.01.07	600	जुलाई-10	विदेशी कार्मिकों के वीजा का मामला। कार्य धीमा पड़ा	विद्युत मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ वीजा का मामला उठाया गया।
2.	इंदिरागांधी टीपीपी यू-1/एपीसीपीएल	बीएचईएल	केन्द्रीय क्षेत्र	07.06.07	500	अक्टूबर-10	भेल/एनटीपीसी 8/10 में संमक्रमण हेतु तथा 9/10 में पूर्ण भार हेतु प्रयास कर रहे थे। एफडी/आईडी फैन तथा मिल्स की नींद का शेष कार्य। फ्लू गैस डक्टिंग (एमएनई) (एनएमईए) 5.5.10 को (प्राप्त) एफओ प्रणाली।	एनटीपीसी को विभिन्न उपस्करों का नीव का शेष कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की सलाह दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राजस्थान							
1.	जलीपा-कपूरदी टीपीपी यू-2 राज वेस्ट पावर लिमिटेड	चाईनीज	निजी क्षेत्र	मार्च-07	135	जुलाई-10	• लिग्नाइट माइनिंग हेतु भूमि अधिग्रहण। आईजीएनपी नहर से जल (कच्चे पानी की पाइपलाईन बिछाना)	परियोजना के अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण का मामला उठाने की सलाह दी गई। ताकि इसमें शीघ्रता की जा सके और कच्चे पानी की शेष लाइन को पूरा करने की सलाह भी दी गई।
2.	जलीपा- कपूरदी टीपीपी यू-3	चाईनीज	निजी क्षेत्र	मार्च-07	135	अक्टूबर-10		परियोजना के अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण का मामला उठाने की सलाह दी गई। ताकि इसमें शीघ्रता की जा सके। और कच्चे पानी की शेष लाइन को पूरा करने की सलाह भी दी गई।
3.	बरसिंगसर लिग्नाइट यू-2/ एनएलसी	बीएचईएल	सीसी	29.12.05	125	जुलाई-10		
4.	जलीपा-कपूरदी टीपीपी यू-4 राज वेस्ट पावर लिमिटेड	चाईनीज	निजी क्षेत्र	मार्च-07	135	जन-11	लिग्नाइट माइनिंग हेतु भूमि अधिग्रहण। आई जीएनपी नहर से जल (कच्चे पानी की पाइपलाईन बिछाना)	परियोजना के अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण का मामला उठाने की सलाह दी गई। ताकि इसमें शीघ्रता की जा सके। और कच्चे पानी की शेष लाइन को पूरा करने की सलाह भी दी गई है।
5	जलीपा-कपूरदी टीपीपी यू-5	चाईनीज	निजी क्षेत्र	मार्च-07	135	अप्रैल-11	लिग्नाइट माइनिंग हेतु भूमि अधिग्रहण। आई जीएनपी नहर से जल (कच्चे पानी की पाइप लाइन बिछाना)	परियोजना के अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ भूमि अधि-ग्रहण का मामला उठाने की सलाह दी गई। ताकि इसमें शीघ्रता की जा सके। और कच्चे पानी की शेष लाइन को पूरा करने की सलाह भी दी गई।
6.	जलीपा-कपूरदी टीपीपी यू-6 राज वेस्ट पावर लिमिटेड	चाईनीज	निजी क्षेत्र	03.01.07	135	जून-11	लिग्नाइट माइनिंग हेतु भूमि अधिग्रहण आईजीएनपी नहर से जल (कच्चे पानी की पाइपलाईन बिछाना)	परियोजना के अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण का मामला उठाने की सलाह दी गई। ताकि इसमें शीघ्रता की जा सके। और कच्चे पानी की शेष लाइन को पूरा करने की सलाह भी दी गई।
7.	जलीपा-कपूरदी टीपीपी यू-6 राज वेस्ट पावर लिमिटेड	चाईनीज	निजी क्षेत्र	03.01.07	135	सितंबर-11		परियोजना के अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण का मामला

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(जे एस डब्ल्यू)							उठाने की सलाह दी गई। ताकि इसमें शीघ्रता की जा सके। और कच्चे पानी की शेष लाइन को पूरा करने की सलहा भी दी गई।
	आंध्र प्रदेश							
1.	कोना सीमा सीसीपीपी एसटी/कोनासीमा इपीएल	अन्य	निजी क्षेत्र	15.03.01	165	जून-10	रोटर कंपन तथा ग्लैंड सील लिकेज के कारण यूनिट 14.6.10 को रूकी पुनः समक्रमण शीघ्र किए जाने की आशा।	परियोजना के अधिकारियों से स्टीम टर्बाइन की प्रचालन समस्याओं को देखने को कहा गया।
2.	रायलसीमा टीपीपी चरण-3 यू-5/एपीजेनको	बीएसचईएल	राज्य क्षेत्र	06.02.07	210	नवंबर-10		
3.	सिम्हाद्रि एसटीपीपी विस्तार यू-3/एनटीपीसी	बीएचईएल	केंद्रीय क्षेत्र	26.03.07	500	जन-11	•आईपीटी आपूर्ति में तेजी लाना अपेक्षित (समक्रमण 10.3.10) एलडीओ स्किड्स की आपूर्ति। परियोजना को सिविल निवेश प्रदान करनाः सीइए बिल्डिंग कंट ्रोल रूम।	बीएईएच को शेष टीजी तथा सामग्री की आपूर्ति को कहा गया एनटीपीसी से शेष आपूर्ति कार्य को कहा गया।
	महाराष्ट्र							
1.	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरि टीपीपी यू-1/ जेएसडब्ल्यू एनर्जी (नत्नागिरि) लि.	चाईनीज	निजी क्षेत्र	05.10.07	300	जुलाई-10	पर्यावरणीय मुद्दे	परियोजना प्राधिकारियों से मामले पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ बात करने की सलाह दी गई।
2.	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरि टीपीपी यू-2/जेएसडब्ल्यू एनर्जी (नत्नागिरि) लि.	चाईनीज	निजी क्षेत्र	05.10.07	300	अगस्त-10	पर्यावरणीय मुद्दे	परियोजना प्राधिकारियों से मामले पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ बात करने की सलाह दी गई।
3.	खापरखेड़ा टीपीएस विस्तार यू-1/ एमएसपीजीसीएल	बीएचईएल	राज्य क्षेत्र	01.01.07	500	नवंबर-10	•परियोजना द्वारा सिविल निवेश में विलंब (नियंत्रण कक्ष ईएसपी नियंत्रण कक्ष) स्टेशन ट्रांसफार्मर चार्जिंग।	परियोजना प्राधिकारियों को विशेष रूप से कंप्लीट मेन/सीएसपी नियंत्रण कक्ष आदि के सिविल कार्य में शीघ्रता करने की सलाह दी गई। बीएचईएल से और अधिक देरी किये बिना स्टेशन ट्रांसफार्मर को चार्ज करने की सलाह दी गई
4.	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी यू-3/एसडब्लू इनर्जी (रत्नागिरी) लि.	चाईनीज	निजी क्षेत्र	05.10.07	300	नवंबर-10	चीनी वीजा की समस्या से परियोजना अनुसूची प्रभावित।	विद्युत मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ वीजा का मामला उठाया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	जेएसडब्लू रत्नगिरी टीपीपी यू-4/एसडब्लू इनर्जी (रत्नागिरी) लि.	चाईनीज	निजी क्षेत्र	05.10.07	300	जन-11	चीनी वीजा की समस्या से परियोजना अनुसूची प्रभावित। पर्यावरणीय मामला। टीजी मैटेरियल एलपीआर की आपूर्ति परियोजना से निवेशः मिल फाउंडेशन	विद्युत मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ वीजा का मामला उठाया गया।
6.	भुसावल टीपीएस विस्तार यू-4/एमएसपीजीसीएल	बीएचईएल	राज्य क्षेत्र	23.01.07	500	अप्रैल-11		बीएचईएल को टीजी आपूर्ति में शीघ्रता करने की सलाह दी गई।
	कर्नाटक							
1.	रायचुर टीपीएस यू-8/केपीसीएल	बीएचईएल	राज्य क्षेत्र	03.03.07	250	जून-10	एएचपी आकस्मिक प्रबंध पूरे। कोयला मिल में एअर लीकेज समस्या का समाधान होने के पश्चात कोयला ज्वलन 18.06.10 को होने की आशा।	
2.	उडुपी टीपीपी यू-1/एनपीसीएल	चाईनीज	निजी क्षेत्र	24.12.06	507.5	जून-10	क्षमता संशोधित कर 600 मेगावाट की गई। एक टीडीबीएफपी तैयार है तथा दूसरा 19.6.10 तक तैयार हो जाएगा। कोयला ज्वलन 23/24.6.10 तक संभावित फुल लोड जून, 10 के अंत तक	
3.	उडुपी टीपीपी यू-2/एनपीसीएल	चाईनीज	निजी क्षेत्र	24.12.06	507.5	जून-10	एपीटीसीएज द्वारा 400 केवी ट्रांसमिशन लाईन तैयार करने में विलंब। क्षमता संशोधित कर 600 मेगावाट की गई।	परियोजना प्राधिकारियों को विद्युत निकासी की समस्या के बारे में केपीटीसीएल के साथ बातचीत करने की सलाह दी गई।
	ओडिशा							
1.	स्टालाईट टीपीपी यू-2 (प्रथम) स्टलाईट इनर्जी लि.	चाईनीज	निजी क्षेत्र	10.05.06	600	सितंबर-10	• परियोजना प्राधिकारियों को सेपको-III के साथ वाणिज्यिक मामले	परियोजना प्राधिकारियों को सेपको-III के साथ वाणिज्यिक मामलों का समाधान करने की सलाह दी गई।
2.	स्टालाईट टीपीपी यू-1/ स्टलाईट इनर्जी लि.	चाईनीज	निजी क्षेत्र	10.05.06	600	दिसं-10	• परियोजना प्राधिकारियों को सेपको-III के साथ वाणिज्यिक मामले	परियोजना प्राधिकारियों को सेपको-III साथ वाणिज्यिक मामलों का समाधान करने की सलाह दी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	गुजरात							
1.	मुंद्रा टीपीपी फेस-I यू-3 अंदानी पावर लि.	चाईनीज	निजी क्षेत्र	03.01.07	330	जुलाई-10	समक्रमण 20/22.6.10 तथा पूर्ण भार 15 जुलाई, 10 तक होने की संभावना	
2.	मुद्रा टीपीपी फेस-। यू-4/अदानी पावर लि.	चाईनीज	निजी क्षेत्र	03.01.07	330	सितंबर-10	गेटको द्वारा विद्युत निकासी प्रणाली को तैयार करना।	परियोजना प्राधिकारियों को मामले के संबंध में गेटको से बात करने की सलह दी गई और उन्हें यह भी सूचित किया गया कि सीईए भी इस मामले में गेटकों के साथ बातचीत करेगा।
3.	हजारी सीसीपीपी विस्तार जीटी + एसटी जीएसईसीएल	बीएचईएल	राज्य क्षेत्र	01.01.08	351	मार्च11	मेन सिविल कार्य में देरी। जीटीजी एंड एसटी की आपूर्ति अपर्याप्त निपुण जनशक्ति एवं मशीनरी।	बीएचईएल को सिविल कार्यों में शीघ्रता करने और शेष टीजी सामग्री की आपूर्ति करने, कुशल मानव शक्ति एवं मशीनरी बढ़ाने की सलाह दी गई।
4.	पीपावाव सीसीपीपी ब्लॉक-1/जीएसपीसी पीपावाव पावर कं. लि.	बीएचईएल	राज्य क्षेत्र	03.03.08	351	अप्रैल-11	मेन सिविल कार्य में देरी। (ड्राईंग को अंतिम रूप दिया गया)। नहर के माध्यम से जीटी जल की आपूर्ति (स्थानीय ग्रामीण दखलंदाजी)	बीएचईएल को जीटी की आपूर्ति करने और सिविल कार्यों से संबंधित मानव शक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई।
	पश्चिम बंगाल							
1.	मेजिया टीपीएस विस्तार यूनिट-1/डीवीसी	बीएचईएल	सीसी	12.12.06	500	जुलाई-10	सीएचपी, बंकर बे की तैयारी	डीवीसी को कार्य में शीघ्रता करने के लिए सीएचवी विंडर के साथ मामला उठाने की सलाह दी गई।
2.	मेजिया टीपीएस विस्तार यूनिट-2/डीवीसी	बीएचईएल	केंद्रीय क्षेत्र	12.12.06	500	दिसं-10	•यूनिट-1 पर ध्यान केंद्रित। सीएचपी की तैयारी।	डीवीसी को मानव शक्ति की तैनाती के लिए सीएचपी विंडर के साथ मामला उठाने की सलाह दी गई।
3.	दुर्गापुर स्टील टीपीएस यू-1 डीवीसी	बीएचईएल	केंद्रीय क्षेत्र	27.07.07	500	जन-11	•राखकुंड एवं डाइक हेतु भूमि अधिग्रहण में विलंब। भेल की आपूर्ति को तेज किया जाना (एचटी अस्थायी) प्रबंधों द्वारा किया गया)। सिविल कार्य में स्थानीय ग्रामीण द्वारा दखलंदाजी करने से विलंब हुआ। सामग्री की चोरी (सुरक्षा संबंधी मामला)	डीवीसी को ऐश पांड के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले का सेल के साथ समाधान करने की सलाह दी गई। बीएचईएल तथा डीवीसी दोनों को सामग्री की चोरी रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	संतालडीह टीपीपी विस्तार फेस-।। यू-6/डब्लूबीपीडीसीएल	बीएचईएल	SS	23.03.07	250	नवंबर-10	•कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या। एएचपी की धीमी प्रगति।	परियोजना अधिकारियों को कार्य स्थल पर कानून व्यवस्था के मामले पर ध्यान देने की सलाह दी गई और ऐश हैंडलिंग प्लांट के वेंडर से कार्य में तेजी लाने के लिए कहने की सलाह दी गई।
5.	फरक्का एसटीपीएस-3 यू-6/एनटीपीसी	बीएचईएल	केंद्रीय क्षेत्र	30.10.08	500	फरवरी-11	•बीएलयू हेतु फ्लू गैस डक्टिंग मुख्य संयंत्र सिविल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति (मै. एनईसी) फैन फाउंडेशन, कोयला बंकर, कंट्रोल रूम टीडीबीएफयी फाउंडेशन।	बीएचईएल को फ्लू गैस उक्टिंग पूरा करने की सलाह दी गई है। एनटीपीसी का शेष नींव/सिविल कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए।
6.	दुर्गापुर स्टील टीपीएस 2/डीवीसी	बीएचईएल	केंद्रीय क्षेत्र	27.07.07	500	अप्रैल-11	•राखकुंड एवं डाइक हेतु भूमि अधिग्रहण में विलंब। साथ भेल की आपूर्ति को तेज किया जाना। डीएम जल प्रणाली को तैयार किया जाना (एचटी अस्थायी प्रबंधों द्वारा किया गया) सिविल कार्य में स्थानीय ग्रामीण द्वारा दखलंदाजी करने से विलंब हुआ। सामग्री की चोरी (सुरक्षा संबंधी मामला)	डीवीसी को भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करने और जिला अधिकारियों के कानून व्यवस्था का मामला उठाने की सलाह दी गई बीएचईएल को शेष सामग्री की आपूर्ति करने की सलाह दी गई।
	उत्तर प्रदेश							
1.	एनसीपी प्रोजेक्ट यू-6/एनटीपीसी	बीएचईएल	केंद्रीय क्षेत्र	19.12.06	490	जुलाई-10		
2.	परीछा विस्तार यू-8/यूपीआरवीयूएनएल	बीएचईएल	राज्य क्षेत्र	28.06.06	250	अप्रैल-11	•चिमनी की तैयारी (चिमनी 24.5.10 को गिरी थी)।	यूपीआरवीएन से चिमनी शेल के निर्माण में तेजी लाने को कहा गया।
3.	हरदुआगंज विस्तार यू-8/ यूपीआरवीयूएनएल	बीएचईएल	राज्य क्षेत्र	28.06.06	250	अप्रैल-11	•टरबाईन की स्थापना कच्चे पानी के पंप हाऊस को पूरा करना। ऐश हैंडलिंग सिस्टम	यूपीआरवीएन को टीजी निर्माण कच्चे पानी के पंप हाउस तथा ऐष हैंडलिंग प्रणाली के कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	परीछा विस्तार यू-6/यूपीआरवीयूएनएल	बीएचईएल	राज्य क्षेत्र	28.06.06	250	जून-11	• चिमनी की तैयारी (चिमनी 24.5.10 को गिरी थी।	यूपीआरवीएन से चिमनी शेल के निर्माण में तेजी लाने को कहा गया।
5.	हरदुआगंज विस्तार यू-9/ यपीआरवीयूएनएल	बीएचईएलर	राज्य क्षेत्र	28.06.06	250	जून–11	• टरबाईन की स्थापना कच्चे पानी के पंप हाऊस को पूरा करना। ऐश हैंडलिंग सिस्टम	बीएचएल को टिजी निर्माण में तेजी से लाने की गई।
6.	अनपरा-सी टीपीएस -यू 1/लैनको अनपरा पावर प्रा.लि.	चाईनीज	निजी क्षेत्र	15.11.07	600	जन-11	यूपीपीसीएल द्वारा उन्नाव में 765 केवी स्विचयार्ड का निर्माण	यूपीपीसीएल को उन्नाव में उपकेंद्र को पूरा करने की सलाह दी गई।
	झारखंड							
1.	कोडरमा टीपीपी यू-1/डीवीसी	बीएचईएल	केंद्रीय क्षेत्र	29.06.07	500	दिसं-10	•राखकुंड एवं डाइक हेतु भूमि अधिग्रहण में विलंब (केवल आंशिक रूप से प्राप्त-शीघ्र की आशा) डीएम डीएम वाटर प्रणाली (मैं. क्रिलोस्कर) एवं मै. पीसीटी द्वारा एनडीसीटी की धीमी प्रगति। मिल एरिया में सीएचपी। स्टार्ट अप पावर उपलब्ध कराई जानी है।	डीवीसी को वाटर सिस्टम कार्य तथा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर (एनडीसीटी) में तेजी लोने की बॉयलर के समीप सीएचपी कार्य प्राप्त होने पूरा करने और स्टेशन बोर्ड को चार्ज करने का शेष कार्य पूरा करने की सलाह दी गई। डीवीसी को राज्य सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण का मामला उठाने की भी सलाह दी गई।
2.	मैथन आरबी टीपीपी यू-1/डीवीसी	बीएचएल	केंद्रीय क्षेत्र	25.10.07	525	मार्च-11	टीजी एंड जेनरेटर्स की समय पर आपूर्ति। सीएचपी में विलंब।	बीएचईएल को शेष टीजी सामग्री की आपूर्ति करने की सलाह दी गई। परियोजना प्राधिकारियों को कोल हैडलिंग प्लांट के कार्य में तेजी लाने की सलाह दी गई।
छत्तीसगढ़								
1.	कोरबा एसटीपी यू-7/एनटीपीसी	बीएचईएल	केन्द्रीय क्षेत्र	24.03.06	500	अक्टूबर-10	• सीएचपी पूरा होना (आदेश देने में विलंब)। एसपीएमएल द्वारा मिल/ बंकर क्षेत्र में कार्य पूरा करना, मै. एसपीएमएल द्वारा सिविल निर्माण में विलंब।	एनटीपीसी को सिविल कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	तमिलनाडु							
1.	नेवली टीपीएस-II विस्तार यू-1/एनएलसी	बीएचईएल	केंद्रीय क्षेत्र	19.08.05	250	दिसं-10	• सीडब्ल्यू प्रणाली को तैयार किया जाना है। लिग्नाइट प्रणाली एएचपी (एनएलसी) तैयार नहीं।	एनएलसी को सीडब्ल्यू सिस्टम तथा ऐश हैंडलिंग प्लांट के कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी गई।

विवरण II

जनवरी 2011 में 11वीं योजना की समीक्षित ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ कार्यान्वयन एजेंसी	निर्माण एजेंसी	एलओए तिथि	क्षमता (मेगावाट)		चालू होने की तिथि के अनुसार (21-22/01/10)	आरंभ हाने की वास्तविक (ए)/ संभावित तिथि	कमियां/संकट क्षेत्र	सुझाव/सुधारात्मक उपाय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राजस्थान								
1.	जलिपा कपूर्डी टीपीपी यू-3 राज वेस्ट पावर लि.	चाईनीज	मार्च-07	135	लिग्नाइट		मार्च-11	बॉयलर लाइटअप फरवरी 11 में अपेक्षित है। मानव शक्ति की कमी और कार्य स्थल पर कठिन परिसिथतियों के कारण धीमी प्रगति।	राजवेस्ट पावर लि. को 02/11 में बाँयलर लाइटअप प्राप्त करने के लिए मानव शक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई।
2.	बरसिंगसर लिग्नाईट यू-2/ एनएलसी	बीएचईएल	29.12.05	125	लिग्नाइट	जून-10	जन-11	पूर्ण भार प्राप्त करने के लिए परिचालन समस्याएं अनुभव की जा रही हैं 5% रेड सैंड मिश्रित करने के बाद लिग्नाइट फायरिंग का संशोधन पूरा किया गया। बीएलयू शीघ्राअपेक्षित	बीएचईएल को परिचालन समस्याओं पर ध्यान देने की सलाह दी गई
3.	जलिपा कपूर्डी टीपीपी यू-4 राज वेस्ट पावर लि.	चाईनीज	मार्च-07	135	लिग्नाइट		अप्रैल-11	टीजी बौक्स-अप और दाब भाग निर्माण प्रगति पर है। मानव शक्ति के कमी के कारण कार्य की धीमी प्रगति।	राजवेस्ट पावर लि को कार्य में तेजी लाने के लिए मानव शक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	जलिपा कपूर्डी टीपी यू-5 राज वेस्ट चाईनीज पावर लि.		मार्च-07	135	लिग्नाइट		मई-11	मानव शक्ति के कमी। कठिन कार्य स्थल परिस्थितियां	राजवेस्ट पावर लि. को कार्य में तेजी लाने के लिए मानव शक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई।
5.	जलिपा कपूर्डी टीपीपी यू-6 राज वेस्ट पावर लि.	चाईनीज	03.01.07	135	लिग्नाइट		जुलाई-11	मानव शक्ति के कमी और कठिन कार्य स्थल परिस्थितियां	राजवेस्ट पावर लि. को कार्य में तेजी लाने के लिए मानव शक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई।
6.	जलिपा कपूर्डी टीपीपी यू-8 राज वेस्ट पावर लि.	चाईनीज	03.01.07	135	लिग्नाइट		सितंबर-11	कठिन कार्य स्थल परिस्थितियों के कारण मानव शक्ति के कमी	राजवेस्ट पावर लि. को कार्य में तेजी लाने के लिए मानव शक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई।
	महाराष्ट्र								
1.	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी एसडब्ल्यू एनर्जी (रत्नागिरी) लि.	चाईनीज	05.10.07	300	कोयला	फरवरी-11		यूनिट 3 व 4 के लिए सामान्य सिविल कार्य.	परियोजना प्राधिकारियों को सिविल कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी गई।
2.	खापड़खेड़ा टीपीएस एक्सै यू-5/ एमएसपीजीसीएल	बीएचईएल	01.01.07	500	कोयला	सितंबर-10	28.2.11	सीबीओ का आरंभ अपेक्षित है। सीडब्लू पंप तैयार है। सीएचपी तैयार होने में देरी है। एसबीओ 8.1.11 को आरंभ हुआ। टीजी बाक्स अप- -15.01.11	बीओपी वेंडरों को सीड ब्ल्यू पंप तथा सीएचपी को समय पर तैयार करने की सलाह दी है।
3.	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी यू-4/ एसडब्लू एनर्जी (रत्नागिरी) लि.	चाईनीज	05.10.07	300	कोयला		अप्रैल-11	-	परियोजना प्राधिकारियों को सिविल कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी गई।
4.	भुसावल टीपीएस एक्सैं यू -4/एमएसपीजीसीएल	बीएचईएल	23.01.07	500	कोयला	फरवरी-11	अप्रैल-11	यूनिट 4 चिमनी, फ्लू कैन क्षतिग्रस्त होने के कारण देरी (जन.11)	विकासकर्ता को क्षतिग्रस्त चिमनी को तैयार करने की सलाह दी गई।
	दिल्ली								
1.	प्रगति सीसीजीटी-II जीटी-2/ पीपीसीएल	बीएचईएल	30.05.08	250	गैस	जून-10	फरवरी-11	धीमा सिविल कार्य	पीपीसीएल को सिविल कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	रिठाला सीसीपीपी एसटी/एनडीपीएल		अन्य		36.5	गैस	जुलाई-10	मार्च-11	
3.	प्रगति सीसीजीटी-III जीटी-3/ पीपीसीएल	बीएचईएल	30.05.08	250	गैस	अगस्त-10	अप्रैल-11	धीमा सिविल कार्य, जीटी हैल संरचना	बीएचईएल को सिविल कार्यों तथा टीजी हॉल स्ट्रक्चर इरेक्शन में तेजी लाने की सलाह दी गई।
4.	प्रगति सीसीजीटी-III एसटी-1/ पीपीसीएल	अन्य	30.05.08	250	गैस	अगस्त-10	अप्रैल-11	सिविल कार्य में देरी कंडेंसर तथा स्टीम टर्बाइन निर्माण अभी आरंभ होना है।	बीएचईएल को सिविल कार्यों तथा टीजी इरेक्यशन में तेजी लाने की सलाह दी गई।
5.	प्रगति सीसीजीटी-III जीटी -4/पीपीसीएल	चाईनीज	30.09.08	250	गैस	सितंबर-10	जून-11	धीमा सिविल कार्य	परियोजना प्राधिकारियों को सिविल कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी गई।
6.	प्रगति सीसीजीटी-III एसटी-2/ पीपीसीएल	चाईनीज	30.05.08	250	गैस	दिसं-10	जून-11	•धीमा सिविल कार्य टीजी डैक तैयार नही हैं	परियोजना प्राधिकारियों को सिविल कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी गई।
	उत्तर प्रदेश								
1.	परीछा एक्टें यू-5/यूपी आरवी यूएनएल	चाईनीज	28.06.06	250	कोयला	जुलाई-10	जून-11	चिमनी ढह गई, अब नये स्थान पर पुनः निर्माण प्रस्तावित है यूनिट चालू वर्ष में पूर्ण होना संभव नहीं है।	यूपीआरवीयूएन को चिमनी को शीघ्रता से पूरा करने की निर्देश किए गए
2.	हरदुआगंज एक्टें यू -8/ यूपीआरवीयूएनएल	चाईनीज	28.06.06	250	कोयला	दिसं-10	अप्रैल-11	• टर्बाइन का निर्माण। कच्चे पानी का पंप हाउस ऐश हैंडलिग सिस्टम पूर्ण किया गया। आरंभ में मेसर्स सुनिल हाइटेक द्वारा मुख्य संयंत्र भवन और टीजी निर्माण में बहुत कम प्रगति किए जाने के कारण देरी हुई। कठिन पाइप बेल्डिंग, कोयला मिल्स के निर्माण का कार्य बीएचईएल द्वारा किया जाना है।	यूपीआरवीयूएन को ऐश हैंडलिंग सिस्टम तथा कच्चे पानी पंप हाउस के कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी गई। बीएचईएल से क्रिटिकल पाईपिंग तथा मिल्स आदि के कार्य में तेजी लाने को कहा गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	परीछा एक्सटें यू-6/ यूपीआरवीयूएनएल	बीएचईएल	28.06.06	250	कोयला	दिसं-10	नवंबर-11	• चिमनी की तैयारी (चिमनी 24.05.10 को ढह गई थी)	यूपीआरवीयूएन को चिमनी को शिघ्रता से पूरा करने की निर्देश दिए गए
4.	हरदुआगंज एक्टे यू-6/ यूपीआरवीयूएनएल	बीएचईएल	28.06.06	250	कोयला	जन-11	जून-11	टर्बाइन का निर्माण	बीएचईएल को सिविल कार्यों तथा टीजी इरेक्शन में तेजी लाने की सलाह दी गई।
5.	अनपारा सी टीपीएस यू-1/लैस अनपारा पावर प्रा.लि.	चाईनीज	15.11.07	600	कोयला	जन-11	फर-11	यूपीपीसीएल द्वारा उन्नाव में 765 केवी उपकेंद्र का निर्माण	परियोजना विकासकर्ता को मानव शक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई। यूपीपीएसीएल को यूनिट चालू होने से पहले उपकेंद्र पूरा करने की सलाह दी
	पश्चिम बंगाल								
1.	मेजिया एक्टें यू-2/डीवीसी	बीएचईएल	12.12.06	500	कोयला	अगस्त-10	फर-11	मुख्य सीएचपी तथा आरएचएस बंकर बे टीपी-108 की तैयारी	डीवीसी को शेष सीए-चपी कार्य में शीघ्रता करने की सलाह दी गई
2.	दुर्गापुर स्टील टीपीएस यू-1/डीवीसी	बीएचईएल	27.07.07	500	कोयला	सितंबर-10	मार्च 11	ऐश पांड के लिए डीएसपी भूमि अधि-ग्रहण में देरी। स्टार्ट अप पावर-डीवीसी-स्ट्रींजिंग कार्य प्रगति पर है (15.01.11 तक तैयार होना है)... सीसी पंप्स उपलब्ध नहीं कच्चे पानी की लाईन के लिए आरओडब्लू पीजीसीआईएल का एलआईएलओ-लंबित	डीवीसी को डीएसपी भूमि के अधिग्रहण का मामला शेल के साथ और कच्चे पानी की लाइन का मामला राज्य सरकार के साथ उठाने की सलाह दी गई।
3	संतालडीह टीपीपी एक्टें फेज यू6/डब्लूपीडीसीएल	बीएचईएल	23.03.07	250	कोयला	सितंबर-10	फर-11	कानून व्यवस्था की समस्या एएचपी संकट पूर्ण डीसीआईपीएस (बीएचईएल)	डब्लूबीपीसीडीएल को जिला प्रशासन के साथ कानून व्यवस्था का मामला उठाने की

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								कोल फायरिंग में देरी कर सकती। कंप्रेशर की आपूर्ति ऐश डिस्पोजल लाइन की तैयारी।	सलाह दी गई। बीएचईएल को एएचपी कार्य में तेजी लाने की सलाह दी गई।
4	फरक्का एसटीपीएस-III यू-6/एनटीपीसी	बीएचईएल	30.10.06	500	कोयला	फर-11	फर-11	1 जीटीका आपूर्ति (परिवहनाधीन) सीडब्लू डक्ट कार्य की धीमी कार्य प्रगति आरएचएस बंकरो की तैयारी आईडी तथा एफडी पंखों का दूसरा सेट, मिल्स की तैयारी-ए तैयार है बी,सी,डी और ई मिल्स 5-10 दिनों के अंतर पर तैयार की जाएंगी । 3 फीडर कार्य स्तर और 2ए पर उपलब्ध है।	बीएचईएल को यूनिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए बीओपी और मुख्य संयंत्र तैयार करने की सलाह दी गई।
5	दुर्गापुर स्टील टीपीएस यू-2/ डीवीसी	बीएचईएल	27.07.07	500	कोयला	फर-11	सित-11	ऐश पॉंड के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी। बीएचईएल की आपूर्ति अर्थात छूट गई/शेष बॉयलर सामग्री भेजी	बीएचईएल को आपूर्तियों, शेष बॉयलर सामग्री तथा टीजी इरेक्शन स्टार्ट में तेजी से सलाह दी गई। को कच्चे पानी की प्रणाली तथा पीटी प्लान तैयार रखने की सलाह दी गई है।
	झारखंड								
1	कोडरमा टीपीपी यू-1/ डीवीसी एनडीसीटी इनिशियल -02/11 एएचपी इनिशियल पेस पैक्डअप बीएचईएल (आईएसजी)- 27.12.10	बीएचईएल	29.06.07	500	कोयला	सितंबर-10	मार्च-11	ऐश पॉंड तथा डाइक (केवल आशिंक प्राप्ति-शीघ्र अपेक्षित) के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी। मेसर्स पीसीटी/बीएचईएल द्वारा एनडीसीटी की धीमी प्रगति। ऐश हैंडलिंग सिस्टम (बीएचईएल-आईएसजी)। कच्चे पानी का पीएच और	डीवीसी को भूमि अधिग्रहण के लिए मामले पर राज्य सरकार से बातचीत और जल प्रणाली कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी गई, बीएचईएल को एनडीसीटी तथा ऐश हैंडलिंग सिस्टम कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								पीटी संयंत्र, मेसर्स केबीएल द्वारा इनटेक वाटर सिस्टम। निष्कासन की तैयारी	
2	मैथन आरबी टीपीपी यू-1/डीवीसी जवी टाटा	बीएचईएल	25.10.07	525	कोयला		मार्च-11	स्टेकल रिक्लेमर के माध्यम से कोयला फीडींग द्वारा सीएचपी में देरी। चिमनी की तैयारी (रिफरेक्टरी ईंट कार्य हड़ताल के कारण कार्य स्थल का दौरा नहीं किया जा सका। बीएचईएल द्वारा जनवरी 11 में इडीटीए की योजना बनाई बनाई जा रही है।	बीओपी वेंडरों को सीएचपी कार्य समय पर पूरा करने की सलाह दी गई।
	तमिलनाडु								
1	नेवेली टीपीएस-II एक्पैं यू-1/एनएलसी	बीएचईएल	19.08.05	250	लिग्नाइट	नवंबर-10	अप्रैल-11	रिफरेक्टरी कार्य में देरी हुई	बीएचईएल को रेफरेक्टरी कार्यों के लिए कार्य बल बढ़ाने की सलाह दी गई।
	गुजरात								
1	हजारी सीसीपीपी एक्टें जीटी+ एसटी/जीएसईसीएल	बीएचईएल	01.01.08	351	गैस	दिसं-10	अप्रैल-11	मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों में देरी। जीटीजी एवं एसटी की आपूर्ति कुशल मानव शक्ति एवं मशीनरी की अपर्याप्तता। ईआरए द्वारा श्रमिक बल बढ़ाया गया एवं सिविल कार्यों में सुधार हुआ।	बीएचईएल तथा मेसर्स इरा को कुशल और श्रम शक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई।
2	पीपावाव सीसीपीपी ब्लॉक-1/ जीएसपी पीपावाव कं लि.	बीएचईएल	03.03.08	351	गैस	-	जुलाई-11	मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों में देरी (ड्राईंग को अंतिम रूप दिया जाना है) जीटी की	बीएचईएल को जीटी आपूर्ति में शीघ्रता करने और सिविल कार्यों से संबंधित

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								आपूर्ति। नहर के माध्यम से समुद्र से पानी (स्थानीय ग्रामीण हस्तक्षेप) बीएचईएल को कच्चे पानी का इंटेक सिस्टम 11/10 तक और 10/10 तक गैस आपूर्ति लाइन उपलब्ध	मानव शक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई।
	कर्नाटक								
1.	उडुपी टीपीपी यू-2/ एनपीसीएल	चाइनीज	24.12.06	507.5	कोयला	नवंबर-10	जन-11	केपीटीसीएल द्वारा 400 केवी पारेषण लाइन की तैयारी में देरी। संशोधित क्षमता 600 मेगावाट	केपीसीएल को चालू होने से पहले लाइन तैयार करने की सलाह दी गई।
	आंध्र प्रदेश								
1.	सिम्हाद्री एसटीपीपी एक्टें यू-3/ एनटीपीसी	बीएचईएल	26.03.07	500	कोयला	जन-11	मार्च 11	•पाइप की आपूर्ति/ केबल टेस्ट तैयारी। परियोजना द्वारा सिविल इनपुट्स उपलब्ध कराई जानी है नियंत्रण कक्ष भवन < एसबीओः आरंभ- 23.12.10, जनवरी 11 में पूर्ण टीजी ऑयल फलशिंग 27.12.10 को आरंभ	एनटीपीसी को शेष सिविल कार्य पूरा की सलाह दी गई।

विवरण III

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित मुद्दो की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ संस्थापित क्षमता (मेगावाट)/कार्यान्वयन एजेंसी	क्षेत्र	चालू होने का नवीनतम कार्यक्रम	टिप्पणी/मुद्दे
1	2	3	4	5
	जम्मू व कश्मीर			
1	उरी-II 4x60 = 240 मेगावाट एनएचपीसी	केंद्रीय	2011-12	- 08.10.2005. को भूकंप - मार्च 2007, मई 2010 तथा सितंबर 2011 में में अचानक बाढ़

1	2	3	4	5
				- कॉफर बाँधों का बह जाना - जनवरी 08 में बाँध के दाहिनी ओर भारी भूस्खलन - सीमा सड़क संगठन द्वारा एनएच-।ए को चौड़ा करना - नवम्बर 2008 में झेलम नदी पर निर्माण किए जा रहे पुल का गिर जाना - खराब भूगर्भीय स्थिति के कारण नीचले हिस्सों में धीमा सिविल कार्य - ठेकेदार एचसीसी के पास धन की कमी.
2	चुटक 4X11 = 44 मेगावॉट एनएचपीसी	केंद्रीय	2011-12	- अत्यधिक ठंडा मौसम तथा अधिक उंचाई - खराब प्रतिभागिता और पुनः निविदाकरण के कारण इ एंड एम कार्यों को सौपने में देरी - असामान्य रूप से उंची बोली के कारण एच एम कार्यों को सौंपने में देरी - बीएचईएल द्वारा ई एंड एम की आपूर्ति तथा निर्माण कार्मिकों की तैनाती - अपर्याप्त भार
3	नीमू बाजगो 3X15 = 45 मेगावाट एनएचपीसी	केंद्रीय	2012-13	- अत्यधिक ठंडा मौसम - खराब प्रतिभागिता और पुनः निविदाकरण के कारण इ एंड एम कार्यों को सौपने में देरी - असामान्य रूप से उंची बोली के कारण एच एम कार्यों को सौंपने में देरी - अपर्याप्त भार
4.	किशनगंगा 3X110 = 330 मेगावॉट एनएचपीसी	केंद्रीय	2015-16	- मार्च 2011 में वर्षा. - 15-6-11 को एचआरटी-टीवीएम खंड में गढ्ढा हो गया। पहुंच सुरंग की खराब भौगोलिक स्थिति के कारण प्रगति प्रभावित हुई।
5.	बगलिहार-II 3X150 = 450 मेगावाट जेकेपीडीसी	राज्य	2014-15	- संविदा की लागत को अंतिम रूप देना
	हिमाचल प्रदेश			
6.	पार्वती-II 4× 200 = 800 मेगावाट एनएचपीसी	केंद्रीय	2014-15	- एचआरटी की खुदाई में, विशेष कर टीवीएम द्वारा खोदे जा रहे फेस में खराब भौगोलिक स्तर के कारण धीमी प्रगति - एचआरटी में लॉक बस्टींग की क्रिया - माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलन द्वारा एग्रीगेट के प्रयोग पर पाबंदी - संविदात्मक मुद्दे - 16 अगस्त 11 को अचानक बाढ़

1	2	3	4	5
7.	चमेरा 3X77= 231 मेगावाट एनएचपीसी	केंद्रीय	2011-12	- जून 2006 में 3-4 महीनों तक श्रमिक आंदोलन कार्य बंद होना - जुलाई 2007 में कॉफर बांध का बह जाना - एचसीसी द्वारा मानव शक्ति में कमी - विद्युत निकासी व्यवस्था - एलईजी में गड्ढा - डाइवर्जन सुरंग के इनलेट पर सक्शन निर्माण
8.	पार्वती-III 4X130 = 520 मेगावॉट एनटीपीसी	केंद्रीय	2012-13	- सैंज बाइपस मार्ग का निर्माण - एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति - चीनी कंपनियों की भागीदारी संबंधी निर्णय के कारण ई एंड एम कार्यों को सौंपने में देरी - 01.07.2011 से स्थानीय लोगों द्वारा कार्य रोकना - संविदात्मक मुद्दे - 16.8. 2011 को अचानक बाढ़
9.	कोलडैम 4X200 = 800 मेगावाट एनटीपीसी	केंद्रीय	2012-14	- मुख्य बांध की क्ले/अर्थ सिलिंग - डैम गैलरीज की ग्राउटिंग - स्पीलवे की कंक्रीटिंग - संविदात्मक मुद्दे
10.	रामपुर 6X68.67= 412 मेगावाट एसजेवीएनएल	केंद्रीय	2013-14	- खराब भौगोलिक स्थिति के कारण एचआरटी की धीमी प्रगति - फरवरी 2010 में ढाल विफल रहने के कारण बिजली घर का कार्य कठिन होना।
11.	उहल-III 3X33.3 = 100 मेगावाट ब्यास वैली पावर कॉर्पो लि. (एचपीएसबी)	राज्य	2012-13	- भंडारण जलाशय के ठेकेदार के पासःअपर्याप्त मानव शक्ति - एचआरटी कार्यों के लिए अवार्ड पैकेज का दो बार निरस्तीकरण और नया अवार्ड
12.	स्वर कुड्डु 3X37= 111 मेगावाट एचपी पावर कॉर्पो लि.	राज्य	2013-14	- खराब भौगोलिक स्थिति के कारण एचआरटी की धीमी प्रगति
13	बुधील 2X35=70 मेगावॉट लैंको ग्रीन पावर प्रा.लि.	निजी	2011-12	- विद्युत से खुदाई की व्यवस्था।

1	2	3	4	5
	उत्तराखण्ड			
14	कोटेश्वर 4X100= 400 मेगावाट टीएचडीसी	केंद्रीय	2011-12	- 20/21 सितम्बर 2010 को अचानक बाढ़ आना। - 17.1.2010 को डायवर्जन सुरंग में जमीन धसना
15	लोहरीनागपालां 4× 150= 600 मेगावाट एन टी पी सी	केंद्रीय	सस्पेंड	- हेल्गु अदीत में पहुंच मार्ग के लिए वन स्वीकृति - गुगागु अदीत को जाने वाले पहुंच मार्ग में स्खलन क्षेत्र के कारण धीमी प्रगति - सरकारी आदेश के अनुसार 20.2.2009 से कार्य से निलंबित तक
16	तपोवन विष्णुगाड 4X130 = 520 मेगावाट एनटीपीसी	केंद्रीय	2013-14	- टीवीएम की देरी से तैनाति के कारण एचआरटी में देरी (लगभग 20 महीने) - बैराज डी शील्टिंग चैंबर तथा शर्ज शाफ्ट की धीमी प्रगति - 25.12.2009 से एचआरटी में भारी पानी भर जाना और टीवीएम की खुदाई का काम रूक जाना। - बैराज तथा डी शिल्टिंग चैंबर का ठेका समाप्त करना और पुनःनिविदाकरण कार्य प्रगति पर है।
17	श्रीनगर 4×82.5=330 जीवीके इंडस्ट्रीज लि.	निजी	2012-13	- बांध की कंक्रिटिंग - डीशिल्टिंग चैंबर - स्थानीय मुद्दे - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने 30. 5.2011 से कार्य रोकने का नोटिस जारी किया है।
	मध्य प्रदेश			
18	महेश्वर, 10X40= 400 मेगावाट एसएमएचपीसीएल	निजी	2012-13	- धन की समस्या - पुर्नर्वास एवं पुनस्र्थापन संबंधी मुद्दे.
	आंध्र प्रदेश			
19	नागार्जुन सागर टीआर 2X25=50 मेगावाट एपीजेनको	राज्य	2012-13	- बांध के निर्माण तथा संबद्ध एचएम कार्यों की धीमी प्रगति - एचएम कार्यों के अवार्ड में देरी - 01.10.2009 को अप्रत्याशित बाढ़ - 05.09.2011 को अप्रत्याशित बाढ़

1	2	3	4	5
20	लोअर जुराला 6X40= 240 मेगावाट एपीजेनको	राज्य	2012-14	- ईएंडएम कार्यों के अवार्ड में देरी - सिविल कार्यों की धीमी प्रगति - अक्टूबर 2009. में बाढ़
21	पुलीचींताला 4X30 = 120 मेगावॉट एपीजेनको	राज्य	2012-13	- बांध की धमी प्रगति - ईएंडएम कार्यों में गति लानी है - 02.10.2009. को अप्रत्याशित बाढ़ - 05.09.2011. को अप्रत्याशित बाढ़
	केरल			
22	पल्लीवसल 2X30 = 60 मेगावॉट केएसईबी	राज्य	2013-14	- ठेकेदार द्वारा मशीनरी के खराब रखरखाव के कारण कार्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। - पेन स्टॉक के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या - सिविल कार्यों की धीमी प्रगति - एचआरटी के लिए अडीट के अलाइनमेंट में परिर्वतन - एचआरटी में खराब भौगोलिक स्थिति
23	थोट्टीयार 1×30 + 1×10= 40 मेगावाट केएसईबी	राज्य	2013-14	- स्थानीय लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण मुद्दों के कारण पहुंच चैनल का कार्य रोक दिया गया है।
	तमिलनाडु			
24	भवानी कट्टालाई बैराज -II 2×15= 30 मेगावाट तेनजेनको	राज्य	2011-12	- जलाशय की भराई के मुद्दे का हाल निकल गया है।
	पश्चिम बंगाल			
25	तीस्ता लो डैमIII 4×33 = 132 मेगावाट एनएचपीसी	केंद्रीय	2012-13	- वन स्वीकृति में देरी - बिजली घर तथा इनटेक क्षेत्र में ढाल की विफलता - जीजेएम आंदोलन के कारण कार्य में बार-बार रूकावट - वर्ष 2007 एवं मई 2009 में अचानक बाढ़ - मॉनसून (जूलाई अगस्त 2010) के दौरान कॉफर बांध का टूटना और बैराज बे 1 व 2 का टूटना और बह जाना
26	तीस्ता लो डैम-Iv 4×40 = 160 मेगावाट एनएचपीसी	केंन्द्रीय	2013-14	- वन स्वीकृति में देरी - जीजेएम आंदोलन के कारण कार्य में बार-बार रुकावट

1	2	3	4	5
				- वर्ष 2007 एवं मई 2009 और जुलाई/अगस्त 2010 में अचानक बाढ़ - स्थानीय मुद्दों के कारण 10.5.2010 से 19.7.2010 तक कार्य रूका रहा।
	अरूणाचल प्रदेश			
27	सुबंसिरी लोअर 8×250 = 2000 मेगावाट एनएचपीसी	केंद्रीय	2013-15	- असम राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना - वर्ष 2008 में कॉफर बांध का बह जाना - जनवरी 2008 में बिजली घर के ढलाव की विफलता - सर्ज शाफ्ट से सर्ज टनल की डिजाइन में परिवर्तन - कानून व्यवस्था की समस्या - रंगनदी नदी पर पुल का क्षतिग्रस्त होना - कटऑफ वॉल संबंधी मुद्दे - नीचले हिस्सों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन संबंधी मुद्दे और बांध विरोधी गतिविधियों द्वारा कार्य को रोकना
28	कामेंग 4×150 =600 मेगावाट नीपको	केंद्रीय	2016-17	- बांध की लबाई 247.3 मीटर से बढ़ाकर 264.15 मीटर की गई। - परामर्शी एसएमईसी द्वारा निर्माण ड्राइंग में देरी - विभिन्न कारणों यथा खराब भौगोलिक स्थिति, भारी रिसाव, कार्य स्थल पर अपर्याप्त मशीनरी आदि के कारण बांध तथा एचआरटी की धीमी प्रगति - अक्टूबर 2008 में अचानक आई बाढ़ के कारण कार्य प्रभावित हुआ। - संविदात्मक मुद्दे
	सिक्किम			
29	चुजाचेन 2 × 49.5 = 99 मेगावाट गति इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	निजी	2012-13	- 16.04.2009 को अचानक आई बाढ़ में रंगपो कॉफर बांध का बह जाना - एचआरटी लाइनिंग कार्यों की धीमी प्रगति - सिक्किम में भारी भूकंप
30	तीस्ता-III 6×200= 1200 मेगावाट तीस्ता ऊर्जा लि. (टीयूएल)	निजी	2012-13	- प्रेशर शाफ्ट की खराब भौगोलिक स्थिति - सिक्किम में भारी भूकंप - श्रमिकों का भाग जाना

1	2	3	4	5
	मेघालय			
31	मिंटडू 2×42+1×42 = 126 मेगावाट एमईएसईबी	राज्य	2011-12 (ईकाई-1 23.11.11 को चालू हुआ)	- 20.5.2010 को अचानक आई बाढ़ के कारण चालू होने में देरी - चालू से पहले के परीक्षणों में देरी - स्टेटर बार को ठीक करना
32	नई उमतरू 2×20=40 मेगावाट एमईएसईबी	2013-14		- सिविल कार्यों की धीमी प्रगति
	मिजोरम			
33	तुरियल 2×30= 60 मेगावाट नीपको	केंद्रीय	2014-15	पूर्व में जून 2004 से स्थानीय असंतोष के कारण कार्य निलंबित।

[हिन्दी]

नर्सिंग शिक्षा

2654. योगी आदित्यनाथः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ. संजीव गणेश नाईकः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में नर्सिंग शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने तथा इसे सरल बनाने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त उपाय से देश के नर्सिंग शिक्षा पर पड़े प्रभाव का पता लगाने हेतु कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में नर्सो के कल्याण हेतु कोई नई योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) नर्सिंग शिक्षा मानकों का स्तर बढ़ाने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा किए सक्रिय उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए सभी राज्य सरकारों से दिनांक 7.7.2010 के पत्र के तहत अनुरोध किया गया है। कि वे प्राइवेट क्षेत्र के अस्पतालों में कार्यरत नर्सो की सेवा स्थितियों में सुधार लाने के लिए व्यापक विधान अधिनियमित करें।

विवरण

भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा किए गए सक्रिय उपाय निम्नलिखित हैं

1. छात्र रोगी के अनुपात को 1:5 से घटाकर 1:3 कर दिया गया है।
2. नर्सिंग स्कूल/कालेज और छात्रावास के लिए भूमि की 5 एकड़ की आवश्यकता घटाकर 54000 वर्ग फिट का भवन निर्मित करने की छूट दी गई है।
3. बीएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए शिक्षण हेतु मापदण्डों में छूट दी गई है।
   * कम से कम दो एमएससी (नर्सिंग) संकाय उपलब्ध हों।

- * नर्सिंग शिक्षकों की अर्हता और अनुभव को वर्ष 2012 तक छूट दी गई है।
- * डिप्लोमा एवं स्नातक दोनों कार्यक्रमों के लिए एक ही शिक्षण संकाय का होना।

4. एमएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए छूट। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बिना स्नातक कार्यक्रम के ही एमएससी (नर्सिंग) शुरू कर सकता है।

- * एमएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए शिक्षक एवं छात्र के अनुपात को 1:5 से बदलकर 1:10 कर दिया गया है।
- * पहले से ही भारतीय उपचर्या परिषद से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री जैसे कार्यक्रमों को चलाने के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं है।
- * यदि संस्थान को किसी एक कार्यक्रम कि लिए भारतीय उपचर्मा परिषद की मान्यता प्राप्त है तो दूसरा नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है।

5. विवाहित व्यक्तियों के लिए भी नर्सिंग में नामांकन की छूट दी गई है।
6. शिक्षण संकाय के लिए आयु बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है।
7. मेडिकल कालेज पर जोर दिए बगैर 300 बिस्तर वाले मूल अस्पतालों को अधिकतम 100 सीटें दी जाएंगी।
8. स्कूल से अस्पताल की दूरी संबंधी मानदंड को 15 किमी. से बदलकर 30 किमी. कर दिया गया है।
9. स्कूल/कालेज का अपना भवन 2010 तक होना चाहिए (तब तक किराए वाले भवन की अनुमति दी गई)।

[अनुवाद]

सबला योजना

2655. श्री पिनाकी मिश्राः
श्री मानिक टैगोरः
श्री पी.सी. गद्दीगौदरः
श्री के.पी. धनपालनः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के सभी जिलों में किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना सबला को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) देश में किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना-सबला के अंतर्गत राज्य-वार कितनी किशोरियों को शामिल किया गया/किए जाने की संभावना है;

(घ) इसके क्रियान्वयन से राज्य-वार कितनी बालिकाओं को लाभ हुआ है;

(ङ) क्या उक्त योजना के उचित क्रियान्वयन की निगरानी हेतु कोई तंत्र मौजूद है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ)ः (क) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला का क्रियान्वयन 2010-11 से देशभर के 200 जिलों में प्रायोगिक आधार पर किया जा रहा है।

(ख) इस स्कीम का क्रियान्वयन प्रायोगिक आधार पर देशभर के 200 जिलों में राज्य सरकारों के माध्यम से समेकित बाल विकास सेवा स्कीम मंच का उपयोग करते हुए किया जा रहा है। स्कीम के दो मुख्य घटक हैं, अर्थात i पोषण और ii गैर-पोषण। पोषण घटक के अंतर्गत किशोरियों को घर ले जाने वाला राशन या पकाया हुआ गर्म भोजन, जैसा भी व्यवहार्य हो दिया जाता है। जबकि गैर-पोषण घटक के अंतर्गत किशोरियों को पोषण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच, आई.एफ.ए. गोलियों की आपूर्ति, स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को स्कूल पद्धति की मुख्यधारा से जोड़ना, जीवन कौशल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्कीम को जारी रखने और अन्य जिलों तक इसका विस्तार करने संबंधी निर्णय प्रायोगिक चरण के मूल्यांकन के बाद लिए जाएंगे।

(ग) सबला स्कीम के अंतर्गत वार्षिक लगभग एक करोड़ किशोरियों के शामिल होने की संभावना है। इसमें शामिल होने के लिए संभावित बालिकाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) वर्ष 2011-12 स्कीम के क्रियान्वयन का पहला पूर्ण वर्ष है। स्कीम के अंतर्गत 2010-11 और 2011-12 में लाभान्वित हुई बालिकाओं

की संख्या (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित) संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत स्थापित मानीटरन पर्यवेक्षण तंत्र का उपयोग इस स्कीम के लिए किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मंत्रालय को भेजी गई प्रगति रिपोर्टों तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर इस स्कीम का मानीटरन राष्ट्रीय स्तर पर नियमित अंतराल में किया जाता है। स्कीम का कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर मानीटरन और पर्यवेक्षण समितियां गठित की गई हैं।

विवरण I

सबला के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संभावित लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति वर्ष शामिल किए जाने वाले संभावित लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	809973
2.	अरूणाचल प्रदेश	7030
3.	असम	385276
4.	बिहार	1305200
5.	छत्तीसगढ़	356750
6.	गोवा	25337
7.	गुजरात	565654
8.	हरियाणा	166278
9.	हिमाचल प्रदेश	90016
10.	जम्मू व कश्मीर	98676
11.	झारखण्ड	357177
12.	कर्नाटक	424454
13.	केरल	300016
14.	मध्य प्रदेश	1007594
15.	महाराष्ट्र	950379
16.	मणिपुर	33644
17.	मेघालय	47105
18.	मिजोरम	14782
19	नागालैंड	19804
20.	ओडिशा	571114
21.	पंजाब	205921
22.	राजस्थान	802487
23.	सिक्किम	9116
24.	तमिलनाडु	396589
25.	त्रिपुरा	107161
26.	उत्तर प्रदेश	1982432
27	उत्तराखंड	118663
28.	पश्चिम बंगाल	688036
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	8830
30.	चंडीगढ़	11488
31.	दमन और दीव	3371
32.	दादरा और नगर हवेली	5650
33.	दिल्ली	117164
34.	लक्षद्वीप	1876
35.	पुदुचेरी	4566
	कुल	11999609

विवरण II

संबला के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले संभावित लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित)	
		2010-11	2011-12
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
2.	अरूणाचल प्रदेश	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
3.	असम	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
4.	बिहार	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
5.	छत्तीसगढ़	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
6.	गोवा	सूचना नहीं दी गई	22942
7.	गुजरात	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
8.	हरियाणा	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
9.	हिमाचल प्रदेश	90016	90016
10.	जम्मू व कश्मीर	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
11.	झारखण्ड	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
12.	कर्नाटक	54234	440929
13.	केरल	249730	171948
14.	मध्य प्रदेश	800000	765000
15.	महाराष्ट्र	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
16.	मणिपुर	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
17.	मेघालय	47105	सूचना नहीं दी गई
18.	मिजोरम	14782	सूचना नहीं दी गई
19.	नागालैंड	19804	28397
20.	ओडिशा	सूचना नहीं दी गई	सूचना नही दी गई
21.	पंजाब	144232	सूचना नहीं दी गई
22.	राजस्थान	सूचना नहीं दी गई	536705
23.	सिक्किम	सूचना नहीं दी गई	9116

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	368694	सूचना नहीं दी गई
25.	त्रिपुरा	सूचना नहीं दी गई	0
26.	उत्तर प्रदेश	1934000	1934000
27.	उत्तराखंड	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
28.	पश्चिम बंगाल	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	7263	9855
30.	चंडीगढ़	6229	सूचना नहीं दी गई
31.	दमन और दीव	2410	1222
32.	दादरा व नगर हवेली	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
33.	दिल्ली	सूचना नहीं दी गई	192665
34.	लक्षद्वीप	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
35.	पुदुचेरी	0	सूचना नहीं दी गई
	कुल	3738499	4202795

आईसीडीएस स्कीम के मार्गनिर्देश

2656. श्री विश्व मोहन कुमारः
श्री उदय सिंहः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ राज्य समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम के मार्गनिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या आईसीडीएस अनुपूरक पोषण कार्यक्रम के लिए अधिक मूल्य पर खरीदे जा रहे अनाज के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ)ः (क) से (ङ) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के स्कीमगत मानदंडों के अंतर्गत भारत सरकार कार्यक्रम की आयोजना बनाने के लिए जिम्मेदार है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं। साधारणतः राज्य भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हैं। कुछ मुद्दे जिनके संबंध में दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया, वे इस प्रकार हैंः आंगवाड़ी केंद्र और जनसंख्या मानदंडों को कार्यरत करना, विभिन्न स्तरों पर रिक्तियां, प्रसव के तरीकों से संबंधित मुद्दे और लागत मानदंडों का अनुपालन न किया जाना, पोषण संबंधी मानदंड और 300 दिन तक पूरक पोषण कार्यक्रम प्रदान न किया जाना आदि। इसके अलावा, बहुत से राज्य स्कूल-पूर्व शिक्षा किटों; तथा कार्यक्रम के अन्य घटकों हेतु मानक आधारित निधियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए इस दिशा में उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है।

इसके अलावा, गेहूँ आधारित पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न (गेहूँ चावल, मोटे अनाज) प्रदान करने की भी सुविधा है। इसके अंतर्गत आईसीडीएस स्कीम में पूरक पोषण के

विभिन्न नुस्खों में उपयोग करने हेतु और खाद्यान्नों के मुद्रास्फीति/बाजार मूल्य को नियंत्रित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा के नीचे की दरों पर खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान 27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वे हैं: अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली, असम, बिहार, चण्डीगढ़ प्रशासन, लक्षद्वीप, दमन और दीव संघ राज्य प्रशासन और पुडुचेरी।

आईसीडीएम स्कीम के क्रियान्वयन का मानीटरन निर्धारित मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षाओं तथा पर्यवेक्षण दौरों आदि के माध्यम से किया जाता है। गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु खाद्य और पोषण बोर्ड के क्षेत्रीय यूनिट द्वारा खाद्य सैम्पल का भी संग्रहण किया जाता है। प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को पत्र और समीक्षा बैठकों के माध्यम से कमियों को दूर करने और स्कीम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु कार्य करने के लिए कहा जाता है।

इसके अलावा, आईसीडीएस स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार लाने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तरों पर पांच स्तरीय मानीटरन और समीक्षा तंत्र की हाल ही में स्थापना की है और दिनांक 31.03.2011 को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पैरामेडिकल विज्ञान संस्थान

2657. श्री ए. सम्पतः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय पैरामेडिकल विज्ञान संस्थान (एनआईपीएस) तथा क्षेत्रीय पैरामेडिकल विज्ञान संस्थान (आरआईपीएस) स्थापित करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार किन-किन स्थानों को चुना गया है;

(ग) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान स्थापित पैरामेडिकल विज्ञान संस्थानों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश भर में ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं उपचर्या विज्ञान संस्थान, आइजोल (मिजोरम) को नौवें पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान के रूप में विकसित करने के अतिरिक्त नजफगढ़, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान और भुवनेश्वर (ओडिशा), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), कोयम्बटूर (तमिलनाडू), चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), पटना (बिहार) और औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में 8 क्षेत्रीय पराचिकित्साविज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इस प्रयोजन के लिए 804.43 करोड़ रुपए का कुल व्यय 85:15 के अनुपात में केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन संस्थानों के मुख्य कार्य पैडागोजिकल नवीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुदेश किटों का निर्माण करना, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाना और पराचिकित्सा संस्थानों का मानकीकरण आदि हैं। राष्ट्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान केवल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित करेगा जबकि क्षेत्रीय पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान कुल मिलाकर 26 स्नातक पाठ्यक्रम और 7 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित करेंगे। वार्षिक आधार पर कुल 10,760 पराचिकित्सा व्यवसायियों के प्रशिक्षित होने की आशा है।

(ग) और (घ) यह एक नई पहल है और नौवें पराचिकित्सा विज्ञान संस्थान के रूप में रिपन्स को विकसित करने के अतिरिक्त केवल 8 क्षेत्रीय और 1 राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसका ब्यौरा ऊपर दिया गया है।

राजकोषीय घाटा

2658. श्री के. सुधाकरणः
श्री प्रबोध पांडाः
श्रीमती ज्योति धुर्वेः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भारी राजकोषीय घाटे का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्यारहवीं योजना की शेषावधि में भारी राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) वर्ष 2011-12 के लिए राजकोषीय घाटा 412817 करोड़ रुपए अनुमानित था जो 2011-12 के बजट में संघ जकोषीय घाटा 307009 करोड़ रुपए है जो बजट अनुमान 2011-12 का 74.4 प्रतिशत है। 2011-12 के पहले सात महीनों के दौरान बजट अनुमान के प्रतिशत के तौर पर राजकोषीय घाटा उच्च स्तर पर है जब इसकी तुलना 5 वर्ष के 60.9 प्रतिशत के चल औसत से की जाती है।

(ख) पहले सात महीनों के दौरान राजकोषीय घाटे में वृद्धि मौजूदा वर्ष में प्रत्यक्ष कर वापसी की फ्रंड लोडिंग और की वजह से है।

(ग) वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी है कि वे बजट अनुमान 2011-12 की व्यय की उच्चतम सीमा का सख्ती से पालन करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वर्ष के दौरान वे अतिरिक्त व्यय की आवश्यकताओं, यदि कोई हो, की पूर्ति समग्र व्यय परिव्ययों से हुई बचतों के माध्यम से पूरा करें। संबद्ध विभागों को 2011-12 के लिए राजस्व/संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित प्रयास करने हेतु अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

बिल्डरों पर छापे

2659. श्रीमती रमा देवीः
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल ही में बिल्डरों के कार्यालयों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे क्षेत्रवार कितने मूल्य की संपत्ति और नकदी जब्त की गई है;

(घ) सरकार द्वारा भवन निर्माण के क्षेत्र में लगे कालेधन का पता लगाने के लिए अन्य और क्या अभियान चलाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार को इसमें अब तक क्या सफलता हासिल हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) आयकर विभाग लेखा-ब्राह्य अथवा अप्रकट आय का पता लगाने कि लिए रियल एस्टेट गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों सहित विभिन्न व्यक्तियों पर विश्वसनीय सूचना के आधार पर तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाईयां संचालित करता है।

(ख) आयकर विभाग ऐसी कार्रवाईयों का क्षेत्र-वार अथवा प्रान्त-वार विवरण नहीं रखता है क्योंकि तलाशी लिए गए समूह विभिन्न व्यापार क्षेत्रों तथा प्रान्तों में फैले हुए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (अक्टूबर 2011 तक) में जब्त की गई परिसम्पतियों (नकदी सहित) का मूल्य निम्नवत हैः

वित्त वर्ष	जब्त परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रू. में)
2008-09	550.23
2009-10	963.50
2010-11	774.98
2011-12 (अक्टूबर 2011 तक अनंतिम आंकड़े)	299.63

(घ) रियल एस्टेट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में काले धन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग निरन्तर कार्रवाई करता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुसार आयकर विवरणियों की जांच, तलाशी, जब्ती एवं सर्वेक्षण आदि शामिल हैं। अपवंचन-रोधी कार्रवाईयों करने के लए सूचना के संग्रहण एवं मिलान हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग सुनियोजित तरीके से किया जाता है।

(ङ) पिछले दस वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण छः गुना से अधिक बढ़ा है और सकल घरेलू उत्पाद से इसका अनुपात दोगुना हो गया है।

पैथालॉजी प्रयोगशालाएं

2660. श्री कपिल मुनि करवारियाः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को सरकारी अस्पतालों में कार्यरत पैथालॉजी प्रयोगशालाओं के ठीक से काम न करने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में पैथालॉजी प्रयोगशालाओं के कार्यकरण हेतु मानक/मार्गनिर्देश निधारित किए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पैथालॉजी प्रयोगशालाओं के असंतोषजनक कार्यकरण की जांच करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है। जहां तक दिल्ली स्थित तीन केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों नामतः सफदरजंग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा किया जाता है। एनएबीएल द्वारा किया जाने वाला प्रत्यायन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है।

इसके अतिरिक्त नैदानिक प्रयोगशालाओं सहित नैदानिक प्रतिष्ठानों के लिए न्यूनतम मानक विकसित करने के उद्देश्य से भारत के राजपत्र में नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 प्रकाशित किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार किए जाते ही इस कानून के अधीन प्रयोगशालाओं सहित सभी प्रकार के नैदानिक प्रतिष्ठानों द्वारा न्यूनतम मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित हो जाएगा।

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

2661. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलियाः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में खाद्य-वस्तुओं के अपमिश्रण की जांच करने हेतु राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी खाद्य-परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में कोई विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जनस्वास्थ्य/खाद्य जांच प्रयोगशालाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की जांच आवश्यकताओं के आधार पर खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण एक सतत प्रकिया है।

विवरण

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रयोगशालाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	झारखण्ड	1
5.	गुजरात	6
6.	गोवा	1
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	4
11.	केरल	3
12.	मध्य प्रदेश	3
13.	छत्तीसगढ़	1
14.	महाराष्ट्र	11
15.	मेघालय	1
16.	नागालैण्ड	1
17.	ओडिशा	1
18.	पंजाब	3
19.	राजस्थान	8
20.	तमिलनाडु	7
21.	त्रिपुरा	1
22.	उत्तर प्रदेश	3
23.	पश्चिम बंगाल	5
24.	दिल्ली	1
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1
26.	पुदुचेरी	1
	कुल	72

इन 72 राज्य प्रयोगशालाओं के अलावा निम्नलिखित केन्द्रीय प्रयोगशालाएं हैः

1. खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद विस्तार प्रयोगशाला, सोनाली, उत्तर प्रदेश के साथ।

2 केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता विस्तार प्रयोगशाला, रक्सौल, बिहार के साथ।

3 केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर, कर्नाटक।

4 केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा राज्य, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्टैबली रोड, पुणे-411001।

5 केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मुम्बई।

हिस्सेदारी बेचने में आयकर-वंचन

2662. श्री रघुवीर सिंह मीणाः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मै. टाटा स्टील ने मै. आस्ट्रेलिया-रिवरसाइड माइनिंग में अपनी हिस्सेदारी मै. रियो टिण्टो कंपनी को बेच दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कर-देयता का ब्यौरा क्या है और इससे भारत सरकार को अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ग) देय कर की पूरी वसूली कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी नहीं, मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड ने आस्ट्रेलिया-रिवरसाइड माइनिंग में अपनी कोई हिस्सेदारी रियो टिण्टो को नहीं बेची है।

(ख) और (ग) भाग (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

पर्यटन वाले राज्य

2663. श्री महाबल मिश्राः क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार द्वारा किन-किन राज्यों को पर्यटन की दृष्टि से विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों को वर्ष-वार कितनी धनराशि मंजूर तथा जारी की गई और उन्होंने इसका कितना उपयोग किया;

(ग) क्या उत्तराखण्ड को पर्यटन की दृष्टि से विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय में उत्तराखंड सहित किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को विशेष पयटन राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया है।

पर्यटन अवसंरचना के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके साथ विचार-विमर्श के आधार पर प्राथमिकता प्रदान की गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता एवं योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (सितंबर तक) के दौरान उत्तराखण्ड सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं और राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में 30 सितम्बर, 2011 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या तथा राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 तक (30.09.2011 तक)		कुल योग	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि.	सं.	राशि.	सं.	राशि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	8	109.89	13	37.29	10	20.38	8	40.67	39	208.23
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	31.47	14	36.54	13	32.26	6	13.62	46	113.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	4	21.08	7	22.76	4	23.55	3	4.23	18	71.62
5.	बिहार	10	25.05	3	6.99	1	3.60	0	0.00	14	35.64
6.	चंडीगढ़	5	7.99	5	11.51	5	11.04	0	0.00	15	30.54
7.	छत्तीसगढ़	1	11.34	0	0	4	20.95	0	0.00	5	32.29
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.24
9.	दमन और दीव	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.12
10.	दिल्ली	1	0.15	9	44.91	5	9.75	2	0.77	17	55.58
11.	गोवा	2	43.14	2	17.00	3	12.78	1	4.98	8	77.90
12.	गुजरात	7	21.33	1	7.33	1	0.14	2	51.75	11	80.55
13.	हरियाणा	7	36.70	6	12.37	6	27.41	1	0.10	20	76.58
14.	हिमाचल प्रदेश	10	34.58	6	23.95	12	34.98	2	0.22	30	93.73
15.	जम्मू व कश्मीर	28	43.42	31	49.75	20	56.17	17	115.88	96	265.22
16.	झारखंड	0	0.00	3	0.25	5	7.56	1	23.71	9	31.52
17.	केरल	12	42.68	7	12.98	3	42.87	3	8.44	25	106.97
18.	कर्नाटक	4	42.73	13	42.42	2	8.59	0	0.00	19	93.74
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	3	41.10	2	5.01	3	11.30	0	0.00	8	57.41
21.	मणिपुर	9	29.44	9	27.14	8	39.40	4	22.99	30	118.97
22.	मेघालय	7	17.14	7	14.73	9	22.53	2	0.40	25	54.80
23.	मिजोरम	4	3.18	7	24.06	9	11.51	6	13.81	26	52.56
24.	मध्य प्रदेश	11	31.41	11	60.99	13	30.85	4	18.72	39	141.97
25.	नागालैंड	11	25.40	13	24.60	10	29.10	6	25.87	40	104.97
26.	ओडिशा	6	41.15	9	23.69	6	20.29	1	0.05	22	85.18
27	पुदुचेरी	4	2.52	3	5.57	3	50.26	0	0.00	10	58.35
28.	पंजाब	5	24.93	3	9.48	4	11.91	1	4.23	13	50.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	राजस्थान	9	44.31	7	19.74	7	31.32	3	14.50	26	109.87
30.	सिक्किम	20	66.78	19	42.36	14	23.48	4	13.45	57	146.07
31.	तमिलनाडु	16	36.14	10	16.28	6	60.00	1	3.65	33	116.07
32.	त्रिपुरा	6	3.61	13	20.67	12	40.73	6	15.44	37	80.45
33.	उत्तर प्रदेश	6	38.40	6	21.90	14	27.85	7	10.86	33	99.01
34.	उत्तराखण्ड	2	44.68	1	0.55	8	29.78	9	37.63	20	112.64
35.	पश्चिम बंगाल	10	37.94	7	28.37	8	22.02	2	8.18	27	96.51
	कुल योग	245	960.04	247	671.19	228	774.36	102	454.15	822	2859.74

*पीआईडीडीसी, एचआरडी और आरटी से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

2664. श्री एम. आई. शानवासः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने की पूंजीगत-लागत पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए कोई विशिष्ट आवंटन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) स्थापित करने हेतु पूंजीगत लागत अधिक है। छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों सहित विद्यालय परिसर के लिए पूंजीगत लागत प्रति विद्यालय 12.00 करोड़ रुपए है तथा पहाड़ी क्षेत्रों, मरुस्थलों और द्वीप समूहों में 16.00 करोड़ रुपए तक जाने का प्रावधान है।

(ख) और (ग) पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों सहित राज्य को ईएमआरएस के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के एक भाग का उपयोग करके स्थापित किए जाते हैं, जिसके लिए राज्य वार आबंटन देश में कुल अनुसूचित जनताजियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर किया जाता है। ईएमआरएस की स्थापना सहित विकास योजनाओं के लिए प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तथा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप स्थानीय क्षेत्र तथा इसके लोगों की महसूस की गई आवश्यकता के आधार पर आबंटन के भीतर राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

फीलपांव रोग उन्मूलन कार्यक्रम

2665. श्री पी. विश्वनाथनः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में फीलपांव (फाइलेरिया) रोग के मामले पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में तमिलनाडु सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने जिले फीलपांव रोग से प्रभावित हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस रोग के उन्मूलन हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है और रोगग्रस्त जनों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लोकव्यापी दवा-वितरण कार्य शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई तथा इस अभियान की क्या उपलब्धियां रहीं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हाँ। गत तीन वर्षों के दौरान देश में सूचित लसीका शोथ और हाइड्रोसील के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) देश के स्थानिकमारी वाले जिलों में सूचित फाइलेरिया के मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। भारत सरकार ने फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु 15 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों (तमिलनाडु सहित) के फाइलेरिया स्थानिकमारी वाले जिलों में 2004 में एक राष्ट्रव्यापी वार्षिक अभियान की शुरूआत की है। यह अभियान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के संरक्षणाधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) का एक अभिन्न घटक है। लसीका फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए मुख्य कार्यनीति गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर स्थानिकमारी वाले लोगों में फाइलेरिया रोधी औषधियों (डिथाइल कार्बामिजाइन साइट्रेट (डीईसी) तथा अल्बेंडाजोल टेबलेट्स) की एकल खुराक के वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) के माध्यम से संक्रमण के संचरण को रोकने की है। भारत सरकार वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत नकद और वस्तुगत सहायता देती है।

गत तीन वर्षों के दौरान एनवीबीडीसीपी के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

स्क्रीन किए गए लोगों में से माइक्रोफाइलेरिया हेतु पाजीटिव पाए गए लोगों के प्रतिशत को माइक्राफाइलेरिया दर के रूप में एक संकेतक के तौर पर लिया जाता है। देश में समूची माइक्रोफाइलेरिया दर 2004 में 1.24 प्रतिशत से कम होकर 2010 में 0.39 प्रतिशत हो गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान देश में सूचित लसीका शोथ और हाइड्रोसील के मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008		2009		2010	
		लसीका शोध के मामले	हाइड्रोसील के मामले	लसीका शोध के मामले	हाइड्रोसील के मामले	लसीका शोध के मामले	हाइड्रोसील के मामले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	138931	6696	154061	6864	158119	7949
2.	असम	776	968	906	1244	1193	1569
3.	बिहार	212536	164543	214907	173334	214907	173334
4.	छत्तीसगढ़	5814	7283	4731	7995	4743	7777
5.	गोवा	191	100	182	41	153	64
6.	गुजरात	2529	2049	3569	2137	3848	1960
7.	झारखण्ड	86949	36392	89330	37152	89330	36458
8.	कर्नाटक	16782	2520	17041	2746	16135	3391
9.	केरल	10886	413	10303	671	14746	1518
10.	मध्य प्रदेश	3399	7448	3399	2766	3399	2766
11.	महाराष्ट्र	53468	38118	53878	39088	53961	39077

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	ओडीशा	61784	30633	61784	30633	61784	30633
13.	तमिलनाडु	34431	8060	39510	21220	38670	20908
14.	उत्तर प्रदेश	77980	37739	77849	35600	91912	43094
15.	पश्चिम बंगाल	45862	32190	52325	31207	52325	31090
16.	पुदुचेरी	1539	184	1539	184	1539	184
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	75	25	159	85	140	91
18.	दमन और दीव	176	70	149	44	142	57
19.	दादरा और नगर हवेली	107	0	77	0	77	0
20.	लक्षद्वीप	283	87	254	87	254	87
	कुल	754498	375518	785953	393098	807377	402007

विवरण II

देश में फाइलेरिया स्थानिकमारी वाले जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थानिकमारी वाले जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	असम	7
3.	बिहार	38
4.	छत्तीसगढ़	9
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	9
7.	झारखंड	15
8.	कर्नाटक	8
9.	केरल	11
10.	मध्य प्रदेश	11
11.	महाराष्ट्र	17
12.	ओडिशा	20
13.	तमिलनाडु	20
14.	उत्तर प्रदेश	50
15.	पश्चिम बंगाल	12
16.	पुदुचेरी	1
17.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
18.	दमन और दीव	1
19.	दादरा और नगर हवेली	1
20.	लक्षद्वीप	1

विवरण III

एनवीबीडीसीपी के अधीन गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई राज्यवार सहायता (नकद+वस्तुगत)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्तियां			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (2 दिसम्बर तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11.72	10.48	11.59	6.23
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.85	9.63	8.81	6.32
3.	असम	36.35	32.06	49.10	14.49
4.	बिहार	2681	22.32	42.13	11.41
5.	छत्तीसगढ़	20.55	19.23	21.18	26.26
6.	गोवा	0.17	0.36	0.61	0.03
7.	गुजरात	4.83	11.16	2.67	0.00
8.	हरियाणा	0.48	2.60	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.11	0.10	0.08	0.00
10.	जम्मू व कश्मीर	0.18	0.27	0.16	0.00
11.	झारखंड	34.38	19.06	35.86	17.73
12.	कर्नाटक	6.81	4.03	4.44	0.49
13.	केरल	3.08	4.39	3.06	1.96
14.	मध्य प्रदेश	7.40	18.14	18.25	2.61
15.	महाराष्ट्र	10.84	7.06	4.88	0.00
16.	मणिपुर	3.24	2.40	6.02	1.00
17.	मेघालय	4.98	6.11	10.89	1.56
18.	मिजोरम	4.19	6.27	7.74	1.78
19.	नागालैंड	6.10	6.76	12.88	5.09
20.	ओडिशा	21.53	53.61	43.24	19.20

1	2	3	4	5	6
21.	पंजाब	0.93	2.55	0.98	0.05
22.	राजस्थान	10.33	12.63	13.10	4.37
23.	सिक्किम	0.11	0.12	1.38	0.05
24.	तमिलनाडु	2.90	6.82	3.73	0.00
25.	त्रिपुरा	6.27	7.65	14.31	2.87
26.	उत्तर प्रदेश	20.08	20.00	27.31	10.43
27.	उत्तराखण्ड	0.41	0.57	0.78	0.20
28.	पश्चिम बंगाल	14.39	17.95	29.64	12.75
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.87	4.64	3.50	2.05
30.	चंडीगढ़	0.58	0.60	0.23	0.15
31.	दादरा और नगर हवेली	0.46	0.44	0.70	0.27
32.	दमन और दीव	0.22	0.28	0.32	0.13
33.	दिल्ली	0.57	0.61	0.41	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.14	0.02	0.20	0.00
35.	पुदुचेरी	0.03	0.24	0.37	0.00
	कुल	272.90	311.16	380.51	149.49

विवरण IV

गत तीन वर्षों के दौरान माइक्रो फाइलेरिया की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.38	0.45	0.35
2.	असम	0.88	0.81	1.06
3.	बिहार	सूचना नहीं मिली	1.07	सूचना नहीं मिली
4.	छत्तीसगढ़	0.45	0.54	0.35

1	2	3	4	5
5.	गोवा	0.01	0.00	0.01
6.	गुजरात	0.83	0.92	0.46
7.	झारखण्ड	1.10	1.11	0.74
8.	कर्नाटक	1.07	0.93	0.89
9.	केरल	0.29	0.39	0.17
10.	मध्य प्रदेश	0.36	0.40	0.19
11.	महाराष्ट्र	0.35	0.46	0.53
12.	ओडिशा	0.74	0.69	0.40
13.	तमिलनाडु	0.15	0.12	0.07
14.	उत्तर प्रदेश	0.41	नहीं किया गया	0.29
15.	पश्चिम बंगाल	0.89	0.48	0.44
16.	पांडिचेरी	0.19	0.46	0.10
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.82	1.23	0.95
18.	दमण और दीव	0.13	0.07	0.06
19.	दादरा एवं नगर हवेली	0.27	0.00	0.00
20.	पुदुचेरी	0.03	0.00	0.00
	राष्ट्रीय औसत	0.53	0.65	0.39

[हिन्दी]

अस्पतालों की स्थिति

2666. कुमारी मीनाक्षी नटराजनः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सरकारी जिला अस्पतालों की स्थिति के संबंध में कोई अध्ययन कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आदर्श अस्पतालों की स्थापना हेतु आई.एस.ओ जैसे कतिपय मानदण्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने के लिए कोई पहल की गई है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निर्मित भारतीय जन स्वास्थ्य मानक जिला अस्पतालों सहित विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों के लिए बैंचमार्क निर्धारित करते हैं। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(1) जिला अस्पतालों के माध्यम से समुदाय को व्यापक द्वितीय स्वास्थ्य परिचर्या (विशिष्ट एवं रेफरल सेवाएं) प्रदान करना।

(2) परिचर्या गुणवत्ता के स्वीकार्य मानक उपलब्ध करना एवं उन्हें बनाए रखना।

(3) जिले के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे अस्पतालों/केन्द्रों की सेवाओं को और अधिक अनुक्रियाशील एवं सुग्राही बनाना जिनसे मामलों को जिला अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) रिक्त पदों को भरने के उपाय करने के लिए राज्यों से आग्रह किया जाता है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2010 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की संख्या वर्ष 2005 में 20308 से बढ़कर 2010 में 25870 हो गई है। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों की संख्या वर्ष 2005 में 3550 से बढ़कर 2010 में 6781 हो गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में नर्सिंग स्टाफ वर्ष 2005 में 28930 से बढ़कर 2010 में 58450 हो गया है। उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (महिला)/सहायक नर्सधात्री की संख्या वर्ष 2005 में 133194 से बढ़कर 2010 में 191457 हो गई है।

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

2667. श्री मिथिलेश कुमारः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत सैंट जॉन एंबुलेंस ब्रिगेड सहित कितने गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं तथा उनके नाम और कार्यक्षेत्र क्या हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा सभी गैर-सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों को कोई मानदेय या वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों को दिए जाने वाले मानदेय अथवा धनराशि पर पुनर्विचार करने हेतु कोई समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत फील्ड स्तरीय संगठनों को दिए जाने वाले वित्तपोषण को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है राज्य सरकारों को उनकी वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना में उल्लिखित आवश्यकताओं के आधार पर निधियां प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार कार्य कर रहे 10 कार्यात्मक संसाधन केन्द्रों को सीधे निधियां जारी करती है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी-पीएनडीटी) निवारण कार्यकलापों से संबंधित कार्यकलाप आयोजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को जारी निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं। गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों को सरकार द्वारा सीधे कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। गैर सरकारी संगठन विशिष्ट प्रस्तावों में मानव संसाधन सहायता वाले कार्यकलापों को शामिल किया जाता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

क्षेत्रीय संसाधन केन्द्रों का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र का नाम	राज्य	2010-11 (राशि)
1	2	3	4
1.	सैंटर फॉर हैल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रीशन अवेयरनेस (चेतना)	गुजरात	20,23,643
2.	वॉलुन्टेरी हैल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया	नई दिल्ली	5,00,000
3.	ममता-माता एवं बच्चे के लिए स्वास्थ्य संस्थान	नई दिल्ली	20,00,000

1	2	3	4
4.	हिन्दुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट (एचएलएफपीपीटी)	आन्ध्र प्रदेश	-
5.	चाइल्ट इन नीड इंस्टीट्यूट (सिनि)	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	15,00,000
6.	पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएफआई)	नई दिल्ली	
7.	स्वास्थ्य शिक्षा	उडीसा	12,52,700
8.	फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफपीएआई)	मुम्बई	
9.	गांधीग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट	तमिलनाडु	5,00,000
10.	वालुन्टेरी हैल्थ एसोसिएशन ऑफ असम (वीएचएए)	असम	10,00,000

*इस समय क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र-एसआईएफपीएसए उत्तर प्रदेश कार्य नहीं कर रहा है।

विवरण II

वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखित 27 गैर-सरकारी संगठनों को पीएनडीटी प्रभाग के अन्तर्गत निधियां जारी की गई थीं

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम एवं पता	राज्य	जारी निधियां पहली किस्त	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	अवतार समृती, शिक्षा एवं कल्याण समिति, मोरेना, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	9,00,000 रूपए	
2.	गौतमी एजुकेशनल सोसाइटी-वॉलुन्टेरी आर्गेनाइजेशन, तन्गुटूर, प्रकाशम जिला, आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	9,00,000 रूपए	
3.	रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	9,00,000 रूपए	
4.	सर्वजन कल्याण समिति, आर्य भवन, 75 रेसकोर्स कालोनी बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश	9,00,000 रूपए	
5.	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, जिला टेहरी गढ़वाला, उत्तराखण्ड	उत्तराखंड	9,00,000 रूपए	
6.	सोशल अवयरनेस इंस्टीट्यूट, यूजीएफ-135, शिव प्लाजा, सैक्टर-ई जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	9,00,000 रूपए	

1	2	3	4	5
7.	पूर्वांचल समाज सेवा संघ दिल्ली	दिल्ली	9,00,000 रूपए	
8.	श्री गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था गोंदिया महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	9,00,000 रूपए	
9.	सैंटर फाऐर सेशल रिसर्च नेल्सन मंडेला मार्ग वसन्त कुंज नई दिल्ली	दिल्ली	9,00,000 रूपए	
10.	अनुन्नता समाज कल्याण संघ जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	9,00,000 रूपए	
11.	बुंदेलखंड ग्रामोद्योग विकास समिति बिसांदा बांदा उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	9,00,000 रूपए	
12.	मानव सेवा संस्थान फतेहपुर उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	9,00,000 रूपए	
13.	नारी मंगल महिला समिती जिला पुरी उड़ीसा	ओडिशा	9,00,000 रूपए	
14.	ग्रामीण विकास केन्द्र जिला अहमदनगर महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	9,00,000 रूपए	
15.	श्रृंखला आशियाना लखनऊ उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	9,00,000 रूपए	
16.	श्री नारायण ग्राम विकास परिषद राधा रमण रोड समीप मैनपुरी डीजल माइको पम्प जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	9,00,000 रूपए	
17.	सोशल एन्वीरोंमेंटल इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी लैंब्डिंग चेरापुर पोस्ट ऑफिस वांगिग थोउबल जिला मणिपुर	मणिपुर	9,00,000 रूपए	
18.	कामगार फाउन्डेशन एटीएम बिल्डिंग मेन रोड कोर्बा छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	9,00,000 रूपए	
19.	भारतीय जन कल्याण संस्थान 432 नागला किला शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद	उत्तर प्रदेश	9,00,000 रूपए	
20.	मानव कल्याण प्रतिष्ठान 72 इस्माइलगंज फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) 212601	उत्तर प्रदेश	9,00,000 रूपए	
21.	सोशल डेवलपमेंट आल्टरनेट गढ़िया रोड फिरोजनगर अजीतमल जिला औरेया (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश	9,00,000 रूपए	
22.	समता सेवा केन्द्र ग्राम व पोस्ट-चैनपुरा वाया जनकपुर रोड़ सीतामढ़ी बिहार	बिहार	9,00,000 रूपए	

1	2	3	4	5
23.	गंगोत्री जिला खुर्दा उड़ीसा	ओडिशा	9,00,000 रूपए	
24.	जे.के. वूमन वेलफेयर सोसाइटी नई बस्ती सतवाड़ी जम्मू जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर	9,00,000 रूपए	
25.	मैनपुरी वूमन को ओपरेशन काउंसिल जिला कांचीपुर इम्फाल	कश्मीर	9,00,000 रूपए	
26.	रबिया महिला सेवा संस्थान जिला बालिया उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	9,00,000 रूपए	
27.	म्याना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान 335 मुरारी नगर जीटी रोड खुर्जा जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	9,00,000 रूपए	

विभिन्न पीएनडीटी कार्यकलाप करने के लिए वर्ष 2011-2012 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी सहायतानुदान

क्र.सं.	लाभार्थी एन.जी.ओ./संगठन का नाम एवं पता	राज्य	स्वीकृत राशि
1.	गौतमी एजुकेशनल सोसाइटी-वॉलुन्टेरी आर्गेनाइजेशन तन्गुटूर प्रकाशम जिला आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश (दूसरी किस्त)	6,00,000 रूपए
2.	बुन्देलखंड ग्रामोद्योग विकास समिति बिसांदा बांदा उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश (दूसरी किस्त)	6,00,000 रूपए
3.	पॉपुलेशन फर्स्ट शेट्टी हाउस तीसरा तल 101 एमजी रोड मुम्बई-400 023	महाराष्ट्र (दूसरी किस्त)	400,000 रूपए
4.	श्री गणेश ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था गोंदिया महाराष्ट्र	महाराष्ट्र (दूसरी किस्त)	6,00,000 रूपए
5.	राम मोहन मिशन कोलकाता (दूसरी किस्त)	पश्चिम बंगाल	10,00,000 रूपए

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं

2668. श्री निनोंग ईरींगः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अरूणाचल प्रदेश में आज तक कितनी विद्युत परियोजनाएं मंजूर की गई हैं; और

(ख) इस संबंध में मार्च, 2011 के बाद से आज तक कितने समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) वर्तमान में, नीपको एक परियोजना (25 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली) अर्थात रंगानरी स्टेज-। (405 मेगावाट) अरूणाचल प्रदेश में प्रचालनाधीन है। इसके अतिरिक्त, 4460 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली निम्नलिखित चार परियोजनाएँ (25 मगावाट से अधिक की क्षमता वाली) अरूणाचल प्रदेश में निर्माणाधीन है-

क्र.सं.	योजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कार्यान्वयन एजेंसी/क्षेत्र	चालू होने का संभावित वर्ष
1.	सुबनसीरी लोअर	2000	एनएचपीसी (केंद्रीय क्षेत्र)	2013-15
2.	कामेंग	600	नीपको (केंद्रीय क्षेत्र)	2016-17
3.	पारे	110	नीपको (केंद्रीय क्षेत्र)	2014-15
4.	देमवे लोअर	1750	मेसर्स अथेना पावर (निजी क्षेत्र)	2016-17
	कुल	4460		

उपरोक्त के अतिरिक्त, 35987.5 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 91 जल विद्युत स्कीम (25 मेगावाट से अधिक) अरूणाचल प्रदेश द्वारा आवंटित की गई है जिनका निर्माण अभी शुरू किया जाना है। ये परियोजनाएँ 12वीं योजना और उससे आगे लाभ हेतु निजी और केंद्रीय क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित हैं। इन आबंटित स्कीमों का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नवत हैं-

क्षेत्र	संख्या	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
केन्द्रीय	3	4400.0
निजी	88	31587.5
कुल	91	35987.5

(ख) भारत सरकार ने इस संबंध में मार्च, 2011 के पश्चात किसी समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एन.टी.ए.जी.आई.)

2669. श्रीमती सुप्रिया सुलेः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या टीकाकरण जैसे जनस्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर सरकार को परामर्श देने हेतु टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एन.टी.ए.जी. आई) में योग्य सदस्यों का चयन करने के लिए सरकार का एक समिति गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में टीकाकरण के महत्वपूर्ण मुद्दे पर एन.टी.ए.जी. आई. द्वारा दी गई सलाह की विभिन्न इलाकों में हो रही आलोचना की ओर सरकार ने ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन.टी.ए.जी.आई. में योग्य सदस्यों की परामर्शी चयन-प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/अथवा उठाए जाने का विचार किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह का गठन अगस्त, 2001 में किया गया था और उसके पश्चात इसमे समय-समय पर संशोधन किया गया था। टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की अध्यक्षता सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) और सहअध्यक्षता सचिव (सचिव अनुसंधान विभाग) द्वारा की जाती है और इसमें जन स्वास्थ्य माइक्रोबायोलॉजी, स्वास्थ्य अनुसंधान, बाल रोग विशेषज्ञों, व्यवसायी निकायों जैसे भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के क्षेत्र के योग्य प्रतिष्ठित सदस्य और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं।

(ग) और (घ) टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह द्वारा लिए गए निर्णय समूह के सामूहिक निर्णय है जो वैज्ञानिक साक्ष्य, प्रकाशित साहित्य पर आधारित हैं और जन स्वास्थ्य हित में है।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

किशोरबंदी-गृहों से गुम हुए बच्चे

2670. श्री अब्दुल रहमानः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किशोरबंदी-गृहों से बच्चों के गुम होने के मामले केंद्र सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

सरकारी ऋण संस्थाओं का पुनरूद्धार

2671. श्री संजय निरूपमः
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वित्त में कुछ राज्य सरकारों ने भूमि विकास बैंक जैसी ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरूद्धार हेतु केन्द्र सरकार से दीर्घावधिक सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएम) के तहत ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य-सरकारों को ऐसा ऋण प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य सरकारों को यह ऋण कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ङ) वैद्यनाथ कार्यदल-II तथा चतुर्वेदी कार्यदल की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर दीर्घावधि फसल ऋण संरचना के पुनरूज्जीवन के लिए एक पैकेज सरकार के विचाराधीन है।

कैंसररोधी दवाएं/टीके तथा चिकित्सा-पद्धति

2672. डॉ. पी. वेणुगोपालः
श्री आर. थामराईसेलवनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एक अध्ययन के अनुसार, विकिरण चिकित्सा-पद्धति अथवा रेडियोथैरेपी अपनाने से स्तर-कैंसर से होने वाली मृत्यु-दर में कमी आती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे देश में सर्वसुलभ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ग) देया में कैंसररोधी दवाओं और टीकों की उपलब्धता एवं विकास की वर्तमान स्थिति है;

(घ) क्या सरकार ने लंदन में वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी विलक्षण दवा विकसित किए जाने की खबर पर ध्यान दिया है जो कैंसर समाप्त करने की क्षमता रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) मेटा विश्लेषण के आधार पर हाल ही में लेंसेट में एक प्रकाशन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विकिरण थेरेपी से स्तन कैंसर की मौतों में कमी होती है।

(ख) राष्ट्रीय कैसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग तथा आघात निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम की तृतीयक कैंसर केंद्र की योजना के अंतर्गत रेडियोथेरेपी उपकरणों सहित कैंसर परिचर्या से संबंधित उपकरणों की अधिप्राप्ति और अवसंरचना के निर्माण के लिए पूर्व क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों सहित राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए वित्तीय सहायता है।

(ग) औषध महानियंत्रक (भारत) ने ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए दो ह्यमन पेपिल्लोमा वायरस वैक्सीन को अनुमोदन प्रदान किया है। इन वैक्सीनों के साथ-साथ कैंसर रोधी औषधियाँ बाजार में उपलब्ध हैं।

(घ) सरकार को लंदन में किसी वैज्ञानिक द्वारा नैदानिक रूप से प्रमाणित और वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित ऐसी कोई चमत्कारिक औषधि तैयार किए जाने के बारे में जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापित आदिवासी

2673. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक के विस्थापित आदिवासियों के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त राहत एवं पुनर्वास उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आदिवासीयों द्वारा राज्य प्राधिकारियों के विरूद्ध एकजुट होने पर उनसे अत्यंत कठोरतापूर्वक बरताव करते हुए उन्हें डराया-धमकाया गया, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां की गई उनके विरोध प्रदर्शनों को अपराध माना गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) भूमि संसाधन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एनआरआरपी, 2007) तैयार कर ली गई है। इसका एक उद्देश्य बड़े स्तर पर विस्थापन को कम करना है। नीति विस्थापित परिवारों को समग्र रूप से पनर्वास एवं पुनर्स्थापना के लाभों हेतु प्रावधान करती है। राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या एजेंसियों तथा अन्य आवश्यक निकाय एनआरआरपी-2007 में निर्धारित लाभों की अपेक्षा बेहतर लाभ स्तरों को रखने के लिए स्वतंत्र है।

राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एनआरआरपी-2007) कर्नाटक सहित सभी राज्यों को परिचालित कर दी गई थी। कर्नाटक सरकार के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय पार्कों के विभिन्न स्थानों से स्थानांतरित जनजातीय परिवारों के लिए पर्याप्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन उपाय किए गए हैं।

(ख) से (घ) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई घटना राज्य में घटित नहीं है। गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों सहित अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण पर बल के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली पर और अधिक ध्यान केन्द्रीत करने के लिए परामर्श जारी कर दिए गए हैं।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में विनियामक ढांचा

2674. श्री बाल कुमार पटेलः
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान के विनियामक ढांचे में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का 'नेशनल काउंसिल फार ह्यूमन रिसोर्स इन हेल्थ' (एन. सी.एच.आर.एच.) गठित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से देश में चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान की गुणवत्ता और स्तर में किस प्रकार सुधार आने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के परामर्श से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 के अधीन बनाए गए विनियमों की समीक्षा करती रहती है और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने में आवश्यकता आधारित संशोधनों को अधिसूचित करती रहती है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने भारतीस आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2010 के जरिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को दिनांक 15 मई, 2010 को रद्द करते हुए बोर्ड ऑफ गर्वनर्स गठित किया है और अन्य बातों बोर्ड के साथ-साथ बोर्ड को केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना चिकित्सा कालेज स्थापित करने, उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू करने आदि की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) मंत्रालय दो प्रयोजनों अर्थात मौजूदा विनियमांक ढांचे में सुधार लाने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की आपूर्ति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग नामक समग्र विनियमाक निकाय स्थापित करने पर विचार कर रहा है। स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रिमंडल नोट प्रारूप तथा विधेयक को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा बोर्ड तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं आकलन समिति भी गठित किया जाएगा जिनका अधिदेश क्रमशः स्वास्थ्य शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना तथा स्वास्थ्य संबंधी शैक्षणिक संस्थानों के प्रत्यायन की प्रणाली विकसित एवं अनुरक्षित करना है।

म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन

2675. राजकुमारी रत्ना सिंहः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जिन म्यूचुअल फंड कंपनियों को नियमों/मार्ग-निर्देशों/अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को मिले प्रत्युत्तर किन्हीं मामलों में अपर्याप्त/अपूर्ण पाए गए;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे मामलों की कंपनी-वार संख्या क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या इस सिलसिले में किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को दंड दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तरे इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सिलसिले में कानूनों को सख्ती से लागू करने अथवा उन्हें सख्त बनाने के लिए क्या उपाय किए गए अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

जिन म्यूचुअल फंड कंपनियों को नियमों/दिशानिर्देशों/अधिनियमों के उल्लंघन के लिए विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान नोटिस तामील किया गया था, उनके ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए हैं:-

क्र.सं.	तिथि	म्यूचुअल फंड
वित्त वर्ष 2011-12 से 05.12.2011 तक		
शून्य		
वित्त वर्ष 2010-11		
1.	24-दिसम्बर-10	सुन्दरम म्यूचुअल फंड (पूर्ववर्ती सुन्दरम बीएपनी परीबास म्यूचुअल फंड)
		यूटीआई म्यूचुअल फंड
2.	26-नवम्बर-10	
वित्त वर्ष 2009-10		
1.	3-जनवरी-09	रिलायंस म्यूचुअल फंड
2.	3-अगस्त-09	बिरला सनलाईफ म्यूचुअल फंड
3.	7-अगस्त-09	एचएसबीसी म्यूचुअल फंड
4.	9-सितम्बर-09	आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड
5.	13-नवम्बर-09	रेलीगेयर म्यूचुअल फंड
वित्त वर्ष 2008-09		
शून्य		

(ख) से (ङ) जी, हां।

निर्गत कारण बताओ नोटिस पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) सेबी नियमित रूप से विनियमों की समीक्षा करता है तथा परिपत्र जारी करता है तथा उनकी प्रभावात्मकता में वर्धन करने के लिए, जब और जैसे आवश्यक हो, उनमें संशोधन करता है।

विवरण

म्युचुअल फंड कंपनियों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर सेबी द्वारा की गई कार्रवाई

क्र.सं.	तारीख	म्यूचुअल फंड	की गई कार्रवाई
वित्त वर्ष 2010-11			
1.	24-दिसम्बर-10	सुन्दरम म्युचूअल फंड (पहले सुन्दरम बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड)	दिनांक 20 अप्रैल, 2011 को चेतावनी पत्र जारी किया गया जिसमें विज्ञापन दिशानिर्देशों का पालन करने का निदेश दिया गया, जिसके न होने पर सेबी (म्यूचुअल फंड विनियम, 1996 के प्रावधानों का अनुसरण में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
2.	26-नवम्बर-10	यूटीआईम्यूचुलफंड	चूंकि म्यूचुअल फंड कंपनी ने विज्ञापन वापस ले लिया और सेबी की सलाह का अनुपालन किया, आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।
वित्त वर्ष 2009-10			
1.	3-जून-09	रिलायंस म्युचुअल फंड	डब्ल्यूटीएम द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2010 को आदेश पारित किया गया, जिसमें एएमसी को निदेश दिया गया कि वे म्यूचुअल फंडों द्वारा विज्ञापनों के संबंध में, सेबी द्वारा जारी नियमों का सख्ती से अक्षरक्षः पालन करें।
2.	3-अगस्त-09	बिरला सनलाईफ म्यूचुअल फंड	डब्ल्यूटीएम द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2010 को आदेश पारति किया गया, जिसमें एएमसी को निदेश दिया गया कि वे म्यूचुअल फंडों द्वारा विज्ञापनों के संबंध में, सेबी द्वारा जारी नियमों का सख्ती से अक्षरशः पालन करें।
3.	7-अगस्त-09	एचएसबीसी म्यूचुअल फंड	डब्ल्यूटीएम द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 2010 को आदेश पारित किया गया जिसमें एएमसी की चेतावनी दी गई कि वे प्रतिभूति बाजार में म्यूचुअल फंड के संचालन और कारोबार को शासित करने संबंधी कानून का सख्ती से पालन करेंगे।
4.	9-सितम्बर-09	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड	डब्ल्यूटीएम द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2010 को आदेश पारित किया गया, जिसमें एएमसी को निदेश दिया गया कि वे म्यूचुअल फंडों द्वारा विज्ञापनों के संबंध में, सेबी द्वारा जारी नियमों का सख्ती से अक्षरशः पालन करें।
4.	13 नवम्बर, 2009	रेलीगेयर म्यूचुअल फंड	डब्ल्यूटीएम द्वारा दिनांक 09 फरवरी, 2010 को आदेश पारित किया गया, जिसमें एएमसी को निदेश दिया गया कि वे म्यूचुअल फंडों द्वारा विज्ञापनों के संबंध में, सेबी द्वारा जारी नियमों का सख्ती से अक्षरशः पालन करें।

विशिष्टतम सुविधाओं से लैस कैंसर अस्पताल

2676. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कैंसर-उपचार की विशिष्टतम सुविधाओं से लैस 'सुपर-स्पेशियॉलिटी' अस्पतालों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार का महाराष्ट्र के जलगांव सहित विभिन्न स्थानों पर ऐसे नए अस्पताल स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) इस मंत्रालय ने पहले राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को मान्यता प्रदान की थी। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 11वी पंचवर्षीय योजना के दौरान, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग तथा आघात निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम के कैंसर घटक के अंतर्गत इस प्रकार के नए अस्पतालों को स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, एनपीसीडीसीएस की नई योजना के अंतर्गत तृतीयक कैसर केंद्र स्थापित करने के लिए पात्र राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और पूर्व क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों के लिए 6.00 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता (केंद्र सरकार से 4.80 करोड़ रु. और राज्य सरकार से 1.20 करोड़ रु.) उपलब्ध है, जो व्यापक कैंसर परिचर्या सुविधाएं प्रदान करेंगे।

विवरण

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	एमएनजे इंस्टीट्यूट आफ आंकोलाजी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
2.	असम	डा. बीबी. कैसर इंस्टीट्यूट, गोवाहाटी, असम
3.	बिहार	इंदिरागांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, पटना, बिहार
4.	चंडीगढ़	आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़
5.	छत्तीसगढ़	पं. जे.एन.एम. चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
6.	दिल्ली	डी.बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल, एम्स, नई दिल्ली
7.	गुजरात	गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात
8.	हरियाणा	पं. बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक हरियाणा
9.	हिमाचल प्रदेश	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला, हिमाचल प्रदेश
10.	जम्मू व कश्मीर	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, सोरा, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर.
11.	जम्मू व कश्मीर	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पताल, बक्शीनगर, जम्मू
12.	कर्नाटक	किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आंकोलाजी, बैंगलौर, कर्नाटक
13.	केरल	रिजनल कैंसर सेंठर, तिरूवनन्तपुरम, केरल

1	2	3
14.	मध्य प्रदेश	कैंसर हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, ग्वालियर मध्य प्रदेश
15.	महाराष्ट्र	राष्ट्रसंत टुकडोजी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र, नागपुर
16.	महाराष्ट्र	टाटा मेमोरियल हास्पिटल, मुम्बई, महाराष्ट्र
17.	मणिपुर	रीजनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, इम्फाल, मणिपुर
18.	मिजोरम	सिविल हास्पिटल, आइजोल, मिजोरम
19.	ओडिशा	आचार्य हरिहर रिजनल कैंसर सेंटर फार कैंसर रिसर्च एवं ट्रीटमेंट, कटक उड़ीसा
20.	पुदुचेरी	जवाहर स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान
21.	राजस्थान	आचार्य तुलसी रिजनल कैंसर ट्रस्ट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर, राजस्थान
22.	तमिलनाडु	गवर्नमेंट अरिगनार अन्ना मेमोरियल कैंसर हास्पिटल, कांचीपुरम, तमिलनाडु
23.	तमिलनाडु	रिजनल कैंसर इंस्टीट्यूट (डब्ल्यू आईए), अडयार, चेन्नई, तमिलनाडु
24.	त्रिपुरा	कैंसर हास्पिटल, अगरतला, त्रिपुरा
25.	उत्तर प्रदेश	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
26.	उत्तर प्रदेश	कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
27.	पश्चिम बंगाल	चितरंजन नेशनल इंस्टीट्यूट कोलकाता, पश्चिम बंगाल

[हिन्दी]

घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन

2677. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंतर्देशीय यात्रा व विमान किराए की बढ़ती लागत तथा व्यस्ततम मौसम में होटल कमरों पर कर वृद्धि के कारण घरेलू पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बोर्डो तथा तथा होटल समूहों की ओर से की जा रही आकर्षक पेशकशों से भारतीय पर्यटकों के बीच विदेशी स्थलों के पर्यटन की लोकप्रियता बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा घरेलू पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने और सुलभ बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य योजना अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद)ः (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से संकलित जानकारी के आधार पर घरेलू पर्यटक यात्राएं वर्ष 2009 में 668 मिलियन की तुलना में वर्ष 2010 में 740 मिलियन रही अर्थात् गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2010 में 10.7% की वृद्धि हुई।

(ख) और (ग) भारत से आउटबाउंड ट्रैफिक वर्ष 2009 में 11. 06 मिलियन की तुलना में वर्ष 2010 में 12.98 मिलियन रहा अर्थात् गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2010 में 17.4% की वृद्धि हुई।

(घ) और (ङ): घरेलू पर्यटन को और अधिक वहनीय बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को होटल परियोजनाओं का संवर्धन करने के लिए निवेशक अनुकूल भूमि नीतियों सिंगल विंडो अप्रोच का अनुसरण करते हुए और होटलों लैंड बैंकों के सृजन आदि के लिए एक्सट्रा फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई)/फ्लोर

एरिया रेशिओ (एफएआर) को प्रदान करने के लिए राजस्व भागीदारी आधार पर स्थलों का आवंटन करने के लिए बजट श्रेणी को भी शामिल करते हुए होटल आवास के निर्माण को प्रोत्साहित करने की सलाह दी है।

कुपोषित बालिकाओं एवं गर्भवती महिलाओं को खाद्यान्न

2678. श्री चंद्रकांत खैरेः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत देश में कुपोषित बालिकाओं एवं गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार खाद्यान्न की कितनी मात्रा आवंटित की गई है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं; और

(घ) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य सुधार के संबंध में क्या उपलब्धियां अर्जित की गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) वर्ष 2005-06 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 51 अभिचिन्हांकित जिलों में प्रायोगिक आधार पर किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा था। स्कीम के अंतर्गत केवल अल्प-पोषित किशोरियों (11-19 वर्ष) को प्रति वर्ष प्रति लाभार्थी 6 कि.ग्रा. निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाता था क्योंकि गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं आईसीडीएस के अंतर्गत शामिल हैं। पात्रता का निर्धारण उनके शरीर के वजन अर्थात् 11-15 वर्ष के आयु वर्ग में जिनके शरीर का वजन 30 कि.ग्रा से कम और 15-19 वर्ष के आयु वर्ग में शरीर का वजन 35 कि.ग्रा. के आधार पर किया जाता था। वर्ष 2010-11 से 200 जिलों में सबला स्कीम के शुरू होने पर किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम का प्रचलन बंद हो गया है। क्योंकि किशोरी हेतु पोषण कार्यक्रम के सभी जिले सबला के अंतर्गत आ गए हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2008-09 और 2009-10 में अवांछित खाद्यान्न और लाथान्वित हुई बालिकाओं की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सबला के आरंभ होने पर 2010-11 से किशोरियों हेतु पोषण क्रार्यक्रम बंद हो गया।

(घ) वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान शरीर के वजन के निर्धारित बिंदु से अधिक वजन वाली लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या इस प्रकार हैः

वर्ष	निर्धारित बिन्दु प्राप्त करने वाली लाभार्थी
2008-09	1,31,239
2009-10	57,916
2010-11 और 2011-12	एनपीएजी का क्रियान्वयन नहीं किया गया क्योंकि सभी जिले सबला के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं।

विवरण

किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों एवं शामिल किए गए लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10	
		आबंटित खाद्यान्न	शामिल किए गए लाभार्थी	आर्वटित खाद्यान्न	शामिल किए गए लाभार्थी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	17601.77	496506	17674.05	371000
2.	अरूणाचल प्रदेश	42.57	3283	शून्य	लागू नहीं

1	2	3	4	5	6
3.	असम	2612.91	0	शून्य	लागू नही
4.	बिहार	4969.95	113103	3756.96	58168
5.	छत्तीसगढ़	3843.68	0	3859.47	0
6.	गोवा	650.69	9855	667.72	9880
7.	गुजरात	10000	130294	7650.86	149578
8.	हरियाणा	2155	82573	884.17	0
9.	हिमाचल प्रदेश	2195.41	56769	2003.09	49279
10.	जम्मू और कश्मीर	20.62.82	0	शून्य	लागू नहीं
11.	झारखण्ड	3554.99	9950	शून्य	13700
12.	कर्नाटक	5495.63	219373	5621.58	231896
13.	केरल	4417.92	92345	4532.6	सूचना नहीं दी गई
14.	मध्य प्रदेश	3110.45	249948	2837.67	87616
15.	महाराष्ट्र	6251.95	489790	6277.62	566394
16.	मणिपुर	218.11	9013	शून्य	10852
17.	मेघालय	280.28	2752	281.43	3247
18.	मिजोरम	139.16	17591	139.73	17567
19.	नागालैंड	1361.43	सूचना नहीं दी गई	1367.02	सूचना नहीं दी गई
20.	ओडिशा	7782.16	137621	शून्य*	137621
21.	पंजाब	1654.03	41168	1509.14	26805
22.	राजस्थान	4175.92	156066	3156.72	164975
23.	सिक्किम	277.36	3700	228.29	5276
24.	तमिलनाडु	3870.04	72549	2856.89	67696
25.	त्रिपुरा	1552.85	59608	362.92	60000
26.	उत्तर प्रदेश	5002.24	119810	4564.03	सूचना नहीं दी गई
27.	उत्तराखण्ड	1951	56495	शून्य*	सूचना नहीं दी गई
28.	पश्चिम बंगाल	10893.38	325376	10570.74	331258

1	2	3	4	5	6
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	785.34	12801	788.57	13383
30.	चंडीगढ़	271.75	18278	247.95	4406
31.	दमन और दीव	34.75	0	270.68	582
32.	दादरा और नगर हवेली	352.44	388	शून्य*	8863
33.	दिल्ली	997.25	14622	909.89	14523
34.	लक्षद्वीप	32.54	807	179.35	1265
35.	पुदुचेरी	178.61	3132	शून्य*	2514
	कुल	110776.38	3005566	83199.14	2408344

शून्य* राज्यों/संघ राज्य से तीन वर्षों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग ने खाद्यान्न निर्मुक्त नहीं किए।

भारतीय चिकित्सा परिषद तथा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद

2679. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः
योगी आदित्यनाथः
श्रीमती रमा देवीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भारतीय चिकित्सा परिषद 'एम.सी.आई.' और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद 'डी.सी.आई.' भ्रष्टाचार, कदाचार और अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा चूककर्त्ता अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी; और

(घ) सरकार द्वारा एम.सी.आई. और डी.सी.आई. को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जहां तक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का प्रश्न है परिषद के अध्यक्ष को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा तथाकथित आरोपों के आधार पर दिनांक 22.04.2010 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में केन्द्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में संसोधन करके परिषद को समाप्त कर दिया और परिषद के कार्यों के निर्वहन के लिए बोर्ड आफ गर्वनर्स का गठन किया। केन्द्र सरकार को भी भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान पदधारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार और अन्य अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। डीसीआई के पूर्व अध्यक्ष के विरूद्ध शिकायतों की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की गई थी और समिति की रिपोर्ट सतर्कता आयोग को भेज दी गयी है। जहां तक डीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष के विरूद्ध शिकायत का संबंध है उसकी जांच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जा रही है। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्तमान विनियामक कार्य ढ़ांचे में सुधार करने और कुशल कार्मिकों की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी करने के दोहरे प्रयोजन के साथ एक सरंक्षी विनियामक निकाय अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग की स्थापना करने पर भी अलग से विचार कर रही है।

[अनुवाद]

डीजल/पेट्रोलियम की मूल्यवृद्धि का आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव

2680. श्री शिवराम गौडाः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डीजल और पेट्रोल की मूल्यवृद्धि से सब्जी, खाद्य सामग्री इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को डीजल और पेट्रोल की मूल्यवृद्धि के असर से मुक्त रखने/अप्रभावित रखने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ती है और इस तरह सब्जियों, खाद्य-वस्तुओं इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित सारणी में अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2011 तक समग्र थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति और समग्र मुद्रास्फीति में कुछ आवश्यक वस्तुओं का प्रतिशतांक योगदान दर्शाया गया है।

वर्षानुवर्ष हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति और चुनिंदा वस्तुओं का प्रतिशतांक योगदान

	मुद्रास्फीति	प्रतिशतांक योगदान							
	सभी वस्तुएं	खाद्यान्न (अनाज + दालें)	सब्जियां	दूध	अण्डे मांस और मछली	पेट्रोल	हाई स्पीड डीजल	खाद्य संयुक्त	31 आवश्यक वस्तुएं
भारांश (%)	100.00	4.09	1.74	3.24	2.41	1.09	4.67	24.31	14.60
अप्रैल-11	9.74	0.11	0.04	0.11	0.34	0.22	0.27	2.45	1.01
मई-11	9.56	0.13	-0.01	0.24	0.21	0.28	0.27	2.24	1.25
जून-11	9.51	0.11	-0.14	0.46	0.31	0.31	0.32	2.23	1.53
जुलाई-11	9.36	0.13	0.16	0.43	0.31	0.25	0.47	2.28	1.46
अगस्त-11	9.78	0.17	0.29	0.38	0.34	0.25	0.47	2.55	1.65
सितम्बर-11	9.72	0.21	0.33	0.42	0.32	0.28	0.47	2.47	1.60
अक्तूबर-11	9.73	0.28	0.51	0.45	0.41	0.30	0.47	2.77	1.72

(ग) और (घ) भारत कच्चे तेल की अपनी आवश्यकता के 70-80 प्रतिशत का आयात करता है; असलिए तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्य-निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को डीजल और पेट्रोल की कीमतों की वृद्धि के प्रभाव से अलग रखने/अप्रभावित रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार केरोसीन, एलपीजी और डीजल पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि आम आदमी पर मूल्य वृद्धि के असर को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कच्चे तेल पर सीमा शुल्क और पेट्रोल एवं डीजल पर आयात शुल्क में कटौती भी की है।

खनन-माफिया

2681. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोडः
श्री पी.टी. थॉमसः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में खनन-माफिया की गतिविधियों और उनके द्वारा आदिवासियों की भूमि हड़पे जाने की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र द्वारा आदिवासियों की भूमि का अन्य प्रकार प्रयोग रोकने तथा इस प्रकार

हस्तगत की भूमि को मूल स्थिति में बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अवैध खनन/वन माफिया, ट्रांसपोर्टरों और उग्रवादियों के बीच मिलीभगत रोकने के उद्देश्य से विशेष बलातवसूली-रोध प्रकोष्ठ तथा धनशोधन-रोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने का परामर्श दिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रकोष्ठों की स्थापना की ओर राज्य सरकारों ने क्या प्रगति की है; और

(ङ) खनन-माफिया की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारों से सहयोग करने के लिए केन्द्र सरकार ने अन्य और क्या प्रभावी उपाय किए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) भूमि चूंकि राज्य का विषय है इसलिए खनन कार्यकलापों हेतु आदिवासियों की भूमि के अन्य प्रकार प्रयोग के संबंध में केंद्रीय स्तर पर ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, आदिवासियों की भूमि हड़पने की एक शिकायत केन्द्र सरकार की जानकारी में आई है जिसे आवश्यक कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) अवैध खनन/वन ठेकेदारों, परिवाहकों और उग्रवादियों के बीच किसी भी प्रकार की मिलीभगत की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राज्यों में विशेष बलातवसूली-रोधी प्रकोष्ठ और धनशोधन-रोधी प्रकोष्ठ स्थापित करें।

(ङ) केंद्र सरकार देश में खनिज संसाधनों के उचित विनियमन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है और संसद ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 अधिनियमित किया है। हालांकि, उक्त अधिनियम की धारा 23 ग यह उपबंधित करती है कि अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाएं तथापि, केंद्र सरकार अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए सभी राज्यों की मदद करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार सलाह दे रही है और कार्यकलापों व पहल-प्रयासों का समन्वय कर रही हैः-

- राज्य सरकारों को रेल, सीमा-शुल्क और पत्तन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल करके अवैध खनन को नियंत्रित करने के प्रयासों का समन्वय करने के लिए राज्य समन्वय-सह-अधिकार-प्राप्त समिति (एस सी ई सी) गठित करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को सुदूर संवेदन के उपयोग यातायात पर नियंत्रण, बाजार आसूचना एकत्र करने, अंत्य-उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण और विशेष प्रकोष्ठ गठित करने आदि सहित अवैध खनन का पता लगाने और नियंत्रित करने के विशिष्ट उपायों के साथ कार्रवाई योजना तैयार करने और अपनाने की भी सलाह दी गई है।
- राज्य सरकारें तत्काल अपने खनन और भूविज्ञान निदेशालयों को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया शुरू करें जिसे केंद्र सरकार द्वारा निगरानी के लिए कार्य योजना का भाग बनाया गया
- अठारह राज्यों ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग के तहत नियम बनाए हैं और इक्कीस राज्यों ने केंद्र सरकार के निदेशानुसार अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए राज्य और/अथवा जिला स्तर पर कार्यबल गठित किए हैं।
- वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकारों ने गौण और प्रमुख खनिजों के अवैध खनन के 78189 मामलें का पता लगाया जबकि इसकी तुलना में पूरे वर्ष 2009-10 के दौरान 69316 मामलों का पता लगाया गया था।
- सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे रेलवे कस्टम तथा पत्तन के प्रतिनिधियों और लौह अयस्क उत्पादन करने वाले राज्यों के मामले में इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधि को राज्य में गठित राज्य समन्वय तथा अधिकार प्राप्त समिति में शामिल करें ताकि खनिजों के आवागमन संबंधी डाटा के परस्पर बांटा जा सके और परिवहन तथा अयस्क के निर्यात की बेहतर निगरानी की जा सके।
- सभी राज्य सरकारों से कहा गया कि वे खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम, 27 (23) के अंतर्गत विशेष शर्त लगाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी खनन पट्टों में संसाधनों का आकलन करें।
- सरकार ने सभी खनन संबंधी विषयों विशेषकर अवैध खनन से निपटने के लिए कार्यकलापों का समन्वय करने से संबंधित मामलों पर समय-समय पर विचार करने के लिए केन्द्रीय समन्वय-एवं-अधिकार-प्राप्त समिति गठित की है जिसमें राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिध शामिल हैं।
- केंद्र सरकार ने खनिज संरक्षण और विकास नियम 1988 के नियम 45 को संशोधित करके दिनांक 9.2.2011 की

अधिसूचना सा.का.नि. 75(अ) के द्वारा अवैध खनन से निपटने के एक उपाय के रूप में सभी खनिकों, व्यापारियों, भंडारियों, निर्यातकों और अंत्य-उपभोगकर्ताओं के लिए भारतीय खान ब्यूरो में पंजीकरण करवाना तथा खनिजों के आवागमन के बारे में भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकार को सूचित करना अनिवार्य कर दिया है। प्रत्येक स्तर पर ऐसी जांच लौह अयस्क के निर्यात सहित अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के परिवहन को कम करेगी।

- केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में वैध प्राधिकार के बिना बड़े पैमाने पर लौह अयस्क और मैंगनीज के अवैध खनन की जांच करने के लिए दिनांक 22 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना का.आ. 2817 क द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत न्यायमूर्ति श्री एम बी शाह जांच आयोग नियुक्त किया है। आयोग ने कार्य आरंभ कर दिया है।

- केन्द्र सरकार ने भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से एक विशेष टास्क फोर्स गठित की है जो सेटेलाइट इमेजरीज की सहायता से स्थानिक वांछित क्षेत्रों में खानों का निरीक्षण करेगी। 1.12.2011 की स्थिति के अनुसार विशेष कार्यबल ने गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में कुल 434 खानों का निरीक्षण किया। आई बी एम ने निरीक्षण के पश्चात जहां 152 खानें निलंबित की वहीं 96 खानों के मामले में नियमों के अनुपालन के पश्चात निलंबन वापस ले लिया गया। इसके अतिरिक्त आई बी एम ने राज्य सरकारों से 8 पट्टों को समाप्त करने की सिफारिश की है।

विद्युत परियोजनाएं

2682. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार सहित देश में विश्व बैंक कोष की राजसहायता अथवा ऋण से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. वेणुगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) बिहार में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन पर 2× 50 मेगावाट की पूरी यूनिट को 1× 250 मेगावाट की एक नई यूनिट से प्रतिस्थापित करने का एक परियोजना प्रस्ताव विश्व बैंक से 350 मिलियन अमरीकी डॉलर की व्यवस्था करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी

2683. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डीः
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः
श्री अब्दुल रहमानः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के अलावा अन्य कौन सी एजेसियां वित्तीय स्थिति के संबंध में भविष्यवाणी की प्रक्रिया में हिस्सा लेती हैं;

(ख) क्या देश में मुद्रास्फीति/वित्तीय स्थिति के संबंध में उक्त एजेंसियों द्वारा की गयी भविष्य वाणियों में अपवादों को भी शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) कई एजेंसियां और अनुसंधान संस्थान कुछ आर्थिक और वित्तीय संकेतकों नामशः सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा विनियम दर, इक्विटी मूल्य आदि के संबंध में पुर्वानुमान लगाने के कार्य से जुड़े हैं। इन संस्थानों में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, आर्थिक विकास संस्थान इत्यादि शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक जैसी कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी आर्थिक एवं वित्तीय संकेतकों का पूर्वानुमान लगाने के कार्य से जुड़ी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कभी पेशेवर पूर्वानुमान-कर्ताओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण के जरिए चुनिंदा बृहत आर्थिक संकेतकों के पूर्वानुमान प्रकाशित करता है।

(ख) और (ग) इन एजेंसियों द्वारा लगाए गए पुर्वानुमान, प्रयुक्त की गई विभिन्न धारणाओं, पद्धतियों, डाटा सेटों तथा डाटा संकेतों पर आधारित होते हैं और इसलिए संभवतः इनकी संपूर्ण परस्पर तुलना नहीं की जा सकती। वास्तविक स्थिति कभी-कभी पूर्वानुमानों के नजदीक होती है तो कभी-कभी बिल्कुल भिन्न हो सकती है।

(घ) सरकार भिन्न एजेंसियों द्वारा मापदंडों के आधार पर किए जा रहे पूर्वानुमानों से अवगत है। इन्हें देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के मूल्यांकन में जरूरी जानकारी माना जाता है।

[हिन्दी]

एयरलाइन कंपनियों से कर

2684. श्री पशुपति नाथ सिंहः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में विभिन्न एयरलाइन कंपनियों से प्रभारित करों का प्रकार/ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक कंपनी के विरूद्ध बकाया करों की राशि का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन पर बकाया ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सफलता हासिल की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जहां तक केन्द्रीय करों का संबंध है भारत में एयरलाइन कंपनियों सहित अन्य कंपनियों से प्रत्यक्ष करों के एक हिस्से के रूप में कंपनी कर प्रभावित किया जाता है। सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पादक शुल्क और सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष कर वास्तव में माल एवं सेवाओं पर लगाये जा सकते हैं कंपनियों पर नहीं। तथापि वर्तमान में नियत और अनियत उड़ानों (ऑपरेशन) के लिए तथा इन विमानों की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए आयातित विमानों पर सशर्त छूट दी जाती है। इस प्रकार के अन्य सभी विमानों के आयातों पर 2.5% की दर से मूल सीमा शुल्क और 10% की दर से उत्पाद शुल्क के बराबर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (सी वी डी) लगता है। हेलीकॉप्टर के आयातों पर भी 2.5% की दर से मूल सीमा शुल्क और 10% की दर से प्रति संतुलनकारी शुल्क लगता है। छपी हुई टिकटों के स्टॉफ एयरवेज बिलों एयरलाइन द्वारा आयातित सभी सामानों पर आयात शुल्क प्रभारित किया जाता है। एविएशन टरबाइन फ्यूल (ए टी एफ) पर मूल सीमा शुल्क शून्य है तथा 8% की दर से उत्पादक शुल्क के बराबर प्रति संतुलनकारी शुल्क लगता है।

(ख) एयर लाइन कंपनियों पर विचार किये बिना विभिन्न निर्धारितियों के प्रति बकाया कंपनी कर के आकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि 01.04.2011 को कंपनी करदाताओं के प्रति कुल बकाया राशि 1,36,315 करोड़ रूपए थी जिसमें ऐसी मांग शामिल है जो वसूल करना मुश्किल है।

(ग) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है एयरलाइन कंपनियों का ध्यान किये बिना विभिन्न निर्धारितियों के प्रति लंबित कर देयताओं की वसूली में तेजी लाने के लिए आयकर अधिनियम 1691 के तहत बकाया कर देयताओं की वसूली के लिए निर्धारित सांविधिक उपायों (जिसमें बैक खातों की कुर्की अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री आदि शामिल हैं) के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष उपाय किये जा रहे हैः

(1) कार्रवाई योग्य मामलों की पहचान कर बकाया करों की वसूली तथा उनकी कड़ी मॉनिटरिंग।

(2) आयुक्त (अपील) और आईटीएटी के समक्ष लंबित भारी रकम वाले को मामलों की पहचान तथा इन प्राधिकारियों से अनुरोध कि वे ऐसे अपील वाले मामलों का शीघ्र निपटान करें ताकि उन रकमों की शीघ्र वसूली की जा सके।

(3) करदाताओं को शिक्षित करने और उनमें स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार एवं जागरूकता अभियान।

(घ) अप्रैल से नवम्बर 2011 की अवधि के दौरान एयरलाइन कंपनियों का ध्यान किये बिना कंपनी कर देयताओं से बकाया राशि से बकाया राशि की नकद संग्रहण 13 000 करोड़ रूपये (अनंतिम) था।

अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रश्न के भाग (ख) से (घ) के उत्तर के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2685. श्री वीरेन्द्र कुमारः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) से (ग) कम बैंकिंग सेवा/बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा

की पहुंच बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों (आरआरबी) को वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए शाखा विस्तार योजना बनाने की सलाह दी गयी है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि की जानी है। इसके अलावा कम बैकों वाले जिलों जहां की औसत जनसंख्या प्रति बैंक शाखा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 18000 से अधिक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों से वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 में 15% की वृद्धि की योजना बनाना अपेक्षित है।

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार आरआरबी की शाखाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार आरआरबी की शाखाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1413
2.	अरूणाचल प्रदेश	22
3.	असम	408
4.	बिहार	1537
5.	छत्तीसगढ़	468
6.	गुजरात	446
7.	हरियाणा	415
8.	हिमाचल प्रदेश	158
9.	जम्मू व कश्मीर	409
10.	झारखण्ड	409
11.	कर्नाटक	1256
12.	केरल	420
13.	मध्य प्रदेश	1098
14.	महाराष्ट्र	607
15.	मणिपुर	27
16.	मेघालय	58
17.	मिजोरम	62
18.	नागालैंड	8
19.	ओडिशा	875
20.	पुदुचेरी	25
21.	पंजाब	261
22.	राजस्थान	1068
23.	तमिलनाडु	313
24.	त्रिपुरा	113
25.	उत्तर प्रदेश	3157
26.	उत्तरांचल	203
27.	पश्चिम बंगाल	887
	कुल	16001

हवाला लेन-देन

2686. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री रमेश बैस:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में हवाला लेन-देन का कोई मामला आया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) देश में हवाला लेन-देन करने वाले प्रमुख बाजारों पर नजर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) चालू वित्त के दौरान (दिनांक 31-10-2011 तक) प्रर्वतन निदेशालय ने विदेश मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (फेमा) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले हवाला लेन-देन के संबंध में जिसमें कुल 2246.31 लाख रुपये की राशि शामिल है 117 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय विनिर्दिष्ट सूचना के आधार पर फेमा के तहत उचित कार्रवाई है।

[अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

2687. श्री जोस के. मणिः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत आपूर्ति अवसंरचना की निरंतरता तथा ग्रामीण विकास में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के योगदान के संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी.वेणुगोपाल): (क) से (ग) जी, हाँ। विद्युत आपूर्ति, अवसंरचना का स्थयित्व और ग्रामीण विकास के लिए योगदान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीई) के महत्वपूर्ण पहलू हैं और इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। इन मामलों के समाधान के लिए इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए परियोजनाओं की मंजूरी से पूर्व राज्यों से पूर्व प्रतिबद्धता प्राप्त की गई है:-

(i) आरजीजीवीई गांवों में 6-8 घंटे की न्यूनतम दैनिक विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटी।

(ii) स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के अपने स्थायित्व के लिए ग्रामीण वितरण के प्रबंधन हेतु फ्रैंचाइजियों की तैनाती।

(iii) स्कीम के अंतर्गत कनैक्शन उपलब्ध करवाए जाने वाले बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए विद्युत अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकतानुसार राज्य यूटिलिटियों को राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित राजस्व सब्सिडी का प्रावधान।

विद्युत मंत्रालय ने, राज्य सरकारों को सुविधा के लिए विभिन्न संभाव्य माडलों, सैंपल व्यावसायिक योजना, मॉडल करार आदि के ब्यौरे वाले "फ्रैंचाइजी दिशानिर्देश" जारी किए हैं। यह मंत्रालय फ्रैंचाइजी प्रशिक्षण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान तथा भावी फ्रैंचाइजियों के क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल भी बना रहा है।

राज्य सरकारों से अवसंरचना के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण नीति (2006) के अनुसार अपेक्षित वितरण एवं पारेषण प्रणाली की स्थापना तथा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता के लिए योजना को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तैयार तथा अधिसूचित करने की भी अपेक्षा की जाती है।

जनजातियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम

2688. श्री रामसिंह राठवाः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में जनजातीय लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अधीन क्या गतिविधियां शुरू की गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अधीन क्या गतिविधियां शुरू की गयी हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आवंटित और उपयोग की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) देश में अधिकांश अनुसूचित जनजातियां अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक हैं।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) ऐसी सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती।

(घ) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

वेतन विसंगति

2689. श्री के.सी. सिंह "बाबा" क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या समान पदों पर होने के बावजूद पदोन्नति वाले और सीधे भर्ती वाले कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन दिए जाने की घटनाएं केंद्र सरकार की जानकारी में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसी कुछ घटनाएं आई हैं जो समान पदों पर हाने पर भी 01.01.2006 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती वाले कनिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में पदोन्नत वरिष्ठ कर्मचारियों को कम वेतन दिया जा रहा है।

(ख) यह पदोन्नत कर्मचारियों तथा सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों के संबध में वेतन निर्धारण के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में यथा-विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीको के कारण है। वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मामलों पर नियमों और अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है तथा नियम की स्थिति और वेतन बढ़ाए जाने की स्वीकार्यता का स्पष्टीकरण संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरणों को दे दिया जाता है।

खरीदे गए चिकित्सा उपकरण

2690. श्री अरूण यादवः
श्री सी. शिवासामीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सरकारी अस्पतालों के लिए घटिया चिकित्सा उपकरणों की खरीद की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) सरकार द्वारा अस्पतालों में जीवनरक्षक उपकरणों को अच्छी कार्य स्थिति में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या घटिया चिकित्सा उपकरणों के इस्तेमाल के कारण किसी रोगी की मृत्यु होने की जानकारी मिली है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एन आर एच एम निधियों से खरीदे गए अस्पताल उपकरणों की खरीद और रख रखाव अनुसूची की अनिवार्य घोषणा हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 'एन.आर.एच.एम' के अंतर्गत राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संघ सरकार के परामर्श का अनुपालन कर रहे राज्यों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इस प्रकार की जानकारी का रख-रखाव केंद्र नहीं करता है। फिर भी, जहाँ तक दिल्ली के केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात् डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और साफदरजंग अस्पताल और एलएचएमसी एवं सम्बद्ध अस्पतालों का संबंध है, घटिया चिकित्सा उपकरणों की खरीद की ऐसी किसी धटना की जानकारी नहीं है। इन अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद की ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं हैं इन अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद सामान्य वित्तीय नियम, 2005 में निहित अनुदेशों, केन्द्रीय सतर्कता आयोग एंव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देर्शों के अनुसार की जाती है। एक लाख रूपए से अधिक की लागत वाले चिकित्सा उपकरणों के कार्यकरण की स्थिति की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा मासिक आधार पर समीक्ष की जाती है। केन्द्र सरकार के इन तीन अस्पतालों में घटिया उपकरणों के प्रयोग के कारण होने वाली मौत की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) और (च) इस प्रकार के कोई दिशा-निर्देश परिचालित नहीं किए गए हैं।

भ्रष्टाचार रोकने के उपाय

2691. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटीलः
श्री बलीराम जाधवः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में कच्चे माल के प्रापण में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कदम दठाए जाने और पारदर्शिता लाये जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित उपायों को लागू करने के लिए कुछ विधान लाए जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त उपायों के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) जी, हां। सरकार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त एवं सांविधिक निकायों

द्वारा लोक प्रापण को विनियमित करने के लिए चालू वित्त वर्ष में संसद में एक लोक प्रापण विधेयक पेश करना चाहती है।

प्रस्तावित लोक प्रापण विधेयक का मसौदा जनता से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है। प्रस्तावित विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श करने तथा विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग समिति का भी गठन किया गया है।

[हिन्दी]

घोषित वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया जाना

2692. श्री दिनेश चन्द्र यादवः
श्री अर्जुन रायः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जैसे उत्पादों को घोषित वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समावेशन के क्या परिणाम होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह कार्रवाई करने के लिए कहने से पहले कतिपय करों की दरों में कटौती की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त कदम को उठाने के लिए राज्य सरकारों को कहने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जी नहीं, सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस/रिगैसीफाइड एलएनजी को "घोषित वस्तुओं" का स्तर प्रदान करने के प्रश्न पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ई सी) से केवल उनके विचार मांगे थे। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने अपने विचार दिए तथा यह कहा कि प्राकृतिक गैस/रिगैसीफाइड एलएनजी को "घोषित वस्तुओं" की सूची में नहीं लाया जाना चाहिए।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) एवं (ख) भाग के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ओडिशा को नाबार्ड से अनुदान

2693. श्री नित्यानंद प्रधान
श्री वैजयंत पांडाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ओडिशा राज्य को कुछ ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार किस अवसंरचना के विकसित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) नाबार्ड द्वारा इस राज्य को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अधीन अवसंरचना विकास तथा ग्रामीण बाजारों के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गयी है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया करायी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) नाबार्ड द्वारा ओडिशा राज्य के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत संस्वीकृत और संवितरित ऋण के विवरण नीचे दिए गए हैं। विकसित/विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित अवसंरचना में सड़क एवं पुल सिंचाई एवं कृषि से जुड़े कार्यकलाप, पेय जल आपूर्ति और सामाजिक क्षेत्र के अन्य कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

ओडिशा राज्य के लिए आरआईडीएफ के अंतर्गत संस्वीकृत एवं संवितरण के विवरण

(करोड रुपए)

वर्ष	परियोजनाओं की सं.	संस्वीकृति	संवितरण	%
1	2	3	4	5
1995-96	2506	169.50	162.05	95.60
1996-97	44	151.13	141.03	93.32

1	2	3	4	5
1997-98	52	198.85	172.04	86.52
1998-99	39	149.12	117.16	78.57
1999-00	73	128.13	99.93	77.99
2000-01	16119	104.18	86.26	82.80
2001-02	140	148.88	137.19	92.15
2002-03	365	246.83	210.74	85.38
2003-04	28555	185.11	155.88	84.21
2004-05	413	376.32	284.98	66.16
2005-06	7012	396.97	294.60	74.21
2006-07	16622	499.81	425.87	85.21
2007-08	1990	508.97	328.61	64.56
2008-09	29247	849.26	497.17	58.54
2009-10	12683	759.58	286.62	37.73
2010-11	1284	898.26	72.92	8.12
2011-12	14518	818.80	0.05	0.01
कुल	131673	6589.70	3473.09	52.7

नाबार्ड द्वारा ओडिशा के लिए 31 अक्तूबर 2011 तक प्रदत्त कुल धनराशि 6589.70 करोड़ रुपए है। ग्रामीण बाजारों के लिए संस्वीकृत धनराशि 0.99 करोड़ रुपए है जिसमें से 0.85 करोड़ रुपए संवितरित किए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु सकल घरेलू उत्पाद

2694. श्री यशवीर सिंहः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री नीरज शेखरः
श्री जगदानन्द सिंहः
श्रीमती दर्शना जरदोशः
श्री गजानन ध. बाबरः
डॉ.पी. वेणुगोपालः
श्री रायापति सांबासिवा रावः
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाणः
श्री आर. ध्रुवनारायणः
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः
श्री रूद्र माधव रावः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब

तक अन्य क्षेत्रों की तुलना में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को कितनी धनराशि आवंटित तथा व्यय की गई;

(ख) क्या विश्व के विकसित देशों की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत का व्यय निम्नतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकें क्या कारण हैं;

(घ) क्या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर उच्च स्तर के विशेषज्ञ समूह तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाने को कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्र पर व्यय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 के अनुसार, 2008-2009, 2009-10 (संशोधित अनुमान) के दौरान देश के अन्य सामाजिक क्षेत्रों की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय की गई सार्वजनिक निधियों और 2010-11 (बजट अनुमान) हेतु किए गए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा प्रकाशित की गई विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी-2011 के अनुसार, भारत में 2008 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया गया सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत व्यय 2008 में कुछ चुनिंदा विकसित देशों जैसे कि जर्मनी 10.5 प्रतिशत, फ्रांस 11. 2 प्रतिशत, संयुक्त राज्य 8.7 प्रतिशत तथा जापान 8.3 प्रतिशत की तुलना में 4.2 प्रतिशत है।

वर्ष 2008 में स्वास्थ्य पर सामान्य सरकार का व्यय स्वास्थ्य पर किए गए कुल व्यय का 32.4 प्रतिशत है। भारत में स्वास्थ्य पर निम्न सार्वजनिक व्यय अन्य कारणों के साथ-साथ जीडीपी अनुपात पर कम कर की वजह से है।

(घ) जी, हाँ। सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एलएलईजी) तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने सरकार से स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाने को कहा है। एचएलईजी ने 12वीं योजना के अंत तक जीडीपी को लगभग 1.2 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 2.5 प्रतिशत करने और 2022 तक जीडीपी का कम से कम 3 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि केन्द्र और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभागों द्वारा कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत होना चाहिए।

(ङ) योजना आयोग के दस्तावेज-"फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इन्क्लूसिव ग्रोथः एन एप्रोच टू द टवेल्थ फाइव ईयर प्लान (ड्राफ्ट)" के अनुसार, बारहवीं योजना के अंत तक कुल स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत का लक्ष्य होना चाहिए।

विवरण

आम सरकार (केन्द्र एवं राज्य सरकार संयुक्त) द्वारा समान सेवा व्यय में रूझान

(करोड़ रुपये में)

मदें	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 (संशोधित प्राक्कलन)	2010-11 (बजट प्राक्कलन)
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	2,94,584	3,80,269	4,76,351	5,22,492
(i) शिक्षा	1,29,366	1,61,360	2,04,986	2,35,035
(i) स्वास्थ्य	63,226	73,898	90,700	99,738
(iii) अन्य	1,01,992	1,45,011	1,80,665	1,87,719

स्त्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजी

2695. श्री जे.एम. आरून रशीदः
श्री के. सुगुमारः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः
श्री अवतार सिंह भडानाः
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मीः
श्री सी.आर. पाटिलः
श्री प्रताप सिंह बाजवाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैंकिंग संस्थानों की पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने इस राजकोषीय वर्ष में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 6000 करोड़ रुपए के बराबर की राशि का निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (पीएआर) को बेसल- iii मानकों के अधीन बनाए रखने के लिए उक्त बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं की जांच के लिए कोई समिति गठित की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त बैंकों को विभेदात्मक मतदान अधिकार शेयर (डीवीआरएस) तथा गोल्डेन शेयरों जैसी निधियां उगाहने वाले नवोन्मेषी साधनों के उपयोग को अनुमति देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 2011-12 के संघीय बजट में 6000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों से 31. 03.2012 की स्थिति के अनुसार 8% के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात के प्रति न्यूनतम श्रेणी-। पूंजी बनी रहे। पूंजी लगाए जाने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। अगले 10 वर्षो के लिए बैंकों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण के लिए जरूरत का आकलन करने; इन वित्तीय संस्थाओं के पूंजीकरण के लिए संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न संभव विकल्पों की तलाश करने, ऐसी पूंजीकरण जरूरतों को पूरा करने में विभिन्न सरकारों, विशेषकर, विकासशील देशों में, के वैश्विक अनुभव को जानने-समझने के लिए, और पूंजीकरण के लिए सुझाए गए/अधिमान्य तरीकों और उससे जुड़े विनियामकीय एवं राजकोषीय मुद्दों, यदि कोई हों, से संबंधित सिफारिशों का विश्लेषण करने के लिए वित्त मंत्री जी के अनुमोदन से वित्त सचिव की अध्यक्षता में 15.09. 2011 को एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। सचिव (व्यय), सचिव (आर्थिक-कार्य), मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय और सचिव (वित्तीय सेवाएं) इस समिति के सदस्य हैं।

(ङ) समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है।

ऋणों की वसूली

2696. श्री लालचन्द कटारियाः
श्री पी. कुमारः
श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
श्री गुरूदास दासगुप्तः
श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्री अर्जुन रायः
श्री अनंत कुमार हेगड़ेः
श्री संजय भोईः
श्री उदय प्रताप सिंहः
श्रीमती रमा देवीः
श्री एक नाथ महादेव गायकवाड़ः
श्री चंद्रकांत खैरेः
श्री एस. अलागिरीः
श्री प्रबोध पांडाः
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधीः
श्री अरविंद कुमार शर्माः
श्री रूद्रमाधव रायः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) से देश के उन औद्योगिक घरानों के नाम एवं अन्य ब्यौरे सार्वजनिक करने को कहा है जिन्होंने उक्त बैंकों से लिये गये ऋण के मामले में चूककर्ता साबित हुये हैं:

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन चूककर्ता के नाम सार्वजनिक करने के संबंध में क्या प्रगति हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऋणों/अशोध्य ऋणों की वसूली करने

की समस्या से निपटने हेतु बैंकिंग कानूनों सहित संबंधित संविधि में सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऋणों/अशोध्य हेतु सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये/किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उद्योगपतियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से लिए गए ऋण में चूक सहित 100 शीर्ष चूककर्ताओं, जिसमें व्यवसायी का नाम, पता, फर्म का नाम, मूल राशि, ब्याज राशि, चूक की तारीख तथा ऋण लेने की तारीख का विवरण दिया हो, के संबंध में एक अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 15 नवंबर, 2011 के अपने निर्णय में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया है कि वह आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (i) (ख) (xvii) के तहत अपने दायित्वों की पूर्ति में अपनी वेबसाइट पर यह सूचना प्रदर्शित करें। आरबीआई को सीआईसी के आदेश का अनुपालन करने के लिए 10 दिसम्बर, 2011 तक का समय दिया गया है।

(ग) और (घ) वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने, 'एनपीए' में कमी लाने, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने और एक अच्छा वसूली वातावरण बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार ने गत वर्षों में पहले से ही विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुपयोज्य आस्तियों के प्रावधानीकरण एंव वर्गीकरण हेतु विवेकपूर्ण मानदण्ड निर्धारित करना, चूक की रोकथाम हेतु दिशानिर्देश, कारपोरेट ऋण पुनर्निधारण एवं अन्य पुनर्निधारण योजनाएं एक बारगी निपटान योजनाएं वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण एवं पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रर्वतन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002, ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली (डीआरटी) अधिनियम 1993 का अधिनियम और 31 मार्च, 2011 से परिचालनरत सेन्ट्रल रजिस्ट्री आफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरेटी इंटरसट आफ इंडिया (सीईआरएसएआई) जैसे उपाय शामिल हैं।

विनिवेश का लक्ष्य

2697. श्री मनीष तिवारीः
श्री सी. शिवासामीः
श्री एस.आर. जेयदुरईः
डॉ. एम. तम्बिदुरईः
श्री उदयन राजे भोंसलेः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः
श्री रायापति सांबासिवा रावः
श्री नवीन जिन्दलः
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए पब्लिक इश्यू के अतिरिक्त अन्य विकल्पों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका संबंधित सरकारी उपक्रमों के वर्ममान शेयरधारकों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का लाभार्जन सरकारी उपक्रमों के बीच क्रास-होल्डिंग की अनुमति देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे किस स्तर पर सीमित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इसका सरकारी उपक्रमों के वित्तकोष और अन्य निवेश/देनदारियों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जब पूंजी बाजार में मन्दी का दौर हो तो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का सर्वोत्तम मूल्य नहीं जुटाया जा सकता, इसलिए अन्य विकल्पों का पता लगाया जा रहा है। जब इन विकल्पों को ठोस रूप दे दिया जाएगा केवल तभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकेगा।

अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर

2698. श्री धनंजय सिंहः
श्री मनोहर तिरकीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा हासिल वृद्धि दर कितनी है;

(ख) क्या हाल की तिमाही में अर्थव्यवस्था के विकास दर में वृद्धि आशा से कम रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अर्थव्यवस्था में मंदी को रोकने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान और अप्रैल-सितम्बर 2011-12 हील ही के अवधि जिसके आंकड़े उपलब्ध है, के दौरान उपादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर निम्नलिखित है:

वर्ष	स.घ.उ. में वृद्धि (प्रतिशत)
2008-09	6.8
2009-10	8.0
2010-11	8.5
2011-12 (अप्रैल-सितम्बर)	7.3

(ख) हाल की तिमाहियों में विकास में मंदी आई है।

(ग) वर्ष 2011-12 की पहली दो तिमाहियों में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमशः 7.7 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत की दर पर विकास हुआ।

(घ) सरकार ने वैश्विक वित्तीय संकट के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हाल के वर्षो में प्रतिचक्रीय रवैया अपनाकर सतत् आधार पर विवेकपूर्ण बृहत-आर्थिक नीतियां अपनाई हैं, विकास को बढ़ावा देने, उत्पाद एवं वित्तीय बाजार विकसित करने के लिए संरचनागत उपायों को मजबूत बनाया है तथा गरीबों की रक्षा के लिए मजबूत बुनियाद के निर्माण हेतु सामाजिक व्यय में बढ़ोतरी की है। विकास को गति देने के लिए हाल की अवधि में किए विशिष्ट उपायों में, अन्य के साथ-साथ अवसंरचना ऋण निधि के सृजन के जरिए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, सरकारी निजी भागीदारियों पर ध्यान देना, नई विनिर्माण नीति की घोषणा करना, नई मसौदा नीति की घोषणा करना, संसद में भूमि अधिग्रहण विधेयक लाना, तथा भारत में बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए कई विधायी उपाय करना शामिल हैं।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

2699. श्री संजय भोई:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी के कारण विद्युत कंपनियों को गैस-आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में अपनी विस्तार योजनाओं पर पुनर्विचार करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैस ईंधन की कमी के कारण 8000 मेगावाट की नई गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो ईंधन आपूर्ति के अभाव का सामना कर रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) वर्तमान में प्राकृतिक गैस आपूर्ति में मुश्किल होने के कारण अपनी विस्तार योजना पर पुनः विचार करने के लिए किसी विद्युत परियोजना विकासकर्ता ने सूचित नहीं किया है। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त गैस के उपलब्ध न होने और विद्युत परियोजनाओं को आवंटित गैस की न्यूनतम आपूर्ति के कारण वर्तमान गैस आधारित विद्युत संयंत्र भी उप इष्टतम स्तर पर प्रचालनरत हैं।

(ग) और (घ) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट के आधार पर, विद्युत मंत्रालय ने 11वीं योजना संलग्न विवरण-I में शुरू किए जाने की संभावना वाली 5820 मेगावाट क्षमता हेतु 31.81 एमएमएससीएमडी गैस के आबंटन हेतु सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय/राज्य क्षेत्र संलग्न विवरण-II में 6450 मेगावाट क्षमता के लिए 24.27 एमएमएससीएमडी गैस के आबंटन के लिए आश्वासन हेतु अनुरोध भी किया है। ताकि वे अपनी परियोजनाओं की योजना एंव निष्पादन हेतु डीपीई की दिशानिर्देशों के अनुसार अपने-अपने बोर्डो से निवेश अनुमोदन प्राप्त कर सकें।

(ङ) सरकार ने निम्नलिखित बातों के साथ-साथ देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए बहुस्तरीय कार्यनीति अपनाई है-

(i) नयी अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) दौर के माध्यम से घरेलू अन्वेषण एवं उत्पादन (ई एवं पी) का सुदृढ़ीकरण

(ii) कोयला बेड मीथेन (सीबीएम) ई एंड पी कार्य

(iii) भूमिगत कोयला गैसीकरण

(iv) विभिन्न देशों से जलीय प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आया और

(v) ट्रांसनैशनल पाइपलाइन अर्थात तुर्केमिनिस्तान अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) पाइपलाइन और इरान पाकिस्तान भारत (आईपीआई) पाइपलाइन।

विवरण I

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर इस मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई 11वीं योजना की निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए गैस की मांग

क्र.सं.	विद्युत स्टेशन/एजेंसी का नाम	कुल क्षमता (मेगावाट)	11वीं योजना में संभावित क्षमता (मेगावाट)	राज्य में अवस्थित	70/75% पीएलएफ पर 11वीं योजना में संभाव्य क्षमता हेतु गैस की मांग (एमएमएससीएमडी)
1	2	3	4	5	6
1.	पीपीसीएल (राज्य क्षेत्र) द्वारा बवाना सीसीजीटी	1500	1250	दिल्ली	4.67$
2.	हजारी सीसीपीपी/मैसर्स गुजरात राज्य एनर्जी जेनेरेशन लि. (जीएसइजी) (राज्य क्षेत्र)	351	351	गुजरात	1.31
3.	पीपीवाव सीसीपीपी फेज-I/मैसर्स जीएसपीसी पीपावाव पावर कंपनी लिमिटेड (राज्य क्षेत्र)	702	702	गुजरात	2.62
4 & 5.	काशीपुर सीसीजीटी सरावंथी एनर्जी प्रा. लि. फेज-I एवं II (निजी)	450	450	उत्तराखण्ड	1.68
6.	लैंकों कोंडापल्ली एक्पैं चरण-III (निजी क्षेत्र)	770	770	आंध्र प्रदेश	3.08
7.	वेमागिरी सीसीपीपी-एक्पैं चरण-III (निजी क्षेत्र)	768	768	आंध्र प्रदेश	3.07
8.	सुजेन फेज-I इकाई-4 मेसर्स टॉरेंट (निजी क्षेत्र)	382.5	382.5	गुजरात	1.43
9.	दाहेज एसईजेड (टौरेंट) (निजी क्षेत्र)	1200	400	गुजरात	1.49
10.	सामलकोट एक्सपैंसन (निजी क्षेत्र)	2400	1400**	आंध्र प्रदेश	9.60
11.	मैसर्स पांडुरंगा एनजी सिस्टम्स प्रा.लि. (पीएसपीएल)-फेज-I (निजी क्षेत्र) द्वारा सीसीजीटी	100	100	आंध्र प्रदेश	0.4
12.	आरवीके (राजमुंदरी) प्रा.लि.* (निजी क्षेत्र)	436	196	आंध्र प्रदेश	0.78

1	2	3	4	5	6
13.	सीसीजीटी मैसर्स बीटा इंफ्राटेक प्रा.लि. (निजी क्षेत्र)	225	225	उत्तराखण्ड	0.84
14.	मैसर्स गामा इंफ्राटेक प्रा.लि द्वारा सीसीजीटी (निजी क्षेत्र)	225	225	उत्तराखण्ड	0.84
	कुल	9509.5	5819.5		31.81

$ओएनजीसी के सीमांत क्षेत्र से 1.564 एमएमएससीएमडी गैस का आबंटन किया गया था। विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त 0.85 एमएमएससीएमडी गैस की सिफारिश भी की है।

**गैस की मांग के मूल्यांकन हेतु रिलायंस की क्षमता को 2400 मेगावाट माना गया है। (11 वीं योजना के दौरान संभावित खुले चक्र में केवल 1400 मेगावाट)

विवरण II

ईजीओएम (केंद्रीय/राज्य क्षेत्र) के विचार हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई गैस की मांग

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट में)	गैस की मांग (एमएमएससीएमडी में)	पीएलएफ (% में)
1.	एनटीपीसी का कवास एवं गंधार	2600	9.70	70
2.	एनटीपीसी का कायमकुलम चरण-।।	1050	3.92	70
3.	डीएमआईसीडीसी	1000	3.75	70
4.	पुडुचेरी में यन्नाम	350	1.30	70
5.	फरीदाबाद एचपीजेनको	750	2.80	70
6.	करीमनगर का एपीजेनको	700	2.80	75
	सकल योग	6450	24.27	-

आवास ऋणों का समय-पूर्व भुगतान करने पर अर्थदण्ड

2700. श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री संजय भोईः
श्री बलीराम जाधवः
श्री के. सुगुमारः
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में बैंकों तथा आवासन वित्तीय कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए बैंकों के समय से पहले आवास ऋणों के पुनर्भुगतान पर अर्थदंड नहीं लगाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी क्षेत्र के कुछ बैंक विशेष-कर एचडीएफसी इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं और इन बैंकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है बैंकों को ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं उठता।

आवास ऋणों पर ब्याज राजसहायता

2701. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री संजय भोईः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के वर्षो में 15 लाख रुपए के आवास ऋणों पर एक प्रतिशत ब्याज राजसहायता के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पालन नहीं किए जाने की घटना सामने आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंकवार विशेषकर एचडीएफसी लिमिटेड का ब्यौरा क्या है और इसके कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के ऐसे प्रत्येक बैंक के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंकों में आवास ऋणों हेतु 1% की ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है, ने यह सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

किसानों पर ऋण का बोझ

2702. श्री भूदेव चौधरीः
श्री हंसराज गं. अहीरः
श्री मकन सिंह सोलंकीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक बर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के वाणिज्यिक बैकों से ऋण लेने वाले बहुत से किसान ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार और बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को डीजल और खाद्य तेलों पर सब्सिडी देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों के ऋण के बोझ को कम करने तथा प्राकृतिक आपदा के कारण हुई हानि की स्थिति में उन्हें राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ङ) आरबीआई द्वारा देश के ऐसे किसानों की संख्या से संबंधित आकड़ें नहीं रखे जाते हैं जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हैं।

भारत सरकार ने किसानों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि हेतु 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है भारत सरकार वर्ष 2009-10 से तत्पर अदाता किसानों अर्थात जो अपने ऋण समय पर अदा कर वापिस करते हैं को अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त सहायता 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% थी। 2011-12 में इसे बढाकर 3% किया जा रहा है।

(ii) कृषि ऋण माफी स्वयं ऋण राहत योजना (एडी डब्ल्यूडीआरएस) 2008 से वह ऋण प्रणाली शुरू हो गई है जो किसानों पर ऋण के बोझ के कारण बंद हो गई थी।

(iii) बैकों को सलाह दी गई कि वे 50,000 रू. तक के लघु ऋणों लघु एवं सीमांत किसानों बंटाईदारों और इनमें मिलते-जुलते लोगों से 'नो ड्युज' प्रमाणपत्र लेने की अपेक्षा को जोड़ दें और असके बजाय उधारकर्त्ता से स्व-घोषण पत्र प्राप्त करें।

(iv) भारतीय रिजर्व बैक (आरबीआइ) ने बैकों को दी है कि वे 1,00,000 रु. तक के ऋणों के लिए मार्जिन/जमानती अपेक्षाओं को माफ कर दें।

(v) बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच का विस्तार ग्रामीण आबादी तक करने के लिए बैकों ने 2000 से अधिक आबादी वाले ऐसे लगभग 73,000 गावों की पहचान की है जिनमें मार्च 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जानी हैं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजक बैकों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अक्तूबर 2011 तक 45000 ऐसे गांवों को कवर कर लिया गया है।

(vi) घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) को रिपोर्ट करने की शर्त के अधीन (1) टीयर 2 से टीयर 6 केन्द्रों (99,999 तक की आबादी वाले) में और (2) उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम के ग्रामीण अर्ध-शहरी और शहरी केन्द्रों में शाखाएं/मोबाइल शाखाएं खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। आरबीआई ने बैकों को सलाह दी है कि अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय बैंकों को वर्ष के दौरान खोले जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत रहित बैंक ग्रामीण (टीयर 5 और टीयर 6) केन्द्रों के लिए आवंटित करना चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं के समय बैंक उधारकर्त्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैक ने बैंकों को स्थायी दिशानिर्देश जारी किए है। राहत उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(क) फसल ऋणों और कृषि सावधि ऋणों के बकाया मूलधन और उन पर प्रोद्भुत ब्याज को सावधि ऋणों में रूपांतरित करना।

(ख) फसल खराब होने की बारम्बारता/फसलों के नुकसान की तीव्रता के आधार पर 3 से 10 वर्षों की अवधियों के लिए ऋणों और पर प्रोद्भूत ब्याज का स्पांतरण/पुनर्नियतन

(ग) प्रभावित किसानों के लिए नए फसल ऋण

(घ) रूपांतरित/पुनर्नियत कृषि ऋणों को 'चालू बकाया' मानना

(ङ) रूपांतरित/पुनर्नियत ऋणों के संदर्भ में ब्याज को चक्रवृद्धि नहीं करना

(च) जमानत और मार्जिन से संबंधित उदार मानदंड

(छ) जिन किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा है उनके लिए उपभोग ऋणों की व्यवस्था करना; और

(ज) पुनर्नियतन करते समय कम से कम 1 वर्ष की अधिस्थगन अवधि।

[अनुवाद]

जल विद्युत का उत्पादन

2703. श्री मंगनी लाल मंडलः
श्री संजय धोत्रेः
श्रीमती रमा देवीः
श्री एस. अलागिरीः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में जल विद्युत के उत्पादन में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल विद्युत के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों और प्रस्तावित निधियों का ब्यौरा क्या है।

(घ) क्या देश में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू होने में विलंब हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12 नवंबर, 2011 तक) के दौरान जल विद्युत स्टेशनों (25 मेगावाट से ऊपर) से लक्ष्य की तुलना में वास्तविक जल उत्पादन के राज्यवार और यूटिलिटीवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं:

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान उत्पादन लक्ष्य से क्रमशः 4.35% और 9.90% तक कम रहा है। तथापि, वर्ष 2010-2011 के दौरान उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 3.06% तक अधिक था। वर्ष 2008-09, 2009-10 के दौरान विद्युत उत्पादन कम वर्षा के कारण विद्युत उत्पादन के लिए जल की कम उपलब्धता की वजह से निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम रहा है।

विद्युत क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा विद्युत संबंधी कार्यदल का गठन किया गया है

जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य, निधि आवश्यकता आदि शामिल होंगे।

(घ) और (ङ) चालू किए जाने का कार्यक्रम, मूल/नवीनतम, विलंब आदि के मामलों/बाधाओं सहित 11वीं योजना के अनुसार देश में निर्माणाधीन विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट और उससे ऊपर) के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जल विद्युत परियोजनाओं निर्धारित समयावधि में पूरी की जाती हैं, निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए निम्नांकित कार्यविधि अपनाई जाती हैः-

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(च) के अनुसरण में विद्युत परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। लगातार स्थल निरीक्षण विकासकर्ताओं के साथ बातचीत, मासिक प्रगति रिपोर्टों के गंभीरता से अध्ययन के जरिए प्रत्येक परियोजना की प्रगति की लगातार निगरानी की जा रही है। अध्यक्ष सीईए महत्वपूर्ण मामलों के समाधान के लिए विकासकर्ताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ समीक्षा बैठकें करते हैं।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र रूप से अनुसरण करने और जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक पावर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग पैनल (पीपीएमपी) की स्थापना की गई है।
- मंत्रालय सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपकरण विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/सीपीएसयूज/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें करता है।

विवरण I

2007-08 से 2011-12 (नवंबर, 11 तक) देश में प्रचालनाधीन जल विद्युत केंद्रों (25 मेगावाट से ज्यादा क्षमता) से राज्य-वार/यूटिलिटी-वार जल विद्युत उत्पादन

(30.11.2011 का अनुसार)

केंद्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		निर्धारित	उत्पादन	उपलब्धि का%	निर्धारित	उत्पादन	उपलब्धि का%	निर्धारित	उत्पादन	उपलब्धि का%	निर्धारित	उत्पादन	उपलब्धि का%	निर्धारित	उत्पादन	उपलब्धि का%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
उत्तरी क्षेत्र																
हिमाचल प्रदेश																
बीबीएमबी	1711.00	9150.00	9799.98	107.10	8923.00	10043.40	111.56	9400.00	8386.10	89.21	8175.00	10384.68	127.03	694040	8458.21	121.88
एनएचपीसी	1038.00	4179.00	4117.43	96.22	4265.00	4190.17	98.25	4333.00	405635	93.62	3898.00	4558.18	116.94	3191.04	4262.77	133.59
एसजेवीएनएल	1500.00	6400	6404.58	100.07	6400	6608.76	10326	6400	7018.86	109.67	6500	7140.09	109.85	5698	6720.78	117.95
एचपीएसईबीएल	366.00	1566.00	1500.56	95.82	1462.00	1716.70	117.42	1612.00	152625	94.68	1575.00	1738.59	110.39	1348.97	1403.37	104.05
एमपीसीएल	86.00	350	336.31	96.09	350	351.10	100.31	350	301.76	86.22	340	333.64	98.13	318.38	344.49	108.20
ईपीपीएल	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.80	73.38	41.74
जेएचपीएल	300.00	1213	1280.84	105.59	1213	1291.90	106.50	1213	1303.46	107.46	1213	1474.00	121.52	1040	1271.53	122.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
एडीएचपीएल	192.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00	0.00	614	144.10	23.47	579.40	493.97	85.26
जेकेएचसीएल	1000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659.58	2036.59	308.77
कुल हि.प्र.	7293.00	22958.00	23439.70	102.10	22613.00	24202.03	107.03	23458.00	22592.78	96.31	22315.00	25773.18	115.50	19951.17	25065.29	125.63
जम्मू और कश्मीर																
एनएचपीसी	1680.00	7385.00	8036.33	108.82	7475.00	8237.20	110.20	7551.00	8010.92	106.09	7872.00	8865.85	112.63	6703.00	7088.79	105.76
जेएंडकेएसपीडीसी	660.00	869.00	731.21	84.14	2207.00	1468.17	66.52	3346.00	3312.45	99.00	3136.00	3552.20	113.27	1709.90	3029.53	111.79
कुल जे एंड के	2340.00	8254.00	8767.54	106.22	9682.00	9705.37	100.24	10897.00	11323.37	103.91	11008.00	12418.05	112.81	9412.90	10118.32	107.49
पंजाब																
बीबीएमपी	155.30	1000.00	1159.93	115.99	1160.00	1065.67	91.87	1100.00	985.22	89.57	1100.00	888.75	80.80	641.83	72836	113.48
पीएपीसीएल	1051.00	3460.00	4174.49	120.65	3720.00	3888.78	104.54	3752.00	3162.58	84.29	3415.00	4190.82	122.72	2881.00	3381.63	117.38
कुल पंजाब	1206.30	4460.00	5334.42	119.61	4880.00	4954.45	101.53	4852.00	4147.80	8549	4515.00	5079.57	112.50	3522.83	4109.99	116.67
कुल राजस्थान	411.00	1175.00	1393.71	118.61	1220.00	660.71	54.16	898.00	346.31	3856	725.00	390.14	53.81	161.18	281.07	174.38
कुल उ.प्र.	501.60	1428.00	896.74	62.80	1428.00	1062.29	7439	1380.00	913.60	66.20	1272.00	700.00	55.03	645.64	889.97	137.84
उत्तराखंड																
एनएचपीसी	374.20	1517.00	1624.26	107.00	1499.00	1546.45	103.17	1499.00	1604.97	107.07	1524.00	1599.07	104.93	1324.00	1440.20	108.78
टीएचडीसी	120.00	2773.00	2663.54	96.05	2850.00	3172.32	11.31	2850.00	2116.78	74.27	2897.00	3116.03	107.56	1736.05	3354.04	193.20
यूजेवीएनएल	1252.15	3270.00	3421.93	104.65	4839.00	4430.93	91.57	4570.00	3953.56	86.51	4621.00	4750.91	102.81	3473.00	3996.26	115.07
जेवीपीएल	400.00	1775	1871.04	105.41	1775	2033.37	114.56	1775	1977.35	111.40	1775	2022.72	113.96	1555	1928.34	124.01
कुल उत्तराखंड	3226.35	9335.00	9580.77	102.63	109.63.00	1183.07	102.01	10694.00	9652.66	90.26	10817.00	11488.73	106.21	8088.05	10718.84	132.53
कुल उत्तरी क्षेत्र	14978.25	47610.00	49412.88	103.79	50786.00	51767.92	101.93	52179.00	48976.52	93.86	50652.00	55849.77	110.26	41781.77	51183.48	122.50
पश्चिमी क्षेत्र																
गुजरात																
जीएसईसीएल	540.00	966.00	1237.77	128.13	1114.00	545.11	48.93	979.00	438.27	44.77	676.00	575.53	85.14	389.28	519.97	133.57
एसएसएनएनएल	1450.00	4390.00	4434.72	101.02	4730.00	2315.73	48.96	3483.00	2501.36	71.82	2403.00	3588.78	149.35	2238.00	3467.50	154.94
कुल गुजरात	1990.00	5356.00	5672.49	105.91	5844.00	2860.84	48.95	4462.00	2939.63	65.88	3079.00	4164.31	135.25	2627.28	3987.47	151.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
मध्य प्रदेश																
एनएचडीसी	1520.00	3058.00	3425.44	112.02	3767.00	2367.49	62.85	3488.00	3071.23	88.05	3200.00	3197.72	99.93	1796.73	3648.53	203.07
एमपीजीसीएल	875.00	2653.00	2678.57	100.96	2492.00	2376.14	95.35	2500.00	1729.80	69.19	2487.00	1700.25	68.37	1361.95	1942.66	142.64
कुल मध्य प्रदेश	2395.00	5711.00	6104.01	106.88	6259.00	4743.63	75.79	5988.00	4801.03	80.18	5687.00	4897.97	86.13	3158.68	5591.19	177.01
छत्तीसगढ़																
सीएसपीजीसी	120.00	320.00	223.15	69.73	310.00	262.02	84.52	310.00	255.05	82.27	310.00	125.21	40.39	140.00	250.06	178.61
महाराष्ट्र																
एमएसपीजीसी	2406.00	3471.00	3987.46	114.388	4079.00	3507.41	85.99	3848.00	3796.09	98.65	3609.00	4461.21	123.61	2573.81	3666.19	142.44
कुल हाइड्रो	447.00	1510.00	1489.10	98.62	1450.00	1150.87	79.37	1450.00	1455.03	100.35	1450.00	1310.32	90.37	975.00	1069.93	109.74
डीएलएचपीएल	34.00	49	60.37	123.20	53	35.44	66.87	58	54.62	94.17	58	56.71	97.78	37.4	77.27	206.60
कुल महाराष्ट्र	2887.00	5030.00	5536.93	110.08	5582.00	4693.72	84.09	5356.00	5305.74	99.06	5117.00	5828.24	113.90	3586.21	4813.39	134.22
कुल प.क्षे.	7392.00	16417.00	17536.58	106.82	17995.00	12560.21	69.80	1616.00	13301.45	82.54	14193.00	15015.73	105.80	9512.17	14642.11	153.93
दक्षिणी क्षेत्र																
आंध्र प्रदेश																
एपीजेनको	3783.35	8044.00	9709.94	120.71	8730.00	7985.72	91.47	9012.00	5821.14	64.59	8175.00	8009.58	97.98	5734.35	5042.95	87.94
कुल आ.प्र.	3783.35	8044.00	9709.94	120.71	8730.00	7985.72	91.47	9012.00	5821.14	64.59	8175.00	8009.58	97.98	5734.35	5042.95	87.94
कर्नाटक																
केपीसीएल	3585.40	11805.00	14395.37	121.94	11325.00	12828.90	113.28	11843.00	12248.49	103.42	11867.00	10746.89	90.56	7393.28	9163.47	123.94
केरल																
केएसईबी	1881.50	6562.00	8100.28	123.44	6749.00	5639.26	83.56	6769.00	6415.71	94.78	6905.00	6801.62	98.50	4495.64	5386.39	119.81
तमिलनाडु																
टेनजेडको	2122.20	4277.00	6267.18	146.53	4392.00	5219.88	118.85	4700.00	5511.03	117.26	4935.00	4957.52	100.46	3293.73	357032	108.40
कुल तमिलनाडु	2122.20	4277.00	6267.18	136.51	4392.00	5219.88	103.52	4700.00	5511.03	107.85	4935.00	4957.52	99.65	3293.73	3570.32	113.03
कुल दक्षिणी क्षेत्र	11372.45	30688.00	38472.77	125.37	31196.00	31673.76	101.53	32324.00	29996.37	32.80	31882.00	3051561	95.71	20917.00	23163.13	110.74
झारखंड																
डीवीसी	80.00	155	216.13	139.44	154	223.13	144.89	165	85.87	52.04	165	59.28	35.93	55.22	163.89	296.79
कुल जेएसईबी	130.00	150.00	210.83	140.55	151.00	237.63	157.37	152.00	115.68	76.11	152.00	3.46	2.28	82.55	262.07	317.47
कुल झारखंड	210.00	305.00	426.96	139.99	305.00	460.76	151.07	317.00	201.55	63.58	317.00	62.74	19.79	137.77	425.96	309.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
उड़ीसा																
ओएचपीसी	2027.50	5664.00	7874.84	139.03	6060.00	5714.33	94.30	6041.00	3920.01	64.89	5679.00	4754.25	83.72	3693.10	4306.10	116.60
कुल ओडिशा	2027.50	5664.00	7874.84	139.03	6060.00	5714.33	94.30	6041.00	3920.01	64.89	5679.00	4754.25	83.72	3693.10	4306.10	116.60
पश्चिमी बंगाल																
डीवीसी	63.20	150	2126	141.73	156	189.3	121.35	160	10248	64.05	150	55.72	37.15	51.29	97.77	190.62
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	977.00	279	679.46	141.73	1157	873.34	121.35	948	1077.47	113.66	998	1129.99	113.23	762	792.08	190.62
कुल पश्चिम बंगाल	1040.20	429.00	892.06	207.94	1313.00	1062.64	80.93	1108.00	1179.95	106.49	1148.00	1185.71	103.28	813.29	889.85	109.41
सिक्किम																
एनएचपीसी	570.00	460.00	428.27	93.10	2561.00	2219.51	86.67	2844.00	2926.84	102.91	2844.00	2976.46	104.66	2445.00	2450.96	100.24
कुल सिक्किम	570.00	460.00	428.27	93.10	2561.00	2219.51	86.67	2844.00	292634	10251	2844.00	297646	104.66	2445.00	2450.96	100.24
कुल पूर्वी क्षेत्र	3847.70	6858.00	9622.13	140.31	10239.00	9457.24	92.36	10310.00	8228.35	79.81	9988.00	8979.16	89.90	7089.16	8072.87	113.88
पूर्वोत्तर क्षेत्र																
अरूणाचल प्रदेश																
नीपको	405.00	1378.00	1539.70	111.73	1510.00	1569.21	103.92	1510.00	1033.08	68.42	1424.00	1399.56	98.28	1098.68	847.71	77.16
असम																
एपीजीसीएल	100.00	396	495.21	125.05	450	416.47	92.55	450	400.37	88.97	415	406.78	98.02	362.88	398.64	109.85
नीपको	200.00	1082	1060.12	97.98	1186	983.98	82.97	997	784.43	78.68	926.42	792.02	85.49	611.44	886.95	145.06
कुल असम	300.00	1478.00	1555.33	105.23	1636.00	1400.45	85.60	1447.00	1184.80	81.88	1341.42	1198.80	89.37	974.32	1285.59	131.95
मेघालय																
एमईसीएल	198.00	479.00	530.54	110.76	488.00	487.93	99.99	505.00	481.33	95.31	501.00	283.23	56.53	481.96	338.82	70.13
N नीपको	75.00	332	222.76	67.10	364	187.16	5142	267	149.43	55.97	210	155.57	7423	189.53	164.23	86.65
कुल मेघालय	273.00	811.00	753.30	92.89	852.00	675.09	79.24	772.00	630.76	81.70	710.58	438.80	61.75	671.49	502.25	74.80
नागालैंड																
नीपको	75.00	208.00	268.13	128.91	227.00	23839	105.02	227.00	183.55	80.86	227.00	256.04	112.79	209.00	208.06	99.55
मणिपुर																
एनएचपीसी	105.00	448.00	604.82	135.00	400.00	497.59	124.40	448.00	38139	85.13	448.00	603.89	134.80	322.00	659.63	
कुल उ.पू.क्षे.	1158.00	4323.00	4711.28	110.14	4625.00	4380.73	94.72	4404.00	3413.58	77.51	4151.00	3897.09	93.79	3275.49		
कुल उ.पू.क्षे.	38748.40	105896.00	119765.64	113.10	114841.00	109839.86	95.65									

*अनंतिम

विवरण II

11वीं योजना में क्रियान्वयन हेतु लक्षित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम, क्षमता (मेगावाट) राज्य क्रियान्वयन एजेंसी	चालू हाने के कार्यक्रम स्थिति (वास्तविक/अब प्रत्याशित)	बृहत स्थिति/अभ्युक्तियां/मुद्दे
1	2	3	4
	केंद्रीय क्षेत्र		
1.	पार्वती-II 4×200 = 800 मेगावाट हिमाचल प्रदेश एनएचपीसी	2014-15	- विशेष रूप से चरण-4 में कमजोर भूवैज्ञानिक स्थिति के कारण एचआरटी की खुदाई की धीमी प्रगति। टीबीएम में खुदाई की जा रही है। - एचआरटी में फेज-III में चट्टान तोड़ने की प्रक्रिया। - हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सकल के प्रयोग पर प्रतिबंध। - 16 अगस्त, 11 को अचानक आई बाढ़।
2.	चेमरा-III 3x77 = 231 मेगावाट हिमाचल प्रदेश एनएचपीसी	2011-12	- जून 2006 में 3-4 माह के लिए श्रम आंदोलन तथा कार्य रोकना। - जुलाई, 2007 में काफर बांध को हटाना। एचसीसी द्वारा जनशक्ति की कमी। - विद्युत निकासी व्यवस्था। - एलईजी में छिद्र।
3.	पार्वती-III 4x130 = 520 मेगावाट हिमाचल प्रदेश एनएचपीसी	2012-13	- सैंज बाईपास रोड का निर्माण। - एचआरटी में कमजोर भू-वैज्ञानिक स्थिति। - चीनी कंपनियों की भागीदारी पर लिए गए निर्णय के कारण ई एंड एम कार्य सौंपने में विलंब। - 01.07.2011 के प्रभाव से स्थानीय लोगों द्वारा कार्य रोकना। - ठेके संबंध मामले। - 16 अगस्त, 11 को अचानक आई बाढ़।
4.	कोलडैम, एनटीपीसी 4×200 = 800 मेगावाट हिमाचल प्रदेश	2008-10 2012-14	- मुख्य बांध का मिट्टी/जमीन को भरना। - बांध गैलरीज की भराई। - स्पिलवे की कंक्रीटिंग - ठेके संबंधी मामले।
5.	रामपुर (एसजेवीएनएल) एसजेवीएनएल हिमाचल प्रदेश 6×68.67 = 412 मेगावाट	2011-12 2013-14	कमजोर भू-वैज्ञानिकता के कारण एचआरटी की धीमी प्रगति। विद्युत गृह कार्य फरवरी, 2010 में स्लोप असफलता के कारण धीमी गति से आगे बढ़ रहे है।

1	2	3	4
6.	उड़ी.-2 4×60 = 240 मेगावाट जम्मू व कश्मीर एनएचपीसी	2011-12	- 08.10.2005 को भूकंप। - मार्च 2007 और मई, 2010 में अचानक आई बाढ़। - काफर बांध को हटाना। - जनवरी, 08 में बांध के दायें किनारे पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन। - बीआरओ द्वारा एनएच-1ए को चौड़ा करना। - नवंबर, 2008 में झेलम नदी में निर्मित किए जा रहे पुल का टूटना। - फरवरी, 11 से मई, 11 तक वर्षा एवं बर्फबारी जिसमें 17.4.11 को बाध में बाढ़ आई। - डाउनस्ट्री सिविल कार्य धीमे हैं।
7.	चूटक 4x11 =44 मेगावाट जम्मू व कश्मीर एनएचपीसी	2011-12	- अत्यधिक ठंडा वातावरण और अत्यधिक ऊंचाई। - पुनःनिविदा में कम भागीदारी तथा ई एंड एम कार्य सौंपने में विलंब - एचएम कार्य पैकेज सौंपने में अधिक मूल्य वाली बोली के कारण विलंब हुआ। - भेल द्वारा ई एंडएम की आपूर्ति।
8.	निम्मू बाजगो 3x15 = 45 मेगावॉट जम्मू व कश्मीर एनएचपीसी	2012-13	- अत्यधिक ठंडा वातावरण और अत्यधिक ऊंचाई। - पुनःनिविदा में कम भागीदारी तथा ई एंड एम कार्य सौंपने में विलंब - एचएम कार्य पैकेज सौंपने में अधिक मूल्य वाली बोली के कारण विलंब हुआ। - भेल द्वारा ई एंडएम की आपूर्ति।
9.	कोटेश्वर टीएचडीसी 4x100=400 मेगावाट उत्तराखंड	2005-06 2010-12	- 20/21 सितंम्बर, 2010 को अचानक आई बाढ़। - 17.10.2010 को डाइवर्जन सुरंग पर भू-वैज्ञानिक रूप से धंसाव। - यूनिट-4 का चालू होना कठिन।
10.	लोहरीनाग पाला एनटीपीसी उत्तराखंड 4x150 = 600 मगावाट	2011-12	- हेलगु ऑडिट तक संपर्क सड़क हेतु वन स्वीकृति में विलंब। - गुगानू ऑडिट तक संपर्क सड़क में स्लाइड जोन के कारण धीमी प्रगति। - कार्य 2002-2009. को स्थगित हुआ।
11.	तापेवन विष्णुगाड एनटीपीसी उत्तराखंड 4x 130= 520 मेगावाट	2011-12 2013-14	- टीवीएस देर से लगाए जाने के कारण एचआरटी कार्य में विलंब (लगभग 20 माह) - बैराज, डिसिल्टिंग चैंबर और सर्जशाफ्ट की धीमी प्रगति - 25.12.2009 से एचआरटी में भारी में पानी घुसने तथा टीवीएस द्वारा खुदाई रूकी हुई है। - बैराज और डिसिलिटंग चैंबर के लिए ठेका समाप्त कर दिया गया है और पुनःनिविदा कार्य प्रगति पर हैं।

1	2	3	4
12.	तीस्ता लो डैम-III 4x33 = 132 मेगावाट पश्चिम बंगाल, एनएचपीसी	2012-13	- वन स्वीकृति में विलंब। - जीजेएम आंदोलन के कारण कर्यों का नियमित अवरोध। - वर्ष 2007, मई, 2009 में आकस्मिक बाढ़। - स्थल पर अपर्याप्त जनशक्ति। - बैराज वे 1 और 2 की कक्रीटिंग आर संबद्ध एमएच कार्य धीमें है। - वर्षा (जुलाई/अगस्त, 2010 के दौरान काफर बांध का टूटना और बैराज 1 और 2 बाढ़ में डूबे।
13.	तीस्ता लो डैम-IV 4x40 = 160 मेगावाट पश्चिम बंगाल, एनएचपीसी	2013-14	- वन स्वीकृति में विलंब। - जीजेएम आंदोलन के कारण कार्यों का नियमित अवरोध। - वर्ष 2007 मई, 2009 और जुलाई-अगस्त, 2010 में आकस्मिक बाढ़। - स्थानीय मामलों के कारण 10.5.2010 से 19.7.2010 तक स्थल पर कार्य रूके हुए थे।
14.	सुबानसिरी लोअर 8x250= 2000 मेगावाट अरूणाचल प्रदेश, एनएचपीसी	2013-15	- असम राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाना। - वर्ष 2008 मं काफर बांध हटाना। - जनवरी, 2008 में विद्युत गृह की स्लोप असफलता।. - सर्ज टनल तक सर्ज शाफ्ट का परिवर्तन। - कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या। - रंगानदी पर बांध का क्षतिग्ररूस्त होना। - कट ऑफ वॉल मामला। - डाउनस्ट्रीम प्रभाव अध्ययन का मामला और बांध विरोधी गतिविधियों द्वारा कार्य रोकने की मांग का मामला।
15.	कामेंग, नीपको अरुणाचल प्रदेश 4x150= 600 मेगावाट	2009-10 2016-17	- बांध की लंबाई में 247.3 मीटर से 264.15 मीटर तक की वृद्धि हुई। डाइवर्जन व्यवस्था में संशोधन किया गया। - परामर्शक अर्थात एसएमईसी से निर्माण निकासी में विलंब। - विभिन्न कारणों अर्थात खराब भूवैज्ञानिकता, स्थल पर पर्याप्त मशीनरी में भारी सीपेज आदि के कारण बांध और एचआरटी में धीमी प्रगति। - अक्तूबर 08 में आकस्मिक बाढ़ के कारण कार्य प्रभावित हुआ। - ठेका संबंधी मामले।
	राज्य क्षेत्र		
16.	उहल-III, ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीएसईबी) 3x33.3 =100 मेगावाट	2006-07 2012-13	स्टोरेज जलाशय ठेकेदार के साथ अपर्याप्त जनशक्ति।

1	2	3	4
17.	स्वाराकुडु हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हि.प्र. 3x37 = 111 मेगावाट	2010-11 2013-14	स्टोरेज जलाशय ठेकेदार के साथ अपर्याप्त जनशक्ति। - एचएम कार्य सौंपने में विलंब। - 1.10.2009 को अचानक आई बाढ़। - 5.9.2009 को अचानक आई बाढ़।
18.	नागार्जुन सागर टी आर एपीजेनको 2x25=50 मेगावाट	2008-09 2012-13	- बांध के निर्माण और संबद्ध एचआरटी में धीमी प्रगति। - एचएम कार्य सौंपने में विलंब। - 1.10.2009 को अचानक आई बाढ़। - 05.09.2009 को अचानक आई बाढ़।
19.	लोअर जुराला एपीजेनको आंध्र प्रदेश 6x40=240 मेगावाट	2011-12 2012-14	- ई एंड एम कार्य सौंपने में विलंब। - सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। - अक्तूबर, 2009 में बाढ़।
20.	पुलिचिंटाला एपीजेनको आंध्र प्रदेश 120 मेगावाट (4x30 मेगावाट)	2010-11 2012-13	- बांध की धीमी प्रगति। - ई एंड एम कार्य तेज किए जाने की आवश्यकता है। - 02.10.2009. को अचानक आई बाढ़। - 5.9.2009 केा अचानक आई बाढ़।
21.	पल्लीवसल केएसईबी केरल 2x30=60 मेगावाट	2010-11 2013-14	- कार्य ठेकेदार द्वारा मशीनरी की खराब देखरेख के कारण प्रभावित हो रहे हैं। - पेनस्टॉक के लिए भूमि अधिग्रहण समस्या। - सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। - एडिट से एचआरटी की सिंचाई में परिवर्तन - एचआरटी में खराब भू-स्थिति।
22.	भवानी कटलाई बैराज-II तमिलनाडु 2x15=30 मेगावाट	2006-07 2011-12	जलाशय को भरने का मामला
23.	भवानी कटलाई बैराज-II तमिलनाडु 2x15=30	2006-07 2012-13	सिविल एवं एचएम कार्यः बैराज और विद्युत गृह का काम लगभग पूरा है। ई एंड एम कार्यः यूनिट सं. 1 ड्राफ्ट ट्यूब, स्टियरिंग, टीजी शाफ्ट और डिस्ट्रीब्यूटर इरेक्शन पूरा किया गया। रोटार लोवर्ड और फिक्सिंग प्रगति पर है। यूनिट सं. 2 ड्राफ्ट ट्यूब, स्टियरिंग, टीजी शाफ्ट इरेक्शन पूरा किया गया।

1	2	3	4
24.	मिंत्दू एमईएसईबी मेघालय 2×421×42 = 126 मेगावाट	2006-07 2011-12	20.05.2010. को अचानक आई बाढ़ के कारण चालू करने में विलंब। - चालू करने से पूर्व परीक्षणों में विलंब। - स्टार्टर बार का सुरक्षा।
25.	न्यू उमत्रू एमईएसईबी मेघालय 2x20=40	2011-12 2013-14	निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति।
	निजी		
26.	बुधिल लेनको ग्रीनपावर कारपोरेशन लि. 2x35=70 मेगावाट	2008-09 2011-12	बिजली से खुदाई की व्यवस्था में संकट।
27.	सोरांग, हिमांचल सोरांग पावर कारपोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश 1000 मेगावाट	2012-13 2012-13	दुर्गम क्षेत्र, पहुंच और कार्यावधि।
28.	श्रीनगर जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड उत्तराखण्ड 4x82.5=330	2005-06 2012-13	- बांध की कंक्रीटिंग संकटग्रस्त - डिसिल्टिंग चैंबर संकटग्रस्त - स्थानीय मामले। - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने 30.5.2011 से कार्यों को राकने का नोटिस जारी किया है।
29.	महेश्वर एसएमएचपीसीएल मध्य प्रदेश 10x40 = 400 मेगावाट	2001-02 2012-13	नकदी की समस्या। आर एंड आर मामले
30.	चूजाछेन गति इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. सिकन्दराबाद 2x49.5= 99 मेगावाट	2009-10 2012-13	- 16.4.2009 को अचानक आई बाढ़ ने रांगपो काफर बांध को बहा दिया। - एचआरटी लाइनिंग कार्यों में धीमी प्रगति।
31.	तीस्ता-III तीस्ता ऊर्जा लि. (टीयूएल) सिक्किम 6x200=1200 मेगावाट	2011-12 2012-13	सिक्किम में हाल ही में आए भूकंप और शेष कार्यो की स्थिति को देखते हुए सभी छह यूनिटों के 2012-13 तक चालू होने की संभावना है।

[हिन्दी]

अमीर गरीब में विभेद

2704. श्रीमती मीना सिंहः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः
श्री मनसुखभाई डी. वसावाः
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमीर और गरीब विकसित क्षेत्र तथा अविकसित क्षेत्र के बीच की खाई और अधिक चौड़ी हो गई है;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) जी नहीं, सुनिश्चित करने के लिए कि विकास के लाभ गरीबों और समाज के पिछड़े वर्गों तक पहुंचे तथा विकसित और अविकसित क्षेत्र के बीच के अंतर को पाटा जाए, सरकार सामाजिक क्षेत्र में कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। प्रमुख कार्यक्रम है-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (एमजी नरेगा), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इन दोनों योजनाओं का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः श्रम और स्वरोजगार प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) अवसंरचना के विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आरएचएम), स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने कि लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), सभी मौसमों में उपयुक्त ग्रामीण सड़क संपर्क मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), 6-14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्वशिक्षा अभियान (एसएसवाई) जिसे बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी शामिल है और हाल ही में शुरू किया गया स्कूली स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा हेतु कार्यक्रम। इसके अलावा त्रि-स्तरीय कौशल विकाश मिशन के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को वर्ष 2022 तक 150 मिलियन लोगों को कुशलता प्राप्त कार्यबल निर्मित करने का कार्य सौंपा गया है।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

2705. श्रीमती ऊषा वर्माः
श्री वैजयंत पांडाः
श्री पन्ना लाल पुनियाः
श्री नित्यानंद प्रधानः
श्री महेश्वर हजारीः
श्रीमती सीमा उपाध्यायः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा इन परियोजनाओं के लिए कोयले की आपूर्ति के स्रोत की परियोजना-वार तथा राज्य/संघ क्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजना भूमि अधिग्रहण और विभिन्न मंत्रालयों से स्वीकृति प्राप्त करने की समस्या के कारण अभी तक शुरू नहीं हो पाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं में कुछ शर्तें लगायी हैं;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) इन परियोजना की कोयला आपूर्ति के स्रोत सहित विभिन्न अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) की परियोजनावार एवं राज्यवार वर्तमान कार्यान्वयन स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) स्थानीय आंदोलन के कारण कर्नाटक और महाराष्ट्र यूएमपीपी के लिए स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पीएफसी इस पहल के लिए नोडल एजेंसी ने सूचित किया है कि उनकी टीम को तकनीकी अध्ययन करने के लिए आंध्र प्रदेश दूसरे यूएमपीपी के स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यूएमपीपी की आरएफक्यू प्रस्तुतीकरण की तारीख क्रमशः 6 और 9 बार दी गई है क्योंकि इन यूएमपीपी के कोयला ब्लाकों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा "नो गो" के रूप में श्रेणीकृत किया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने 15.1.2010 को हुई अपनी बैठक में यह शर्त रखने का निर्णय किया कि कंपनी के पास चालू किए जाने के पूर्व आरंभिक चरण में तीन यूएमपीपी से अधिक नहीं होगी।

(च) सौंपे गए यूएमपीपी 12वीं योजना के लिए परिकल्पित हैं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तथा उल्लिखित परियोजना विकास की वर्तमान स्थिति के अनुसार मुन्द्रा यूएमपीपी की एक यूनिट 11वी योजना में ही शुरू किए जाने की संभावना है। मुद्रा और अन्य प्रदान किए गए शेष यूनिटों के 12वीं योजना में शुरू होने की संभावना हैं (केवल तिलैया यूएमपीपी के अंतिम यूनिट के सिवाय जो कि 13वां योजना में शुरू किए जाने की संभावना है) अन्य शेष यूएमपीपी जो कि पाइपलाइन में है 13वीं योजना में शुरू होने की संभावना है।

विवरण

क्र.सं.	यूएमपीपी/राज्य का नाम	क्षमता (मेगावाट)	कोयला आपूर्ति का स्त्रोत	स्थिति
1	2	3	4	5
क. नौ यूएमपीपी की वास्तविक परिकल्पित स्थिति				
1.	सासन यूएमपीपी/मध्य प्रदेश	6×660	कैप्टिव कोयला ब्लॉक मोहार, मोहार अमलोरी पूर्वी छत्रशाल	परियोजना मै. रिलायंस पावर लिमिटेड को सौंपी और स्थानांतरित की गई।
2	म्रुंद्रा यूएमपीपी/गुजरात	5×800	इंडोनेशिया से आयातीत कोयला	परियोजना आबंटित और मै. टाटा पावर लिमिटेड को स्थानांतरित।
3	कृष्णापट्टनम यूएमपीपी/ आन्ध्र प्रदेश	6×660	इंडोनेशिया से आयातित कायला	परियोजना रिलायंस पावर लिमिटेड को सौंपी तथा स्थानांतरित की गई विकासकर्त्ता कोयला निर्यात करने वाले देशों के विनिमयों में परिर्वतन के कारण निर्माण रोक दिया गया है।
4.	तिलैया यूएमपीपी झारखंड	6×660	कैप्टिव कोयला ब्लौक केरांदरी बी एवं सी	परियोजना मै. रिलायंस पावर लिमिटेड को सौंपी तथा स्थानांतरित कर दी गई थी। तथापि परियोजना भूमि के स्थानांतरित न किए जाने के कारण रूकी हुई है झारखंड सरकार से शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई को पूरा करने का अनुरोध किया गया है।
5.	छत्तीसगढ़ में यूएमपीपी	4000	कैप्टीव कोयला ब्लौक पिंडराखी एवं पुटा पारोगिया	परियोजना के विकासकर्त्ता के चयन हेतु पात्रता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) मई 2010 में जारी किया गया है। आरएफक्यू के प्रस्तुतीकरण की तारीख को श्रेणी क (नो गो श्रेणी) में आने वाले कैप्टिव कोयला ब्लाकों के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

1	2	3	4	5
				से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बढ़ा दी गई है।
6.	ओडिशा में यूएमपीपी	4000	कैप्टिव कोयला ब्लौक मीनाक्षी बी एवं मीनाक्षी का डीपसाइड	परियोजना के विकासकर्त्ता के चयन हेतु पात्रता हेतु अनुरोध (आरउफक्यू) बोलियां प्राप्त की गई हैं।
7.	चेयूर यूएमपीपी/ तमिलनाडु	4000	आयातित कोयला	स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है।
8.	महाराष्ट्र में यूएमपीपी	4000	आयातित कोयला	स्थानीय लोगों द्वारा प्रतिरोध के कारण स्थल की पुष्टि नहीं की जा सकी।
9.	कर्नाटक में यूएमपीपी	4000	आयातित कोयला	स्थानीय लोगों द्वारा प्रतिरोध के कारण स्थल की पुष्टि नहीं की जा सकी।
ख. चिह्नित किए गए अतिरिक्त 07 यूएमपीपी की स्थिती				
1.	आंध्र प्रदेश में दूसरा यूएमपीपी	4000	आयातित कोयला	नयनपल्ली गांव (प्रकाशम जिला) में निर्माण स्थल चिह्नित।
2.	ओडिशा-1 में अतिरिक्त यूएमपीपी	4000	कैप्टिव कोयला ब्लौक बानखुरी	निर्माण स्थल अभी तक तय नही
3.	ओडिशा-11 में अतिरिक्त यूएमपीपी	4000	कैप्टिव कोयला ब्लौक	निर्माण स्थल अभी तक तय नहीं
4.	गुजरात में दूसरा यूएमपीपी	4000	आयातित कोयला	निर्माण स्थल अभी तक तय नही
5.	झारखंड में दूसरा यूएमपीपी	4000	कैप्टिव कोयला ब्लौक	निर्माण स्थल अभी तक नहीं
6.	तमिलनाडु में दूसरा यूएमपीपी	4000	आयातित कोयला	निर्माण स्थल अभी तक तय नहीं

[अनुवाद]

सोलर सिटी

2706. डा. संजीव गणेश नाईकः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में द्वितीय श्रेणी के शहरों का चयन कर लिया है और उन्हें सोलर सिटी के द्वारा रूप में बदले जाने सहायता हेतु निधियां संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सौर ऊर्जा के उत्पादन की वर्तमान क्षमता क्या है और देश में सौर क्षमता के संवर्धन के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारूक अब्दुल्ला): (क) मंत्रालय द्वारा 11वीं योजना अवधि के दौरान 60 शहरों को 'सौर शहर' के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। शहरों की पहचान करने के मानदंड में किसी शहर की जनसंख्या 50,000 से 50 लाख होना (पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए छूट दी जाती है) ऊर्जा दक्षता एवं अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की उच्च प्रतिबद्धता सहित पहले से ही पहल और विनियामक उपाय करना शामिल हैं। सौर शहर का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता संबंधी उपायों तथा अक्षय ऊर्जा संस्थापनों से उत्पादन के माध्यम से पांच वर्षों की अवधि के अंत में पारंपरिक ऊर्जा की संभावित मांग की न्यूनतम 10% तक कम करना है।

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर देश में सौर शहरों के रूप में विकसित किए जाने हेतु 48 शहरों को "सैद्धातिक" मंजूरी दी गई है। इनमें में 37 शहरों को स्वीकृति प्रदान की गई है जिन्होंने मास्टर प्लान तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है। सौर-शहरों के रूप में विकसित करनें हेतु पहचान किए गए शहरों के महाराष्ट्र सहित राज्य-वार नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अब तक इन 37 शहरों के लिए 17.23 करोड़ रू. की कुल राशि मंजूर की गई है जिसमें से 2.75 करोड़ रू. की राशि जारी की गई है।

(ग) दिनांक 30.11.2011 की स्थिति के अनुसार ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर विद्युत की वर्ममान संस्थापित क्षमता 147 मेगावाट है। मंत्रालय द्वारा जवाहरलाला नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन प्रांरभ किया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से वर्ष 2022 तक ग्रिड-इंटरएक्टिव सौर विद्युत को बढ़ाकर 20,000 मेगावाट करना है।

विवरण

*48 शहरों, जिनके लिए सैद्धातिंक अनुमोदन दिया गया है और 37 शहर (*मार्क वाले) जिनके लिए मंजूरी दे दी गई है, की राज्य-वार सूची*

क्र.सं.	राज्य	जिन शहरों हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1. विजयवाड़ा*
2.	असम	2. गुवाहाटी *
		3. जोरहाट*
3.	अरूणाचल प्रदेश	4. इटानगर*
4.	चंडीगढ़	5. चंडीगढ़*
5.	छत्तीसगढ़	6. बिलापुर*
		7. रायपुर*
6.	गुजरात	8. राजकोट*
		9. गांधी नगर*
		10. सूरत*
7.	गोवा	11. पणजी*सिटी
8.	हरियाणा	12. गुड़गांव*
		13. फरीदाबाद*
9.	हिमाचल प्रदेश	14. शिमला*
		15. हमीरपुर*
10.	कर्नाटक	16. मैसूर*
		17. हुबली-धारवाड़*
11.	केरल	18. तिरूवन्तपुरम
		19. कोच्चि
12.	महाराष्ट्र	20. नागपुर*
		21. थाणे*
		22. कल्याण-डोम्बीवली*
		23. औरंगाबाद
		24. नांदेड
		25. शिरडी*
13.	मध्य प्रदेश	26. इंदौर
		27. ग्वालियर*
		28. भोपाल
		29. रेवा

1	2	3
14.	मणिपुर	30. इम्फाल*
15.	मिजोरम	31. आइजोल*
16.	नागालैंड	32. कोहिमा*
		33. दीमापुर*
17.	ओडिशा	34. भुवनेश्वर*
18.	पंजाब	35. अमृतसर
		36. लुधियाना*
		37. एसएएस नगर (मोहाली)
19.	राजस्थान	38. अजमेर
		39. जयपुर
		40. जोधपुर*
20.	तमिलनाडु	41. कोयम्बटूर*
21.	त्रिपुरा	42. अगरतला*
22.	उत्तराखंड	43. देहरादून*
		44. हरिद्वार एवं ऋषिकेश*
		45. चमोली-गोपेश्वर*
23.	उत्तर प्रदेश	46. आगरा*
		47. मुरादाबाद*
24.	पश्चिम बंगाल	48. हावड़ा

[हिन्दी]

सोलर मिशन

2707. श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः
डा. क्रुपारानी किल्लीः
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः
श्री जगदीश ठाकोरः
श्री आर. ध्रुवनारायणः
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः

क्या **नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन (जेएनएनएसएम) का लक्ष्य, उद्देश्य और भूमिका क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस मिशन के अधीन निर्धारित लक्ष्य और हासिल उपलब्धियों तथा आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मिशन के एक हिस्से के रूप में सरकार ने देश में वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड सोलर पावर की स्थापना की लक्ष्य अनुमोदित किया है; और

(घ) यदि हां, तो जेएनएनएसएम के अधीन उत्पादन लागत को कम करने के लिए विकास हेतु प्रस्तावित सोलर प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है और इन प्रौद्यौगिकी को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुला): (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय और मिशन के लक्ष्य, उद्देश्य और भूमिका विवरण 1 के रूप में संलग्न है।

(ख) जनवरी 2010 में निम्नलिखित मिशन लक्ष्यों के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन आरंभ किया गयाः

वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर विद्युत की संस्थापना हेतु समर्थकारी नीतिगत फ्रेमवर्क का सृजन करना।

वर्ष 2017 तक 1000 मेगावाट और वर्ष 2022 तक 2000 मेगावाट करने के लिए ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगी हेतु कार्यक्रमों का संवर्धन करना।

वर्ष 2017 तक 15 मिलियन वर्गमीटर सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र और वर्ष 2022 तक 20 मिलियन क्षेत्र प्राप्त करना।

वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 20 मिलियन सौर घरेलू प्रणालियां लगाना।

राष्ट्रीय सौर मिशन के चरण-1 दौरान देश में सौर उर्जा के विकास के ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित की गई निधियों के ब्यौरे विवरण-III के रूप में संलग्न हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सौर प्रौद्योगिकियों का उद्‌भाव और विकास विश्वभर में हो रहा है। जेएनएनएसम द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास और अपनाने का प्रयास किया जा रहा हैः

(i) एसपीवी

(ii) सौर तापीय तथा सौर ऊर्जा के अन्य सभी क्षेत्र।

सौर प्रौद्योगिकी का विकास एवं कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है और नई प्रौद्यौगिकियों के विकसित होने के बाद उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

विवरण I

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के उद्देश्य एवं लक्ष्य

1. मिशन का तात्कालिक उद्देश्य देश में केन्द्रित तथा विकेन्द्रित दोनों स्तरों पर सौर प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए एक समर्थकारी माहौल तैयार करने पर बल देना है। प्रथम चरण (वर्ष 2013 तक) में सौर तापीय विद्युत में आसानी से उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने; वाणिज्यक ऊर्जा की पहुंच से वंचित लोगों तक ऑफ-ग्रिड प्रणालियों को बढ़ावा देने तथा ग्रिड आधारित प्रणालियों में कुछ क्षमता का वर्धन करने पर बल दिया जाएगा। दूसरे चरण में प्रारंभिक वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखकर देश में विस्तृत एवं प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सौर ऊर्जा के प्रसार के लिए अनुकूल स्थितियों का सृजन करते हेतु क्षमता में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की जाएगी।

2. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा का तेजी से प्रचार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन कर भारत को सौर के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी स्थान पर लाना है।

3. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की भूमिका भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को दूर करते हुए पर्यावरणिक दृष्टि से स्थायी विकाय को बढ़ावा देना है। उससे भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को दूर करने के वैश्विक प्रयासों में प्रमुख भूमिका अदा की जाएगी।

विवरण II

क. सौर ऊर्जा के विकास के ब्यौरे

अनुप्रयोग के क्षेत्र	चरण-1* के लिए लक्ष्य वर्ष 2010-13	वर्ष 2010-11 के दौरान उपलब्धियां	वर्ष 2011-12 के दौरान उपलब्धियां
रूफटाप एवं वितरित लघु ग्रिड-संबद्ध सौर संयंत्रों सहित ग्रिड सौर विद्युत	1100 मेगावाट	802 मेगावाट आवंटित	31 दिसंबर 2011 तक 350 मेगावाट क्षमता का चयन किया जाना है।
ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग	200 मेगावाट	40.6 मेगावाट मंजूर	अब तक 29 मेगावाट क्षमता मंजूर की गई। मार्च 2012 तक कुल 100 मेगावाट क्षमता मंजूर की जानी है
सौर संग्राहक	7 मिलियन वर्ग मीटर	4.5 मिलियन वर्ग मीटर	मार्च, 2012 तक 5.7 मिलियन वर्ग मीटर

*सौर मिशन के चरण-1 की अवधि वर्ष 2010-13 है।

विवरण III

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित निधियां

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (21.10.2011 तक) के दौरान जारी की गई धनराशि के दौरान जारी निधिया लाख रू में

2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
5849.98	8963.23	28449.6	19378.1

[अनुवाद]

पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष पैकेज

2708. श्रीमती दर्शना जरदोशः
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकीः
श्री नारनभाई कछाड़ियाः
श्री विक्रमभाई मोहनभाई बावलियाः
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव देश में पर्यटन तथा ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थलों के संवर्धन हेतु कोई विशेष पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सहित राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पर्यटन स्थलों के संवर्धन हेतु राज्य सरकार को आवंटित/जारी तथा उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने क्या अन्य कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (घ) ऐतिहासिक महत्व के पर्यटक स्थलों सहित पर्यटक स्थानों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि पर्यटन मंत्रालय उनसे योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन परियोजनाओं के संवर्धन के लिए पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (सितंबर तक) के दौरान गुजरात सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए स्वीकृत राशि और परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस विवरण में जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना के अधीन स्वीकृत परियोजनाएं भी शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में 30 सितंबर, 2011 तक के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या तथा राशि**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (30.09.2011तक)		कुल योग	
		सं.	राशि	सं.	राशि.	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	8	109.89	13	37.29	10	20.38	8	40.67	39	208.23
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	31.47	14	36.54	13	32.26	6	13.62	46	113.89
3.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	4	21.08	7	22.76	4	23.55	3	4.23	18	71.62
5.	बिहार	10	25.05	3	6.99	1	3.60	0	0.00	14	35.64
6.	चंडीगढ़	5	7.99	5	11.51	5	11.04	0	0.00	15	30.54
7.	छत्तीसगढ़	1	11.34	0	0	4	20.95	0	0.00	5	32.29
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	दमन और दीव	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.12
10.	दिल्ली	1	0.15	9	44.91	5	9.75	2	0.77	17	55.58
11.	गोवा	2	43.14	2	17.00	3	12.78	1	4.98	8	77.90
12.	गुजरात	7	21.33	1	7.33	1	0.14	2	51.75	11	80.55
13.	हरियाणा	7	36.70	6	12.37	6	27.41	1	0.10	20	76.58
14.	हिमाचल प्रदेश	10	34.58	6	23.95	12	34.98	2	0.22	30	93.73
15.	जम्मू व कश्मीर	28	43.42	31	49.75	20	56.17	17	115.88	96	265.22
16.	झारखण्ड	0	0.00	3	0.25	5	7.56	1	23.71	9	31.52
17.	केरल	12	42.68	7	12.98	3	42.87	3	8.44	25	106.97
18.	कर्नाटक	4	42.73	13	42.42	2	8.59	0	0.00	19	93.74
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	3	41.10	2	5.01	3	11.30	0	0.00	8	57.41
21.	मणिपुर	9	29.44	9	27.14	8	39.40	4	22.99	30	118.97
22.	मेघालय	7	17.14	7	14.73	9	22.53	2	0.40	25	54.80
23.	मिजोरम	4	3.18	7	24.06	9	11.51	6	13.81	26	52.56
24.	मध्य प्रदेश	11	31.41	11	60.99	13	30.85	4	18.72	39	141.97
25.	नागालैंड	11	25.40	13	24.60	10	29.10	6	25.87	40	104.97
26.	ओडिशा	6	41.15	9	23.69	6	20.29	1	0.05	22	85.18
27.	पुदुचेरी	4	2.52	3	5.57	3	50.26	0	0.00	10	58.35
28.	पंजाब	5	24.93	3	9.48	4	11.91	1	4.23	13	50.55
29.	राजस्थान	9	44.31	7	19.74	7	31.32	3	14.50	26	109.87
30.	सिक्किम	20	66.78	19	42.36	14	23.48	4	13-45	57	146.07
31.	तमिलनाडु	16	36.14	10	16.28	6	60.00	1	3.65	33	116.07
32.	त्रिपुरा	6	3.61	13	20.67	12	40.73	6	15.44	37	80.45
33.	उत्तर प्रदेश	6	38.40	6	21.90	14	27.85	7	10.86	33	99.01
34.	उत्तराखण्ड	2	44.68	1	0.55	8	29.78	9	37.63	20	112.64
35.	पश्चिम बंगाल	10	37.94	7	28.37	8	22.02	2	8.18	27	96.51
	कुल योग	245	960.04	247	671.19	228	774.36	102	454.15	822	2859.74

*पीआईडीडीसी, एचआरडी और आरटी से संबंधित परियोजनाओं शामिल हैं।

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्ड

2709. श्रीमती सुशीला सरोजः
श्री पी. करूणाकरनः
श्री भूपेन्द्र सिंहः
श्री मकनसिंह सोलंकीः
श्रीमती ऊषा वर्माः
श्रीमती सीमा उपाध्यायः
श्री महेश्वर हजारीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षो के प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार और बैंक-वार किसानों तथा जनजातीय किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तथा प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार और बैंक-वार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले किसानों और जनजातीय किसानों और जनजातीय किसानों की सख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने से मना करने तथा बैंक अधिकारियों की कुछ अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के संबंध में उक्त बैंकों के विरूद्व शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या वक्त अवधि के दौरान बैंक अधिकारियों की मदद से किसानों के किसान क्रेडिट कार्डो के माध्यम से लोगों द्वारा ऋण उठाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं में क्या कार्रवाई की गई तथा सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जनजातीय किसानों सहित प्रत्येक किसान को लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (च) केसीसी की प्रगति का मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार और एजेंसी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

शिकायत निवारण के लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को चार टियर संस्थागत व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। जिसमें निम्नलिखित घटक होंगे-

(i) निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

(ii) ग्राहक सेवा की स्थायी समिति

(iii) मुख्यालय स्तर पर ग्राहक सेवा के लिए एक केन्द्रीय विभाग/कार्यालय और नियंत्रण अधिकारी

(iv) शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समिति।

बैंकों द्वारा केसीसी की शिकायतें सहित सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिकायत का निवारण हेतु बैंकों को अग्रेषित कर दी जाती हैं।

विवरण I

KCC का विवरण वर्ष 2008-09 वर्ष 2008-09 के दौरान प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय गामीण बैंक			वाणिज्यिक बैंक		कुल	
		संख्या	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	संख्या	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	0	0	5	250015	64028	1676277	670792	1926292	734820
2.	असम	1	1659	353	2	31152	18382	65943	19926	98754	38661
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1	1068	136	2309	124	3377	860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	बिहार	22	20504	14623	4	333455	125931	383633	252672	737592	393226
5.	गुजरात	18	17261	338737	3	21471	42491	232755	240415	271487	621643
6	गोवा	1	136	119				1986	1279	2122	1398
7	हरियाणा	19	14585	11269	2	10270	1116	86941	141695	111796	154080
8.	हिमाचल प्रदेश	3	9455	8370	2	8823	5738	39846	38426	58124	525334
9.	जम्मू व कश्मीर	4	1057	714	3	1595	1683	3063	3981	5715	6378
10.	कर्नाटक	21	308821	11657	6	166549	23249	268180	243651	743550	278557
11.	केरल	14	78275	35872	2	33410	19125	176007	68332	287692	123329
12.	मध्य प्रदेश	38	105499	6445	8	66187	36046	241437	311340	413123	353831
13.	महाराष्ट्र	30	206078	55348	4	25053	3465	39819	243511	629250	302324
14.	मेघालय	1	1805	259	1	3641	929	5838	1760	11284	2948
15.	मिजोरम	1	0	0	1	891	452	1655	561	2546	1013
16.	मणिपुर	1	0	0	1	804	109	5011	2679	5815	2788
17.	नागालैण्ड	1	234	16	1	249	62	1144	359	1627	437
18.	ओडिशा	17	366544	165980	5	83121	27170	189315	46441	638980	239591
19.	पंजाब	19	12324	60405	3	13756	26110	121351	270204	147431	356719
20.	राजस्थान	28	22933	1425	6	57866	100953	227204	334813	308003	437191
21.	सिक्किम	1	27	107				1370	1023	1397	1130
22.	तमिलनाडु	22	42974	1036	2	38037	14068	473140	214623	554151	229727
23.	त्रिपुरा	1	274	57	1	14763	2547	11293	2765	26330	5369
24.	उत्तर प्रदेश	51	10580	915	12	112585	22813	821064	579800	944229	603528
25.	पश्चिम बंगाल	20	54413	55715	3	18696	5109	206955	86293	280064	147117
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	268	104				949	437	1217	541
27.	चंडीगढ़							1441	863	1441	863
28.	दमन और दीव							1192	922	1192	922
29.	नई दिल्ली	1	1	1				6193	5233	6194	5234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	दादरा व नगर हवेली							696	598	696	598
31.	लक्षद्वीप							62	31	62	31
32.	पुदुचेरी	1	30	133	1	0	0	9196	5588	9226	5721
33.	झारखण्ड	8	0	0	2	76427	6259	87323	29580	163750	35839
34.	छत्तीसगढ़	7	60084	72915	3	34633	14516	42211	38726	136928	126157
35.	उत्तराखण्ड	10	8024	225	2	10130	2356	42882	40830	61036	43411
	कुल	385	134385	842800	86	1414647	564843	5833981	3900873	8592473	5308516

एससीबी, जो सीएफए के रूप में कार्य करते हैं।
UTs में कोई सहकारी बैंक नहीं हैं।
इन राज्यों में कोई क्षे.ग्रा. बैंक नहीं हैं।
योजना का कार्यन्वयन कर रहे बैंकों की संख्या।
मिलान के अन्तर्गत आंकड़े।

विवरण II

KCC का विवरण वर्ष 2009-10 वर्ष 2009-10 के दौरान प्रगति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय गामीण बैंक			वाणिज्य बैंक		कुल	
		संख्या	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	संख्या	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	22			5	214978	66568	934757	470271	1149735	536839
2.	असम	1	1622	327	2	31181	10149	72272	20980	105075	31456
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	0	0	1	812	111	3504	1240	4316	1351
4.	बिहार	22	37071	6278	4	270674	113097	369028	195591	676773	314966
5.	गुजरात	18	24011	7963	3	6474	5331	166215	182991	196700	196285
6.	गोवा	1	301	121				1260	851	1561	972
7.	हरियाणा	19	14492	10103	2	36171	45573	93384	156000	144047	211676
8.	हिमाचल प्रदेश	3	126201	19480	2	14234	9385	37160	31742	177595	60607
9.	जम्मू और कश्मीर	4	1548	594	3	9861	5069	3752	2447	15161	8110
10.	कर्नाटक	21	190120	32408	6	158040	75845	276136	236111	624296	344364
11.	केरल	14	187099	61584	2	48348	21156	106625	57310	342072	140050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	मध्य प्रदेश	38	270927	91001	8	100948	62535	254332	279554	626207	433090
13.	महाराष्ट्र	30	178585	135390	4	53824	8030	545473	273739	777882	417159
14.	मेघालय	1	961	163	1	1145	307	9158	2457	11264	2927
15.	मिजोरम	1	8	5	1	196	1184	3126	1073	3330	2262
16.	मणिपुर	1	37	16	1	123	17	3583	1460	3743	1493
17.	नागालैंड	1	795	79	1	458	89	5178	1033	6431	1201
18.	ओडिशा	17	323482	73573	5	107779	22331	187308	66764	618569	162668
19.	पंजाब	19	12772	17008	3	20624	42551	134507	340856	167903	400415
20.	राजस्थान	29	109124	52804	6	59023	113944	294948	399739	463095	566487
21.	सिक्किम	1	519	136				1446	899	1965	1035
22.	तमिलनाडु	22	0	0	2	29809	8627	482866	272334	512675	280961
23.	त्रिपुरा	1	336	65	1	11394	3145	12761	3935	24491	7145
24.	उत्तर प्रदेश	51	206301	166771	12	572687	315254	911168	657205	1690156	1139230
25.	पश्चिम बंगाल	20	72100	28731	3	64411	45658	200275	77028	336786	151417
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	397	168				542	133	939	301
27.	चंडीगढ़							261	464	261	464
28.	दमण और दीव							0	0	0	0
29.	नई दिल्ली	1	30	24				1711	12196	1741	12220
30.	दादरा व नगर हवेली							32	10	32	10
31.	लक्षद्वीप							49	23	49	23
32.	पुदुचेरी	1	42	10	1	133	38	11442	5825	11617	5873
33.	झारखण्ड	8			2	86916	15589	89122	47045	176038	62634
34.	छत्तीसगढ़	7	133671	21778	3	45059	16589	54862	40193	233592	278560
35.	उत्तराखण्ड	10	16028	8879	2	4483	4976	44842	39927	65353	53782
	कुल	386	1743253	760633	86	1949785	1013148	5313085	3879426	9006123	5642207

एससीबी जो सीएफए के रूप में कार्य करते हैं।

इन UTs में कोई सहकारी बैंक नहीं हैं।

इन राज्यों UTs में कोई क्षे.ग्रा. बैंक नहीं हैं।

योजना का कार्यान्वयन कर रहे बैंकों की संख्या।

मिलान के अन्तर्गत आंकड़ें।

वर्ष के दौरान तमिलनाडु में सहकारी बैंकों द्वारा जारी कार्डों की संख्या 95089 और मंजूर की गई राशि 25174 लाख तथापि इस संख्या को अंकृत कर दिया गया ताकि वर्ष के दौरान त्रिचिरापाली DCCB द्वारा जारी किए गए कार्डों की संचयी संख्या 237432 के रूप में दर्शाया जा सके।

विवरण III

KCC का विवरण वर्ष 2010-11 वर्ष 2010-11 के दौरान प्रगति

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय गामीण बैंक			वाणिज्य बैंक		कुल	
		संख्या	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	संख्या	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी किए गए कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	548858	37809	5	285827	75099	1062819	755570	1897504	868478
2.	असम	1	337	46	2	38058	16841	78720	28239	117115	45126
3.	अरुणाचल प्रदेश	1			1			2194	991	2194	991
4.	बिहार	22			4	262092	142743	305201	186479	567293	329222
5.	गुजरात	18	61444	38927	3	11354	10026	170551	183988	243349	2329441
6.	गोवा	1	774	138				1053	1023	1827	1161
7.	हरियाणा	19	14101	9136	2	35954	49024	98068	98068	148123	245621
8.	हिमाचल प्रदेश	3	11391	56717	2	15492	13953	29702	31940	56585	62071
9.	जम्मू और कश्मीर	4	319	117	3	10326	5820	5705	5009	16350	10946
10.	कर्नाटक	21	123955	54003	6	1556760	99712	370535	407770	650250	561485
11.	केरल	14	101115	56717	2	20679	29996	178736	178031	300530	264744
12.	मध्य प्रदेश	38	311983	271438	8	75317	71855	239222	230731	626522	573954
13.	महाराष्ट्र	30	117958	105338	4	8116	6219	600101	324650	726175	436207
14.	मेघालय	1			1			4248	2152	4248	2152
15.	मिजोरम	1			1	43	244	3654	1292	3697	1536
16.	मणिपुर	1			1			2401	1056	2401	1056
17.	नागालैण्ड	1	547	55	1	46	11	2608	788	3201	854
18.	ओडिशा	17	317610	52383	5	76797	20858	176640	76466	571047	149707
19.	पंजाब	19	31591	31322	3	22697	75892	159164	465450	213452	572664
20.	राजस्थान	29	449579	191996	6	82217	198629	311246	426983	843042	817608
21.	सिक्किम	1	294	38				1022	1065	1316	1103
22.	तमिलनाडु	22	187606	73367	2	26549	6398	613566	577584	827721	657349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	त्रिपुरा	1	5458	156	1	13023	2503	12343	4713	31724	7972
24.	उत्तर प्रदेश	51	231084	42357	12	965813	217879	748296	709159	1347893	696390
25.	पश्चिम बंगाल	20	968230	33626	3	155973	67501	195847	92905	448643	194032
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	33	11				450	241	483	252
27.	चंडीगढ़							4101	2232	4101	2232
28.	दमन और दीव							16	163	16	163
29.	नई दिल्ली	1	69	74				1772	2716	1841	2790
30.	दादरा और नगर हवेली							76	163	16	163
31.	लक्षद्वीप							67	527	76	527
32.	पुदुचेरी	1	366	97	1			9284	8629	67	35
33.	झारखण्ड	8			2	51065	10594	103532	51458	6650	8726
34.	छत्तीसगढ़	7	3177533	48594	3	53166	20535	41608	34172	272307	103301
35.	उत्तराखण्ड	10	21022	48594	2	5188	4569	47027	62117	73237	74059
	कुल	386	2811850	1071896	86	1774252	1146831	5582475	5043780	10168577	7262507

एससीबी, जो सीएफए के रूप में कार्य करते हैं।

इन UTs में कोई सहकारी बैंक नहीं हैं।

इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई क्षे.ग्रा. बैंक नहीं हैं।

योजना का कार्यान्वयन कर रहे बैंकों की संख्या।

मिलान के अन्तर्गत आकड़े।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम क्षेत्र से कर

2710. श्री प्रशान्त मजूमदारः
श्री पी. करूणाकरनः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र से कुल कितना कर एकत्रित किया गया;

(ख) कर के विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से एकत्र की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कच्चे तेल के मूल्य और इससे एकत्रित करों के बीच अनुपात क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान राजस्व के स्त्रोत के साथ कच्चे पेट्रोलियम और इसके उत्पादों से संग्रहित/वसूले गए अप्रत्यक्ष करों की कुल राशि निम्नानुसार हैः-

(रुपये करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11
सीमा शुल्क राजस्व (0037)	11174.17	7754.76	26281.47
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व(0038)	59383.44	64012.00	76546.30
कुल राजस्व	70557.61	71766.76	102827.77

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध हैं, पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख इकाइयां कंपनी हैं जिनसे मुख्यतः कंपनी कर संग्रहित किया जाता है। तथापि, प्रत्यक्ष करों (वैयक्तिक कर एवं कंपनी कर) के अलग से क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) वर्तमान में कच्चे पेट्रोलियम तेलों के आयात पर समी शुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त है। 4 जून, 2008 से पहले इस पर मूलतः सीमा शुल्क 5 प्रतिशत लगाया जाता था परन्तु 4 जून, 2008 से इसे मूल सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट प्राप्त थी। 1 मार्च, 2010 से 5 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क दोबारा लगाया गया परन्तु 25 जून, 2011 से पूर्ण रूप से छूट दे दी गई।

गत तीन वर्षों के लिए आयातित कच्चे तेल का मूल्य और उस पर संग्रहित कर निम्नानुसार हैं-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	*आयातित कच्चे पेट्रोलियम का मूल्य	आयातित कच्चे पेट्रोलियम से वसूला गया सीमा शुल्क	अनुपात
2008-09	348149	2768	0.079
2009-10	375378	1752	0.046
2010-11	#455909	13370	0.293

*कच्चे पेट्रोलियम का शुल्क मुक्त आयात शामिल है।

#अनंतिम

घरेलू रूप से उत्पादित कच्चे पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क नहीं लगता है परन्तु तेल उद्योग (विकास) उपकर और राष्ट्रीय आपदा अनुषंगी शुल्क (एन सी सी डी) क्रमशः 2500 रुपये प्रति टन एवं 50 रुपये प्रति टन की विनिर्दिष्ट दर के अध्याधीन है।

बैंकों के माध्यम से जाली मुद्रा

2711. डॉ. रतन सिंह अजनालाः
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़ेः
श्री जयप्रकाश अग्रवालः
श्री मंगनीलाल मंडलः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से देश में जाली मुद्रा नोटों के परिचालन के अनेक मामले सामने आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस जाली मुद्रा के कारण देश की अर्थव्यवस्था को कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने देश में जाली मुद्रा के प्रवेश के स्त्रोतें की पहचान करने हेतु प्रयत्न किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में जाली नोटों का परिचालन रोकने हेतु सरकार/भारतीय रिवर्ज बैंक (आरबीआइ) द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष की सितम्बर, 2011 तक, अवधि के दौरान बैंकिंग प्रणाली द्वारा पता लगाए जाली नोटों तथा ऐसे नोटों का मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आरबीआई ने एफआईसीएन समन्वय प्रकोष्ठ (एफसीओआरडी) की बैंठक में यह यह सूचित किया है कि भारतीय मुद्रा के जाली नोटों को संगठित बैंकिंग चैनलों में प्रचलित करने के लिए भारतीय मुद्रा के जाली नोटों के प्रचालकों द्वारा माल्दा जिला, पश्चिम बंगाल में बैंकों का प्रयोग किया जा रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने यह अनुरोध किया है कि आरबीआई को माल्दा जिले में बैंकों को यह अनुदेश देना चाहिए कि वे नकद जमा करते समय जमा पर्ची देने वालों के पते उनकी दूरभाषा सं. का रिकार्ड रखें और क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, पश्चिम को उस क्षेत्र में संचालित बैंकों को नकद जमा प्राप्त करते समय सजग करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई ताकि देश में एफआईसीएन को चलाने के लिए बैंकिंग चैनलों के प्रयोग से बचा सके।

(ङ) एफआईसीएन इस समस्या के बहु-आयामी पहलुओं को हल करने के लिए कई एजेंसियां जैसे-आरबीआई, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय(एमएचए), केन्द्र तथा राज्यों की सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियों, एफआईसीएन से संबंधित गैर-कानूनी गतिविधियों को निष्फल करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। इन एजेंसियों के कार्यो की आवधिक समीक्षा इस प्रयोजन हेतु गठित नोडल समूह द्वारा की जाती है। इस संदर्भ में, कार्यकरण स्तर पर राज्यों के बीच समन्वय हेतु सीबीआई को भी नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है और राजस्व आसूचना निदेशालय को तस्करी से लाए गए एफआईसीएन के लिए मुख्य आसूचना एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

इसके अलावा देश के भीतर जाली मुद्रा के परिचालन की समस्या से निपटने के लिए राज्य/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए जिसमें सीबीआई नोडल एजेंसी हो, गृह मंत्रालय में एफआईसीएन समन्वय समूह का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) को राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम द्वारा ऐसे अपराधों की जांच करने तथा मुकदमा चलाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए है। सरकार ने आतंक वित्तपोषण तथा जाली मुद्रा के मामलों की जांच पर जोर देने के लिए 2010 में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) में आतंक वित्तपोषण तथा जाली मुद्रा प्रकोष्ठ का गठन किया है। आरबीआई द्वारा उच्च मूल्य वाले मुद्रा नोटों के संबंध में अपनाएं जा रहे सुरक्षा उपायों को निरन्तर बेहतर किया जा रहा है। आरबीआई ने बैंकों द्वारा जाली नोटों का पता लगाने वाली व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया है।

विवरण

वर्ष	रु. 10 पीसीएस की सं.	कुल मूल्य	रू. 20 पीसीएस की सं.	मूल्य मूल्य	रू. 50 पीसीएस की सं.	कुल मूल्य	रू. 100 पीसीएस की सं.	कुल मूल्य मूल्य (रु. सैकड़े में)	रू. 500 पीसीएस की सं.	कुल मूल्य मूल्य (रु. सैकड़े में)	रू 1000 पीसीएस की सं.	कुल मूल्य (रु. हजार में)
2008-09	68	680	341	6820	12,792	6,39600	133,314	1,33,314	219,739	1098695	31,857	31857
2009-10	159	1590	175	3500	13,579	6,78950	142,781	1.42,781	209,094	1045470	35,688	35688
2010-11	139	1390	126	2520	10,962	5,48100	124,219	1,24,219	246,049	1230245	54,112	54112
अप्रैल 2011 से सितम्बर, 2011	40	400	158	3160	6,156	3,07800	65782	6,57,82	152930	764650	39216	39,216

वर्ष	कुल पीसीएस की सं.	कुल मूल्य (रुपए में)
2008-09	3,98,111	15,57,05,000
2009-10	4.01,476	15,51,97,140
2010-11	4,35,607	19,01,10,410
अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011	2,64,282	12,25,70,560

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

2712. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः
श्री जी.एम. सिद्देश्वरः
श्री राधा मोहन सिंहः
श्री शिवराम गौडाः
डॉ. अरविन्द कुमार शर्माः
श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन बर्षो में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित राज्यवार तथा ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स सहित बैंक-वार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किसानों को संवितरित ऋणों तथा इन बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार इन कस्बों हेतु उक्त बैंकों के पास लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है तथा इन आवेदनों के लंबित रहने के क्या कारण हैं इस प्रकार के आवेदनों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार को उक्त बैंकों के विरूद्व ऋण देने से इंकार करने तथा किसानों के प्रति ऋणों के संवितरण में भेदभाव किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) देश के प्रत्येक किसान को संस्थागत उधारी के अंतर्गत लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) से (ङ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षो अर्थात वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 और चालू वित्तीय वर्ष (30 सितंम्बर 2011 तक) के दौरान संवितरित ऋणों का राज्य-वार क्रमशः संलग्न विवरण I, II, III, IV में दिया गया है।

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के बकाया कृषि ऋण में एनपीए का ब्यौरा निम्नवत् हैः

(राशि करोड़ रुपए में)

मार्च, वर्ष	कृषि क्षेत्र में एनपीए (राशि करोड़ रुपए में)	कृषि क्षेत्र को बकाया अग्रिम	बकाया कृषि ऋण में एनपीए का प्रतिशत
2008	9735	308086.79	3.1
2009	7149	375594.91	1.9
2010	10353	463321.44	2.2
2011 (अनंतिम)	16659	507182.93	3.3

आरबीआई द्वारा बैंक-वार/राज्य-वार आकड़े नहीं रखे जाते हैं।

शिकायतों के निवारण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को चार-स्तरीय संस्थागत व्यवस्था कायम करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं ये स्तर है-(i) निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति, (ii) ग्राहक सेवा से संबंधित स्थायी समिति, (iii) प्रधान कार्यालय और नियंत्रक कार्यालयों में ग्राहक सेवा के लिए एक नोडल विभाग/कार्यालय और (iv) शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समिति। सरकार द्वारा प्राप्त बैंकों द्वारा ऋण इंकार करने की शिकायतें सहित विभिन्न प्रकार की शिकायतों को निवारण हेतु संबंधित बैंक को अग्रेषित कर दिया जाता है।

भारत सरकार ने किसानों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि हेतु 3 लाख रुपए तक के अल्पाविधि फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वियन किया जा रहा है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से तत्पर आदता किसानों अर्थात जो अपने ऋण समय पर अदा पर वापिस अदा करते हैं, को अतिरिक्त ब्याज सहायता

प्रदान कर रही है। अतिरिक्त सहायता 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% थी। वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

(ii) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यू डीआरएस) 2008 से वह ऋण प्रणाली शुरू हो गई है जो किसानों पर ऋण के बोझ के कारण बंद हो गई थी।

(iii) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 50,000 रु. तक के लघु ऋणों के लिए लघु एवं सीमांत किसानों बंटाईदारों और इनसे मिलते-जुलते लोगों से 'नौ ड्यूज' प्रमाणपत्र लेने की अपेक्षा को छोड़ दें और उसके बजाय उधारकर्त्ता से स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करें।

(iv) आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे 1,00,000 रु. तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/जमानती अपेक्षाओं को माफ कर दें।

(v) बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच का विस्तार ग्रामीण आबादी तक करने के लिए बैंकों ने 2000 से अधिक आबादी वाले ऐसे 73,000 गांवों की पहचान की है जिनमें मार्च 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजक बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 45000 ऐसे गांवों को कवर कर लिया जाता है।

(vi) घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय गामीण बैंकों के अलावा) को रिपोर्ट करने की शर्त के अधीन (1) टीयर 3 से टीयर 6 केन्द्रों (49,999 तक की आबादी वाले) में और (2) उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम के ग्रामीण अर्ध-शहरी और केन्द्रों में शाखाएं/मोबाइल शाखाएं खोलने की सामान्य अनुमति दी गई है। आरबीआई ने बैंको को सलाह दी है कि अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय बैंकों को वर्ष के दौरान खोले जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण (टीयर 5 और 6) केन्द्रों के लिए आबंटित करना चाहिए।

विवरण I

वर्ष 2008-09 के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के तहत सभी एजेंसियों द्वारा राज्य-वार/एजेन्सी-वार जी.एल.सी. संवितरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र के सहकारी	गैर-सरकारी क्षेत्र के सहकारी	कुल वाणिज्यिक बैंक	एससीबी/सीसीबी	एलडीबी	क्षे.ग्रा. बैंक	अन्य एजेंसी	कुल कृषि ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ़	364855	90317	455172					455172
2.	नई दिल्ली	1468576	739093	2207669	97				2207766
3.	हरियाणा	723801	176619	900420	413289	30697	147125		1491531
4.	हिमाचल प्रदेश	104420	11479	115899	28586	3277	11893	11775	171430
5.	जम्मू और कश्मीर	12601	31683	44284	2615	43	3947		50889
6.	पंजाब	1267493	382975	1650468	895634	347373	138221		2718696
7.	राजस्थान	555726	241473	797199	277306	18343	243264	2687	1338799
	उत्तरी क्षेत्र	**4497472**	**1673639**	**6171111**	**1617527**	**86733**	**544450**	**14462**	**8434283**
8.	अरुणाचल प्रदेश	2769	0	2769			197		2966
9.	असम	77245	4413	81658	1673		17467		100798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	मणिपुर	3450	0	3450	125		9		3584
11.	मेघालय	7996	78	8074	476		1138		9688
12.	मिजोरम	1304	0	1304	393		2073		3770
13.	नागालैण्ड	1004	6	1010	224		84		1318
14.	त्रिपुरा	19432	95	19527	290	61	8035		27913
15.	सिक्किम	945	107	1052	318				1370
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	**114145**	**4699**	**118844**	**3499**	**61**	**29003**	**0**	**151407**
16.	बिहार	272169	2111	274280	31658		143824		449762
17.	झारखण्ड	69127	2476	71603			14220		85823
18.	ओडीशा	287657	55841	343498	142593		52412	1769	540272
19.	पश्चिम बंगाल	644189	281065	925254	159293	13672	64463	7	1162689
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	864	62	926	224		84		1234
	पूर्वी क्षेत्र	**1274006**	**341555**	**1615561**	**333768**	**13672**	**275003**	**1776**	**2239780**
21.	मध्य प्रदेश	744011	167608	911619	251053	7585	172866		1343123
22.	छत्तीसगढ़	81442	23289	104731	59590	1567	28144		194032
23.	उत्तर प्रदेश	1205173	74179	1279352	204949	43893	588367		21165461
24.	उत्तरांचल	90381	31232	121613	41228		12967		175808
	मध्य क्षेत्र	**2121007**	**296308**	**2417315**	**556820**	**53045**	**802344**	**0**	**3829524**
25.	दादरा और नगर हवेली	664	41	705					705
26.	दमन और दीव	460	5	465					465
27.	गुजरात	647331	312122	959453	353590	7090	84762		1404895
28.	गोवा	10920	1446	12366	504			321	13191
29.	महाराष्ट्र	1377159	987707	2364866	405711		35237		2805814
	पश्चिमी क्षेत्र	**2036534**	**1301321**	**3337855**	**759805**	**7090**	**11999**	**321**	**4225070**
30.	आन्ध्र प्रदेश	2264773	690720	2955493	192416		366198		3514107

विवरण II

वर्ष 2009-10 (अप्रैल 2009 से मार्च 2010) के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के तहत सहकारी बैंकों एवं क्षे.ग्रा. बैंकों द्वारा राज्य-वार/एजेन्सी-वार जीएलसी संवितरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र के बैंक	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	कुल वाणिज्यिक बैंक	एससीबी/ सीसीबी	एलडीबी	अन्य एजेन्सी	आर.आर.बी	कुल कृषि ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ़	842995	274024	1117019	0	0	0	0	1117019
2.	नई दिल्ली	1135096	988712	2123808	104	0	0	0	2123912
3.	हरियाणा	1183565	129106	1312671	491008	15565	1031	204480	2024755
4.	हिमाचल प्रदेश	122545	20635	143180	37747	4873	20233	14006	220039
5.	जम्मू और कश्मीर	17076	52599	69675	3028	14	0	5056	77773
6.	पंजाब	1556542	222924	1779466	1053214	32706	0	161232	3026618
7.	उत्तर प्रदेश	1579230	78955	1658185	258217	60980	0	692749	2670131
8.	उत्तराखण्ड	136362	51196	117558	52078	0	0	14324	253960
9.	अरुणाचल प्रदेश	3544	0	3544	0	0	0	297	3841
10.	असम	93453	2362	95815	2777	0	0	15840	114432
11.	मणिपुर	3632	0	3632	371	0	0	6	4009
12.	मेघालय	4285	64	4649	694	0	1	2214	7558
13.	मिजोरम	2459	47	2506	95	0	0	25	2626
14.	नागालैण्ड	3651	12	3663	380	0	0	131	4174
15.	त्रिपुरा	18570	166	18736	423	80	0	6703	25942
16.	सिक्किम	855	123	978	226	0	0	0	1204
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	**130749**	**2774**	**133523**	**4966**	**80**	**1**	**25116**	**163786**
17.	बिहार	319527	4118	323645	35255	0	0	185109	544009
18.	छत्तीसगढ़	374673	76423	451096	4748	4218	0	36129	576191
19.	झारखण्ड	98330	4947	103277	0	0	0	14287	117564
20.	ओडीशा	399766	112949	512715	261666	0	0	66657	841038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पश्चिम बंगाल	735143	274989	1010132	195100	16059	398	102239	1323928
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	843	0	483	317	0	0	0	800
	पूर्वी क्षेत्र	**1927922**	**473426**	**2401348**	**577086**	**20277**	**398**	**404421**	**3403530**
23.	दादरा और नगर हवेली	168	0	168		0	0	0	168
24.	दमन और दीव	310	3	313		0	0	0	313
25.	गुजरात	777187	479568	1256755	453044	5799	0	97031	1812629
26.	गोवा	19450	6108	25558	694	0	611	0	26863
27.	मध्य प्रदेश	861503	245259	1106762	388897	2687	0	209359	1707705
28.	महाराष्ट्र	1403058	1120575	2523633	801604	0	0	60318	3385555
29.	राजस्थान	962571	248283	1210854	400057	0	1490	329983	1942384
	पश्चिमी क्षेत्र	**4024247**	**2099796**	**6124043**	**2044296**	**8486**	**2101**	**696691**	**8875617**
30.	आन्ध्र प्रदेश	2755044	828836	3583880	460081		0	531341	4575302
31.	कर्नाटक	1380216	372703	1752919	324581	0	1416	321399	2400585

विवरण III

वर्ष 2010-11 के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के तहत सहकारी बैंकों एवं क्षे.ग्रा. बैंकों द्वारा राज्य-वार/एजेन्सी-वार जीएलसी संवितरण (अनंतिम)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ शासित राज्य	एससीबी/सीसीबी	एल डी बी	कुल सहकारी बैंक	क्षे.ग्रा. बैंक	कृषि ऋण
1	2	3	4	5	6	7
1.	नई दिल्ली	63		63	0	63
2.	हरियाणा	506469	40755	547224	255183	802407
3.	हिमाचल प्रदेश	38586	4433	43019	20496	63515
4.	जम्मू और कश्मीर	159	285	444	9199	9643
5.	पंजाब	1106678	34406	1141084	214440	1355524
6.	राजस्थान	564581	20908	585489	435962	1021451
	उत्तरी क्षेत्र	**2216536**	**100787**	**23172323**	**935280**	**325603**

1	2	3	4	5	6	7
7.	अरूणाचल प्रदेश	42	0	42	217	259
8.	असम	2329		2329	22621	24950
9.	मणिपुर	468	0	468		468
10.	मेघालय	3281	427	3708	1590	5298
11.	मिजोरम	1758		1758	10001	11759
12.	नागालैण्ड	531		531	31	562
13.	त्रिपुरा	623	123	746	13849	14595
14.	सिक्किम	314		314		314
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	**9346**	**550**	**9896**	**48309**	**58205**
15.	बिहार	42189		42189	245410	287599
16.	झारखण्ड			0	17989	17989
17.	ओडीशा	296166		296166	83520	379686
18.	पश्चिम बंगाल	287341	22521	309862	117832	427694
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3492		3492		3492
	पूर्वी क्षेत्र	**629188**	**22521**	**651709**	**464751**	**1116460**
20.	मध्य प्रदेश	576545	1177	577722	264161	841883
21.	छत्तीसगढ़	106220	1353	107573	40662	148235
22.	उत्तर प्रदेश	315998	5993	375991	788152	1164143
23.	उत्तराखण्ड	70931	0	70931	15673	86604
	मध्य क्षेत्र	**1069694**	**62523**	**1132217**	**1008648**	**2240865**
24.	गुजरात	450562	2833	453395	109693	563088
25.	गोवा	1200		1200		1200
26.	महाराष्ट्र	921073		921073	83091	1004164
	पश्चिम क्षेत्र	**1372835**	**2833**	**1375668**	**192784**	**1568452**
27.	आन्ध्र प्रदेश	583504		583504	633253	1216757
28.	कर्नाटक	405682	12367	418049	436700	854749

1	2	3	4	5	6	7
29.	केरल	154044	26852	180896	297914	478810
30.	पुडुचेरी	1028	1	1029	7277	8306
31.	तमिलनाडु	340059	179	340238	271855	612093
	दक्षिणी क्षेत्र	1484317	39399	1523716	1646999	3170715
	कुल	6781916	228613	7010529	4396771	11407300
	वाणिज्यिक बैंक					33270598
		6781916	228613	7010529	4396771	44677898

*राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण IV

वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलापों के तहत सरकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा राज्य-वार/एजेन्सी वार जीएलसी संवितरण (सितम्बर-2011)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र	एससीबी/ सीसीबी	एलडीबी	कुल सहकारी बैंक (एससीबी+एलडीबी)	आरआरबी	कुल कृषि ऋण
1	2	3	4	5	6	7
1.	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	नई दिल्ली	439.74	0.00	439.74	0.00	439.74
3.	हरियाणा	284565.40	14375.88	198941.28	151584.00	450525.28
4.	हिमाचल प्रदेश	13119.18	1801.39	14920.57	12019.94	26940.51
5.	जम्मू और कश्मीर	307.98	266.96	574.94	5830.11	6405.05
6.	पंजाब	722670.33	19099.53	741769.86	141945.11	883714.97
7.	राजस्थान	475274.56	10191.42	485465.98	267554.38	753020.36
	उत्तरी क्षेत्र	**1496377.19**	**45735.18**	**1542112.37**	**578933.54**	**2121045.91**
8.	अरूणाचल प्रदेश	26.71	0.00	26.71	79.46	106.17
9.	असम	540.15	0.00	540.15	9765.07	10305.22
10.	मणिपुर	188.70	0.00	188.70	64.31	253.01
11.	मेघालय	340.59	0.00	340.59	239.66	580.25

1	2	3	4	5	6	7
12.	मिजोरम	840.63	0.00	840.63	301.00	1141.63
13.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	त्रिपुरा	419.61	12.78	432.39	1338.28	1770.67
15.	सिक्किम	199.77	0.00	199.77	0.00	199.77
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	**2556.16**	**12.78**	**2568.94**	**11787.78**	**14356.72**
16.	बिहार	19757.59	0.00	197547.59	199428.42	219186.01
17.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	11161.55	11161.55
18.	ओडीशा	242810.89	0.00	242810.89	47840.04	290650.93
19.	पश्चिमी बंगाल	72083.21	8154.78	80237.99	46925.66	127163.65
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.43	2086.12	2109.55	0.00	2109.55
	पूर्वी क्षेत्र	**334675.12**	**10240.90**	**344916.02**	**305355.67**	**650271.69**
21.	मध्य प्रदेश	472432.48	4510.61	476943.09	174778.68	651721.77
22.	छत्तीसगढ़	111458.81	102.39	111561.20	24138.78	135699.98
23.	उत्तर प्रदेश	196426.18	29008.31	225434.49	406964.14	632398.63
24.	उत्तराखण्ड	56536.68	0.00	56536.68	6118.04	62654.72
	मध्य क्षेत्र	**836854.15**	**33621.31**	**870475.46**	**611999.64**	**1482475.10**
25.	गुजरात	446324.30	618.00	446942.30	109342.60	556284.90
26.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	गोवा	1238.60	0.00	1238.60	0.00	1238.60
29.	महाराष्ट्र	776776.83	0.00	776776.83	66608.57	843385.40
	पश्चिमी क्षेत्र	**1224339.73**	**618.00**	**1224957.73**	**175951.17**	**1400908.90**
30.	आन्ध्र प्रदेश	370012.70	0.00	370012.70	421229.57	7912421.27
31.	कर्नाटक	313458.99	3259.35	316718.34	284766.96	601485.30
32.	केरल	134916.00	18920.99	153836.99	167213.00	321049.99
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पाण्डिचेरी	535.70	1.36	537.06	6567.65	7104.71

1	2	3	4	5	6	7
35.	तमिलनाडु	157104.60	0.35	157104.95	182180.60	339285.55
	दक्षिणी क्षेत्र	**976027.99**	**22182.05**	**998210.04**	**1061957.78**	**2060167.82**
	कुल	4870830.34	112410.22	4983240.56	2745985.58	7729226.14
	वाणिज्यिक बैंक					14608792.00
		4870830.34	112410.22	4983240.56	2745985.58	22338018.14

#सितम्बर 2011 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक रक्तदान

2713. श्री पी. सी. गद्दीगौदरः
श्री प्रहलाद जोशीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर युवाओं के बीच स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाये जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु रक्तदाताओं का डाटाबेस तैयार करने तथा इसके परिणामस्वरूप ब्लड बैंकों में रक्त अनुरक्षण पर आने वाले व्यय को कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त डाटाबेस में एचआईवी पॉजिटिव रोगियों को सम्मिलित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधी सेलवन)ः (क) सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों सहित स्वैच्छिक रक्तदान कार्यकलाप शुरू करने के लिए पहलें की है। ऐसा भारतीय रेडक्रास सोसायटी, एनएसएस, एनसीसी, एनवाईकेएस और अन्य रक्तदाता संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है। युवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मास मीडिया और मिड मीडिया कार्य कार्यकलापों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है। सामुदायिक मोबिलाइजेशन के लिए दाता प्रेरकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें सुग्राही बनाने के लिए राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(ख) से (घ) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक रक्त बैंक एक रक्तदाता रिकार्ड रजिस्टर रखता है और रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए एचआईवी पॉजीटिव व्यक्तियों के डाटाबेस सहित किसी पृथक डाटाबेस का प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाएं/कार्यक्रम

2714. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः
श्री सी.आर. पाटिलः
श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलियाः
श्री पी.के. बिजुः
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाणः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में योजनावार, संघ/राज्य-क्षेत्रवार आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आवंटित निधियों में से विभिन्न मदों के अंतर्गत किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को समय पर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए;

(ङ) क्या सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन और प्रगति का कोई मूल्यांकन स्थित है; और

(च) यदि हां, तो इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत की गई उपलब्धियों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दवाओं की आपूर्ति

2715. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी औषधालयों में दवाओं की कमी है या उनकी आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी अवाओं की आपूर्ति का मूल्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयुर्वेदिक सीजीएचएस औषधालयों के माध्यम से लाभग्राहियों द्वारा जी जाने वाली अधिकांश दवायें हटा दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली के सीजीएचएस यूनानी औषधालयों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कतिपय कठिनाइयां रही हैं।

(ग) दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के लिए एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एर्व यूनानी प्रणालियों के प्रापण पर वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

	2008-09	2009-10	2010-11
एलौपैथिक	328.21	327.48	386.06
आयुर्वेदिक	3.70	4.04	3.00
होम्योपैथिक	0.73	0.92	0.90
यूनानी	0.70	0.45	0.50

(घ) से (च) जी, नहीं। भंडारों में दवाओं की उपलब्धता के अनुसार लाभार्थियों को दवाएं वितरित की जाती हैं कुछ दवाएं प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों के जरिए स्थानीय खरीद द्वारा भी अधिप्राप्त की जाती हैं, आयुष दवाओं के अधिप्रापण को सुचारू करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है अर्थात खुली निविदा के जरिए दवाओं का थोक अधिप्रापण, इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) के जरिए दवाओं का अधिप्रापण।

सौर ऊर्जा

2716. श्री कामेश्वर बैठा:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल कोचों में सौर लाइट्स लगाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) इस समय रेल के डिब्बों में सौर रोशनियों की संस्थापना हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा प्रणालियों की दक्षता तथा कार्यावधि को बढ़ाने और प्रणालियों की लागत को कम करने की दृष्टि से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सहायता की जा रही है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा सौर प्रकाशवोल्टीय तथा सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियों हेतु उपभोक्ताओं को वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

2717. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः
श्री पिनाकी मिश्राः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लोगों की बैंक ऋण तक पहुंच पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यथा 'सिडबी', नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उक्त समुदायों को कितना ऋण दिया गया; और

(ग) देश में अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्ध कराने में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए में)

को समाप्त वर्ष	बकाया राशि
मार्च, 2009	96801.60
मार्च, 2010	128800.14
मार्च, 2011	143513.73

यह देखा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों के पास बकाया ऋण गत तीन वर्षों के दौरान 48% बढ़ गया है।

(ग) आरबीआई ने अपने दिनांक 1 जुलाई, 2011 के मास्टर परिपत्र के तहत अभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पूरे देश में सभी चिन्हित अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने की सलाह दी है। इस परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों को विशेष प्रकोष्ठ गठित करने तथा प्रत्येक बैंक में नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने की सलाह दी गई है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धता की निगरानी बैंकों को किस प्रकार करनी चाहिए। परिपत्र का ब्यौरा आरबीआई की वेबसाइट www.org.in पर उपलब्ध है।

ऋण माफी योजना

2718. श्री नृपेन्द्र नाथ रायः
श्री महाबल मिश्रः
श्री नरहरि महतोः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान कृषि ऋण माफी योजना के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं बैंक-वार कितने किसानों का ऋण माफ किया गया है;

(ख) क्या सरकार को कुछ राज्यों में उक्त योजना का क्रियान्वयन नहीं किये जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उन किसानों ने जो अपने ऋणों का भुगतान समय से कर रहे हैं उक्त योजना के विरूद्ध अप्रसन्नता दर्शायी है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये/किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) 2008 का उदेदृश्य अवरूद्ध ऋण आवंटन को पुनः प्रारंभ करना था जो किसानों द्वारा लिए गए ऋणों के बोझ के कारण बंद हो गया था तथा इन किसानों को नए ऋण लेने के लिए पात्र बनाना था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों, स्थानीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2007 के बीच किसानों को प्रदत्त वे सभी कृषि ऋण इस योजना के अंतर्गत ऋण माफी/ऋण राहत के पात्र थे जिनका 28 फरवरी 2008 तक भुगतान नहीं किया गया था। इस स्कीम का ऋण माफी भाग 30.06.2008 को बंद कर दिया था। स्कीम का ऋण राहत भाग 30.06.2010 को बंद किया गया था।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के संबंध में योजना के क्रियान्वयन का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ऋणदात्री संस्थाओं को प्रतिपूर्ति के रूप में अब तक 52419.88 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है।

भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस योजना का कार्यान्वियन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को केन्द्रीय एजेंसी बनाया है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा इस स्कीम का कार्यान्वियन करने के लिए बैंकों और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को केन्द्रीय एजेंसी बनाया है। इस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायतों से निपटने के लिए बैंक के शाखा स्तर तक विकेन्द्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया था।

विवरण I

ऋण माफी के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से प्राप्त समेकित दावा संबंधी राशि

(खातों की संख्या हजार में और राशि रुपए में)

		आरम्भिक दावा		24.12.2008 को अदा किए गए कुल आरंभिक राशि				25.9.2009 को अदा किए गए कुल आरंभिक दावा का 16.25%			अंतिम दावा		शिकायतों के कारण अतिरिक्त दावा			
क्र.सं.	बैंक का	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	कुल आरम्भिक	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	31 जनवरी को अदा की गई राशि	अदा की गयी कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	भारतीय स्टेट बैंक	2462	52879727125	1009	21680688121	185	3965979534	400	8592955657ण75	34239623313ण22	2417	53073608658.41			18833985345.20	53073608658.41
2.	स्टेट बैंक बीकानेर और जयपुर	132	4023044848	54	1649448388	10	301728364	21	653744787.80	2604921539.08	132	4023044848.00	1855.00	140048522.25	1418123308.92	4023044848.00
3.	स्टेट बैंक हैदराबाद	295	5498759480.00	121	225441387	22	412406961	48	893548415.50	3560446763.30	294	5442321191.00			1881874427.70	5442321191.00
4.	स्टेट बैंक इंदौर	162	160483912.92	66	657982314	12	120362619	26	260785673.35	1039130606.65	39	1595862124.60	269.00	18854069.35	575585587.30	5442321191.00
5.	स्टेट बैंक मैसूर	71	24083733676.00	29	987433207	5	180528026	12	391360722.35	1559421955.21	74	2404587609.00	677.00	30900544.00	845165653.79	2404587609.00
6.	स्टेट बैंक पटियाला	38	1411842112.00	16	578855266	3	105888158	6	229424343.20	914167767.52	38	1420219016.08	0.47	14066257.48	506051248.56	1420219016.08
7.	स्टेट बैंक त्रावणकोर	117	3214541426.00	48	1317619985	9	241090607	19	522362981.73	2081415573.34	118	3242258909.00	0.76	36929624.00	1160843335.67	3242258909.00
8.	इलाहाबाद बैंक	398	10408015604.00	163	42672286398	30	780601170	65	1691302535.65	6739190103.59	400	1041807072.00	28.64	668390196.35	3678856968.41	10418047072.00
9.	आन्ध्र बैंक	399	7476167521.00	164	3065228684	30	560712564	65	1214877222.16	4840818469.85	398	7461913388.00	0.08	7695444.00	2628790362.15	7469608832.00
10.	बैक ऑफ बड़ौदा	219	5095579066.00	90	2089187417	16	382168430	36	828031598.23	3299387445.24	218	5051879000.00	336.00	8462480.00	1752491554.77	5051879000.00
11.	बैंक ऑफ इण्डिया	341	6467246031.72	140	2651570873	26	485043452	55	1050927480.15	4187541805.54	340	6392185943.76			2204644138.22	6392185943.76
12.	बैक ऑफ महाराष्ट्र	88	2226564359.72	36	912891386	7	166992327	14	361816708.45	1441700421.43	86	2183217455.72	0.14	9589275.00	751106309.29	2192185943.76
13.	केनरा बैंक	471	125711664588.00	193	5154382481	35	942874844	77	2042895495.55	8140152820.73	472	12601664112.45			4461511291.72	12601664112.45
14.	सेन्ट्रल बैंक इण्डिया	447	9746226375.00	183	3995952814	34	730966978	73	1583761785.94	6310681577.81	448	9748288325.00	0.90	371938852.00	34747551120.19	9785432698.00
15.	कारपोरेशन बैंक	42	11526375.00	17	472582185	3	86447961	7	187303914.69	746334060.06	43	1141300430.00	0.05	4566872.00	394966369.94	1141300130.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.	देना बैंक	28	769221717.00	11	315380904	2	57691629	4	124998529.01	498071061.76	28	769395935.00	27.00	2352961.00	273677834.24	771748896.00
17.	आइडीबीआई	11	272202502.98	4	111603026	1	20415188	2	442329056.73	176251120.68	11	272835237.00	0.01	378344.00	96584116.32	277835237.00
18.	इण्डियन बैंक	236	4573999070.00	97	1875339619	18	343049930	38	7432744848.88	2961664397.83	237	4590069971.00	346.00	12800645.00	1628405573.18	5773479756.00
19.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	309	5744688988.00	127	2355322485	23	430851674	50	933511960.55	3719686119.73	311	5773479756.00			2053793636.27	57734797556.00
20.	ओ.बी.सी.	88	3758970576.00	36	1541177936	7	281922793	14	610832718.60	2433933447.96	88	3700809923.00	10.00	119738.00	1266876475.04	3700809923.00
21.	पंजाब नेशनल बैंक	337	1139439390.00	138	4671701331	25	854579512	55	1851588942.13	7377869784.78	339	11462546792.00	0.13	10238071.00	4094915078.23	11472784863.00
22.	पंजाब-सिंघ बैंक	15	482287093.00	6	197737708	1	36171532	2	78371652.61	312280892.72	15	477226992.00	473.00	14066357.48	154946099.28	477226992.00
23.	सिंडिकेट बैंक	293	73453862209.80	120	3011608346	22	550903966	48	1193625259.09	4756137570.85	293	7359398251.90	0.16	92496112.25	2612510293.30	7368647864.15
24.	यूनियन बैंक ऑफ्फ इंडिया	277	7444743578.38	114	3052344867	21	558355758	45	1209770831.40	4820471467.00	276	7371287502.93	0.19	16570470.29	2567386506.22	7387857973.22
25.	यूनाइटेड बैंक	141	2111936970.63	58	865894158	11	158395273	23	343189757.73	1367479188.48	145	2111944545.00			744465356.52	2111944545.00
26.	यूको बैंक	247	5252798276.00	101	2153647293	19	393959871	40	85379719.85	3401186883.71	250	5315131752.00	186	61970928.00	1962149607.29	5363336491.00
27.	विजया बैंक	49	1529721385.00	20	627185768	4	114720104	8	248579725.06	990494596.79	48	1471156017.00		7476717.21	480661420.21	1471156017.00
	कुल	7713	176865576456.82	3162	72514886345.81	578	13264918235	1253.34	28740656174.23	11452046075.83	7557	176875680757.85	2171.39	971872558.41	62515119017.91	1770035579772.74

ऋण माफी गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक

		आरम्भिक दावा		आरम्भिक दावा का 41%		3.7.09 को अदा किए गए कुल आरम्भिक देय राशि		25.9.09 को अदा किए गए कुल आरम्भिक देय राशि			अंतिम दावा		शिकायतों के कारण अतिरिक्त दावा		शिकायत निवारण मामले समेत समेकित अंतिम दावा		ऋण माफी	
क्र.सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	अदा किए गए दावा	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	फरवरी 2011 में	अदा की गयी कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	बैंक आफ राजस्थान लि.	410	52112432	1.68	21366.100	0.31	3908432	1	8468270.20	3374280.20	4.10	52167679.00	13.00	953189.00	17.10	53230868.00	19378065.80	53120868.00
2.	कैथालिक सिरिन बैक	1.55	27264829	0.64	11178580	0.12	2044862	0	4430534.71	17653976.71	1.55	25964880.00			1.55	25954880.00	8310903.28	25964879.99
3.	सिटीयुनियन बैक लि.	5.77	101482049	2.36	41607640	0.43	7611154	1	16490832.91	65709626.91	5.61	97553118.99	0.002	28990.64	561	97582109.63	31843492.08	97553118.99
4.	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	1	48463791	343.40	19870154	62.82	3634784	0	7875366.00	31380304.00	2.15	43554034.28			2.15	43554034.28	12173730.28	43554034.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.	फेडरेल बैक लि.	18.75	1056926781	7.69	433339980	1.41	79269510	3	171750601.91	68436009.91	18.771057019406.00				18.77	1057019406.00	32173750.28	43554034.28
6.	एचडीएफसी बैक लि.	0.43	28960769	0.18	11873915	0.03	2172058	0	4706124.96	18752097.96	0.43	28960769.00			0.43	28960769.00	10208671.03	28960768.99
7.	आईसीआईसीआई लि.	473.88	1885403134	194.29	773015285	35.54	141405235	77	3063788009.31	1220798529.31	672.0125490005222.05		0.020	555806.38	972.03	254956106.00372659314.081057019405.99		
8.	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	8.99	231290901	3.69	94829269	0.67	17346818	1	37584771.43	149760858.43	9.032321271611.13				9.03	232127161.13823663302.69232127161.12		
9.	करूर वैश्य बैंक	16.43	34855432	6.73	142907727	1.23	26141657	3	56640257.71	225689641.71	16.60	347491744.88			.03	232127161.1382366.302.69		23212716.12
10.	कोटक महिन्द्रा बैंक	0.19	5203935	0.08	2133613	0.01	390295	0	845639.44	3369547.44	0.18	5053295.00			0.18	5053295.00	1683747.56	5053295.00
11.	लक्ष्मी विलास बैंक	6.68	176443554	3.97	72341857	0.73	13233267	2	28672077.52	11247201.52	9.48	175899020.00			9.48	175899020.00	9253516.63	26251110.00
12.	नैनीताल बैंक लि.	0.99	26251110	0.41	10762955	0.07	1968833	0	4265805.37	16997593.37	0.99	26251110.00			0.99	26251110.00	925316.63	26251110.00
13.	रत्नाकर बैंक लि.	1.10	29962591	0.45	12284662	0.08	2247194	0	4868921.04	19400777.04	1.10	29962591.00			4.90	9528748.00	32706176.68	95248747.99
14.	साउथ इण्डियन बैंक	4082	96590845	1.97	39602246	0.36	7244313	1	15696012.31	62542571.31	4.90	95248748.00			4.90	95248748.00	32706176.68	95248747.99
15.	तमिलनाडु मर्केटाइल	4.15	67993817	1.70	27877465	0.31	5099536	1	11048993.26	44025996.26	4.18	68630891.00			4.18	68630891.00	24604894.73	68630890.99
16.	एक्सिस बैंक लि.	6.40	455267094	2.63	186659508	0.48	34145032	1	73980902.76	294785442.76	6.67	471899233.85	0.075	9291083.51	6.75	481190317.36177113791.09471899233.85		
17.	आईएनजी वैश्य बैंक	14.78	387445658	6.06	158852720	1.11	29058424	2	62959919.43	250871063.43	14.74	387201814.00			14.74	387201814.00	136330750.6	387201814.00
18.	जम्मू-कश्मीर बैंक लि.	8.27	212001158	3.39	86920475	0.62	15900087	1	34450188.18	137270750.18	8.25	205960974.00			.25	205960974.00	68690223.82	205960974.00
	कुल	581.125237619879.71		581.312147424151.00		106.34392821491.00		94.43	851113230.45	3391358872.45	780.755899951692.18		13.10	10829069.53	793.85	5910780761.712510078916.035901437788.49		

क्र.सं.	लोकल एरिया बैंक का नाम	कुल प्रारंभिक दावा		कुल अंतिम दावा	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	सुभद्रा लोकल एरिया बैंक	0.00	0	0.0141	1073666
2	कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	0.106	1737035.77	0	1737035.77
3	कृष्णभीम समृद्धि बैंक लि.	0	0	2.078	9330194
4	कैपिटल लोकल एरिया बैंक	0	0.00	0	0.00
	कुल	0.106	1737035.77	2.119	12140895.77

शहरी सहकारी बैंक		कुल अंतिम दावा (रूपए में)
कुल अदा ऋण आता	सरकारी क्षेत्र	177035579772.74
	गैर-सरकारी क्षेत्र	5901437788.49
	लोकल एरिया बैंक	12140895.77
	शहरी सहकारी बैंक	3403735498.00
		186352893955.00

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008-ऋणराहत

(खातों की संख्या हजार में और राशि वास्तविक रुपए में)

		आरंभिक दावा		अंतिम दावा		शिकायतों के कारण अतिरिक्त दावा		ब्याज के लिए अनुपयुक्त होने के कारण अतिरिक्त दावों का निपटारा		कुल खाता (शिकायत के कारण अंतिम-अतिरिक्त)	कुल दावा		31 जनवरी 2011 को अदा कुल दावा		
क्र.सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि				वापसी	राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	भारतीय स्टेट बैंक	0.00	0.00	520.29	10072363236.81			0	0	520.29	10072363236.81	10072363236.81		10072363236.81	0.00
2.	स्टेट बैंक बीकानेर और जयपुर	113.80	2770270641.00	102.42	23879676744.34			7.081	226288650.15	109.50	2614256324.49	2387967674.34		2387967674.34	226288650.15
3.	स्टेट बैंक हैदराबाद	67.18	1290231326.00	80.28	1594931493.00			4.385	97627992.00	84.67	169559485.00	1594931493.00		159493143.00	97627992.00
4.	स्टेट बैंक इंदौर	0.00	0.00	52.64	116645754.82			0	0	52.64	1166645754.82	11666457554.82		1166645754.82	0.00
5.	स्टेट बैंक मैसूर	17.06	4509118441.00	21.65	5712855570.00			5.405	18930595.00	27.06	761216165.00	571385570.00		571385570.00	189830595.00
6.	स्टेट बैंक पटियाला	0.00	0.00	27.75	947186227.98			6.287	161369274.83	34.04	658555502.81	94718627.98		497186227.98	161369274.83
7.	स्टेट बैंक त्रावणकोर	0.00	0.00	5.00	115484421.00			1.207	36334802.00	6.21	151819223.00	115484421.00		115484421.00	36334802.00
8.	इलाहाबाद बैंक	0.00	0.00	59.39	1229744382.72			0	0	59.39	1229744382.72	1229744382.72		1229744382.72	0.00
9.	आंध्र बैंक	0.00	0.00	67.79	1305867778.34			10.55	212173183.40	78.45	1518040961.74	1305867778.34		1305867778.34	212173183.40
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	0.00	0.00	57.79	1305867778.34			10.56	212179.00	64.84	1333575904.00	1166870625.00		1166870625.00	167005279.00
11.	बैंक ऑफ इण्डिया	0.00	0.00	54.88	11705446706.00			16.827	454558597.00	71.71	1625103267.00	1170544670.00		1170544670.00	454558597.00
12.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	37.08	762614159.50	39.32	820085639.00	2.40	68210924.00	0	0	41.72	8882966463.00	820085670.00		1170544670.00	454558597.00
13.	केनरा बैंक	41.35	1010316006.11	58.35	1425541040.17			8.768	281980265.00	67.12	1707521305.17	1425541040.17		1425541040.17	281980265.00
14.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.00	0.00	67.07	1477705793.00			20.143	541124784.00	67.12	1707521305.17	1477705793.00		1477705793.00	541124784.00
15.	कार्पोरेशन बैंक	0.00	0.00	12.24	300859869.00			1.705	47994102.00	13.95	348853971.00	300859870.00		300859870.00	47994101.00
16.	देना बैंक	0.00	0.00	17.52	443181512.00			0.789	2242538.00	18.31	465424050.00	443181512.00	2291854.00	440889658.00	24534392.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17.	आईडीबीआई बैंक	4.30	83758172.65	3.89	76344253.16			0.216	5898755.00	4.11	82243008.16	76344253.16		76344253.16	5898755.00
18.	इण्डिन बैंक	0.00	0.00	30.42	575721548.00			0	67449934.00	30.42	643171482.00	575721548.00		575721548.00	67449934.00
19.	आईओबी	45.81	831522215.30	47.65	879983048.00			2.322	51359268	50.17	931342316.00	0.00		0.00	931342316.00
20.	ओबीसी	0.00	0.00	22.23	828115593.60	3.42	111774638.04	0	0	25.65	939890231.64	828115593.60		828115593.60	111774638.04
21.	पीएनबी	59.86	1682520293.88	67.61	1897646487.05	0.001	44273.00	30.432	898092103.7	98.04	2795782863.70	1897690760.05	8074164.76	18896165.29	906166268.41
22.	पंजाब सिध बैंक	0.00	0.00	4.87	141347258.00	0.001	44273.00	30.432	898092103.7	98.04	2795782863.70	1897690760.05	8074164.76	1889616595.29	906166268.41
23.	सिडिकेट बैंक	63.73	392530352.50	71.60	1504214027.92			13.01	318151756.82	84.61	1822365784.74	1504214027.92		1504214027.92	318151756.82
24.	युनियन बैंक ऑफ इण्डिया	0.00	0.00	48.21	1170719303.01			9.675	269459605.83	57.89	1440178908.84	1170719303.01		1170719303.01	269459605.823
25.	युनाइटेड बैंक	0.00	0.00	0.17	2785815.00		28806777.00	0	0	0.17	31592592.00	2785815.00		2785815.00	28806777.00
26.	युको बैंक	19	424652787.67	19	424652787.67			5.079	115003255.00	24.24	539655042.67	424652787.67	424552787.67	424552787.67	115003255.00
27.	विजया बैंक	11.32	294845177.00	13.53	355575414.00			1.709	48341906.00	15.24	403917320.00	35557541.00		355575414.00	48341906.00
	कुल	480.64	10994172972.61	1573.90	33603471222.59	5.818	208836512.04	153.61	4235582955.68	1733.33	38047890690.31	32723532448.59	10366018.76	32713166429.83	5334724260.48

गैर -सरकारी क्षेत्र के बैंक

		कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008-ऋण राहत (खातों का सं. हजार में तथा राशि वास्तविक रूपए में)										
		आरंभिक दावा		अंतिम दावा								
क्र.सं	बैक का नाम	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	4 फरवरी, 2011 को अदा राशि	ब्याज के लिए अनुपयुक्त शिकायतों के कारण अतिरिक्त दवाव		कुल दावा		शेष भुगतान
											वापिस	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक											
1.	बैंक आफ राजस्थान लि.	0.87	16298186.00	0.68	11995963.00	0.00	11995963.00	0.02	63.6352.00	12632315.00	72385.00	636132.00
2.	कैथालिक सरीन बैंक	0.00	0.00	45.00	1958533.00	0.00	1958533.00	0.001	26792.00	1985325.00		26792.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	सिटी यूनियन बैक लि.	1.04	22574986.33	0.59	12405341.39	0.00	12405341.39	0.092	2195836.13	14601177.52		2195836.13
4.	धन लक्ष्मी बैंक लि.	0.06	1509173.81	0.06	150917381	0.06	1509173.81			15091713.81		0.00
5.	फैडरल बैंक लि.	0.84	38414756.00	2.30	182468292.00	2.30	182468292.00	0.26	19225780.00	2016944072.00		19225780.00
6.	एचडीएफसी बैंक लि.	13.62	170665083.76				0.00			0.00		0.00
7.	आईसीआईसीआई बैंक	0.00	0.00	15.92	207951323.90	15.92	207951323.90	0.29	5642155.00	213593478.90		5642155.00
8.	कर्नाटक बैंक लि.	0.00	0.00	3.27	91329227.88	0.00			91329227.88	31329227.88		0.00
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	0.55	8055773.00	1.21	23423607.83	0.00	2418751583	1.26	763908.00	24187515.83		0.00
10.	कोटक महिन्द्रा बैंक	0.00	0.00	0.06	892168.00	0.00	892168.00			.00		0.00
11.	लक्ष्मी विकास बैंक	0.62	18817062.00	2.33	35469910.00	0.00	35469910.00	0.05	1589148.00	3709058.00		1589148.00
12.	नैनीताल बैंक लि.	0.00	0.00	0.47	6575100.00	0.00	6575100.00	6575100.00	0.22	454992.00	7030092.00	454992.00
13.	रत्नाकर बैंक लि.	0.00	0.00	0.00	10319982.00	0.00	10319982.00	10319982.00	0.00			
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	0.00	0.00	0.62	18817062.00		0.00	0.00	395949.00	19213011.00		19213011.00
15.	तमिलनाडु मर्कन्ट बैंक	0.00	0.00	2.09	29602574.00	0.00	29602574.00	0.01	136708.00	13001238.58	74549.00	13001238.58
16.	एक्सिस बैंक लि.	0.00	0.00	6.85	197337903.46	0.00	197337903.46	0.197	13001238.58	2110339142.04		13001238.58
17.	आइएनजी वैश्य लि.	0.00	0.00	3.87	81008852.43	0.00	81008852.43	2.42	66893688.00	147902540.04		13001238.58
18.	जम्मू-कश्मीर बैंक लि.	0.00	0.00	0.40	13685580.50	0.00	13685580.50	0.033	1122624.29	1480204.79		1122624.29
		.60	276335220.90	85.30	926750595.20	0.00	908697441.20	4.81	112085370.00	108835965.20	146934.00	129015899.71

लोकल एरिया बैंक का नाम	खातों की संख्या	राशि	वापिस	अदा की गई वास्तविक राशि
1	2	3	4	5
सुभद्रा लोकल बैंक	0.01	462368.00	154963.00	307405.00
कोस्टल लो. ए. बैंक	0.01	190433.00		190433.00

1	2	3	4	5
कृष्णा भीम समृद्धि बैंक	0.03	298597.00		298597.00
कैपिटल लो ए बैंक लि	0.05	5249942.00		5749942.00
कुल	0.11	620134.00	154963.00	6046377.00

शहरी सहकारी बैक	185749591.50		
योग			
सरकारी क्षेत्र	327235532448.59	कुल योग	राशि रूपए में
गैर सरकारी क्षेत्र	908597441.20	माफी	186352893955.00
लोकल एरिया बैंक	6046377.00	राहत	33824025858.29
शहरी सहकारी बैंक	185749591.50	220176919813.29	
	33824025858.29		

विवरण II

नाबार्ड

31.7.2011 की स्थिति के अनुसार एडीडब्लूआर स्कीम 2008 के अर्न्तगत सहकारी बैंकों एव क्षे. ग्राम बैंकों को संस्वीकृत एवं सविस्तार धनराशि राज्यवार एजेन्सी-वार ब्यौरा

क्र.सं	राज्य का नाम	ऋण माफी		ऋण जीआरएम		ऋण राहत		ऋण जीआरएम		योग	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	एससीबी	11003903	1557442.99	1077268	6271.15	1768903	264910.82	0	0.00	12880074	1828624.97
	एसएलडीबी	1662249	337166.71	24238	5078.22	247333	38789.22	221	27.07	1934041	381061.22
	आरआरबी	3361826	602642.75	12462	2623.58	501372	91377.07	2340	345.32	3878000	696988.72
	कुल	16027978	24972552.45	143958	13972.96	2517608	395077.11	2561	372.39	18692115	2906674.91
1.	**अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह**										
	एससीबी	715	81.33	0	0	0	0.00			715	81.33
	एलएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.0.0
	आरआरबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.0.0
	उप योग	715	81.33	0	0	0	0.00	0	0	715	81.33
2.	**आन्ध्र प्रदेश**										
	एससीबी	24855158	346051.30	228	82.62	261611	32073.15			2747354	378207.07
	एसएलडी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	535065	100827.12	51	6.49	107011	19547.25			642128	120380.86
	उपयोग	3020581	446878.42	279	89.11	368622	51620.40	0	0	3369482	498587.93
3.	**अरूणाचल प्रदेश**										
	एससीबी	11320	237.05	0	0	29	5.39			11349	242.44
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	1013	235.12	37	17.27	0	0.00			1050	252.39
	उपयोग	12333	472.17	37	17.27	29	5.39	0	0	12399	494.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	असम										
	एससीबी	13576	880.30	0	0	19	5.36			13595	885.66
	एसएलडीबी	95	48.38	0	0	13	2.68			108	51.06
	आरआरबी	72253	8188.57	0	0	1676	163.03			73929	8351.60
	उपयोग	85924	9117.25	0	0	1708	171.07	0	0	87632	9268.32
5.	बिहार										
	एससीबी	317028	33783.15	4673	624.48	0	0.00	0	0.00	321701	34407.99
	एसएलडीबी	15547	3292.70	0	0	0	0.00	0	0.00	15547	3292.70
	आरआरबी	446969	77263.74	5	80.61	14701	2344.20	2228	325.30	466503	80013.85
	उपयोग	782244	114339.95	4678	705.09	14701	2344.20	2226	325.30	803851	117714.54
6.	दिल्ली										
	एससीबी	453	254.55	0	0	100	47.61			553	302.15
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	उपयोग	453	254.55	0	0	100	47.61	0	0	553	302.16
7.	गोवा										
	एसएसबी	2907	478.32	1	0.14	131	18.25			3039	496.71
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	उपयोग	2907	478.32	1	0.14	131	18.25	0	0	3039	468.71
8.	गुजरात										
	एससीबी	314448	780094.49	0	19.69	128149	29876.50			442597	107905.68
	एसएलडीबी	9941	4680.91	0	0	0	1544.78			9941	6225.59
	आरआरबी	28709	4772.67	0	0	10408	2062.91			39117	6835.58
	उपयोग	353098	87463.07	0	19.69	138557	33484.19	0	0	491655	120956.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	**हरियाणा**										
	एससीबी	261229	82961.49	154	43.63	91582	16180.97			352975	99186.09
	एसएलडीबी	49310	19496.26	19	102.69	10094	2054.23			59423	21553.18
	आरआरबी	18991	6875.07	28	17.05	7423	2402.53			26442	9294.65
	उपयोग	329530	109332.82	211	163.37	109099	20637.73	0	0	438840	130133.92
10.	**हिमाचल प्रदेश**										
	एससीबी	113836	16699.30	64	20.64	567	123.98			114467	16843.92
	एसएलडीबी	10985	3897.64	0	0	1060	224.76			12046	4122.40
	आरआरबी	8294	1594.95	1	0.46	133	18.37			8428	1613.79
	उपयोग	133116	22191.09	55	21.1	1760	367.11	0	0	134941	22580.11
11.	**जम्मू और कश्मीर**										
	एससीबी	17929	2742.71	0	0	0	0.00			17929	2742.71
	एसएलडीबी	576	443.55	0	0	72	19.68			648	463.23
	आरआरबी	5414	1054.91	0	0	0	0.00			5414	1054.91
	उपयोग	23919	4241.17	0	0	72	19.68	0	0	23991	4260.85
12.	**झारखण्ड**										
	एससीबी	36736	4930.30	0	0	0	0.00			36736	4930.30
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	165733	14018.35	52	2.26	2680	215.03			171465	14235.64
	उपयोग	205469	18948.65	52	2.26	2680	215.03	0	0	208201	19165.94
13.	**कर्नाटक**										
	एससीबी	154964	30715.88	9998	3447.25	2005	2441.31			194967	36604.44
	एसएलडीबी	77456	9057.36	501	19.52	25780	3000.82			103737	12077.70
	आरआरबी	239423	67485.87	10739	3549.56	180910	29519.00	0	0	673492	140328.55
	उपयोग	205469	18948.65	52	2.26	2680	215.03	0	0	208201	19165.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	**केरल**										
	एससीबी	524756	91669.78	73573	434.18	2580	691.38			600909	92795.34
	एसएलडीबी	126723	18196.36	0	0	3642	594.56			130365	18790.92
	आरआरबी	126669	36135.28	17	10.86	1136	290.46			127822	36436.00
	उपयोग	778148	146001.42	73590	445.04	7358	1576.40	0	0	859066	148022.86
15.	**मध्य प्रदेश**										
	एससीबी	870103	10567.04	0	0	158037	18160.02			1028140	11827.06
	एसएलडीबी	115394	33233.21	1103	585.87	43311	6655.71			159808	40474.79
	आरआरबी	77202	16216.19	1517	381.19	41107	7662.86			119826	24260.24
	उपयोग	1062699	150016.44	2640	967.06	32478.59	0	0	1307774	183462.09	
16.	**छत्तीसगढ़**										
	एससीबी	270165	18244.97	1463	0	93812	8752.02	0	0.00	365440	26996.99
	एसएलडीबी	10226	1869.09	582	79.13	4869	924.62	221	27.07	15898	2899.86
	आरआरबी	52147	684454	2	0.43	9718	1667.98	2	0.54	61869	8513.49
	उपयोग	332538	26958.55	2047	79.56	108399	11344.62	223	27.61	443207	38410.34
17.	**महाराष्ट्र**										
	एससीबी	2197706	377078.07	1492	398.77	647075	109274.47			2846273	486751.31
	एसएलडीबी	98687	29189.53	0	0	37834	4370.14			136521	33559.67
	आरआरबी	77044	12031.97	455	78.36	38597	7198.26			111096	19308.59
	उपयोग	2368437	418299.57	1947	477.13	723506	120824.87	0	0	3093890	539619.57
18.	**मणिपुर**										
	एससीबी	41210	2019.53	0	0	105	50.56			41315	2070.09
	एसएलडीबी	30	21.20	23	15.17	2	0.58			55	36.95
	आरआरबी	16780	221.80	0	0	32	7.34			16812	229.14
	उपयोग	58020	2262.53	23	15.17	139	58.48	0	0	58132	2336.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	मेघालय										
	एससीबी	4855	500.08	0	0	20	3.61			4875	503.69
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			1550	433.04
	आरआरबी	5673	843.40	0	0	5	0.16			5678	843.55
	उपयोग	10528	1343.48	0	0	25	3.77	0	0	10553	1347.25
20.	मिजोरम										
	एससीबी	1550	433.04	0	0	0	0.00			1550	433.04
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	5510	1358.04	0	0	310	7.98			5820	1366.02
	उपयोग	7060	1791.08	0	0	310	7.98	0	0	7370	1799.06
21.	नागालैण्ड										
	एससीबी	10813	1072.94	0	0	0	0.00			10913	1072.94
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	1091	191.68	0	0	5	0.93			1096	093.61
	उपयोग	11904	1254.62	0	0	5	1.93	0	0	11909	1266.55
22.	पुडुचेरी										
	एससीबी	6713	1344.09	0	0	129	13.13			5842	1357.22
	एसएलडीबी	503	172.12	0	0	0	0.00			303	172.12
	आरआरबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	उपयोग	7016	1516.21	0	0	126	13.13	0	0	7145	1529.34
23.	ओडीशा										
	एससीबी	1035201	126393.54	186	13.25	14798	1531.08			1053185	127937.87
	एसएलडीबी	92130	13458.13	3583	711.98	1834	229.71			97547	14399.82
	आरआरबी	325326	40536.30	6544	815.41	14736	2308.37			347115	43660.08
	उपयोग	1456167	180387.67	10313	1540.64	31368	4069.16	0	0	1497848	185997.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	पंजाब										
	एससीबी	90	24213.58	1	0.56	12472	1943.03			12563	26157.17
	एसएलडीबी	27	12468.76	0	0	18181	3246.94			18208	15715.72
	आरआरबी	6	2260.06	5	5.82	2564	728.85			2575	2994.73
	उपयोग	123	38940.42	6	6.38	33217	5918.82	0	0	33346	44867.62
25.	राजस्थान										
	एससीबी	378957	57040.73	1182	205.62	284555	37997.72	0	0.00	664704	95244.07
	एसएलडीबी	109768	29056.18	1429	434.71	54413	9809.18	0	0.00	155610	39300.07
	आरआरबी	113843	24455.93	109	39.75	39932	7924.67	0	0.20	153885	32430.55
	उपयोग	602568	110562.84	2720	680.08	378910	55731.57	1	0.20	984199	166974.69
26.	तमिलनाडु										
	एससीबी	90264	12538.42	3	0.79	13442	1806.07			103709	14345.25
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	41991	6345.39	6	0.64	5641	916.11			47638	7262.14
	उपयोग	132255	18883.81	9	143	19083	2722.18	0	0	151347	21607.42
27.	सिक्किम										
	एससीबी	529	82.69	0	0	7	1.50			536	84.19
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	उपयोग	529	82.69	0	0	7	1.50	0	0	536	84.19
28.	त्रिपुरा										
	एससीबी	18553	3199.21	0	25.12	0	0.00			08553	3224.33
	एसएलडीबी	987	520.40	0	0	5	0.58			992	250.98
	आरआरबी	7280	638.66	0	0	24	2.34			7304	641.00
	उपयोग	26820	4088.27	0	25.12	29	2.92	0	0	26849	4116.31
29.	उत्तर प्रदेश										
	एससीबी	1066871	78914.90	1793	137.13	37616	3616.89	0	0.00	1106280	82668.92
	एसएलडीबी	894908	149207.99	16996	3128.48	46079	6090.92	0	0.00	957983	158427.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आरआरबी	844366	157494.12	3364	1079.13	67155	11630.34	109	19.28	915004	170222.87
	उपयोग	2806145	385617.01	22153	4344.74	150860	21338.15	109	19.28	2979267	411319.18
30.	उत्तरांचल										
	एससीबी	72048	6933.81	37	6.22	1661	198.98			73746	7139.01
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	9790	1273.71	0	0	725	96.93			10515	1370.64
	उपयोग	81838	8207.52	37	6.22	2386	295.91	0	0	84261	8509.65
31.	पश्चिम बंगाल										
	एससीबी	669863	57371.04	12410	811.07	391	97.84			682664	58279.95
	एसएलडीबी	49155	9126.97	2	0.67	144	19.33			49301	9146.97
	आरआरबी	134033	13469.30	29	5.06	144	19.33			49301	9146.967
	उपयोग	855051	79967.31	12441	816.8	1053	218.48	0	0	866545	81002.59
	सकल योग	15027978	2947252.45	143968	13972.96	2517608	395077.11	2561	372.39	18692115	2906674.91

एससीबीः शेड्यूल्ड कॉमिर्शयल बैंक्स

आरआरबी-रीजनल रूरल बैंक्स

एसएलडीबी-स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु भवनों के निर्माण के लिए निधियां

2719. श्रीमती कमलादेवी पटलेः
श्री भूपेन्द्र सिंहः
श्री बद्रीराम जाखड़ः
श्री सज्जन वर्माः

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षो एवं चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से छात्रावासों/आश्रम विद्यालयों/बालिका शैक्षिक परिसरों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हैं;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों की सूचनानुसार इस उद्देश्य हेतु आवंटित तथा जारी और उपयोग में लायी गयी निधियों की स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय "अनुसूचित जनजाति की लडकियों/लड़कों के लिए छात्रावास" तथा "जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना" की योजनाएं कार्यान्वित करता है जिसके तहत छात्रावास तथा विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। तथापि "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण" की योजना के तहत लड़कियों के शैक्षिक परिसरों तथा "जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण" की योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान की निर्मुक्त हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों/लड़कों के लिए छात्रावास की योजना तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजनाओं के तहत निधियां प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ओर से प्रस्तावों की प्राप्ति एक चल रही एवं सतत प्रक्रिया है। निधियां निर्मुक्त कर दी जाती हैं यदि प्रस्ताव निर्मुक्त निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट सहित सभी प्रकार से पूर्ण हों तथा किसी विशिष्ट वर्ष में निधियों की उपलब्धता के अधीन हो। विशिष्ट वित्तीय वर्ष के अंत

में उस विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हुए प्रस्ताव व्यपगत हो जाते हैं तथा अगले वित्तीय वर्ष में विचार करने के लिए नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने/पूर्व प्रस्तावों को पुनर्वैचित किए जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावों के ब्यौरे, जिनके लिए विगत तीन वर्षो और वर्तमान वर्ष (राज्य वार) के दौरान निधियां निर्मुक्त की गई थी, सलग्न विवरण-I क (छात्रावासों की योजना) तथा संलग्न विवरण-I ख (आश्रम विद्यालयों की योजना) में दिए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II क (छात्रावास की योजना) तथा संलग्न II ख (आश्रम विद्यालयों की योजना) में दिए हैं।

(ग) यह योजनाएं आवश्यकता एवं मांग आधारित हैं, अतः इन योजनाओं के तहत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। विगत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं निर्मुक्त निधियों तथा इन योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों द्वारा उनके उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण-IIIक (छात्रावासों की योजना) तथा संलग्न विवरण-II ख (आश्रम विद्यालों की योजना) में दिए गए हैं।

विवरण I (क)

विगत तीन वर्षो अर्थात 2008-10 से 2010-11 और राज्यों चालू वर्ष अर्थात 2011-12 के दौरान अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत छात्रावासों और स्वीकृत सीटों की संख्या सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों को निमुक्त सहायता अनुदान

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12 (04.12.2011 तक)		
		राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट	राशि	छात्रावास	सीट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	75.09	6	121	75.09	बकाया	0
2.	असम	601.39	9	750	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	छत्तीसगढ़	803.83	40	2050	830.83	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
4.	गुजरात	0.00	0	0	646.10	44	4400	1296.43	बकाया	0	0	0	0
5.	हिमाचल प्रदेश	200.00	2	131	236.04	बकाया	0	180.47	1	88	0	0	0
6.	झारखण्ड	128.69	11	600	259.17	बकाया	0	0	0	0	0	0	0
7.	कर्नाटक	125.01	0	0	250.00	10	700	105.38	बकाया	0	0	0	0
8.	केरल	0.00	0	0	0.00	0	0	146.79	3	160	0	0	0
9.	मध्य प्रदेश	255.00	बकाया	0	1300.00	60	3000	0	0	0	0	0	0
10.	महाराष्ट्र	889.56	15	2375	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	मणिपुर	0.00	0	0	0.00	0	0	1372.54	19	899	0	0	0
12.	नागालैण्ड	87.50	1	100	0.00	0	0	0				0	0
13.	उड़ीसा	87.60	30	1200	0.00	0	0	1000.00	65	6500	0	0	0
14.	राजस्थान	1240.53	41	1850	1503.83	13	975	3123.87	62	3100	0	0	0
15.	तमिलनाडु	0.00	0	0	200.00	8	400	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	त्रिपुरा	1380.90	11	650	664.00	12	1200	0	0	0	0	0	0
17.	उत्तराखण्ड	100.00	2	200	0.00	0	0	0	0	0	37.48	बकाया	0
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0	10.03	1	20	179.90	2	200	0	0	0
19.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	73.73	बकाया	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	दिल्ली विश्विद्यालय	0.00	0	0	500.00	बकाया	0	173.20	बकाया	-	0	0	0
21.	दी इंगलिश एंड फारेन यूनिवर्सिटी (शिलांग कैंपस) हैदराबाद आं. प्र.	526.27	2	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत, गुजरात	0	0	0	0	0	0	100.00	1	100	0	0	0
23.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस, यू.पी	0	0	0	0	0	0	46.33	1	80	0	0	0
	कुल	6500.00	164	10326	6400.00	148	10695	7800.00	160	11248	112.57	0	0

*हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को निर्मुक्त।

विवरण I(ख)

विगत तीन वर्षों अर्थात 2008-10 से 2011-12 के दौरान जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत स्वीकृत विद्यालयों तथा सीटों की संख्या सहित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों को निर्मुक्त सहायता अनुदान

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय का नाम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12 (04.12.2011 तक)		
		राशि	विद्यालय	सीटें	राशि	विद्यालय	सीटें	राशि	विद्यालय	सीटें	राशि	विद्यालय	सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0	0	0.00	0	0	500.00	13	1300	0.00	0	0
2.	छत्तीसगढ़	886.80	25	1250	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
3.	गुजरात	0.00	0	0	0.00	0	0	1887.53	8	2400	1500.00	बकाया	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	कर्नाटक	153.13	बकाया	1	29.62	बकाया	0	0.00	0	0	0.00	0	0
5.	केरल	0.00	0	0	1236.04	बकाया	0	1025.02	3	770	0.00	0	0
6.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0	1099.89	52	2600	0.00	0	0	2815.11	40	2000
7.	महाराष्ट्र	940.07	बकाया	0	0.00	0	0	0.00	0	0	00.00	0	0
8.	ओडीशा	1020.00	52	15600	1500.00	बकाया	0	2004.00	बकाया	0	0.00	0	0
9.	त्रिपुरा	0.00	0	0	0.00	0	0	622.76	16	1150	0.00	0	0
10.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0	234.45	2	120	0.00	0	0	0.00	0	0
11.	उतराखण्ड	0.00	0	0	0.00	0	0	460.69	2	405	0.00	0	0
	कुल	3000.00	77	16850	4100.00	54	2720	6500.00	42	6025	4315.11	40	2000

विवरण II (क)

चालू वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांगी गई राशि	प्रस्तावित छात्रावासों की सं.
1	2	3	4
राज्य सरकारें			
1.	आंध्र प्रदेश	860.00	13 (8 लड़कियां+5 लड़कें) जिन सीटों की संख्या नहीं बताई गई है
2.	उत्तराखण्ड	76.75	2 (1 लड़की+1 लड़का) प्रत्येक के लिए 16 सीटें
		37.475	वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृत 2 छात्रावासों के लिए अंतिम किस्त
3.	मध्य प्रदेश	2775.50	33 नए (20 लड़कियां+13 लड़कें) 60 छात्रावासों का बकाया जिसे 2009-10 के दौरान स्वीकृत किया गया था।
4.	उत्तर प्रदेश	420.64	5 छात्रावास (3 लड़कियां+2 लड़कें) प्रत्येक एलडब्ल्यूई में एक लड़का और लड़कियां
5.	राजस्थान	7356.21	73 लड़कियों के छात्रावास
6.	नागालैण्ड	395.25	3 (1 लड़की+2 लड़के)

1	2	3	4
7.	त्रिपुरा	2088.73	11 छात्रावास (7 लड़कियां+4 लड़कें)
8.	छत्तीसगढ़	11526.20	नक्सल प्रभावित जिलों में 100 छात्रावास (लड़के और लड़कियां)
9.	झारखण्ड	2033.31	22 छात्रावास (5 नक्सल प्रभावित 7 लड़कियां+7 लड़के)
10.	अरूणाचल प्रदेश	75.09	वर्ष 2010-11 के दौरान 6 छात्रावासों के समापन के लिए अंतिम किस्त
		2553.09	15 बालिका छात्रवास (790 सीटें)
11.	ओडीशा	1697.50	वर्ष 2010-11 के दौरान स्वीकृत 65 लडकि़यों के छात्रावासों को पूर्ण करने के लिए अंतिम किस्त
12.	गुजरात	4108.86	वर्ष 2009-10 के दौरान स्वीकृत 44 (27 लड़कियां+17 लड़कों के) छात्रावासों को पूर्ण करने के लिए अंतिम किस्त
13.	केरल	419.03	4 (2 लड़की+2 लड़के)
14.	हिमाचल प्रदेश	423.00	1 बालिका छात्रावास
15.	बिहार	2412.00	9 बाल छात्रावास
16.	तमिलनाडु	112.73	वर्ष 2009-10 के दौरान स्वीकृत 8 छात्रावासों को पूर्ण करने के लिए दूसरी किस्त
विश्वविद्यालय			
1.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	304.20	2 छात्रावास (1 लड़का 100 सीटें+1 लड़की 50 सीटें)
2.	असम विश्वविद्यालय	956.02	2 छात्रावास (1 लड़का+1 लड़की) प्रत्येक में 100 सीटें
3.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी, बंगलोर	100.00	1 लड़की छात्रवास (19 सीटें)
4.	राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरूणाचल प्रदेश	148.00	वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत दो छात्रवासों को पूरा करने के लिए अंतिम किस्त (1 लड़की+1 लड़का)
5.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम	1194.34	2 छात्रावास (प्रत्येक में 100 सीटें 1 लड़का+1 लड़की)

विवरण II (ख)

चालू वर्ष 2011-12 के दौरान जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	मांगी गई राशि	विद्यालयों की संख्या
1.	गोवा	1912.04	500 सीटों का एक विद्यालय
2.	उत्तराखण्ड	190.285	एक विद्यालय
3.	उत्तर प्रदेश	11212.60	13 विद्यालय
4.	आंध्र प्रदेश	1527.50	28 विद्यालय
5.	गुजरात	18707.00	17 विद्यालय
	गुजरात	1500.00	वर्ष 2010-11 के दौरान 8 बालिका आश्रम विद्यालयों के लिए दूसरी किस्त
6.	मध्य प्रदेश	4176.11	34 (20 लड़कियां+20 लड़के) 52 विद्यालयों का क्षेत्र
7.	राजस्थान	9860.00	34 लड़कियां (प्रत्येक में 150 सीटें)
8.	केरल	1536.65	1 आश्रम विद्यालय (मिश्रित)
9.	ओडीशा	5100.00	30 आश्रम विद्यालय लड़कियों के लिए
10.	छत्तीसगढ़	6012.30	50 आश्रम विद्यालय एलडब्ल्यूई जिलों में
11.	बिहार	3100.00	2 आश्रम विद्यालय

विवरण III (क)

गत तीन वर्षों 2008-09, 2010-11 और चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/विश्वविद्यालय को निर्मुक्त निधियों और इनकी उपयोगिता के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12(अब तक)	
		निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	75.09	75.09	75.00	-
2.	असम	601.39	*540.89	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
3.	छत्तीसगढ़	803.83	803.83	830.83	830.83	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
4.	गुजरात	0.00	ला.न	646.10	646.10	1296.43	295.49	0.00	ला.न.
5.	हिमाचल प्रदेश	200.00	200.00	236.04	*	180.47	*	0.00	ला.न

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	झारखण्ड	128.685	128.685	259.17	*	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
7.	कर्नाटक	125.01	125.01	250.00	*	105.38	*	0.00	ला.न.
8.	केरल	0.00	ला.न	0.00	ला.न.	146.79	106.25	0.00	ला.न.
9.	मध्य प्रदेश	255.00	255.00	1300.00	1300.00	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
10.	महाराष्ट्र	889.56	*572.21	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
11.	मणिपुर	0.00	ला.न	0.00	ला.न.	1372.54	*	0.00	ला.न.
12.	नागालैण्ड	87.50	*	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
13.	ओडीशा	87.60	87.60	0.00	ला.न.	1000.00	299.73	0.00	ला.न.
14.	राजस्थान	1240.53	1240.53	1503.83	207.39	3123.87	*	0.00	ला.न.
15.	तमिलनाडु	0.00	ला.न	200.00	*	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
16.	त्रिपुरा	1380.90	1380.90	664.00	664.00	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
17.	उत्तराखण्ड	100.00	100.00	0.00	ला.न.	0.00	ला.न	0.00	ला.न.
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	ला.न.	10.03	*	179.90	*	0.00	ला.न.
19.	दिल्ली विश्वविद्यालय	0.00	ला.न.	500.00	325.10	173.20	**	0.00	ला.न.
20.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	73.73	*	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
21.	दी इगलिश एंड फारेन यूनिवर्सिटी (शिलांग कैपस) हैदराबाद, आं.प्र.	526.27	*	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
22.	वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत, गुजरात	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	100.00	**	0.00	ला.न.
23.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसी, यू.पी	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	46.33	**	0.00	ला.न.
	कुल	6500.00	5434.65	6400.00	3973.42	7800.00	776.56	112.57	0.00

*उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित/आगे उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित

**उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी देय नहीं है

ला.न. (लागू नहीं)

विवरण III (ख)

विगत तीन वर्षों 2008-10 से 2010-11 और चालू वर्ष अर्थात् 2011-12 के दौरान जनजातीय उपयोजन क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियों और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (तिथि अनुसार)	
		निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित	निर्मुक्त निधियां	उपयोजित
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	500.00	**	0.00	ला.न.
2.	छत्तीसगढ़	886.80	886.80	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
3.	गुजरात	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	1887.53	*1616.76	1500.00	**
4.	कर्नाटक	153.13	153.13	29.62	*	0.00	ला.न.	2815.11	**
5.	केरल	0.00	ला.न.	1236.04	1236.04	1025.02	1025.02	0.00	ला.न.
6.	मध्य प्रदेश	0.00	ला.न.	1099.89	1099.89	0.00	ला.न.	2815.11	**
7.	महाराष्ट्र	940.07	940.07	0.00	लर.न	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
8.	ओडीशा	1020.00	1020.00	1500.00	1500.00	2004.00	860.00	0.00	ला.न.
9.	त्रिपुरा	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	622.76	**	0.00	ला.न.
10.	उत्तर प्रदेश	0.00	ला.न.	234.45	120.38	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.
11.	उत्तराखण्ड	0.00	ला.न.	0.00	ला.न.	460.69	**	0.00	ला.न.
	कुल	3000.00	3000.00	4100.00	3956.31	6500.00	3501.78	4315.11	0.00

*उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित/आगे उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित

**उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी देय नहीं है

ला.न. (लागू नहीं)

कर संग्रहण और राज्यों को निधियों का आबंटन

2720. श्री चंदू लाल साहू:
श्री अब्दुल रहमानः
श्री अर्जुन राम मेघवालः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान संग्रहित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों तथा प्रत्येक राज्य को निधियों के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों को केन्द्रीय अनुदान देने के आधार/सूत्र क्या हैं तथा राज्यों द्वारा एकत्रित करों की राशि में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों को केन्द्रीय अनुदान के वितरण के उपयुक्त सूत्र में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सूत्र में संशोधन करने से पूर्व सरकारों की अनुमति प्राप्त कर ली गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान जारी संग्रहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केन्द्रीय करों और शुल्कों का ब्यौरा तथा निवल हिस्सा योग्य केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यों का हिस्सा क्रमशः संलग्न विवरण 1 और II में दिया गया है।

(ख) अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय करों और आयोजना भिन्न अनुदानों में राज्य के हिस्से का मानदण्ड वित्त आयोग द्वारा संस्तुत है जिसे प्रत्येक पाच वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। वर्तमान में अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत केन्द्रीय करों और अनुदानों में राज्य के हिस्से को तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश द्वारा शासित किया जा रहा है। राज्य आयोजना के संबंध में सामान्य केन्द्रीय सहायता का निर्धारण योजना आयोग द्वारा गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के आधार पर किया जाता है। विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अन्य योजनाओं और अनुदानों के अंतर्गत राज्यों को राज्य आयोजना संबंधी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रत्येक योजना और परियोजना के आधार पर निश्चित की जाती है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
2008-09	333818	269433
2009-10	378063	245368
2010-11	446935	343705

विवरण II

पिछले तीन वर्षो के दौरान राज्य सरकारों को जारी राज्य का हिस्सा

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11801.50	12141.71	15236.74
2.	अरूणाचल प्रदेश	462.09	475.40	720.18
3.	असम	5189.89	5339.53	7968.61
4.	बिहार	17692.50	18202.58	23978.38
5.	छत्तीसगढ़	4257.91	4380.66	5425.19
6.	गोवा	415.44	427.42	584.21
7.	गुजरात	5725.86	5890.92	6679.35
8.	हरियाणा	1724.62	1774.36	2301.75
9.	हिमाचल प्रदेश	837.49	861.63	1715.35
10.	जम्मू और कश्मीर	1826.95	1914.76	3066.98
11.	झारखण्ड	5392.11	5547.57	6154.35
12.	कर्नाटक	7153.77	7359.98	9506.31

1	2	3	4	5
13.	केरल	4275.52	4398.78	5141.85
14.	मध्य प्रदेश	10766.59	11076.98	15638.51
15.	महाराष्ट्र	8016.89	8247.98	11419.23
16.	मणिपुर	580.81	597.56	990.57
17.	मेघालय	595.23	612.38	896.27
18.	मिजोरम	383.39	394.03	689.46
19.	नागालैण्ड	421.84	434.03	689.46
20.	ओडीशा	8279.96	8518.65	10496.86
21.	पंजाब	2084.01	2144.10	3050.87
22.	राजस्थान	8998.72	9258.13	12855.62
23.	सिक्किम	364.20	374.68	524.99
24.	तमिलनाडु	8510.8	5756.19	10913.97
25.	त्रिपुरा	686.52	706.34	1122.36
26.	उत्तर प्रदेश	30905.72	31796.67	43219.05
27.	उत्तरांचल	1506.59	1550.01	2460.07
28.	पश्चिम बंगाल	11321.78	11648.16	15954.95
	योग	**160178.71**	**164831.62**	**219302.81**

[अनुवाद]

मानव अंगों के वाणिज्यिक सौदे

2721. श्री एस. अलागिरीः
राजकुमारी रत्ना सिंहः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में मानव अंगों के संबंध में वाणिज्यिक सौदों के मामले मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने मानव अंगों के वाणिज्यिक सौदों के मामलों की सूचना नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये/किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) मानव अंगों के अवैध प्रत्यारोपण की कुछ घटनाएं भारत सरकार के ध्यान में आई हैं। विगत कुछ वर्षों के दौरान इस प्रकार की सूचना देने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के पहले अंतर्गत पहले ही मानव अंगों के विक्रय/क्रय पर प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त, मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 में दांडिक प्रावधानों और सजा को और अधिक कठोर बनाया गया है।

विवरण

विभिन्न सरकारी/निजी अस्पतालों में अवैध गुर्दे और अन्य अंग प्रत्यारोपण के सूचित किए गए मामलों और की गई कार्रवाई के ब्यौरे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यथा प्राप्त

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सूचित मामलों के ब्यौरे
1	2	3
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा अधिनियम को अधिनियमित करने से अब तक 12 मामले दर्ज किए गए हैं। तथापि इन 12 मामलों में से 2 मामले समाप्त कर दिए हैं।
2.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचित किया है कि जनवरी, 2004 में बाम्बे अस्पताल, मुम्बई के डा. एस. पी. त्रिवेदी पर धोखेबाजी, जालसाजी और मानव अंगों के अवैध व्यापार के आरोपों के लिए मुकदमा शुरू किया गया था।
3.	पंजाब	पंजाब सरकार ने सूचना दी है कि राज्य में कुद मामलों में प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों विशेष रूप से गुर्दों के विक्रय का पता चला है, जिनकी जांच इस प्रयोजन के लिए गठित की गई विशेष अन्वेषण टीम कर रही है। जांच के परिणामस्वरूप कई लोगों को गिरफ्तार किया गया हैं और एक अस्पताल नामतः राम सरन दास किशोरीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, अमृतसर का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है तथापि, राज्य में अवैध/वाणिज्यिक अंग व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर निर्धनों के शोषण की कोई सूचना नहीं मिली है।
4.	गुडगांव, हरियाणा	सीबीआई ने गुडगांव (हरियाणा) और मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से संबंधित दो मामलों को दर्ज कर लिया है।
5.	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	सीबीआई ने आठ संदिग्ध डाक्टरों और उनके सहायकों को गिरफ्तार कर लिया है।
6.	मध्य प्रदेश	वर्ष 2008 में उज्जैन जिले में अवैध गुर्दा प्रत्यारोपण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पता चला था। धारा-420, 467, 468, 471, 120-बी, भारतीय दंड संहिता और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के अंतर्गत धारा 18,19 के अन्तर्गत थाना महाकाल में अपराध सख्या 408/27.6.08 के रूप में मामला दर्ज किया गया था। उज्जैन पुलिस ने छह (6) व्यक्तियों की गिरफ्तार कर लिया है।
7.	गुजरात	शून्य
8.	मिजोरम	शून्य
9.	उत्तराखण्ड	शून्य
10.	राजस्थान	शून्य

1	2	3
11.	पुडुचेरी	शून्य
12.	केरल	शून्य
13.	त्रिपुरा	शून्य
14.	चंडीगढ़	शून्य
15.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
16.	गोवा	शून्य
17.	पश्चिम बंगाल	शून्य
18.	असम	शून्य
19.	लक्षद्वीप (संघ राज्य)	शून्य
20.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
21.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	शून्य
22.	दमन और दीव	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य
24.	नागालैंड	शून्य

अभी तक अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों ने गुर्दे और मानव अंगों के अन्य अंग-प्रत्यारोपण किसी अवैध मामले के संबंध में कोई सूचना नहीं भेजी है।

सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि

2722. श्री ओम प्रकाश यादवः
श्री पी.के. बिजूः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सकल घेरलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में गिरावट दर्ज हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उपादान लागत पर 2004-05 की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में 2011-12 के पूर्वार्ध में, 2010-11 की इसी अवधि में हासिल 8.6 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। यह अपेक्षाकृत कम वृद्धि वैश्विक मंदी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई सख्त मौद्रिक नीति के कारण हुई की जा सकती है।

(ग) सरकार ने वैश्विक वित्तीय संकट के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हाले के वर्षों में प्रतिचक्रीय रवैया अपनाकर सतत आधार पर विवेकपूर्ण बृहत-आर्थिक नीतियां अपनाई हैं, विकास को बढ़ावा

देने, उत्पाद एवं वित्तीय बाजार विकसित करने के लिए संरचनागत उपायों को मजबूत बनाया है तथा गरीबों की रक्षा के लिए मजबूत बुनियाद के निर्माण हेतु सामाजिक व्यय में बढ़ोतरी की है। विकास को गति देने के लिए हाल की अवधि में किए गए विशिष्ट उपायों में, अन्य के साथ-साथ अवसंरचना ऋण निधि के सृजन के जरिए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, सरकारी निजी भागीदारियों पर ध्यान देना, नई विनिर्माण नीति की घोषणा करना, नई मौसदा दूरसंचार नीति की घोषणा करना, संसद में भूमि अधिग्रहण विधेयक लाना, तथा भारत में बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए कई विधायी उपाय करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

बैंकों में निदेशक

2723. श्री अंजन कुमार एम. यादवः
श्री गोपाल प्रसाद जायसवालः
श्री हुक्मदेव नारायण यादवः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक (एस बीआई) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में सरकारी नामिती और गैर-सरकारी निदेशकों सहित श्रेणी/बैक-वार कुल कितने निदेशक हैं;

(ख) क्या उक्त बैंकों में उक्त निदेशकों की नियुक्त में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातीय/अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गैर-सरकारी निदेशकों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है तथा यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के रिकार्ड के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैकों में निदेशकों की बैंकवार/श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। सरकारी नामिती निदेशक मौजुदा दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। गैर-सरकारी निदेशक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(1) के अंतर्गत चुने जाते हैं। निदेशकों को चुनने से पहले बैंक की नामांकन समिति आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशकों की अभ्यर्थिता से संबंधित योग्यता और उपयुक्तता से जुड़ी कार्रवाई करती है। यह प्रक्रिया निदेशक के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक आधार पर भी की जाती है।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंक में निदेशकों की संख्या

क्र.सं.	बैंक का नाम	निदेशकों की संख्या	
		सरकारी	गैर-सरकारी (शेयरधारक निदेशक)
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	9	0
2.	आंध्रा बैंक	8	3
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	10	3
4.	बैंक ऑफ इण्डिया	9	3
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8	2
6.	केनरा बैंक	10	2

1	2	3	4
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	9	0
8.	कार्पोरेशन बैंक	7	3
9.	देना बैंक	9	3
10.	इण्डियन बैंक	9	2
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	8	3
12.	ओरियन्टल बैक आफ कामर्स	10	3
13.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	9	2
14.	पंजाब नेशनल बैंक	10	3
15.	सिडीकेट बैंक	9	2
16.	यूको बैंक	8	1
17.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	9	2
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	9	1
19.	विजया बैंक	8	3
20.	भारतीय स्टेट बैंक	9	4
21.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	14	0
22.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	12	2
23.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	13	1
24.	स्टेट बैक ऑफ हैदराबाद	14	1
25.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	12	2
26.	आईडीबीआइ बैंक लि.	5	2

महिला एवं बालिका कल्याण योजनाएं

2724. श्रीमती सुमित्रा महाजनः
श्री मानिक टैगोरः
श्री भूपेन्द्र सिंहः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले लाभग्राहियों की जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्य-वार और योजना-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या कुछ केन्द्रीय योजनाएं बंद होने की कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां तो योजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों सहित महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण हेतु निम्नलिखित तीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को क्रियान्वयन कर रहा है अर्थात (1) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (2) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला और (3) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। सबला और आईजीएमएसवाई स्कीमें 2010-11 में शुरू की गईं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाली लाभार्थियों की स्कीम-वार राज्य-वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ख) इन स्कीमों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ग) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इन स्कीमों के क्रियान्वयन के संदर्भ में राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के साथ समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। क्रियान्वयन में पाई गई कमियों को सुधारात्मक उपाय करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ध्यान में लाया जाता है उपयुक्त प्रयोजन हेतु एक पांच स्तरीय मानीटरन समिति मौजूद है।

विवरण I

11वीं योजना के दौरान (30.09 2011 तक) आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण प्राप्त करने वाली गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं (3-6 वर्ष) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरक पोषण प्राप्त करने वाली गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की संख्या					स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं (3-6 वर्ष) की संख्या				
		2007-08 (31.03.2008 तक)	2008-09 (31.03.2009 तक)	2009-10 (31.03.2010 तक)	2010-11 (31.03.2011 तक)	2011-12 (30.09.2012 तक)	2007-08 (31.03.2008 तक)	2008-09 (31.03.2009 तक)	2009-10 (31.03.2010 तक)	2010-11 (31.03.2011 तक)	2011-12 (30.09.2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1001541	1077594	1043453	1179880	1292679	1009944	976899	888644	878195	845724
2.	अरूणाचल प्रदेश	23439	24375	28147	27562	27402	43557	47269	54504	54790	54633
3.	असम	654502	492796	435411	528881	582802	636453	654679	712825	813992	777701
4.	बिहार	710378	710378	710378	710378	710378	955923	955923	955923	955923	955923
5.	छत्तीसगढ़	505558	518595	449522	488517	464012	412811	418895	434806	441054	417355
6.	गोवा	11315	12369	13368	14320	14098	10076	10204	10436	10665	8300
7.	गुजरात	410592	481147	465969	734200	698751	587039	620097	612258	697249	644511
8.	हरियाणा	285220	284947	281549	273861	327729	213918	198306	172763	168385	192376
9.	हिमाचल प्रदेश	99128	97402	98073	98613	100535	85641	83945	79591	76957	70589
10.	जम्मू व कश्मीर	113341	98911	98911	98911	126611	100880	101805	101805	101805	128648
11.	झारखण्ड	648315	661697	706340	717430	612874	859593	640001	696817	710367	678879
12.	कर्नाटक	747149	803920	849667	856873	894408	765285	773183	797524	857777	813770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	केरल	208695	218719	250205	210281	188908	281169	269777	265034	253667	202421
14.	मध्य प्रदेश	950778	1140242	1294046	1485581	1175586	1185990	1278910	1507228	1499033	1280749
15.	महाराष्ट्र	925763	1006745	948233	1173526	1222501	1428951	1470760	1485598	1510971	1471843
16.	मणिपुर	54530	54810	54810	54810	75697	72486	77251	77251	77251	77251
17.	मेघालय	54768	58599	60010	60038	60572	67922	65911	74352	74405	74612
18.	मिजोरम	40597	32815	33655	34481	34941	24886	24942	27336	26046	25709
19.	नागालैण्ड	55678	53368	53770	53770	53922	56615	58147	61043	77018	63209
20.	ओडीशा	765231	781716	792530	815906	804051	559042	636201	716445	745986	720066
21.	पंजाब	292609	306310	304558	313625	303345	250358	243534	258897	255764	2334729
22.	राजस्थान	780969	809784	783709	917007	849795	627950	597544	591824	591692	561812
23.	सिक्किम	5997	6142	7309	297	4137	5338	4949	6660	6444	6739
24.	तमिलनाडु	530114	522996	537477	536565	531529	591292	550523	559479	563600	566342
25.	त्रिपुरा	56843	66413	66999	85160	86060	70433	72930	54651	71911	77472
26.	उत्तर प्रदेश	3732693	3793501	4318015	4793438	5074453	4558820	4387102	455515	4447832	4615205
27.	उत्तराखण्ड	92596	107225	0	134996	148228	102545	115626	101514	108804	124527
28.	पश्चिम बंगाल	800237	784613	813193	1234209	1285380	1157969	1130364	1057259	1731353	1679146
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	4438	4656	3758	3578	3821	4591	4414	3737	3264	3101
30.	चंडीगढ़	6949	7268	8013	8187	8253	7167	7533	8342	8272	8194
31.	दमन व द्वीव	96973	111502	118613	114426	170740	109425	106761	122159	116273	178483
32.	दादरा व नगर हवेली	2975	3528	3111	2941	2941	3058	3949	3128	3363	3363
33.	दिल्ली	1766	1468	1468	1806	1451	1948	1587	1587	1458	1274
34.	लक्षद्वीप	1782	1931	1931	2409	2409	1242	1335	1335	1260	1260
35.	पुडुचेरी	9259	8763	8973	9940	9760	2861	2363	2379	2506	2724
	अखिल भारत	14682718	15147245	15645174	17776403	17950759	16583178	16593619	17060649	17945332	19668640

विवरण-II

सबला और आईजीएमएसवाई के अंतर्गत शामिल किए गए लाभर्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सबला के अंतर्गत पोषण हेतु शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित)		वर्ष 2011-12 में आईजीएमएसवाई के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थी (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित)
		2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
2.	अरूणाचल प्रदेश	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
3.	असम	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
4.	बिहार	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
5.	छत्तीसगढ़	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
6.	गोवा	सूचना नहीं दी गई	22942	
7.	गुजरात	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	713
8.	हरियाणा	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
9.	हिमाचल प्रदेश	90016	90016	
10.	जम्मू व कश्मीर	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
11.	झारखण्ड	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
12.	कर्नाटक	54234	440929	
13.	केरल	249730	171948	
14.	मध्य प्रदेश	8000000	765000	
15.	महाराष्ट्र	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
16.	मणिपुर	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
17.	मेघालय	47105	सूचना नहीं दी गई	
18.	मिजोरम	14782	सूचना नहीं दी गई	
19.	नागालैंड	19804	28397	

1	2	3	4	5
20.	ओडीशा	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	5367
21.	पंजाब	144232	सूचना नहीं दी गई	
22.	राजस्थान	सूचना नहीं दी गई	536705	170
23.	सिक्किम	सूचना नहीं दी गई	9116	
24.	तमिलनाडु	368694	सूचना नहीं दी गई	
25.	त्रिपुरा	सूचना नहीं दी गई	0	
26.	उत्तर प्रदेश	1934000	1934000	
27.	उत्तराखण्ड	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	4275
28.	पश्चिम बंगाल	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	7263	9856	
30.	चंडीगढ़	6229	सूचना नहीं दी गई	
31.	दमन व दीव	2410	1222	
32.	दादरा व नगर हवेली	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
33.	दिल्ली	सूचना नहीं दी गई	192665	340
34.	लक्षद्वीप	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	
35.	पुड्डुचेरी	0	सूचना नहीं दी गई	
	कुल	3738499	4202795	10915

[अनुवाद]

स्तन कैंसर मृत्यु दर

2725. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोडः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्तन कैंसर मृत्यु दर में कमी लाने हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के रेडियों थैरेपी विभाग और अन्य प्रमुख अस्पतालों में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्तन कैंसर मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने पिछले वर्ष एक व्यापक राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एन पी सी डी सी एस) की शुरूआत की है। इस कार्यक्रम में स्तन कैंसर सहित सभी प्रकार के कैंसरों की समय पर जांच करने की परिकल्पना की गई है। इस नए कार्यक्रम को 2010-12 के दौरान 21 राज्यों के 100 जिलों में कार्यान्वित किए जाने की परिकल्पना की गई है। एन पी सी डी सी एस के अंतर्गत, जिला अस्पतालों को नैदानिक सेवाओं, आधारभूत कैंसर शल्य चिकित्सा एवं कीमोथेरेपी सुविधाओं के

लिए सुदृढ़ किया गया है। कैंसर रोगियों हेतु अपेक्षित कीमोथेरपी औषधियों के लिए हरेक जिले के 100 रोगियों का उपचार करने के लिए एक लाख रुपये प्रति रोगी के हिसाब से आर्थिक सहायता उपलब्ध है। संशोधित कार्यक्रम में व्यापक कैंसर परिचर्या सेवाएं मुहैया कराने के लिए देश भर के पहले के क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को तृतीयक कैंसर केन्द्र (टी सी सी) के रूप में सुदृढ़ करते हुए सरकारी मेडिकल कालेजों के सुदृढ़ीकरण की भी परिकल्पना की गई है। ये टी सी सी 6.00 करोड़ रुपये (केन्द्र सरकार से 4.80 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार से 1.20 करोड़ रुपये) तक की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को दी गई छूट

2726. श्री महेश जोशीः
श्री पशुपति नाथ सिंहः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दी गई राजस्व छूट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल में इसके दुरुपयोग के मामले सामने आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): (क) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को कर रियायत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11, 12 और 10 (23 ग) के तहत उपलब्ध है, जोकि निर्दिष्ट शर्तों की संतुष्टि के अध्यधीन है। आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत छूट प्राप्त करने के लिए, धर्मार्थ न्यासों और गैर सरकारी संस्थाओं को आयकर के अधिकारिक आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) के साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क क के तहत रजिस्टर कराना अपेक्षित है। 10(23 ग) की धारा के तहत छूट प्राप्त करने के लिए आयकर आयुक्त या महानिदेशक आयकर (छूट) से अनुमोदन प्रार्थित है।

(ख) और (ग) कर रियायत संबंधी दुरुपयोग का पता संवीक्षा कार्यवाहियों के दौरान चल सकता है। दुरुपयोग के स्वरूप एवं तत्संबंधी मामलों के बारे में अलग डाटा का केन्द्रीय रूप से रख रखाव नहीं किया जाता है। यदि किसी मामले में, यह पाया जाता है कि किसी गैर सरकारी संगठन ने निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, या ऐसे उद्देश्यों को पूरा किया है, जोकि आयकर अधिनियम की धारा 2 (15) में यथा उल्लिखित धर्मार्थ से भिन्न है तब ऐसे आय को कर योग्य माना जाता है और अधिनियम के अनुसार आगे के परिणाम होते हैं।

अप्रत्यक्ष करों के परिणामस्वरूप गैर-सरकारी संगठनों को विस्तारित रियायतों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एमएसएमई को बैंक ऋण

2727. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डीः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों के लिए बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह का इलैक्ट्रानिकली निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों के परामर्श से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शेष बची अवधि हेतु क्या योजना बनाई गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) भारतीय रिवर्ज बैंक (आरबीआई) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मिलने वाले ऋण की मात्रा पर निगरानी रखता है और सरकार द्वारा इसकी समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है।

भारत सरकार ने दिनांक 7 जुलाई, 2010 के पत्र के तहत सभी बैंकों को सलाह दी है कि वेः

- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मिलने वाले ऋण की मात्रा में 20 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करें ताकि बढ़ी मात्रा में ऋण देना सुनिश्चित हो सके।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए एमएसई अग्रिमों के संबंध में 60% का आवंटन चरणों में प्राप्त किया जाना है। ये चरण हैंः- वर्ष 2010-11 में 50%, वर्ष 2011-12 में 50% तथा वर्ष 2012-13 में 60%।

- सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10% की वार्षिक वृद्धि करें।

आरबीआई ने यह सूचित किया है कि वह अर्धवार्षिक आधार पर अर्थात प्रत्येक वर्ष मार्च और सितम्बर में, बैंकों, द्वारा प्राप्त लक्ष्यों की गहन निगरानी करता है। इसके अलावा आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति तथा केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर एक स्थाई सलाहकार समिति है जो एमएसई क्षेत्र को मिलने वाले ऋण की मात्रा की निगरानी करती है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में एमएसएमई को मिलने वाले ऋण की मात्रा की राज्य-वार प्रगति की समीक्षा आवधिक आधार पर भी की जाती है।

सौर ऊर्जा संबंधी सम्मेलन

2728. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में देश में सौर ऊर्जा संबंधी कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के परिणामों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने देशों ने भाग लिया;

(ग) क्या भारत ने परियोजना के कार्यान्वयन को तेज करने तथा मर्चेंट सौर परियोजनाओं हेतु रियायत प्रदान करने के लिए सौर नीति को सुगम बनाने का प्रण लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सौर ऊर्जा के ईष्ठतम उपयोग के लिए क्या भावी नीति तैयार की गई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारूक अब्दुल्ला): (क) देश में हाल ही में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए- तेजपुर में दिनांक 2 से 4 नवंबर, 2011 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा कांग्रेस और हैदराबाद में दिनांक 9 से 11 नवंबर, 2011 के दौरान सोलरकॉन।

(ख) इन सम्मेलनों द्वारा प्रतिभागियों एवं प्रदर्शकों को व्यापार के अवसर तथा सौर ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान के अवसर उपलब्ध कराए गए। इन सम्मेलनों में भाग लेने वाले देशों की संख्या क्रमशः 3 और 32 बताई गई है।

(ग) और (घ) भारत द्वारा परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लने तथा मर्चेंट सौर परियोजनाओं हेतु रियायत प्रदान करने के लिए अपनी सौर नीति को सुगम बनाने हेतु कोई प्रण नहीं लिया गया है। तथापि, मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत घोषित नीतियों को सुगम बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर पणधारियों के साथ विचार-विमर्श किए जाते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा अक्षय खरीद दायित्व के अंतर्गत सौर विद्युत की प्रतिशतता निर्धारित करने के लिए शुल्क-दर नीति में संशोधन किया गया है। इस नीति का अनुपूरण सौर विशिष्ट अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) कार्यतंत्र द्वारा किया जाता है। जिससे मर्चेंट सौर परियोजनाओं की संस्थापना करने में सहायता मिल सकती है।

एनटीपीसी का आईसीवीजी एल से बाहर निकलना

2729. श्री पोन्नम प्रभाकरः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड का विचार इन्टरनेशनल कोल वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीपीएल) से बाहर निकलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी.वेणुगोपाल): (क) और (ख) जी, हां। एनटीपीसी के इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड (आईसीवीएल) से बाहर निकालने के प्रस्ताव पर विचार करते हुए विद्युत मंत्रालय ने उन्हें आईसीवीएल के संयुक्त उद्यम से विकल्प देने की अनुमति प्रदान की है।

एनटीपीसी द्वारा आईसीवीएल से बाहर निकलने के यथा उल्लिखित कारण यह था कि आईसीवीएल का गठन कोकिंग कोयले और थर्मल कोयले के अधिग्रहण के लिए किया गया था। लेकिन आईसीवीएल द्वारा अब तक विचार किए गए अधिकांश अवसरों पर कोकिंग कोयले का प्रचुर होना है। इसके अतिरिक्त, कोकिंग कोल माइन से बाइ-प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध संबंध ताप कोयला सामान्यतः विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त/वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

मानव अंगों का अवैध व्यापार

2730. श्री जय प्रकाश अग्रवालः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार देश में मानव अंगों के अवैध व्यापार एवं तस्करी के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) क्या सरकार ने मानव अंगों के अवैध व्यापार एवं तस्करी पर रोक लगाने के लिये कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) मानव अंगों के अवैध प्रत्यारोपण की कुछ घटनाएं भारत सरकार के ध्यान में आई हैं। इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में विगत कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पहले ही मानव अंगों के विक्रय/क्रय पर प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त, मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 में दांडिक प्रावधनों और सजा को और अधिक कठोर बनाया गया है।

विवरण

विभिन्न सरकारी/निजी अस्पतालों में अवैध गुर्दे और अन्य अंग प्रत्यारोपण के सूचित किए गए मामलों और की गई कार्रवाई के ब्यौरे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यथा प्राप्त

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सूचित मामलों के ब्यौरे
1	2	3
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा अधिनियम को अधिनियमित करने से अब तक 12 मामले दर्ज किए गए हैं। तथापि इन 12 मामलों में से समाप्त कर दिए हैं। उपर्युक्त 12 मामलों में से केवल दो मामले दर्ज किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त 12 मामलों में से केवल दो मामले दर्ज किए गए हैं।
2.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचित किया है कि जनवरी, 2004 में बाम्बे अस्पताल, मुम्बई के डा. एस. पी. त्रिवेदी पर धोखेबाजी, जालसाजी और मानव अंगों के अवैध व्यापार के आरोपों के लिए मुकदमा शुरु किया गया था।
3.	पंजाब	पंजाब सरकार ने सूचना दी है कि राज्य में कुछेक मामलों में प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों विशेष रूप से गुददों के विक्रय का पता चला है, जिनकी जांच इस प्रयोजन के लिए गठित की गई विशेष अन्वेषण टीम कर रही है। जांच के परिणामस्वरूप कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अस्पताल नामतः राम सरन दास किशोरीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, अमृतसर का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। तथापि, राज्य में अवैध/वाणिज्यिक अंग व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर निर्धनों ने शोषण की कोई सूचना नहीं मिली है।
4.	गुडगांव, हरियाणा	सीबीआई ने गुडगांव (हरियाणा) और मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से संबंधित दो मामलों को दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने आठ संदिग्ध डॉक्टरों और उनके सहायकों को गिरफ्तार कर लिया है।
5.	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	
6.	मध्य प्रदेश	वर्ष 2008 में उज्जैन जिले में अवैध मुर्दा प्रत्यारोपण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पता चला था। धारा-420, 467, 468, 471, 120-बी, भारतीय दंड संहिता और मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के अंतर्गत धारा 18, 19 के अंतर्गत थाना महाकाल में अपराध संख्या 408/27.6.08 के रूप में मामला दर्ज किया गया था। उज्जैन पुलिस ने छह (6) व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है।

1	2	3
7.	गुजरात	शून्य
8.	मिजोरम	शून्य
9.	उत्तराखण्ड	शून्य
10.	राजस्थान	शून्य
11.	पुडुचेरी	शून्य
12.	केरल	शून्य
13.	त्रिपुरा	शून्य
14.	चंडीगढ़	शून्य
15.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
16.	गोवा	शून्य
17.	पश्चिम बंगाल	शून्य
18.	असम	शून्य
19.	लक्षद्वीप (संघ राज्य)	शून्य
20.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
21.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	शून्य
22.	दमण और द्वीव	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य
24.	नागालैंड	शून्य

अभी तक अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गुर्दे और मानव अंगों के अंग-प्रत्यारोपण के अवैध मामलों के संबंध में कोई सूचना नहीं भेजी है।

[अनुवाद]

मृत्यु के उपरांत अंग दान

2731. श्री प्रताप सिह बाजवाः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मृत्यु के उपरांत अंग दान की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायों ने जागरूकता लाने तथा मृत्यु के उपरांत अंग दान को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके फलस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्रीय स्तर पर आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) छठा विश्व तथा पहला भारतीय अंगदान दिवस

पिछले वर्ष अर्थात नवम्बर, 2010 में मनाया गया था। जनता के बीच अंदान पर बल देने और सूचना प्रचार करने के लिए दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को एम्स, नई दिल्ली में दूसरा भारतीय अंगदान दिवस आयोजित किया गया था।

वर्ष 2011 के दौरान अंगदान के लिए जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु बंगलौर, हैदराबाद चेन्नई, पुडुचेरी, कोलकात और अहमदाबाद में अंगदान जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई थी।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

2732. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासेः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र सहित देश में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) देश में राज्य सरकारों के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य सहित केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मध्य 50:50 लागत शेयरिंग आधार पर एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के रूप में वर्ष 2006-07 तक एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया गया और 1 अप्रैल, 2007 के बाद उसे समाप्त कर दिया गया।

(ख) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं थी ग्राम समूह की पद्धति में कार्यक्रम का कार्यान्वयन, माइक्रो और मेक्रो-स्तरों पर ऊर्जा योजनाओं की तैयारी, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण उपकरणों/प्रणालियों का प्रदर्शन और जागरुकता सृजन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(ग) से (ङ) 11वीं योजना हेतु प्रस्ताव तैयार करते समय एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और कार्यक्रम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था चूंकि कार्यक्रम के उद्देश्य पहले ही पूरे हो चुके थे और इस कार्यक्रम के अधिकांश घटक मंत्रालय के अन्य कार्यक्रमों/स्कीमों में शामिल किए जा चुके हैं।

सुनामी के बाद की बर्बादी के बारे में भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा अध्ययन

2733. श्री अशोक कुमार रावतः क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग ने 26 दिसम्बर, 2004 को हिंद महासागर में भयानक भूकम्प के कारण आई सुनामी के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जान-माल की रक्षा करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग को कितनी निधियां प्रदान की गई हैं;

(घ) क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग ने पूरे विश्व से इस विषय के प्रसिद्ध विशेषज्ञों से सहायता ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां। 26 दिसम्बर, 2004 को हिंद महासागर में विध्वंसकारी भूकंप के कारण आए सुनामी के पश्चात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने अनेक अध्ययन करवाए।

(ख) जीएसआई ने भूकंप तथा इसके कारण आए सुनामी के तुरंत बाद आवश्यक कार्रवाई की है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(i) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल सरकार से दीघा-शंकरपुर के तटीय क्षेत्रों, हल्दिया बंदरगाह क्षेत्रों तथा हुगली नदी के जल स्तर की बारीकी से निगरानी हेतु कार्रवाई आरंभ करने का अनुरोध किया है।

(ii) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने विशाखापट्टनम से कन्याकुमारी होते हुए कोचीन तक संपूर्ण दक्षिण भारतीय तटों पर सुनामी क्षति मूल्यांकन करने तथा इसके प्रभाव को कम करने वाले मापदंडों को सुझाने हेतु गहरी छानबीन की है। जबलपुर तथा नागपुर स्थित जीएसआई की ब्रॉड भूकंपीय पर्यवेक्षणशाला में मुख्य झटका तथा उत्तरवर्ती छोटे झटकों के मापदंडों को रिकार्ड किया है।

(iii) प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिक कार्मिकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तत्परता से की गई तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूहों में भूकंप के कारण उत्तरवर्ती झटकों तथा विनाश की प्रकृति की निगरानी के लिए भूकंपीय तथा जियोडेटिक उपकरणों के संस्थापन हेतु कार्य योजना बनाई गई है। अंडमान द्वीपों में भूकंप के दीर्घ भूकंपीय प्रभावों के अध्ययन हेतु एक दल वहां भेजा गया है।

(iv) इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्रों में सुनामी के प्रभावों (सुनामी पश्चात सर्वेक्षण) के अध्ययन हेतु कुछ और दलों का भी गठन किया गया है।

(v) टोपोग्राफिक तथा फिजीयोग्राफिक परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु पूर्व एवं उत्तरवर्ती घटना संबंधी उपग्रहीय चित्रों का अध्ययन किया गया।

(vi) अब तक, जीएसआई दल भू-विध्वंस के प्रभाव नियंत्रित करने के लिए 'कम्पैन मोड में ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम' (जीपीएस) सर्वेक्षण हेतु अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में कार्य कर रहा है। जीपीएस स्टेशनों को वर्ष में दो-तीन बार 'रि-ओक्यूपाइड' करने का प्रस्ताव है। जी एस आई सूनामी प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी कार्य भी कर रहा है।

(ग) जीएसआई इस प्रकार के कार्य अपने स्वयं के बजट परिव्यय से करता है।

(घ) जी, हां। जीएसआई का भूकंप तथा सुनामी अध्ययनों संबंधी कार्य विश्व में अन्यत्र अपनाई जाने वाले मौजूदा कार्य प्रणालियों तथा तकनीकों के अनुसार है। अतः ऐसे कार्यों को सम्पन्न करने हेतु उन्नत देशों में प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा अपनाई गई तकनीकों तथा उपायों को जीएसआई के वैज्ञानिकों द्वारा हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(i) सुनामी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एनजीआरआई, हैदराबाद में मार्च, 2005 में एक संयुक्त भारत-जापान कार्यशाला का आयोजन किया गया था। भारत तथा जापान में संभावित प्रतिभागी संगठनों के साथ-साझा हितों के कई क्षेत्रों (मदों) की भी पहचान की गई।

(ii) "पालियो-सुनामी डिपोजिट्स/पालियो-सेस्मोलॉजी फॉर एस्टीमेशन ऑफ रिकरेंस हिस्ट्री" शीर्षक अनुसंधान मद हेतु जीएसआई को एक प्रमुख अभिकरण (एजेंसी) के रूप में पहचान मिली है। सहयोगात्मक अनुसंधान में एक्टिव फॉल्ट रिसर्च सेंटर, जिओलोजिकल सर्वे ऑफ जापान/नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एडवांसड इंड्रस्ट्रीयल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एआईएसटी) के वैज्ञानिकों ने सक्रियता से भाग लिया है। सहयोगात्मक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में टोकियो, जापान में एक चार दिवसीय सम्मेलन 14-17 दिसम्बर, 2005 के बीच आयोजित किया गया था और सम्मेलन में जीएसआई के प्रतिनिधि (श्री ए.के. घोष रॉय, निदेशक, जीएसआई, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता) ने जीएसआई द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में सुनामी पश्चात किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा सहयोगात्मक कार्यों पर आधारित भारत एवं जापान के वैज्ञानिकों के बीच विचार-विमर्श में भी हिस्सा लिया।

(iii) अंडमान द्वीप समूहों में एक संयुक्त क्षेत्रीय सर्वेक्षण 12 से 21 मार्च, 2006 के बीच किया गया था। आईआईटी कानपुर, टोकियो विश्वविद्यालय तथा जिओलोजिकल सर्वे ऑफ जापान के अनुसंधानकर्ताओं सहित जीएसआई के दो वैज्ञानिकों ने क्षेत्रीय अध्ययनों में भागीदारी की।

(iv) सुनामी से संबंधित भारत-जापान सहयोगात्मक कार्यों में जीएसआई के साझा हितों के क्षेत्रों की निम्नानुसार पहचान की गईः

(i) सुनामी की न्युमेरिकल मॉडलिंग के लिए जीपीएस; ब्यायस तथा टाइड गेज का संयोजन

(ii) भूकंप पश्चात विनाश अध्ययन (प्राप्त आंकड़ों का संयुक्त विश्लेषण)

(iii) रिकरेंस हिस्ट्री के आकलन हेतु पालियो-सूनामी निक्षेपों/पालियो सेस्मोलॉजी

(iv) भूकंपीय आंकड़ों के प्रयोग से रप्चर प्रोपेगेशन मॉडलिंग

(v) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 22-29 मार्च, 2006 के बीच कालेज डे फ्रांस, पेरिस में "26 दिसम्बर, 2004 को सुमात्रा में भूकंप तथा भारत आस्ट्रलिया सबडक्शन" विषय पर आधारित सम्मेलन में भी भाग लिया।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु बैंकिंग समूह

2734. श्रीमती अन्नू टंडनः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का सौर ताप विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु बैंकिंग समूह गठित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उच्च लागत वाली सौर ऊर्जा से कम लागत वाली ताप विद्युत के साथ संयोजित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डा. फारूख अब्दुल्ला): (क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत सौर विद्युत संयंत्रों हेतु मंजूर की गई, जारी और उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने सौर विद्युत क्षेत्र में निवेश और साख को सुदृढ़ करने हेतु महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान करने और पर विचार करने हेतु एक कार्य दल का गठन किया था जिसमें बैंकों, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।

(घ) और (ङ) निम्न लागत तापीय विद्युत के साथ सौर विद्युत को मिलाने का प्रावधान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रथम चरण के तहत परियोजनाओं के द्वितीय बैच हेतु जारी रखा गया है। मिली-जुली तकनीक से सहायता के लिए चयनित सौर विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता 1000 मेगावाट से भी ज्यादा हो गई है।

विवरण

योजना का नाम-ग्रिड इंटरएक्टिव सौर पीवी विद्युत उत्पादन पर प्रदर्शन कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2009-10			वित्तीय वर्ष 2010-11			वित्तीय वर्ष 2011-12 (31.10.2011)		
		स्वीकृत राशि (लाख रू.)	जारी और उपयोग की गई राशि (लाख रू.)		स्वीकृत राशि (लाख रू.)	जारी और उपयोग की गई राशि (लाख रू.)		स्वीकृत राशि (लाख रू.)	जारी और उपयोग की गई राशि (लाख रू.)	
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	0.00	0.00	0.00	312.80	312.80	0.00
2.	महाराष्ट्र	-	-	-	144.88	144.88	142.88	154.96	154.96	0.00
3.	पंजाब	-	-	-	76.57	76.57	76.57	74.44	74.44	0.00
4.	राजस्थान	-	-	-	178.57	178.57	178.57	1137.71	1137.71	292.71
5.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	1129.81	1129.81	652.74
6.	पश्चिम बंगाल	74.22	74.22	74.22	111.37	111.37	111.37	76.69	76.69	0.00
	कुल	74.22	74.22	74.22	511.38	511.38	509.38	2886.41	2886.41	945.45

योजना का नाम-टेल-एंड ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत संयंत्रों पर प्रदर्शन कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2009-10			वित्तीय वर्ष 2010-11			वित्तीय वर्ष 2011-12 (31.10.2011 तक)		
		स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि राशि	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि
1.	दिल्ली	96.88	52.03	52.03	324.06	116.84	35.83	393.77	106.45	8.00
2.	कर्नाटक	658.12	368.18	368.18	-	191.22	191.22	-	-	-
3.	पंजाब	631.10	219.57	153.01	-	316.87	-	-	-	-
4.	राजस्थान	737.50	185.00	-	-	0.00	-	-	-	-
	कुल	2123.60	824.78	573.22	324.06	624.93	227.05	393.77	106.45	8.00

नवजात शिशु सघन परिचर्या इकाइयों की स्थापना

2735. श्रीमती मेनका गांधीः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात शिशु सघन परिचर्या इकाइयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरसीएच-II) के अंतर्गत नवजात शिशु मृत्यु को कम करने के लिए सुविधा आधारित नवजात शिशु परिचर्या एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है।

देश के प्रत्येक जिला अस्पताल में एक विशेष नवजात शिशु परिचर्या स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस समय देश में 293 विशेष नवजात शिशु परिचर्या एकक कार्य कर रहे हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्यों को विशेष नवजात शिशु परिचर्या एक स्थापित करने के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत निधियां आवंटित की जाती हैं।

विवरण

विशेष नवजात शिशु परिचर्या एककों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	विशेष नवजात शिशु परिचर्या एककों की संख्या
1	2	3
1.	बिहार	8
2.	छत्तीसगढ़	2
3.	हिमाचल प्रदेश	2
4.	जम्मू व कश्मीर	2
5.	झारखंड	2
6.	मध्य प्रदेश	28
7.	ओडीशा	16
8.	राजस्थान	36
9.	उत्तर प्रदेश	7
10.	उत्तराखण्ड	1
11.	अरूणाचल प्रदेश	0
12.	असम	6

1	2	3
13.	मणिपुर	1
14.	मेघालय	0
15.	मिजोरम	0
16.	नागालैंड	0
17.	सिक्किम	0
18.	त्रिपुरा	0
19.	आंध्र प्रदेश	14
20.	गोवा	1
21.	गुजरात	34
22.	हरियाणा	6
23.	कर्नाटक	25
24.	केरल	16
25.	महाराष्ट्र	34
26.	पंजाब	0
27.	तमिलनाडु	30
28.	पश्चिम बंगाल	6
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
30.	चंडीगढ़	1
31.	दादरा और नगर हवेली	1
32.	दमन और दीव	1
33.	दिल्ली	10
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुडुचेरी	2
	कुल योग	293

पीटीजी के बीच शिक्षा को बढ़ावा

2736. श्री पी.के. बिजू: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) को शिक्षा मुहैया कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को आवंटित, जारी की गयी निधियों तथा इनके उपयोग का राज्य-वार और स्कीम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीटीजी के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं प्रारंभ की हो;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उनमें से राज्य-वार और योजना-वार लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीटीजी) जिन्हें पहले आदिम जनजातीय समूहों के रूप में जाना जाता था, अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के संवर्धन के लिए बनी योजनाओं सहित इस मंत्रालय की सभी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करते हैं। तथापि, "राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति" की योजना में पीटीजी के अभ्यर्थियों के लिए दो सीटों के आरक्षण जैसी कुछ योजनाओं के तहत पीटीजी के लिए कुछ विशेष प्रावधानों/प्राथमिकताओं के अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक योजनाओं के तहत पीटीजी के लिए अलग बजट का आबंटन नहीं किया जाता था। "कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण की योजना इत्यादि के तहत पीटीजी द्वारा आबाद क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता है। तथापि एक समग्र योजना है जो केवल पीटीजी के लिए बनी है-विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का विकास जिसके तहत शिक्षा से संबंधित गतिविधियां कार्यान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा की जा सकती हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान संरक्षण यह विकास योजना के भाग के रूप में पीटीजी को शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना के तहत आबंटित/निर्मुक्त तथा उपयोजित निधियां निम्नानुसार हैं:-

(लाख रू. में)

राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12
	आबंटित/ निर्मुक्त	उपयोजित	आबंटित/ निर्मुक्त	उपयोजित	आबंटित/ निर्मुक्त	उपयोजित	आबंटित/ निर्मुक्त
त्रिपुरा	86.23	86.23	122.85	122.85	78.65	78.65	64.35
केरल	-	-	-	-	-	-	162.00
मध्य प्रदेश	623.17	623.17	1954.00	1954.00	1758.77	1758.77	1951.72
महाराष्ट्र	60.18	60.18	60-18	60.18	60.18	60.18	-
ओडीशा	144.50	144.50	101.20	10120	74.91	7491	-
राजस्थान	669.66	66966	710.16	71016	681.00	681.00	681.00
छत्तीसगढ़	52.70	52.70	78.00	78.00	342.00	-	-
छत्तीसगढ़ (एनजीओ घटक)	3.85	3.85	3.04	3.04	5.33	5.33	-
झारखण्ड (एनजीओ घटक)	158.87	158.87	191.17	191.17	17549	175.49	0.16

*वर्ष 2011-12 के लिए पहली किस्त उड़ीसा राज्य सरकार को निर्मुक्त कर दी गई है, शिक्षा के उद्देश्य हेतु निर्मुक्त यथातथ्य राशि देना संभव नहीं हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य क्षेत्र के लंबित प्रस्ताव

2737. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत तथा रद्द की गई स्वास्थ्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन पर आने वाली लागत क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गयी है; और

(घ) लंबित परियोजना को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है और उनके लंबित रहने के कारण क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग)

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम): स्वास्थ्य क्षेत्र से सम्बद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। गुजरात और मूध्य प्रदेश राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपनी वार्षिक पीआईपी भारत सरकार को भेजती हैं जिनकी जांच की जाती है और एनपीसीसी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुमोदित कार्यकलापों के लिए अनुमोदन दिया जाता है। बाद में यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें अपनी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार कुछ अतिरिक्त कार्यकलाप शुरु करने की आवश्यकता महसूस करती हैं तो वे अनुपूरक प्रस्ताव

भेजती हैं। इस प्रस्तावों की मामला-दर-मामला के आधार पर जांच की जाती है और तदनुसार अनुमोदन दिया जाता है।

गुजरात राज्य के लिए आज तक राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा 644.96 करोड़ रुपए की धनराशि और 68.23 करोड़ रुपए की धनराशि के अतिरिक्त प्रस्ताव (जेएसएसके के लिए 17.20 करोड़ रुपए सहित) अनुमोदित किए गए हैं।

मध्य प्रदेश राज्य के लिए आज तक राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति 990.97 करोड़ रुपए की धनराशि और वर्ष के दौरान 51.56 करोड़ रुपए की धनराशि के अतिरिक्त प्रस्ताव (जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के लिए) अनुमोदित किए गए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रम-वार आबंटन, निर्मुक्ति और व्यय संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

2. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी): राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों के जरिए क्रियान्वित किया जाता है। राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एसएसीएस) से कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं मांगे जाते हैं। इसके बजाय, कार्यक्रम एक वार्षिक कार्य योजना के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है जो राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी से परामर्श करके तैयार किया जाता है और उसके अंतर्गत कार्यकलाप चलाने के लिए निधियां निर्मुक्त की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों को आबंटित की गई निधियां इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	वार्षिक कार्य योजना (रुपये लाख में)	
		गुजरात	मध्य प्रदेश
1.	2008-09	3552.86	2458.36
2.	2009-10	4492.37	3435.79
3.	2010-11	4838.62	3547.89

3. राष्ट्रीय बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीपीसीडी): 656.98 लाख रुपए के बजट के साथ गुजरात से सभी 26 जिलों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गुजरात राज्य सरकार से राज्य पीआईपी 2010-11 में राष्ट्रीय बधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस कार्यक्रम को 654.38 लाख रुपए के बजट के साथ गुजरात के सभी 26 जिलों में क्रियान्वित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसमें से वर्ष 2010-11 में 238.65 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में निर्मुक्त किए गए थे। एनपीपीसीडी से संबंधित प्रस्ताव वर्ष 2008-09 की राज्य पीआईपी में मध्य प्रदेश के तीन जिलों में कार्यक्रम को क्रियान्वित करने और 97.30 लाख रुपए के बजट के साथ मध्य प्रदेश के तीन और जिलों में कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए वर्ष 2009-10 में प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का अनुमोदन दिया गया था और वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 तक पहली किस्त के रूप में क्रमशः 27.415 लाख रुपए और 34.00 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए।

4. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी): गुजरात और मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से पीआईपी के रूप में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम समेकित प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य प्राधिकारियों के साथ अनेक बैठकों में इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है और इन पर विचार विमर्श किया जाता है। संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए अनुमोदित पीआईपी के अनुसार वर्ष के दौरान निधियां निर्मुक्त की जाती है। इसलिए इस स्तर पर कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विगत तीन वर्षों के दौरान एनपीसीबी के अंतर्गत गुजरात तथा मध्य प्रदेश को आबंटित तथा निर्मुक्त निधियों की स्थिति निम्नानुसार है:

गुजरात (रुपये करोड़ रुपये में)

वर्ष	आबंटित	निर्मुक्त
2008-09	1394.80	1414.98
2009-10	1888.70	1888.63
2010-11	1691.00	1530.76

मध्य प्रदेश (रुपये करोड़ में)

वर्ष	आबंटित	निर्मुक्त
2008-09	1207.72	1256.97
2009-10	1290.00	1286.78
2010-11	1000.00	1000.00

5. आयुष विभाग: यह प्रस्ताव गुजरात तथा मध्य प्रदेश में आयुष अस्पताल तथा औषधालयों को विकसित करने के लिए केन्द्रीकृत प्रायोजित योजना से संबंधित था। परियोजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

गुजरात तथा मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें वित्तीय वर्ष 2009-10 तक निर्मुक्त किए अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसलिए वित्त मंत्रालय के निदेशक के परिप्रेक्ष्य में गुजरात तथा मध्य प्रदेश के प्रस्तावों पर अनुमोदन किए जाने पर विचार नहीं किया गया है।

(घ) कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

विवरण I

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनआरएचएम वित्त प्रभाग

वित्तीय वर्षों 2008-09 से 2011-12 तक के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आबंटन निर्मुक्त तथा व्यय दर्शाने वाला विवरण गुजरात

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यक्रम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			कुल		
		आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्त	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1.	आर सी एच-II	117.94	79.09	94.58	125.09	124.85	122.81	142.02	162.02	170.11	156.90	156.90	48.10	541.95	522.86	435.60
2.	एन आरएचएम के अंतर्गत एडिशनल्टिज	101.58	101.58	239.12	133.80	182.56	303.75	157.50	167.50	322.32	193.17	193.17	77.86	586.05	644.81	943.05
3.	नेमी रोग प्रतिरक्षण	0.80	-	3.26	9.50	7.13	8.19	7.95	6.74	9.38	7.96	7.63	3.07	26.21	21.50	23.90
4.	पीपीआई	11.27	11.27	0.00	12.19	12.78	8.98	12.50	13.01	8.56	11.03	0.00	0.10	46.99	37.06	17.64
5.	अवसंरचना अनुरक्षण	139.53	114.99	121.26	139.23	120.96	144.32	164.75	164.75	203.07	182.15	136.62	58.11	625.67	537.31	526.76
6.	**राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम**															
क	आई डी एस पी	1.24	0.41	0.95	0.55	0.90	1.59	1.23	1.69	1.78	2.35	1.02	0.70	5.37	4.02	5.02
ख	एन आई डी डी सी पी	0.24	0.24	0.10	0.24	0.00	0.23	0.24	0.24	0.25	0.30	0.23	0.00	1.02	0.71	0.58
ग	एन एल ई पी	1.90	1.36	1.28	1.79	2.26	2.93	1.74	2.00	2.17	1.70	1.07	0.30	7.13	6.69	6.69
घ	एन पी सी बी	13.95	13.95	14.21	18.89	18.89	18.55	16.91	15.31	16.15	17.15	12.13	0.00	66.90	60.27	48.91
ङ.	एन वीबीडीसीपी*	13.24	4.83	4.83	6.98	11.16	3.81	5.31	2.67	3.20	6.83	0.00	0.93	32.37	18.66	12.77
च	आरएनटीसीपी*	12.38	15.09	15.83	16.64	19.06	19.11	18.54	20.87	20.89	21.07	11.40	9.89	68.63	66.42	65.71
	महायोग	414.07	342.81	495.43	464.90	500.55	634.27	528.69	556.79	757.88	600.61	520.15	199.06	2008.28	1920.31	2086.63

टिप्पणी: *वस्तुगत अनुदान सहित उल्लेख

वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (30.09.2011 तक) अनंतिम है।

आरसीएच और एम एफपी के लिए वित्त वर्ष 2011-12 के लिए 6.12.11 तक और अन्य कार्यक्रमों के लिए 15.11.2011 तक निर्मुक्तियां

उपर्युक्त निर्मुक्तियां केन्द्रीय सरकार अनुदान से संबंधित हैं और इनमें राज्य शेयर का भाग शामिल नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

वित्त वर्ष 2005-06 से 2010-11 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आबंटन निर्मुक्ति और व्यय दर्शाने वाला विवरण मध्य प्रदेश एनआरएचएम वित्त प्रभाग

वित्त वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आबंटन निर्मुक्ति और व्यय दर्शाने वाला विवरण मध्य प्रदेश

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यक्रम	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			कुल		
		आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय
1.	आर सी एच-II	183.00	316.84	350.57	194.07	244.07	340.74	220.34	271.34	375.84	242.84	242.84	146.13	840.25	1075.09	1213.08
2.	एनआरएचएम के अंतर्गत एडिशनलिटज	157.51	157.51	109.54	207.59	147.82	149.61	244.36	219.86	236.14	298.98	0.00	44.38	908.44	525.19	539.67
3.	नेमी रोग प्रतिरक्षण	8.00	4.60	13.19	14.75	9.10	16.32	12.34	12.34	15.42	12.32	15.09	5.69	47.41	41.13	50.62
4.	पीपीआई	19.57	19.57	18.78	55.20	14.72	0.00	14.72	15.00	4.94	15.00	0.00	0.04	104.48	49.29	23.76
5.	अवसंरचना अनुरक्षण	188.52	174.34	156.61	186.95	139.73	199.42	220.27	220.27	251.72	226.92	180.48	154.79	822.66	714.82	762.53
6.	**राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम**															
क	आई डी एस पी	1.83	0.00	2.09	2.07	2.01	1.94	1.65	1.98	2.44	2.89	0.00	0.45	8.44	3.99	6.92
ख	एन आई डी डी सी पी	0.20	0.13	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.84	0.13	0.00
ग	एन एल ई पी	3.34	2.73	1.71	2.57	0.60	1.39	2.57	1.57	1.36	260	1.31	0.11	11.08	6.20	4.56
घ	एन पी सी बी*	12.08	12.08	14.49	12.90	12.87	4.29	10.00	10.00	36.33	15.57	1620	0.00	50.55	51.15	55.12
ङ.	एन बीवीडीसीपी*	20.12	7.40	7.40	14.44	18.14	13.46	23.31	1825	15.64	3429	0.00	3.28	92.1	43.78	39.79
च	आरएनटीसीपी*	14.86	12.69	12.59	15.14	15.74	14.10	16.90	13.80	16.73	19.19	11.67	7.99	66.08	53.90	51.4
	कुल योग	609.02	707.88	686.97	705.88	604.79	741.28	766.66	784.40	956.56	870.83	467.59	362.85	2952.39	2564.67	2747

टिप्पणी*: वस्तुगत अनुदान सहित उल्लेख

वित्त वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (30.09.2011 तक) अनंतिम हैं।

आरसीएच और एम एफपी के लिए वित्त वर्ष, 2011-12 के लिए 6.12.11 तक और अन्य कार्यक्रमों के लिए 15.11.2011 तक निर्मुक्तियां

उपर्युक्त निर्मुक्तियां केन्द्रीय सरकार अनुदान से संबंधित हैं और इनमें राज्य शेयर का भाग शामिल नहीं है।

विवरण II

आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार को निर्मुक्त निधियों और प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र.सं.	वर्ष	राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव	निर्मुक्त निधियां (रुपये लाख में)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	2008-09	आयुर्वेद के 118 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विशिष्ट क्लिनिकों की स्थापना के लिए 1180.00 रुपये	1180	
		552 स्वास्थ्य केन्द्रों में विशिष्ट क्लिनिकों की स्थापना के लिए 1656.00 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान	1240.84	414 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए निधियां निर्मुक्त की गई हैं।
		श्री सहजा नन्द सार्वजनिक अस्पताल मांडवी कच्छ गुजरात में पंचकमी थेरेपी केन्द्र की स्थापना के लिए 22.00 रुपये	22	
		720 आयुष औषधालयों के लिए आवश्यक औषधि की आपूर्ति हेतु 180.00 लाख रुपये	180	प्रस्ताव को शीर्ष समिति ने अनुमोदन किया परन्तु लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
2.	2009-10	720 आयुष औषधालयों के लिए आवश्यक औषधि की आपूर्ति हेतु 180.00 लाख रुपये	Nil	
		24 आयुष औषधलयों के उन्नयन के लिए आवश्यक औषधियों की आपूर्ति के लिए 1520.64 लाख रुपये	Nil	प्रस्ताव में कमियों तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
3.		732 आयुष औषधालयों में आवश्यक औषधियों की आपूर्ति के लिए 306 लाख रुपये	Nil	प्रस्ताव में कमियों तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
		24 आयुष अस्पतालों के उन्नयन के लिए 1070.64 लाख रुपये	405.35	5 इकाइयों के लिए 132.81 लाख रुपये की गैर-आवर्ती अनुदान निर्मुक्त की गई तथा 24 इकाईयों के लिए 272.54 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान निर्मुक्त किया गया। शेष अनुदान निधियों की कमी के कारण निर्मुक्त नहीं किया जा सका।
		739 आयुष अस्पतालों के उन्नयन के लिए 5433.90 लाख रुपये	815.58	95 इकाईयों के लिए गैर आवर्ती एवं आवर्ती दोनों ही निर्मुक्त किए गए हैं। शेष अनुदान निधियों की कमी के कारण निर्मुक्त नहीं किया जा सका।
		पीएमयू इकाई की स्थापना के लिए 9.60 लाख रुपये	शून्य	प्रस्ताव में कमियों तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
		आर के एस इकाई की स्थापना के लिए 160 लाख रुपये	शून्य	प्रस्ताव में कमियों तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।

1	2	3	4	5
4.	2011-12	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लिए 16.98 लाख रुपये	शून्य	प्रस्ताव में कमियों तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
		स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना के लिए 10.16 लाख रुपये	शून्य	प्रस्ताव में कमियों तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
		739 आयुष औषधालयों की आवश्यक औषधी के लिए (523-आयुर्वेद, 216 होम्योपैथी) 464.00 लाख रुपये	शून्य	प्रस्ताव में कमियों तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।

पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

आर के एस रोगी कल्याण समिति

विवरण-III

आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार को निर्मुक्त निधियों और प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र.सं.	वर्ष	राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव	निर्मुक्त निधियां (रुपये लाख में)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	2008-09	1617 आयुष औषधालयों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति	398.68	
		1433 आयुष औषधालयों को आवश्यक औषधियों की आपूर्ति	583.55	
2.	2009-10	16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवर्ती सहायता	47.06	
		12 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	646.27	
3.	2010-11	11 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	592.41	
		103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवर्ती सहायता	113.82	
		40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवर्ती सहायता	85	
		कार्यक्रम प्रबंधन इकाई	6.9	

1	2	3	4	5
		35 जिला अस्पतालों के लिए आवर्ती सहायता एवं 100 आयुष औषधालयों के उन्नयन के लिए 1112.00 लाख रुपये	शून्य	वर्ष 2008-09 तक निर्मुक्त की गई निधि के बारे में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण शीर्ष समिति ने प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया।
4.	2011-12	1623 आयुष अस्पताल एवं औषधलयों को आवश्यक औषधियों के लिए 776.00 लाख रुपये	शून्य	वर्ष 2009-10 तक निर्मुक्त अनुदान के बारे में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
		आयुष औषधालयों के उन्नयन के लिए 1250 लाख रुपये	शून्य	
		373 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएससी) एवं 36 जिला अस्पतालों के लिए 260.45 लाख रुपये की आवर्ती सहायता	शून्य	

[अनुवाद]

खसरा टीकाकरण अभियान

2738. श्री के. सुगुमारः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वैक्सीन की एकल खुराक द्वारा खसरे की रोकथाम की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई खसरा टीकाकरण अभियान चलाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खसरा रोको अभियान के अन्तर्गत 13 करोड़ से अधिक बच्चों को कवर करने का अनुमान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) जी नहीं, वैक्सीन की एकल खुराक जब 9 महीने की आयु पर दी जीती है तब 85% बच्चों का बचाव होता हैं

(ख) जी, हां, सरकार ने खसरे की दुसरी खुराक देने के लिए खसरा टीकाकरण अभियान शुरू किया है।

(ग) खसरे के टीके को 9 महीने की आयु में दिए जाने पर 85% बच्चों का खसरे से बचाव होता है। देश में इस पर तथा खसरे की कवरेज पर ध्यान देते हुए सरकार ने, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण तकनीकी सलाहकार समुह (एनटीएजीआई) की संस्तुति के अनुसार खसरे की दूसरी खुराक की शुरूआत की है। जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण 3 के अनुसार उन 14 राज्यों में जिनमें 80% से कम खसरे की कवरेज है, उनमें दूसरी खुराक देने के लिए खसरा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। शेष रह गए 21 राज्यों में जहां खसरे की कवरेज 80% से अधिक है उनमें नेमी रोग प्रतिरक्षण के अंतर्गत खसरे की दूसरी खुराक शुरू कर दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां, वर्ष 2010 से एक चरणबद्ध तरीके से 9 महीने से 10 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का लक्ष्य रखते हुए 14 राज्यों में खसरे की दूसरी खुराक के कैचअप अभियान के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक बच्चों को कवर करने की आशा है। ये राज्य

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड व त्रिपुरा हैं।

[हिन्दी]

एम्स के डॉक्टर

2739. श्री ए. टी. नाना पाटीलः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों का निजी अस्पतालों में सेवा ग्रहण के मामले का संज्ञान लिया है जो उन्हें आकर्षक वेतन और भत्तों की पेशकश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में सेवा देने से रोकने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) यह देखा गया है कि विगत तीन वर्षों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के 14 संकाय सदस्यों ने या तो स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली है अथवा त्यागपत्र दे दिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से कार्यमुक्त किए जाने के बाद चिकित्सकों के पेशे के बारे में आंकड़े रखने की कोई प्रक्रिया/पद्धति नहीं है। तथापि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से चिकित्सकों और संकाय सदस्यों की सेवा शर्तों में सुधार आया है।

स्वसहायता समूहों को सहायता

2740. श्रीमती ज्योति धुर्वेः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड) के सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के अन्तर्गत स्व सहायता समूहों को सहायता मुहैया कराती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार, विशेषकर मध्य प्रदेश और गुजरात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) भारत सरकार ने सूक्ष्म वित्त अभियान को सहायता देने के लिए सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ) का निर्माण करने की सुविधा दी है। इस निधि का उद्देश्य गरीबों विशेषकर महिला और समाज के वंचित वर्गों के लिए वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए विविध तौर-तरीकों के जरिए सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुकर बनाना तथा इसकी सहायता करना है। एमएफडीईएफ का कुल 'कार्पस' 400 करोड़ रु. है जिसमें आरबीआई, नाबार्ड तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 2:2:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एमएफडीईएफ में से मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में एसएचजी के संवर्धन और उनके प्रशिक्षण के लिए विभिन्न एजेंसियों को दी गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

(रु. लाख में)

राज्य/वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11
मध्य प्रदेश	38.27	33.66	36.76
गुजरात	29.85	39.60	36.43

31 अक्टूबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, एमएफडीईएफ के तहत 262.46 करोड़ रु. के प्राप्त कुल अंशदान के मुकाबले संचयी व्यय 257.81 करोड़ रु. रहा।

शहरी सहकारी बैंक

2741. श्री एन. चेलुवरया स्वामीः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति दिनों-दिन खराब होती जा रही है तथा वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंक वित्तीय रूप से कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के व्यवसाय को अधिग्रहण करने में ज्यादा रूचि नहीं ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय रूप से कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के खातेधारक तथा हितधारक अपनी जमाराशि में से एक लाख रूपए से अधिक की राशि के शेयर लेने को तैयार नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या में शामिल वित्तीय रूप से कमजोर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) (श्रेणी III एवं IV बैंक) की संख्या के प्रतिशत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार यह गिरावट 38% थी, जो मार्च, 2011 की समाप्ति पर कम होकर 18% हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यूसीबी के विलय/समामेलन संबंधी दिशानिर्देश वर्ष 2005 में जारी किए गए थे। तब से 31.03.2011 तक 89 कमजोर यूसीबी में विलय कर दिया गया है।

यूसीबी की वित्तीय पुनर्निर्धारण योजना, एक लाख रुपए से अधिक की व्यक्तिगत जमा राशियों के एक भाग को इक्विटी में परिवर्तित कर, समस्यामूलक बैंकों के समाधान हेतु एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में दिसम्बर, 2007 में इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया था कि कमजोर एवं ऋणात्मक शुद्ध मालियत वाले बैंक अपनी शुद्ध मालियत की धनात्मक बनाने में समर्थ हो सके। विभिन्न बैंकों ने एक लाख रूपए से अधिक की जमा राशियों को इक्विटी में परिवर्तित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति मांगी है और भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा अनुदेशों के अनुसार निम्नलिखित बैंकों को अनुमति प्रदान की है:-

(i) मण्डी शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश

(ii) महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, धारवाड, कर्नाटक

(iii) अभिनव सहकारी बैंक लिमिटेड, राहुड़ी

(iv) नासिक पीपल्स सहकारी बैंक लिमिटेड

(v) कृष्णा वेली सहकारी बैंक लिमिटेड, कुपवाड, संगली

(vi) चित्तूर सहकारी टाउन बैंक लिमिटेड, चित्तूर, आंध्र प्रदेश

(vii) भीमावरम सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश

[हिन्दी]

महिलाओं और बच्चों का पुनर्वास

2742. कुमारी सरोज पाण्डेयः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आतंकी अथवा नक्सली हमलों में मारे गए व्यक्तियों की पत्नियों तथा बच्चों की आजीविका का पुनर्वास करने के लिए कोई विशेष कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे राज्य-वार ऐसी कितनी महिलाओं और बच्चों के लाभान्वित होने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान (एन.एफ.सी.एच.) जो गृह मंत्रालय के अन्तर्गत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यावन कर रहे परिवारों के बच्चे जो साम्प्रदायिक दंगों, जातिवाद, आतंकी या आतंकवादी हिंसा में अनाथ या बेसहारा हो चुके हैं उनकी देखरेख, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए संबंधित जिलाधिकारियों/उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास तथा समेकन हेतु सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.) के अन्तर्गत किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत स्वयं राज्य सरकारों या स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से गृहों तथा विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों की स्थापना तथा उसके रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को वर्ष 2009-10 से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही 40 से 59 वर्ष के आयु वर्ग की विधवाओं के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम (आई.जी.एन. डब्ल्यू. पी.एस.) तथा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आई.जी.ओ.ए.पी.एस) कार्यान्वित की है।

सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के पुनर्वास हेतु स्वाधार गृह स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है।

आतंकी या नक्सली हमलों में मारे गये पतियों/पिता की विधवाओं तथा बच्चों को उपर्युक्त स्कीम के लक्षित लाभार्थियों में शामिल किया गया है।

(ग) भविष्य में, इन स्कीमों के अन्तर्गत सहायता के जरूरतमन्द ऐसी महिलाओं तथा बच्चों की संख्या का अनुमान लगा पाना असम्भव है।

नेत्रदान शिविरों हेतु अनुदान

2743. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार और रेडक्रास समिति विभिन्न राज्यों में नेत्रदान शिविरों और अन्य स्वास्थ्य मेलों के लिए अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में गत पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त उद्देश्य हेतु किन-किन नेत्र अस्पतालों/संस्थानों को अनुदान दिया गया तथा कितनी अनुदान राशि जारी की गयी;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने के बावजूद मधुबनी स्थित शंकर नेत्रालय सहित अनेक नेत्र अस्पतालों/संस्थानों को निधियां स्वीकृत नहीं की गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भाग लेने के लिए नेत्र अस्पतालों/संस्थाओं का चयन करने और उन्हें निधियां जारी करने की भूमिका राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। बिहार सहित राज्यों में नेत्र दान समेत नेत्र-परिचर्या कार्यकलापों के लिए नेत्र-अस्पतालों/संस्थाओं को केन्द्रीय स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की जाती हैं।

भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (एनएचक्यू), नई दिल्ली ने सूचना दी है कि वे राज्यों में नेत्र दान शिविरों और ऐसे अन्य स्वास्थ्य मेलों को आयोजित करने के लिए कोई अनुदान प्रदान नहीं करते हैं।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, बिहार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, मधुबनी में शंकर नेत्रालय द्वारा वर्ष 1999 से किसी नेत्र दान शिविर का आयोजन नहीं किया गया है जिसके लिए निधियां जारी की जानी हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

2744. श्री गोरखनाथ पाण्डेयः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यनिष्पादन का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसका निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल तथा असम राज्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) का अध्ययन कराया गया है। अध्ययन की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(i) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) की योजना जारी रखी जाए क्योंकि यह काफी हद तक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है।

(ii) किसी प्रशिक्षण का उद्देश्य लोगों के विद्यमान व्यवसायों में उनके शिल्पों का विकास करना होना चाहिए। विद्यमान व्यवसाय से परिवर्तन करने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा यह प्रसंग से बाहर नहीं होना चाहिए।

(iii) वीटीसी की योजना के कार्यान्वयन में लगे जनजातीय विकास के राज्य तथा जिला अधिकारियों को सुग्राही बनाने की आवश्यकता है।

(iv) वीटीसी की योजना को कृषि के आधुनिकीकरण तथा कृषि एवं वन आधारित उद्यमों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए क्योंकि अधिकतर जनजातीय लोग अभी भी कृषि एवं लघु वन उत्पादों पर निर्भर हैं।

(v) अधिक से अधिक महिला उन्मुख ट्रेडों को लाया जाना चाहिए जैसे कंप्यूटर, फैशन प्रौद्योगिकी/डिजाइन, इंटिरियर

डिजाइनिंग, हॉसपीटेलिटी, कटिंग, सिलाई एवं कताई, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन तथा कॉल सेंटरों में काम करने के लिए प्रशिक्षण।

(vi) ट्रेडों की संगतत एवं विपण्यता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न ट्रेडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत करने से पूर्ण बाजार का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

(ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना को 01.04.2009 से संशोधित किया गया है। संशोधित योजना में (i) योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाई गई हैं (ii) दो ट्रेडों में प्रशिक्षण के बजाय प्रशिक्षणार्थी उसकी पसंद के एक ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तथा प्रशिक्षण की अवधि को छह माह के बजाए एक वर्ष तक बढ़ाया जाता है; (iii) पहले से स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा संस्थानों के अलावा राज्य सरकार निजी मान्यता प्राप्त संस्थानों में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की सिफारिश भी करे। उन संस्थानों को प्राथमिकता दी जाती है जो प्रशिक्षण पूरा होने के उपरांत प्लेसमेंट/रोजगार की गारंटी देता है।

[अनुवाद]

साहूकारों से कृषकों को ऋण

2745. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषकों द्वारा साहूकारों से लिए गए ऋण की राशि का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऋण ग्रस्त कृषकों को ऋण से मुक्त कराने तथा उन्हें साहूकारों के पंजों से छुड़ाने के उद्देश्य से कोई योजना/कार्यक्रम/सांविधिक ऋण राहत आयोग बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) "राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) कृषकों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण 2003" के अनुसार, कृषक परिवार का साहूकारों से ऋण 25.7 प्रतिशत वर्ष 2003 में प्रति परिवार 3,237 रु. बकाया था।

भारत सरकार ने किसानों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) किसानों को 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर एक वर्ष की अवधि हेतु 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार वर्ष 2009-10 से तत्पर आदाता किसानों अर्थात जो अपने ऋण समय पर अदा पर वापिस अदा करते हैं, को अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। अतिरिक्त सहायता 2009-10 में 1% और 2010-11 में 2% थी। वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

(ii) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस) 2008 से वह ऋण प्रणाली शुरू हो गई है जो किसानों पर ऋण के बोझ के कारण बंद हो गई थी।

(iii) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 50,000 रु. तक के लघु ऋणों के लिए एवं सीमांत किसानों, बंटाईदारों और इनसे मिलते-जुलते लोगों से "नो ड्यूज" प्रमाणपत्र लेने की अपेक्षा को छोड़ दें और इसें बजाय उधारकर्ता से स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करें।

(iv) आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे 1,00,000 रु. तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/जमानती अपेक्षाओं को माफ कर दें।

(v) बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच का विस्तार ग्रामीण आबादी तक करने के लिए बैंकों ने 2000 से अधिक आबादी वाले ऐसे 73,000 गांवों की पहचान की है जिनमें मार्च, 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजक बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 45000 ऐसे गावों को कवर कर लिया गया है।

(vi) घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) को रिपोर्ट करने की शर्त के अधीन (i) टीयर 3 से टीयर 6 केन्द्रों (49,999 तक की आबादी वाले) में और (ii) उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केन्द्रों में शाखाएं/मोबाइल शाखाएं खोलने की

सामान्य अनुमति दी गई है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय बैंकों को वर्ष के दौरान खोले जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण (टीयर 5 और टीयर 6) केन्द्रों के लिए आवंटित करना चाहिए।

बैंकों में आस्ति गुणवत्ता

2746. श्री आर. ध्रुवनारायणः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत ऋण उत्पाद क्षेत्रों पर भारी दबाव के कारण बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में धीरे-धीरे कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) मार्च, 2011 के अंत में सकल अनर्जक आस्तियों के प्रति बैंकों का सकल अग्रिम अनुपात 2.35% था जो सितंबर, 2011 में बढ़कर 2.87% हो गया है। तथापि, मार्च, 2009 से सितम्बर, 2011 की अवधि में बैंकों की अनर्जक आस्तियों में क्रेडिट कार्ड और वैयक्तिक ऋण का जो योगदान सकल में हुआ है उस योगदान की अनर्जक आस्तियों के सकल में कुल मिलाकर कमी हुई है।

की समाप्ति पर	सकल एनपीए और सकल अग्रिम (%)	अनर्जक क्रेडिट कार्ड प्राप्य	कुल सकल	कुल सकल एनपीएके % के रूप में अनर्जक वैयक्तिक ऋण प्राप्य	अनर्जक वैयक्तिक ऋण	कुल सकल एनपीए के % के रूप में अनर्जक वैयक्तिक ऋण प्राप्य
मार्च 2009	68,222	2.44	5,094	7.5	11,268	16.5
मार्च 2010	81,816	2.50	3,653	4.5	9,897	12.1
मार्च 2011	94,088	2.35	2,946	3.1	9,985	10.6
सितम्बर 2011	119,124	2.87	2,660	2.2	11,726	9.8

स्रोतः बैंकों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम अद्यतिम स्थलेत्तर विवरण, अनंतिम और घरेलू परिचालन

(ग) भारतीय रिवर्ज बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाने की सलाह दी है जिसमें बैंक की ऋण जोखिम नीति निहित हो। इसके अलावा, उससे यह अपेक्षा भी की गई है कि वे मंजूरी प्राधिकारी के स्तर को तय करे और ऐसी ऋण समीक्षा करे जिससे आरंभ मे ही चेतवानी के संकेत प्राप्त हो और किसी खाते के एनपीए में तब्दील होने से पूर्व उपचारात्मक कार्रवाई के सुझाव दिए जाए। बैंकों से एनपीए की निगरानी करना और वसूली/अन्य माध्यमों के द्वारा इसे कम करने के लिए कदम उठाए जाने अपेक्षित है। आरबीआई भी सतत आधार पर बैंकों के एनपीए स्तर की निगरानी करता है। जब कभी भी एनपीए स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी जाती है, आरबीआई द्वारा एनपीए कम करने के लिए संबंधित बैंकों के साथ यह मुद्दा उठाया जाता है और प्रगति की निगरानी की जाती है।

बैंक वसूली के जिन माध्यमों को अपना सकते हैं, उनमें वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्सरचना एवं प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन (एसएआरएफईएसआई) अधिनियम, 2002 ऋण वसूली अधिकरण, लोक अदालत इत्यादि शामिल हैं।

एनएचआरडी की स्थापना

2747. श्री ई.जी. सुगावनमः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनएचआरडीए) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रस्तावित प्रकार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित प्राधिकरण भेषज तथा मेडिकल उपकरणों का विनियमन भी करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) योजना आयोग ने अक्टूबर, 2010 में भारत के लिए व्यापक स्वास्थ्य कवरेज पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (एच एल ई जी) स्थापित किया था। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियामक एवं विकास प्राधिकरण स्थापित करने की अनुशंसा की है। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएं योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

(ख) उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निम्नलिखित तीन यूनिट के लिए अनुशंसा की है:

(i) प्रणाली सहायता यूनिट, जो यू एच सी प्रणाली के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश, प्रबंधन प्रोटाकॉल और गुणवत्ता आश्वासन विधियां विकसित करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह विधिक वित्तीय एवं विनियामक मानदंडों तथा यूएचसी प्रणाली के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा प्रत्यायन यूनिट, जो सरकारी एवं निजी, दोनों क्षेत्रों के सभी एलोपैथिक एवं आयुष स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों तथा सभी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के अनिवार्य प्रत्यायन के लिए जिम्मेदार होगी।

(iii) स्वास्थ्य प्रणाली मूल्यांकन युनिट, जो इनपुटों, आउटपुटों एवं आउटकम के कार्य निष्पादन की मानीटरिंग के लिए वस्तविक समय पर आकड़ा प्राप्त करने के लिए प्रणलियां स्थापित करने के बाद सभी स्तरों पर सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यानिष्पादन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं, उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा युक्तियों को विनियमित करने तथा सुरक्षित एवं सस्ते उत्पादों तक रोगी की पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय औषध विनियामक एवं विकास प्राधिकरण स्थापित करने की अनुशंसा की है।

राष्ट्रीय जनजाति कल्याण परिषद

2748. क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय जनजाति कल्याण परिषद की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की परिषद की स्थापना के क्या कारण हैं;

(ग) देश में मुख्य भूमि से अलग-अलग पड़ी जनजातीय बस्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उन्हें मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण परिषद का गठन 03.09.2010 को कर चुका है जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:-

(i) जनजातीय कार्य मंत्री, भारत सरकार

(ii) वित्त मंत्री, भारत सरकार;

(iii) कृषि मंत्री, भारत सरकार;

(iv) गृह मंत्री, भारत सरकार;

(v) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार;

(vi) पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार;

(vii) मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार;

(viii) ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार;

(ix) महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार;

(x) संस्कृति मंत्री, भारत सरकार

(xi) खान मंत्री, भारत सरकार;

(xii) कोयला मंत्री, भारत सरकार;

(xiii) विद्युत मंत्री, भारत सरकार;

(xiv) उपाध्यक्ष, योजना आयोग;

(xv) आंध्र प्रदेश/गुजरात/हिमाचल प्रदेश/महाराष्ट्र/राजस्थान/उड़ीसा/झारखंड/मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़/असम/मेघालय/मिजोरम/त्रिपुरा (अनुसूची v तथा अनुसूची vi राज्य) के मुख्यमंत्री;

(xvi) प्रधानमंत्री द्वारा दो वर्षों के लिए नामित किए जाने वाले दो विशेषज्ञ;

(xvii) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, सदस्य सचिव के रूप में;

राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण परिषद के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

(i) देश में अनुसूचित जनजाति समुदायों के जीवन में सुधार करने के लिए वृहद नीति दिशानिर्देश देना।

(ii) वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

(iii) संविधान की अनुसूची v एवं अनुसूची vi के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

(iv) जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

(v) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सुरक्षा के उद्देश्य वाले कार्यक्रमों की निगरानी करना।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय देश के मुख्य भाग से कटे जनजातीय आवासों के आंकड़े नहीं रखता है। केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और स्वैच्छिक संगठन अगम्य और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित जनजातीय जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करते हैं। जनजातीय लोगों को देश की मुख्य धारा में लने के लिए जनजातीय क्षेत्रों/आवासों के संयोजन में अंतर को दूर करना ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण में से एक है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकारी सेवाओं में जनजातियों को आरक्षण

2749. श्री विष्णु पद रायः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनजातीय कल्याण मंत्री ने दिनांक 3/6/2010 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 12016/35/03 टीए (आरएल)/सी एवं एलएम-1 द्वारा संसद सदस्य को पत्र लिखा है कि छोटानागपुरी आदिवासी, ओरॉव, मुण्डा इत्यादि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने संबंधी मामले को अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को उनकी टिप्पणियों/विचार के लिए भेजा गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्राचार के क्या परिणाम रहे;

(ग) अनुसूचित जनजातियों के लिए अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में समूह 'ग' एवं 'घ' पदों पर सीधी भर्ती हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 5/7/2005 के पत्र संख्या 36071/1/2004-स्थापना (आरक्षण) के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण का प्रतिशत कितना है;

(घ) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में अनुसूचित जनजातियों को किस अवधि तक 12 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था और अब दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत कितना है;

(ङ) क्या उपरोक्त वर्णित वर्गों को शेष 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) जी, हां।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (एएंडएनआई) प्रशासन ने सूचित किया है कि "2008 की सं. 9845-9847 सहित अपील (सिविल) सं. 8040-42/2007, रांची एसोसिएशन बनाम भारत सरकार और अन्य को विशेष छूट" भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में न्याय निर्णयाधीन है और अगली कार्रवाई उस आदेश पर आधारित होगी। ये टिप्पणियां माननीय संसद सदस्य को संप्रेषित कर दी गई हैं।

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने सूचित किया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 5.7.2005 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में समूह "ग" और "घ" पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु 8 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा था।

(घ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जनजाति को 23.06.2011 से 12 प्रतिशत आरक्षण दिया गया और अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जनजाति को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर के मद्देजनर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एनआईबी पर प्रतिबंध

2750. श्री भूपेन्द्र सिंहः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बायोलॉजीकल संस्थान (एनआईबी) पर रक्त उत्पादों तथा नैदानिक किटों का परीक्षण करने के लिए प्रतिबंध लगाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या प्रतिबंध के बावजूद केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), पश्चिमी जोन ने एनआईबी को रक्त उत्पादों तथा नैदानिक किटों के नमूने भेजे थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उत्पादों के विनिर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) उपरोक्त चूक के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) औषध महानियंत्रक (भारत) [डीसीजी (I)] ने दिनांक 18.7.2007 को केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के पोर्ट तथा जोनल कार्यालयों को लिखा था कि वे रक्त उत्पादों तथा नैदानिक किटों के नमूने अगले आदेशों तथा परीक्षण के लिए राष्ट्रीय बायोलाजीकल संस्थान (एनआईबी) को न भेजें। तथापि, जोनल कार्यालयों को परीक्षणों के लिए दिनांक 10.2.2009 से नूमनों को एनआई बी को भेजने की स्वीकृति दी गई थी।

(ग) से (ङ) जुलाई 2007 से फरवरी, 2009 के बीच सीडीएससीओ (पश्चिमी जोन) से एन आई बी को निम्नलिखित नमूने प्राप्त हुए थेः

(i) रक्त उत्पाद

1. रिलायन्स लाइफ साइसेज, मुंबई (274)
2. सिलेस्टियल बायोलोजिकल लिमिटेड, अहमदाबाद (14)
3. भारत सीरम एवं वैक्सीन, मुंबई (2)

(ii) नैदानिक किटे 3 किटें स्पान डायग्नोस्टिक सूरत से प्राप्त हुई थी।

एन आई बी को जांच के लिए नमूने भेजने हेतु विनिर्माता को औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के अंतर्गत जारी लाइसेंस की शर्त के कारण नूमने भेजे गए थे। तत्कालीन निदेशक (एनआईबी) के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान संस्थान में हुई कथित अनियमितताओं के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाहियां की गई थी। उन्हें उनके मूल कार्यालय में वापस भी भेज दिया गया था।

भारतीय कंपनियों का विश्वास बढ़ाना

2751. श्री ताराचन्द भगोराः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में भारतीय करेंसी के भारी अवमूल्यन के कारण कुछ शीर्ष व्यावसायिक घरानों/कंपनियों, जिनके उद्यम विदेशों में भी हैं, को भारी क्षति होने की रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की कंपनियों का विश्वास बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय व्यावसायिक घरानों/कंपनियों जिनके उद्यम विदेशों में भी है, के उभरते यूरो जोन संकट से प्रभावित होने की संभावना है। रुपये के मूल्यह्रास से रुपये के संदर्भ में विदेशी मुद्रा ऋण शोधन की लागत बढ़ सकती है। तथापि, रुपये के मूल्यह्रास से रूपये मूल्य में आवक लाभांश/लाभों, विप्रेषणों का मूल्य भी बढ़ सकता है।

(ख) रुपये की कीमत को स्थिर करने और पूंजी बाजार को सक्रिय करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं हाल ही में उठाए गए नीतिगत कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैंः व्यापार ऋणों की ऑल-अन-कॉस्ट सीमा में वृद्धि, विदेशी वाणिज्यिक उधार संबंधी मानदंडों को उदार बनाना, रुपया व्यय के लिए विदेशों में जुटाई गई ईसीबी प्राप्तियों को देश में लाने की आवश्यकता कारपोरेट और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशों की सीमा को बढ़ाना तथा अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों को बढ़ाना। डालर-आपूर्ति को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने बाजार में बैंकों की निवल मुद्रा आपूर्ति की स्थिति पर लगाई गई 100 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा भी हटा दी है।

कोयले के मूल्यों को नियंत्रित करना

2752. श्री उदय सिंहः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के विद्युत संयंत्रों को आपूर्तित कोयले के मूल्यों को नियंत्रित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर के मामले

2753. श्रीमती जे. शांताः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख के अनुसार आयकर, केन्द्रीय उत्पाद, सीमा तथा सेवा कर कार्यलयों में विभागीय अधिकारियों के पास न्यायनिर्णयन हेतु कितने मामले लंबित हैं;

(ख) उनके पास कितने मामले एक वर्ष, दो वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) इन मामलों में कितनी धनराशि फंसी हुई है;

(घ) क्या इस प्रकार के मामलों के निपटान हेतु कोई समय-समय निर्धारित है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त समय-सीमा का पालन न करने के क्या कारण हैं; और

(च) इस प्रकार के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) विभागीय अधिकारियों के पास न्यायनिर्णयन हेतु लंबित आयकर, केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क तथा सेवा कर के मामलों की संख्या निम्न है:-

मामले के प्रकार	कुल संख्या
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (30.9.2011 के अनुसार)	21200
सीमा शुल्क (31.8.2011 के अनुसार)	10593
सेवा कर (30.9.2011 के अनुसार)	28429
आयकर (31.08.2011 के अनुसार)	206523

(ख)

मामलों का प्रकार	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1376	285	104
सीमा शुल्क	716	121	246
सेवा कर	12816 मामले एक वर्ष से अधिक के लिए लंबित है। दो और तीन वर्षो से अधिक के लिए लंबित मामलों के ब्यौरे का रखरखाव नहीं किया जाता है।		
आयकर	कुल लंबित में से, 83227 अपील 31.3.2010 से लंबित हैं। 80832 अपील लंबित हैं जिनकी जांच 1.4.2010 और 31.3.2011 के बीच शुरू की गई और 42914 अपीलों की जांच 1.4.2011 के बाद शुरू की गई है। इन मामलों के वर्षवार लंबन के द्विशाखन का रखरखाव नहीं किया जाता है।		

(ग) (करोड़ रुपए में)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	22037.89
सीमा शुल्क	7209.15
सेवा कर	22759
आयकर	250622

(घ) और (ङ) अप्रत्यक्ष करों के मामले में, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 की उपधारा (2क) और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 क की उप धारा 11 में समाहित उपबंधों के अनुसार, जहां ऐसा करना संभव हों, धोखेबाजी, सांठ-गांठ, तथ्यों को छिपाना आदि से संबंधित मामलों पर एक वर्ष की अवधि के भीतर न्यायनिर्णयन किया जाना है और अन्य मामलों पर नोटिस देने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर करना है। ऐसे मामलों पर एक वर्ष की अवधि के भीतर न्यायनिर्णन करने के लिए विभागीय निर्देश भी जारी किए गए हैं। निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इन मामलों को न्यायनिर्णयन करने में देरी कार्यविधि अपेक्षाओं के कारण हैं जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित किया गया है।

प्रत्यक्ष कर के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 250 (6 क), में निम्न प्रावधान है:-

"आयुक्त (अपील), जहां ऐसा संभव हो, ऐसी अपीलों पर उस वित्तीय वर्ष, जिसमें ऐसी अपील उनके समक्ष फाइल की है, की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर सुनवाई करेगा एवं निर्णय लेगा।"

अधिनियम में कोई बाध्यकारी समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है बल्कि केवल आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलों के न्यायनिर्णयन हेतु सुझावात्मक समय सीमा निर्धारित है। एक वर्ष की उक्त सीमा के भीतर मामलों का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जाते हैं। तथापि कई मामलों में, कारकों जैसे मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के कारण, आगे जांच की आवश्यकता, कर-निर्धारिती द्वारा प्रतिवेदन में देरी या अन्य ठोस कारणों से, आयकर आयुक्त (अपील) अपील को निर्णित करने में एक वर्ष से अधिक का समय ले सकते हैं। अपीलों की अधिक संख्या (वर्कलोड) को देखने के लिए जनशक्ति की कमी है जोकि अपीलों के शीघ्र निपटान पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालती है।

(च) न्यायनिर्णयन मामलों के लंबन की मानिटरिंग की जाती है और क्षेत्रीय कार्यालयों को समय-समय पर इनके शीघ्र निपटान हेतु उपयुक्त निर्देश जारी किए जाते हैं। प्रत्यक्ष करों के संबंध में, आयुक्त (अपील) के लिए एक केन्द्रीय कार्ययोजना तैयार की गई है जिसमें मामलों के शीघ्र निपटान के उपाय शामिल हैं।

बच्चों को त्वरित न्याय हेतु न्यायालय

2754. श्री पी.आर. नटराजनः
श्री आर. ध्रुवनारायणः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में आपराधिक/अपराधों से पीड़ित बच्चों को त्वरित न्याय, राहत देने और उनकी देखभाल के लिए कोई विधिक न्यायालय कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) बाल न्यायालय मुहैया कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 25 में बाल अपराध या बाल अधिकार हनन के मामलों के शीघ्र कानूनी निपटान का उपबंध हैं, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से इन व्यथित अपराधों की कानूनी कार्यवाही हेतु राज्य या प्रत्येक जिले में एक न्यायालय एक सत्र न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती हैं।

बालक अधिकारी संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) तथा केरल सरकारों ने बाल न्यायालय स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने प्रत्येक पुलिस जिले में एक अतिरिक्त सत्र न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया है तथा केरल सरकार ने प्रत्येक जिले में प्रधान सत्र न्यायालय को बाल न्यायालयों को बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया है।

इसके अतिरिक्त, गोवा बाल अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य में दंडिक अपराधों से पीड़ित बच्चों के शीघ्र न्याय दिलाने हेतु गोवा में भी एक बाल न्यायालय मौजूदा है।

सीपीसीआर अधिनियम, 2005 किसी भी राज्य सरकार को बाल न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिदेश नहीं देता है।

तंबाकू सेवन को बढ़ावा देने की गतिविधियों के दुष्प्रभाव

2755. श्री रूद्रमाधव रायः
श्री प्रताप सिह बाजवाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फिल्मों/टेलीविजन कार्यक्रमों में धूम्रपान दर्शाने तथा गुटखा एवं पान मसाले के उपयोग को दिखाए जाने के दुष्परिणाम तथा तंबाकू सेवन को बढ़ावा देने वाली विभिन्न गतिविधियां जो तंबाकू-रोधी अभियान के सामने बढ़ी चुनौती पैदा करती हैं, का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में हाल ही में आयोजित फार्मूला वन रेस सहित विभिन्न खेल स्पर्धाओं के दौरान राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय तंबाकू कंपनियों द्वारा ब्रांड प्रोमोशन गतिविधियों को नोट किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार फिल्मों तथा टेलीविजन कार्यक्रमों में धूम्रपान तथा गुटखा/पान मसाले के उपयोग पर प्रतिबंध/रोक लगाने खेल एवं इस प्रकार की अन्य स्पर्धाओं के दौरान तंबाकू कंपनियों द्वारा ब्रांड प्रोमोशनल गतिविधियों को रोकने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, (सीओटीपीए) 2003" जो सभी तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापनों, संवर्धन तथा प्रायोजन को प्रतिबंधित करता है, की धारा-5 के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पत्र लिखा है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य सचिव, उत्तर प्रदेश एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले मंत्रालय तथा खेल और जे पी स्पोर्ट्स, एफ-I मोटर रेस के आयोजक को यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा था कि देश में फार्मूला वन रेस के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू कंपनियों द्वारा ब्रांड को बड़ावा देने वाले क्रियाकलापों का आयोजन न किया जाए।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने दिनांक 27-10-2011 के सा.का. नि. सं. 786 (ई) के तहत" सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एंव वितरण का विनियमन (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 को अधिसूचित किया है जिसमें फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में स्क्रीनिंग व प्रसारित किए जा रहे तंबाकू उत्पादों को दर्शाने व इस्तेमाल के लिए विनियमों का प्रावधान किया गया है।

सीओटीपीए, 2003 की धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण कार्य में नियोजित या नियोजित किए जाने के लिए अभिप्रेत कोई भी व्यक्ति विज्ञापन नहीं देगा और किसी प्रचार माध्यम पर नियंत्रण रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस माध्यम से तंबाकू या किन्हीं तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं करवाएगा तथा ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन में भाग नहीं लेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल या उपभोग का सुझाव देता हो या उसे बढ़ावा देता हो

मेडिसिन स्ट्रिप की ब्रिक्री

2756. श्री पूर्णमासी राम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कैमिस्टों द्वारा ग्राहकों को टेबलेट्स की पूरी स्ट्रिप खरीदने का आग्रह करने और स्ट्रिप काटने अथवा उससे कम बेचने से मना करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को मॉनीटर करने और शिकायतों की जांच के लिए सरकार के पास तंत्र उपलब्ध है;

(घ) क्या इस प्रकार की प्रथा उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है तथा प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार है जिससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) औषध एवं प्रसाधन-सामग्री नियमावली, 1945 के अंतर्गत मेडिसिन की पूरी स्ट्रिप अथवा भागों में बिक्री के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं। पूरी स्ट्रिप खरीदने से उपभोक्ताओं को औषधों के बैच नंबर तथा वैधता समाप्ति की तारीख के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। औषधों के विनिर्माण एवं बिक्री पर विनियामक नियंत्रण औषध एवं प्रसाधन-सामग्री अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए राज्य अनुज्ञापन प्राधिकरणों द्वारा रखा जाता है।

जीटीएल इन्फ्रा स्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा कर अपवंचन

2757. श्री सुशील कुमार सिंहः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीटीएल नामक किसी अवसंरचना कंपनियों ने पांच सौ करोड़ रुपये का कर अपवंचन करने की बात स्वीकार की है और आय कर प्राधिकारियों को अतिरिक्त कर देयता का भुगतान करने पर सहमति व्यक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आईटी प्राधिकारियों द्वारा सरकार से जालसाजी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों के प्रोमोटर्स के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है कि प्रोमोटर्स वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रखे अपने शेयरों को बेच न सके; और

(घ) शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां।

(ख) 2010 में की गई एक तलाशी कार्रवाई के फलस्वरूप एक समूह ने 500.65 करोड़ रुपए की अप्रकट आय स्वीकार की थी।

(ग) और (घ) आयकर विभाग केवल प्रत्यक्ष कर कानूनों को प्रशासित करता है जिसमें लेखाबाह्य अथवा अप्रकट आय का खुलासा करना ऐसी राशियों को कराधान में लाने की कार्रवाईयां शामिल हैं। उसे प्रमोटरों द्वारा शेयरों के विक्रय को रोकने का अधिकार नहीं है जब तक कि शेयरों की प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत कुर्की अथवा जब्ती नहीं की जाती।

बच्चों में आयोडीन की कमी से विकृति

2758. श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में किए गए अध्ययन को नोट किया है कि प्रतिवर्ष भारत में पैदा हुए तकरीबन 50 प्रतिशत बच्चे आयोडीन की कमी से पीड़ित है जिससे दिमाग की क्षति सहित विभिन्न रोग और विकृतियां पैदा होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में बच्चों के बीच आयोडीन की कमी से बड़े पैमाने पर विकृति के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में आईडीडी से बच्चों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): (क) और (ख) आयोडीन अल्पताजन्य विकास सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में व्यापक रूप से व्याप्त हैं। इसके परिणामस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक मंदता, निम्न बौद्धिक स्तर (आई क्यू), स्कूल में घटिया प्रदर्शन, न्युरो-मोटर विकार, बधिर-मूटिनिज्म, बौनापन, भेंगापन, क्रेंटिनिज्म, सभी आयु में घेंघा, गर्भपात मृत बच्चों का जन्म आदि हो सकता है। यह सभी आयु एवं दोनों लिंगों तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति के लोगों को प्रभावित करता है।

(ग) आयोडीन अल्पता जन्य विकारों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

(i) स्थानीय स्तर पर उगाए गए खाद्य पदार्थ में आयोडीन की अल्पता होती है और ये आयोडीन की दैनिक आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाते हैं।

(ii) कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2009 के अनुसार, देश में परिवार स्तर पर पर्याप्त रूप से आयोडीनयुक्त नमक का उपभोग मात्र 71 प्रतिशत है। प्रतिदिन केवल 10 ग्राम आयोडीनयुक्त नमक का उपभोग ही आयोडीन की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(घ) आयोडीन अल्पता जन्य विकारों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार देश में बच्चों सहित संपूर्ण जनसंख्या के लिए एनआरएचएम के समग्र नियंत्रणधीन केंद्रीय सहायता प्राप्त राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता जन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य जिला आईडीडी सर्वेक्षण/पुर्नसर्वेक्षण करना, आयोडीन नमक के मानव उपभोग को बढ़ावा देना, नमक एवं मूत्र की प्रयोगशाला मानीटरिंग, स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार-प्रसार कार्य करना है। आयोडीन अल्पता जन्य विकार प्रकोष्ठ एवं आईडीडी मानीटरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने, जिला आईडीडी सर्वेक्षण करने केवल आयोडीन युक्त नमक के सेवन के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रचार-प्रसार हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन स्तर पर आयोडीनयुक्त नमक के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नमक आयुक्त के कार्यालय को निधियां प्रदान की जाती है।

स्ववित्तपोषित कालेजों में मेडिकल शिक्षा

2759. श्री के.पी. धनपालनः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्ववित्तपोषित मेडिकल कालेजों में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन मेडिकल कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति का मानकीकरण करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी किए गए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एक सांविधिक निकाय है जो देश में चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानक स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार के विधिवत अनुमोदन से इस संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा बनाए गए विनियम भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों पर बाध्यकारी हैं चाहे वे सरकारी हो अथवा निजी हों अथवा स्ववित्तपोषित हों।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति का मानकीकृत करने के लिए "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता विनियम, 1998" जारी किए हैं।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्वास्थ्य परियोजनाओं में भ्रष्टाचार

2760. श्री अघलराव पाटील शिवाजीः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री दुष्यतः सिंहः
श्री धमेन्द्र यादवः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्व बैंक को 2006 में प्रारंभ की गयी विस्तृत क्रियान्वयन समीक्षा (डीआईआर) में अपनी वित्तपोषित कतिपय स्वास्थ्य परियोजनाओं में एचआईवी/एड्स मलेरिया तथा तपेदिक उन्मूलन में गंभीर जालसाजी और भ्रष्टाचार का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इन स्वास्थ्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनमें पाई अनियमितताओं की राज्य-वार/संघ-राज्यक्षेत्र-वार प्रकृति क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विस्तृत जांच करायी गयी है/कराये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जी, हां। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1 मामला सं. (आरसी) 2 (ई)/2010 ई ओ यू VII दिनांक 01-04-2010 वर्ष 2003 और 2004 के दौरान मैसर्स ग्लोबल स्पिन वीव लिमिटेड, गाजियाबाद ने मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकोनामिक सर्विस लिमिटेड (राईट्स) के अज्ञात अधिकारियों के साथ एक आपराधिक षडयंत्र किया और जाली कार्य-निष्पादन प्रमाणपत्रों के बल के आधार पर मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बिस्तर मचछरदानियों के अधिप्रापण की आपूर्ति हेतु ओदश प्राप्त किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इसकी छानबीन की जा रही है।

2 मामला सं. (आरसी), 3 (ई)/2010 ई ओ यू-VII दिनांक 01.04.2010 मैसर्स ग्लोबल स्पिन वीव लिमिटेड, गाजियाबाद, ने वर्ष 1999 के दौरान मैसर्स होस्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कारपारेशन अज्ञात अधिकारियों के साथ एक आपराधिक षडयंत्र किया और जाली कार्य-निष्पादन प्रमाणपत्रों के बल के आधार पर प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य-I परियोजना के अंतर्गत फार्मास्युटिकल्स किटों की आपूर्ति के लिए आदेश प्राप्त कर लिए। छानबीन के पश्चात सीबीआई ने अदालत में समापन रिपोर्ट दायर कर दी है। यह मामला अदालत में जांच के अधीन है।

3 मामला सं. (आर सी) 3 (ई)/2010/ई ओ यू- IX दिनांक 01-04-2011, मैसर्स सिस्टोनिकस इंटरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड, (अम्बालाल साराभाई इंटरप्राइसिस लिमिटेड) ने वर्ष 2004 से 2006 के दौरान खाद्य तथा औषधि क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत निविदा देने के मामले में एचएससीसी के अज्ञात अधिकारियों के साथ एक आपराधिक षड्यंत्र किया और छह

फलेश फोटोमीटर्स के लिए निविदा में समापन रिपोर्ट दायर कर दी है। अदालत में इस मामले की जांच की जा रही है।

4 मामला सं. (आर सी) 4(ई)/2010/ई ओ यू-IX दिनांक 01-04-2010, मैसर्स केमिटो टैक्नोजोजिस प्राईवेट लिमिटेड से संबंधित, वर्ष 2004 से 2006 के दौरान खाद्य तथा औषध क्षमता निर्माण परियोजनाओं के अंतर्गत निविदा के मामले में एचएचसीसी के अज्ञात अधिकारियों के साथ एक आपराधिक षड्यंत्र किया और छह फलेम फोटोमीटर्स के निविदा में जाली/नकली कार्य- निष्पादन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। सीबीआई द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।

5 मामला सं.5 (ई)/2010/ई ओ यू-IX दिनांक 01-04-2010 संबंधित-मैसर्स एसएम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्राईवेट लिमिटेड ने वर्ष 2004 से 2006 के दौरान खाद्य तथा औषधि क्षमता निर्माण परियोजनाओं के अंतर्गत निविदा दिए जाने के मामले में एचएससीसी के अज्ञात अधिकारियों के साथ एक आपराधिक षड्यंत्र किया और छह फलेम फोटोमीटर्स के लिए निविदा में जाली/नकली कार्य-निष्पादन प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किए। सीबीआई द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है।

6 सीबीआई प्रारंभिक जांच सं. 071/2008 (ई) 0001 विश्व बैंक द्वारा डीआईआर में कर्नाटक राज्य एड्स नियत्रंण सोसाइटी द्वारा एनजीओं को अनुदान प्रदान करने के संबंध में रिश्वत और जालसाजी के आरोप निहित थे। चूंकि परिस्थितिगत साक्ष्य से जालसाजी पद्धतियों का पता चला, अतः मामला सीबीआई के पास भेजा गया जिसने तत्कालीन परियोजना निदेशक के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली। छानबीन के पश्चात सीबीआई का यह निष्कर्ष था कि तत्कालीन परियोजना निदेशक की ओर से एनजीओ के चयन और उसे कार्य/परियोजना प्रदान करने के मामले में तथ्यों तथा परिस्थितियों के कारण अनियमितताओं के शुरू होने का पता चला है और उसने पदाधिकारी के खिलाफ उपयुक्त समझी जाने वाली कार्रवाई करने की सिफारिश की है। कर्नाटक सरकार को सीबीआई की रिपोर्ट भेज दी गई है, जिसने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

7 सीबी प्रारंभिक जांच सं. 072/2008 (ई) 0001 विश्व बैंक द्वारा डीआईआर में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा एनजीओ को अनुदान प्रदान करने के संबंध में रिश्वत और जालसाजी के आरोप निहित है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य से जालसाजी का पता चला है। यह मामला सीबीआई को भेजा गया था जिसने तत्कालीन परियोजना निदेशक के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली। छानबीन के पश्चात सीबीआई ने यह निष्कर्ष निकाला यद्यपि, तथ्यों तथा परिस्थियों से तत्कालीन परियोजना निदेशक और अन्य अधिकारियों की ओर से अधिप्रापण और कार्यान्वयन के लिए फर्मो के चयन और उन्हें कार्य/परियोजना प्रदान किए जाने के मामले में अनियमितताएं इंगित होती हैं, तथापि एक नियमित मामला दर्ज करने के लिए सामग्री पर्याप्त नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार को सीबीआईकी रिपोर्ट भेज दी गई है जिसने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदयाः सभा मध्यान 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 1200 बजे पुनः समवेत हुई
(अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुई)

अध्यक्ष द्वारा बधाई

एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वीरेन्द्र सहवाग द्वारा विश्व रिकार्ड बनाए जाने पर उन्हे बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों, मैं अपनी ओर से और सभा की ओर से एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 219 रन बनाने पर, जो कि विश्व कीर्तिमान है, श्री वीरेन्द्र सहवाग को हार्दिक बधाई देती हूं।

इस जोशीले सलामी बल्लेबाज ने यह प्रशंसनीय उपलब्धि कल इन्दौर में वेस्टइंडीज के साथ हुए चौथे एक दिवसीय मैच के दौरान प्राप्त की। यह असाधारण उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है और हमारे देश के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है।

हम श्री वीरेन्द्र सहवाग को उनके भावी प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हम भारतीय क्रिकेट टीम को उसके अदभुत प्रदर्शन के लिए बधाई देते हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

अध्यक्ष महोदयाः अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगेः

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत मध्य-वर्षीय विश्लेषण-2011-12 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5437/15/11]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनिशा पटेल): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5438/15/11]

(ख) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5439/15/11]

(2) (एक) जवाहर लाल नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डवेलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर नेहरू एल्युमिनियम रिसर्च डवेलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5440/15/11]

(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 778 (अ) जो 21 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अंतर्गत विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट के पक्ष में लौह अयस्क के लिए उत्तर पूर्व ब्लॉक रेंज, संदूर तालुक, बेल्लारी जिला, कर्नाटक में एक क्षेत्र को आरक्षित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5441/15/11]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): अध्यक्ष महोदया मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) सेन्ट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 और 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5442/15/11]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): अध्यक्ष महोदया श्री एस.एस पलानीमनिकम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5443/15/11]

(ख) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई के वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5444/15/11]

(ग) (एक) ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5445/15/11]

(घ) (एक) जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रंक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5446/15/11]

(ङ) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5447/15/11]

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 30 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/22/27668 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5448/15/11]

(दो) भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 17 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011 12/19/26273 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5449/15/11]

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2011 जो 16 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/16/26150 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निगम के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 16 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011 12/18/26/48 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 16 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2011/12/18/ 26149 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5450/15/11]

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 2011 जो 21 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 771 (अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5451/15/11]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2045 (अ) जो 6 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 के खण्ड 45 के प्रयोजनों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यरत तथा सेवानिवृत चेयरमैन और सदस्यों के भत्तों और परिलब्धियों को निर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5452/15/11]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) सा.का.नि. 712 (अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें वर्ष 2011-2012 के लिए ऑल इंडस्ट्री रेट्स ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक को अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का. नि. 787 (अ) जो 28 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर 2011 की अधिसूचना संख्या 68/2011-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर ड्रॉबैक (संशोधन) नियम, 2011 जो 22 सितम्बर 2011 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 713 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 2270 (अ) जो 30 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर ब्रास स्क्रैप (सभी श्रेणियों के) तथा पॉपी सीड्स संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का. आ. 2364 (अ) जो 14 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 2444 (अ) जो 27 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यात माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का. आ. 2470 (अ) जो 31 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 2579 (अ) जो 15 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 2244 (अ) जो 28 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यात माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5453/15/11]

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 2010 जो 2 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एडमिन/एफ-49/3241 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र जो 3 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 181 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5454/15/11]

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का. नि. 676 (अ) जो 13 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा 18 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 16/2011 के उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 2011 जो 14 सितम्बर 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 677 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सेनवैट क्रेडिट (चौथा संशोधन) नियम, 2011 जो 14 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 678 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5455/15/11]

(8) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी तीन और श्रेणी चार कर्मचारी (प्रोन्नति) संशोधन नियम, 2011 जो 21 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 779 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5456/15/11]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.जी. वेणुगोपाल): अध्यक्ष महोदया, मैं कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1. (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5457/15/11]

2. (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5458/15/11]

3. (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5459/15/11]

4. (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5460/15/11]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): अध्यक्ष महोदया मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य संव्यवहारों की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 जो 1 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 2-15015/30/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, टॉक्सीन और अपशिष्ट) विनियम, 2011 जो 1 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 2-15015/30/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 जो 1 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 2-15015/30/2010 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5461/15/11]

(चार) भारतीस खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कार्य के संव्यवहार के लिए पद्धति) विनियम, 2010 जो 10 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ संख्या 1-61/ एफएसएसए/2009-डीएफक्यूसी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के लिए पद्धति) विनियम, 2010 जो 10 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 1-61/एफएसएसए/2009-डीएफक्यूसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपुर्यक्त (16) की मद संख्या (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5462/15/11]

(3) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5463/15/11]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिवः अध्यक्ष महोदया मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी हैं:-

" राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 8 दिसम्बर 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. अध्यक्ष महोदया, मैं 8 दिसम्बर 2011 को राज्य सभा द्वारा यथापारित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक, 2011 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न $12.03^1/_2$ बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

(एक) 48वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): अध्यक्ष महोदया, मैं लोकपाल विधेयक, 2011 के बारे में कर्नाटक, लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का अड़तालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

*सभा पटल पर रखा गया।

(दो) साक्ष्य

श्री पिनाकी मिश्राः अध्यक्ष महोदया, मैं लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष लिए गए साक्ष्य को सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.03$^{3}/_{4}$ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-2010) के संबध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यन्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश के अनुसार खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 9वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वित पर यह विवरण दे रहा हूं।

कोयला और इस्पात सम्बन्धी स्थायी समिति की 9वीं रिपोर्ट 7.12.2010 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई जो वर्ष 2009-10 के लिये खान मंत्रालय की अनुदान मांगों के लिये थी। इस पर की गई कार्यवाई 25.5.2011 को समिति कार्यालय भेज दी गई है। समिति की 9वी रिपोर्ट में पांच सिफरिशें थीं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई अपेक्षित थी।

कार्यान्वयन की स्थिति मेरे विवरण के अनुलग्नक-1 में दी गई है जो कि सदन के पटल पर रखा गया है अनुलग्नक पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय न लेकर मैं अनुरोध करूंगा इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय आपकी अनुमति से मैं सोमवार 12 दिसंबर 2011 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं जोकि इस प्रकार हैः-

1. आज की कार्य सूची से अधिशेष सरकारी कार्य मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करनाः-

   (क) संविधान एक सौ ग्यारहवां संशोधन विधेयक 2010

   (ख) केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2011 और

   (ग) पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011।

3. वर्ष 2011-12 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेलवे) पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुनःस्थापन विचार और पारित करना।

4. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करनाः

   (क) चाटर्ड अकाउण्टेण्ट (संशोधन) विधेयक, 2000;

   (ख) लागत और संकर्म लेखापाल संशोधन विधेयक, 2010; और

   (ग) कंपनी सचिव संशोधक विधेयक, 2011।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक 2010 पर विचार तथा पारित करना

अध्यक्ष महोदयाः अब सदस्यों द्वारा निवेदन।

श्री पन्ना लाल पुनियाः उपस्थित नहीं।

शेख सैदुल हकर (बर्धमान दुर्गापुर)ः अध्यक्ष महोदया मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाएः

(क) रेल यात्रियों की सुविधा हेतु दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी (एस्केलेटर) स्थापित करने की आवश्यकता लाखों दैनिक रेल यात्री दुर्गापुर रेलवे स्टेशन का प्रयोग करते हैं जिसमें बड़ी संख्या में वृद्ध तथा शारीरिक रूप से विकलांग

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एलटी 5464/15/11।

व्यक्ति शामिल है। अतः मैं रेलवे से अनुरोध करता हूं कि दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर शीघ्र ही स्वचालित सीढ़ी स्थापित करें।

(ख) वर्धमान रेलवे जंक्शन पर उस स्थान के महत्व के कारण राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव दिये जाने की आवश्यकता। यह न केवल तीन सीमावर्ती जिलों को जोड़ता है बल्कि एक विश्वविद्यालय एक चिकित्सा महाविद्यालय और एक प्रौद्योगिक संस्थान होने के कारण शिक्षण केन्द्र भी है।

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम अवले (लातूर): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषय को अति महत्वपूर्ण कार्यसूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें:-

1. कोल्हापुर-पुणे हाई-स्पीड इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रातः छः बजे से चलाई जाए।

2. हातकनगले रेलवे स्टेशन पर सर्व सुविधाएं वेटिंग रूम एवं पुरुष-महिला के प्रसाधन गृह की व्यवस्था जरूरी है।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए:

1. लागत मूल्य के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने से बदहाली झेल रहे कपास उत्पादक किसानों को कम से कम छह हजार रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए सरकार तत्काल घोषणा करे।

2. वन बहुल क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तथा पर्यावरण स्वीकृति तत्काल नहीं मिलने से मूल्यवर्धित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार विशेष पैकेज के अंतर्गत धनराशि का एकमुश्त आवंटन सुनिश्चित करे।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित विषय को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा के मोडासा रेलवे स्टेशन पर गुड्स रेक प्वाइंट सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

2. अहमदाबाद से उदयपुर के बीच स्वीकृत अमान परिवर्तन (ब्रॉडगेज) की योजनाओं को प्राथमिकता देकर तथा उसमें आवश्यक व्यय राशि को तुरंत जारी करके अमान परिवर्तन का कार्य तत्काल शुरू किया जाए।

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): अध्यक्ष महोदया, लोक सभा की आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए

1. पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर-सोनवर्षा कचहरी के बीच रेलवे ढाला संख्या-17 सी, एन.एच.-107 पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए।

2. पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत खगड़िया-उमेशनगर के बीच रेलवे ढाला संख्या-24 बी. पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किए जाने की व्यवस्था की जाए

1. मेरे संसदीय क्षेत्र गिरिडीह में स्थित चन्द्रपुरा जंक्शन का समपार धनबाद डी.आर.एम. द्वारा बंद करा दिया गया है। इस पर लगभग तीस वर्षों से आम जनता का आवागमन था एवं इससे करीब 40 हजार जनता प्रभावित है। अतः इसे अतिशीघ्र चालू कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

2. मेरे संसदीय गिरिडीह में स्थित पूर्व मध्य रेलवे के फुसरो रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है एवं धनबाद रेलवे स्टेशन की वी.आई.पी. पार्किंग बंद है। इन दोनों को अतिशीघ्र चालू कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। धन्यवाद।

श्री मकनसिंह सोलंकी (खरगौन): महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाये:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र खरगौन (बड़वानी): जो कि एक आदिवासी क्षेत्र है, मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों में हो रहे भारी भ्रष्टाचार की उच्च-स्तरीय जांच कराने तथा इस आदिवासी क्षेत्र की अधूरी एवं टूटी सड़कों के पुनः निर्माण के लिए शीघ्र आवश्यक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र खरगौन-बड़वानी जिलों में खाद की भारी कमी के कारण किसानों में व्याप्त भारी रोष को देखते हुए केन्द्र द्वारा उक्त जिलों के लिए तुरंत 3500 टन खाद की आपूर्ति किए जाने तथा उन जिलों में मिल रही नकली खाद पर रोक लगाये जाने तथा उसकी जांच कराये जाने की आवश्यकता।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदया, कृपया लोक सभा की आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को शामिल करने की कृपा करें:

भारत-रत्न बाबासाहेब अम्बेडकर ने जहां अन्तिम सांस ली, उस 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली को एन.डी.ए. सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। मैं वर्तमान केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पवित्र स्थल को राष्ट्रीय स्मारक मानते हुए उसके निर्माण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करे। धन्यवाद।

अपराह्न 12.12 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

भारत में मुद्रास्फीति की स्थिति-*जारी*

अध्यक्ष महोदया: अब सभा मद संख्या 15 पर चर्चा करेगी।

***श्री प्रहलाद जोशी** (धारवाड़): आज हम चर्चा की कड़ी में महंगाई और खाद्य मुद्रास्फीति पर एक और चर्चा करने जा रहे है। हर राज में कार्यवाही-वृतान्त में चर्चा ही चर्चा हुई है। यह सरकार प्रतिपक्ष के भाषण सुन रही है और इस मामले पर दिखाया गया गुस्सा और उनकी भावना तथा उपेक्षा और निराशा इस सरकार को जगाने में पूरी तरह असफल रही है। जोकि लगातार घोर चिंता में या तो है या होने का बहाना कर रही है। इस सरकार ने ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर अपनी समस्त संवेदनशीलता खो दी है जिससे प्रत्येक आम आदमी पीड़ित है।

यह पहली बार नहीं है कि भारतीय जनसाधारण खाद्यान्नों और अन्य अनिवार्य वस्तुओं की महंगाई की मार झेल रहा है पिछले वर्ष के दौरान लगभग इसी समय खाद्यान्नों के मूल्य आसमान छू रहे थे और खाद्य मुद्रा स्फीति दोहरे अंक अर्थात 18% से 20% तक पहुंच गई और चावल का मूल्य 40 रुपए प्रति किलो तथा दाल का मूल्य 100 रुपए प्रति किलो हो गई। यहां तक कि मेरे राज्य में गरीब आदमी के खाद्यान्न अर्थात ज्वार और रागी पहुंच से बाहर हो गया यहां तक गरीब आदमी का भोजन चावल और दाल उनके लिए विलासिता की वस्तु बन गये है।

सरकार इस ज्वलंत मुद्दे से निपटने के लिए इस तर्क का सहारा ले रही है कि मुद्रास्फीति और महंगाई में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय हालात और वैश्विक मंदी आदि है हमारे अर्थशास्त्रों प्रधान मंत्री यह कहते रहते है कि ऐसा देश जो तेजी से विकसित हो रहा है और वर्ष दर वर्ष आर्थिक विकास हासिल कर रहा है महंगाई की मार झेलने को तैयार है और मुद्रास्फीति झेलने को तैयार है और मुद्रास्फीति बढ़ती अर्थव्यवस्था की अवश्यंभावी विशेषता हो उनके ये शब्द केवल सात्वना देने वाला है। वे किस प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं क्या वे उस विकास की बात कर रहे हैं जो हमारे देश में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को और अधिक विशेषाधिकार दे रहे हैं जो इस बात का आवश्वासन देकर वंचित तथा विशेषाधिकार रहित वर्ग को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दे रहे है कि वे शीघ्र ही विकास की कहानी का हिस्सा होंगे जिसे सरकार केवल महसूस करने के लिए खाका खीच कर रही है कि यह केवल विकास की कहानी नहीं है बल्कि यह गरीबों जैसी त्रासदी है क्योंकि इस विकास का परिणाम या तथाकथित विकास का लाभ केवल हमारे संपन्न लोगों द्वारा ही उठाया जायेगा।

कल हमारे वित्त मंत्रीजी चर्चा में हमारी प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमाजी के भाषण में हस्तक्षेप करते हुये इस बात पर जोर देकर कहा कि खाद्य की मुद्रास्फीति 9% से घटाकर 6.80% हो गई है तथा कोई खाद्य मुद्रास्फीति नहीं है। लेकिन आप लौटकर उपभोक्ता की समझ में मुद्रास्फीति को समझना एक बात है तथा वस्तुओं की गिरती प्रवृत्ति को समझना इस सरकार की समस्याओं को मैं समझता हूं कि बात यह है कि सांख्यिकी के आधार पर अर्थव्यवस्था को समझती है और सांत्वना देती है तथा शेष लोगों को संतोष हो जाता है कि महंगाई कम हो गई है। मै यह सुझाव देता हूं कि माननीय मंत्रीजी एक ओर खाद्य मुद्रास्फीति के आकड़ो को देखते हुए तथा दूसरी ओर किराने जैसी आवश्यक वस्तुओं की सूची को लेकर एक आम उपभोक्ता के रूप में बाजार जाए और इस बात को समझने का प्रयास करे क्या यह 6.8% मुद्रास्फीति की दर का बाजर में मूल्यों पर कोई प्रभाव है। जैसा कि अनेक वक्ताओं द्वारा इस बात की ओर सही में इंगित किया गया है कि यह साधन व्यस्त अर्थ शास्त्रीय शब्दो में केवल अस्थायी रूप से राहत है।

इसलिए सरकार घटती मुद्रास्फीति पर संतोष न करे तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए महंगाई की समस्या से निपटाने में वास्तव में अधिक ध्यान दें। मेरे अनुसार सरकार को आपदा या विपदा के रूप में महंगाई से निपटने का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि मेरी राय में महंगाई वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था के लिए आपदा जैसी हो

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सकती है और यह एक बुराई है। इसे बिलकुल आसानी से समझा जा सकता है क्योंकिं यह मांग और आपूर्ति के सिद्धान्त पर आधारित है और यह सरलता से समझी जा सकती है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और प्रति व्यक्ति आय में प्रतिवर्ष यथोचित रूप से बदलाव आया है और हम 8 या 9% की वृद्धि दर्ज कर रहे हैं यद्यपि कृषि उत्पादन उम्मीद के अनुरूप नहीं है लेकिन हम अभी भी घरेलू खपत के लिए पर्याप्त खाद्यान्न पैदा कर रहे है। देश के कुछ भागों में बाढ़ और सूखे के बावजूद हमारे यहां भारी फसल हुई है। सरकार ने खाद्यान्नों की खरीद कर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है हमारे एफ सी आई के गोदाम भरे पड़े हैं हमारा औद्योगिक उत्पादन अपनी वृद्धि बनाए हुए है हमारे पास भूमि और रेलवे दोनों एक सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली है। रेलवे अधिक प्रचालनात्मक अनुपलब्ध तब भी एक बहुत ही सुव्यवस्थित माल माड़ा दर बनाए हुए है। बुनियादों ढांचे का विकास हो रहा है।

अतः समस्या कहां आड़े आती है इस व्यवस्था में हाशिए पर रखना एक आम आदमी एक मामूली प्रश्न पूछता है कि इतनी समृद्धि के बावजूद माल और वस्तुओं खाद्यान्नों और अन्य अनिवार्य वस्तुएं अभी भी उनकी पहुंच से बाहर क्यों है अब यह सरकार का दायित्व है कि वह इस आम आदमी के प्रश्न का जवाब दें।

अब मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विकास और मुद्रास्फीति की गिरती प्रवृति आदि के इस शब्दजाल से उबरे और राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कहने के बजाए पूरे देश में इसे सुचारू बनाए। काला बाजारियों और जमाखारों के कुत्सिन जाल को खत्म करें। किसानों से लेकर उपभोक्ताओं तक खाद्यान्नों के आवागमन में बिचौलिए पर सतकर्ता से अंकुश लगाए। यदि आवश्यक हो तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं। सभी गलत आयात और निर्यात नीतियों की समीक्षा करें। सभी सुधारवादी उपायों को बंद करे क्योंकि सुधार घरेलु-अर्थ व्यवस्था के हित में नहीं है और हमारे समाज के वंचित तबकों के लिए सुव्यवस्थित और सस्ते घरेलू बाजार की व्यवस्था करने का प्रयास करें।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया सर्वप्रथम मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए सभी माननीय सदस्यों की सराहना करता हूं।

इस सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित कर सरकार ने कहा था कि वह मुद्रास्फीतिक दबाव को नियत्रिंत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए और निदेशों के अनुसार सदन के शीतकालीन सत की शुरूआत के पहले ही दिन मैने सभा-पटल पर एक वक्तव्य देने के लिए अपने आप को तैयार किया क्योंकि मै यह मानता हूं कि सभा के प्रति मेरी यह जिम्मेदारी है कि मै सभा की सामूहिक राय के प्रति अपना उत्तर प्रस्तुत करू जो इस संकल्प में प्रतिबिम्बित हुआ है। दुर्भाग्यवश आज कल जो चल रहा है, मैं उस कारण से वक्तव्य नहीं दे पाया और मुझे यह सभा पटल पर रखना पड़ा। तत्पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस पर नियम 193 के तहत चर्चा करायी जाए और माननीय सदस्य श्री गुरूदास दासगुप्ता ने चर्चा का आरंभ किया और बड़ी संख्या में सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया।

आरंभ में, मै इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में संसदीय मंच पर महंगाई के बारे में चर्चा एक आम बात है क्योंकि महंगाई सभी विकासशील देशों में समान रूप से विद्यमान है मुझे एक भी ऐसे संसदीय सत्र का स्मरण नहीं है जिसमें मुद्रास्फीति दबाव पर चर्चा न की गयी हो।

विभिन्न मुद्दे उभर कर सामने आए हैं और निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया के दौरान में इन मुद्दों का उत्तर देने और सरकार का मत प्रकट करने का प्रयास करूगा परंतु इससे पहले महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि जब हम मुद्रास्फीतिक दबाव मूल्यवृद्धि पर चर्चा कर रहे होते हैं तो हमे न केवल देश की अर्थव्यवस्था अपितु विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। कुछ लोग रूढ़िवादी तरीके से यह टिप्पणी कर सकते हैं कि हमें विश्व अर्थव्यवस्था से क्या लेना-देना है। परंतु सच्चाई यह है कि कोई भी देश आज अकेले नहीं रह सकता किसी छोटे देश में भी जो होता है, या किसी देश के किसी हिस्से में कोई छोटी घटना होती है वह एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संकट में बदल सकती है वर्ष 2008 में वास्तव में क्या हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी कोने में कुछ बैंकिंग संस्थाओं ने अतिरिक्त लाभ के लिए आवास क्षेत्र में सब-प्राइम लेंडिंग में निर्णय लेने में गलती की। शीघ्र ही यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट में बदल गया जिसे विशेषज्ञों ने गत शताब्दी के 1930 की महान मंदी के समान बताया है। इसलिए इस परिदृश्य में आज जब हम संसद में इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस संसद में जो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 1.2 बिलियन से अधिक जनसंख्या की संसद है उस देश की संसद में जहां 1.8 ट्रिलियन मूल्य डॉलर की अर्थव्यवस्था है वहां हम विश्व के अन्य हिस्सों में घटित हो रही घटनाओं की ओर से आंख नहीं मूंद सकते। जब विश्व अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे विकास करने लगी तभी अचानक हमने पाया कि एक बार फिर से उथल-पुथल हो गयी है यूरोजोन संकट अभी भी चल ही रहा है निश्चित रूप से हमारा ग्रीस या स्पेन या पुर्तगाल के उच्च सार्वभौमिक ऋण से कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि हमारे बैंकों का भी वहां अधिक कारोबार नहीं हैं। परंतु यदि यह पूरे यूरोजोन को हिला देता है जो कि सर्वाधिक

शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, जब उनकी सरकारी बांड कीमत से कम आंकी जा रही है, तो हम इनके प्रतिकूल प्रभाव की अपेक्षा नहीं कर सकते। जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था द्वारा किए गए बड़े प्रयासों के बावजूद मोर्गन स्टेनले की नवीनतम भविष्यवाणी के अनुसार इस कैलेंडर वर्ष के पहले तीन तिमाहियों के लिए भी न तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था और न ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ठीक होने की कोई संभावना नजर आ रही है। इसलिए इस परिदृश्य में हमे समग्र स्थिति की चर्चा करनी पड़ेगी। मैं यह केवल मुद्रास्फीति को नियत्रिंत करने के संदर्भ में नहीं परंतु सभी देश जो मुख्य आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं उस संदर्भ में कह रहा हूं और हमें इस सभा की सामूहिक समझदारी से उन चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। इस सभा को राजनीतिक दलों की सीमाओं से परे जाकर संगठित प्रयास करने होंगे । हम जहां भी बैठे हो चाहे सत्ता पक्ष में या विपक्ष में यह बहुत मायने नहीं रखता देश का हित और लोक हित सर्वोपरि हां जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। हां विभिन्न स्त्रोतों की राय में भिन्नता हो सकती है: दृष्टिकोण में भिन्नता हो सकती है परंतु सामूहिक इच्छा समस्या के समाधान की है और इस देश की गरीबी, अशिक्षा, अभाव और बीमारियों से दूर ले जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इस पर कोई मत भिन्नता नहीं है।

अब मैं विनिर्दिष्ट पर आता हूं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात करते हैं तो हमारी बात को गलत कहकर खारिज कर दिया जाता है यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष ने भी यह किया है। मैं उनके वक्तव्य और भाषा के उपचार पर अधिकार की हमेशा प्रशंसा करता हूं। और कई बार मैं उसका लाभ उठाता हूं हालांकि मुझे उतनी अच्छी हिन्दी नहीं आती है। परंतु उन्होंने भी कहा "हमारे लिए इसका क्या महत्व है? तेल के मूल्यों को छोड़कर अन्य किन अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है जिससे हम संबंधित हैं? मै उन्हें बस कुछ वस्तुओं के नाम बताउंगा जिससे हमारा हित महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है यदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होती है तो इससे हमारी अर्थव्यस्था प्रभावित होगी। इसका स्फीतिक दबाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डी ए पी के मामले को ले। हम डी ए पी का उत्पादन नहीं करते है। लगभग 100 प्रतिशत डी ए पी का आयात किया जाता है। यह एक वर्ष में 525 मिलियन डॉलर प्रति टन से बढ़कर 642 मिलियन डॉलर प्रति टन हो गया है। शत-प्रतिशत डीएपी के आयात के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं है यूरिया के मामले में यह 315 मिलियन डॉलर से बढ़कर 503 मिलियन डॉलर प्रति टन तक बढ़ गया है परंतु कोई प्रभाव नहीं है ....*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): यह निश्चित रूप से मीट्रिक टन में होगा।

श्री प्रणब मुखर्जी: मुझे खेद है। मिलियन टन में नहीं यह मीट्रिक टन में है।

हमने पॉम ऑयल में पर्याप्त सुधार किया है पॉम ऑयल की कीमतें 912 डालर के मुकाबले बढ़कर 1068 डॉलर प्रति टन हो गयी है। इस्पात जैसी महत्वपूर्ण धातुएं यह 235 डॉलर प्रतिटन से बढ़कर 271 डॉलर प्रति टन हो गयी है स्टील के रीबार की कीमत 530 डॉलर प्रतिटन से बढ़कर 640 डॉलर प्रति टन हो गयी है और स्टील वायर रॉड 670 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 790 डॉलर प्रति टन हो गया है। मैं कच्चे तेल की कीमत की बात नहीं कर रहा है।

कई बार मुझे श्री यशवंत सिन्हा से इर्ष्या होती है क्योंकि जब वे वित्त मंत्री थे तब तेल 24 और 25 डॉलर प्रति बैरल था और उनके कार्यकाल की समाप्ति के समय यह 36 से 37 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। कोई भी भारतीय वित्त मंत्री राहत महसूस करेगा यदि तेलों के अंतर्राष्ट्रीय दाम में कमी आती है क्योंकि तेल का एक बहुत बड़ा बिल भरना पड़ता है जोकि उभरती हुई तेल कंपनी की लागत से या राज्यसहायता देकर भरा जा सकता है। इसलिए इस पर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का भी प्रभाव पड़ता है।

अब मैं इस प्रश्न पर आता हूं कि हमने क्या कदम उठाए हैं। मांग और आपूर्ति में असंतुलन के अतिरिक्त अन्य कई कारणों से भी मुद्रास्फीतिक दबाव बढ़ा है है। कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृखंला में बाधा के कारण वर्तमान मुद्रास्फीतिक दबाव काफी बढ़ गया है। इसलिए यह देखना अधिक महत्वपूर्ण है कि कृषि उत्पादों के उत्पादन में सुधार के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं और यह सुनिश्चित करें कि इसका का परिणाम निकला है।

यह बताया गया है कि कृषि के विकास दर में कमी आ रही है। जी हां यह सही है। पिछले कुछ दिनों से कृषि क्षेत्र में विकास बीमा था। परंतु अब इसमें सुधार हो रहा है दसवीं योजना में यह 2.5 प्रतिशत था ग्यारहवीं योजना में यह कम होकर 2.4 प्रतिशत हो गया। ग्यारहवीं योजना के पहले चार वर्षों में यह सुधार बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया। 2010-11 में कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों में 6.6 प्रतिशत वृद्धि की उपलब्धि हासिल की। यह कम नहीं हो रहा है बल्कि थोड़ा बढ़ ही रहा है।

यह बताया गया कि हरेक व्यक्ति भूखा मर रहा है और खाने के लिए कुछ नहीं है।

[हिन्दी]

नमक लेकर रोटी खाने से भी नमक नहीं है, रोटी नही है, महंगाई हो गई।

[अनुवाद]

मैं इस मुद्दे पर आउंगा कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है। परंतु यदि उत्पादन की बात करें यदि कोई विकास नहीं हुआ कोई निवेश नहीं किया गया किसानों को कोई समर्थन मूल्य नहीं दिया गया तो कृषि विकास स्वंयमेव हो गया। हमारे कुल खाद्यान्न का उत्पादन 2004-05

के 198 मिलियन टन यहां यह मीट्रिक टन नहीं मिलियन टन से बढ़कर 241.56 मिलियन टन हो गया। यह बिना किसी प्रयास और बिना किसी कार्य को किए ही हासिल हो गया। इसलिए आप दावा कर सकते है ...*(व्यवधान)* मैंने सभी को चुपचाप सुना है।

मेरा अत्यंत विनम्र निवेदन यह है। आप हमेशा दावा कर सकते है और कह सकते है वित्त मंत्री जी यह पर्याप्त नहीं है। कृषि मंत्री जी और अधिक उपज हासिल करें। हम इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करेंगे। परंतु कृपया यह नहीं कहे कि कुछ भी नहीं हुआ है। एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा 'सबसे कम'। यह अच्छा है परंतु हम किसी स्कूली वाद-विवाद में सम्मिलित नहीं हो रहे। जब एक वरिष्ठ सांसद सात प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद को 'सबसे कम' बता रहे है तो क्या मै आदरपूर्वक पूछता हूं कि कब भारत ने सकल घरेलू उत्पाद में सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी? 1951 से 1979 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत था। 1980 के पूरे दशक के दौरान हमने 5 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर हासिल की।

मेरे पास उन तीन वर्षों की अवधि के आंकड़े हैं जब आप सत्ता में थे। बाद में जब आप छह वर्षों तक सत्ता में थे हमारे पास तब कि भी आंकड़े हैं। तत्पश्चात 1990 में यह 5.6 प्रतिशत था।

हां, मैं एक बार फिर मै श्री यशवंत सिन्हा या संभवतः श्री जसवंत सिंह को बधाई देना चाहता हूं कि हम 2003-04 में लगभग नौ प्रतिशत के विकास दर तक पहुंचे जो 2007-08 के वित्तीय संकट तक बना रहा। इसलिए यदि आप यह कहते है कि सात प्रतिशत विकास दर खराब है, मैं इसे स्वीकार करूगां। परंतु यदि आप यह कहते हुए शुरू करते हैं कि यह सबसे कम है वास्तविकता यह नहीं है। यह मेरा अत्यन्त आदरपूर्वक निवेदन है।

यह कहा गया था कि "आप मुद्रा स्फीति के लिए कार्य करते हो" जी हां मेरी आलोचना की गयी। अजीबो-गरीब टिप्पणियां की गयी जैसे कि

[हिन्दी]

फाइनेंस मिनिस्टर के पास जादू की छड़ी नहीं है बिल्कुल

[अनुवाद]

मेरे पास कोई जादू की छड़ी नही है परंतु उसी समय यदि में अत्यन्त आदरपूर्वक निवेदन करूं कि फरवरी 2010 से जब खाद्य मुद्रा स्फीति 22 प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक पहुंच गयी वही 25 नवम्बर, 2011 करे घटकर 6.6 प्रशित पर आ गयी। जी हां, इसमें लगभग 2 वर्षो का समय लग गया। परंतु इसे 6.6 प्रतिशत तक लाना संभव हुआ। मै केवल खाद्य मुद्रा स्फीति की बात कर रहा हूं मैं समग्र मुद्रा स्फीति की बात नहीं कर रहा हूं। समग्र मुद्रा स्फीति खतरनाक ढंग से दो अंकों के करीब है जिसे हमें कम करना होगा। परंतु मै खुश नहीं हूं हमें इसे और काफी कम स्तर पर लाना होगा और हमे इसे निरंतर आधार पर पांच से छह प्रतिशत के लगभग स्तर पर स्थिर रखना होगा आप इस तरह से बोल रहे है कि हमने उच्च मुद्रा स्फीतिकारी युग नहीं देखा हो पहले के एक वाद-विवाद में मुझे सलाह दी गयी थी-"वित्त मंत्री जी आपकी समस्या यह है कि आप विकास के प्रति बहुत अधिक सम्मोहित हैं आप मुद्रास्फीतिक दबाव को टाल रहे हैं विकास का हम क्या करेंगे? हम विकास को खाने नहीं जा रहे है"। ठीक है हम विकास को नहीं खा सकते।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा)**:** यह जो 6.6 परसेंट महंगाई दर आयी है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय फसल आयी हुई है और डिस्ट्रैस सेल इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि महंगाई दर जो नीचे आयी है, वह केवल मौसमी है। यह दर फिर से बढ़ेगी। अभी खेत में फसल आयी है, इसलिए सस्ता है। यही हमारा दुर्भाग्य है और इसी के चलते देश भर में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी:- मैं स्वीकार करता हूं कि यह एक मौसमी कारक है परंतु इसके समान ही एक मौसमी प्रतिकूल कारक भी है आप दोनों ही चीजे अपने पक्ष में नहीं रख सकते। मौसमी कारकों से ही कीमतें कम होती है तो मौसमी कारणों से कीमते बढ़ भी जाती है इसलिए आपको उक समग्र दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। मैं जो छोटी सी बात बताना चाहता हूं वह यह है कि विकास और मुद्रा स्फीति के बीच कोई समन्वय नहीं है। यही कारण है कि कम विकास दर में भी हमने उच्च मुद्रा स्फीति को देखा है। 1974-75 के मामले को देखें, उस समय मुद्रास्फीति की दर 25.6 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत भी। 1979-80 के दौरान पहली बार 1977 से 1980 तक पहली गैर-कांग्रेसी सरकार भी मुद्रा स्फीति की दर 17 प्रतिशत थी और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर (-)5.2 प्रतिशत थी। जी हां, यह तीन वर्षो के लिए मेरी सरकार का कार्य-निष्पादन था। जब जनता पार्टी 1976-77 में सत्ता में आयी-भारत में न्यूनतम मुद्रास्फीति का युग आया जो 2.5 प्रतिशत था। हमें 16 प्रतिशत में 17 प्रतिशत मुद्रास्फीति विरासत में मिली। 1981-82 में जब श्री वेंकटरमण वित्त मंत्री थे तो मुद्रास्फीति की दर 2.5 प्रतिशत तक आ गयी थी।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक: उस समय मुद्रा स्फीति की दर बहुत कम थी।

श्री प्रणब मुखर्जी: निःसन्देह वह इतना कम था जितना होना चाहिए यह उससे अधिक होना चाहिए था। यही कारण है कि मेरा यह कहना है कि इसे आपस में मिलाएं नहीं। हम विकास को छोड़ रहे हैं। हम मुद्रा-स्फीति को छोड़ रहे है। हम मुद्रा स्फीति की कीमत

पर विकास में रत है, यह ऐसा नही है। एक जो छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमे मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना होगा। हमें उच्च विकास दर के लिए जाना होगा। मैं यही मुद्दा सामने रखना चाहता हूं। यदि आप लम्बी अवधि को लेते हैं तो आप पायेंगे कि 2010-11 में मुद्रा स्फीति 9.6 प्रतिशत थी परंतु विकास दर 8.5 प्रतिशत थी

अब मै इस प्रश्न पर आ रहा हूं आप कृषि के लिए क्या कर रहे हैं? यह सुझाव दिया गया कि हमारे पास खाद्यान्न का बड़ा अतिरिक्त भंडार हैं। आप इसे वितरित क्यों नहीं कर रहे हैं?

अब आप देखे कि हम क्या वितरित कर रहे हैं। हमे अक्टूबर 2011 से सितम्बर, 2012 की अवधि के दौरान ओ एम एन एस ए के अंतर्गत 25 लाख तक गेहूं और 10 लाख टन चावल पहले ही वितरित कर चुके हैं। यदि सामान्य के आवंटन से अधिक है। महोदया महंगाई रोधी उपायों के रूप में 30 सितम्बर तक वितरण हेतु बी पी एस मूल्यों पर बीपीएल परिवारों हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 6.1.2011 को 25 लाख टन खाद्यान्नें का आवंटन किया जा चुका है क्यों कि यदि हम मुद्रास्फीति नहीं रोक सकते तो कम से कम हम समाज के वंचित तबकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्रदान कर उनकी रक्षा और बचाव कर सकते है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है, जिसके माध्यम से हम आज भी सर्वाधिक वंचित तबको को अनिवार्य वस्तु पहुंचा सकते हैं।

जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो मैं बीपीएल परिवारों की संख्या के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि तेंदुलकर समिति सही है या 'क' सही है या 'ख' सही है लेकिन जिस संख्या के आधार पर हम खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं; वह 1993-99 के गरीबी अनुमान के अनुसरण 2000 की आबादी को मानते हुए है, मौजूदा बीपीएल परिवार 6.52 करोड़ है इसमें से 2.44 परिवार स्थाई हैं। वे कुल 35 किलोग्राम अनाज 2 रूपए प्रति किलो ग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपए किलोग्राम की दर से चावल के पात्र हैं। लेकिन आप इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये वस्तुए 6,00,000 से अधिक गांवों और 8,000 नगरों तक पहुंचे? इस प्रयोजनार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के व्यापक नेटवर्क की आवश्यकता है इस बात पर बल दे रहे हैं हम अपनी जिम्मेदारी से नही भा रहे है।

मैंने उनसे कहा है कि हां आप इसका निर्माण करने का प्रयास करेंगे और आप हमे बताएं कि आप क्या चाहते है। एपी एम सी के अंतर्गत किसान खुदरा विक्रेताओं को सीधे बेच सकते हैं। एपीएमसी अधिनियम को कौन संशोधित कर सकता है? क्या संसद इस अधिनियम को पारित कर सकती है? यदि राज्य सरकारें पहल नहीं करती हैं तो क्या हम कर सकते हैं? मैं बुनियादी ढाचे के बारे में जानता हूं। जिसे सृजित किया जाना है। लेकिन जब मैं मूक्तभोगी हूं, तो मैं इस दर्द को सही में समझता हूं कि सरकार ने गोदामों को किराए पर लेने को बंद कर दिया है सरकार के पास भण्डारण क्षमता है। सरकार के पास गोदाम है, लेकिन उन्होंने इसे किराये पर लेना बंद कर दिया है और इसके बाद में हमे भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए गंभीरता से प्रायास करता पड़ा और इसमें समय लगा है। यह रातोरात नहीं बन सकता है। 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की क्षमता 279 लाख टन थी। यह 1-4-2004 को घटकर 236 लाख दो गयी क्योंकि 33 लाख टन भंडारण की क्षमता वाले गोदाम स्थानों की किराए पर लेना बंद कर गया। तत्पश्चात, हमें पुनः इसका निर्माण करना है। हमने ऐसा करना शुरू कर दिया है। 1/4/2004 से एफ सी आई ने 47.85 लाख टन की भंडारण क्षमता वाले ढके गोदामों का इजाफा किया है और 01/01/2011 को कुल भंडारण क्षमता 298. 38 लाख टन की हो गयी है यह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किसानों के उत्पादों को बर्बाद होने से बचाने के लिए भंडारण सुविधा चाहते हैं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्यः यह गांव में जाकर बोलिए।

श्री प्रणब मुखर्जीः मैं गांव से ही आता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र भी गांव ही है। मैं आपको इन्वाइट करता हूं कि मेरे गांव आइए।

[अनुवाद]

पांच से छह वर्षो तक, मैं उच्च विधानसभा जाने हेतु खेतों में पांच किलोमीटर तक पैदल चला। मुझे मत बताइए कि गांव क्या होता है जब बहुत सारे बिलकुल अलग माहौल में रहते वाले लोग बोलते हैं, तो मैं केवल हंस देता हूं ऐसा इसलिए है कि मैं जानता हूं कि गांव क्या होता है। मैं गांव से आता हूं। मैं गांव का लड़का हूं। स्तर तक मैं गांव में रहा, न कि कनाट प्लेस में। इसलिए मै जानता हूं... *(व्यवधान)* हां, वैश्विक गांव (ग्लोबल विलेज) क्योंकि पूरा विश्व एक गांव में तब्दील होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि समृद्धि और विकास साथ-साथ चलते है न कि अलग-अलग मै रबीन्द्रनाथ की रचनाओं को पढ़ता हूं, कृपया एक पंक्ति का स्मरण कीजिए .... *(व्यवधान)।* यह गीतांजली से नहीं है। आपने केवल गींताजलि के बारे में सुना है। अस्पृश्यता पर बात करते हुए यदि आप किसी को कम स्तर आंकते हैं तो आप यह न भूले कि वह आपको अपने स्तर पर ले जाएगा। आप ऊंचाई को नहीं छू सकते है जब आप किसी को

कमजोर आंकते हैं इसलिए मेरा मानना है कि हमे साथ-साथ तरक्की करनी चाहिए साथ-साथ विकास करना चाहिए साथ-साथ चलना चाहिए और इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एकजुट हों क्योंकि अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि इस महत्वपूर्ण आर्थिक संकट से उबरा जा सकता है। आज क्या आ रहा है?

आपने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप इसे छोड़ दें तो में इसे छोड़ने वाला हूं और न ही मैं इसे स्वीकार करता हूं। यह इस देश के लोगों के लिए है। मै जानता हूं कि आप उतावले हैं लेकिन आप ढाई वर्ष और इंतजार क्यों नहीं कर लेते? आपको कौन रोकता है? हम यहां स्वयं नहीं आए हैं। मेरे लगभग 40 वर्षों के संसदीय जीवन में, मैने आधे से अधिक समय विपक्ष में बैठा हूं। इसलिए किसी संसदीय प्रणाली में इन बातों को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम संसद शीर्ष और संप्रभु विधानमंडल को प्रदर्शनकारी मंच में बदल देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश की प्रणाली में विश्वास होगा? आप मुझे 14वीं लोक सभा में इस सत्र तक एक भी सत्र बदला है जो बिना किसी बाधा के चला हो? इसलिए आप हताश है इसलिए अब हमने न केवल चर्चा करने की रणनीति बनाई है, बल्कि हम किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं जो किसी विशेष नियम, किसी विशेष प्रस्ताव के अधीन चाहते हैं यहां चर्चा महत्वपूर्ण नहीं है चाहे वह स्थगन प्रस्ताव हो या नहीं। इसका बिलकुल स्पष्ट कारण है कि स्थगत के अपने नियम हैं। ये नियम किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हमने स्वंय बनाए हैं। अनगिनत बार, मैंने आपको कहा कि इन नियमों को बदल दीजिए। आप मालिक हैं नियम समिति के सदस्य बनिये और नियम को बदल दीजिए। यदि यह एक जीवंत मुद्दा है, जिसे स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत लाया जा सकता है सभा इसी तरह संचालित होगी। सरकार स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सदैव अनिच्छुक होती है इसलिए आप न केवल इस लोक सभा के कार्यवादी वृतान्त में पाएगे, बल्कि पंद्रहवीं लोक सभा में भी एक भी स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा नहीं की गयी है, जबकि अनगिनत संख्या में स्थगन प्रस्ताव लाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुमत वाली सरकार रही है लेकिन स्थगन बहुमत वाली सरकार रही है लेकिन स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया गया है क्योंकि सदस्यों ने निर्णय लिया है कि यदि हम सरकार को हठाना चाहते है तो हमे सीधे तौर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लाना चाहिए न कि स्थगन प्रस्ताव लाकर गोपनीय तरीके से, जब लोग तैयार न हो या सरकार के सामने निदंसा प्रस्ताव लाना चाहते हो। यह नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि नियम इसकी अनुमति प्रदान करता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इम इन मामलें को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।

तेल की कीमतों के बारे में किसी ने यह सुझाव दिया कि हम कराधान को क्यों नहीं छोड़ देते हैं। हम तेल क्षेत्र से कितना कर इकट्ठा करते हैं। विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाया कर एक साथ लिया गया, हालांकि मैने 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क छोड़ दिया और सीमा शुल्क को घटाकर शुन्य कर दिया तथा जून से लगभग 24,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ और यदि हम वर्ष 2011-12 का उदाहरण ले तो हमने 1,36,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। सभी 28 राज्य सरकारों ने एक साथ तेल क्षेत्र पर 89.000 करोड रुपए के कर लगाए हैं परंतु 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस 1,36,000 करोड़ रुपये में से एक तिहाई अर्थात 32 प्रतिशत जो कि लगभग 31,000 करोड़ रूपये की राशि बैठती है उसे राज्यों की अंतरित किया जाएगा और नियम परिणाम यह होगा कि तेल क्षेत्र पर कुल कराधान-1.36.000 करोड़ जमा 89.000 करोड़ रुपये जो 2,25,000, करोड़ रुपए बैठता है उसमें से राज्यों को 1,21,000 करोड़ रुपये मिलेगे और केंद्र को 1,04,000 करोड़ रुपये मिलेगे। क्या आप राज्यों को इसे छोड़ने की अनुमति दे सकते है? हम सब के राज्यों से ही आए है तथा राज्यों से आ रहे हैं।

किसी ने मुझसे पूछा कि हम राज्यों को सलाह क्यो नहीं देते हैं ताकि तेल के मूल्यों में कमी आए। मैं राज्यों को सलाह कैसे दे सकता हूं? राज्यों को समस्त कसे मिलेगा? क्या मैं उन्हे इस 121,000 करोड़ रुपये की राशि की क्षतिपूर्ति करने की स्थिति में हूं। यदि नहीं तो मैं उन्हे सलाह कैसे दे सकता हूं। मुझे बताइए कि तेल के मूल्यों में कमी कैसे लाई जा सकती है। मुझे बताइए कि इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। मैं आपके सुझाव स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। क्या हमें आप सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को बंद कर देना चाहिए? सम्मिलित कच्चे तेल के मूल्यों की वर्तमान दर के साथ 1,32,000 करोड़ रुपये कम रुपए प्रति वर्ष की होगी। 107 डॉलर प्रति बैरल की दर पर 132,000 करोड़ रुपये कर-वसूली होगी। इसलिए आशिंक रूप से इसे राजसहायता के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। राजसहायता देने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु हमने कई बार कहा है कि इस सभा में चर्चा और वाद-विवाद करने और ठोस सुझाव देने चाहिए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): कालेधन को वापस लाइए।

श्री प्रणब मुखर्जीः जब हम काले धन के मुद्दे पर चर्चा करेगे तो मैं उत्तर दूंगा? चिंता मत कीजिए।

इसलिए, यदि हम वास्तव में राजसहायता की समस्या का निवारण करना चाहते है तो हम एकजुट होकर यह क्यों नहीं पता लगाते हैं कि राजसहायता किन कतिपय क्षेत्रों को दी जा सकती है। हम राज सहायता की मांग क्यों कर रहे हैं। कुछ अन्य भी ब्याज माफी की मांग करेंगे हम कहीं राजसहायता की मांग करेंगे? तब विकास संसाधन कहां से आयेंगे? अन्य महत्वपूर्ण कार्यों हेतु खर्च की राशि कहां से आएगी? कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि संसद सामूहिक

रूप से निर्णय ले हमारे पास मंच है। स्थायी समिति सिफारिशों कर सकती है और सुझाव दे सकती है अन्य मंच भी हैं।

अब मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं कि आज उभर रही अंतिम तस्वीर क्या होगी। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अनुकूल हो तो शायद हम अधिक विश्वास के साथ कह सकते थे कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम और राजसहायता उपलब्ध कर सकते हैं और हम मुद्रास्फीति के दबाव के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु अधिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। परंतु मुझे अब आशा है कि यह प्रवृत्ति जारी रहती है और यदि यह वास्तव में सभी न लेकर और उतार-चढ़ाव न होकर खाद्य मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। मैं ऐसा किसलिए कह रहा हूं, इसका कारण यह है क्योंकि मैने निरंतर सात सप्ताहों के आंकड़ों पर ध्यान दिया है और इसमें थोड़ी गिरावट आई है।

ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं कि सरकार का राजस्व घट रहा है आज, लोक सभा में प्रश्न पूछा गया था और इसके अन्तर में आप पाएंगे कि यह कहा गया है कि अब तक धीमे में विकास के बावजूद सरकार का राजस्व नहीं घट रहा है मुझे नहीं मालूम कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में क्या होगा मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं परंतु अब तक प्रत्यक्ष कर राजस्व वृद्धि लगभग 22 प्रतिशत है और अप्रत्यक्ष कर इससे थोड़ा कम है। परंतु प्रत्यक्ष कर के संबंध में मेरा विचार है कि हमने सही निर्णय लिए हैं।

हमारी निवल राशि कम हो गई है, क्योंकि हमने पहले ही प्रतिदान आरम्भ कर दिया है। विभिन्न संसदीय समितियों ने यह कहा है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी सिफारिशें की है किः

> आयकर कर्मचारी अजीब है। आप हमसे कर वसूल करते हैं परंतु जो आपको देय नहीं है उसे लौटाया जाना चाहिए, अन्य उसे अनावश्यक रूप से रोक रहे हैं और मुझे मेरी धन राशि से वंचित कर रहे हैं जिसे मैने आयकर के रूप में आपको पूरे विश्वास के साथ दिया है। परंतु यह आपको देय नहीं है। क्योंकि मेरा कर बहुत कम है।

इसलिए मैने निर्णय किया है कि हम प्रतिदान पहले देंगे। इसके परिणामस्वरूप स्वंय गत वर्ष हमनें इस अवधि के दौरान लगभग 27,000 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष करों का प्रतिदान दिया। इस वर्ष हमने 68,000 करोड़ रुपये देना और हमने इस पहले ही देने का निर्णय लिया है इससे मेरे लिए नकदी प्रबंधन की थोड़ी समस्या उत्पन्न हुई और मुझे कुछ धनराशि उधार लेनी पड़ी।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने यह प्रश्न पूछा था आज आपने बाजार से 53000 करोड़ रुपये क्यों उधार किए हैं? इसका बड़ा कारण यह है कि यदि मैंने बड़ी मात्रा में दाताओं की अनदेखी कर के धनराशि रखी होती तो मुझे बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु मैं यह करना चाहता था और यह चुकता हो जाएगा परंतु आपने जिस समस्या की आशंका व्यक्त की है यह समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि विनिर्माण क्षेत्र में विकास 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत क्षमता 10 से 12 प्रतिशत नहीं होती है। अब यह कम है विनिर्माण क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है। यह इससे काफी कम है और इसके लिए हमें आत्मविश्वास जगाना होगा। मेरे विचार से संस्थाओं को कार्य करने और ऐसा अनुकूल महौल बनाना जहां निवेश आ सकें उसके लिए हमें सामूहिक रूप से आत्मविश्वास लाना होगा?

मैं कुछ दोहरा रहा हूं जो मैने पिछले वाद-विवाद में भी कहा था परंतु मेरा विचार है कि इसे दोहराना उचित है श्री यशवंत सिन्हा ने मुझे इंडिया टुडे के मुखपृष्ठ की तस्वीर दिखाई कि कुछ शीर्ष उद्योगपति "गुडबाय इंडिया हेलो वर्ल्ड" कर रहे हैं। अतः मैंने मजाक में कहा कि हम तस्वीर को बदल सकते हैं यदि आप और हम मेरा अर्थ है सभी राजनीतिक दल न कि व्यक्तिगत लोग सामूहिक रूप से कार्य करे और आत्मविश्वास जगायें कि हमारे प्रमुख आर्थिक मामलों पर चाहे हमारे विचारों में कितने ही मतभेद हों जिससे देश को लाभ होगा हम एक साथ कार्य करेंगे और आप देखेंगे कि आत्म विश्वास वापस आएगा और वही कहेंगे "टाटा वर्ल्ड होम स्वीट होगा" और वे भारत वापस आएंगे।

जी हां, मुद्रास्फीति का दबाव है। हम 25 प्रतिशत की मुद्रा स्फीति दर से निपट पाए थे। जब डाक्टर साहब ने वर्ष 1919 में पहली बार वित्तमंत्री के रूप में कार्यभर संभाला तो उन्हें पता था कि उस समय कितनी खराब स्थिति थी। तथापि हम राष्ट्र के सामूहिक दृढ़ निश्चय और सभी के सहयोग से इस से निकल सके। हां 1.2 बिलियन जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं जो निर्वाचित नेता है द्वारा ज्यादा इस पर बात पर निर्भर रहता है कि हम इस स्थिति से तथा उत्पन्न संकट से निपटने के लिये क्या करेंगे और देश को इस स्थिति से बाहर कैसे निकाल पायेंगे।

अध्यक्ष महोदया इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अब हम शून्यकाल शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, मैंने कल डिबेट शुरू की थी। आप मुझे बोलने दें, मंत्री यहां बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदया: हां, आप बोलिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं यह कह रही थी कि कल जिस समय मैं बोल रही थी तो ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैंठ जाइये, लीडर ऑफ अपोजीशन बोल रही हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: कल जिस समय मैं बोल रही थी तो प्रणव ने कहा कि मैं यही भाषण बार-बार सुन चुका हूं। ... *(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): हम वित्त मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट नही हैं, इसलिए हम सदन वाक-आउट कर रहे हैं।

अपराह्न 12.56 बजे

तत्पश्चात श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिकरण मामले पर विरोध दर्ज करते हुये हम सभा से वहिगर्मन करते हैं।

अपराह्न $12.56^1/_2$ बजे

इस समय श्री बसुदवे आचार्य, श्री गुरूदास दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। नेता प्रतिपक्ष बोल रही हैं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): महोदया हम विरोध में सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 12.57 बजे

इस समय डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: कल जिस समय मैं बोल रही थी तो प्रणव दा ने कहा कि मैं यही भाषण बार-बार सुन चुका हूं तो हमें आज यह उम्मीद थी कि प्रणव दा अपने उत्तर में कुछ नई बात कहेंगे, तरोताजा बात कहेंगे और आम आदमी को राहत देने वाली बात कहेंगे। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने अपना वही बासी, ऊबाऊ और पुराना भाषण दे डाला, वही घिसे-पिटे तर्क दिये, ग्रोथ और इंफ्लेशन की वही उलझी हुई कहानी दोबारा कह दी। आम आदमी को उनके आज के भाषण से कोई राहत नही मिली, इसलिए असन्तुष्ट होकर हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 12.58 बजे

तत्पश्चात् श्रीमती सुषमा स्वराज और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः श्री मिथिलेश कुमार-उपस्थित नहीं

डॉ. संजीव गणेश नाईक उपस्थित नहीं

श्री एस. एस. रामा सुब्बू

...*(व्यवधान)*

श्री एस. एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली): मै शून्य काल के दौरान अवलिम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं .... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अभी शून्य प्रहर शुरू हो गया है।

....*(व्यवधान)*

श्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं शून्य काल में अपनी संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर की महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं बोल रहा हूं। मैं अपनी सीट पर हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदया, हमने श्री एस.एम. कृष्णा के मुद्दे को उठाया है। श्री एस.एस कृष्णा के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ...*(व्यवधान)* हमने मूल्य वृद्धि के मामले पर सभा से बहिर्गमन किया। माननीय प्रधानमंत्री यहां हैं। हम मांग करते है कि विदेश मंत्री ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न $12.58^1/_2$ बजे

इस समय श्री शिवकुमार उदासी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आए और सभा-पटल के पास आकर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा और केवल श्री एस.एस. रामासुब्बू का वक्तव्य कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप जीरो ऑवर चलने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू: महोदया, किसानों तक पहुंचते-पहुंचते डीएपी और एम ओ पी का मूल्य पिछले दो तिमाहियों में लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गया क्योंकि रुपए के मूल्य में कमी के कारण फास्फोरिक एपिड जो एक मुख्य कच्चा माल है की कीमतों में वृद्धि हो गयी है। इसकी कीमत जो पहली तिमाही में 12500 रुपए प्रति टन थी अब तेजी से बढ़कर 18000 रुपए से 19000 रुपए प्रति टन हो गया है फॉस्फारिक एपिड की कीमतें जो चालू वित्त वर्ष में 980 मूल्य डॉलर प्रति टन थी बढ़कर 1080 यू एस डॉलर प्रति टन हो गयी। सामान्यतः डी ए पी, एम ओ पी और मिश्रित उर्वरकों की कीमत पिछले वर्ष की कीमतों की तुलना में दुगुनी हो गयी है।कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.00 बजे

तथापि अधिक कीमतों से मांग में कोई कमी नहीं आयी है और किसनों के पास उच्च कीमतों पर खरीद के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। मांग में यह तेजी जारी रहेगी परंतु आपूर्ति कम ही रहेगी। यद्यपि गैर-यूरिया उर्वरकों के बिक्री की मात्रा में कमी आयी है इसका कारण मुख्यतः आपूर्ति की कमी बतायी गयी है। किसानों की मुख्य चिंता यह है कि इन बढ़ी हुई कीमतों पर भी उर्वरक आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष के दौरान पर्याप्त मानसून भी किसानों को खुशी नहीं दे पाया क्योंकि उन्हें डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डी ए पी), पोटाश (एम ओ पी) और अन्य मिश्रित उर्वरकों के लिए अधिक कीमत अदा करने के लिए बाध्य होना पड़ा है. ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू: मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह डीएपी तथा अन्य उर्वरकों की कीमतों में तेजी से वृद्धि को रोकना और किसान समुदाय जो खाद्य सामग्री का उत्पाद करने में हमारे देश की बुनियाद है के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आपकी बात पूरी हो गई है, अब बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्री पी. टी. थॉमस को श्री एस.एस. रामासुब्बू द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सभा सोमवार 12 दिसम्बर, 2011 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की होती है।

अपराह्न 01.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 12 दिसम्बर, 2011/21 अग्रहायण, 1933 (शक) को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	221
2.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय श्री वैजयंत पांडा	222
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री धमेन्द्र यादव	223
4.	श्री अंजनकुमार एम. यादव श्री पी.आर. नटराजन	224
5.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री अर्जुन राय	225
6.	श्रीमती मेनका गांधी श्री हरिन पाठक	226
7.	श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	227
8.	डॉ. राजन सुशान्त	228
9.	श्री रूद्रमाधव राय श्री बृजभूषण शरण सिंह	229
10.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	230
11.	श्री के. सुगुमार	231
12.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	232
13.	श्री जोसेफ टोप्पो	233
14.	श्रीमती अन्नू टन्डन	234
15.	श्री पी. कुमार श्री अशोक तंवर	235
16.	श्री विलास मुत्तेमवार	236
17.	श्री हंसराज गं. अहीर श्री रमेश बैस	237
18.	श्री मनीष तिवारी	238
19.	श्री आनंदराव अडसुल श्री गजानन ध. बाबर	239
20.	श्री संजय सिंह चौहान श्री विजय बहादुर सिंह	240

आतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एन. विजयन	2564
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2694, 2760
3.	श्री आधि शंकर	2552
4.	श्री आनंदराव अडसुल	2694, 2760
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2537, 2711, 2730
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	2702
7.	श्री बदरूद्दीन अजमल	2569
8.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	2711
9.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2696
10.	श्री सुरेश अंगड़ी	2641
11.	श्री घनश्याम अनुरागी	2586, 2645
12.	श्री अशोक अर्गल	2616
13.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2598
14.	श्री गजानन ध. बाबर	2694, 2760
15.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	2572, 2588, 2628
16.	श्री रमेश बैस	2686
17.	श्री कामेश्वर बैठा	2600, 2716
18.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	2539, 2695, 2731, 2755

1	2	3
19.	श्री अम्बिका बनर्जी	2610
20.	डॉ. शफीुर्रहमान बर्क	2715
21.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	2661, 2708, 2714
22.	श्री अवतार सिंह भडाना	2646, 2695
23.	श्री ताराचन्द्र भगोरा	2583, 2751
24.	श्री संजय भोई	2696, 2699, 2700, 2701
25.	श्री उदयनराजे भोंसले	2697
26.	श्री समीर भुजवल	2574
27.	श्री पी.के बिजू	2714, 2722, 2736
28.	श्री भजन लाल	2580
29.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	2595, 2695
30.	श्री सी. शिवारामी	2550, 2690, 2697
31.	श्री हरीश चौधरी	2608
32.	श्री महेन्द्रसिंह पी.चौहाण	2694, 2708, 2714
33.	श्री दारा सिंह चौहान	2555
34.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2581
35.	श्री भूदेव चौधरी	2702
36.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2575, 2609
37.	श्री अधीर चौधरी	2604
38.	श्री खगेन दास	2619, 2621
39.	श्री गुरूदास दासगुप्त	2616, 2696
40.	श्रीमती जे. हेलेन डेविडसन	2622
41.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	2717
42.	श्रीमती रमा देवी	2659, 2679, 2696, 2703
43.	श्री के.पी. धनपालन	2599, 2655, 2759

1	2	3
44.	श्री सजय धोत्रे	2612, 2703
45.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2573, 2694, 2707, 2746, 2754
46.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2558, 2658, 2740
47.	श्री निशिकांत दुबे	2653
48.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2588, 2620
49.	श्री निनोंग ईरिंग	2668
50.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2655, 2713
51.	श्री एकनाथ महोदव गायकवाड	2696, 2699, 2700, 2701
52.	श्रीमती मेनका गांधी	2735
53.	श्री वरूण गांधी	2594, 2610
54.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	2631, 2696
55.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2635
56.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	2628, 2636, 2715
57.	श्री एल. राज गोपाल	2607, 2644
58.	श्री शिवराम गौडा	2680, 2712
59.	श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा	2640, 2683
60.	श्री महेश्वर हजारी	2537, 2705, 2709
61.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2560
62.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2659, 2679, 2704
63.	श्री बलीराम जाधव	2567, 2691, 2700
64.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2588, 2605, 2723
65.	श्री बद्रीराम जाखड़	2719
66.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2694, 2708
67.	श्री हरिभाऊ जावले	2676

1	2	3
68.	श्रीमती जयाप्रदा	2596
69.	श्री नवीन जिन्दल	2559, 2597, 2612, 2697
70.	श्री महेश जोशी	2605, 2726
71.	श्री प्रहलाद जोशी	2570, 2713
72.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	2571
73.	श्री पी. करूणाकरन	2601, 2709, 2710
74.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2660
75.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2547
76.	श्री लाल चंद्र करवारिया	2611, 2696
77.	श्री नलिन कुमार कटील	2609
78.	श्री रमेश विश्वनाथ	2607
79.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2649
80.	श्री चंद्रकांत खैरे	2678, 2696
81.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	2585, 2707
82.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2623, 2633
83.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	2634
84.	श्री मातोरराव सैनुजी कोवासे	2542, 2671, 2732
85.	श्री मिथिलेस कुमार	2667
86.	श्री विश्व मोहन कुमार	2656
87.	श्री पी. कुमार	2696
88.	श्री यशंवत लागुरी	2643
89.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2576, 2694, 2707, 2708, 2748
90.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2724
91.	श्री सतपाल महाराज	2633
92.	श्री नरहरि महतो	2718

1	2	3
93.	श्री प्रदीप माझी	2602, 2610, 2630
94.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	2609, 2710
95.	श्री मंगनी लाल मंडल	2703, 2711
96.	श्री जोस के. मणि	2687
97.	श्री हरि मांझी	2617
98.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	2681, 2725
99.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	2662
100.	श्री दत्ता मेघे	2589, 2611
101.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2553, 2611, 2617, 2696, 2720
102.	श्री महाबल मिश्रा	2663, 2718
103.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा	2642
104.	श्री पिनाकी मिश्र	2655, 2717
105.	श्री पी.सी. मोहन	2647
106.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2686
107.	श्री विलास मुत्तेमवार	2696
108.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2712
109.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	2610
110.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2654, 2706, 2669
111.	श्री जफर अली नकवी	2628
112.	श्री नारनभाई कछाड़िया	2554, 2708, 2737
113.	श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव	2613
114.	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	2626, 2628, 2666
115.	श्री संजय निरूपम	2671
116.	श्री असादूदीन ओवेसी	2548, 2658, 2695, 2697
117.	श्री पी. आर. नटराजन	2754

1	2	3
118.	श्री वैजयंत पांडा	2693, 2705
119.	श्री प्रबोध पांडा	2616, 2658, 2696
120.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2650, 2716,
121.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2565, 2742
122.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	2744
123.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	2632
124.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2696, 2699, 2700, 2701
125.	श्री देवराज सिंह पटेल	2639
126.	श्री देवजी एम. पटेल	2549
127.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2563
128.	श्री बाल कुमार पटेल	2674
129.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2602, 2610, 2630
130.	श्री संजय दिना पाटील	2614, 2706, 2669
131.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2557, 2739
132.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2588
133.	श्री सी.आर.पाटिल	2652, 2695, 2714
134.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2696, 2699, 2700, 2701
135.	डा. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	2691
136.	श्रीमती कमला देवी पटले	2719
137.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2533, 2729
138.	श्री नित्यानंद प्रधान	2693, 2705
139.	श्री प्रेमदास	2597
140.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2541, 2705
141.	श्री एम.के. राघवन	2611
142.	श्री बी. वाई. राघवेन्द्र	2712

1	2	3
143.	श्री अब्दुल रहमान	2640, 2670, 2683, 2720
144.	श्री रमाशंकर राजभर	2645
145.	श्री सी. राजेन्द्रन	2625
146.	श्री एम.बी. राजेश	2593
147.	श्री पूर्णमासी राम	2590, 2756
148.	श्री रामकिशुन	2649
149.	श्री जगदीश सिंह राणा	2545, 2610
150.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2556, 2694, 2697
151.	श्री जे.एम.आरून रशीद	2616, 2695
152.	श्री रामसिंह राठवा	2688
153.	श्री अशोक कुमार रावत	2544, 2733
154.	श्री अर्जुन राय	2692, 2696
155.	श्री विष्णु पद राय	2579, 2749
156.	श्री रूद्र माधव राय	2694, 2696, 2755
157.	श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी	2683
158.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2536, 2707, 2728
159.	श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी	2531, 2704, 2727
160.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2674, 2694, 2745
161.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2718
162.	श्री एस. अलागिरी	2926, 2703, 2721
163.	श्री एस. सेम्मलई	2592
164.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2578
165.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2627, 2697,
166.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2551, 2758
167.	श्री चन्दू लाल साहू	2720
168.	श्री ए. संपत	2657

1	2	3
169.	श्रीमती सुशीला सरोज	2537, 2709
170.	श्री हमदुल्लाह सईद	2566
171.	श्री अर्जुन चरण सेठी	2624
172.	श्री एम. आई. शानवास	2664
173.	श्रीमती जे. शांता	2534, 2553, 2753
174.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	2696, 2712
175.	श्री नीरज शेखर	2596, 2629, 2694
176.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2540, 2704
177.	श्री जे.एम. सिद्देश्वर	2532, 2587, 2712
178.	डा. भोला सिंह	2618
179.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2582, 2709, 2719, 2724, 2750
180.	श्री दुष्यंत सिंह	2615, 2760
181.	श्री जगदानंद सिंह	2600, 2694
182.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	2689
183.	श्रीमती मीना सिंह	2704
184.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2605, 2684, 2726
185.	श्री राधा मोहन सिंह	2651, 2712
186.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2682
187.	श्री यशवीर सिंह	2546, 2611
188.	श्री सुशील कुमार सिंह	2543, 2605, 2757
189.	श्री उदय सिंह	2584, 2656, 2752
190.	श्री यशवीर सिंह	2596, 2629, 2694
191.	श्री धनंजय सिंह	2698
192.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2637
193.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2675, 2721
194.	श्री उदय प्रताप सिंह	2696
195.	डॉ. संजय सिंह	2608, 2638
196.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2697, 2704
197.	डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2619, 2628, 2708
198.	श्री मकनसिंह सोलंकी	2603, 2610, 2702, 2709
199.	श्री के. सुधाकरण	2658
200.	श्री ई.जी. सुगावनम	2532, 2747
201.	श्री के. सुगुमार	2695, 2700, 2738
202.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2654, 2669, 2706
203.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2535
204.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2741
205.	श्री मानिक टैगोर	2591, 2635, 2655, 2724
206.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2734
207.	श्री मनीष तिवारी	2697
208.	श्री जगदीश ठाकोर	2538, 2611, 2707
209.	श्री अनुराग सिंह ठाकोर	2547, 2677, 2697
210.	श्री आर. थामराई सेलवन	2562, 2672
211.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2697
212.	श्री पी.टी. थॉमस	2606, 2681
213.	श्री मनोहर तिरकी	2609, 2698
214.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2707
215.	श्री लक्ष्मण टुडु	2577, 2638
216.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2537, 2705, 2709
217.	श्री मनसुखभाई	2588, 2605, 2643, 2704

1	2	3
218.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2672, 2694
219.	श्री सज्जन वर्मा	2561, 2719
220.	श्रीमती ऊषा वर्मा	2537, 2705, 2709
221.	श्री वीरेन्द्र कुमार	2685
222.	श्री अदगुरू एच विश्वनाथ	2673
223.	श्री पी. विश्वनाथन	2665
224.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2648
225.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	2711

1	2	3
226.	श्री अजंन कुमार एम. यादव	2723
227.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2553, 2694, 2760
228.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	2637, 2692
229.	श्री ओम प्रकाश यादव	2722
230.	प्रो.रंजन प्रसाद यादव	2626
231.	श्री अरूण यादव	2690
232.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2568, 2723, 2743
233.	योगी आदित्यनाथ	2629, 2654, 2679

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	224, 228, 229, 232
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	222, 231, 235, 236, 237, 238, 239, 240
खान	:	
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	
पंचायती राज	:	
विद्युत	:	221, 230
पर्यटन	:	226, 227, 233
जनजातीय कार्य	:	234
महिला और बाल विकास	:	223, 225

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	2537, 2539, 2540, 2544, 2547, 2548, 2550, 2551, 2552, 2555, 2561, 2568, 2569, 2572, 2573, 2575, 2580, 2584, 2587, 2593, 2595, 2597, 2602, 2604, 2605, 2607, 2608, 2616, 2617, 2620, 2625, 2629, 2631, 2636, 2637, 2641, 2651, 2658, 2659, 2662, 2671, 2675, 2680, 2683, 2684, 2685, 2686, 2689, 2691, 2692, 2693, 2695, 2696, 2697, 2698, 2700, 2701, 2702, 2704, 2709, 2710, 2711, 2712, 2717, 2718, 2720, 2722, 2723, 2726, 2727, 2740, 2741, 2745, 2746, 2751, 2753, 2757,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2532, 2533, 2538, 2543, 2557, 2559, 2561, 2562, 2563, 2566, 2574, 2578, 2582, 2586, 2588, 2589, 2590, 2596, 2598, 2599, 2606, 2610, 2611, 2612, 2613, 2618, 2619, 2621, 2626, 2628, 2632, 2633, 2634, 2638, 2640, 2645, 2649, 2650, 2654, 2657, 2660, 2661, 2665, 2666, 2667, 2669, 2672, 2674, 2676, 2679, 2690, 2694, 2713, 2714, 2715, 2721, 2725, 2730, 2731, 2735, 2737, 2738, 2739, 2743, 2747, 2750, 2755, 2756, 2758, 2759, 2760
खान	:	2591, 2592, 2630, 2639, 2681,2733,
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	2531, 2546, 2549, 2623, 2647, 2652, 2706, 2707, 2716, 2728, 2732, 2734
पंचायती राज	:	2541, 2568
विद्युत	:	2553, 2556, 2564, 2583, 2603, 2614, 2624, 2642, 2646, 2653, 2668, 2682, 2687, 2699, 2703, 2705, 2729, 2752
पर्यटन	:	2535, 2545, 2565, 2609, 2615, 2663, 2677, 2708
जनजातीय कार्य	:	2536, 2554, 2558, 2571, 2577, 2579, 2581, 2600, 2622, 2643, 2644, 2648, 2664, 2673, 2688, 2719, 2736, 2744, 2748, 2749,
महिला और बाल विकास	:	2534, 2542, 2570, 2576, 2585, 2594, 2601, 2627, 2635, 2655, 2656, 2670, 2678, 2724, 2742, 2754

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/21/12/2011 (एन.)
230

© 2011 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।